खण्ड–513, अंक–05
बुधवार, 05 फाल्गुन, शक संवत् 1942
(24 फरवरी, 2021 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

-: 0 :-

(अधिकृत विवरण)

(सत्रहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र, वर्ष 2021)

(खण्ड 513 में 10 अंक हैं)

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, लखनऊ (भारत)
2022

मूल्य : बिना महसूल 16.75 रुपये, महसूल सहित 21.00 रुपये।
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 586.25 रुपये, महसूल सहित 724.25 रुपये।

विषय-सूची

विषय				पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	...	...	...	**1-8**
प्रश्नोत्तर	...	...	...	**9-142**
औचित्य के प्रश्न की सूचनायें	...	...	...	**142**
वित्तीय वर्ष 2020-2021 के बजट में ग्राम्य विकास विभाग में विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि का उल्लेख होने के बावजूद राज्य सरकार द्वारा विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि की धनराशि क्षेत्र विकास निधि अधिनियम के अन्तर्गत जारी न किये जाने के सम्बन्ध में श्री लाल जी वर्मा का औचित्य का प्रश्न	...	...	...	**142-144**
उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के माननीय सदस्यों की बन्द की गयी क्षेत्रीय विकास निधि को पुनः जारी किये जाने के सम्बन्ध में श्री मनोज कुमार पारस का औचित्य का प्रश्न	...	...	...	**144-147**
उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के माननीय सदस्यों को आवास आवंटन की व्यवस्था में संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में श्री शैलेन्द्र यादव ललई का औचित्य का प्रश्न	...	...	...	**147-148**
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव	...	...		**148-192**
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-979/ग्यारह-2-20-9(47)–17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश (141)-2020, दिनांक 01 सितम्बर, 2020 (सदन के पटल पर रखी गयी)	...	...		**192**
उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (बयालिसवां संशोधन) नियमावली, 2020 (सदन के पटल पर रखी गयी)	...	...	...	**192**
उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (तैंतालिसवां संशोधन) नियमावली, 2020 (सदन के पटल पर रखी गयी)	...	...	...	**193**
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1038/ग्यारह-2-20–9(47)–17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (144)-2020, दिनांक 23 सितम्बर, 2020 (सदन के पटल पर रखी गयी)	...	...		**193**
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1039/ग्यारह-2-20-9(47)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश (145)-2020, दिनांक 23 सितम्बर, 2020 (सदन के पटल पर रखी गयी)	...	...		**193**

विषय	पृष्ठ-संख्या
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1040/ग्यारह-2-20-9(47)–17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (146)-2020, दिनांक 23 सितम्बर, 2020 (सदन के पटल पर रखी गयी)	**193**
उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (चौवालिसवां संशोधन) नियमावली, 2020 (सदन के पटल पर रखी गयी)	**194**
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1155/ग्यारह-2-20-9(47)–17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश (148)–2020, दिनांक 05 अक्टूबर, 2020 (सदन के पटल पर रखी गयी) ...	**194**
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1160/ग्यारह-2-20–9 (42) 17-उ0प्र0जी0एस0टी0 नियम-2017-आदेश (149)-2020, दिनांक 05 अक्टूबर, 2020 (सदन के पटल पर रखी गयी)... ...	**194**
उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (पैंतालिसवां संशोधन) नियमावली, 2020 (सदन के पटल पर रखी गयी)	**194**
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1183/ग्यारह-2-20-9(47)–17 -उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश (151)-2020, दिनांक 15 अक्टूबर, 2020 (सदन के पटल पर रखी गयी)	**195**
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1247/ग्यारह-2-20-9(47)–17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (152)-2020, दिनांक 26 अक्टूबर, 2020 (सदन के पटल पर रखी गयी)	**195**
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1248/ग्यारह-2-20-9(47)–17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश (153)–2020, दिनांक 26 अक्टूबर, 2020 (सदन के पटल पर रखी गयी) ...	**195**
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1307/ग्यारह-2-20–9(47)–17-उ0प्र0जी0एस0टी0 नियम-2017-आदेश (154)-2020, दिनांक 29 अक्टूबर, 2020 (सदन के पटल पर रखी गयी) ...	**195**
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1245/ग्यारह-2-20–9(47)–17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश (155)-2020, दिनांक 02 नवम्बर, 2020 (सदन के पटल पर रखी गयी)	**196**

विषय	पृष्ठ-संख्या
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1246/ग्यारह-2-20—9(47)—17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश (156)—2020, दिनांक 02 नवम्बर, 2020 (सदन के पटल पर रखी गयी)	**196**
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1282/ग्यारह-2-20—9(47)—17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश (157)—2020, दिनांक 02 नवम्बर, 2020 (सदन के पटल पर रखी गयी)	**196**
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1283/ग्यारह-2-20-9(47)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश (158)-2020, दिनांक 02 नवम्बर, 2020 (सदन के पटल पर रखी गयी)	**196**
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1284/ग्यारह-2-20—9(47)—17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश (159)-2020, दिनांक 02 नवम्बर, 2020 (सदन के पटल पर रखी गयी)	**197**
राज्य कर अनुभाग-2 के शुद्धि-पत्र संख्या-1381/ग्यारह-2-20—9(42)—17-उ0प्र0 जी0एस0टी0 नियम-2017-आदेश (161)-2020, दिनांक 27 नवम्बर, 2020 (सदन के पटल पर रखी गयी)	**197**
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1382/ग्यारह-2-20-9(47)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश (162)-2020, दिनांक 27 नवम्बर, 2020 (सदन के पटल पर रखी गयी)	**197**
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1371/ग्यारह-2-20-9(47)—17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश (163)-2020, दिनांक 09 दिसम्बर, 2020 (सदन के पटल पर रखी गयी)	**197**
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1372/ग्यारह-2-20—9(47)—17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश (164)—2020, दिनांक 09 दिसम्बर, 2020 (सदन के पटल पर रखी गयी) ...	**198**
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1373/ग्यारह-2-20—9(47)—17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (165)-2020, दिनांक 09 दिसम्बर, 2020 (सदन के पटल पर रखी गयी)	**198**
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1374/ग्यारह-2—20—9(47)—17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश (166)—2020, दिनांक 09 दिसम्बर, 2020 (सदन के पटल पर रखी गयी) ...	**198**

विषय	पृष्ठ-संख्या
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1376/ग्यारह-2-20—9(47)—17—उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश (167)- 2020, दिनांक 09 दिसम्बर, 2020 (सदन के पटल पर रखी गयी) ...	**198**
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1404/ग्यारह-2-20—9(47)—17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश (169)—2020, दिनांक 22 दिसम्बर, 2020 (सदन के पटल पर रखी गयी) ...	**199**
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-04/ग्यारह-2-20—9(47)—17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (170)-2020, दिनांक 15 जनवरी, 2021 (सदन के पटल पर रखी गयी)	**199**
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-03/ग्यारह-2-20-9(47)—17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश (171)-2020, दिनांक 20 जनवरी, 2021 (सदन के पटल पर रखी गयी)	**199**
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् का आर्थिक चिट्ठा एवं आय-व्यय खाता वित्तीय वर्ष 2017-2018 (सदन के पटल पर रखा गया) ...	**199**
उत्तर प्रदेश की सत्रहवीं विधान सभा के प्रथम सत्र 2020 (दिनांक 13 फरवरी, 2020 से दिनांक 28 फरवरी, 2020 तक) एवं द्वितीय सत्र, 2020 (दिनांक 20 अगस्त, 2020 से दिनांक 22 अगस्त, 2020 तक) में उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-301 के अधीन प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण (सदन के पटल पर रखा गया)... ...	**200**
उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अपर मुख्य अधिकारी के केन्द्रीय संक्राम्य संवर्ग) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2020 (सदन के पटल पर रखी गयी) ...	**200**
उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (केन्द्रीय संक्राम्य संवर्ग) (दसवां संशोधन) नियमावली, 2020 (सदन के पटल पर रखी गयी)	**200**
दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, आगरा का तेरहवां वार्षिक प्रतिवेदन 2015-2016 (सदन के पटल पर रखा गया)	**201**
दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, आगरा का चौदहवां वार्षिक प्रतिवेदन 2016-2017 (सदन के पटल पर रखा गया) ...	**201**
उप लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या-01-2017 (उप लो0आ0) (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) (सदन के पटल पर रखा गया) ...	**201**

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति (2019-2020) का पंचम् प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया)	201
उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति (2019-2020) का षष्ठम् प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया)	201-202
उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2019-2020) का ग्यारहवां प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया)	202
उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2019-2020) का बारहवां प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया)	202
उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2019-2020) का तेरहवां प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया)	202
उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2019-2020) का चौदहवां प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया)	202-203
उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2019–2020) का पन्द्रहवां प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया)	203
उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2019-2020) का सोलहवां प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया)	203
उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2019-2020) का सत्रहवां प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया)	203
उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2019-2020) का अट्ठारहवां प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया)	203-204
उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2019-2020) का उन्नीसवां प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया)	204

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2019-2020) का बीसवां प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया)	**204**
उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की पंचायती राज समिति (2019-2020) का प्रथम प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया)	**204**
उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की पंचायती राज समिति (2019-2020) का द्वितीय प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया)	**204**
उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की पंचायती राज समिति (2019-2020) का तृतीय प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया)	**205**
उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की पंचायती राज समिति (2019-2020) का चतुर्थ प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया)	**205**
उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की पंचायती राज समिति (2019-2020) का पंचम प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया)	**205**
उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की पंचायती राज समिति (2019-2020) का षष्ठम् प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया)	**205**
उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की पंचायती राज समिति (2019-2020) का सप्तम् प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया)	**205**
उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की पंचायती राज समिति (2019-2020) का अष्ठम् प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया)	**206**
उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की पंचायती राज समिति (2019-2020) का नवम् प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया)	**206**
उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की पंचायती राज समिति (2019-2020) का दशम् प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया)	**206**
उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की पंचायती राज समिति (2019-2020) का ग्यारहवां प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया)... ...	**206**
उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की पंचायती राज समिति (2019-2020) का बारहवां प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया)	**206**
उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की पंचायती राज समिति (2019-2020) का तेरहवां प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया)	**207**

विषय	पृष्ठ-संख्या
श्री बृजेश कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद उन्नाव से सम्बन्धित 03 याचिकाएं (उपस्थित की गयीं)...	**207**
श्री बहोरन लाल मौर्य, सदस्य, विधान सभा की जनपद बरेली से सम्बन्धित 06 याचिकाएं (उपस्थित की गयीं)...	**207–208**
श्री कैलाश नाथ सोनकर, सदस्य, विधान सभा की जनपद वाराणसी से सम्बन्धित 15 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गयीं) ...	**208–210**
श्री मो0 फईम इरफान, सदस्य, विधान सभा की जनपद सम्भल से सम्बन्धित 01 याचिका तथा जनपद मुरादाबाद से सम्बन्धित 04 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	**210**
श्री मनोज कुमार पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की जनपद रायबरेली से सम्बन्धित 06 याचिकाएं तथा जनपद लखनऊ से सम्बन्धित 02 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	**210–211**
श्री मूल चन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद जालौन से सम्बन्धित 03 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	**211–212**
श्री किशन लाल राजपूत, सदस्य, विधान सभा की जनपद पीलीभीत से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयी)	**212**
श्री विनोद कुमार कटियार, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर देहात से सम्बन्धित 08 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गयीं) ...	**212–213**
श्री हाकिम लाल बिन्द, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ से सम्बन्धित 01 याचिका तथा जनपद प्रयागराज से सम्बन्धित 02 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	**213**
श्री रमेश चन्द्र मिश्र, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर से सम्बन्धित 05 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	**214**
श्री शशांक त्रिवेदी, सदस्य, विधान सभा की जनपद सीतापुर से सम्बन्धित 04 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	**214–215**
श्री सुभाष राय, सदस्य, विधान सभा की जनपद अम्बेडकर नगर से सम्बन्धित 05 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	**215–216**
श्री सुरेन्द्र मैथानी, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर से सम्बन्धित 05 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	**216**

विषय	पृष्ठ-संख्या
श्री सत्यवीर त्यागी, सदस्य, विधान सभा की जनपद मेरठ से सम्बन्धित 05 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	216-217
श्री जवाहर लाल राजपूत, सदस्य विधान सभा की जनपद झांसी से सम्बन्धित 03 याचिकाएं तथा जनपद उन्नाव से सम्बन्धित 02 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	217
श्री नवाब जान, सदस्य, विधान सभा की जनपद मुरादाबाद से सम्बन्धित 04 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	218
श्री अनिल सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद उन्नाव से सम्बन्धित 05 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	218
श्री आनन्द शुक्ला, सदस्य, विधान सभा की जनपद चित्रकूट से सम्बन्धित 16 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	219-220
श्री लोकेन्द्र प्रताप सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखीमपुर खीरी से सम्बन्धित 04 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गयीं) ...	221
श्री मुकेश चन्द्र वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद फिरोजाबाद से सम्बन्धित 06 याचिकाएं तथा जनपद आगरा से सम्बन्धित 04 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	221-222
डॉ0 सत्य प्रकाश मणि त्रिपाठी उर्फ गुड्डू बाबू, सदस्य, विधान सभा की जनपद देवरिया से सम्बन्धित 05 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	222-223
डॉ0 डी0 सी0 वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद हाथरस से सम्बन्धित 02 याचिकाएं तथा जनपद बरेली से सम्बन्धित 03 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	223-224
डॉ0 नीरज बोरा, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ से सम्बन्धित 05 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	224
डॉ0 अनीता लोधी राजपूत, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर से सम्बन्धित 04 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गयीं) ...	224
उत्तर प्रदेश लोक एवं निजी सम्पत्ति विरूपण निवारण विधेयक, 2021 (पुरःस्थापित)	225-226
उत्तर प्रदेश गुण्डा नियन्त्रण (संशोधन) विधेयक, 2021 (पुरःस्थापित) ...	226
श्री पल्टूराम, सदस्य, विधान सभा की जनपद बलरामपुर से सम्बन्धित 03 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	226-227

विषय	पृष्ठ-संख्या
श्री रोशन लाल वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद शाहजहांपुर से सम्बन्धित 02 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गयीं) ...	227
श्री रजनीकान्त मणि त्रिपाठी, सदस्य, विधान सभा की जनपद वाराणसी से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयी)	227
श्री संजय प्रताप जायसवाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद बस्ती से सम्बन्धित 04 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गयीं) ...	227-228
श्री जटाशंकर त्रिपाठी, सदस्य, विधान सभा की जनपद कुशीनगर से सम्बन्धित 05 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	228
श्री अभिजीत सिंह सांगा, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर नगर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयी)	228
श्री गंगा, सदस्य, विधान सभा की जनपद कुशीनगर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयी)	228-229
श्रीमती शुचिस्मिता मौर्या, सदस्य, विधान सभा की जनपद मिर्जापुर से सम्बन्धित 04 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गयीं) ...	229
डॉ0 अरूण कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद बरेली से सम्बन्धित 02 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	229
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव (स्वीकृत)	229-230
नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाए	230-232
जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मल्हनी अन्तर्गत ग्राम चक मिर्जापुर में कृष्ण कुमार यादव उर्फ पुजारी एवं राजकुमार यादव की हत्या किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	232-233
जनपद लखनऊ के अन्तर्गत पारा क्षेत्र स्थित पारा रेलवे क्रासिंग पर ओवर ब्रिज का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	233
जनपद बदायूं के विधान सभा क्षेत्र शेखूपुर अन्तर्गत कतिपय मार्गों/बाईपास का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	233-234
जनपद मेरठ के विधान सभा क्षेत्र किठौर अन्तर्गत ग्राम अमरपुर में चन्द्रपाल के मकान से तालाब तक सी0सी0 टाइल्स का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	234

विषय	पृष्ठ-संख्या
लखनऊ नगर निगम अन्तर्गत शिवानी विहार कालोनी कल्याणपुर मे मार्ग का नवीनीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	234-235
नगर निगम कानपुर द्वारा गृह कर में वृद्धि किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	235
जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र रसड़ा के अन्तर्गत खुले विद्युत तारों एवं जर्जर पोलों को हटाते हुए अंडरग्राउण्ड केबिल लगवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	235-236
जनपद चन्दौली अन्तर्गत चन्दौली, सकलडीहा, सैदपुर घाट सम्पर्क मार्ग का जीर्णोद्धार एवं सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	236
महामायानगर, तकरोही, इंदिरानगर लखनऊ के कालोनी में सड़क बनवाये जाने एवं स्ट्रीट लाइट लगवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	236-237
प्रदेश के डी0आर0डी0ए0 कर्मियों को पेंशन दिलाये जाने के सम्बन्ध मे नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	237
जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र बेहट अन्तर्गत कतिपय स्थानों पर पुलों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	237-238
जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र पुरकाजी अन्तर्गत ग्राम सिमर्थी से बरला-बसेड़ा रोड तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	238
जनपद जालौन के विकास खण्ड कुठौंद के अन्तर्गत ग्राम शेखपुर बुजुर्ग व हीरापुर के मध्य पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	238
जनपद अयोध्या के विधान सभा क्षेत्र रूदौली अन्तर्गत सिंचाई नहर खण्ड के अतिथि गृह का जीर्णोद्धार एवं बाउन्ड्रीवाल कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	238-239
जनपद सहारनपुर के ब्लाक पुवांरका अन्तर्गत अम्बाला रोड थरौली रजवाहे के पुल से चिलकाना रोड तक मार्ग का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	239

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद मेरठ में खाद्य पदार्थों में थूक, पेशाब व अन्य अपशिष्ट पदार्थ मिलाने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु कानून बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	239-240
उत्तर प्रदेश राज्य सम्पत्ति विभाग में मोटर चालक संघ सचिवालय को सुविधायें सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	240
कोरोना के संकटकाल के समय लॉक डाउन के दौरान व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद होने के कारण अप्रैल, मई व जून, 2020 के विद्युत बिल माफ किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	240-241
जनपद फिरोजाबाद के तहसील शिकोहाबाद द्वारा विमुक्त जाति प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	241
जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र निजामाबाद अन्तर्गत आजमगढ़ के खण्ड-2 की सड़कों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	241
जनपद उन्नाव के विकास खण्ड-84 अन्तर्गत ग्राम राजेपुर में ग्राम समाज की भूमि को भू-माफियाओं से मुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	242
जनपद मऊ के विधान सभा क्षेत्र घोसी अन्तर्गत गन्ना मिल के पास नाले का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	242
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2021 (पारित) ...	242-248
उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक, 2021 (पारित) ...	248-261
उत्तर प्रदेश शैक्षिक संस्था (अध्यापक संवर्ग में आरक्षण) विधेयक, 2021 (पारित)	261-268
उत्तर प्रदेश पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा तथा विधिमान्यकरण विधेयक, 2021 (पारित)	268-271
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनायें	272-275
जनपद कानपुर के घाटमपुर विधान सभा क्षेत्र में भू-माफियाओं की दबंगई से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री अमिताभ बाजपेई द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य	276-277
जनपद उन्नाव के नगर पंचायत बीघापुर में कृषि कल्याण केंद्र की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री फतेह बहादुर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर कृषि मंत्री का वक्तव्य	277-279

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद रायबरेली के विकास खण्ड क्षेत्र डलमऊ में ऊँचाहार-कानपुर मार्ग से कोल्ड स्टोरेज के बगल से पथरौली होकर बांसी परान जाने वाले मार्ग के नवीनीकरण के सम्बन्ध में श्री मनोज कुमार पाण्डेय द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य ...	279-281
जनपद श्रावस्ती में आबकारी विभाग द्वारा किये गये भ्रष्टाचार की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मोहम्मद असलम "राइनी" (एडवोकेट) द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर आबकारी मंत्री का वक्तव्य ...	281-282
जनपद देवरिया के भाटपार रानी ब्लाक को अन्यत्र विस्थापित न कराये जाने के सम्बन्ध में श्री आशुतोष उपाध्याय द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य	283-284
जनपद फिरोजाबाद की तहसील सदर में उप जिलाधिकारी द्वारा की गयी अनियमितताओं की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मनीष असीजा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य	284-286
जनपद अमरोहा के एम0डी0ए0 कालोनी की जर्जर सड़कों एवं जलभराव की समस्या का निराकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजीव तरारा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य	287
जनपद सहारनपुर के ग्राम मानकमऊ में कतिपय कब्जा हटाये जाने के सम्बन्ध में श्री संजय गर्ग द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य	287-289
जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद में पेयजल की समस्या के निराकरण के सम्बन्ध में श्री मुकेश चन्द्र वर्मा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर पंचायती राज मंत्री का केवल वक्तव्य ...	289-290
नत्थियां	291-360

उत्तर प्रदेश विधान सभा
सत्रहवीं विधान सभा

बुधवार, दिनांक 24 फरवरी, 2021

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11:00 बजे अध्यक्ष श्री हृदय नारायण दीक्षित की अध्यक्षता में आरम्भ हुई)

उपस्थित सदस्य-364

1. अगयश राम सरन वर्मा, श्री — पीलीभीत
2. अजय कुमार, डॉ0 — इलाहाबाद
3. अजय कुमार लल्लू, श्री — कुशीनगर
4. अजय कुमार सिंह ''अजय सिंह'', श्री — बस्ती
5. अजीत कुमार उर्फ राजू यादव, श्री — सम्भल
6. अजीत पाल त्यागी, श्री — गाजियाबाद
7. अजीत सिंह पाल, श्री — कानपुर देहात
8. अतुल गर्ग, श्री — गाजियाबाद
9. अदिति सिंह, सुश्री — रायबरेली
10. अनिल कुमार, श्री — बुलन्दशहर
11. अनिल कुमार दोहरे, श्री — कन्नौज
12. अनिल कुमार मौर्य, डा0 — सोनभद्र
13. अनिल पाराशर, श्री — अलीगढ़
14. अनिल राजभर, श्री — वाराणसी
15. अनिल सिंह, श्री — उन्नाव
16. अनीता, श्रीमती — अम्बेडकर नगर
17. अनीता लोधी राजपूत, डॉ0 — बुलन्दशहर
18. अनुपमा जायसवाल, श्रीमती — बहराइच
19. अनुराग सिंह, श्री — मिर्जापुर
20. अनूप प्रधान, श्री — अलीगढ़
21. अबरार अहमद, श्री — सुल्तानपुर
22. अभय कुमार उर्फ धीरज ओझा, श्री — प्रतापगढ़
23. अभिजीत सिंह सांगा, श्री — कानपुर नगर
24. अमन मणि त्रिपाठी, श्री — महाराजगंज
25. अमर सिंह, श्री — फर्रुखाबाद
26. अमर सिंह चौधरी, श्री — सिद्धार्थनगर
27. अमिताभ बाजपेई, श्री — कानपुर नगर
28. अम्बरीश सिंह पुष्कर एडवोकेट, श्री — लखनऊ
29. अरविन्द गिरि, श्री — खीरी
30. अरूण कुमार, डॉ0 — बरेली
31. अरूण कुमार यादव, श्री — आजमगढ़
32. अर्चना पाण्डेय, श्रीमती — कन्नौज
33. अलका राय, श्रीमती — गाजीपुर
34. अवधेश सिंह, प्रो0 (डा0) — वाराणसी
35. अवस्थी बाला प्रसाद, श्री — खीरी
36. अविनाश त्रिवेदी, श्री — लखनऊ
37. अशोक कुमार राणा, श्री — बिजनौर
38. असलम अली, श्री — हापुड़
39. आजाद अरिमर्दन, श्री — आजमगढ़
40. आनन्द स्वरूप शुक्ल, श्री — बलिया
41. आनन्द शुक्ला, श्री — चित्रकूट
42. आर0 के0 वर्मा, डॉ0 — प्रतापगढ़
43. आराधना मिश्रा "मोना", श्रीमती — प्रतापगढ़
44. आलमबदी, श्री — आजमगढ़
45. आशुतोष उपाध्याय, श्री — देवरिया

46. आशुतोष टण्डन ''गोपाल जी'', श्री लखनऊ
47. इकबाल महमूद, श्री सम्भल
48. इकराम कुरैशी, हाजी मुरादाबाद
49. इन्द्र प्रताप उर्फ खब्बू तिवारी, श्री अयोध्या
50. इरफान सोलंकी, हाजी कानपुर नगर
51. उज्जवल रमण सिंह, श्री प्रयागराज
52. उदयभान सिंह, चौ0 आगरा
53. उपेन्द्र तिवारी, श्री बलिया
54. उपेन्द्र नाथ पासवान, श्री कानपुर नगर
55. उमाशंकर सिंह, श्री बलिया
56. उमेश मलिक, श्री मुजफ्फरनगर
57. उषा सिरोही, श्रीमती बुलन्दशहर
58. ओमकार सिंह, श्री बदायूं
59. ओमकुमार, श्री बिजनौर
60. ओम प्रकाश राजभर, श्री गाजीपुर
61. कपिल देव अग्रवाल, श्री मुजफ्फरनगर
62. कमल सिंह मलिक, श्री हापुड़
63. कमलेश शुक्ल, श्री देवरिया
64. कमलेश सैनी, श्रीमती बिजनौर
65. करण सिंह पटेल, श्री फतेहपुर
66. कल्पनाथ पासवान, श्री आजमगढ़
67. कारिन्दा सिंह, श्री मथुरा
68. काली प्रसाद, श्री देवरिया
69. किरत सिंह, श्री सहारनपुर
70. किशन लाल राजपूत, श्री पीलीभीत
71. कुशाग्र सागर, श्री बदायूं
72. कृष्णा पासवान, श्रीमती फतेहपुर
73. केसर सिंह, श्री बरेली
74. कैलाश नाथ शुक्ल, श्री बलरामपुर
75. कैलाश नाथ सोनकर, श्री वाराणसी
76. कैलाश सिंह राजपूत, श्री कन्नौज
77. गंगा, श्री कुशीनगर
78. गरिमा सिंह, श्रीमती अमेठी
79. गिरीश चन्द्र यादव, श्री जौनपुर
80. गुलाब देवी, श्रीमती सम्भल
81. गौरव कुमार, श्री बाराबंकी
82. गौरी शंकर, श्री जालौन
83. चन्द्रपाल कुशवाहा, श्री बांदा
84. चन्द्र प्रकाश उर्फ सीए चन्द्र प्रकाश शुक्ल, श्री बस्ती
85. चेतराम, श्री शाहजहांपुर
86. छत्रपाल सिंह गंगवार, श्री बरेली
87. जगदीश सोनकर, श्री जौनपुर
88. जटाशंकर त्रिपाठी, श्री कुशीनगर
89. जमुना प्रसाद सरोज, डॉ0 इलाहाबाद
90. जय कुमार सिंह (जैकी), श्री फतेहपुर
91. जय देवी, श्रीमती लखनऊ
92. जयप्रकाश निषाद, श्री देवरिया
93. जय प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
94. जवाहर लाल राजपूत, श्री झांसी
95. ज्ञान तिवारी, श्री सीतापुर
96. ज्ञानेन्द्र, श्री महाराजगंज
97. डी0 सी0 वर्मा, डॉ0 बरेली
98. डेनजिल जे0 गोडिन, डा0 नाम-निर्देशित
99. तसलीम अहमद, श्री बिजनौर
100. तेजपाल सिंह नागर, श्री गौतमबुद्ध नगर
101. तेजेन्द्र निर्वाल, श्री शामली
102. त्रिवेणी राम, श्री गाजीपुर
103. दयाराम चौधरी, श्री बस्ती
104. दल बहादुर, श्री रायबरेली
105. दारा सिंह चौहान, श्री मऊ
106. दिनेश खटीक, श्री मेरठ

107. दिनेश चौधरी, श्री — जौनपुर
108. दीनानाथ भाष्कर, श्री — भदोही
109. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री — आजमगढ़
110. देवमणि द्विवेदी, श्री — सुल्तानपुर
111. देवेन्द्र कुमार निम, श्री — सहारनपुर
112. देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री — कासगंज
113. देवेन्द्र सिंह लोधी एडवोकेट, श्री — बुलन्दशहर
114. धनन्जय कन्नौजिया, श्री — बलिया
115. धर्मपाल सिंह, श्री — बरेली
116. धर्मराज सिंह यादव उर्फ सुरेश यादव, श्री — बाराबंकी
117. धर्म सिंह सैनी, डॉ0 — सहारनपुर
118. धर्मेन्द्र कुमार सिंह शाक्य ''पप्पू भइया'', श्री — बदायूं
119. धीरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री — रायबरेली
120. धीरेन्द्र सिंह, श्री — गौतमबुद्ध नगर
121. नईम उल हसन, श्री — बिजनौर
122. नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी', श्री — प्रयागराज
123. नफीस अहमद, श्री — आजमगढ़
124. नरेन्द्र पाल सिंह, कुँ0 — जालौन
125. नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री — सीतापुर
126. नरेश सैनी, श्री — सहारनपुर
127. नवाब जान, श्री — मुरादाबाद
128. नागेन्द्र सिंह राठौर, श्री — फर्रुखाबाद
129. नाहिद हसन, श्री — शामली
130. नितिन अग्रवाल, श्री — हरदोई
131. निर्मला संखवार, श्रीमती — कानपुर देहात
132. नीरज बोरा, डॉ0 — लखनऊ
133. नीलकण्ठ तिवारी, डॉ0 — वाराणसी
134. नीलम करवरिया, श्रीमती — प्रयागराज
135. नील रतन सिंह पटेल "नीलू", श्री — वाराणसी
136. नीलिमा कटियार, श्रीमती — कानपुर नगर
137. पंकज सिंह, श्री — गौतमबुद्ध नगर
138. पक्षालिका सिंह, रानी — आगरा
139. पवन कुमार उर्फ पवन केडिया, श्री — कुशीनगर
140. पल्टूराम, श्री — बलरामपुर
141. पूरन प्रकाश, श्री — मथुरा
142. प्रकाश चन्द्र द्विवेदी, श्री — बांदा
143. प्रतिभा शुक्ला, श्रीमती — कानपुर देहात
144. प्रतीक भूषण सिंह, श्री — गोण्डा
145. प्रभात कुमार वर्मा, श्री — गोण्डा
146. प्रभाष कुमार, श्री — हरदोई
147. प्रभु नारायण सिंह यादव, श्री — चन्दौली
148. प्रमोद उटवाल, श्री — मुजफ्फरनगर
149. प्रवीण कुमार सिंह, श्री — इलाहाबाद
150. प्रेम नारायण पाण्डेय, श्री — गोण्डा
151. प्रेमपाल सिंह धनगर, श्री — फिरोजाबाद
152. प्रेमसागर पटेल, श्री — महाराजगंज
153. फतेह बहादुर, श्री — गोरखपुर
154. बजरंग बहादुर सिंह, श्री — महाराजगंज
155. बन्दना सिंह, श्रीमती — आजमगढ़
156. बम्बा लाल, श्री — उन्नाव
157. बल्देव सिंह औलख, श्री — रामपुर
158. बहोरन लाल मौर्य, श्री — बरेली
159. बाबा गोरखनाथ, श्री — फैजाबाद
160. बाबू राम पासवान, श्री — पीलीभीत
161. बावन सिंह, श्री — गोण्डा
162. बिमला सिंह सोलंकी, श्रीमती — बुलन्दशहर

163. बिहारीलाल आर्य, श्री झांसी
164. बीरेन्द्र सिंह राणा, श्री हाथरस
165. बृजभूषण राजपूत उर्फ गुड्डू भइया, श्री महोबा
166. बृजेश कठेरिया, इंजी0 मैनपुरी
167. बृजेश कुमार, श्री उन्नाव
168. बृजेश कुमार प्रजापति, श्री बांदा
169. बैजनाथ रावत, श्री बाराबंकी
170. ब्रिजेश, श्री सहारनपुर
171. भगवती प्रसाद सागर, श्री कानपुर नगर
172. भूपेश चौबे, श्री सोनभद्र
173. मंजू त्यागी, श्रीमती खीरी
174. मनीष असीजा, श्री फिरोजाबाद
175. मनीषा अनुरागी, श्रीमती हमीरपुर
176. मनोज कुमार पाण्डेय, श्री रायबरेली
177. मनोज कुमार पारस, श्री बिजनौर
178. मनोहर लाल, श्री ललितपुर
179. मन्जू शिवाच, डॉ0 गाजियाबाद
180. ममतेश शाक्य, श्री कासगंज
181. मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री रायबरेली
182. मसूद अख्तर, श्री सहारनपुर
183. महबूब अली, श्री अमरोहा
184. महेन्द्र पाल सिंह, श्री गोरखपुर
185. महेन्द्र प्रताप सिंह, श्री सीतापुर
186. महेन्द्र सिंह खडगवंशी, श्री अमरोहा
187. महेश कुमार गोयल, श्री आगरा
188. महेश चन्द्र गुप्ता, श्री बदायूं
189. माधवेन्द्र प्रताप, कुंवर हरदोई
190. माधुरी वर्मा, श्रीमती बहराइच
191. मानवेन्द्र सिंह, श्री शाहजहांपुर
192. मुकुट बिहारी, श्री बहराइच
193. मुकेश चन्द्र वर्मा, श्री फिरोजाबाद
194. मूलचन्द्र सिंह, श्री जालौन
195. मो0 मुजतबा सिद्दीकी, श्री प्रयागराज
196. मोहम्मद असलम ''राइनी'' (एडवोकेट), श्री श्रावस्ती
197. मोहम्मद रिजवान, श्री मुरादाबाद
198. मो0 फईम इरफान, श्री मुरादाबाद
199. युवराज सिंह, श्री हमीरपुर
200. योगेन्द्र उपाध्याय, श्री आगरा
201. योगेश धामा, श्री बागपत
202. रघुराज प्रताप सिंह, श्री प्रतापगढ़
203. रजनीकान्त मणि त्रिपाठी, श्री कुशीनगर
204. रणवेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ धुन्नी भइया, श्री फतेहपुर
205. रत्नाकर मिश्र, श्री मिर्जापुर
206. रफीक अन्सारी, श्री मेरठ
207. रमापति शास्त्री, श्री गोण्डा
208. रमेश चन्द्र दिवाकर, श्री औरैया
209. रमाशंकर सिंह, श्री मिर्जापुर
210. रमेश चन्द्र मिश्र, श्री जौनपुर
211. रवि कुमार सोनकर, श्री बस्ती
212. रविन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री भदोही
213. रवि शर्मा, श्री झांसी
214. रविन्द्र जायसवाल, श्री वाराणसी
215. रवेन्द्रपाल सिंह, श्री अलीगढ़
216. राकेश कुमार गोस्वामी, श्री महोबा
217. राकेश प्रताप सिंह, श्री अमेठी
218. राकेश राठौर, श्री सीतापुर
219. राकेश सिंह, श्री रायबरेली
220. राकेश सिंह बघेल, श्री सन्तकबीर नगर
221. राघवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
222. राज करन कबीर, श्री बांदा
223. राजकुमार अग्रवाल, श्री हरदोई

224. राजकुमार उर्फ राजू यादव, श्री मैनपुरी
225. राजकुमार पाल, श्री प्रतापगढ़
226. राजकुमार सहयोगी, श्री अलीगढ़
227. राजबाला सिंह, श्रीमती रामपुर
228. राजमणि कोल, श्री इलाहाबाद
229. राजीव तरारा, श्री अमरोहा
230. राजीव कुमार सिंह उर्फ बब्बू भईया, श्री बदायूं
231. राजीव सिंह ''पारीछा'', श्री झांसी
232. राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती, श्री प्रतापगढ़
233. राजेश कुमार मिश्रा उर्फ पप्पू भरतौल, श्री बरेली
234. राजेश कुमार सिंह (चुन्नू), श्री मुरादाबाद
235. राजेश गौतम, श्री सुल्तानपुर
236. राधा कृष्ण शर्मा, पं0 बदायूं
237. राधा मोहन दास अग्रवाल, डॉ0 गोरखपुर
238. राम अचल राजभर, श्री अम्बेडकर नगर
239. राम कृष्ण भार्गव, श्री सीतापुर
240. रामगोपाल पप्पू लोधी, श्री फिरोजाबाद
241. राम गोविन्द चौधरी, श्री बलिया
242. राम चन्द्र यादव, श्री फैजाबाद
243. राम नरेश अग्निहोत्री, श्री मैनपुरी
244. राम नरेश रावत, श्री रायबरेली
245. रामपाल वर्मा, श्री हरदोई
246. राम प्रताप सिंह, श्री आगरा
247. राम प्रताप उर्फ शशिकान्त वर्मा, श्री बलरामपुर
248. राम फेरन पाण्डेय, श्री श्रावस्ती
249. रामरतन कुशवाहा, श्री ललितपुर
250. रामानन्द बौद्ध, श्री कुशीनगर
251. राहुल प्रकाश, श्री मिर्जापुर
252. रितेश कुमार गुप्ता, श्री मुरादाबाद
253. रोशन लाल वर्मा, श्री शाहजहांपुर
254. लकी यादव, श्री जौनपुर
255. लक्ष्मी नारायण, श्री मथुरा
256. लाखन सिंह, श्री औरैया
257. लाल जी वर्मा, श्री अम्बेडकर नगर
258. लाल बहादुर, श्री कौशाम्बी
259. लीना तिवारी, श्रीमती जौनपुर
260. लोकेन्द्र प्रताप सिंह, श्री खीरी
261. विकास गुप्ता, श्री फतेहपुर
262. विक्रम सिंह, श्री फतेहपुर
263. विक्रम सिंह, श्री मुजफ्फरनगर
264. विक्रमाजीत मौर्य, श्री प्रयागराज
265. विजय कुमार कश्यप, श्री मुजफ्फरनगर
266. विजय कुमार राजभर, श्री मऊ
267. विजय पाल (आढ़ती), श्री हापुड़
268. विजेन्द्र सिंह, श्री बुलन्दशहर
269. विनय कुमार द्विवेदी, श्री गोण्डा
270. विनय शाक्य, श्री औरैया
271. विनोद सरोज, श्री प्रतापगढ़
272. विनोद कुमार कटियार, श्री कानपुर देहात
273. विपिन कुमार 'डेविड', श्री एटा
274. विपिन सिंह, श्री गोरखपुर
275. विमलेश पासवान, डा0 गोरखपुर
276. विरेन्द्र कुमार यादव, श्री गाजीपुर
277. वीर विक्रम सिंह, प्रिंस शाहजहांपुर
278. वीरेन्द्र, श्री एटा
279. वेद प्रकाश गुप्ता, श्री फैजाबाद
280. शरद कुमार अवस्थी, श्री बाराबंकी

281. शरदवीर सिंह, श्री — शाहजहांपुर
282. शशांक वर्मा, श्री — खीरी
283. शशांक त्रिवेदी, श्री — सीतापुर
284. शीतल पाण्डेय, श्री — गोरखपुर
285. शीतला प्रसाद ''पप्पू पटेल'' श्री — कौशाम्बी
286. शुचिस्मिता मौर्या, श्रीमती — मिर्जापुर
287. शैलेन्द्र यादव ललई, श्री — जौनपुर
288. शैलेश कुमार सिंह ''शैलू'', श्री — बलरामपुर
289. शोभा सिंह चौहान, श्रीमती — फैजाबाद
290. श्याम धनी, श्री — सिद्धार्थनगर
291. श्याम बिहारी लाल, डॉ0 — बरेली
292. श्याम सुन्दर शर्मा, श्री — मथुरा
293. श्रीकान्त कटियार, श्री — उन्नाव
294. श्रीकान्त शर्मा, श्री — मथुरा
295. श्रीराम चौहान, श्री — सन्तकबीर नगर
296. श्रीराम सोनकर, श्री — मऊ
297. संग्राम यादव, डॉ0 — आजमगढ़
298. संगीत सिंह सोम, श्री — मेरठ
299. संगीता चौहान, श्रीमति — अमरोहा
300. संगीता बलवन्त, डा0 — गाजीपुर
301. संगीता यादव, श्रीमती — गोरखपुर
302. संजय कुमार, श्री — कौशाम्बी
303. संजय गर्ग, श्री — सहारनपुर
304. संजय प्रताप जायसवाल, श्री — बस्ती
305. संजय यादव, श्री — बलिया
306. संजय सिंह गंगवार, श्री — पीलीभीत
307. संजीव कुमार, श्री — सोनभद्र
308. संजीव कुमार दिवाकर, श्री — एटा
309. संजीव राजा, श्री — अलीगढ़
310. संजू देवी, श्रीमती — अम्बेडकर नगर
311. संदीप कुमार सिंह, श्री — अलीगढ़
312. सतीश चन्द्र शर्मा, श्री — बाराबंकी
313. सतीश चन्द्र द्विवेदी, डॉ0 — सिद्धार्थनगर
314. सतीश महाना, श्री — कानपुर नगर
315. सत्यपाल सिंह राठौर, श्री — कासगंज
316. सत्य प्रकाश अग्रवाल ''कैलाश डेरी वाले'', श्री — मेरठ
317. सत्य प्रकाश मणि त्रिपाठी उर्फ गुड्डू बाबू, डा0 — देवरिया
318. सत्यवीर त्यागी, श्री — मेरठ
319. सन्त प्रसाद, श्री — गोरखपुर
320. सरोज सोनकर, श्रीमती — बहराइच
321. सरिता भदौरिया, श्रीमती — इटावा
322. सहेन्द्र सिंह चौहान, श्री — बागपत
323. साकेन्द्र प्रताप वर्मा, श्री — बाराबंकी
324. साधना सिंह, श्रीमती — चन्दौली
325. सावित्री कठेरिया, श्रीमती — इटावा
326. सीताराम वर्मा, श्री — सुल्तानपुर
327. सुनीता, श्रीमती — गाजीपुर
328. सुनील कुमार शर्मा, श्री — गाजियाबाद
329. सुनील दत्त द्विवेदी, मेजर — फर्रुखाबाद
330. सुनील वर्मा, श्री — सीतापुर
331. सुभाष त्रिपाठी एडवोकेट, श्री — बहराइच
332. सुभाष राय, श्री — अम्बेडकर नगर
333. सुरेन्द्र नाथ सिंह, श्री — बलिया
334. सुरेन्द्र नारायण सिंह, श्री — वाराणसी
335. सुरेन्द्र मैथानी, श्री — कानपुर नगर
336. सुरेश कुमार, श्री — शामली
337. सुरेश कुमार, श्री — अमेठी
338. सुरेश कुमार खन्ना, श्री — शाहजहांपुर
339. सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री — लखनऊ
340. सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री — लखनऊ

341. सुरेश तिवारी, श्री	देवरिया
342. सुरेश राही, श्री	सीतापुर
343. सुरेश्वर सिंह, श्री	बहराइच
344. सुशान्त सिंह, कुँ0	बिजनौर
345. सुशील कुमार शाक्य, श्री	फर्रुखाबाद
346. सुशील सिंह, कुं0	चन्दौली
347. सुषमा पटेल, श्रीमती	जौनपुर
348. सूर्यभान सिंह, श्री	सुल्तानपुर
349. सोमेन्द्र तोमर, डॉ0	मेरठ
350. सोवरन सिंह यादव, श्री	मैनपुरी
351. सोहिल अख्तर अन्सारी, श्री	कानपुर नगर
352. सौरभ श्रीवास्तव, श्री	वाराणसी
353. सौरभ सिंह, श्री	खीरी
354. स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री	कुशीनगर
355. हरगोविन्द भार्गव, डॉ0	सीतापुर
356. हरविन्दर कुमार साहनी उर्फ रोमी साहनी, श्री	खीरी
357. हरिओउम यादव, श्री	फिरोजाबाद
358. हरिशंकर माहौर, श्री	हाथरस
359. हरीराम, श्री	सोनभद्र
360. हरेन्द्र प्रसाद सिंह, डॉ0	जौनपुर
361. हर्षवर्धन बाजपेयी, श्री	प्रयागराज
362. हाकिम लाल बिन्द, श्री	प्रयागराज
363. हेमलता दिवाकर कुशवाहा, श्रीमती	आगरा
364. हृदय नारायण दीक्षित, श्री	उन्नाव

नोट :- मुख्य मंत्री (श्री योगी आदित्यनाथ), उप मुख्य मंत्री लोक निर्माण (श्री केशव प्रसाद मौर्य), जल शक्ति तथा बाढ़ नियंत्रण मंत्री (डा0 महेन्द्र सिंह), पंचायती राज मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी) तथा अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज राज्य मंत्री (श्री मोहसिन रजा) भी सदन में उपस्थित थे।

[11:00 बजे] प्रश्नोत्तर

नत्थी (क)

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश मे बारिश के कारण क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत कराने विषयक

****श्री संजय गर्ग तथा श्री उमाशंकर सिंह-**

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बारिश के कारण क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत कराने के लिए सरकार ने कोई नीति बनायी है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उप मुख्य मंत्री (श्री केशव प्रसाद मौर्य)-

जी हां।

लोक निर्माण विभाग में वर्षा ऋतु से क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत का कार्य, मेंटीनेंस मैनुअल ऑफ रोड्स (1984) के अपेन्डिक्स-2 व अपेन्डिक्स-3 (छायाप्रति संलग्न)[†] के अनुसार किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री संजय गर्ग-

माननीय अध्यक्ष जी, वर्षा ऋतु से क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत कराने के लिए जो प्रोविज़न है, उसमें विभाग का मेंटीनेन्स मैनुअल ऑफ रोड्स (1984) के अपेन्डिक्स-2 व अपेन्डिक्स-3 का जिक्र इस जवाब में किया गया है। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इस मैनुअल के और इंस्ट्रक्शन होने के बावजूद भी तमाम सड़कें, जिनमें वर्षा ऋतु के बाद गड्ढा हो जाता है और वह गड्ढे लगातार ऐसी स्थिति में पहुँच जाते हैं कि सड़क चलने लायक नहीं होती है। यह मरम्मत तीन तरह की श्रेणियों में है, तात्कालिक आवश्यक, अति आवश्यक और अनिवार्य। यदि बरसात के बाद मरम्मत करा भी दी जाती है, परन्तु इसके बावजूद भी मेरे अपने जनपद में वर्ष 2013 में जब बारिश आयी है और बरसात की बाढ़ की स्थिति के बाद तापकी से देवभूमि स्कूल की भूमि पर कटाव ओ0डी0आर0 सड़क का है, जिसमें वर्ष 2013 से अभी तक कोई कार्य नहीं हो पाया है, उस पर रिपेयरिंग नहीं हो पायी है। इस सड़क पर तमाम चलने वाले परेशान हैं। सुन्दरपुर, नौरंगपुर ओ0डी0आर0 पर कॉजवे वर्ष 2013 में बह गया, जो अभी तक नहीं बना। खारा परियोजना के पास कॉजवे वर्ष 2013 से अभी तक ठीक नहीं हुआ। इन सबके अलावा सहारनपुर के मुख्य मार्ग में रूड़की से लेकर पंचकुला तक का नेशनल हाई-वे-344 का पुराना भाग है, सहतावर से

[†] देखिये नत्थी (क) आगे पृष्ठ संख्या 291 पर।

गागलहेरी, यह पहले एन0एच0ए0आई0 के बाईपास के लिए था, परन्तु अब बाईपास बन चुका है और यह पी0डब्लू0डी0 को ट्रांसफर हो गया है। इसमें तमाम गड्ढे हैं। सहारनपुर में घुसते ही हमारा स्वागत पी0डब्लू0डी0 की गड्ढों वाली सड़क से होता है और उस पर अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसमें सर्दी की बरसात के बाद स्थिति और ज्यादा विकट हुई है।

श्री अध्यक्ष-

इस प्रश्न में आपने सड़कों के बारे में तो पूछा नहीं, आपने तो रिपेयरिंग की नीति पूछी है ?

श्री संजय गर्ग-

माननीय अध्यक्ष जी, चूंकि माननीय मंत्री जी यहां सदन में मौजूद हैं, इसलिए मैं आपका संरक्षण चाहते हुए केवल यह पूछना चाहता हूँ क्योंकि बरसात की वजह से यह हालात हैं।

आपका भी और हमारा भी मकसद लोगों को न्याय पहुंचाना है। एक बात जो पूरे उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती है कि पी0डब्लू0डी0 सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए गढ्ढों को रिपेयर करती है, परन्तु दूसरे विभाग के लोग सड़क को खोद देते हैं, कहीं एल0पी0जी0 की लाइन डालने के लिए, कहीं सीवर की लाइन डालने के लिए, ये जो इनका आपस में को-आर्डिनेशन है, उस को-आर्डिनेशन के अभाव की वजह से लोगों को बहुत भुगतान करना पड़ता है, विभाग भी उसमें परेशान होता है। मेरा आपके माध्यम से केवल इतना मानना है कि गड्ढा रिपेयर और गड्ढा मुक्त करने का इनका जो वादा है, वर्षाकालीन मौसम के बाद और सर्दियों की बारिश के बाद जहां सड़कों पर गड्ढे होते हैं, उस व्यवस्था को एक नया रूप दे दिया जाय, यह नीति 1983 की है। सर्दी की बारिश से भी उत्तर भारत में बहुत सी सड़कों की हालत खराब होती है, इसलिए उसमें कुछ न कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज होने की जरूरत है। मैं समझता हूं कि उस कार्य योजना पर नजर डालते हुए जिन सड़कों को मैंने इंगित किया है, उस तरफ अगर माननीय मंत्री जी का ध्यान होगा तो आम लोगों को लाभ होगा।

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य के द्वारा जो प्रश्न किया गया है, उसका उत्तर तो दिया गया है। मेंटीनेंस मैनुअल आफ रोड्स (1984) की दृष्टि से हम लोग लगातार बीच-बीच में बैठने का काम करते हैं लेकिन आगे भी इस पर विचार करेंगे और सदस्य जी ने जिस सड़क जो ओ0डी0आर0 के बारे में उल्लेख किया है, वह लिखकर देंगे, हम उसे दिखवा लेंगे।

श्री उमाशंकर सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, एक छोटा सा अनुपूरक माननीय मंत्री जी से आपकी अनुज्ञा से करूंगा। माननीय अध्यक्ष जी, चूंकि माननीय मंत्री जी के उत्तर से हम लोग संतुष्ट हैं। संजय जी

जो मूल प्रश्नकर्ता हैं, बारिश के कारण जो सड़कें क्षतिग्रस्त होती हैं उसमें एक व्यावहारिक दिक्कत यह आती है कि जिन सड़कों का निर्माण मान लीजिये कि इस वित्तीय वर्ष में हुआ और वहां अगर बारिश नहीं भी हुई, लेकिन अगर गिट्टी की क्वालिटी खराब रही तो वह सड़क अगले साल ही ध्वस्त हो जाती है और फिर जब उसको बनाने की बात होती है तो विभाग भी मजबूर होता है कि उसका एक टाइम बाउण्ड है कि ग्रामीण मार्ग है तो 05 साल के बाद हम उसको बनायेंगे, ओ0डी0आर0 है तो हम 03 साल बाद बनायेंगे, स्टेट हाई-वे है तो इतने साल बाद बनायेंगे, उसकी एक समय-सीमा है। मुझे लगता है कि माननीय मंत्री जी को एक कठोर नीति बनानी पड़ेगी कि अगर ऐसी सड़कें जिनका निर्माण कार्य में डिपार्टमेंट की जो भी कार्यदायी संस्था हो या जो कांट्रेक्टर हो, अगर मान लीजिये वह सड़क आज बनायी गयी तो उसे 05 साल चलना चाहिए और वह सड़क 06 महीने में ही टूट जाती है. तो आप भी उस सड़क को दुबारा स्वीकृत नहीं करेंगे। इसके लिए मुझे लगता है कि मा0 मंत्री जी को कठोर नीति बनानी चाहिये जिससे कि किसी की अगर 01 साल वह सड़क चल जाती है तो उसको 05 साल चलना चाहिए और होता क्या है कि वो सड़क 01 साल में टूट गयी। फिर माननीय मंत्री जी के लिए भी परेशानी है और विभाग के लिए भी परेशानी है कि अब हम दूसरी सड़कों को बनायें जिसका समय 05 साल पूरा हो रहा है या फिर उसी सड़क को लेकर उलझे रहें। इसके लिए मुझे लगता है मा0 मंत्री जी को इस पर ध्यान देना चाहिए।

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिये हैं, अच्छे सुझाव जो भी देंगे सबका स्वागत करते हैं, लेकिन इस दृष्टि से कमेटी हमनें बनायी हुई है और समय-समय पर इस प्रकार की जो परिस्थितियां होती हैं, चूंकि आपदा तो आपदा होती है, आपदा में सड़क भी बह जाते हैं, पुल भी बह जाते हैं लेकिन इसके कारण से कोई सड़क अगर क्षतिग्रस्त होती है तो कैसे हम समय से पहले अगर जरूरत पड़ती है तो रिपेयर करें, उसके लिए एक कमेटी गठित है, उसकी रिपोर्ट जल्दी ही आपके सामने रखेंगे, उसके आधार पर आगे की नीति बनायेंगे।

श्री लाल जी वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, केवल एक प्रश्न। माननीय मंत्री जी ने वर्षा से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के लिए नियमावली बनायी है। सामान्य तौर पर आप भी देखते होंगे मान्यवर कि जो सड़कें बनती है उसके दोनों किनारों पर लोग मकान बना लेते है या प्रदेश में बहुत सी जगहों पर नहर की पटरियों पर पी0डब्लू0डी0 की सड़क बनी हुई है। जब नहर में ओवर फ्लो होने लगता है, पानी ज्यादा आ जाता है, उस पानी के कारण वह कट जाती हैं या जहाँ लोगों ने दोनों तरफ मकान बना लिये हैं और अपने घरों के पानी का निकास उस पर कर दिये हैं, जिसके कारण सड़क बनने के बाद वह साल भर भी नहीं चल पाती है, चाहे कितनी ही अच्छी

क्वालिटी की सड़क बनी हो, उसकी क्वालिटी कितनी भी अच्छी हो। चूँकि पानी जायेगा तो चाहे जितनी अच्छी सड़क बनी हो, वह टिक नहीं पायेगी, तो इन समस्याओं के निराकरण के लिए जहाँ पर लोगों के घरों का पानी जाकर सड़कों को खराब करने का काम कर रहा है या नहर की पटरियों पर जहाँ इस तरह से पानी के कारण सड़क नष्ट हो रही है। इसकी रोकथाम के लिए और कैसे इसकी मरम्मत हो, उसके लिए क्या कोई कार्य योजना मंत्री जी बनायेंगे ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

माननीय अध्यक्ष जी, यद्यपि यह प्रश्न से संबंधित विषय नहीं है, लेकिन फिर भी माननीय सदस्य की उत्सुकता को मैं शान्त जरूर करूँगा। 2017 में जब हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में बनी तो हम लोगों ने यह तय किया था कि आने वाले समय में जो नई सड़कें बनाने का काम हो रहा है, उन सड़कों को बनाते समय जो उस पर नगर होंगे, गांव होंगे, उस क्षेत्र से होकर निकलेंगे, वहाँ ड्रेनेज की व्यवस्था भी की जा रही है। पहले की सड़कों में निश्चित तौर पर उसमें यह समस्या थी। लेकिन अभी जो हम सुधार कर रहे हैं, उसमें यह व्यवस्था किये हैं। कहीं कोई ऐसा मामला आपके ध्यान में पहले की सड़कों का होगा, लेकिन वर्तमान में हम लोग जो सड़कों का नव निर्माण कर रहे हैं या सुधार कर रहे हैं, उसमें जल निकासी का प्रबन्ध कर रहे हैं। वह हमारे एस0ओ0आर0 का हिस्सा है।

श्री अध्यक्ष-

अब अल्पसूचित तारांकित प्रश्न सं0-2 लेते हैं।

प्रदेश में बरसात के पानी को जलाशयों एवं नदियों में संचय करने के सम्बन्ध में

****2-श्री जवाहर लाल राजपूत-**

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में निरन्तर गिरते एवं दूषित हो रहे भू-गर्भ जल स्तर को बढ़ाने के लिए बरसात के पानी को बड़े-बड़े जलाशयों एवं नदियों में संचय करने की कोई कार्य योजना सरकार ने बनायी है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

जल शक्ति मंत्री (डॉ0 महेन्द्र सिंह)-

जी हाँ।

भू-गर्भ जल स्तर को बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा जल संचयन हेतु राज्य भू-जल संरक्षण मिशन, अटल भू-जल योजना तथा उ0प्र0 अटल भू-जल योजना के माध्यम से सम्पूर्ण प्रदेश में युद्ध स्तर पर क्षेत्रवार माइक्रो प्लान के आधार पर भू-जल संसाधनों के समग्र अध्ययन एवं जल संचयन व प्रबन्धन के विविध उपायों को समेकित रूप से कन्वर्जेन्स के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है।

2-भारत सरकार द्वारा प्रदेश के 10 जनपदों (बुन्देलखण्ड के 06 एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 04 जनपदों) में अटल भू-जल योजना लागू की गयी है। प्रदेश सरकार द्वारा भी प्रदेश के अवशेष 65 जनपदों में अटल भू-जल योजना के समान ही उ0प्र0 अटल भू-जल योजना दिनांक 01-04-2021 से लागू करने का निर्णय लिया गया है। राज्य भू-जल संरक्षण मिशन के अन्तर्गत प्रदेश के 271 विकास खण्डों में एवं 22 शहरो में जल संचयन एवं जल प्रबन्धन के विविध उपायों को समेकित रूप से कन्वर्जेन्स के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है। उक्त योजनाओं के अन्तर्गत जल संचयन एवं भू-जल भण्डारण को बढ़ाने हेतु कन्वर्जेन्स के माध्यम से चेकडैम निर्माण, तालाबों का जीर्णोद्धार, आन-फार्म हार्वेस्टिंग, यथा-मेड़बन्धी, रूफटाप रेनवाटर हार्वेस्टिंग, ड्रिप एवं स्प्रिंक्लर सिंचाई प्रणाली, आदि जल संरक्षण के कार्य किये जा रहे हैं।

वित्तीय वर्ष 2017-18 से जनवरी, 2021 तक 01 से 05 हेक्टेयर तक के 595 तालाबों का निर्माण एवं 870 चेकडैमों का निर्माण कराया गया है।

उल्लेखनीय है कि भू-गर्भ जल एवं सतही जल के प्रदूषण को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश भू-गर्भ जल (प्रबन्धन और विनियमन) अधिनियम, 2019 प्रख्यापित किया गया है, जो दिनांक 02 अक्टूबर, 2019 से प्रदेश में प्रभावी है। अधिनियम की धारा-26 में भू-गर्भ जल एवं सतही जल के प्रदूषण रोकने की व्यवस्था की गयी है। इसका उल्लंघन करने अर्थात् जल प्रदूषित करने वालों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने की व्यवस्था अधिनियम की धारा-39 में की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

(माननीय मंत्री द्वारा उत्तर पढ़ा गया)

श्री अध्यक्ष-

आप तो संतुष्ट हैं।

श्री जवाहर लाल राजपूत-

माननीय अध्यक्ष जी, दो-तीन क्वेशचन पूछना था। मान्यवर, यह सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है। लेकिन हमारे वहाँ थोड़ी सी समस्या है। गरौठा विधान सभा क्षेत्र में 15 साल से सूखा पड़ रहा है और 2 वर्ष से तो बिल्कुल कम बारिश हुई है, यह कृषि विभाग के सरकारी आंकड़े बता रहे हैं। यह जो बेतवा और धसान नदी बहती है, आजादी के बाद अब तक कोई ऐसा कार्य नहीं हुआ, उसमें माननीय मंत्री जी तो कर रहे हैं। लेकिन जो पिछली सरकारों ने कार्य नहीं किया तो हम चाह रहे थे कि जो धसान और बेतवा का फालतू पानी नीचे बह जाता है। हमारे यहाँ आज भी लोग पानी मोल खरीद रहे हैं। सिंचाई का कोई ऐसा संसाधन नहीं जुट पाया। लेकिन आदरणीय माननीय मंत्री जी ने अभी प्रयास किया है। दूसरा, हम यह चाह रहे थे कि जो हमारे यहां जल-स्तर इतना घट गया है कि हैण्डपम्प सूख गये हैं, पानी नहीं दे रहे हैं। दूसरी जगह से एक-एक, दो-दो कि0मी0 दूर से पानी लाकर देना पड़ता है। एक तरह से लोग पानी मोल खरीद रहे हैं। हमारे एरच बाँध का काम रुका पड़ा हुआ है,

वह माननीय मंत्री जी कब शुरू करायेंगे और बेतवा नदी पर एक डिकोली लिफ्ट कैनाल था जो बहुत बड़ा जलाशय है क्या उसको कार्य योजना में लेंगे ? दूसरा, मान्यवर, प्रधानमंत्री स्प्रिंकलर सिंचाई योजना जलालपुरा और सिमरधा जो बनी हुई है उस पर यदि धन आवंटन हो जायेगा, तो बहुत बड़ा काम हो जायेगा क्योंकि हमारे यहाँ आज भी लोग सूखे के कारण खेती नहीं कर पा रहे हैं, हजारों एकड़ जमीन खाली पड़ी है बिना बुवाई के और हैण्डपम्प पानी नहीं दे रहे हैं। मान्यवर, अन्य जगहों पर तो बारिश हो रही है, बाढ़ आ रही है लेकिन हमारे यहां केवल पानी आ रहा है मध्य प्रदेश से। अगर मध्य प्रदेश में बारिश नहीं हो तो हमारे यहां तो पानी का बहुत बड़ा संकट है।

श्री अध्यक्ष-

आप जानना क्या चाहते हैं ?

श्री जवाहर लाल राजपूत-

मान्यवर, एरच बांध और लिफ्ट कैनाल के बारे में बता दें तथा हमारे यहां जो प्रधानमंत्री स्प्रिंकलर सिंचाई योजना है, मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि उस पर धनावंटन हो जाये।

डा0 महेन्द्र सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, हमारे सम्मानित सदस्य ने बहुत अच्छी बात कही है, बुन्देलखण्ड में पीने के पानी का हमेशा के समाधान के लिए हमारे सम्मानित सदस्य को पता है, वह भी थे तथा माननीय मुख्य मंत्री जी और भारत सरकार के मंत्री भी थे, हम लोगों ने बुन्देलखण्ड और विन्ध्य क्षेत्र की वृहत् परियोजना 15 हजार करोड़ रुपए की प्रारम्भ कर दी है और बहुत तेजी से काम हो रहा है, इसके प्रत्यक्ष गवाह हमारे माननीय सदस्य भी हैं और बाकी माननीय सदस्य भी हैं। मान्यवर, अभी माननीय सदस्य ने जो स्प्रिंकलर की बात कही है तो हमारा स्प्रिंकलर पूरी तरीके से तैयार है, धनावंटन हो चुका है। बहुत जल्दी हम उसका लोकार्पण करने वाले हैं और बुन्देलखण्ड को उसका लाभ मिलने वाला है। जहाँ तक इन्होंने धसान और बेतवा की बात कही है उस पर भी बहुत बड़ी कार्य योजना बनायी गयी है। 11 परियोजनाएं जो हमारी चल रही थीं उनको पूर्ण करके बहुत शीघ्र बुन्देलखण्ड की जनता-जनार्दन को समर्पित करने वाला हूं, जिससे सिंचाई की समस्या का समाधान होगा। तीसरी बड़ी बात इन्होंने एरच की कही है, अच्छी तरह से हमारे सम्मानित सदस्य और सम्पूर्ण बुन्देलखण्ड जानता है कि पिछली सरकार के जो कुकृत्य थे उसकी जांच हो रही है, जांच की रिपोर्ट बहुत जल्दी आने वाली है, मैं भी लगा हुआ हूं, रिपोर्ट आते ही मैं उसका शुभारम्भ करूंगा और शीघ्रातिशीघ्र उसको पूर्ण करके हम जनता-जनार्दन को समर्पित करेंगे।

श्री अजय कुमार लल्लू-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य के सवाल से ही अपने सवाल को जोड़ता हूं। मेरे मा0 मंत्री जी से बस दो स्पेसिफिक सवाल हैं, सिंचाई के लिए बुन्देलखण्ड आज तरस रहा

है, अन्न नहीं हो पा रहा है, लोग परेशान हैं और बुन्देलखण्ड में सबसे ज्यादा आत्महत्याएं हो रही हैं कल ही झांसी में दो किसानों ने आत्महत्या की है। मेरा सिर्फ माननीय मंत्री जी से यह सवाल है कि सिंचाई के लिए कब तक पानी आप उपलब्ध करा देंगे जिससे खेती ठीक ढंग से हो सके और दूसरा पीने के पानी का जो सबसे बड़ा संकट है बुन्देलखण्ड में, इसको कब तक करा देंगे, स्पेसिफिक डेट बता दें, समय निश्चित कर दें, मैं यह कहना चाह रहा हूं।

डॉ0 महेन्द्र सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, तथाकथित कांग्रेस के अध्यक्ष ने जो अभी कहा है, मैं उस पर आपसे कहना चाहता हूं कि बुन्देलखण्ड में पांच बड़ी परियोजनाओं को पूर्ण करके जनता-जनार्दन को समर्पित किया गया है, अभी-अभी सरकार ने समर्पित किया है। लहचूरा पूरा हो गया, रसिंग पूरा हो गया हमारे चन्द्रिका जी यहाँ बैठे हैं इनको पानी मिल रहा है। हमारा पृथव्ययी का जो पम्प कैनाल था वह पूरा हो गया, सम्पूर्ण बुन्देलखण्ड की नहरें जो कभी साफ नहीं होती थीं उनको साफ करके टेल तक पानी पहुंचा दिया गया। जितने पम्प कैनाल बन्द थे उनको चालू कर दिया गया, बंडई पूरा हो गया, ललितपुर की दो बड़ी परियोजना, हमारे यहाँ पर राज्य मंत्री बैठे हुए हैं इनसे पूछिये, दो बड़ी-बड़ी परियोजनाओं को अभी-अभी पूर्ण करके जनता-जनार्दन के लिए लागू कर दी गई हैं। जिन्होंने कभी कुछ नहीं किया वह आज प्रश्न कर रहे हैं। मैं उनको बताना चाहता हूं और प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के अन्तर्गत 2024 तक उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के हर घर को नल से जल की योजना को लागू करेंगे। लेकिन पहली सरकार योगी सरकार है जिन्होंने कहा कि सबसे पहले अगर पानी किसी को मिलेगा तो हमारे बुन्देलखण्ड को मिलेगा, उसकी परियोजना शुरू हो गई है। मान्यवर, इन्होंने कहा कि कब तक पूरा कर देंगे तो भारत में तो 2024 तक का लक्ष्य है, हम लोगों ने दो वर्ष के लिए कार्य योजना तैयार करके लागू की है, दो वर्ष के अन्दर, उससे कम समय में बुन्देलखण्ड के हर घर को नल से जल देने का काम योगी सरकार करेगी और ऐसे ही विन्ध्य क्षेत्र को भी पूरा करेगी।

श्री अजय कुमार लल्लू-

मान्यवर, इन्होंने तथाकथित अध्यक्ष कहा है, मैं इनकी जानकारी के लिए बता दूं। मैं आज उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष हूं इनके प्रमाण-पत्र देने से अध्यक्ष नहीं हूँगा।

श्री अध्यक्ष-

हम लोग आपको अध्यक्ष मानते हैं। यहाँ पर दो ही अध्यक्ष हैं एक आप और एक हम (सदन में हंसी)। लल्लू जी, आगे आप जो बात कहें, वह हंसते हुए कहें, नाराज होकर न कहें।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

मा0 अध्यक्ष जी, ये सम्मानित सदन है और ये इस सम्मानित सदन के सम्मानित सदस्य हैं। इसके साथ उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी हैं। इस तरह का कोई प्रश्न

अगर सदन में उठता है, जोकि विषय नहीं है, तो मैं मानती हूं कि यह उचित नहीं है। इसलिए हमारा आपसे निवेदन है कि इसको कार्यवाही से निकाल दें।

श्री अजय कुमार लल्लू-

मा0 अध्यक्ष जी, मेरा ये सवाल है कि मा0 मंत्री जी ने कहा कि बुन्देलखण्ड में हम परियोजना लागू कर दिये हैं, जिसके नाते वहाँ सूखे के आसार नहीं होंगे और हर किसान को खेत में पानी मिलेगा। मा0 अध्यक्ष जी, आप अपना मैनीफेस्टो देख लें, मैं नहीं कह रहा हूँ, आपका मैनीफेस्टो में बोल रहा है। उसमें आपने घोषणा-पत्र में कहा है कि बुन्देलखण्ड के लिए हम परियोजना बनाएंगे और बुन्देलखण्ड के लोगों के लिए पानी उपलब्ध कराएंगे।

पिछली बार आपने सदन में कहा था कि अब खेतों को पानी मिल रहा है। अब आप 2024 तक लक्ष्य ले जा रहे हैं। महोदय, ये पाँच साल बीतने जा रहा है। अभी तक किसानों को पानी नहीं मिल रहा है। जिसके कारण सबसे ज्यादा आत्महत्या बुन्देलखण्ड में हुयी है। आत्महत्या रोकने का कोई उपाय इस सरकार के पास है नहीं। उत्तर प्रदेश में 850 से अधिक किसानों ने अब तक आत्महत्या कर लिया और सरकार उसकी जिम्मेदारी नहीं उठा रही।

मा0 अध्यक्ष जी, मेरा दूसरा सवाल है कि वहाँ पर पीने योग्य पानी अभी भी जनता को नहीं मिल पा रहा है। अभी ये योजना लागू किये हैं, योजना बनेगी, योजना विकसित होगी और यह सरकार पता नहीं अगली बार रहेगी कि नहीं, यह भी तय नहीं है। यह सरकार किसान और बुन्देलखण्ड विरोधी है, यह स्पष्ट हो चुका है। सरकार के पास केवल कागज का हवाई जहाज है, जमीन पर कोई काम नहीं है, आप पूरी तरह बेनकाब हो चुके हैं।

श्री अध्यक्ष-

यह विषय के बाहर है।

डॉ0 महेन्द्र सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, इनसे ज्यादा असत्य बोलने वाला पूरे भारत में कोई नहीं मिलेगा। एक राहुल और ये दोनों लोग झूठ के पुलिन्दे हैं। मान्यवर, इसलिए हमने तथाकथित अध्यक्ष कहा। इनके समय में लाखों किसानों ने आत्महत्या किया। बुन्देलखण्ड, उड़ीसा और समूचे भारत में किसान आत्महत्या कर रहे थे।

मान्यवर, किसानों को आदरणीय मोदी जी ने जो तोहफा दिया आज पूरे भारत का किसान खुशहाल है। हर जगह किसान मा0 मोदी और योगी जी की प्रशंसा कर रहे हैं और इनको सुनाई नहीं पड़ रहा है। मान्यवर, इनको सत्य सुनाई नहीं पड़ता, ये असत्य पर रहते हैं। इसीलिए मैं इनको तथाकथित अध्यक्ष कहता हूँ। इसीलिए मैंने कहा कि इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष और ये दोनों लोग एक ही श्रेणी के हैं।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सदस्य वेल में आ गये और वहाँ से अपनी-अपनी बात कहने लगे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना' (सदन की वेल से)-

मा0 अध्यक्ष जी, राहुल गाँधी जी इस सदन के सदस्य नहीं हैं, वह लोक सभा के सदस्य हैं।

श्री अजय कुमार लल्लू (सदन की वेल से)-

मा0 अध्यक्ष जी, आप मुझसे बात करें। हम सवाल पूछ रहे हैं। क्या राहुल गाँधी जी इस सदन के सदस्य हैं ? मैं इनके प्रधानमंत्री को बोला हूँ कि इनके प्रधानमंत्री ने देश बेच दिया, बी0एच0ई0एल0 बेच दिया, एल0आई0सी0 बेच दिया, किसानों की जमीन छीन रहे हैं और रेल बेच रहे हैं। क्या हमने ऐसा कहा है, हमने किसी का नाम नहीं लिया है।

डॉ0 महेन्द्र सिंह-

मान्यवर लाखों किसानों ने इनके समय में आत्महत्या किया। उत्तर प्रदेश में जबसे मा0 योगी जी की सरकार आयी है, तबसे एक भी किसान के आत्महत्या का उदाहरण नहीं है और बुन्देलखण्ड में पानी ही पानी है। बुन्देलखण्ड में पानी का कोई अभाव नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी को हमने बैठा दिया है, अब आप अपनी सीट से ये बात कहिये, हम सुन नहीं पाये।

श्री अजय कुमार लल्लू (सदन की वेल से)-

मा0 अध्यक्ष जी, यह सदन है। यहां इस तरह से मर्यादा का उल्लंघन होगा। हम सवाल कर रहे हैं, क्या हमें सवाल पूछने का अधिकार है कि नहीं ?

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा एक अनुरोध है कि जो इस सदन का मेम्बर नहीं है, लोक सभा का मेम्बर है उसका यहाँ पर नाम लेना गलत है। आप दिखवा लें और इसको कार्यवाही से निकलवा दें।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना' (सदन की वेल से)-

माननीय अध्यक्ष जी, यह अनुचित है और सदन की परम्पराओं के विरुद्ध है। माननीय राहुल गाँधी जी का नाम ले रहे हैं, जो लोक सभा के सम्मानित सदस्य हैं। इस तरह की टिप्पणी दोनों सदनों विधान सभा और लोक सभा का अपमान है।

श्री अजय कुमार लल्लू (सदन की वेल से)-

अध्यक्ष जी, क्या टीका-टिप्पणी के लिए सदन चलेगा, सवाल-जवाब यहाँ नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे ? उत्तर प्रदेश की जनता ने हमको क्यों चुनकर भेजा है। क्या बुन्देलखण्ड पर सवाल पूछने में दिक्कत है, किसान आत्महत्या कर रहा है, यह सवाल पूछना दिक्कत है ?

श्री सोहिल अख्तर अंसारी (सदन की वेल से)-

अध्यक्ष जी, आप हमारे संरक्षक हैं, यह सरकार संख्या के बल पर हमारी आवाज दबाना चाहती है।

डा0 महेन्द्र सिंह-

मान्यवर, बुन्देलखण्ड की जनता को एक्सप्रेस-वे मिल रहा है, तो इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। बुन्देलखण्ड की जनता को पानी मिल रहा है, तो इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। बुन्देलखण्ड का चतुर्दिक विकास हो रहा है, तो कांग्रेस पार्टी को बर्दाश्त नहीं हो रहा है।

श्री अजय कुमार लल्लू (सदन की वेल से)-

आप अपने आप वाहवाही लूटिये। संख्या के बल पर हमारी आवाज दबायी नहीं जा सकती।

(श्री सुरेन्द्र नाथ सिंह द्वारा कुछ बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

आप बैठ जाइये।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना' (सदन की वेल से)-

माननीय अध्यक्ष जी, इस पर आप अपनी व्यवस्था दीजिए। यह कार्यवाही का हिस्सा नहीं होना चाहिए।

वित्त, संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय श्री लल्लू सिंह जी सवाल पूछ रहे थे और यह कह रहे थे कि पता नहीं यह सरकार अगली बार आयेगी या नहीं आयेगी ? सवाल यह है कि इसका यहां क्या औचित्य है ? आप सवाल पूछिये। मान्यवर, पहले कमेण्ट उन्होंने करना शुरू किया, इस प्रकार का कमेण्ट नहीं होना चाहिए और जब कमेण्ट होता है, तो इधर के लोग भी उसका जवाब देते हैं। इसलिए कमेण्ट नहीं होना चाहिए।

श्री अजय कुमार लल्लू (सदन की वेल से)-

माननीय राहुल गाँधी जी लोक सभा के सदस्य हैं, उनका नाम लेने का क्या औचित्य है ? मैं बुन्देलखण्ड का सवाल पूछ रहा हूँ, क्या बुन्देलखण्ड का सवाल पूछना गलत है ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, कोई बात माननीय महेन्द्र सिंह जी के मुँह से निकल गयी है, तो उसको कार्यवाही से निकाल दें।

(तदुपरान्त वेल में आये हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सदस्य वापस अपने-अपने आसन पर चले गये।)

नेता विरोधी दल (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

माननीय अध्यक्ष जी, यह सदन है। चाहे कोई माननीय सदस्य, मंत्री या नेता हो, सबको इस तरह की भाषा का प्रयोग करना चाहिए कि उससे किसी को कष्ट न हो। माननीय मंत्री जी ने जो बयान दिया कि पिछली सरकारों ने बुन्देलखण्ड में कुछ नहीं किया। मैं आपके माध्यम से इस सदन को बताना चाहता हूँ कि जब श्री अखिलेश यादव जी इस प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री थे तो जितनी झीलें थीं, जितने सागर थे, सबकी जे0सी0बी0 मशीन से इतनी गहराई की कि उसमें इतना पानी भर गया कि दो साल से उसी से सिंचाई हो रही है। सबसे बड़ा सोलर प्लान्ट माननीय अखिलेश यादव जी ने महोबा में लगाया। सारे सागर, झीलों की उन्होंने खुदवाई करवाई। माननीय अखिलेश यादव जी ने फ्री में आटा, चावल, घी, तेल प्रत्येक घर को पहुँचाने का काम किया, इसलिये गलतबयानी सदन में नहीं करनी चाहिए। हर सरकार अपने कार्य-काल में कुछ न कुछ काम करती है और माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार ने बुन्देलखण्ड में सबसे अधिक काम किया।

डॉ0 महेन्द्र सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि नेता प्रतिपक्ष ने कुछ कहा है, इसलिये मैं उसका जवाब देना चाहूँगा।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, आपने माननीय मंत्री जी को बुलाया क्या ?

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी कुछ कहना चाह रहे हैं।

डॉ0 महेन्द्र सिंह-

मैं अध्यक्ष जी से अनुमति लेकर बोल रहा हूँ।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, यह प्रश्न का समय है। प्रश्न के समय में प्रश्न भी पूछे जायेंगे उससे अतिरिक्त न तो उत्तर दिया जायेगा न उससे अधिक बात की जायेगी। मान्यवर, अगर आप किसी सदस्य को प्रश्न पूछने की इजाजत देते हैं, तो आप स्वयं उसका इग्जामिन करते हैं कि वह उससे संबंधित है कि नहीं। अगर वह उस प्रश्न से संबंधित होगा तब आप माननीय मंत्री जी को बुलायेंगें उत्तर देने के लिये। अगर प्रश्न उससे संबंधित नहीं होगा, तो आप स्वयं मंत्री जी को उत्तर देने के लिये नहीं बुलायेंगें। लेकिन मान्यवर, यहाँ पर कुछ ज्यादा काबिल लोग हैं, जो बिना आपके बुलाये ही उत्तर देने लगते हैं। मैं चाहूँगा कि प्रश्न प्रहर में इसकी जरूरत नहीं है, आप इस पर नियंत्रण करें। जो प्रश्न से संबंधित उत्तर है, उतने तक ही आप अगर इसमें ग्राह्य करेंगे तब ही हम प्रश्न का जो ऑवर है, उसका समुचित रूप से उपयोग हो सकेगा। मेरा यह आपसे आग्रह है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, जब प्रश्नकर्ता ही अपना संयम खो दे और उलूल-जुलूल प्रश्न करने लगे तो उसका जवाब क्या है। जिस तरीके की भाषा का प्रयोग लल्लू जी ने किया वह भी नहीं करना चाहिए था। अनर्गल बात को बढ़ाने की बात उन्होंने की। जब उन्होंने बात बढ़ाने की बात करी तो उसका जवाब दिया गया, इसलिये अगर सवाल तक ही सीमित रहेंगे, उससे संबंधित ही प्रश्न पूछा जायेगा, तो जवाब टू-द-प्वाइंट आयेगा। जब अर्नगल बात की जायेगी तो उसका क्या जवाब आयेगा मान्यवर।

श्री अजय कुमार लल्लू-

माननीय अध्यक्ष जी, यह सदन की परम्परा है कि अगर किसी व्यक्ति के द्वारा आरोप लगाया जाय तो उस पर अपनी बात को रखा जाय। अध्यक्ष जी, इन्होंने कहा कि मैंने असंसदीय पूछा। क्या बुन्देलखण्ड में किसानों को पानी कब तक मिलेगा। पीने का पानी वहाँ के लोगों को कब तक मिलेगा, अगर यह प्रश्न बी0जे0पी0 के लिये उलूल-जुलूल है तो मैं 100 बार पूछूंगा और इसीलिये मैं इस सदन में आया हूँ कि बुन्देलखण्ड और उत्तर प्रदेश की आवाज को उठा सकूँ और मैंने उठाया है। आपका काम है जवाब देना और मैंने जिम्मेदारी के साथ सवाल किया है और सवाल का जवाब सरकार को देना चाहिए, यह मेरा आपसे अनुरोध है। यह कहना कि मैं उलूल-जुलूल पूछ रहा हूँ यह गलत तर्क है।

श्री अध्यक्ष-

ऐसा है जब माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कह दिया कि कार्यवाही का कोई भाग अगर कष्टप्रद है, तो उसको कार्यवाही से हटा देंगें तो उसके बाद हम अगले प्रश्न पर चलते हैं।

श्री संजय गर्ग-

माननीय अध्यक्ष जी, एक औचित्य का प्रश्न है। आज ही एजेन्डे पर प्रश्न नं0-7 हमारा इसी विभाग से संबंधित लगा था, जो विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त हो गया है।

श्री अध्यक्ष-

अभी मैं अगला प्रश्न ले रहा हूँ।

नत्थी (ख)

तारांकित प्रश्न

प्रदेश की गन्ना विकास सहकारी समितियों के कमीशन की गन्ना मिलों पर बकाया धनराशि के भुगतान की जानकारी सम्बन्धी

***01-श्री मोहम्मद फईम इरफान-**

क्या गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की गन्ना विकास समितियों की कितनी कमीशन धनराशि वर्तमान में चीनी मिलों पर बकाया है ? क्या

सरकार गन्ना विकास समितियों की आर्थिक स्थिति बहाल करने हेतु किसी निश्चित अवधि में उक्त धनराशि दिलाएगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

गन्ना विकास, चीनी मिलें मंत्री (श्री सुरेश राणा)-

प्रदेश में स्थित सहकारी गन्ना विकास समितियों का चीनी मिलों पर वर्तमान में रु0 44,799.06 लाख गन्ना विकास अंशदान बकाया है।

चीनी मिलों से सहकारी गन्ना विकास समितियों को देय गन्ना विकास अंशदान का भुगतान सुनिश्चित कराने हेतु जिलाधिकारी के स्तर से पेराई सत्र के प्रारम्भ में प्रत्येक चीनी मिल हेतु टैगिंग आदेश निर्गत किया जाता है। टैगिंग आदेश के अन्तर्गत मिल द्वारा उत्पादित बंधक चीनी पर बैंक से प्राप्त अग्रिम अथवा चीनी बिक्री तथा अन्य सह उत्पादों की बिक्री से प्राप्त 83 प्रतिशत धनराशि गन्ना कृषकों को गन्ना मूल्य भुगतान के मद में एवं 02 प्रतिशत धनराशि गन्ना विकास अंशदान के मद में भुगतान करने हेतु निर्धारित की गयी है। उपर्युक्त के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति एवं खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953 के सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत गन्ना विकास अंशदान का भुगतान न करने वाली चीनी मिलों को नोटिसें जारी की गयी हैं तथा उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति एवं खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953 की धारा-18 (3) के अन्तर्गत गन्ना विकास अंशदान के बकाया धनराशि की वसूली किये जाने हेतु 04 चीनी मिलों के विरुद्ध वसूली प्रमाण-पत्र निर्गत किया गया है। राज्य सरकार चीनी मिलों पर बकाया गन्ना विकास अंशदान की धनराशि के त्वरित भुगतान हेतु सजग एवं कटिबद्ध है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री मोहम्मद फईम इरफान-

माननीय अध्यक्ष जी, मा0 मंत्री जी द्वारा मेरे प्रश्न का उत्तर अधूरा दिया गया है। अतः मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि गन्ना विकास समितियों की जो 44,799.06 लाख रुपये की धनराशि मिलों पर बतायी गयी है, वह किस वर्ष की है और कितनी है ? बीते 3 वित्तीय वर्षों में गन्ना विकास समितियों को वर्षवार उनके बकाये से कितनी-कितनी धनराशि का भुगतान हुआ है ? मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार गन्ना समितियों को उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने हेतु किसी निश्चित समय तक उक्त बकाया धनराशि का भुगतान दिलाना सुनिश्चित करेगी ? क्या वैद्यनाथन समिति की सिफारिशों के अनुरूप गन्ना समितियों की खराब हालत सुधारने, आर्थिक पैकेज देने की कोई योजना सरकार बनाएगी और सरकार गन्ना समितियों का कमीशन घटाने के बदले उन्हें क्षतिपूर्ति की क्या योजना बनाएगी ?

श्री सुरेश राणा-

माननीय अध्यक्ष जी, मा0 सदस्य द्वारा वर्षवार पूछा गया है। 2017-18 में रु0 8.26 करोड़ अवशेष है, 2018-19 में रु0 1.64 करोड़ अवशेष है, 2019-20 में रु0 95.20 करोड़ अवशेष है, करेन्ट सीजन में रु0 312 करोड़ अवशेष है, लेकिन आपने

चिन्ता व्यक्त की है, तो जरा इस तरफ भी ध्यान करिये कि पिछले पांच वर्ष जो समाजवादी पार्टी सरकार के थे, उसमें पूरा अंशदान रु0 1339.39 करोड़ बैठता है, जो समितियों को दिया गया है और हम लोगों के द्वारा अभी मात्र तीन वर्षों में ही चूंकि यह करेन्ट सीजन चल रहा है, 2077 करोड़ रुपये का अंशदान दिया जा चुका है। गन्ना समिति मजबूत हो, किसान मजबूत हो, गन्ना विकास के कार्यक्रम चलें, इसके लिए मा0 योगी आदित्यनाथ जी की सरकार पहले दिन से ही कटिबद्ध है और जितना भी हो सकता है उतना प्रयास हम लोग कर रहे हैं। मैं मा0 सदस्य से कहना चाहता हूं कि गन्ना विकास समितियां सुदृढ़ हों, इसके लिए तमाम योजनायें जो भी आवश्यक हैं, सरकार लागू करेगी।

श्री मोहम्मद फईम इरफान-

माननीय अध्यक्ष जी, जैसा समाजवादी सरकार का जिक्र किया गया है, मैं उन चीजों पर नहीं जाना चाहता हूं। अब सरकार भारतीय जनता पार्टी की चल रही है। किसान की हालत इस वक्त क्या है, वह आपको मालूम है। पिछले चार साल से एक रुपये का भी रेट नहीं बढ़ाया गया है, लगातार वही रेट चल रहा है। कुछ दिन पहले तक तो पर्चियों पर जीरो लिखा हुआ आ रहा था। मैंने मा0 मंत्री से यह प्रश्न किया है कि क्या सरकार गन्ना समितियों का कमीशन घटाने के बदले उनकी क्षतिपूर्ति की कोई योजना बनायेगी ?

श्री सुरेश राणा-

माननीय अध्यक्ष जी, चूंकि फिर वही बात आ जायेगी कि बुन्देलखण्ड में सागर खुदेंगे। मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि अभी इन्होंने अंशदान के बारे में कहा है। अंशदान पर मैं नजर डालूंगा। 2012-13 में अंशदान 2 रुपये था, 2014-15 में 2 रुपये था, 2015-16 में 3 रुपये था, 2016-17 में 4 रुपये 50 पैसे था और जैसे ही योगी सरकार शुरू होती है, तो जहां 2012-13 में अंशदान 2 रुपये होता है, 2017-18 में अंशदान 5 रुपये 10 पैसे हो जाता है। 2018-19 में अंशदान 5 रुपये 50 पैसे हो जाता है। 2019-20 में अंशदान 5 रुपये 50 पैसे हो जाता है यानी की हम 5 रुपये 50 पैसे पर ले आए हैं। हमारी मंशा यही है, हमने अंशदान बढ़ाया है।

चूँकि हमने अंशदान बढ़ाया है और अंशदान बढ़ाकर गन्ना समितियों की व्यवस्था को सुदृढ़ करना उन्हें सुदृढ़ करना इसके लिए हम लोग कटिबद्ध हैं और मैं माननीय सदस्य से भी कहना चाहता हूँ कि आप बिल्कुल निश्चिन्त रहें गन्ना विकास समितियाँ सृदृढ़ होंगी और किसानों के विकास के जो-जो कार्यक्रम हैं हम लोग प्रमुखता से चला रहे हैं और इसके लिए निश्चित रूप से कटिबद्ध हैं।

श्री मोहम्मद फईम इरफान-

अध्यक्ष जी, मेरी विधान सभा क्षेत्र में गन्ना समिति का प्रांगण है, मैं यह पर्सनल बात आपसे कहना चाहता हूं लगभग 25 से 30 बीघा जमीन वहाँ मौजूद है क्या उसमें कोई ऐसी

योजना लाकर कोई दुकानें या कोई ऐसा काम जिससे समिति मजबूत हो सके, क्या भविष्य में ऐसा कोई प्रस्ताव लाने की कोशिश करेंगे।

श्री अध्यक्ष-

वह विचार कर रहे हैं।

श्री सुरेश राणा-

माननीय सदस्य को तो धन्यवाद करना चाहिए था सरकार का कि वर्ष 2015-16 में इनके जनपद में कुल जो अंशदान रहता था वह 5.11 करोड़ था हमारी सरकार ने चूँकि भेदभाव की सरकार नहीं है, इनके जनपद में अंशदान जो इस समय गया है वह 13.67 करोड़ गया है। सीधे तीन गुना जो माननीय सदस्य ने कहा है, वह लिखकर देंगे तो मैं उसे दिखवा लूँगा।

प्रदेश में राज्य मार्गों को राष्ट्रीय राज मार्गों में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में।

***02-श्री विनय शंकर तिवारी- (अनुपस्थित)**

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में राज्य मार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग में परिवर्तित करने के मानक हैं ? यदि हां, तो प्रदेश में ऐसे कितने राज्य मार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग में परिवर्तित किया जाना है ? क्या सरकार बतायेगी की उक्त राज्य मार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग में परिवर्तित कब तक किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी नहीं। राज्य मार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग में परिवर्तित करने हेतु विशिष्ट मानक निर्धारित नहीं है, अपितु मार्गों के महत्व, उपयोगिता, यातायात आदि को दृष्टिगत रखकर यथासमय मार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग में परिवर्तित करने का प्रस्ताव केन्द्र सरकार को प्रेषित किया जाता है।

***03-श्री श्याम सुन्दर शर्मा-**

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

***04-हाजी इरफान सोलंकी-**

[5-मंगलवार के तारांकित प्रश्न संख्या-16 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश के प्रत्येक राजस्व ग्राम एवं मजरों को लेपन मार्ग से जोड़ने के सम्बन्ध में

***05-श्री लाल जी वर्मा-**

क्या उप मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के प्रत्येक राजस्व ग्राम एवं मजरों को लेपन मार्ग से जोड़ने के लिए सरकार सड़क का निर्माण करायेगी ? यदि हाँ तो कब

तक ? क्या सरकार बतायेगी कि विधान सभा क्षेत्र कटेहरी, जिला अम्बेडकरनगर में कितने ग्राम/मजरे जोकि 250 से अधिक आबादी के हैं, पक्के मार्ग से नहीं जुड़े हैं ? क्या सरकार उक्त समस्त ग्रामों/मजरे को वर्ष 2020-21 तक पक्के मार्ग से जोड़ेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी हां, प्रदेश में 34651 बसावटों को डामर रोड से जोड़ा जाना शेष है। वर्तमान में वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर 250 या उससे अधिक आबादी की 9783 अनजुड़ी बसावटों (राजस्व ग्रामों को सम्मिलित करते हुये) के सापेक्ष 2107 ग्रामों को जोड़ने हेतु स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है एवं निर्माण कार्य प्रगति पर है।

समस्त ग्रामों/मजरों को सम्पर्क मार्ग से जोड़ने की कार्य योजना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर 250 से अधिक आबादी के 36 ग्राम/मजरे पक्के मार्ग से जोड़े जाने अवशेष हैं। समस्त ग्रामों/मजरों को सम्पर्क मार्ग से जोड़ने की कार्य योजना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

श्री लाल जी वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं स्पेशिफिक सवाल करना चाहता हूँ एक तो वर्ष 2011 की जनगणना से 250 के जोड़े जा रहे हैं वर्तमान में 2021 चल रहा है 2021 की जनगणना हो जाएगी तो यह संख्या कई गुना बढ़ जाएगी। इस तरह से इन बसावटों की संख्या और अधिक हो जाएगी। वर्तमान में जो बसावटें ढाई सौ की आबादी पर हैं तो मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा आपके माध्यम से कि जो शेष रह जा रही हैं जैसे इन्होंने कटेहरी विधान सभा क्षेत्र में 36 बसावटें 250 की आबादी से ऊपर की बताया 2011 की जनगणना के अनुसार तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूँगा कि क्या 2021-22 वित्तीय वर्ष में यह 36 बसावटें पक्के मार्ग से जोडने का कार्य करेंगे।

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

माननीय अध्यक्ष जी, वैसे तो हमारी सरकार सड़कों को लेकर बहुत गम्भीर है और उस गम्भीरता के क्रम में जैसा कि माननीय सदस्य ने अपना सवाल किया है कि जनपद अम्बेडकरनगर में 2011 की जनगणना के आधार पर 250 से अधिक आबादी के 36 ग्राम/मजरे पक्के मार्ग से जोड़े जाने अवशेष हैं हमारी कोशिश है कि हम जनपद अम्बेडकरनगर सहित उत्तर प्रदेश के सभी ढाई सौ तक की आबादी के ग्रामों को मुख्य मार्गों से जोड़ें लेकिन एक सूचना देते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है कि 9783 वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हमारी ऐसी बसावटें ढाई सौ तक की आबादी की थीं जिसमें से हम लोगों ने बाकी को संतृप्त

करते हुए 6,117 अवशेष हमारे बचे हैं और आगामी वित्तीय वर्ष 2021-22 में हमने इसको पूर्ण करने के लिये प्रस्ताव तैयार किया है और हमारा प्रयास है कि 250 तक की आबादी वाले गांव को हम पक्के मार्ग से जोड़ देंगे।

(सत्ता पक्ष की तरफ से मेजों की थपथपाहट)

प्रदेश में वर्षाकाल में शहरी निकायों को जलभराव की समस्या से मुक्त कराने व दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही विषयक

***06-श्री नाहिद हसन-**

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्षाकाल में प्रदेश के शहरी निकायों में चोक नालों के कारण जलभराव होने की समस्या के निदान हेतु सरकार ने क्या उपाय किये हैं ? क्या सरकार निकायों में जलभराव की समस्या का निराकरण न करने वाले शहरी निकायों के जिम्मेदारों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नगर विकास, शहरी समग्र विकास मंत्री (श्री आशुतोष टण्डन "गोपाल जी")-

वर्षाकाल में प्रदेश के शहरी निकायों में जलभराव की समस्या के निराकरण हेतु वर्षा ऋतु के पूर्व से ही नाला सफाई का कार्य प्रारम्भ करा दिया जाता है तथा प्रथम चरण में सभी नालों की सफाई का कार्य मई माह के पूर्व ही करा दिया जाता है। नालों के नियमित सफाई हेतु आवश्यक यंत्र पोकलैण्ड मशीनें तथा निकाले गये सिल्ट कूड़े के उठान हेतु जेसीबी, लोडर, टाटा मैजिक, ट्रैक्टर ट्राली, हाइवा ट्रक आदि का प्रयोग किया जाता है। नालों की नियमित सफाई हेतु निकायों को जोन में बांट कर विशेष सफाई अभियान चलाये जाते है।

उक्त के अतिरिक्त वर्षाकाल में जलभराव वाले स्थलों को चिन्हित कर पम्पिंग सेट लगाकर जलभराव की समस्या का निराकरण किया जाता है एवं आकस्मिक रूप से नाली/नाला अवरुद्ध होने की शिकायत प्राप्त होने पर तत्काल सफाई कराये जाने की व्यवस्था की जाती है।

जी हाँ।

शिकायत प्राप्त होने पर जलभराव की समस्या का निराकरण न करने वाले शहरी निकायों के जिम्मेदार अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष-

अब हम अगला प्रश्न लेते हैं।

श्री नाहिद हसन-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि जो जवाब मा0 मंत्री जी ने दिया है, जहाँ तक मैं समझता हूँ वह बड़े शहरों को देखते हुये दिया है जबकि जो हमारे छोटे कस्बे हैं, छोटे शहर हैं और जहाँ से मैं आता हूँ वह कैराना कस्बा है। मैं

आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि हमारे यहाँ अथवा जहाँ तक मैं समझता हूं कि प्रदेश के अन्य कस्बों में भी जहाँ एक बारिश हुयी तो यह देखने को मिलता है कि पूरा का पूरा कस्बा अथवा शहर जलमग्न हो जाता है। मेरे यहाँ कैराना में और मेरे ही क्षेत्र से लगे हुए गंगोह कस्बे में यह दो तरीके की परेशानियाँ हैं और मैं समझता हूँ कि पूरे प्रदेश के विषय में ही इस तरह का एक प्रश्न बन जाता है कि जहाँ बारिश हुयी पूरा कस्बा जलमग्न हो जाता है। मा0 मंत्री जी ने जो जवाब दिया है मैं उससे संतुष्ट नहीं हूं और आपके माध्यम से मैं मा0 मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जिन नगर पालिकाओं में या जिन शहरों में ड्रेनेज सिस्टम की प्लानिंग नहीं की गयी है और जिन-जिन कस्बों में इस तरह की परेशानी है, तो क्या उनका पता लगाकर वहाँ पर जलभराव की समस्या का निराकरण किये जाने का प्रयास किया जायेगा ? यह तो प्लानिंग की एक समस्या हो गयी। इसके अतिरिक्त एक और समस्या है कि कहीं-कहीं पर यह देखा गया है कि कस्बे में कोई माफिया किस्म के आदमी या जो बड़े ओहदों पर होते हैं या प्रभावशाली हैं, वह लोग कहीं न कहीं कस्बे का पानी रोक देते हैं। मैं गंगोह कस्बे की बात करना चाहता हूँ और मैं समझता हूं कि अधिकतर जगहों पर भी इसी तरह की परेशानी होगी। हमारे यहाँ गंगोह में कुछ प्रभावशाली लोग हैं जो नगर पालिकाओं में बैठे हैं। वहां पर जो तालाब है उसमें कस्बे का गन्दा पानी जाता है, उन लोगों के द्वारा वहाँ पर मछली पालन किये जाने से समस्या उत्पन्न हो रही है और कस्बे का गन्दा पानी जहाँ जाना चाहिये वहाँ नहीं जा पा रहा है।

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य, आप तालाब की बात कर रहे हैं, तो आपने अपने प्रश्न में तालाबों के बारे में तो पूछा नहीं है।

श्री नाहिद हसन-

मा0 अध्यक्ष जी, एक मेंटली क्वेश्चन है और एक फिजिकली जो चीज उत्पन्न हुयी है। जो ड्रेनेज सिस्टम है उसी की बात चल रही है कि जलभराव हो जाता है। मेरा जो दूसरा प्रश्न है वह भी इसी से जुड़ा हुआ है। जो माफिया किस्म के लोग हैं उनके द्वारा मछली पालन किये जाने की वजह से वहाँ पर पानी भरा हुआ है और उससे एक परेशानी उत्पन्न हो रही है कि कस्बे का सारा गन्दा पानी वहां पर भरा हुआ है और वह पानी किसानों के खेतों और आस-पास के लोगों की जमीनों में बह रहा है।

वह गरीब लोग हैं उनके पास एक-एक दो-दो बीघे जमीन है। वहां पर कई सालों से जलभराव की परेशानी है और मैं समझता हूं कि प्रदेश के अन्य स्थानों पर भी यह परेशानी होगी। मैं चाहता हूँ कि जहां पर बारिश के कारण इस तरह की परेशानी हो रही है और उसकी प्लानिंग नहीं है, उसका कोई हल निकाला जाय ताकि इस तरह की परेशानी न होने पाये। इसके अलावा मा0 अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिन

लोगों के कारण इस तरह की परेशानी हो रही है क्या सरकार उनके खिलाफ कोई कार्यवाही करेगी या नहीं ?

श्री आशुतोष टण्डन "गोपाल जी"-

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है उसमें अगर कैराना और गंगोह के विषय में प्रश्न पूछ लेते तो मैं पूरा जवाब दे देता, लेकिन जो भी विषय मा0 सदस्य का है वह हमें लिख कर दे दें मैं उसे दिखवा लूँगा और जो भी यथासम्भव होगा उस पर कार्यवाही करवा दूँगा।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

तारांकित प्रश्न संख्या-7 निरस्त है।

***07-श्री संजय गर्ग–**

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

प्रदेश में सरकारी व निजी मेडिकल कालेजों में एम0बी0बी0एस0 व एम0डी0/एम0एस0 की स्वीकृत सीटों व आरक्षित सीटों के विवरण सम्बन्धी

***08-श्री आजाद अरिमर्दन-**

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के सरकारी तथा निजी कालेजों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्रों का आरक्षण कोटा पूर्ण है ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि वर्ष 2017-18 2018-19 तथा 2019-20 के शैक्षिक सत्र में सरकारी तथा निजी मेडिकल कालेजों में स्नातक एम0बी0बी0एस व स्नातकोत्तर एम0डी0/एम0एस0 की कुल कितनी सीटें स्वीकृत हैं तथा उक्त पर कितने अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के छात्रों ने आरक्षित सीट से प्रवेश प्राप्त किया है ? क्या सरकार संख्यावार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वित्त, संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

प्रदेश के राजकीय मेडिकल कालेजों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्रों का स्टेट कोटे के अन्तर्गत आरक्षण कोटा पूर्ण है। निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों में आरक्षण अनुमन्य नहीं है।

राजकीय मेडिकल कालेजों/संस्थानों/विश्वविद्यालयों में एम0बी0बी0एस0 एवं स्नातकोत्तर (एम0डी0/एम0एस0) पाठ्यक्रम में वर्षवार स्टेट कोटे की कुल सीटों एवं उसके सापेक्ष अनुसूचित जाति/जनजाति हेतु आरक्षित सीटों का विवरण निम्नवत् है :-

वर्ष	स्नातक (एम0बी0बी0एस0)			स्नातकोत्तर (एम0डी0/एम0एस0)		
	कुल	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	कुल	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
2017-18	1673	528	47	451	95	09
2018-19	1670	527	47	467	98	10
2019-20	2231	578	52	457	95	09

निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों में आरक्षण अनुमन्य न होने के कारण सभी सीटें सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों से भरी गयी हैं।

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री आजाद अरिमर्दन-

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 मंत्री जी का जो उत्तर आया वह असंतोषजनक है जबकि यह प्रश्न जनहित से जुड़ा हुआ है। मा0 अध्यक्ष जी मा0 मंत्री जी ने राजकीय मेडिकल कॉलेजों के बारे में तो बता दिया लेकिन इसके साथ-साथ हमने निजी मेडिकल कॉलेजों के बारे में भी पूछा था कि निजी मेडिकल कॉलेजों में एस0सी0/एस0टी0 के आरक्षण को लागू करने के लिए सरकार द्वारा अब तक क्या प्रयास किये गये हैं ? और अगर किए गये हैं, तो उसे कब तक लागू किया जायेगा ? निजी मेडिकल कॉलेजों में एस0सी0एस0टी0 के गरीब छात्रों को पिछले तीन वर्षों में कितनी छात्रवृत्ति दी गयी है, उनका एडमीशन हुआ है, तो उनको लिया गया है या नहीं ? साथ ही राजकीय मेडिकल कॉलेजों में एस0सी0/एस0टी0 के छात्रों का प्रवेश निःशुल्क किया जाता है इसी प्रकार निजी मेडिकल कॉलेजों की क्या स्थिति है ? राजकीय मेडिकल कॉलेजों में एस0सी0/एस0टी0 के छात्रों का शुल्क क्या है, निजी मेडिकल कॉलेजों में एस0सी0/एस0टी0 के छात्रों का शुल्क क्या है ? दोनों के बारे में बताने का कष्ट करें ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मा0 अध्यक्ष, मा0 सदस्य का मेन फोकस निजी मेडिकल कॉलेजों में आरक्षण का है। मैंने स्पष्ट रूप से इसमें कहा है कि निजी मेडिकल कॉलेजों में आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2003 में रिट याचिका संख्या-सिविल-317/1993-पी0एम0एफ0वाई0-फाउण्डेशन व अन्य बनाम स्टेट ऑफ कर्नाटक व अन्य में माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 31 अक्टूबर, 2002 में 6 सितम्बर, 2003 से सिविल अपील संख्या-5041/2005 पी0ए0 ईनामदार व अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 12-10-2005 में अल्पसंख्यक संस्थान की सीटो पर आरक्षण न दिये जाने के आदेश पारित किए गये हैं। उक्त के अनुपालन

में निजी क्षेत्र के मेडिकल कॉलेजों में आरक्षण लागू नहीं किया गया है। जहां तक फीस का सवाल है उसके लिए सूचना की आवश्यकता होगी, इसके लिए हम अलग से मा0 सदस्य को लिख कर भिजवा देंगे।

श्री आजाद अरिमर्दन-

ठीक है मान्यवर।

प्रदेश में शेष बसावटों को डामर मार्ग से जोड़े जाने के सम्बन्ध में

***09-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-**

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कुल कितनी बसावटों को अभी डामर रोड से जुड़ना शेष है ? क्या सरकार ने शेष बसावटों को डामर रोड से जोड़ने हेतु कोई कार्य योजना बनायी है ? यदि हां, तो क्या और डामर रोड से शेष बसावटों को कब तक जोड़ दिया जायेगा ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

प्रदेश में 34651 बसावटों को डामर रोड से जोड़ा जाना शेष है।

वर्तमान में वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर 250 या उससे अधिक आबादी की 9783 अनजुड़ी बसावटों (राजस्व ग्रामों को सम्मिलित करते हुये) के सापेक्ष 2107 ग्रामों को जोड़ने हेतु स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है एवं निर्माण कार्य प्रगति पर है। शेष बसावटों को सम्पर्क मार्ग से जोड़ने की कार्य योजना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

मान्यवर, आपके माध्यम से हम माननीय मंत्री जी से जानना चाहेंगे कि 34651 बसावटें ऐसी हैं, जो अभी तक डामर रोड से नहीं जोड़ी गयी हैं। आपने इस वित्तीय वर्ष में 2107 बसावटों को जोड़ा है तो इस हिसाब से जो रेशियो चल रहा है, करीब 16 वर्ष लग जायेंगे, शेष बसावटों को जोडने में जो अंतिम आपका जवाब है, वह है कार्य योजना वित्तीय संसाधनों पर निर्भर करेगी। हमारा आपसे आग्रह है कि सड़क गांव के विकास की एक रीढ़ है और जो 32 हजार गांव हैं, जहां पर डामर रोड अभी नहीं दे पायें हैं। करोड़ो की तादाद में लोग वहां रहते हैं, माननीय अध्यक्ष जी, हमारी आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मांग है कि 32 हजार बसावटें जो बची हैं, इनको सरकार लेपन स्तर तक बनाने की कोई समय-सीमा तय करेगी ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य का जो सवाल है, निश्चित तौर से बहुत महत्वपूर्ण है, उसको मानते हुए भी यह बताना चाह रहा हूं कि लोक निर्माण विभाग के अतिरिक्त भी प्रदेश

में और भी विभाग हैं, जो 36 हजार की संख्या में 34651 की जो संख्या बताई हैं यह उन सभी बसावटों की हैं, जो केवल लोक निर्माण विभाग के द्वारा ही नहीं जोड़ा जाना है। सड़क निर्माण के और भी विभाग हैं, उन सब विभागों के माध्यम से भी काम हो रहा है, लेकिन हमने जो कार्य-योजना बनाई है, उस कार्य योजना के क्रम में अभी हमने बताया है कि लगभग जो 250 तक की आबादी के 2011 की जनगणना के अनुसार ग्राम शेष हैं। उनको हमने जोड़ने की कार्य योजना बनाई है, अगले वित्तीय वर्ष में जो बजट आया है। इसमें हम उनको स्वीकृति प्रदान करेंगे, उनको बनाने का काम करेंगे, यह मैं दे चुका हूं लेकिन निश्चित तौर से यह अवगत कराना चाहूंगा कि 2001 की जनगणना के क्रम में माननीय अध्यक्ष जी, 250 की अधिक की आबादी के 1557 राजस्व ग्रामों को सम्पर्क मार्गों से जोड़ने के लिए हमने 1763 किलोमीटर 1114 करोड़ रुपये की स्वीकृतियां निर्गत की है, उनका निर्माण कार्य चल रहा है, माननीय सदस्य जी के क्षेत्र में भी चल रहा है सदस्य जी उससे अवगत होंगे। यह भी मैं बताना चाहूंगा कि 2011 की जनगणना के हिसाब से 250 की अधिक की आबादी के अवशेष 1891 राजस्व ग्राम उनको भी उसमें से 297 ग्रामों को हमने 183.87 करोड़ की स्वीकृतियां निर्गत करके वहां भी कार्य को प्रारम्भ करा दिया गया है। एक यह उल्लेख मैं सदन में जरूर करना चाहूंगा कि सड़कों को लेकर जो 7 मीटर चौड़ी या उससे अधिक चाहे वह एक्सप्रेस-वे हो, चाहे वह नेशनल हाईवे हो, चाहे स्टेट हाई-वे हो, चाहे एम0डी0आर0 हो सब पर जो 7 मीटर तक चौड़ी है उससे 5 किलोमीटर अन्दर तक हम लोगों ने 250 से अधिक की आबादी की 2275 बसावटों को सम्पर्क मार्ग से 1407 करोड़ रुपये की लागत से उनको बनाने की स्वीकृतियां भी निर्गत कर दी हैं। हम इस दिशा में निरन्तर काम कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि इसका बहुत विस्तृत विवरण है जिसके बारे में जब आगे अवसर आयेगा तो मैं बताऊंगा लेकिन हमारा प्रयास है कि सड़कों को लेकर किसी भी कीमत पर गुणवत्तापूर्ण ढंग से जल्द से जल्द हम लोगों को आवागमन की सुविधा उपलब्ध करायें और गांव में रहने वाले जो लोग हैं वह भी मुख्य मार्ग तक आ सकें। निश्चित तौर पर मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि पिछली सरकार के समय इस पर ध्यान नहीं दिया गया। जिस लखनऊ-आगरा एक्सप्रेस-वे की बहुत चर्चा हो रही थी तो जब मैं पहली बार उससे हरदोई गया था तो मैंने देखा कि उसके दाहिने और बायें दोनों ओर जो गांव थे उनको सम्पर्क मार्ग तक बनाकर देने का काम नहीं किया गया था, लेकिन उसी दिन वहां से वापस आने के बाद हमने सात मीटर या उससे अधिक चौड़ी उत्तर प्रदेश के अन्दर कोई भी जो सड़कें थीं उन सड़कों तक आने के लिए पांच किलोमीटर की परिधि में रहने वाले गांव के लोगों के लिए सम्पर्क मार्ग बनाने का काम किया। कई योजनाओं के माध्यम से तहसील को ब्लाक से जोड़ने, जिला मुख्यालयों को तहसील से जोड़ने और उत्तर प्रदेश के अन्दर राजमार्गों की संख्या बढ़ाने की दृष्टि से बहुत काम किया है। हमने प्रयास किया है कि जैसे उत्तर प्रदेश हर दृष्टि से सर्वोत्तम प्रदेश है वैसे ही उत्तर प्रदेश सड़कों की दृष्टि से भी सर्वोत्तम प्रदेश बने। माननीय सदस्य ने जो सवाल किया है उसका मैंने जवाब दे दिया है।

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने बताया कि उन्होंने 250 या उससे अधिक आबादी को जोड़ने का लक्ष्य रखा है। हमारा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि यहां पर थोड़ा भेदभाव हो रहा है इसलिये आप 250 के ऊपर की आबादी को अवरोही क्रम में सेंक्शन कर दें। मेरे जनपद सीतापुर के मेरे विधान सभा क्षेत्र में 250 से काफी अधिक आबादी की स्वीकृतियां नहीं की गई हैं, जबकि अन्य जगहों पर उससे काफी कम की स्वीकृतियां जारी कर दी गई हैं। हमारा अनुरोध है कि जब आप 250 के ऊपर का टारगेट लेकर चल रहे हैं तो पूरे उत्तर प्रदेश में 250 के ऊपर आबादी के अवरोही क्रम से स्वीकृतियां जारी करा दीजिये।

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य बहुत वरिष्ठ हैं और उनको बड़ा अनुभव भी है। हमने यह बात बताई थी कि हम तो चाहते हैं कि एक ही दिन में सारी सड़कें स्वीकृत कर दें और सारी की सारी बन भी जायें, लेकिन वित्तीय संसाधन की एक सीमा होती है। हमने इसको अधिक से अधिक करने का प्रयास किया है। मैं माननीय सदस्य को उनके जनपद और विधान सभा क्षेत्र का पूरा विवरण भिजवा दूंगा और मुझे लगता है उनको पिछले कार्यकाल और इस कार्यकाल के अन्तर को देख कर बहुत संतुष्टि होगी ऐसा मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ।

प्रदेश में वर्ष 2002 की जनगणना में 250 से कम व वर्तमान में अधिक आबादी वाले ग्रामों को सड़क मार्ग से जोड़े जाने विषयक

***10-इंजी0 बृजेश कठेरिया-**

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 2002 की जनगणना के आधार पर 250 से कम किन्तु वर्तमान में 250 से अधिक आबादी के गावों को रोड से जोड़ने का कार्य सरकार करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

प्रदेश में 34651 बसावटों को डामर रोड से जोड़ा जाना शेष है। वर्तमान में वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर 250 या उससे अधिक आबादी की 9783 अनजुड़ी बसावटों (राजस्व ग्रामों को सम्मिलित करते हुये) के सापेक्ष 2107 ग्रामों को जोड़ने हेतु स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है एवं निर्माण कार्य प्रगति पर है। शेष बसावटों को सम्पर्क मार्ग से जोड़ने की कार्य योजना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

इंजी0 बृजेश कठेरिया-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कुछ अनुपूरक प्रश्न करना चाहता हूँ। हम सब जानते हैं कि बहुत सारे गांवों की बसावट वर्ष 2011 में कम थी,

लेकिन आज उनकी जनसंख्या काफी ज्यादा हो गई है। हम सभी जनप्रतिनिधि जब अपने-अपने क्षेत्र में जाते हैं तो निश्चित रूप से ग्रामवासी हम सबसे प्रश्न करते हैं और ग्रामीण क्षेत्र के लोग यह मानक नहीं जानते हैं जबकि स्वीकृति आंकड़ों के मानक के हिसाब से होती है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूँगा कि नियमों में कुछ शिथिलता बरत कर ऐसे गांव जिनकी आबादी आज ज्यादा हो गई है उनको इसमें जोड़ दिया जाये।

दूसरा प्रश्न यह है कि हमारे यहां जनपद मैनपुरी में 250 की आबादी वाले गांव लगभग सब जुड़ चुके हैं। कम से कम उसके बाद के लिए मेरे गांव से और प्रस्ताव मांग लिये जाएं। तीसरा माननीय मंत्री जी हमारे जनपद के प्रभारी भी हैं। मैं अनुरोध करूंगा कि मेरे जनपद के बहुत सारे स्टीमेट रिपेयरिंग वाले में शुद्धिकरण करवा लें, जो शासन में पड़े हैं कम से कम उनकी स्वीकृतियां बन जाएं।

श्री अध्यक्ष-

आप तो प्रशंसा कर रहे हैं। अब सवाल क्या बचा है ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, मैं माननीय सदस्य को धन्यवाद करता हूं। 2013 की जनगणना के बाद से जितने भी गांव हैं उसमें हमारा प्रयास है कि आपकी ही विधान सभा क्षेत्र में ही नहीं सभी माननीय सदस्यों के विधान सभा क्षेत्र को सड़कों के आधार पर कोई शिकायत नहीं मिलेगी।

प्रदेश में फर्जी सहकारी समितियों का गठन व रजिस्ट्रेशन की जांच कराकर अवैध कब्जा की जमीन को मुक्त कराने विषयक

***11-श्री जवाहर लाल राजपूत-**

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में फर्जी सहकारी समितियों का गठन करके व रजिस्ट्रेशन करवा कर कतिपय दबंग लोगों ने प्रदेश में हजारों एकड़ भूमि पर अवैध रूप से कब्जा किये जाने की शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई हैं ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त समितियों की जांच करवा कर अवैध रूप से कब्जा की गयी जमीनों को चिन्हित कर दबंगों से मुक्त करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सहकारिता मंत्री (श्री मुकुट बिहारी)-

जी हाँ।

जनपद झाँसी में एक शिकायत सहकारी कृषि समिति जौरा नं0-01 से सम्बन्धित प्राप्त हुई थी, जिसकी जाँच में समिति की भूमि पर अवैध कब्जा सम्बन्धी बिन्दु सही नहीं पाया गया।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री जवाहर लाल राजपूत-

मान्यवर, मैं जानकारी चाहता हूं चूंकि पिछली सरकारों में सहकारी समितियों का रजिस्ट्रेशन कराकर और जो जमीन उनके नाम है, हमारे यहां झांसी जनपद जौरा में जो सहकारी समिति है वहां आज भी दबंग लोग कब्जा किये हुए हैं। हो सकता है कि पिछली सरकारों में लोगों ने उसका फर्जी रजिस्ट्रेशन कराकर आज भी 20 हेक्टेयर, 25 हेक्टेयर ऐसी तमाम समितियां प्रदेश भर में हैं। मैं चाहता हूं कि उनके आय-व्यय का 10 साल का जो लेखा-जोखा है वह प्रस्तुत हो जाए, माननीय मंत्री जी, इस चीज का आश्वासन दे दें। दूसरा जमीनों पर जो कब्जा किया गया है वह कब्जा मुक्त हो जाए जो दोषी थे उनके खिलाफ कार्यवाही हो जाए।

श्री मुकुट बिहारी-

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं माननीय विधायक जी को यह बताना चाहता हूं कि जिस समिति का उन्होंने प्रश्न किया है यह समिति रजिस्टर्ड है। उसका रजिस्टर्ड नम्बर-672 है। 5 किता 20.262 हेक्टेयर जमीन है। सहकारी कृषि समिति का निश्चित रूप से चुनाव होता है। इसके आय-व्यय का लेखा-जोखा होता है। आपने 10 साल का रिकॉर्ड मांगा है उस 10 साल का रिकॉर्ड मेरे पास है, लेकिन 10 साल का रिकॉर्ड आपको दूं, उससे पहले मैं बता दूं कि अभी 30-01-2018 को इसका चुनाव सम्पन्न हुआ है। उसमें इस समिति की अध्यक्ष श्रीमती रानी देवी, समिति के उपाध्यक्ष श्री बृजेन्द्र कुमार, संचालक श्री देवेन्द्र कुमार अनुसूचित और सदस्य श्रीमती पुष्पा देवी, बालेन्द्र सिंह, पुष्पेन्द्र सिंह, ज्ञानेन्द्र सिंह, शत्रुघ्न सिंह, मिथला देवी यह 51 सदस्यीय समिति है। यह सारे लोग ही उस पर काबिज हैं। जहां तक आप प्रश्न उठाते हैं आपने 10 साल का कहा है। 10 साल का आय-व्यय मेरे पास है। अगर आप अनुमति दें तो मैं 10 साल का पढ़ दूं। या फिर इनको भेज दूं जैसा आप बताइये।

श्री अध्यक्ष-

आप माननीय सदस्य को सब कागज उपलब्ध करा दीजिए। श्री जवाहर लाल राजपूत जी आपको माननीय सहकारिता मंत्री जी सारे कागज उपलब्ध करा देंगे।

श्री जवाहर लाल राजपूत-

मान्यवर, जो फर्जी समितियां चल रही हैं उन्हें कैंसिल तो कर दें।

श्री अध्यक्ष-

अब आपकी उनके साथ बैठ कर बात हो जायेगी।

जनपद बहराइच के श्रावस्ती में वन विभाग के भण्डारित काष्ठ के विलय हेतु

***12-श्री मोहम्मद असलम ''राइनी'' (एडवोकेट)-**

क्या पर्यावरण, एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के वन डिपो द्वारा संचालित विक्रय एवं लॉगिंग प्रभाग के कतिपय डिपो को समाप्त/विलय किया जा रहा

है ? यदि हां, तो इस प्रक्रिया के अन्तर्गत कौन-कौन से डिपो चिन्हित हैं ? क्या यह सही है कि श्रावस्ती प्रभाग को कम भण्डारण काष्ठ वाले बहराइच प्रभाग में विलय किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

वन, पर्यावरण, जन्तु उद्यान मंत्री (श्री दारा सिंह चौहान)-

जी नहीं। वर्तमान में प्रदेश के वन निगम द्वारा संचालित विक्रय एवं लॉगिग प्रभाव के किसी डिपो को समाप्त/विलय नहीं किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जी नहीं। वर्तमान में श्रावस्ती प्रभाग अस्तित्व में नहीं हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री मोहम्मद असलम "राइनी" (एडवोकेट)-

मान्यवर, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं। जबसे यह सत्र चालू हुआ है कोई ऐसा प्रश्न छूट नहीं रहा है। पता नहीं आपने कौन सी कृपा हम लोगों पर कर दिया है कि 12 नम्बर पर आज मेरा प्रश्न लग गया और इसमें मैं पूछने भी जा रहा हूं। मा0 अध्यक्ष जी, हर स्थान पर क्षेत्रवाद, जातिवाद बढता जा रहा है। अधिकारी चाहे वन विभाग के हों या अन्य विभाग के हों जो नियमानुसार गलत सोच का प्रतीक है। मान्यवर, आपके माध्यम से मा0 वन मंत्री जी से तीन प्रश्न पूछना चाहता हूँ। मा0 मंत्री जी कृपापूर्वक बताने का कष्ट करें कि 15 वर्षों से सेल्स डिवीजन बिक्री प्रभाग बहराइच की अपेक्षा श्रावस्ती जनपद में राजस्व वसूली अधिक थी। लकड़ी का भण्डार बहराइच की तुलना में अधिक था। तब आपने वन निगम के एम0डी0 ने सेल्स डिवीजन श्रावस्ती को क्यों समाप्त किया। क्या मा0 मुख्य मंत्री जी के कहने पर या आपके कहने पर या मैं गलती से बसपा का विधायक हो जाने पर यह सेल्स डिवीजन को आपने खारिज किया।

श्री अध्यक्ष-

इस समय आप किस दल में हैं ?

श्री मोहम्मद असलम "राइनी" (एडवोकेट)-

मान्यवर, मा0 मंत्री जी से दूसरा प्रश्न यह है कि वन निगम में स्टाफ की कमी के कारण क्या कारपोरेशन समाप्ति के कगार पर है ? नई भर्ती आप कब तक करा देंगे ? तीसरा प्रश्न यह है कि बहराइच सेल्स डिवीजन को अब आप बहराइच से किसी और जनपद में ले जाने पर क्या विचार कर रहे हैं ?

श्री दारा सिंह चौहान-

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 सदस्य का जो सवाल था हमने उत्तर दे दिया है। मा0 सदस्य की जो जिज्ञासा रही है, जो इन्होंने पूछा कि क्या यह सही है कि श्रावस्ती प्रभाग से कम

भण्डारण वाले बहराइच प्रभाग में विलय किया जा रहा है। चूंकि आज श्रावस्ती प्रभाग अस्तित्व में ही नहीं है, तो विलय करने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। बाकी जो आपने सवाल पूछा है वह इस प्रश्न से संबंधित नहीं है। अगर आप पूछेंगे तो मैं विस्तार से इसका जवाब दूंगा।

श्री मोहम्मद असलम "राइनी" (एडवोकेट)-

श्रावस्ती सेल्स डिवीजन पिछले 15 वर्षों से श्रावस्ती में चल रहा था और जनपद श्रावस्ती में पूरे उत्तर प्रदेश में घना जंगल है। भण्डार की कोई समस्या नहीं थी तो इसको बहराइच में क्यों ट्रांसफर किया गया ? अब बहराइच से कहीं और तो नहीं ले जा रहे हैं। केवल इतना बता दें।

श्री दारा सिंह चौहान-

मा0 अध्यक्ष जी, वन निगम में प्रकाष्ठ की कमी या अधिकता के नाते प्रभागों का पुनर्गठन एक सतत् प्रक्रिया है और यह 10-08-16 में सरकार बनने के पहले गठित समिति में जो निर्णय लिया था तब जुलाई, 2017 में अस्तित्व में आया था और इसके पीछे कारण था कि एक ही डिवीजन को हमने अस्तित्व खत्म नहीं किया है। या विलय किया है। इस तरीके के प्रदेश में बहुत सारे हैं जहाँ पर प्रकाष्ठ की कमी पायी जाती है। हम तो कहते हैं कि अगर आप श्रावस्ती को चाहते हैं। उसके पीछे कारण है कि एक तो श्रावस्ती में हमारा एक डिवीजन है। बहराइच में आप भी जानते हैं कि वहाँ पर दो डिवीजन हैं और वहाँ पर को-आर्डिनेशन भी अच्छा रहता है। बाकी जो डिपो का आपने सवाल किया है कि डिपो विलय किया जा रहा है, स्थानान्तरित किया जा रहा है। एक भी डिपो जो वहां पर था भिनगा ए और बी वह डिपो यथावत् बने हुये हैं उसमें कटान में ढुलाई में, वहाँ के लोकल लोगों को रोजगार में कहीं कोई कमी नहीं है। केवल हम मितव्यता के नाते प्रशासनिक आधार पर, चूंकि करोड़ों रुपये की क्षति हो रही थी उस क्षति को बचाने के लिए श्रावस्ती का विलय बहराइच में कर दिया है जिससे को-आर्डिनेशन अच्छा रहे। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिन में श्रावस्ती भी हो तो अगर लकड़ी की उत्पादकता वहाँ पर बढ़ेगी। जिस तरीके से हमारी सरकार बनने के बाद प्रतिवर्ष प्लांटेशन को बढ़ावा दे रहे हैं, 05 करोड़, 12 करोड, 20 करोड़, 22 करोड़, इस साल हमने 30 करोड़ का लक्ष्य लिया है, अगर लगेंगे।

मान्यवर, मा0 सदस्य को बधाई देना चाहता हूँ कि मा0 सदस्य ने खुद ही बड़े पैमाने पर प्लांटेशन लगाया हुआ है और आपका प्लांटेशन जिस दिन बनकर तैयार हो जायेगा और आप परमीशन लेने आयेंगे, सरकार आपको परमीशन भी देगी और अधिकता के नाते हो सकता है कि हमको पर्याप्त लकड़ी मिल जायेगी तो श्रावस्ती का पुनः चालू हो जायेगा।

श्री मोहम्मद असलम "राइनी" (एडवोकेट)-

मान्यवर, मा0 मंत्री जी की बात को जरूर नोट करा दिया जाए। यदि कभी भी आपके पास मा0 सदस्य परमीशन लेने के लिए आते हैं, तो यह परमीशन देने को तैयार रहें, कहीं ऐसा न हो कि मा0 मंत्री जी मुकर जाएं। आप वचनबद्ध रहेंगे।

श्री दारा सिंह चौहान-

मान्यवर, प्रदेश सरकार बनने के बाद किसानों की आय को बढाने के लिए पहले किसान अपनी जमीन पर पेड़ लगाता था लेकिन किसान को उस पेड़ को काटने की अनुमति नहीं थी। हमारी सरकार ने जो किसान अपने खेत/मेड़ पर पेड़ लगायेगा तो निश्चित रूप से पेड़ जब काम लायक हो जायेगा तो हम उसको काटने की परमीशन दे देते हैं।

(सदस्य श्री मोहम्मद असलम "राइनी" (एडवोकेट) तथा सदस्य हाजी इरफान सोंलकी द्वारा एक साथ खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

कृपया आप लोग बैठ जाइए। आपने बहुत लम्बा पूछ लिया और मंत्री जी से उद्घाटन के लिए वादा भी करा लिया है।

प्रदेश में प्राधिकरणों की जमीन के अलावा प्राइवेट भूमि यथा किसानों व अन्य निजी मकान निर्माताओं का नक्शा पास किये बिना मकान निर्माण करने के सम्बन्ध में

***13-श्री मनोज कुमार पारस-(अनुपस्थित)**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में प्राधिकरणों की जमीन के अलावा किसानों की व अन्य निजी भूमि पर मकान निर्माण हेतु निर्माताओं के मकान का नक्शा पास करने की कोई नीति सरकार बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मा0 मुख्य मंत्री (श्री योगी आदित्यनाथ)-

उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा-3 के अनुसार राज्य के भीतर किसी क्षेत्र का योजना के अनुसार विकास किये जाने हेतु उस क्षेत्र को विकास क्षेत्र घोषित किया जा सकता है। अधिनियम की धारा-14 की व्यवस्थानुसार विकास क्षेत्र की घोषणा के पश्चात् उस क्षेत्र में किसी व्यक्ति अथवा निकाय द्वारा उपाध्यक्ष से लिखित अनुमति प्राप्त किये बिना विकास/निर्माण कार्य नहीं किया जा सकता है ! विकास/निर्माण कार्य की अनुमति प्राप्त किये जाने हेतु लिखित रूप में आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने का प्राविधान अधिनियम की धारा-15 में है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना को उत्तर प्रदेश के सहकारी बैंकों/जिला सहकारी बैंकों में लागू किये जाने विषयक

***14-श्री चेतराम (अनुपस्थित)-**

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में संचालित प्रधानमंत्री आवास योजना में उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक अथवा जिला सहकारी बैंकों की सहभागिता लागू न किये

जाने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार उक्त योजना में प्रदेश के सहकारिता विभाग के बैंकों की सहभागिता लागू करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुकुट बिहारी वर्मा-

जी हाँ।

उत्तर प्रदेश को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) लागू है। आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) को लागू करने के लिए प्राथमिक ऋणदाता संस्थान के अन्तर्गत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, आवास वित्त कम्पनियाँ, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, राज्य सहकारी बैंक, शहरी सहकारिता बैंक अथवा मंत्रालय द्वारा निर्धारित की जाने वाली कोई अन्य संस्था पात्र हैं। प्राथमिक ऋणदाता संस्थान की उक्त सूची में जिला सहकारी बैंक का उल्लेख नहीं होने के कारण जिला सहकारी बैंकों में उक्त योजना लागू नहीं है।

उत्तर प्रदेश को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड व नगरीय सहकारी बैंकों में लागू है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रदेश के सहकारिता विभाग के अधीनस्थ विभाग में अनुसूचित वर्ग व पिछड़े वर्ग का कोटा पूर्ण कराये जाने विषयक

***15-श्री वीरेन्द्र यादव-**

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की सहकारी समितियों में अनुसूचित वर्ग एवं पिछड़े वर्ग का कोटा पूर्ण है ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि साधन सहकारी समितियों में वर्तमान में अनुसूचित वर्ग एवं पिछड़े वर्ग के कितने व्यक्ति सचिव, आंकिक के पद पर कार्यरत हैं ?

श्री मुकुट बिहारी वर्मा-

जी नहीं।

पैक्स सचिवों का कैडर गठित है एवं इनके नियोक्ता जिला प्रशासनिक कमेटी है। वर्तमान समय में प्रदेश में प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समितियाँ (पैक्स) में सचिव सामान्य के 3890, पिछड़ा वर्ग (ओ0बी0सी0) के 2036 एवं अनुसूचित वर्ग के 1634 पद स्वीकृत हैं जिसके सापेक्ष सामान्य के 1116, पिछड़ा वर्ग (ओ0बी0सी0) के 1013 एवं अनुसूचित वर्ग के 280 सचिव कार्यरत हैं।

आंकिक के पदों का सचिव की भांति कोई कैडर गठित नहीं है और यह पद अस्थानान्तरणीय है। इनके नियोक्ता पैक्स की प्रबन्ध कमेटी होती है। प्रदेश के अधिकांश जनपदों की पैक्स में आंकिक का एक ही पद सृजित है, एकल पद होने के कारण नियमानुसार आरक्षण नहीं हो सकता है। आंकिक में कुल 8072 पद स्वीकृत हैं जिसके सापेक्ष सामान्य के 2543,

पिछड़ा वर्ग (ओ0बी0सी0) के 2443 एवं अनुसूचित वर्ग के 341 कुल 5327 आंकिक कार्यरत हैं।

श्री वीरेन्द्र यादव-

मान्यवर, हमारी विधान सभा क्षेत्र में गोबना गांव है, सहकारी समिति उसमें सामान्य का व्यक्ति काफी दिनों से है और आरक्षण न होते हुए भी यहां पर स्थानीय स्तर पर वहां पर नियुक्त किया गया है। मा0 मंत्री जी इसको व्यक्तिगत रूप से दिखवा लें।

श्री अध्यक्ष-

आप मा0 मंत्री जी को लिख कर दे दीजिए।

प्रदेश व जनपद हापुड़ में यू0पी0एस0आई0डी0सी0 शेखपुरा खिचड़ा में पेय पदार्थों का निर्माण प्रदूषण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण-पत्र के बिना किये जाने की जांच विषयक

***16-श्री असलम अली (अनुपस्थित)-**

क्या पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बड़े स्तर पर पेय पदार्थ बनाने वाली कतिपय कम्पनियों का संचालन प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड उत्तर प्रदेश से अनापत्ति प्रमाण-पत्र के बगैर हो रहा है ? क्या सरकार उक्त की जांच कराकर कम्पनियों के विरुद्ध कार्रवाई करेगी ? क्या सरकार बतायेगी कि जनपद हापुड़ के यूपी0एस0आई0डी0सी0 शेखपुरा खिचड़ा में सद्गुरू इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी में पेय पदार्थों का निर्माण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड उत्तर प्रदेश से अनापत्ति प्रमाण-पत्र के बगैर किया जा रहा है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार इसकी जांच करा कर कार्रवाई करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दारा सिंह चौहान-

जी नहीं।

उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय-समय पर इकाइयों का निरीक्षण किया जाता है एवं कमियाँ पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

मेसर्स सद्गुरू इंटरप्राइजेज, प्लाट नं0-जी-465, 466, यू0पी0एस0आई0डी0सी0 एम0जी0 रोड औद्योगिक क्षेत्र, जनपद हापुड़ को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक 16-01-2019 एवं पत्र दिनांक 17-01-2019 द्वारा जल एवं वायु अधिनियमान्तर्गत क्रमशः सशर्त जल सहमति एवं वायु सहमति निर्गत है, जिसकी वैधता अवधि 31-07-2023 है। उक्त

इकाई केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा वर्गीकृत इकाइयों की श्रेणी में हरी श्रेणी के अन्तर्गत आच्छादित है।

उत्तर प्रदेश भूमि विकास बैंक के बकायेदारों से ऋण वसूली हेतु विद्युत विभाग के समान समाधान योजना लागू करने विषयक

***17-श्री संजय प्रताप जायसवाल (अनुपस्थित)-**

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में उत्तर प्रदेश भूमि विकास बैंक के बकायेदारों से ऋण वसूली हेतु विद्युत विभाग की तर्ज पर समाधान योजना लागू करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुकुट बिहारी वर्मा-

जी नहीं।

उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लिमिटेड (भूमि विकास बैंक) में दिनांक 05-04-2018 को एकमुश्त समाधान योजना-2018 लागू की गयी थी, जिसे शासन द्वारा पुनः दिनांक 01-12-2020 से दिनांक 31-03-2021 तक के लिए विस्तारित किया गया है। शासन द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों के अनुसार बैंक में एकमुश्त समाधान योजना-2018 का क्रियान्वयन हो रहा है।

अतः विद्युत विभाग की तर्ज पर बैंक में "एकमुश्त समाधान योजना" लागू किये जाने का कोई औचित्य नहीं है।

प्रदेश में गन्ना पेराई सत्र वर्ष 2020-2021 में गन्ना किसानों को भुगतान कराये जाने विषयक

***18-श्री नरेश सैनी-**

क्या गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में गन्ना पेराई सत्र वर्ष 2020-2021 शुरू हो गया है, परन्तु गन्ना किसानों को गन्ना पेराई सत्र 2019-2020 का गन्ना बकाया का भुगतान अभी तक नहीं किया गया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार वर्ष 2019-2020 के गन्ना का भुगतान करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश राणा-

दिनांक 17-02-2021 तक की स्थिति के अनुसार पेराई सत्र 2019-20 के अन्तर्गत प्रदेश की चीनी मिलों द्वारा कुल देय गन्ना मूल्य रु0 35,898.64 करोड़ के सापेक्ष रु0 35,098.63 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है, जो 97.77 प्रतिशत है।

राज्य सरकार अवशेष गन्ना मूल्य का त्वरित भुगतान कराये जाने हेतु सजग एवं कटिबद्ध है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री नरेश सैनी-

मान्यवर, मेरे मा0 मंत्री जी से दो ही छोटे-छोटे प्रश्न हैं। एक तो जो वर्ष 2019-2020 का बकाया पेमेण्ट है उसको कब तक करा देंगे ? आपने और कोर्ट ने वायदा किया था कि 14 दिन के बाद उसका ब्याज सहित भुगतान किया जायेगा, इस सम्बन्ध में सरकार क्या कर रही है ? तीसरा प्रश्न यह है कि वर्ष 2020-2021 का कितना भुगतान हुआ है उसको बताने का कष्ट करें ?

श्री सुरेश राणा-

मा0 अध्यक्ष जी, वर्तमान में वर्ष 2019-20 में 35,898.64 करोड़ का आंकड़ा है, में से 35,217 करोड़ का भुगतान हो चुका है, 98.10 प्रतिशत है। मात्र 680.65 करोड़ बकाया है और ये भी संज्ञान में लाना चाहता हूं कि योगी सरकार द्वारा जो गन्ना किसानों का भुगतान किया जा रहा है, जिस प्रकार योगी सरकार गन्ना किसानों के भुगतान के प्रति प्रतिबद्ध है और योगी सरकार ने जिस प्रकार गन्ना किसानों के लिए काम किया है उसी का परिणाम है कि आज पूरे देश के अन्दर उत्तर प्रदेश चाहे गन्ना भुगतान का विषय हो, चाहे चीनी के उत्पादन का विषय हो, चाहे गन्ने के रकबे का विषय हो, उसमें देश में लगातार तीन वर्षों से उत्तर प्रदेश आज नम्बर एक बना हुआ है। जहां तक मा0 सदस्य द्वारा कहा गया है, उन्हें मैं यह जानकारी दे दूं कि यदि मैं योगी सरकार से पहले के पांच साल की बात करूं, इसका आंकलन करना बहुत जरूरी है। उन पांच सालों में 95,215 करोड़ रुपये का भुगतान हुआ था, हमारी सरकार से पहले, यदि मैं इस सरकार के मात्र 4 साल की बात करूं और चार साल में अभी 600 करोड़ और जुड़ना है, 1 लाख 24 हजार 193 करोड़ रुपये का भुगतान ये सरकार कर चुकी है, जो आजादी के बाद के इतिहास का सर्वाधिक भुगतान है, हमने अब तक का सर्वाधिक भुगतान किया है और मैं मा0 सदस्य को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि योगी सरकार किसानों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है, किसानों के विकास के लिए, गन्ना किसानों के लिए, धान के किसानों के लिए, गेंहू के किसानों के लिए, आलू के किसानों के लिए सरकार प्रतिबद्ध है, इस सरकार के एजेण्डे में किसान है। आप निश्चिंत रहिए, सरकार किसानों के हित में काम कर रही है।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के कुछ सदस्यों के खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

अब प्रश्नों का समय समाप्त हो गया है,‡ आप घड़ी देखिए, प्रश्नों का समय समाप्त हो चुका है।

---

‡ नोटः-आज की कार्य सूची के नत्थी 'ख' के तारांकित प्रश्न संख्या-18 के बाद प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

अतारांकित प्रश्न

जनपद अमरोहा के गजरौला में जिवलेन्ट फैक्ट्री व अन्य फैक्ट्रियों द्वारा विधान सभा क्षेत्र हसनपुर में बगद नदी के गंदे पानी को रोके जाने हेतु कार्रवाई करने विषयक

1-श्री महेन्द्र सिंह खड़गवंशी-

क्या पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अमरोहा के गजरौला में जिवलेन्ट फैक्ट्री और अन्य फैक्ट्रियों के उत्सर्जन से प्रदूषित विधान सभा क्षेत्र हसनपुर में बह रही बगद नदी के गन्दे पानी से क्षेत्र में विभिन्न बीमारियों से लोग पीड़ित हो रहे हैं ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त नदी के गन्दे पानी को रोके जाने हेतु कोई कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दारा सिह चौहान-

जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता। प्रश्न नहीं उठता।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अमरोहा द्वारा दिनांक 06.02.2021 को प्रेषित आख्या के अनुसार हसनपुर क्षेत्र के बगद नदी से सटे गांवों में किसी भी तरह की स्वास्थ्य सम्बन्धी बिमारी नहीं हुई है।

गजरौला क्षेत्र में जिवलेन्ट समूह की 06 इकाइयां मेसर्स जिवलेन्ट लाइफ साइन्सेज लि0 (आसवनी इकाई), मैसर्स जिवलेन्ट लाइफ साइन्सेज लि0 (केमिकल इकाई-प्रथम), मेसर्स जिवलेन्ट लाइफ साइन्सेज लि0 (केमिकल इकाई-द्वितीय), मेसर्स जिवलेन्ट एग्री एण्ड कन्ज्यूमर प्रोडक्टस लि0 (फर्टिलाइजर इकाई), मेसर्स जिवलेन्ट लाइफ साइन्सेज लि0 (कैप्टिव पावर प्लान्ट) एवं मेसर्स जिवलेन्ट एग्री एण्ड कन्ज्यूमर प्रोडक्ट लि0 (पॉलिमर यूनिट) स्थापित हैं। जिवलेन्ट समूह की आसवनी इकाई में शून्य उत्प्रवाह निस्तारण व्यवस्था स्थापित है। जिवलेन्ट समूह की अन्य समस्त इकाइयों में उत्प्रवाह के शोधन हेतु समुचित व्यवस्था स्थापित है। शुद्धिकृत उत्प्रवाह का पुनः प्रयोग उत्पादन प्रक्रिया एवं सिंचाई कार्यों हेतु करते हुए परिसर के बाहर शून्य उत्प्रवाह निस्तारण सुनिश्चित किया जाता है।

जिवलेन्ट समूह की समस्त इकाइयों का सतत् अनुश्रवण करते हुए उल्लंघन की दशा में कार्यवाही की जाती है। जिवलेन्ट समूह की आसवनी इकाई के विरुद्ध पूर्व में पाये गये उल्लंघन के दृष्टिगत जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा-33ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश दिनांक 03-06-2020 को जारी किये गये हैं तथा उद्योग द्वारा कमियों के निराकरण एवं शून्य उत्प्रवाह के निस्तारण हेतु समुचित रख-रखाव के दृष्टिगत उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक 30-06-2020 द्वारा बन्दी आदेश निक्षेपित किया गया है।

गजरौला क्षेत्र में जिवलेन्ट समूह के अतिरिक्त कुल 07 प्रमुख प्रदूषणकारी औद्योगिक इकाइयां स्थापित हैं, जिनमें से 01 इकाई मे0 इन्सिल्को लि0 की सहमति उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण

बोर्ड द्वारा अस्वीकार किये जाने के दृष्टिगत विगत 01 वर्ष से अधिक अवधि से बन्द है। शेष 06 इकाइयों में उत्प्रवाह के शोधन हेतु समुचित शुद्धिकरण व्यवस्थाएं स्थापित हैं तथा शुद्धिकृत उत्प्रवाह का पुनः प्रयोग उत्पादन प्रक्रिया में अथवा सिंचाई कार्य हेतु किया जाता है।

जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड महराजगंज में मंदरेपुर पश्चिम से शिवनगर चरनई तक जर्जर मार्ग का नव निर्माण कराये जाने विषयक

2-श्री नफीस अहमद-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड महराजगंज में मन्दरेपुर पश्चिम से शिवनगर चरनई तक का मार्ग दूरी लगभग 01 किमी0 जर्जर होने के कारण लोगों के आवागमन में असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का नव निर्माण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

प्रश्नगत मार्ग की विशेष मरम्मत योजनान्तर्गत स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है। उक्त मार्ग की मरम्मत का कार्य मार्च, 2021 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ, विधान सभा क्षेत्र लालगंज में मसीरपुर मोड़ से मातृछाया मैरेज हाल तक सड़क मार्ग की मरम्मत कराने विषयक

श्री आजाद अरिमर्दन-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र लालगंज में मसीरपुर मोड़ से मातृछाया मैरेज हाल तक की सड़क गड्ढायुक्त व जर्जर हो चुकी है तथा सड़क के दोनों तरफ पक्की नाली का निर्माण नहीं होने के कारण सड़क पर पानी जमा हो जाने से क्षेत्रवासियों को कठिनाइयों का सामना कराना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क की मरम्मत कराते हुए पक्की नाली का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

प्रश्नगत मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-233 का भाग है। उक्त खण्ड पर एक बाईपास (लालगंज बाईपास) का निर्माण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा कराया जा रहा है। इस खण्ड के वन टाइम इम्प्रूवमेंट के अन्तर्गत बाजार से गुजरने वाले मार्ग के सुदृढ़ीकरण हेतु प्राक्कलन अनुमोदित हो चुका है तथा निविदा भी आमंत्रित की जा चुकी है। निविदा प्रक्रिया पूरी होने के उपरान्त उक्त मार्ग का सुदृढ़ीकरण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा कराया जायेगा। उक्त सुदृढ़ीकरण कार्य को पूर्ण किये जाने की लक्षित तिथि जून, 2021 है।

जनपद आजमगढ़, विधान सभा क्षेत्र लालगंज के कस्बा देवगांव-ज्यूली सड़क मार्ग से बुढ़ऊबाबा व मेहनाजपुर रोड तक सड़क मार्ग की मरम्मत कराने विषयक

4-श्री आजाद अरिमर्दन-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र लालगंज के कस्बा देवगांव में देवगांव-ज्यूली सड़क मार्ग से बुढ़ऊबाबा तक एवं मेहनाजपुर रोड की सड़क पूर्णतया जर्जर एवं गड्ढायुक्त है तथा पक्की नाली का निर्माण नहीं होने के कारण क्षेत्रवासियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क की मरम्मत एवं नाली का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

प्रश्नगत मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-233 का भाग है। उक्त खण्ड पर एक बाईपास (देवगांव बाईपास) का निर्माण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा कराया जा रहा है। इस खण्ड के वन टाइम इम्प्रूवमेंट के अन्तर्गत बाजार से गुजरने वाले मार्ग के सुदृढ़ीकरण हेतु प्राक्कलन अनुमोदित हो चुका है तथा निविदा भी आमंत्रित की जा चुकी है। निविदा प्रक्रिया पूरी होने के उपरान्त उक्त मार्ग का सुदृढ़ीकरण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा कराया जायेगा। उक्त सुदृढ़ीकरण कार्य को पूर्ण किये जाने की लक्षित तिथि जून, 2021 है।

जनपद बहराइच, विधान सभा क्षेत्र बलहा अन्तर्गत नैनिहा हाई-वे से झाला तक 04 कि0मी0 सड़क की मरम्मत कार्य कराने हेतु

5-श्रीमती सरोज सोनकर-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा अन्तर्गत नैनिहा हाई-वे काटा से झाला तक लम्बाई लगभग 04 किलोमीटर रोड का मरम्मत कार्य सरकार कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

नैनिहा हाई-वे काटा पी0बी0बी0 मार्ग एन0एच0-730 के किमी0 198 से झाला तक झाला सम्पर्क मार्ग, कुल लम्बाई 4.00 किमी0 है। वर्षा ऋतु के बाद मार्ग के आंशिक भाग में पैच हो गये थे, जिनकी पैच मरम्मत करा दी गयी है तथा आवागमन सुचारु रूप से हो रहा है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

6-श्रीमती सरोज सोनकर-

[दिनांक 23-02-2021 के अतारांकित प्रश्न संख्या-196 के अन्तर्गत उत्तरित]

7-श्रीमती सरोज सोनकर-

[दिनांक 23-02-2021 के अतारांकित प्रश्न संख्या-196 के अन्तर्गत उत्तरित]

जनपद बहराइच, विधान सभा क्षेत्र बलहा अन्तर्गत गिरिजापुरी सुजौली पेट्रोल पंप से गन्ना कांटा तक 03 किलोमीटर सड़क की मरम्मत कार्य कराने हेतु

8-श्रीमती सरोज सोनकर-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा अन्तर्गत गिरिजापुरी सुजौली पेट्रोल पम्प से गन्ना कांटा तक लम्बाई लगभग 3 किलोमीटर रोड का मरम्मत कार्य सरकार कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी हाँ, जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा के अन्तर्गत गिरजापुरी सुजौली पेट्रोल पम्प विशुनापुर रमपुरवा सम्पर्क मार्ग के किमी0-8 में स्थित है तथा गन्ना कांटा इसी मार्ग के किमी0-10 में स्थित है। विशुनापुर रमपुरवा सम्पर्क मार्ग के नवीनीकरण कार्य हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी है तथा कार्य का अनुबन्ध गठित हो चुका है। मौसम अनुकूल होने पर नवीनीकरण का कार्य कराया जाना प्रस्तावित है। जिसे मार्च, 2021 में पूर्ण किया जाना लक्षित है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा अन्तर्गत हाई-वे नान्हूजोत हनुमान मंदिर से ग्राम गुरगुट्टा तक 6 किलोमीटर सड़क की मरम्मत कराने हेतु

9-श्रीमती सरोज सोनकर-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा अन्तर्गत हाई-वे नान्हूजोत हनुमान मंदिर से ग्राम गुरगुट्टा तक लम्बाई लगभग 6 किलोमीटर रोड का मरम्मत कार्य सरकार कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जनपद बहराइच में बलहा के अन्तर्गत एन0एच0-730 हाई-वे नान्हूजोत हनुमान मंदिर से ग्राम गुरगुट्टा तक सम्पर्क मार्ग की कुल लम्बाई 4.00 किमी0 है। उक्त मार्ग के पैच मरम्मत का कार्य माह नवम्बर, 2020 में पूर्ण करा दिया गया है। वर्तमान में मार्ग आवागमन हेतु उपयुक्त है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रबन्ध निदेशक, पी0सी0एफ0, लखनऊ के पुत्र आलोक बलोदी को मृतक आश्रित के रूप में समायोजन हेतु निर्देशित किये जाने विषयक

10-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती पुष्पा शर्मा, निवासी कुमारपुरम, पारा कालोनी, लखनऊ के प्रार्थना-पत्र दिनांक 28-5-2019 पर प्रबन्ध निदेशक, पी0सी0एफ0, लखनऊ को उनके पुत्र आलोक बलोदी को योग्यतानुसार मृतक आश्रित के रूप में समायोजन हेतु आपके आदेश संख्या-400/सामान्य/मं0/सहकारिता/2019 दिनांक 29-05-2019 द्वारा निर्देश दिये गये हैं ? यदि हाँ, तो क्या उक्त मृतक आश्रित का समायोजना कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुकुट बिहारी वर्मा-

जी हाँ।

जी नहीं।

वित्तीय वर्ष 2019-20 के संतुलन पत्र के अनुसार संघ वर्तमान समय में रु0 489.50 करोड़ की संकलित हानि पर चल रहा है। संघ की आर्थिक स्थिति जर्जर होने के परिणामस्वरूप वर्तमान समय में मृतक आश्रित के रूप में कर्मचारियों की नियुक्ति पर विचार नहीं किया जा रहा है।

जनपद जालौन के टाकर से हमीरपुर रोड को जोड़ने हेतु बेतवा नदी पर सेतु का निर्माण कराये जाने विषयक

11-श्री गौरी शंकर-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जालौन के टाकर से हमीरपुर रोड को जोड़ने हेतु बेतवा नदी पर पुल का निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

प्रस्तावित स्थल पर 760.13 मी0 लम्बाई के सेतु, पहुंच मार्ग एवं भूमि अध्याप्ति सहित की अनुमानित लागत रु0 9000.00 लाख आयेगी। सेतु का निर्माण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद जालौन के मुख्यालय उरई में प्रधानमंत्री आवास योजना में आवंटित आवासों व शेष पात्रों को आवास न मिल पाने विषयक

12-श्री गौरी शंकर-

क्या नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जालौन के मुख्यालय उरई में प्रधानमंत्री आवास योजना में अभी तक कुल कितने आवेदकों को

आवास आवंटित हुए एवं कितने आवेदकों को आवास नहीं मिल पाया है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन "गोपाल जी"-

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत जनपद जालौन के मुख्यालय उरई में दिसम्बर, 2020 तक कुल 9118 आवास स्वीकृत हुए, जिसमें से 2628 लाभार्थी अपात्र एवं 6490 लाभार्थी पात्र पाये गये। पात्र लाभार्थियों में से 4229 लाभार्थियों को आवास निर्माण हेतु धनराशि जारी की गई है, शेष 2261 लाभार्थियों को आवास निर्माण हेतु धनराशि जारी करने की कार्यवाही की जा रही है। उक्त के अतिरिक्त योजनान्तर्गत 6600 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनकी पात्रता की जांच तहसील स्तर से करायी जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

13-श्री योगेन्द्र उपाध्याय-

[मा0 न्यायालय के विचारधीन होने के कारण निरस्त]

शासनादेश संख्या-399/ नौ-2016-205 सा/2015, दिनांक 25 फरवरी, 2015 का अनुपालन आगरा में न कराये जाने पर सरकार द्वारा दण्डात्मक कार्रवाई करने विषयक

14-श्री योगेन्द्र उपाध्याय-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश (महत्वपूर्ण/शीर्ष प्राथमिकता) सं0-399/नौ-2016-205 सा/2015, दिनांक 25 फरवरी, 2015 के अनुसार नगर विकास विभाग की धनराशि से कराये जाने वाले विकास कार्यों से संबंधित शिलालेखों/पट्टिकाओं में मुख्य मंत्री, नगर विकास मंत्री तथा क्षेत्रीय विधायक का नाम अनिवार्य रूप से अंकित किये जाने की व्यवस्था है, किन्तु आगरा नगर निगम के नगर आयुक्त द्वारा उक्त शासनादेश का अनुपालन हेतु ध्यान आकृष्ट कराने के बावजूद आगरा में नहीं किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार आगरा नगर निगम में उक्त शासनादेश का कड़ाई से अनुपालन करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन "गोपाल जी"-

शासनादेश संख्या-399/नौ-5-16-265सा/16, दिनांक 24-02-2016 के माध्यम से नगर विकास विभाग द्वारा स्वीकृत धनराशि से कराये गये विकास कार्यों से संबंधित शिलालेखों/ पट्टिकाओं में मा0 मुख्य मंत्री जी, मा0 नगर विकास मंत्री तथा मा0 क्षेत्रीय विधायक का नाम अनिवार्य रूप से अंकित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त निर्देशों का अनुपालन नहीं किये जाने की स्थिति संज्ञान में आने पर इस सम्बन्ध में पुनः शासनादेश संख्या-6711/नौ-5-18-524सा/2019, दिनांक 20 जनवरी, 2021 जारी

किया गया है, जिसके माध्यम से समस्त जिलाधिकारी, नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत, उत्तर प्रदेश को निम्नवत् निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। नगर विकास विभाग से संबंधित शासकीय धनराशि से कराये गये विकास कार्यों से संबंधित शिलालेख/पट्टिकाओं में क्रमवार मा0 मुख्य मंत्री जी, मा0 नगर विकास मंत्री, मा0 क्षेत्रीय विधायक एवं तदोपरान्त मा0 महापौर, नगर निगम/मा0 अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत का नाम लिखा जाय तथा मा0 क्षेत्रीय विधायक/मा0 महापौर, नगर निगम के नाम की फॉण्ट साइज समान रखी जाय।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

15-श्री तेजपाल सिंह नागर-

[1-गुरुवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-111 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद लखनऊ के गोमती नगर विस्तार के खरगापुर में आवास संख्या-7/115, गीतापुरी कालोनी से अधूरे मार्ग व कालोनी में स्ट्रीट लाइट व नाली बनवाने विषयक

16-श्री अमन मणि त्रिपाठी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के गोमती नगर विस्तार के खरगापुर की गीतापुरी कालोनी में पुष्पा दूबे के आवास संख्या-7/115 से बिहारी लाल स्कूल के पीछे की बाउन्ड्री तक अधूरी बनी आर0सी0सी0 रोड व कालोनी में स्ट्रीट लाइट व नाली बनवाने विषयक प्रश्नकर्ता का दिनांक 21-10-2020, पत्र उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन "गोपाल जी"-

जी हां। स्थल का सर्वेक्षण किया गया है। प्रश्नगत कार्य हेतु लगभग रु0 5.50 लाख का व्यय अनुमानित है। यह क्षेत्र अनाधिकृत रूप से विकसित है, जिसमें विकास कार्यों का दायित्व सम्बन्धित समितियों/विकासकर्ता का है। नगर निगम द्वारा अपने सीमित वित्तीय संसाधनों से जनहित में अति आवश्यक कार्य कराये जाते हैं। प्रश्नगत कार्य हेतु वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर स्वीकृति उपरान्त कार्य कराया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के निशातगंज में बेनी माधव हरनारायण ज्वैलर्स के बगल में अतिक्रमण हटवाने विषयक

17-श्री अमन मणि त्रिपाठी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर के निशातगंज में बेनी माधव हरनारायण ज्वैलर्स के बगल तीसरी गली में अवैध अतिक्रमण हटाये जाने के बावजूद दबंगों द्वारा पुनः अतिक्रमण किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अतिक्रमण को हटायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन "गोपाल जी"-

जी हाँ।

जी हाँ।

नगर निगम लखनऊ के अतिक्रमण विभाग द्वारा दिनांक 07-02-2021 को अतिक्रमण हटाने का कार्य प्रारम्भ कराया गया था। कुछ अतिक्रमण हटाने के पश्चात् स्थानीय व्यापार मण्डल एवं अत्यधिक जन-विरोध के कारण अतिक्रमण कार्य को स्थगित करना पड़ा। पुनः दिनांक 18-02-2021 को अतिक्रमण हटाने की तिथि निर्धारित करते हुये पुलिस बल की मांग की गयी है। पुलिस बल प्राप्त होने पर अतिक्रमण हटा दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के गोमती नगर विस्तार के खरगापुर में आवास संख्या-7/115, गीतापुरी कालोनी से अधूरे मार्ग व कालोनी में स्ट्रीट लाइट व नाली बनवाने विषयक

18-श्री अमन मणि त्रिपाठी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ मे श्रीमती पुष्पा दूबे निवासी आवास संख्या-7/115, गीतापुरी कालोनी, खरगापुर के आवास से बिहारी लाल स्कूल के पीछे बाउण्ड्री तक आर0सी0सी0 रोड तथा स्ट्रीट लाइट (एल0ई0डी0) का निर्माण कराये जाने विषयक माननीय नेता विरोधी दल, विधान परिषद् का पत्र संख्या-1068/ने0वि0/वि0प0, दिनांक 22-10-2020 का पत्र नगर आयुक्त, लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन "गोपाल जी"-

जी हाँ।

स्थल का सर्वेक्षण किया गया है। प्रश्नगत कार्य हेतु लगभग रु0-5.50 लाख का व्यय अनुमानित है। यह क्षेत्र अनाधिकृत रूप से विकसित है, जिसमें विकास कार्यों का दायित्व सम्बन्धित समितियों/विकासकर्ता का है। नगर निगम द्वारा अपने सीमित वित्तीय संसाधनों से जनहित में अति-आवश्यक कार्य कराये जाते हैं। प्रश्नगत कार्य हेतु वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर स्वीकृति उपरान्त कार्य कराया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा में जाम की समस्या के निवारण हेतु रिंग रोड के प्रस्ताव को स्वीकृत करने सम्बन्धी

19-श्री प्रतीक भूषण सिंह-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोण्डा नगर मुख्यालय पर जाम की समस्या के निराकरण हेतु उक्त क्षेत्र में रिंग रोड का निर्माण कराने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जनपद गोण्डा में नगर मुख्यालय पर जाम की समस्या के निराकरण हेतु राज्य योजना के अन्तर्गत प्रथम चरण में जनपद गोण्डा में लखनऊ-गोण्डा मार्ग से गोण्डा शहर दक्षिण होते हुए गोण्डा-बेलसर मार्ग को जोड़ते हुए अयोध्या-गोण्डा मार्ग तक बाईपास (कुल लम्बाई 24.30 किमी0) का निर्माण कार्य प्रस्तावित किया जा रहा है, जिसकी आंकलित लागत रु0 177.02 करोड़ है। उक्त कार्य की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

20-श्री प्रतीक भूषण सिंह-

[दिनांक 23-02-2021 को अतारांकित प्रश्न संख्या-194 के अन्तर्गत उत्तरित]

जनपद लखनऊ के न्यू हैदरगंज वार्ड तृतीय के अन्तर्गत 50 मीटर जर्जर कच्चे मार्ग की इण्टरलॉकिंग व नाली निर्माण कराने विषयक

21-श्री मोहम्मद मुजतबा सिद्दीकी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर के न्यू हैदरगंज वार्ड तृतीय के अन्तर्गत गोविन्दनगर, नरपतखेड़ा, पारा के मुख्य मार्ग (नाला पुलिया से पहले) से (नरेश सिंह बेकरी वाले) के आवास से मुख्य मार्ग तक लगभग 50 मीटर जर्जर कच्चे मार्ग का इण्टरलॉकिंग एवं नाली निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन "गोपाल जी"-

जी नहीं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्नगत स्थल पर सड़क व नाली निर्माण कार्य कराये जाने हेतु रु0 9.89 लाख का व्यय सम्भावित है। जनहित में नगर निगम द्वारा समय-समय पर धन उपलब्धता के आधार पर कार्य कराये जाते हैं। वर्तमान समय में नगर निगम की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण कार्य कराया जाना प्रस्तावित नहीं है।

प्रदेश में पैक्स फेड द्वारा निर्मित (आई0टी0आई0 फरीदपुर जनपद बरेली) अधोमानक व घटिया भवनों की जांच कराये जाने विषयक

22-डा0 श्याम बिहारी लाल-

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आई0टी0आई0 फरीदपुर, जनपद बरेली के भवन का निर्माण पैक्स फेड द्वारा मानकानुरूप नहीं कराये जाने के कारण लगभग सात वर्षों में ही खस्ता हालत हो गया है ? यदि हाँ, तो क्या पैक्स फेड द्वारा बनवाये गये मानकाहीन एवं घटिया निर्माण की जाँच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुकुट बिहारी वर्मा-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में फरीदपुर से भुता व फतेहगंज पूर्वी से दातागंज (बदायूं) के जर्जर मार्गों का पुनर्निर्माण कराये जाने विषयक

23-डा0 श्याम बिहारी लाल-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फरीदपुर बरेली से भुता एवं फतेहगंज पूर्वी से दातागंज (बदायूं) तक के जर्जर मार्गों का पुनर्निर्माण कराने की सरकार की योजना है ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

फरीदपुर बरेली से भुता मार्ग (फरीदपुर बीसलपुर मार्ग से भुता मार्ग) (अ0जि0मा0) की कुल लम्बाई 14.00 कि0मी0 है, जिसमें से 8.500 किमी0 लम्बाई में वर्ष 2018-19 में एक कोट मोडिफाइड डब्लू0एम0एम0 (ई0टी0ए0) के साथ नवीनीकरण कार्य कराया जा चुका है, जिसकी सतह संतोषजनक है तथा शेष लम्बाई 5.500 किमी0 क्षतिग्रस्त है, जिसका विशेष मरम्मत के साथ नवीनीकरण कार्य कराया जाना है।

फतेहगंज दातागंज मार्ग (अ0जि0मा0) बेला डांडी पुल तक (बदायूं) मार्ग की लम्बाई 14.500 कि0मी0 है, जिसकी वर्तमान चौड़ाई 3.00/3.75 मी0 है। इस मार्ग पर पी0सी0यू0 9055 है। उक्त मार्ग 7.00 मी0 चौड़ाई में चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु योग्य है।

उक्त दोनों कार्यों की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश भूमि विकास बैंक के बकायेदारों को ऋण अदायगी हेतु ब्याज में राहत दिये जाने हेतु योजना बनाने विषयक

24-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश भूमि विकास बैंक के बकायेदारों को ऋण अदायगी हेतु ब्याज की धनराशि मे राहत प्रदान करते हुए किस्तों में ऋण अदायगी की सुविधा उपलब्ध कराने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुकुट बिहारी वर्मा-

जी नहीं।

उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लिमिटेड (भूमि विकास बैंक) द्वारा वितरित ऋणों की अदायगी हेतु किस्तों का निर्धारण करते हुए ऋण की अदायगी की सुविधा प्रदान की जाती है एवं समय से ऋण की अदायगी करने पर 01 प्रतिशत तक ब्याज में राहत भी प्रदान की जाती है। यदि ऋणी सदस्य किस्तों की समय से अदायगी नहीं करते हैं, तो वह बकायेदार की श्रेणी में आच्छादित हो जाते हैं। ऐसे बकायेदार कृषकों को ब्याज में राहत प्रदान करने हेतु समय-समय पर शासन द्वारा बैंक में "एक मुश्त समाधान योजना" लाकर उन्हें राहत पहुँचाने का कार्य किया जाता है।

शासन द्वारा वर्तमान में ''एक मुश्त'' समाधान योजना-2018 को पुनः दिनांक 01-12-2020 से दिनांक 31-03-2021 तक के लिये विस्तारित किया गया है जिसमें एक मुश्त अदायगी करने पर ही ब्याज में राहत प्रदान की जाती है।

जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रुधौली अन्तर्गत अधिसूचना दिनांक 05-12-2019 के माध्यम से गठित नगर पंचायत, भानपुर के वासियों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने हेतु धनराशि का आवंटन कराने विषयक

25-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रुधौली अन्तर्गत अधिसूचना सं0-2039/9-1-2019-402 सा/19, दिनांक 5 दिसम्बर, 2019 के माध्यम से नगर पंचायत, भानपुर, बस्ती का गठन शासन द्वारा किया गया है ? यदि हाँ, तो नगर पंचायत, भानपुर के सृजन के उपरान्त इसके सीमा में आने वाले समस्त ग्राम पंचायतों का अस्तित्व समाप्त हो गया है ? क्या सरकार बतायेगी कि नवसृजित नगर पंचायत भानपुर को वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 मे राज्य वित्त आयोग से धनराशि का आवंटन नहीं किये जाने के कारण नवसृजित नगर पंचायत भानपुर के नगरवासियों को नगर पंचायत की मूलभूत सुविधा नहीं उपलब्ध हो पा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार नवसृजित नगर पंचायत भानपुर के नगरवासियों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य वित्त आयोग की धनराशि का आवंटन करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन "गोपाल जी"-

जी हाँ, अधिसूचना संख्या-2039/9-1-2019-402सा/13, दिनांक 5 दिसम्बर, 2019 के माध्यम से नगर पंचायत, भानपुर, बस्ती का गठन शासन द्वारा किया गया है।

जी हाँ, नवसृजित नगर पंचायत, भानपुर को वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य वित्त आयोग से धनराशि प्राप्त हो रही है, जिससे नगरवासियों को यथोचित मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करायी जा रही हैं।

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा अन्तर्गत मटिहा मोड़ से बढ़ैया कला तक 9 किलोमीटर सड़क की मरम्मत कराने विषयक

26-श्रीमती सरोज सोनकर-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा के अन्तर्गत मटिहा मोड़ से बढ़ैया कला तक लम्बाई लगभग 9 किलोमीटर रोड का मरम्मत कार्य सरकार कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा के अन्तर्गत मटिहा मोड़ से बढ़ैया कला तक मार्ग की लम्बाई 11.00 किमी0 है, जिसमें गड्ढामुक्ति के अन्तर्गत मार्ग के मरम्मत का कार्य पूर्ण कर दिया गया है। वर्तमान में मार्ग आवागमन हेतु उपयुक्त है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा अन्तर्गत गायघाट से ग्राम सभा बगहा तक 3 किलोमीटर सड़क की मरम्मत कराने हेतु

27-श्रीमती सरोज सोनकर-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा के अन्तर्गत गायघाट से ग्राम सभा बगहा तक लम्बाई लगभग 3 किलोमीटर रोड का मरम्मत कार्य सरकार कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

गायघाट से ग्राम सभा बगहा तक सम्पर्क मार्ग की कुल लम्बाई 2.65 किमी0 है। वर्तमान में मार्ग गड्ढामुक्त है। मार्ग के आंशिक आबादी भाग में बिटुमिन्स सतह में पैच हो गये थे, जिनकी पैच मरम्मत का कार्य करा दिया गया है तथा मार्ग आवागमन हेतु उपयुक्त है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

28-श्रीमती सरोज सोनकर-

[दिनांक 23-02-2021 को अतारांकित प्रश्न संख्या-191 के अन्तर्गत उत्तरित]

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा अन्तर्गत कुड़वा मोड़ से कुड़वा गांव तक 1 किलोमीटर सड़क की मरम्मत कराने हेतु

29-श्रीमती सरोज सोनकर

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा के अन्तर्गत कुडवा मोड़ से कुड़वा गाँव तक लम्बाई लगभग 1 किलोमीटर जर्जर रोड का मरम्मत कार्य सरकार कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा के अन्तर्गत कुड़वा मोड़ से कुड़वा गाँव तक लम्बाई 2.00 किमी0 मार्ग के पैच मरम्मत का कार्य माह दिसम्बर, 2020 में पूर्ण करा दिया गया है। वर्तमान में मार्ग आवागमन हेतु उपयुक्त है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा अन्तर्गत शाहपुर कला से ग्राम अड़गोड़वा तक 2 किलोमीटर सड़क की मरम्मत कराने हेतु

30-श्रीमती सरोज सोनकर-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा के अन्तर्गत शाहपुर कला से ग्राम सभा अड़गोड़वा तक लम्बाई लगभग 2 किलोमीटर रोड का मरम्मत कार्य सरकार कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा के अन्तर्गत शाहपुर कला, लगदिहा पक्के सम्पर्क मार्ग पर स्थित है, शाहपुर कला से ग्राम सभा अड़गोड़वा तक लम्बाई 2.00 किमी0 है, जिसके संरेखण में 1.00 किमी0 लेपित मार्ग लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व में है। लेपित सतह पर पैच मरम्मत का कार्य पूर्ण है। वर्तमान में मार्ग यातायात के आवागमन हेतु उपयुक्त है।

शेष 1.00 किमी0 का भाग जिला पंचायत के स्वामित्व का खड़न्जा मार्ग है, जो क्षतिग्रस्त है। मार्ग के इस भाग पर मरम्मत/डामरीकरण की आवश्यकता है। जिला पंचायत बोर्ड का कार्यकाल दिनांक 14-01-2021 को समाप्त हो जाने से वर्तमान में बोर्ड गठित नहीं है। सामान्य पंचायत निर्वाचन, 2021 की प्रक्रिया पूर्ण होने पर जिला पंचायत बोर्ड के गठन के पश्चात् शेष भाग पर मरम्मत/डामरीकरण कराये जाने विषयक प्रस्ताव सदन के विचारार्थ रखा जायेगा। सदन से अनुमोदन प्राप्त होने पर अग्रतर कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में चकगंजरिया कैंसर इंस्टीट्यूट, लखनऊ में चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती व मरीजों का उपचार एवं भर्ती शुरू करने विषयक

31-श्री संजय गर्ग-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चकगंजरिया कैंसर इंस्टीट्यूट, लखनऊ का भवन बनकर तैयार हो गया है एवं चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती कर

चिकित्सकीय उपकरण स्थापित कर दिये गये हैं ? यदि हां, तो उक्त संस्थान में मरीजों का उपचार एवं भर्ती शुरू हो गयी है ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जी हाँ, ओ0पी0डी0 भवन (54 शैय्या क्षमता एवं एक आपरेशन थिएटर) बनकर तैयार हो गया है एवं चिकित्सा, पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती कर दी गयी है। 54 शैय्या क्षमता एवं एक आपरेशन थिएटर के लिए उपयुक्त चिकित्सकीय उपकरण स्थापित कर दिये गये हैं।

ओ0पी0डी0 परामर्श अप्रैल, 2017 से शुरू की जा चुकी है।

रेडियोथेरेपी की सेवायें मरीजों के उपचार हेतु दिनांक 13 अप्रैल, 2020 से शुरू की जा चुकी हैं।

दिनांक 31 अगस्त, 2020 से ओ0टी0/ओ0पी0डी0 सेवायें शुरू की जा चुकी हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बरेली की विधान सभा क्षेत्र फरीदपुर के कुआडांडा विकास खण्ड के अन्तर्गत बिलौआ से कल्याणपुर मार्ग पर स्थित गोहनिया नाले पर पुलिया का निर्माण कराने विषयक

32-डा0 श्याम बिहारी लाल-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बरेली जनपद की फरीदुपर विधान सभा क्षेत्र के कुआडांडा विकास खण्ड के अन्तर्गत बिलौआ से कल्याणपुर मार्ग पर स्थित गोहनिया नाले पर पुलिया का निर्माण न कराये जाने से क्षेत्रवासियों के आवागमन में परेशानी होती है ? यदि हाँ, तो उक्त पुलिया का निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जनपद बरेली की फरीदपुर विधान सभा क्षेत्र के कुआडांडा विकास खण्ड के अन्तर्गत ग्राम बिलौआ से ग्राम कल्याणपुर के मध्य मार्ग को गोहनिया नाला क्रास करता है। गोहनिया नाला पर 3X6 मी0 दर व्यवस्था की आर0सी0सी0 पुलिया एवं 3.020 कि0मी0 पहुंच मार्ग निर्माण की आवश्यकता है, जिसमें 1.290 कि0मी0 लम्बाई खड़ंजा स्तर का है, जिसका स्वामित्व जिला पंचायत का है तथा 1.730 किमी0 लम्बाई शून्य स्तर की है, जिसका स्वामित्व ग्राम पंचायत का है। उक्त संबंधित विभागों से मार्ग निर्माण हेतु अनापत्ति प्राप्त कर ली गयी है, जिसके निर्माण हेतु लागत रु0 399.72 लाख आंकलित की गयी है, जिसकी स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद आजमगढ़ में पैरा मेडिकल कालेज की स्थापना करने हेतु

33-श्री आजाद अरिमर्दन-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ में पैरा मेडिकल कालेज के लिए जमीन क्रय करने के बावजूद इसके निर्माण कार्य की कार्यवाही लम्बित है ? यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ? क्या सरकार जनहित में उक्त हेतु कार्यवाही सुनिश्चित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जी हां। कार्यदायी संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गये आगणन रु0 28317.95 लाख के सापेक्ष संशोधित आगणन एवं प्रस्ताव उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है। कार्यदायी संस्था के स्तर पर संशोधित आगणन तैयार किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद लखनऊ के शहीद भगत सिंह वार्ड के जोन-7 के अन्तर्गत राजनगर कालोनी, कंचनपुर, मटियारी, देवा रोड, चिनहट में जलभराव की समस्या का निराकरण हेतु सीवर लाइन का कार्य कराने विषयक

34-श्री अमन मणि त्रिपाठी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के शहीद भगत सिंह वार्ड के जोन-7 के अन्तर्गत राजनगर कालोनी, कंचनपुर, मटियारी, देवा रोड (एस्सार पेट्रोल पंप के पीछे) चिनहट में जलभराव की समस्या के निराकरण हेतु सीवर लाइन का कार्य सरकार करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन "गोपाल जी"-

जी हाँ।

जनपद लखनऊ के शहीद भगत सिंह वार्ड के जोन-7 के अन्तर्गत राजनगर कालोनी, कंचनपुर, मटियारी, देवा रोड (एस्सार पेट्रोल पंप के पीछे) लखनऊ सीवरेज डिस्ट्रिक्ट-3 पार्ट-2 के अन्तर्गत आता है। इस क्षेत्र में सीवर गृह संयोजन हेतु संतृप्तीकरण का प्राक्कलन अनुमानित लागत रु0 50.00 करोड़ विरचित किया जा रहा है। उक्त प्राक्कलन की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

लोक निर्माण विभाग में वर्क चार्ज/दैनिक वेतन कर्मियों की सेवा वृद्धि व पेंशन लाभ से सम्बन्धित उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 02-09-2019 के अनुपालन का विवरण विषयक

35-श्री अमन मणि त्रिपाठी-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लोक निर्माण विकास में वर्क चार्ज/दैनिक वेतन कर्मचारियों के सेवा वृद्धि व पेंशन लाभ से सम्बन्धित मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील नंबर-6799-6803/2019 में पारित आदेश दिनांक 02-09-2020 का अनुपालन कर दिया गया है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी नहीं।

आदेश दिनांक 02-09-2020 का नहीं, अपितु दिनांक 02.09.2019 का है।

प्रश्न नहीं उठता।

अधिसूचना दिनांक 21-10-2020 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा तथा विधिमान्यकरण अध्यादेश, 2020 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-19 सन 2020) लागू है।

जनपद लखनऊ के शहीद भगत सिंह वार्ड के जोन-7 के अन्तर्गत राजनगर कालोनी, कंचनपुर, मटियारी, चिनहट में सड़क निर्माण कराने विषयक

36-श्री अमन मणि त्रिपाठी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के शहीद भगत सिंह वार्ड के जोन-7 के अन्तर्गत राजनगर कॉलोनी, कंचनपुर, मटियारी, देवा रोड (एस्सार पेट्रोल पंप के पीछे) चिनहट में सड़क का निर्माण कार्य सरकार करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन "गोपाल जी"-

राजनगर कालोनी प्राइवेट कालोनाइजर्स/सोसायटीज द्वारा अनियोजित ढंग से बसायी गयी कालोनी है, जिसका कोई भी तलपट/भू-विन्यास मानचित्र विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित नहीं है और न ही कोई विकास शुल्क जमा किया गया है। यहाँ पर विकास कार्य का मूल दायित्व सम्बन्धित समिति/विकासकर्ता/लखनऊ विकास प्राधिकरण (विकास शुल्क जमा होने की स्थिति में) का है। नगर निगम द्वारा मूलतः विद्यमान विकास कार्यों का अनुरक्षण ही किया जाता है। प्रश्नगत क्षेत्र नगर निगम सीमा में है। जनहित में समय-समय पर धन उपलब्धता के आधार पर विकास कार्य कराये जाते हैं। प्रश्नगत स्थल पर निर्माण कार्य हेतु लगभग रु0 100.00 लाख का व्यय संभावित हैं। सीमित वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत वर्तमान में सड़क निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में नगर निगम लखनऊ अन्तर्गत महानगर विस्तार स्थित पार्क जे-1 के पास सफाई रखने हेतु व डेरी संचालन बंद कराने के निर्देश दिये जाने विषयक

37-श्री विरेन्द्र यादव-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर निगम लखनऊ अन्तर्गत महानगर विस्तार स्थित पार्क जे-7 के आस-पास व भवन संख्या सी-38 से सी-43 तक गन्दगी सफाई सरकार हेतु कोई सफाई कर्मी नहीं आता है ? क्या सरकार को जानकारी है कि उक्त क्षेत्र में अवैध डेरी का संचालन हो रहा है, जिससे जानवर सड़कों पर गन्दगी फैलाये रहते हैं ? यदि हाँ, तो क्या सरकार डेरी संचालन बन्द कराने व सफाई की व्यवस्था कराने का निर्देश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन "गोपाल जी"-

जी नहीं।

जी हाँ।

प्रश्नगत स्थल पर संचालित अवैध दूध डेयरी को विशेष अभियान चलाकर दिनांक 22-01-2021 को हटा दिया गया है। पशुपालक द्वारा दूध डेयरी पुनः पुनस्थापित न करने पाये इस हेतु थानाध्यक्ष, थाना-महानगर, लखनऊ को पत्र द्वारा उन्हें सूचित कर दिया गया है। प्रश्नगत स्थल पर व्याप्त गन्दगी एवं कूड़ा आदि को उठवा कर सफाई करा दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद बलिया के तहसील बिल्थरा रोड अन्तर्गत अखोप से निकली नहर पर मार्ग की मरम्मत कराने विषयक

38-श्री वीरेन्द्र यादव-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया की तहसील-बिल्थरा रोड अन्तर्गत अखोप से निकली नहर जो ग्राम सभा तरछापार कुण्डैल तक जाती है, की पिच स्तर तक बनी पट्टी टूट गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त का लेपन स्तर तक सड़क बनवायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी नहीं।

मार्ग की कुल लम्बाई 4.00 कि0मी0 है। यह ग्रामीण श्रेणी का मार्ग है। मार्ग यातायात के आवागमन हेतु उपयुक्त है। मार्ग की क्षतिग्रस्त पटरी की मरम्मत का कार्य करा दिया गया है।

मार्ग पूर्व से ही लेपन स्तर तक निर्मित है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बलिया के तहसील बिल्थरा रोड अन्तर्गत सोनाडीह से मार्ग की मरम्मत कराने विषयक

39-श्री वीरेन्द्र यादव-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के तहसील बिल्थरा रोड अन्तर्गत सोनाडीह रोड से निकली नहर जो छोटका बहोरवां तक जाती है, की पिच स्तर तक बनी पटरी टूटी गयी है ? क्या सरकार उक्त सड़क को बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों।

(श्री केशव प्रसाद मौर्य)-

जी नहीं।

मार्ग की कुल लम्बाई 1.00 कि0मी0 है। यह ग्रामीण श्रेणी का मार्ग है। मार्ग यातायात के आवागमन हेतु उपयुक्त है। मार्ग की क्षतिग्रस्त पटरी की मरम्मत का कार्य करा दिया गया है।

मार्ग पूर्व से ही लेपन स्तर तक निर्मित है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

नगर निगम लखनऊ अन्तर्गत आवास संख्या-922, आशीर्वाद सेक्टर-3, एल्डिको कालोनी (साउथ सिटी), लखनऊ के सामने मार्ग की मरम्मत कराने विषयक

40-श्री वीरेन्द्र कुमार यादव-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर निगम लखनऊ अन्तर्गत आवास संख्या-922, आशीर्वाद सेक्टर-3, एल्डिको कालोनी (साउथ सिटी), लखनऊ के सामने की सड़क टूटी होने से स्थानीय लोगों को आने-जाने में परेशानी होती है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त सड़क का निर्माण करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन "गोपाल जी"-

जी हाँ।

प्रश्नगत स्थल का निरीक्षण किया गया तथा निरीक्षणोपरान्त सड़क क्षतिग्रस्त पायी गयी। सड़क के निर्माण/सुधार हेतु लगभग रु0 16.97 लाख का व्यय अनुमानित है। नगर निगम द्वारा सीमित संसाधनों से समय-समय पर जनहित में कार्य कराये जाते हैं। वर्तमान समय में

नगर निगम की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है। उक्त कार्य मा0 कार्यकारिणी की स्वीकृति एवं धन उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद में निर्माणाधीन मेडिकल कालेज परिसर में पूर्व निर्धारित अस्पताल के अधूरे निर्मित भवन में कैंसर यूनिट स्थापना विषयक

41-श्री मनीष असीजा-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद में निर्माणाधीन मेडिकल कालेज परिसर में पूर्व निर्धारित 200 बेड अस्पताल के अधूरे निर्मित भवन में अन्य आवश्यक प्रावधान करते हुये एक कैंसर अस्पताल यूनिट स्थापना के सम्बन्ध में उप सचिव, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश को प्रेषित पत्र संख्या-750/71-3-18-30/2018, दिनांक 31/12/2018 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

केन्द्र सहायतित योजना (फेज-1) के अन्तर्गत भारत सरकार की गाइडलाइन एवं एम0सी0आई0/एन0एम0सी0 मानकों के अनुसार मेडिकल कालेज से सम्बद्ध जिला चिकित्सालय में ही 300 बेडेड संचालित है एवं 200 बेडेड अस्पताल निर्माणाधीन है। भारत सरकार के निर्देशानुसार प्रायोजना से सम्बन्धित डी0पी0आर0 पर भारत सरकार की इम्पावर्ड कमेटी द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है, जिसमें पृथक से कैंसर अस्पताल यूनिट स्थापना का प्राविधान नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद फिरोजाबाद में स्थित स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय में ओ0पी0डी0 ब्लाक की स्थापना कराने विषयक

42-श्री मनीष असीजा-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद में स्थित स्वाशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय में ओ0पी0डी0 ब्लाक की स्थापना कराये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

केन्द्र सहायतित योजना (फेज-1) के अन्तर्गत भारत सरकार की गाइड लाइन्स एवं एम0सी0आई0/एन0एम0सी0 मानकों के अनुसार स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय,

फिरोजाबाद से सम्बद्ध चिकित्सालय में 300 बेडेड अस्पताल संचालित एवं 200 बेडेड अस्पताल निर्माणाधीन है। उक्त प्रायोजना की डी0पी0आर0 पर भारत सरकार की इम्पावर्ड कमेटी द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है, जिसमें पृथक ओ0पी0डी0 ब्लॉक की स्थापना का प्राविधान नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद फिरोजाबाद में स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय में बहुमंजिला भवन का निर्माण करा रोगियों के रजिस्ट्रेशन/दवा वितरण, कान्फ्रेंस रूम जैसी गतिविधियां एक छत के नीचे संचालित कराये जाने पर विचार विषयक

43-श्री मनीष असीजा-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद में स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय में एक बहुमंजिला (3 मंजिल) भवन का निर्माण कराते हुये रोगियों के रजिस्ट्रेशन/दवा वितरण, कान्फ्रेंस रूम एवं आयुष्मान भारत के सेटअप जैसी गतिविधियाँ एक छत के नीचे संचालित कराये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

केन्द्र सहायतित योजना (फेज-1) के अन्तर्गत भारत सरकार की गाइड लाइन्स एवं एम0सी0आई0/एन0एम0सी0 मानकों के अनुसार स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, फिरोजाबाद से सम्बद्ध चिकित्सालय में 300 बेडेड अस्पताल संचालित एवं 200 बेडेड अस्पताल निर्माणाधीन है। स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, फिरोजाबाद में पृथक से बहुमंजिला (3 मंजिल) भवन का निर्माण प्रस्तावित नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद फिरोजाबाद में स्थित स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय में सीवर प्लांट के निर्माण कार्य के सम्बन्ध में प्रधानाचार्य, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय फिरोजाबाद का प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को प्रेषित पत्रांक एफ0जेड0डी0/ 2019/1299 दिनांक 11/12/2019 पर कार्यवाही विषयक

44-श्री मनीष असीजा-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद में स्थित स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय में सीवर प्लांट के निर्माण कार्य के सम्बन्ध में प्रधानाचार्य, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय फिरोजाबाद का प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को प्रेषित पत्रांक एफ0जेड0डी0/2019/1299 दिनांक 11/12/2019 प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, फिरोजाबाद में सीवर प्लांट के निर्माण कार्य हेतु शासनादेश दिनांक 24-01-2020 द्वारा उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है। उपरोक्तानुसार।

जनपद बस्ती की नवगठित नगर पंचायत भानपुर को राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत वित्त वर्ष 2020-2021 हेतु धनावंटन के सम्बन्ध में

45-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती की नवगठित नगर पंचायत भानपुर को वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत धनराशि आवण्टन हेतु निदेशालय के पत्र संख्या-6/2004/141(1)-नौवा सू0 निकाय/2019-20 दिनांक 1 अप्रैल 2020 के माध्यम से खाता खुलवाने व खाता नम्बर की मांग पर नवसृजित नगर पंचायत भानपुर का खाता नम्बर निदेशालय को उपलब्ध कराया गया है? यदि हां, तो क्या सरकार 15वें वित्त आयोग के अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए धन आवंटित करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन "गोपाल जी"-

जी, हाँ।

जी, हाँ।

15वें वित्त आयोग के अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए नगरीय निकाय निदेशालय द्वारा पत्र दिनांक 29 मई, 2020 को धनराशि रु0 83,21,865/- एवं दिनांक 12 नवम्बर, 2020 को धनराशि रु0 83,21,865/- की दो किश्तों में उपलब्ध करा दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती में धार्मिक स्थल बाबा भद्धेश्वर नाथ मंदिर से पहुंच मार्गों का चौड़ीकरण/ उच्चीकरण/नवनिर्माण कराने विषयक पत्र पर कार्रवाई के सम्बन्ध में

46- श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का मुख्य मंत्री को सम्बोधित पत्र दिनांक 08/10/2020 जो जनपद बस्ती में धार्मिक स्थल बाबा भद्धेश्वर नाथ मंदिर से पहुंच मार्गों का चौड़ीकरण/उच्चीकरण व नवनिर्माण के कार्य कराये जाने विषयक है, मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी हाँ।

प्रश्नगत मार्ग जिला पंचायत बस्ती के स्वामित्व में था, जिसे जिला पंचायत बस्ती से लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व में स्थानान्तरित कराकर आगणन गठन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। उक्त कार्य की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रूधौली ग्राम पंचायत तेनुआ असनहरा से जनपद अयोध्या धाम तक सम्पर्क मार्ग को हाई-वे में विकसित किये जाने के सम्बन्ध में

47-श्री संजय प्रताप जायसवाल -

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का मुख्य मंत्री को सम्बोधित पत्र दिनांक 08/10/2020 जो जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र-309, रुधौली के ग्राम पंचायत तेनुआ असनहरा से जनपद अयोध्या धाम को जोड़ने वाले सम्पर्क मार्ग लम्बाई 55.00 कि0मी0 को स्टेट हाई-वे में विकसित किये जाने विषयक है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी हां।

प्रश्नगत मार्ग को राज्य मार्ग घोषित करने हेतु भूमि की उपलब्धता का परीक्षण किया जा रहा है।

जनपद लखनऊ के गोविन्द नगर पारा स्थित मुख्य मार्ग से रामनरेश सिंह के आवास तक 50 मीटर इंटरलॉकिंग व नाली निर्माण कराने विषयक

48-श्री राम अचल राजभर-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मा0 श्रम एवं सेवायोजना मंत्री का पत्र सं0-2996/वी0आई0पी0/श्रम एवं सेवा0, सम0/2020 दिनांक 26-08-2020 नगर आयुक्त, लखनऊ को सम्बोधित संलग्नकों सहित पत्र जो कि जनपद लखनऊ के गोविन्द नगर पारा स्थित मुख्य मार्ग (नाला पुलिया से पहले) से रामनरेश सिंह (बेकरी वाले) के आवास तक लगभग 50 मी0 तक इण्टरलॉकिंग एवं नाली निर्माण कराये जाने विषयक है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त प्रकरण में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन "गोपाल जी"-

जी हाँ।

प्रश्नगत स्थल पर सड़क व नाली निर्माण कार्य कराये जाने हेतु रु0 9.89 लाख का व्यय सम्भावित है। जनहित में नगर निगम द्वारा धन उपलब्धता के आधार पर समय-समय पर कार्य कराये जाते हैं। वर्तमान समय में नगर निगम की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण कार्य कराया जाना सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

स्टाम्प व रजिस्ट्रेशन विभाग के प्रस्तावित नियमावली में उप निबन्धक पद पर पदोन्नति कोटा प्रदेश के अन्य विभागों के तर्ज पर विधि स्नातक कार्मिकों को पदोन्नति में आरक्षण प्रदान करने विषयक

49-श्रीमती बन्दना सिंह-

क्या स्टाम्प एव निबन्धन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग के समूह क एवं ख कार्मिकों की नियमावली जो मुख्य मंत्री द्वारा अनुमोदित है, का प्रख्यापन कर लिया गया है ? यदि हां, तो कब से ? क्या सरकार उक्त नियमावली के क्रम में उप निबन्धक के पद पर पदोन्नति कोटा 50 प्रतिशत करते हुए विधि स्नातक कार्मिकों को पदोन्नति में आरक्षण प्रदान करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क, पंजीयन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री रविन्द्र जायसवाल)-

विधान सभा के प्रथम सत्र 2021 के प्रथम बुद्धवार हेतु निर्धारित श्रीमती बन्दना सिंह, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-49 का बिन्दुवार उत्तर

प्रश्न	उत्तर
49-क्या स्टाम्प एवं निबन्धन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग के समूह क एवं ख कार्मिकों की नियमावली जो मुख्य मंत्री द्वारा अनुमोदित है, का प्रख्यापन कर लिया गया है ?	जी नहीं।
यदि हां, तो कब से ?	प्रश्न ही नहीं उठता।
क्या सरकार उक्त नियमावली के क्रम में उप निबन्धक के पद पर पदोन्नति कोटा 50 प्रतिशत करते हुए विधि स्नातक कार्मिकों को पदोन्नति में आरक्षण प्रदान करेगी ?	प्रश्न ही नहीं उठता।
यदि नहीं, तो क्यों ?	प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र सगड़ी ब्लाक हरैया में चांदपट्टी से रौनापार मुख्य मार्ग की मरम्मत व नवीनीकरण कराने विषयक

50-श्रीमती बन्दना सिंह-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र सगड़ी के अन्तर्गत ब्लाक हरैया में चांदपट्टी से रौनापार मुख्य सड़क मार्ग क्षतिग्रस्त हो जाने से आम जनता को आवागमन में परेशानी हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मुख्य मार्ग की मरम्मत व नवीनीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जनपद आजमगढ़ में चॉदपट्टी से रौनापार मार्ग प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत अनुरक्षणाधीन है। भारी वाहन एवं अत्यधिक यातायात बढ़ जाने के कारण मार्ग अत्यधिक क्षतिग्रस्त हो गया है तथा सीमित संसाधनों द्वारा यातायात आवागमन सुनिश्चित किया

जा रहा है। मार्ग पी0एम0जी0एस0 वाई0 योजनान्तर्गत अनुरक्षण के अधीन होने के कारण लोक निर्माण विभाग द्वारा इसकी मरम्मत व नवीनीकरण का कार्य मार्ग को लोक निर्माण विभाग के संबंधित खण्ड को हस्तांतरण के पश्चात् सम्भव हो सकेगा। मार्ग को लोक निर्माण विभाग के संबंधित खण्ड को हस्तान्तरण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

51-श्रीमती बन्दना सिंह-

[दिनांक 23-02-2021 को अतारांकित प्रश्न संख्या-198 के अन्तर्गत उत्तरित]

अधिशासी अभियन्ता, जोन-6, लखनऊ विकास प्राधिकरण के पत्र दिनांक 03-12-2018 द्वारा मशकगंज वजीरगंज वार्ड में भवन निर्माण में नियमों/मानकों की अवहेलना के सम्बन्ध में

52-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अधिशासी अभियन्ता, जोन-6,लखनऊ विकास प्राधिकरण के पत्रांक-1443/एए-6/18-19 दिनांक 03-12-2018 द्वारा मशकगंज वजीरगंज वार्ड स्थित भवन संख्या-192/15 तथा 182/120क में निर्मित दो भवनों के निर्माण में निर्धारित मानकों व नियमों की अवहेलना तथा कार्यवाही की सूचना दी गयी है ? यदि हां, तो उक्त पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हाँ।

सु0 सायरा पुत्री फरूखनीशा द्वारा भवन सं0 192/15, न्यू बस्ती मशकगंज, वजीरगंज, लखनऊ में जी +3 आवासीय भवन निर्मित है। श्रीमती भगवान कुमारी तथा वाहिद अली द्वारा भवन सं0 182/120, न्यू बस्ती मशकगंज में जी +2 भवन निर्मित है, जिसमें भूतल पर 02 दुकानें हैं। उक्त भवन संख्या-192/15 तथा 182/120क का निरीक्षण कर नियमानुसार न पाये जाने पर अवैध निर्माण के विरुद्ध उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 यथासंशोधित-1997 की सुसंगत धारा-27 (1) के अन्तर्गत कार्यवाही न्यायालय विहित प्राधिकारी, लखनऊ विकास प्राधिकरण के न्यायालय में क्रमशः वाद सं0-251/17 व 252/17 योजित करते हुए दिनांक 09-01-2018 को विहित प्राधिकारी न्यायालय द्वारा ध्वस्तीकरण आदेश पारित किया जा चुका है, जिसके क्रियान्वयन की अग्रिम प्रक्रिया में प्रश्नगत भवनों के विद्युत विच्छेदन हेतु प्राधिकरण के पत्र संख्या-1339, 1340 व 1341/ए0ए0-6/2020 दिनांक 06-07-2020 अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, रेजीडेन्सी, वजीरगंज, लखनऊ को प्रेषित किया गया। प्राधिकरण के अनुस्मारक पत्र संख्या-1861, 1862 व 1863/ए0ए0-6(पी)/20 दिनांक 11-12-2020 अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड, रेजीडेन्सी, वजीरगंज, लखनऊ को प्रेषित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

कुर्सी रजबहा नहर के समानान्तर कुम्हरांवा-बाबागंज लिंक मार्ग तक सड़क निर्माण, पैचिंग व मरम्मत कार्य में उक्त लिंक मार्ग से ग्राम गोधना चौराहा बिहारी पुरवा विख बख्शी का तालाब, लखनऊ तक छूटे मार्ग की पैचिंग मरम्मत व निर्माण विषयक

53-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कुर्सी रजबहा नहर के समानान्तर कुम्हरांवा बाबागंज लिंक मार्ग तक सड़क निर्माण पेचिंग व मरम्मत कार्य में उक्त लिंक मार्ग से ग्राम गोधना चौराहा बिहारी पुरवा विकास खण्ड बख्शी का तालाब, लखनऊ तक छूटे हुये मार्ग की पेचिंग मरम्मत व निर्माण विषयक आईजीआरएस संख्या-4001572000802 दिनांक 14-02-2020 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी नहीं। प्रश्न में उल्लिखित आईजीआरएस संख्या त्रुटिपूर्ण है। गोधना नहर कुर्सी ओ0डी0आर0 श्रेणी का मार्ग है। जिसकी कुल लम्बाई 10.275 कि0मी0 है। उक्त मार्ग बिहारीपुरवा से निकलकर बी0के0टी0-कुम्हरावां-बाबागंज मार्ग (प्र0जि0मार्ग 90सी) के चैनेज 28.700 पर पार करती हुई इटौंजा महोना-कुम्हरावां-कुर्सी-देवा-चिनहट मार्ग (प्र0जि0मार्ग 88सी) के कि0मी0-16 में मिलती है। मार्ग के 9.875 कि0मी0 लम्बाई में मार्ग की स्थिति संतोषजनक तथा यातायात के योग्य है एवं मार्ग के कि0मी0-1 में चैनेज 0.000 से 0.400 तक के भाग की लम्बाई 400 मी0 में मार्ग पर पी0सी0 का सर्फेस क्षतिग्रस्त हो गया है मार्ग के इस भाग पर पाट होल्स नहीं है तथा यातायात का संचालन सुचारू रूप से हो रहा है। मार्ग की कुल लम्बाई 10.275 कि0मी0 का नवीनीकरण वर्ष 2021-22 की कार्य योजना में प्रस्तावित है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

नगर निगम, लखनऊ के लाला लाजपत राय वार्ड के अन्तर्गत सबौली सेक्टर सी में क्षतिग्रस्त मार्ग व गड्ढों की मरम्मत हेतु आई0जी0आर0एस0 संख्या-4001572000802, दिनांक 18-03-2020 पर कार्यवाही विषयक

54-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या नगर विकास बताने की कृपा करेंगे कि नगर निगम लखनऊ के लाल लाजपत राय वार्ड के अन्तर्गत सबौली सेक्टर-सी में भवन संख्या-652/86 से राजीव प्रोविजन स्टोर तक क्षतिग्रस्त मार्ग व गड्ढों की मरम्मत हेतु आई0जी0आर0एस0 संख्या-4001570015442 दिनांक 18-03-2020 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन "गोपाल जी"-

जी हाँ।

नगर निगम, लखनऊ द्वारा लाला लाजपत राय वार्ड के अन्तर्गत सबौली सेक्टर-सी में भवन संख्या-652/86 से राजीव प्रोविजनल स्टोर तक क्षतिग्रस्त मार्ग व गड्ढ़ों का स्थलीय निरीक्षण कराया गया। क्षतिग्रस्त मार्ग व गड्ढों के सुधार कार्य हेतु आगणन तैयार करा लिया गया है, जिसकी स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बरेली की विधान सभा क्षेत्र फरीदपुर अन्तर्गत पचामी-शाहपुर मार्ग स्थित बहगुल नदी पुल पर पक्का एप्रोच मार्ग बनाने विषयक

55-डा0 श्याम बिहारी लाल-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बरेली की फरीदपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत पचॉमी-शाहपुर मार्ग पर स्थित बहगुल नदी के पुल के दोनों ओर के कच्चा एप्रोच मार्ग को स्थायी पक्का एप्रोच मार्ग सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

पचॉमी से शाहपुर तक मार्ग की कुल लम्बाई 4.020 कि0मी0 है, जिसमें से प्रारम्भिक भाग पचॉमी से सैदापुर तक 3.00 कि0मी0 मार्ग के नवीनीकरण का कार्य पूर्ण करा दिया गया है, शेष भाग सैदापुर से शाहपुर बनियान मार्ग पर लम्बाई 1.020 कि0मी0 है, जिसमें 120 मी0 लम्बाई का पूर्व निर्मित नदी सेतु है, जिसकी पहुंच मार्ग एवं अतिरिक्त पहुंच मार्ग कुल लम्बाई 0.900 कि0मी0 क्षतिग्रस्त है, जिसके पुनः निर्माण, सुरक्षात्मक कार्य एवं अतिरिक्त पहुंच मार्ग के आबादी के निकट के भाग में सी0सी0 मार्ग के निर्माण हेतु रु0 182.07 लाख की लागत आंकलित की गयी है, जिसकी स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बरेली विधान सभा क्षेत्र फरीदपुर ग्राम खल्लपुर से मढ़ा (बदायूं) के मध्य रामगंगा नवनिर्मित पुल का लोकार्पण कराने विषयक

56-डा0 श्याम बिहारी लाल-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बरेली की फरीदपुर विधान सभा क्षेत्र स्थित खल्लपुर (बरेली) से मढ़ा (बदायूं) के मध्य स्थित रामगंगा के नवनिर्मित पुल का लोकापर्ण नहीं कराया गया है ? यदि हां, तो उक्त पुल का लोकार्पण सरकार करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

सेतु का निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिसके पूर्ण होने के पश्चात लोकार्पण कराया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा अन्तर्गत ग्राम सभा बोझिया में अब्बास अली के पालिशर से राम खेलावन द्विवेदी के घर तक आर0सी0सी0 रोड निर्माण हेतु

57-श्रीमती सरोज सोनकर-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा के अर्न्तगत ग्राम सभा बोझिया के छोटी बोझिया में अब्बास अली के पालिशर से राम खेलावन द्विवेदी के घर तक आर0सी0सी0 रोड का निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी नहीं।

छोटी बोझिया की आबादी वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर 149 है। अब्बास अली का पालेशर बोझिया सम्पर्क मार्ग पर स्थित है तथा राम खेलावन द्विवेदी का घर छोटी बोझिया में स्थित है। छोटी बोझिया की आबादी वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 250 से कम होने के कारण इस मार्ग का निर्माण वर्तमान में लोक निर्माण विभाग में प्रचलित किसी योजना से आच्छादित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

58-श्रीमती सरोज सोनकर-

[02-मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-192 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

नगर विकास विभाग, उ0प्र0 को नगर निगम, फिरोजाबाद को पेय जलापूर्ति हेतु नगर निगम फिरोजाबाद एवं सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग (वर्तमान जल शक्ति विभाग) के मध्य गठित होने वाले एम0ओ0यू0 हेतु शासनादेश संख्या 173/2017/1623/17-27 सि0-4-28 (डब्ल्यू)/16 दिनांक 6/9/2017 के शासनादेश के अनुपालन में एम0ओ0यू0 कराने विषयक

59-श्री मनीष असीजा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर विकास विभाग, उ0प्र0 को नगर निगम, फिरोजाबाद को पेय जलापूर्ति हेतु नगर निगम फिरोजाबाद एवं सिंचाई एवं जल

संसाधन विभाग (वर्तमान जल शक्ति विभाग) के मध्य गठित होने वाले एम0ओ0यू0 हेतु शासनादेश संख्या 173/2017/1623/17-27 सि0-4-28 (डब्ल्यू)/16 दिनांक 6/9/2017 प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त शासनादेश के अनुपालन में एम0ओ0यू0 करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन "गोपाल जी"-

जी हाँ। जी हाँ। प्रस्तावित एम0ओ0यू0 के बिन्दु सं0-10 के अन्तर्गत जसराना नवीन नहर के निर्माण लागत का 2 प्रतिशत अर्थात रुपये 395.58 लाख वार्षिक अनुरक्षण की मांग एवं उक्त अनुरक्षण शुल्क में प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि का प्राविधान किया गया है। नगर निगम फिरोजाबाद की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण नगर आयुक्त, नगर निगम, फिरोजाबाद द्वारा किये गये अनुरोध के दृष्टिगत प्रमुख सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन से पत्र दिनांक 16-12-2020 द्वारा एम0ओ0यू0 के बिन्दु संख्या-10 में प्रावधानित अनुरक्षण शुल्क माफ किये जाने का अनुरोध किया गया है। सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा एम0ओ0यू0 के बिन्दु संख्या-10 में प्राविधानित अनुरक्षण शुल्क माफ कर दिये जाने के उपरान्त एम0ओ0यू0 की प्रक्रिया पूर्ण कर अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

नगर निगम, फिरोजाबाद को पेयजलापूर्ति हेतु जसराना नवीन शहर, फिरोजाबाद के माध्यम से 50 क्यूसेक जल उपलब्ध कराये जाने के क्रम में नहर में सिल्ट जमा होने से नगर निवासियों को पेयजलापूर्ति में अवरोध के कारण नहर की सिल्ट सफाई एवं अनुरक्षण हेतु कोई ठोस/स्थायी व्यवस्था कराने विषयक

60-श्री मनीष असीजा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर निगम, फिरोजाबाद को पेयजलापूर्ति हेतु जसराना नवीन शहर, फिरोजाबाद के माध्यम से 50 क्यूसेक जल उपलब्ध कराये जाने के क्रम में नहर से दिनांक 18-08-2018 से जलापूर्ति कराई जा रही है ? क्या सरकार को जानकारी है कि नहर में सिल्ट जमा होने से नगर निवासियों को पेयजलापूर्ति में अवरोध उत्पन्न होता है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त नहर की सिल्ट सफाई एवं अनुरक्षण हेतु कोई ठोस/स्थायी व्यवस्था करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन "गोपाल जी"-

फिरोजाबाद पुनर्गठन पेयजल योजना के अन्तर्गत निर्मित 120एम0एल0डी0 वाटर ट्रीटमेंट प्लान्ट से माह सितम्बर, 2018 से निरन्तर फिरोजाबाद शहर को आपूर्ति किये जाने वाले 50 क्यूसेक जल के सापेक्ष लगभग 30 क्यूसेक कच्चे जल (शोधन से पूर्व जल) को नवीन जसराना नहर से प्राप्त किया जा रहा है। इस अवधि के अन्तर्गत वर्ष 2020 में लगभग 35 दिन तथा जनवरी, 2021 में 7 दिन नहर का क्लोजर होने के फलस्वरूप नहर से पानी

नहीं लिया गया है। जी हाँ। नहर में जल के प्रवाह के दौरान सिल्ट जमा होना भौतिक प्रक्रिया है तथा लगातार सिल्ट जमा होने से नहर की जलभार की क्षमता प्रभावित होती है।

जी हाँ। उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा प्रश्नगत परियोजना के संचालन एवं अनुरक्षण हेतु रु0 214.59 करोड़ का आगणन उपलब्ध कराया गया है, जिसकी स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर के मोहल्ला रायगंज उत्तरी पुराना वार्ड नं0 39 तहसील-सदर मकान नम्बर 0089 में अपात्र को दी गई धनराशि की जांच व रिकवरी कराने विषयक

61-श्री वीरेन्द्र यादव-

क्या नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के मोहल्ला रायगंज उत्तरी पुराना वार्ड न0 39 तहसील सदर के मकान न0-0089 के अध्यासीय को प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना का लाभ नियमों के विरुद्ध किये जाने की शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई है ? क्या सरकार उक्त की जांच कराकर अपात्र को दी गई धनराशि की रिकवरी करने का निर्देश देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन "गोपाल जी"-

जी हां।

नगर निगम, गोरखपुर के वार्ड संख्या पुराना 39, नया 47 रायगंज में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण घटक के अन्तर्गत मकान संख्या-0089 की अध्यासी श्रीमती पार्वती देवी पत्नी श्री दिलीप की पात्रता सम्बन्धी प्रकरण में प्राप्त शिकायत के उपरान्त विभागीय स्तर से जाँच करायी गयी। स्थलीय जांच में लाभार्थी पात्र पायी गयी हैं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

नगर निगम लखनऊ अन्तर्गत रतन खण्ड आवासीय योजना जोन 8 लखनऊ के पार्क सं0 10 की बाउण्ड्रीवाल की मरम्मत कराने विषयक

62-श्री वीरेन्द्र यादव-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर निगम लखनऊ अन्तर्गत रतन खण्ड आवासीय योजना जोन-8 लखनऊ के पार्क संख्या-10 की बाउण्ड्रीवाल टूटी है जिससे पार्क में लगे पौधों को जानवरों द्वारा नुकसान पहुंचाया जाता है ? क्या सरकार टूटी चाहर दीवारों की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन "गोपाल जी"-

जी हाँ।

प्रश्नगत स्थल का निरीक्षण कराया गया। निरीक्षणोपरान्त यह पाया गया कि उक्त पार्क की बाउण्ड्रीवाल के निर्माण/मरम्मत हेतु लगभग रु0 20.10 लाख का व्यय सम्भावित है। धन उपलब्धता के आधार पर कार्य कराया जाना सम्भव होगा।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बरेली नगर पालिका फरीदपुर के दूषित जल निकासी की व्यवस्था कराने विषयक

डा0 श्याम बिहारी लाल-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बरेली में दूषित जल की निकासी की व्यवस्था सरकार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन "गोपाल जी"-

जी हाँ।

वर्तमान में बरेली नगर निगम, सीमान्तर्गत दूषित जल निकासी हेतु 03 सम्पवेल, क्रमशः 1. कटरा चांद खां, 2. आवास विकास व 3. संजयनगर स्थापित है। इस वर्ष डेलापीर में 01 नये सम्पवेल का निर्माण कराया गया है जो विगत वर्षा ऋतु (माह जून 2020) से संचालित है। इसके अतिरिक्त हजियापुर में आस-पास के क्षेत्रों के दूषित जल की निकासी हेतु 15वां वित्त आयोग निधि के अन्तर्गत 01 नये सम्पवेल का निर्माण कराया जा रहा है, जिसमें 70 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है। सम्पवेल का कार्य माह अप्रैल, 2021 में पूर्ण हो जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रबन्ध निदेशक, पीसीएफ लखनऊ के पुत्र आलोक बलोदी को मृतक आश्रित के रूप में समायोजन हेतु निर्देशित किये जाने विषयक

64–श्री अवस्थी बाला प्रसाद–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती पुष्पा शर्मा निवासी कुमार पुरम, पारा कालोनी लखनऊ के प्रार्थना-पत्र दिनांक 28-5-2019 पर प्रबन्ध निदेशक, पी0सी0एफ0, लखनऊ को उनके पुत्र आलोक बलोदी को योग्यतानुसार मृतक आश्रित के रूप में समायोजन हेतु आपके आदेश संख्या-400/सामान्य/मं0/सहाकारिता/2019 दिनांक 29-05-2019 द्वारा निर्देश दिये गये है ? यदि हाँ, तो क्या उक्त मृतक आश्रित का समायोजना कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुकुट बिहारी वर्मा-

जी हाँ।

जी नहीं।

वित्तीय वर्ष 2019-20 के संतुलन पत्र के अनुसार संघ वर्तमान समय में रु0 489.50 करोड़ की संकलित हानि पर चल रहा है। संघ की आर्थिक स्थिति जर्जर होने के परिणामस्वरूप वर्तमान समय में मृतक आश्रित के रूप में कर्मचारियों की नियुक्ति पर विचार नहीं किया जा रहा है।

जनपद गोण्डा में तारकोल के नाम पर लूज डामर मंगाकर मिलावट करने के स्थान पर पैक ड्रम पूर्व की भांति सप्लाई करने विषयक

65–श्री प्रभात कुमार वर्मा-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लूज डामर में मिलावट के दृष्टिगत जनपद गोण्डा में लूज डामर के स्थान पर पैक ड्रम डामर की सप्लाई सरकार करेगी ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी नहीं, जनपद गोण्डा में लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत लूज डामर (बिटुमिन) की सप्लाई आई0ओ0सी0एल0 मथुरा से की जाती है, जिसकी गुणवत्ता मानक के अनुरूप होती है। इस कारण पैक ड्रम डामर की सप्लाई की अवाश्यकता नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

लखनऊ नगर के शिव मंदिर रोड, रायपुर-मुम्कीपुर, बालाजी इंक्लेव, आई0आई0एम0 रोड मार्गों का निर्माण कराने विषयक

66–श्री संजय गर्ग–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर के शिव मंदिर रोड, रायपुर-मुत्तकीपुर, बालाजी इंक्लेव, आई0आई0एम0 रोड पूर्णतया क्षतिग्रस्त होने के कारण मार्ग पर बड़े-बड़े गड्ढे है एवं जल जमाव के कारण वहां के निवासियों को आवागमन में कठिनाई हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन "गोपाल जी"-

जी हाँ। वर्तमान समय में प्रश्नगत क्षेत्र नगर निगम, लखनऊ में सम्मिलित करने हेतु नोटीफिकेशन जारी हुआ है। प्रश्नगत मार्ग पूर्णतया क्षतिग्रस्त है। उक्त मार्ग का अनुरक्षण कार्य अभी तक जिला पंचायत, लखनऊ के अधीन था। नगर निगम, लखनऊ द्वारा उक्त मार्ग का अनुरक्षण व जल भराव की समस्या का निराकरण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र लालगंज के अन्तर्गत ज्यूली-देवगांव सड़क मार्ग का चौड़ीकरण व सुन्दरीकरण किये जाने हेतु

67-श्री आजाद अरिमर्दन–

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ की विधान सभा क्षेत्र लालगंज के अन्तर्गत ज्यूली-देवगांव सड़क मार्ग क्षतिग्रस्त व गड्ढायुक्त होने के कारण क्षेत्रवासियों को आवागमन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का चौड़ीकरण व डिवाइडर का निर्माण कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

प्रश्नगत मार्ग की कुल लम्बाई 17.45 कि0मी0 है जो नवघोषित राज्य मार्ग है। जिसमें नवीनीकरण हेतु स्वीकृत लम्बाई 12.450 कि0मी0 के सापेक्ष 6.00 कि0मी0 में नवीनीकरण का कार्य करा दिया गया है। शेष कार्य प्रगति में है। मार्ग यातायात के आवागमन हेतु उपयुक्त है। यह मार्ग पूर्व से 7.00 मीटर (दो लेन) चौड़ा है। जिस पर आवागमन सुचारू रूप से चल रहा है। वर्तमान मार्ग का यातायात घनत्व 15000 से कम है। अतः मार्ग को अधिक चौड़ा किया जाना व डिवाइडर का निर्माण मानकों से आच्छादित नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उ0 प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 मुख्यालय में वित्तीय परिवाद एवं कार्मिक अनुभाग में स्थानान्तरण नीति के विपरीत तैनात अधिकारियों एवं कर्मचारियों के स्थानांतरण हेतु

इंजी0 बृजेश कठेरिया-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 मुख्यालय में वित्तीय अनुभाग- परिवाद अनुभाग एवं कार्मिक अनुभाग में स्थानान्तरण नीति के विपरीत विगत दस वर्षों से अधिक समय से तैनात अधिकारियों एवं कर्मचारियों का स्थानान्तरण सरकार अन्य स्थानों पर करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 एक वाणिज्यिक संस्था है तथा निगम की आवश्यकता एवं कार्मिक की उपयोगिता के आधार पर तैनाती की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मैनपुरी के विधान सभा क्षेत्र किशनी के अन्तर्गत कटरा समान के करहल रोड से रम्पुरा मार्ग का डामरीकरण किये जाने हेतु

69-इंजी0 बृजेश कठेरिया-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मैनपुरी के विधान सभा क्षेत्र किशनी के अर्न्तगत कटरा समान के करहल रोड से रम्पुरा दूरी 1 किलो मीटर का डामरीकृत निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार विधान सभा क्षेत्र किशनी में रम्पुरा की आबादी 209 है। वर्तमान में लोक निर्माण विभाग में 250 से कम आबादी के ग्रामों को लेपित मार्ग से जोड़े जाने की योजना प्रचलित नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

चीनी मिलों में घटतौली के प्रकरणों पर चीनी मिल अधिकारी अथवा प्रबंधन के विरुद्ध की गई कार्रवाई का विवरण

70-श्री नाहिद हसन-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में चीनी मिलों में घटतोली पाए जाने पर तौल लिपिक के अतिरिक्त अधिकारियों अथवा प्रबंधन के विरुद्ध किस प्रकार की कार्रवाई करने का प्रावधान हैं ? क्या सरकार बतायेगी कि वर्तमान गन्ना पेराई सत्र में सहारनपुर मंडल में घटतोली के कितने प्रकरण सरकार के संज्ञान में आए हैं तथा उक्त में तौल लिपिक के अतिरिक्त उच्च अधिकारी अथवा प्रबंधन के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश राणा-

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953 एवं उसके अधीन नियमावली, 1954 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत गन्ना तौल में घटतौली पाये जाने पर कार्यवाही किये जाने की व्यवस्था है। उक्त वर्णित व्यवस्था में तौल लिपिक के साथ-साथ चीनी मिल अध्यासी के विरुद्ध नियमावली, 1954 के नियम-120 एवं 122 के अन्तर्गत नोटिस निर्गत कर स्पष्टीकरण प्राप्त किये जाने तथा स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाये जाने की दशा में उपर्युक्त अधिनियम, 1953 की धारा-23 (1) में वाद योजित किये जाने अथवा नियमावली, 1954 के नियम-122 के अन्तर्गत जमानत जब्ती का प्रावधान है। वर्तमान पेराई सत्र 2020-21 में दिनांक 31-01-2021 तक सहारनपुर मण्डल में घटतौली के 13 प्रकरण संज्ञान में आये हैं,

जिनमें 13 तौल लिपिकों के लाइसेंस निलम्बन की कार्यवाही करते हुए 10 मामलों में नोटिस जारी करायी जा चुकी है।

उपरोक्तानुसार।

प्रयागराज में पीडीए द्वारा म्योर रोड-राजापुर में सड़क चौड़ीकरण हेतु मकानों, दुकानों के बिना नोटिस, मुआवजा व पुनर्वासन अधिग्रहण की जांच कराने व कार्यवाही रुकवाने व दोषियों को दंडित करने विषयक

71-श्री अजय कुमार लल्लू-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री अनुग्रह नारायण सिंह, पूर्व विधायक का प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन विभाग को संबोधित पत्र दिनांकित 26 जुलाई 2019 जो कि प्रयागराज में पी0डी0ए0 द्वारा म्योर रोड-राजापुर में सड़क चौड़ीकरण के नाम पर सैकड़ों मध्यम एवं कमजोर वर्ग के लोगों के मकानों, दुकानों को भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013 संविधान के जीने व मानवाधिकार का उल्लंघन करके बिना नोटिस मुआवजा व पुनर्वासन के उजाड़ने के विषय में है, उन्हें प्राप्त हुआ है? यदि हाँ, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि हाँ, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार इसकी गम्भीरतापूर्वक जाँच कराकर दोषियों को दंडित कराने का कष्ट करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

मण्डलायुक्त, प्रयागराज के पत्र संख्या-20/सचिव/वि0प्रा0/2019-20 दिनांक 02-09-2019 द्वारा अवगत कराया गया है कि ''म्योर रोड नगर का एक अति महत्वपूर्ण मार्ग है। उक्त मार्ग का चौड़ीकरण कराया जाना व्यापक जनहित में अति आवश्यक है। म्योर रोड पर आनन्द हास्पिटल से ट्रैफिक पुलिस लाईन चौराहा तक मार्ग चौड़ीकरण कराया जा चुका है। म्योर रोड के शेष भाग ट्रैफिक पुलिस लाईन चौराहे से बाबा चौराहे तक मार्ग चौड़ीकरण कराया जाना अवशेष है।

प्रयागराज नगर में ट्रैफिक जाम की समस्या के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा अनेक जनहित याचिकाओं में यह निर्देशित किया गया है कि नगर के यातायात को सुगम बनाया जाए। सुगम यातायात हेतु मार्गों का चौड़ीकरण अत्यावश्यक है। म्योर रोड, ट्रैफिक पुलिस लाईन्स चौराहा से बाबा चौराहे तक के भाग में सड़क पर अनेक अतिक्रमण होने के कारण व्यापक जाम की समस्या बनी रहती है। उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रश्नगत क्षेत्र का जोनल डेवलपमेन्ट प्लान दिनांक 18-03-2011 से प्रभावी है।

उक्त प्लान में प्रश्नगत म्योर रोड की 24 मी0 चौड़ाई प्रस्तावित है। मार्ग चौड़ीकरण हेतु अनेक व्यक्तियों द्वारा अपने निर्माण स्वयं हटा लिये गये हैं इस भूमि पर काफी भूमि

फ्रीहोल्ड के रूप में है तथा मार्ग पर काफी मात्रा में व्यवसायिक प्रतिष्ठान हैं। प्राधिकरण की वर्तमान वित्तीय स्थिति के दृष्टिगत प्राधिकरण की अवस्थापना विकास निधि की बैठक दिनांक 28-01-2021 में उक्त मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के कार्य को निरस्त कर दिया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती में लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के द्वारा फर्जीवाड़े के सम्बन्ध में

72–श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत है निर्माण कार्यों के बान्ड बनने के बाद अतिरिक्त आइटम तथा सप्लाई आर्डर के नाम पर फर्जी बिल पर भुगतान कराये जाने तथा उक्त जनपद के विधान सभा क्षेत्र रुधौली में पिपरा मार्ग, सल्टौआ देईपार भैसहवा मार्ग, भानपुर तेनुआ असनहरा अड़वा सम्पर्क मार्ग तथा उकड़ा भैसहिया शंकरपुर मार्ग का कार्य मनरेगा मजदूरों से काम दर्शा कर बिना कोई काम कराये भुगतान कराये जाने की शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की जाँच कर मनरेगा मजदूरों के नाम, संख्या तथा बान्ड बनने के बाद अतिरिक्त आइटम सप्लाई आर्डर के भुगतान वर्ष 2018-19 तथा वर्ष 2019-20 का ब्यौरा सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नही, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी नहीं। भारत सरकार द्वारा मनरेगा की जारी गाइडलाइन्स के अनुसार आनलाइन कार्यवाही करते हुए मस्टररोल सृजित कर कार्य सम्पादित कराते हुए श्रमिकों के खाते में आनलाइन भुगतान की कार्यवाही की गयी है। वित्तीय वर्ष 2018-19 तथा वर्ष 2019-20 में गठित विभिन्न अनुबन्धों के अन्तर्गत अतिरिक्त मद का कार्य तकनीकी स्वीकृति के प्राविधानों के अनुसार ही वित्तीय नियमों के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत किये गये हैं।

उपरोक्तानुसार।

जनपद मुरादाबाद सहित स्मार्ट सिटी के रूप में चिन्हित प्रदेश के विभिन्न नगरों में कराए गए विकास कार्यों के ब्योरे सम्बन्धी

73-श्री मोहम्मद फईम इरफान–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुरादाबाद नगर सहित प्रदेश के स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने की सूची में सम्मिलित नगरों में दिनांक 30-09-2020 तक कराए गए विशेष विकास कार्यों का विवरण सदन के पटल पर सरकार रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन "गोपाल जी"-

जी, हाँ। जनपद मुरादाबाद नगर सहित प्रदेश के स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित नगरों में कराये गये कार्यों का विवरण संलग्न है[§]।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अलीगढ़ विधान सभा क्षेत्र कोल अन्तर्गत नगर निगम नवीन सीमा विस्तार वाले क्षेत्र में क्वासी चौराहे से एटा चुंगी चौराहे तक बाई पास के सहारे पक्का नाला निर्माण विषयक पत्र पर कार्यवाही के सम्बन्ध में

74-श्री अनिल पाराशर-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अलीगढ़ विधान सभा क्षेत्र कोल के अन्तर्गत नगर निगम नवीन सीमा विस्तार वाले क्षेत्र में क्वासी चौराहे से एटा चुंगी चौराहे तक बाई पास के सहारे पक्का नाला निर्माण कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 4302/पीआरओ/2020 दिनांक 25-10-200 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन "गोपाल जी"-

जी हाँ।

मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रेषित उक्त पत्र दिनांक 25-10-20 की प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए शासन के पत्र दिनांक 25-11-2020 द्वारा प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ एवं नगर आयुक्त, नगर निगम, अलीगढ़ को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कराते हुए कृत कार्यवाही से अवगत कराये जाने के निर्देश दिये गये थे। तत्क्रम में नगर आयुक्त, नगर निगम, अलीगढ़ द्वारा अवगत कराया गया है कि क्वार्सी चौराहे से एटा चुंगी चौराहे तक बाईपास के सहारे स्थित कच्चा नाला सिंचाई विभाग का नाला है। क्वार्सी चौराहे से एटा चुंगी चौराहे तक नाला निर्माण के कार्य पर काफी धनराशि व्यय होने की सम्भावना है। अतः उक्त नाले का निर्माण कराया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

महामाया राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय अम्बेडकरनगर में एम0डी0 एवं एम0एस0 की कक्षायें संचालित किए जाने के सम्बन्ध में

75-श्री लाल जी वर्मा-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि महामाया राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय अम्बेडकरनगर में एम0डी0 एवं एम0एस0 की कक्षायें संचालित किए जाने हेतु एम0सी0आई0 में आवेदन किया गया है ? यदि हाँ, तो किस वर्ष ? यदि नहीं, तो क्यों ?

[§] देखिए नत्थी 'ख' के आगे पृष्ठ संख्या 295-304 पर।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जी हां। वर्ष 2020 उपरोक्तानुसार।

जनपद गोण्डा के कुआनो नदी पर बादूघाट ग्राम पंचायत कूकनगर ग्रन्ट व भालूकोनी घाट ग्राम पंचायत दौलतपुर ग्रन्ट में पुल की वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने विषयक

76-श्री प्रभात कुमार वर्मा–

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा के कुआनो नदी पर बादूघाट ग्राम पंचायत कूकनगर ग्रन्ट व भालूकोनी घाट ग्राम पंचायत दौलतपुर ग्रन्ट में पुल का निर्माण सरकार करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जनपद गोण्डा के ग्राम पंचायत कूकनगर ग्रन्ट के कुआनो नदी पर बादूघाट पर 79.88 मी0 लम्बाई के सेतु, पहुंच मार्ग एवं भूमि अध्याप्ति सहित अनुमानित लागत रु0 1127.80 लाख है।

जनपद गोण्डा में दौलतपुर ग्रन्ट ग्राम पंचायत के कुआनों नदी पर भालूकोनी घाट पर 80.08 मी0 लम्बाई के सेतु, पहुंच मार्ग एवं भूमि अध्याप्ति सहित अनुमानित लागत रु0 1225.97 लाख है।

उक्त दोनों सेतुओं का निर्माण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा के अन्तर्गत ग्राम सभा गौरा पिपरा में गौरा से 800 मीटर सड़क निर्माण हेतु

77-श्रीमती सरोज सोनकर-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा के अन्तर्गत ग्राम सभा गौरा पिपरा में गौरा से लेकर बहेलीन पुरवा तक दूरी लगभग 800 मीटर सड़क का निर्माण कार्य सरकार कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी नहीं।

प्रश्नगत ग्राम बहेलीन पुरवा जनकपुर सम्पर्क मार्ग पर स्थित है तथा गौरा ग्राम भी पूर्व से लेपित मार्ग से संतृप्त है। ग्राम गौरा से बहेलीन पुरवा को आपस में जोड़ा जाना वर्तमान में लोक निर्माण विभाग की प्रचलित किसी योजना से आच्छादित नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

76-श्रीमती सरोज सोनकर-

[दिनांक 23-02-2021 को अतारांकित प्रश्न संख्या-193 के अन्तर्गत उत्तरित]

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा अन्तर्गत ग्राम सभा सोहनी बलईगांव में 1 किलोमीटर रोड का डामरीकरण निर्माण हेतु

79-श्रीमती सरोज सोनकर-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा के अन्तर्गत ग्राम सभा सोहनी बलईगाँव में रविदास मंदिर से अचकहवा मल्लाहनपुरवा तक दूरी 1 किलोमीटर रोड का डामरीकरण सरकार कराएगी ? यदि हां तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी नहीं।

प्रश्नगत ग्राम सभा सहोनी-बलईगांव में रविदास मंदिर एवं ग्राम अचकवा पूर्व से ही एकल लेपित मार्ग से संतृप्त है तथा मल्लाहनपुरवा नाम से कोई आबादी वर्ष 2011 की जनगणना सूची में अंकित नहीं है। अतः प्रकरण लोक निर्माण विभाग की वर्तमान प्रचलित सम्पर्क मार्ग निर्माण नीति से आच्छादित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा के ग्राम सभा मधवापुर बोटन कुट्टी से 600 मीटर सड़क निर्माण हेतु

80-श्रीमती सरोज सोनकर-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा के ग्राम सभा मधवापुर बोटन कुट्टी से नंदाईदास बाबा तक दूरी लगभग 600 मीटर सड़क निर्माण कार्य सरकार कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी नहीं।

प्रश्नगत मधवापुर बोटन कुट्टी पूर्व से ही लेपित मार्ग से संतृप्त है तथा नंदाईदास बाबा स्थान पर कोई आबादी स्थित नहीं होने के कारण प्रकरण लोक निर्माण विभाग की वर्तमान प्रचलित सम्पर्क मार्ग निर्माण नीति से आच्छादित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा ग्राम सभा घुमनाभारू में 1 किमी0 सड़क के डामरीकरण हेतु

81-श्रीमती सरोज सोनकर-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा के ग्राम सभा घुमनाभारू में किसान के घर से बेचई के घर तक लम्बाई लगभग 1 किलोमीटर रोड का डामरीकरण सरकार कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी नहीं।

ग्राम सभा घुमनाभारू पूर्व से एकल सम्पर्क मार्ग से संतृप्त है। ग्राम घुमनाभारू में किसान के घर से बेचई के घर तक (ग्राम सभा घुमनाभारू का आन्तरिक मार्ग) रोड का डामरीकरण कार्य वर्तमान में लोक निर्माण विभाग में प्रचलित किसी योजना से आच्छादित नहीं है। अतः लोक निर्माण विभाग द्वारा कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई के विकास खण्ड कछौना की मतुआ-पुरवा सम्पर्क मार्ग की मरम्मत कराने विषयक

82-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के विकास खण्ड कछौना की मतुआ पुरवा सम्पर्क मार्ग की मरम्मत कराये जाने विषयक उन्हें सम्बोधित श्री राजकुमार अग्रवाल, सदस्य, विधान सभा सण्डीला का पत्र दिनांक 16-3-2020 एवं श्री रामपाल वर्मा, सदस्य, विधान सभा बालामऊ-हरदोई का पत्र दिनांक 15 जून, 2020 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्रों पर क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी हाँ।

मतुआपुरवा ग्रामीण सम्पर्क मार्ग है, जिसकी लम्बाई 3.50 किमी0 है। मार्ग के प्रथम किमी0 में सामान्य मरम्मत के साथ नवीनीकरण का कार्य पूर्ण करा लिया गया है। शेष 2.50 किमी0 में से 2.00 किमी0 को वर्ष 2021-22 में सामान्य मरम्मत के साथ नवीनीकरण की कार्य योजना में सम्मिलित कर लिया गया है तथा आबादी भाग 0.50 किमी0 में सी0सी0 रोड निर्माण कार्य की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बांदा में वृक्षारोपण के सम्बन्ध में व जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही विषयक

83-श्री बृजेश कुमार प्रजापति-

क्या पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बाँदा में वर्ष 2018 तथा 2019 में कितने पौधों का वृक्षारोपण किया गया तथा उनमें से कितने पौधे जीवित हैं ? क्या सरकार बतायेगी कि जो पौधे जीवित नहीं हैं उनके लिए कौन जिम्मेदार है ? क्या सरकार उक्त हेतु जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही करेगी ? यदि हाँ, तो क्या और कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दारा सिंह चौहान-

जनपद-बाँदा में वर्ष 2018 तथा 2019 में रोपित एवं जीवित पौधों का विवरण निम्नवत् है :-

1- रोपित पौधों की संख्या-

पौध संख्या-(लाख में)

क्र0सं0	वित्तीय वर्ष	वन विभाग	अन्य विभाग	कुल रोपित पौधों संख्या
1	2018	3.93	4.22	8.15
2	2019	6.46	12.67	19.13

2- वन विभाग द्वारा रोपित पौधों के सापेक्ष जीवित पौधों की संख्या-

पौध संख्या (लाख में)

क्र0सं0	वर्ष	रोपित पौधों की संख्या	जीवित पौधों की संख्या
1	2018	3.93	3.48
2	2019	6.46	6.19

अन्य विभागों द्वारा रोपित पौधों के सापेक्ष जीवित पौधों की सूचना वन विभाग में एकत्रित नहीं की जाती है। यह सूचना संबंधित विभागों में रहती है। पौधों की वर्तमान जीवितता प्रतिशत मानक के अनुरूप है।

लागू नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद महोबा के कबरई कस्बे में संचालित क्रेशरों से हो रहे प्रदूषण के सम्बन्ध में

84-श्री बृजेश कुमार प्रजापति-

क्या पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-महोबा के कबरई कस्बे में सैकड़ों की संख्या में मानक के विपरीत क्रेशर संचालित होने के कारण वहां की हवा में बारीक डस्ट से वहां निवास करने वाले नागरिक कई तरह की गम्भीर बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं ? यदि हाँ, तो क्या मानक के विपरीत संचालित क्रेशर संचालकों और उनको संरक्षण दे रहे अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही सरकार करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दारा सिंह चौहान-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

मुख्य चिकित्साधिकारी, महोबा के पत्र दिनांक 26-02-2020 द्वारा सूचित किया गया है कि कबरई, महोबा व आस-पास के क्षेत्र में स्थापित स्टोन क्रशरों के श्रमिकों व रिहायसी इलाकों में समय-समय पर किये गये स्वास्थ्य परीक्षणों में डस्ट से मुख्य रूप से पड़ने वाला प्रभाव सिलकोशिश का कोई प्रकरण अब तक संज्ञान में नहीं आया है।

जनपद आजमगढ़ की विधान सभा क्षेत्र लालगंज के देवगांव-ज्यूली सड़क मार्ग पर खरगीपुर व गोड़हरा बाजार की सड़क की मरम्मत कराने विषयक

85-श्री आजाद अरिमर्दन-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र लालगंज के देवगांव-ज्यूली सड़क मार्ग पर खरगीपुर व गोड़्हरा बाजार की सड़क गड़्ढायुक्त व जर्जर है तथा सड़क के दोनों तरफ पक्की नाली का निर्माण नहीं होने के कारण सड़क पर जल जमाव से क्षेत्रवासियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क मार्गों की मरम्मत कराते हुये पक्की नाली का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

प्रश्नगत मार्ग की कुल लम्बाई 17.45 किमी0 है, जो नव घोषित राज्य मार्ग है। जिसमें नवीनीकरण हेतु स्वीकृत लम्बाई 12.450 किमी0 के सापेक्ष 6.00 किमी0 में नवीनीकरण का कार्य करा दिया गया है। शेष कार्य प्रगति में है। मार्ग यातायात के आवागमन हेतु उपयुक्त है। ग्राम सभा गोड़हरा व खरगीपुर की ग्रामीण बाजारों में 1.500 किमी0 में नाली निर्माण के कार्य की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद के नगर निगम में प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्र लाभार्थियों के लम्बित किस्तों को जाँच कराने विषयक

86-श्री मनीष असीजा-

क्या नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर निगम फिरोजाबाद क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में दिनांक 26 अक्टूबर, 2020 तक कितने पात्र लाभार्थियों की पहली किस्त, दूसरी किस्त एवं तीसरी किस्त आना शेष है ? क्या सरकार इन लम्बित किस्तों को लाभार्थियों को उपलब्ध करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन "गोपाल जी"-

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत नगर निगम, फिरोजाबाद में दिनांक 26 अक्टूबर, 2020 तक कुल 22454 पात्र लाभार्थियों के सापेक्ष 21584 लाभार्थियों को प्रथम किस्त, 17712 लाभार्थियों को द्वितीय किस्त एवं 7105 लाभार्थियों को तृतीय किस्त अवमुक्त की गयी थी, जिसके उपरान्त 870 लाभार्थियों को प्रथम किस्त, 4742 लाभार्थियों को द्वितीय किस्त एवं 15349 लाभार्थियों को तृतीय किस्त की धनराशि अवमुक्त की जानी शेष थी, जिसके सापेक्ष वर्तमान में 22413 लाभार्थियों को प्रथम किस्त, 19163 लाभार्थियों को द्वितीय किस्त एवं 12424 लाभार्थियों को तृतीय किस्त की धनराशि प्रेषित की जा चुकी है तथा लाभार्थियों द्वारा कराये गये निर्माण के सापेक्ष आवासों के जीओ टैग के उपरान्त लाभार्थियों को आवास निर्माण की किस्त निरन्तर प्रेषित की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद में प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत हुये भ्रष्टाचार की जाँच कराने विषयक

87-श्री मनीष असीजा-

क्या नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत कतिपय लाभार्थियों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय किस्त में एक से अधिक बार किस्त दिये जाने की जानकारी सरकार को है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त की जाँच कराकर उक्त धनराशि को वसूलने एवं जिम्मेदार/दोषी

कर्मचारी, अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन "गोपाल जी"-

जी हां।

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अन्तर्गत लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास का निर्माण अथवा विस्तार घटक के अन्तर्गत 221 लाभार्थियों को रु0 19200000.00 की धनराशि का दोहरा भुगतान हुआ है, जिसके सापेक्ष 104 लाभार्थियों से रु0 11305000.00 की धनराशि वसूल की जा चुकी है तथा 117 लाभार्थियों से रु0 7895000.00 की धनराशि वसूल की जानी शेष है। जिलाधिकारी, फिरोजाबाद के पत्र दिनांक 20-07-2020 द्वारा प्रकरण में की गयी संस्तुति के क्रम में तत्कालीन परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा), फिरोजाबाद के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही किये जाने हेतु निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा), उ0प्र0 द्वारा प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, लखनऊ (पैतृक विभाग) को पत्र प्रेषित किया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना में राज्यांश का भाग अवमुक्त करने विषयक

88-श्री मनीष असीजा-

क्या नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत मार्च, 2017 से 20 अक्टूबर, 2020 तक कितनी धनराशि केंद्रांश के रूप में प्राप्त हुयी है तथा उक्त समयावधि में प्रदेश सरकार द्वारा अपने राज्यांश के रूप में कितनी धनराशि प्रदान की गयी है ? क्या सरकार के संज्ञान में है कि राज्यांश भाग को अवमुक्त न किये जाने के कारण बड़ी संख्या में लाभार्थियों को प्रथम किस्त जारी नहीं की गयी है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार अपने भाग का राज्यांश अवमुक्त करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त राज्यांश हेतु हुडको से ऋण लेने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन "गोपाल जी"-

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत मार्च, 2017 से अक्टूबर, 2020 तक भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश के रूप में रु0 8847.73 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की गयी है, जिसके सापेक्ष अनुमन्य राज्यांश रु0 5898.49 करोड़ के सापेक्ष दिनांक 20-10-2020 तक रु0 4666.42 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की गयी है।

उपरोक्तानुसार।

राज्यांश की अवशेष धनराशि रु0 1232.07 करोड़ दिनांक 05-02-2021 को अवमुक्त की गयी है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

नगर निगम, फिरोजाबाद में वर्ष 2017-18, 2018-19 2019-20 व 20 अक्टूबर, 2020 तक कुल स्वीकृत निविदायें व पूर्ण किये गये कार्य विषयक

89-श्री मनीष असीजा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर निगम, फिरोजाबाद में वर्ष 2017-18, 2018-2019, 2019-2020 में 20 अक्टूबर, 2020 तक नगर फीरोजाबाद में विकास कार्यों के निर्माण हेतु कितनी निविदायें स्वीकृत की गयी हैं तथा उक्त स्वीकृत निविदाओं से कितने कार्य पूर्ण हो गये, कितने अपूर्ण हैं एवं कितनों पर कोई कार्य आरम्भ नहीं कराये गये हैं ? क्या सरकार उक्त कार्यों हेतु विलम्ब करने हेतु जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए उक्त कार्यों को पूरा करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन "गोपाल जी"-

नगर निगम, फिरोजाबाद में वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20 में 20 अक्टूबर, 2020 तक विकास कार्यों के निर्माण हेतु 357 निविदायें स्वीकृत की गयी है, जिसके सापेक्ष 329 कार्य पूर्ण हो गये हैं एवं 26 कार्य प्रगति पर हैं तथा अवशेष 02 कार्य वर्ष 2018-19 में स्वीकृत हुये थे, जिसके लिये रेलवे की अनुमति आवश्यक होने के कारण दिनांक 10-10-2019 को रेलवे से एन0ओ0सी0 हेतु अनुरोध किया गया है तथा दिनांक 06-08-2020 को अनुस्मारक पत्र भेजा गया है। अवशेष 02 कार्यों की रेलवे से एन0ओ0सी0 प्राप्त होने के उपरान्त कार्य कराया जाना सम्भव होगा।

शासनादेशों में दी गयी व्यवस्थानुसार निर्धारित मापदण्डों व प्रक्रिया का पूर्णतः अनुपालन करते हुये कार्यवाही की गयी है, जनहित में धनराशि का उपयोग किये जाने में कोई अनावश्यक बिलम्ब नहीं किया गया है। अतः जिम्मेदार अधिकारी/कर्मचारियों पर कार्यवाही का कोई प्रश्न नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद मैनपुरी के विकास खण्ड किशनी में मनिगांव मार्ग से वल्लमपुर ग्राम तक मार्ग का डामरीकरण करवाने विषयक

90-इंजी0 बृजेश कठेरिया-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेगें कि जनपद मैनपुरी के विकास खण्ड किशनी में मनिगाँव मार्ग से वल्लमपुर ग्राम तक का मार्ग कच्चा है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त मार्ग को डामरीकृत करवायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी हां। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार विकास खण्डा किशनी में वल्लमपुर की आबादी 180 है। वर्तमान में लोक निर्माण विभाग में 250 से कम आबादी के ग्रामों को लेपित मार्ग से जोड़े जाने की योजना प्रचलित नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद झांसी के मोंठ कस्बे में समथर रोड रेलवे क्रांसिग पर ओवर ब्रिज वनवाये जाने के सम्बन्ध में

91-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी के मोंठ कस्बे में समथर रोड रेलवे क्रासिंग पर ओवर ब्रिज बनवाये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जनपद झांसी में मोंठ रेलवे स्टेशन के पास झांसी-कानपुर रेल सेक्शन के कि0मी0 1183/3-4 पर सम्पार संख्या-150 पर रेल उपरिगामी सेतु के निर्माण की आंकलित लागत रु0 3512.92 लाख है। राज्य सरकार द्वारा प्रश्नगत सेतु की लागत में सहभागिता की सहमति महाप्रबन्धक, उत्तर मध्य रेलवे, प्रयागराज को प्रेषित की जा चुकी है। उक्त सेतु का निर्माण रेलवे से सहभागिता की सहमति प्राप्त होने एवं प्रदेश के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

लखनऊ विकास प्राधिकरण प्रबंध नगर योजना हेतु गोमती नदी पर बांध बनाये जाने हेतु आवश्यक धनराशि के आवंटन विषयक

92-डॉ0 नीरज बोरा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ विकास प्राधिकरण की प्रबन्ध नगर योजना के अन्तर्गत गोमती नदी तट पर बाँध निमार्ण हेतु धनराशि कार्यदायी संस्था को उपलब्ध सरकार करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्नगत तटबन्ध लखनऊ के पक्का पुल से आई0आई0एम0 रोड तक गोमती किनारे एल0एच0एस0 की ओर लगभग 5400 मीटर की लम्बाई में प्रस्तावित है। उक्त योजना सिंचाई विभाग उ0प्र0 की है। प्रस्तावित तटबन्ध का अधिकांश भाग फैजुल्लागंज एवं कुछ भाग प्राधिकरण

की प्रस्तावित योजना प्रबन्ध नगर आवासीय योजना की अर्जित की जाने वाली भूमि के अन्तर्गत है। प्रबन्ध नगर आवासीय योजना में अर्जित भूमि के सापेक्ष हितबद्ध काश्तकारों द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-7712/ एम0बी0/2008 लताफत हुसैन व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में योजित है, इस याचिका के साथ समान विषय की 42 अन्य रिट याचिकाएं संलग्न हैं, जिसमें किसानों द्वारा भूमि अर्जन हेतु जारी धारा-4 व 6 की विज्ञप्ति को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है, जो विचाराधीन है। उक्त याचिकाओं में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा किसानों के कब्जे में हस्तक्षेप न करने का स्थगन आदेश पारित किया गया है, जो वर्तमान में प्रभावी है, जिसके कारण प्रबन्ध नगर योजना वर्तमान में क्रियान्वित नहीं हो पा रही है, जिससे सिंचाई विभाग को तटबन्ध निर्माण हेतु योजनान्तर्गत भूमि उपलब्ध नहीं हो पायी।

जनपद लखनऊ में आई0आई0एम0 तिराहे से डालीगंज क्रासिंग तक मुख्य मार्ग के दोनों ओर भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने विषयक

93–डॉ0 नीरज बोरा–

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ में आई0आई0एम0 तिराहे से डालीगंज क्रासिंग तक मुख्य मार्ग के दोनों ओर लोक निर्माण विभाग की भूमि पर किये गये अवैध निर्माण को हटा कर सुगम यातायात उक्त मार्ग पर सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी हां। प्रश्नगत मार्ग आई0आई0एम0 तिराहे से डालीगंज क्रासिंग तक का भाग मार्ग के चैनेज 483.00 से चैनेज 493.00 के अन्तर्गत आता है। मार्ग के चैनेज 483.00 से 488.270 तक का भाग राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के स्वामित्व वाला है, मार्ग के उक्त भाग के सिर्फ आई0आई0एम0 तिराहे पर कुछ पक्के अतिक्रमण हैं, वहां पर एलीवेटेड फ्लाई ओवर बनाने हेतु नोटिस निर्गत कर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही प्रगति पर है। मार्ग के चैनेज 488.270 से 493.00 तक का भाग उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग के अनुरक्षणाधीन है जिसमें किसी भी प्रकार का अवैध पक्का निर्माण उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व वाली भूमि पर वर्तमान में नहीं है। मार्ग के कुछ भाग में स्थानीय दुकानदारों/वाहनों/वेन्डरों द्वारा अस्थाई रूप से मार्ग पर अतिक्रमण कर लिया जाता है, जिस कारण यातायात भी बाधित हो जाता है। उल्लेखित समस्या के निवारण हेतु नगर निगम, लखनऊ/स्थानीय पुलिस तथा लोक निर्माण विभाग द्वारा समन्वय स्थापित कर दिनांक 27, 28, 29 एवं 30 जनवरी, 2021 को अतिक्रमण रोधी अभियान नियोजित कर समस्त अस्थायी अतिक्रमण हटा दिया गया है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

लखनऊ के जानकीपुरम द्वितीय वार्ड स्थित सहारा स्टेट में नगर निगम की भूमि को कब्जा मुक्त कराने विषयक

94-डॉ0 नीरज बोरा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर के जानकीपुरम द्वितीय वार्ड स्थित सहारा स्टेट में नगर निगम भूमि पर अवैध कब्जा/अतिक्रमण है ? यदि हाँ, तो नगर निगम की उक्त भूमि को कब्जा मुक्त सरकार करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यो ?

श्री आशुतोष टण्डन "गोपाल जी"-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

लखनऊ के डालीगंज क्रासिंग से आई0आई0एम0 तिराहे तक लखनऊ विकास प्राधिकरण की हरित पट्टी पर अतिक्रमण हटाकर विकसित कराने विषयक

95–डॉ0 नीरज बोरा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर के डालीगंज क्रासिंग से आई0आई0एम0 तिराहे तक लखनऊ विकास प्राधिकरण की हरित पट्टी हेतु आरक्षित भूमि पर भू-माफियाओं द्वारा अतिक्रमण कराते हुए व्यावसायिक प्रतिष्ठान संचालित किये जा रहे हैं ? यदि हाँ, तो उक्त हरित पट्टी से अवैध अतिक्रमण ध्वस्त कराकर हरित पट्टी को विकसित सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

डालीगंज क्रासिंग से आई0आई0एम0 तिराहे तक महायोजना-2031 के अनुसार गल्ला मण्डी के सामने लगभग 500 मीटर की लम्बाई में हरित पट्टी दर्शित है, जिस पर अस्थाई अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

हरित पट्टी से अतिक्रमण को हटाकर वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

96-श्री राम नरेश रावत-

[01-गुरुवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-112 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

पी0सी0एफ0 लखनऊ में तैनात वरिष्ठ प्रबन्धक के सम्बन्ध में सदस्य, विधान सभा कुँ0 नरेन्द्र पाल सिंह के पत्र पर कार्यवाही हेतु

97-श्री राम नरेश रावत-

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पी0सी0एफ0 लखनऊ में तैनात वरिष्ठ प्रबंधक/क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा कूट रचित प्रमाण-पत्रों के आधार पर सेवा करने, भ्रष्टाचार में लिप्त होने तथा महिला उत्पीड़न के सम्बन्ध में कुं0 नरेन्द्र पाल सिंह, सदस्य, विधान सभा क्षेत्र कालपी, जालौन के पत्र पर माननीय सहकारिता मंत्री के आदेश संख्या-1168/वी0आई0पी0/मं0/सहकारिता/2019, दिनांक 25-07-2019, के अनुपालन में जांच पूर्ण करा ली गई है ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुकुट बिहारी-

जी हाँ।

पी0सी0एफ0, लखनऊ में तैनात वरिष्ठ प्रबन्धक/वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबन्धक/क्षेत्रीय प्रबन्धक द्वारा कूट रचित प्रमाण-पत्रों के आधार पर सेवा करने के सम्बन्ध में भिन्न-भिन्न तीन जांच करायी गयी, जिनमें विरोधाभासी जांच परिणाम प्राप्त हुए। फलस्वरूप एक नवीन जांच दिनांक 29-10-2020 को कार्यकारी निदेशक, वित्त, पीसीएफ मुख्यालय की अध्यक्षता में स्थापित की गयी है। जांच आख्या प्रतीक्षित है। जांच आख्या प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही सम्पादित की जायेगी।

महिला उत्पीड़न के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जिला कार्यालय पीसी0एफ0, लखनऊ में महिला उत्पीड़न की कथित घटना की जांच प्रबन्ध निदेशक, पी0सी0एफ0, लखनऊ के पत्रांक-2498 दिनांक 21-08-2018 द्वारा गठित कमेटी से करायी गयी, जिसमें आरोप प्रमाणित नहीं पाये गये। शिकायतकर्ता द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी। उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर एफ0आर0 लग चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के नगर निकायों को स्टांप शुल्क की दी गई धनराशि के सम्बन्ध में

98-श्री मोहम्मद फईम इरफान-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रदेश के नगर निकायों को स्टाम्प शुल्क मद से कितनी-कितनी धनराशि दी गई ? क्या सरकार बतायेगी कि नगर निकायों द्वारा उक्त धनराशि का शत-प्रतिशत व्यय 30-09-2020 तक विकास कार्यों में कर लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन "गोपाल जी"-

वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रदेश के नगर निकायों को स्टाम्प शुल्क मद में कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में फार्मेसी विभाग में एक ही स्थान पर अधिक समय से कार्यरत आचार्य (प्रोफेसर) के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में

99-श्री मनोज कुमार पारस-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्थानान्तरण नीति के विपरीत प्रदेश के राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में फार्मेसी विभाग में कुल कितने आचार्य (प्रोफेसर) पिछले 20 वर्षों से या उससे अधिक समय से एक ही स्थान पर कार्यरत हैं ? क्या सरकार स्थानान्तरण नीति के विरुद्ध सभी आचार्यों (प्रोफेसर्स) का स्थानान्तरण करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

कोई नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बस्ती, नगर पंचायत रुधौली में कान्हा गौशाला के हस्तान्तरण व खाद हेतु भुगतान व कर्मियों को भुगतान आदि के सम्बन्ध में

100-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती की विधान सभा क्षेत्र रुधौली में निर्मित कान्हा गौशाला को किस तिथि को नगर पंचायत रुधौली को हस्तान्तरित किया गया है ? क्या हस्तान्तरण के बाद कम्पोस्ट खाद एकत्र करने के लिए दिनांक 13-08-20 तक कितनी मजदूरी का भुगतान किया गया है एवं कम्पोस्ट खाद बेचने से नगर पंचायत रुधौली को कितनी आय हुयी है ? क्या सरकार बतायेगी कि नगर पंचायत में संविदा/दैनिक वेतन भोगी/आउटसोर्सिंग से नियुक्त कर्मचारियों को कार्यालय कैम्पस में आवास आवंटन का प्रावधान है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त नगर पंचायत का कूड़ा आदि उठाने के लिए वर्तमान में गाड़ियों की संख्या तथा किराये की गाड़ियों की संख्या कितनी है ? क्या सरकर उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन "गोपाल जी"-

नगर पंचायत रुधौली बाजार, जनपद बस्ती में कान्हा गौशाला 14 जनवरी, 2019 को हस्तान्तरित किया गया है। कान्हा गौशाला में कम्पोस्ट खाद एकत्र करने के लिये अलग से कोई श्रमिक नहीं रखा गया है। साफ-सफाई के लिये रखे गये श्रमिकों द्वारा ही कम्पोस्ट खाद को एकत्रित किया जाता है एवं कम्पोस्ट खाद बेचने से नगर पंचायत को लगभग 08 हजार का

आय हुआ है। नगर पंचायत में संविदा/दैनिक वेतन भोगी/आउटसोर्सिंग से नियुक्त कर्मचारियों को कार्यालय कैम्पस में आवास आवंटन का प्रावधान नहीं है। नगर पंचायत का कूड़ा आदि उठाने के लिए वर्तमान में गाड़ियों की संख्या-07 तथा किराये पर 01 गाड़ी रखी गयी है।

जनपद आगरा के विकास खण्ड बरौली अहीर के अन्तर्गत सैमरी से नगला कली सम्पर्क मार्ग की मरम्मत कराने हेतु

101-श्री रामवीर उपाध्याय-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के विकास खण्ड बरौली अहीर के अन्तर्गत सैमरी से नगला कली सम्पर्क मार्ग गड्ढायुक्त एवं क्षतिग्रस्त होने से पानी भराव की समस्या है ? यदि हाँ, तो उक्त मार्ग का जीर्णोद्धार (निर्माण) सरकार करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

प्रश्नगत मार्ग ग्रामीण श्रेणी का मार्ग है। मार्ग की लम्बाई 1.200 किमी0 है, जिसमें से 0.300 किमी0 मार्ग सी0सी0 है, जिसकी दशा संतोषजनक है तथा 0.900 किमी0 का भाग लेपित है। मार्ग के इस भाग में मार्ग के मध्य में जल निगम द्वारा सीवर लाइन डाली गयी है, मेनहोल के स्थानों पर पानी का ओवरफ्लो होने के कारण मार्ग क्षतिग्रस्त हुआ है। मार्ग के उक्त क्षतिग्रस्त भागों को गड्ढामुक्त किया गया है। सीवर लाइन ठीक करने हेतु अधिशासी अभियन्ता ताजगंज (जोन-3) जलकल विभाग से अनुरोध किया गया है। उक्त सीवर लाइन के ठीक होने के उपरान्त मार्ग को ठीक करा दिया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा ग्राम सभा राय बोझा में मंशापुरवा पिच रोड से गोसाईंगांव स्कूल होते हुए रेलवे फाटक तक डामर रोड का निर्माण कराने विषयक

102-श्रीमती सरोज सोनकर-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा के अन्तर्गत ग्राम सभा राय बोझा में मंशापुरवा पिच रोड से गोसाईंगांव स्कूल होते हुए रेलवे फाटक तक का मार्ग लम्बाई 3 किलोमीटर का डामरीकरण सरकार करायेगी ? यदि हां तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी नहीं।

प्रश्नगत ग्राम सभा रायबोझा में मजरा मंशापुरवा एवं मजरा गोसाईंगांव पूर्व से ही लेपित मार्ग से जुड़े हैं।

पूर्व से जुड़े हुये मजरों को परस्पर जोड़ा जाना वर्तमान में लोक निर्माण विभाग की प्रचलित किसी योजना से आच्छादित नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में 05 करोड़ रुपये की लागत से सड़क निर्माण विषयक पत्र संख्या ख-6, नं0-527268 दिनांक-23-10-2019 पर कार्यवाही विषयक

103-श्री बृजभूषण राजपूत उर्फ गुड्डू भइया-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में 05 करोड़ रुपये की लागत से सड़क का निर्माण विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-ख-6 नं0-527268 दिनांक 23-10-2019 विषयक पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी हां।

प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में 05 करोड़ रुपये की लागत से मार्गों के निर्माण की योजना के तहत जनपद महोबा की विधान सभा क्षेत्र चरखारी में सड़कों का निर्माण कार्यदायी संस्था ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, महोबा द्वारा किया जाना है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद महोबा में नगर पालिका चरखारी (महोबा) में वर्ष 2018-2019 में नीलामी में वर्ष 2014-2015 की नीलामी के सापेक्ष राजस्व की क्षति पहुंचाने वाले कर्मचारियों पर कार्यवाही विषयक

104-श्री बृजभूषण राजपूत उर्फ गुड्डू भइया-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद महोबा में नगर पालिका परिषद् चरखारी (महोबा) द्वारा वर्ष 2018-19 में नीलामी में वर्ष 2014-15 की नीलामी के सापेक्ष कितनी हानि हुई है ? क्या सरकार उक्त निलामी में राजस्व की क्षति के लिए जिम्मेदारों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार वर्ष 2018-19 की उक्त निलामी को निरस्त करने पर भी विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन "गोपाल जी"-

जिलाधिकारी, महोबा के पत्र दिनांक 16-02-2021 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या के अनुसार नगर पालिका परिषद्, चरखारी में वर्ष 2018-19 में सम्पन्न हुयी तालाबों की नीलामी/ठेका आदि में अनियमितता के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के समक्ष

सिविल मिस0 रिट पिटीशन नं0-27630/2020 हरिहर मिश्रा बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य योजित की गयी है, जिसकी सुनवाई दिनांक 24-02-2021 को नियत है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद मैनपुरी के विकास खण्ड करहल के ग्राम सड़ में अनइया नदी पर पुल का निर्माण कराने विषयक

105–इंजी0 बृजेश कठेरिया-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मैनपुरी के विकास खण्ड करहल के ग्राम सड़ में जनहित में अनइया नदी पर पुल का निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

ग्राम सड़ में सम्पर्क मार्ग पर आबादी से 500 मीटर की दूरी अनइया नदी पर पूर्व से दो पुलिया निर्मित है, जिनसे आवागमन सुचारु रूप से चल रहा है। प्रश्नगत स्थान पूर्व निर्मित पुलियों से 800 मीटर दूरी पर स्थित है। प्रश्नगत स्थान पर नदी के दूसरी तरफ कोई आबादी लाभान्वित नहीं होने के कारण किसी पुल का निर्माण लोक निर्माण विभाग की किसी योजना से आच्छादित नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

नगर निगम, फिरोजाबाद के अन्तर्गत वर्तमान में कच्ची गलियों का निर्माण कराये जाने विषयक

106–श्री मनीष असीजा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर निगम, फिरोजाबाद के अन्तर्गत कितनी गलियाँ वर्तमान में कच्ची हैं ? क्या सरकार उक्त कच्ची गलियों को चिन्हित कर निर्माण करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन "गोपाल जी"-

नगर निगम, फिरोजाबाद के अन्तर्गत बढ़ती जनसंख्या के कारण नगर के बाहरी क्षेत्रों में अनियोजित ढंग से नई कालोनियां कृषि आदि भूमि पर अवैध रूप से विकसित हो रही हैं, जिसके कारण नगर क्षेत्र में कच्ची गलियों की संख्या निरन्तर बढ़ती जा रही है। विभिन्न क्षेत्रों में गलियों की लम्बाई व चौड़ाई पृथक-पृथक होती है। नगर निगम द्वारा अब तक 201 कच्ची गलियों का चिन्हांकन किया गया है।

कच्ची गलियों का निर्माण कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है। नगर निगम, फिरोजाबाद के राज्य वित्त आयोग से प्राप्त होने वाली अधिकांश धनराशि का व्यय वेतन, आउटसोर्सिंग, मानव श्रम का मानदेय, साफ-सफाई, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन व अन्य दिन-प्रतिदिन

की जनहित की बुनियादी व्यवस्थाओं पर हो जाता है। अतः उक्त निर्माण कार्य केन्द्रीय वित्त आयोग व अवस्थापना विकास निधि से प्राप्त होने वाली धनराशि पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

नगर निगम, फिरोजाबाद में बजरिया स्थित पुरानी सब्जी मण्डी का अत्यन्त जर्जर एवं पुरानी सब्जी मण्डी की भूमि पर प्रशासनिक अथवा कॉमर्शियल उपयोग हेतु एक नवीन बहुमंजिला भवन बनाने पर विचार करने विषयक

107-श्री मनीष असीजा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर निगम, फिरोजाबाद में बजरिया स्थित पुरानी सब्जी मण्डी का भवन जर्जर एवं पुराना है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार नगर निगम के स्वामित्व वाली इस पुरानी सब्जी मण्डी की भूमि पर प्रशासनिक अथवा कॉमर्शियल उपयोग हेतु एक नवीन बहुमंजिला भवन बनाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन "गोपाल जी"-

जी हाँ।

प्रश्नगत भूमि पर सब्जी मण्डी का संचालन किया जा रहा है, जिस पर नगर निगम, फिरोजाबाद में कोई भी भवन निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

नगर निगम, फिरोजाबाद में नगरीय विकास निधि की बैठक दिनांक 17-08-2019 में 02 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क मद से रुपये 27277860/-(दो करोड़ बाहत्तर लाख सतहत्तर हजार आठ सौ साठ रुपये) के स्वीकृत प्रस्तावों पर दिनांक 20-10-2020 तक की प्रगति रिपोर्ट का विवरण उपलब्ध कराने विषयक

108-श्री मनीष असीजा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर निगम, फिरोजाबाद में नगरीय विकास निधि की बैठक दिनांक 17/08/2019 में 02 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क मद से रुपये 27277860.00 (दो करोड़ बहत्तर लाख सतहत्तर हजार आठ सौ साठ रुपये) के प्रस्ताव स्वीकृत किये गये हैं ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त स्वीकृत प्रस्तावों पर दिनांक 20-10-2020 तक की प्रगति रिपोर्ट का विवरण उपलब्ध करायेगी ? क्या सरकार विलम्ब से किये जा रहे उक्त कार्यों को तय समय-सीमा में पूर्ण करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन "गोपाल जी"-

जी हाँ।

2 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क मद से दिनांक 17-08-2019 को 13 कार्यों की स्वीकृति प्रदान की गयी थी। जिसमें 07 कार्य पूर्ण हो गये हैं। 01 कार्य निरस्त कर दिया गया है। शेष 05 कार्यों का विवरण निम्नवत् है :-

क्रमांक	कार्य का नाम	अभ्युक्ति
1	भारत माता पार्क की प्रतिमा परिवर्तित करने का कार्य	अमृत योजना के अन्तर्गत पार्क सुदृढ़ीकरण कार्य प्रगति पर है तथा प्रतिमा बदलने के कार्य हेतु दिनांक 16-01-2021 को निविदा आमंत्रित की गयी है।
2	नगर निगम के अन्तर्गत कान्फ्रेन्स हॉल का निर्माण इन्टीरियर व फर्नीचर का कार्य	इस कार्य का कार्यादेश दिनांक 18-01-2021 को जारी किया गया है।
3	नगर निगम परिसर में टाइल्स लगाने का कार्य	निविदा प्रक्रिया में।
4	नगर निगम जलकल विभाग के मेन गेट का निर्माण कार्य	निविदा प्रक्रिया में।
5	कार्यशाला हेतु साफ्टवेयर तैयार कराये जाने का कार्य मय जी0एस0टी0 व वार्षिक अनुरक्षण एवं क्लाउण्ड सहित	कार्य यूपी डेस्को से कराया जाना है, जिसके लिए यूपी डेस्को कार्य योजना हेतु पत्र संख्या-5/ कार्यशाला/2020-21 दिनांक 15-06-2020 के द्वारा पत्र प्रेषित किया गया है।

जी हाँ।

नियमानुसार निविदाएं प्राप्त होने पर।

प्रश्न नहीं उठता।

नगर निगम, फिरोजाबाद के अन्तर्गत अनेकों क्षेत्रों में कच्ची गलियों, जल निकासी हेतु नाली न होने के कारण वहाँ रहने वाले नागरिकों की मूलभूत आवश्यकताओं को उपलब्ध कराये जाने हेतु नगर निगम, फिरोजाबाद को 13वें, 14वें एवं 15वें वित्त आयोग से उपलब्ध अवशेष धनराशि का उपयोग कराने विषयक

109-श्री मनीष असीजा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर निगम, फिरोजाबाद के अन्तर्गत अनेकों क्षेत्र में कच्ची गलियों, जल निकासी हेतु नाली न होने के कारण वहाँ रहने वाले नागरिकों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है ? क्या सरकार अवगत करायेगी कि नागरिकों की इन मूलभूत आवश्यकताओं को उपलब्ध कराये जाने हेतु नगर निगम, फिरोजाबाद को 13वें, 14वें एवं 15वें वित्त आयोग से धनराशि उपलब्ध कराई जाती है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार बतायेगी कि 25 अक्टूबर, 2020 तक नगर निगम के खातों में उक्त कार्यों हेतु कितनी

धनराशि अवशेष है ? क्या सरकार जनहित के कार्यों को कराने हेतु अवशेष धनराशि का उपयोग करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन "गोपाल जी"-

जी हाँ।

जी हाँ।

नगर निगम, फिरोजाबाद में 25 अक्टूबर, 2020 तक 13वें, 14वें एवं 15वें वित्त आयोग के अन्तर्गत निम्नलिखित धनराशि अवशेष है :-

क्रम	मद का नाम	धनराशि
1	13वें वित्त आयोग	शून्य
2	14वें वित्त आयोग	422456790.00
3	15 वें वित्त आयोग	144809812.00

जी हाँ। शासनादेश दिनांक 27-02-2019 द्वारा गठित समिति की बैठक आहूत कराकर समिति की स्वीकृति/निर्णय के आधार पर कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

नगर निगम फिरोजाबाद में झेड़ाजाल परियोजना (फिरोजाबाद पेयजल पुनर्गठन योजना) के अन्तर्गत लोअर गंगा कैनाल माध्यम से जल लेकर डब्लू0टी0पी0 प्लांट में शोधित करते हुये सी0डब्लू0आर0 ओवरहेड टैंकों के माध्यम से नगर में पेय जलापूर्ति कराने वाली जीवनदायिनी परियोजना के संचालन, अनुरक्षण हेतु स्थायी कार्य योजना तैयार किये जाने विषयक

110-श्री मनीष असीजा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर निगम, फिरोजाबाद में झेड़ाजाल परियोजना (फीरोजाबाद पेयजल पुनर्गठन योजना) के अन्तर्गत लोअर गंगा कैनाल माध्यम से जल लेकर डब्लू0टी0पी0 प्लांट में शोधित करते हुये सी0डब्लू0आर0 ओवरहेड टैंकों के माध्यम से नगर में पेय जलापूर्ति कराये जाते हुये लगभग 15 महीनों से अधिक समय हो गया है ? क्या सरकार ने नगर फिरोजाबाद को पेयजल हेतु गंगाजल आपूर्ति करने वाली इस जीवनदायिनी परियोजना के संचालन, अनुरक्षण हेतु कोई स्थायी कार्य योजना तैयार की है ? यदि हाँ, तो उक्त का विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन "गोपाल जी"-

जी हाँ।

जी हाँ।

उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा फिरोजाबाद पुनर्गठन पेयजल योजना के अन्तर्गत निर्मित इन्टेक वर्क्स, रॉ वाटर राइजिंग मेन, 120 एम0एल0डी0 वाटर ट्रीटमेंट प्लान्ट, क्लीयर वाटर फीडर मेन, क्षेत्रीय पम्पिंग स्टेशनों एवं सिंचाई विभाग द्वारा निर्मित नवीन जसराना नहर के रख-रखाव हेतु 05 वर्ष के लिए अनुमानित लागत रु0 21459.52 लाख का प्राक्कलन उपलब्ध कराया गया है, जिसकी स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सीतापुर के तहसील महमूदाबाद में स्थापित दि किसान सहकारी चीनी मिल्स लिमिटेड महमूदाबाद की मशीनरी व चीनी मिल के अपग्रेडेशन के सम्बन्ध में

111-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर की तहसील महमूदाबाद में स्थापित दि किसान सहकारी चीनी मिल्स लि0, महमूदाबाद की मशीनरी पुरानी व जर्जर है तथा मिल निरन्तर हानि में चल रही है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार सहकारी चीनी मिल बेलराया, नानपारा, सम्पूर्णानगर, सरसावां की भांति चीनी मिल महमूदाबाद को सहायतार्थ धनराशि उपलब्ध कराकर अपग्रेडेशन कार्य करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार राणा-

दि किसान सहकारी चीनी मिल लि0, महमूदाबाद, सीतापुर पुरानी मिल है तथा अपनी क्षमता पर निरन्तर चल रही है। दिनांक 31 मार्च, 2020 तक अंकेक्षित बैलेन्स शीट के अनुसार मिल की संचित हानि रु0 633.30 करोड़ हो चुकी है।

दि किसान सहकारी चीनी मिल लि0, महमूदाबाद को विगत 05 वर्षों में राज्य सरकार द्वारा कुल रु0 705.00 लाख की धनराशि मरम्मत एवं रख-रखाव मद में ऋण के रूप में स्वीकृत की गई। इसके अतिरिक्त इस चीनी मिल की उत्पादन क्षमता बढ़ाने, चीनी मिल की गुणवत्ता में सुधार और शीरे में चीनी की हानि को रोकने के दृष्टिगत सत्र 2017-18 में एक डब्लू0के0 1500 सेन्ट्रीफ्यूगल मशीन "सी" मैस्कुट क्योरिंग हेतु एवं सत्र 2020-21 में डब्लू0 वी0-1750 सेन्ट्रीफ्यूगल मशीन ''एक'' मैस्कुट क्योरिंग नई मशीनरी, कुल लागत अंकन रु0 75.00 लाख लगाई गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

किसान सहकारी चीनी मिल्स लिमिटेड, महमूदाबाद-सीतापुर में आसवनी प्लान्ट लगाने के सम्बन्ध में

112-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

क्या चीनी मिलें मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि किसान सहकारी चीनी मिल्स लि0 महमूदाबाद, जनपद सीतापुर में आसवनी (एल्कोहल प्लान्ट) लगाने हेतु डी0पी0आर0 बनाया गया

है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार मिल की आर्थिक परिस्थितियों को सुदृढ़ करने हेतु आगामी सत्र में उपरोक्त मिल में आसवनी प्लान्ट लगाएगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार राणा-

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में 100 किलोलीटर प्रतिदिन क्षमता से कम की आसवनी स्थापित किया जाना लाभप्रदता की दृष्टि से उचित नहीं है। इस क्षमता की आसवनी स्थापना पर रु0 170.00 करोड़ व्यय अनुमानित है तथा 13.00 लाख कुन्टल शीरे की आवश्यकता होगी।

दिनांक 31-03-2020 तक अंकेक्षित बैलेन्स शीट के अनुसार महमूदाबाद चीनी मिल की संचित हानि रु0 633.30 करोड़ हो चुकी है और मिल की नेटवर्थ ऋणात्मक होने के कारण वित्तीय संस्थाओं अथवा बैंकों से ऋण प्राप्त होना सम्भव नहीं है।

पेराई सत्र में महमूदाबाद चीनी मिल द्वारा लगभग 30 लाख कुन्टल गन्ना पेराई करने पर 1.00 लाख कुन्टल शीरा उपलब्ध होगा। निकटवर्ती निजी क्षेत्र की चीनी मिलों द्वारा स्वयं की आसवनी स्थापित है। अतः निकटवर्ती चीनी मिलों से भी अवशेष शीरे की आपूर्ति सम्भव नहीं है।

अतः वर्तमान में आसवनी (एल्कोहल प्लान्ट) लगाने का प्रस्ताव नहीं है।

जनपद अलीगढ़ के पनैठी से हनुमान चौकी ग्रामीण मार्ग को अन्य जिला मार्ग श्रेणी में परिवर्तित किये जाने विषयक पत्र दिनांक 11-02-2020 पर कार्रवाई विषयक

113-श्री अनिल पाराशर-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अलीगढ़ में पनैठी से हनुमान चौकी ग्रामीण मार्ग को जिला मार्ग की श्रेणी में परिवर्तित किये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-2071, दिनांक 11-02-2020 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य -

जी हाँ।

जनपद अलीगढ़ में पनैठी से हनुमान चौकी मार्ग अन्य जिला मार्ग में परिवर्तित किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शामली में काली नदी कस्बा बनत व आस-पास के ग्रामों तथा जनपद सहारनपुर में मसकरा नदी आदि नदियों के प्रदूषण दूर करने हेतु कार्य योजना बनाने विषयक

114-श्री नाहिद हसन-

क्या पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शामली में काली नदी कस्बा बनत व आस-पास के ग्रामों, जनपद सहारनपुर में मस्करा नदी, ग्राम टोडरपुर व निकट के ग्रामों, हिन्डन नदी, ग्राम लासनौर के निकट तथा जनपद मुजफ्फरनगर में कृष्णा नदी शहर, मुजफ्फरनगर के निकट तथा हिन्डन नदी ग्राम तितावी में उक्त नदियों के किनारे स्थित औद्योगिक इकाइयों के उत्सर्जन से उक्त नदियां प्रदूषित हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रदूषण के लिये दोषी इकाइयों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध कार्यवाही कर उक्त नदियों में प्रदूषण को दूर करने हेतु कोई कार्य योजना बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दारा सिंह चौहान-

काली नदी, मस्करा नदी, हिण्डन नदी एवं कृष्णा नदी में प्रदूषण का मुख्य कारण दोषी उद्योगों से जनित प्रदूषित उत्प्रवाह एवं नदी के किनारे स्थित ग्रामों का घरेलू मलजल, ठोस अपशिष्ट आदि नदी में गिरना है।

नदियों में उत्प्रवाह निस्तारित करने वाले दोषी उद्योगों के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही तथा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति भी अधिरोपित की जाती है। काली नदी एवं कृष्णा नदी हिण्डन नदी की सहायक नदियाँ हैं। हिण्डन व सहायक नदियों के पुनर्जीवन हेतु कार्य योजना निरूपित कर क्रियान्वित की जा चुकी है। कार्य योजना के क्रियान्वयन का अनुश्रवण जिला स्तर पर संबंधित जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला पर्यावरण समिति तथा राज्य स्तर पर कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में गठित रीवर रिजुवेनेशन समिति द्वारा किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में जनपद सहारनपुर में मस्करा नदी पर बादशाही बाग के निकट अधूरे पुल को किस तिथि तक पूर्ण कराने विषयक

115-श्री नाहिद हसन-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में किसी नदी विशेष पर पुल की स्वीकृति किस आधार पर की जाती है ? क्या सरकार बतायेगी कि जनपद सहारनपुर में मस्करा नदी पर बादशाही बाग के निकट अधूरे पुल को सरकार पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

सेतुओं की आवश्यकता/स्थानीय जनमानस की मांग पर सेतु निर्माण की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

दिल्ली-यमुनोत्री मार्ग, जनपद गाजियाबाद में लोनी से प्रारम्भ होकर जनपद सहारनपुर के किमी0 217 तक पूर्व में राज्य मार्ग था। वर्तमान में इस मार्ग की चैनेज संख्या-0.000 से चैनेज संख्या-155.025 तक का भाग राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-709 बी के रूप में घोषित किया जा चुका है। वर्तमान में मार्ग के इस भाग में चौड़ीकरण का कार्य एन0एच0ए0आई0 द्वारा किया जा रहा है। मार्ग की शेष लम्बाई किमी0 155.400 से 217.000 तक जनपद सहारनपुर में राज्य मार्ग के रूप में लो0नि0वि0 के अधीन है।

जनपद सहारनपुर में दिल्ली-यमुनोत्री मार्ग (राज्य मार्ग संख्या-57) के किमी0 185 के चैनेज 184.700 में मस्करा राव नदी क्रॉस करती है। जिस पर सेतु निर्माण वर्ष 2014 में उपशा द्वारा प्रारम्भ किया गया था। कार्य पूर्ण होने से पूर्व ही उपशा द्वारा उक्त मार्ग वर्ष 2018 में लो0नि0वि0 को हस्तान्तरित कर दिया गया था। सेतु का कार्य लगभग पूर्ण है, जिसकी पहुँच मार्ग एवं सेतु के अवशेष कार्य को लोक निर्माण विभाग द्वारा कराया जाना है। विषयगत सेतु का प्रारम्भिक आगणन कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र दिनांक 12-02-2021, लागत रु0 324.71 लाख शासन में प्राप्त है। स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

परियोजना प्रबंधक उ0प्र0 जल निगम निर्माण इकाई सहारनपुर अन्तर्गत कार्यों के जी0एस0टी0 भुगतान विषयक

116-श्री नाहिद हसन-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि परियोजना प्रबंधक उत्तर प्रदेश जल निगम निर्माण इकाई सहारनपुर अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17, 2017-18 में किए गए कार्यों पर कुल कितनी जी0एस0टी0 का भुगतान संबंधित फर्मों को किया जाना शेष है ? क्या सरकार अवशेष जी0एस0टी0 बकाया का भुगतान करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन "गोपाल जी"-

जी0एस0टी0 मद में फर्मों को कोई भुगतान किया जाना शेष नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के फैजुल्लागंज प्रथम, द्वितीय व चतुर्थ वार्ड में अमृत योजनान्तर्गत पेयजल व्यवस्था उपलब्ध कराने विषयक

117-डॉ0 नीरज बोरा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर निगम के फैजुल्लागंज प्रथम, द्वितीय एवं चतुर्थ वार्ड में अमृत योजनान्तर्गत पेयजल व्यवस्था सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नही, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन "गोपाल जी"-

जी हाँ।

लखनऊ नगर निगम के पेयजल डिस्ट्रिक्ट-बी पार्ट-1 के फैजुल्लागंज वार्ड प्रथम, द्वितीय एवं चतुर्थ में पाइप पेयजल विहीन क्षेत्र सम्मिलित करते हुए अनुमानित लागत रु0 127.60 करोड़ का प्राक्कलन तैयार किया गया है, जिसकी स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के जानकीपुरम प्रथम वार्ड की सीवर लाइन को कुर्सी रोड की मेन सीवर लाइन से जोड़े जाने विषयक

118-डॉ0 नीरज बोरा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ के जानकीपुरम प्रथम वार्ड की सीवर लाइन को जल निगम द्वारा कुर्सी रोड स्थित बड़ी सीवर लाइन में कनेक्ट नहीं किये जाने से उक्त वार्ड के कतिपय कालोनियों में प्रायः सीवर चोक की समस्या बनी रहती है ? यदि हां, तो उक्त सीवर लाइन को कुर्सी रोड की मेन सीवर लाइन से सरकार जोड़ेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन "गोपाल जी"-

लखनऊ के जानकीपुरम-प्रथम वार्ड में सीवर चोक की समस्या हेतु प्रारम्भिक सर्वेक्षण कराया गया, जिसमें यह प्रकाश में आया कि वार्ड के अन्तर्गत कुछ कालोनियों हेतु डाली गयी सीवर लाइन में चोकिंग की समस्या उत्पन्न हो जाती है, जिसका निराकरण लखनऊ नगर निगम हेतु वन सिटी वन आपरेटर के अन्तर्गत चयनित सुएज इण्डिया प्रा0लि0 द्वारा सुपर सकर/ जेटिंग मशीन द्वारा कराया जाता है। जहाँ तक जानकीपुरम प्रथम वार्ड की सीवर लाइन को कुर्सी रोड की मेन सीवर लाइन से जोड़ने का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि कुर्सी रोड पर सीवर लाइन लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा डाली गई मेन सीवर लाइन से कनेक्ट है, जोकि वर्तमान में पूर्णतया क्रियाशील है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्नकर्ता का पत्र संख्य-ख-6 नं0 497685, दिनांक 16-10-2019 के अन्तर्गत भोजपुरी भाषा संस्कृति के संरक्षण-संवर्धन हेतु प्रदेश में भोजपुरी अकादमी स्थापित किये जाने विषयक

119-श्री पवन कुमार उर्फ पवन केडिया-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में भोजपुरी भाषा संस्कृति के संरक्षण-संवर्धन हेतु प्रदेश में भोजपुरी अकादमी स्थापित किये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र

संख्या-ख-6 नं0 497685, दिनांक 16-10-2019 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी नहीं।

पत्र प्राप्त नहीं हुआ है, अतः कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बांदा, ब्लाक महुआ अन्तर्गत ग्राम मोतियारी का पुरवा से अनुसूचित जाति बस्ती अजनायक का पुरवा मार्ग को पक्का कराये जाने विषयक

120-श्री संजय गर्ग-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा के ब्लाक-महुआ अन्तर्गत ग्राम-मोतियारी का पुरवा से अनुसूचित जाति बस्ती अजनायक का पुरवा मार्ग कच्चा एवं क्षतिग्रस्त होने के कारण लोगों को आवागमन में असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग को पक्का करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

मोतियारी का पुरवा से अनुसूचित जाति बस्ती अजनायक के पुरवा तक कच्चा मार्ग जिसकी लम्बाई 450 मी0 है, वर्तमान में मोतियारी का पुरवा लेपित मार्ग से जुड़ा है। अनुसूचित जाति बस्ती अजनायक के पुरवा की आबादी मौके पर लगभग 30 है। वर्तमान में लोक निर्माण विभाग में 250 से कम आबादी के ग्रामों को लेपित मार्ग से जोड़े जाने की योजना प्रचलित नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद लखनऊ के मकान नम्बर-5/511, विकास नगर, कुर्सी रोड, आवास विकास कालोनी, लखनऊ के लोगों की रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूर्ण कराने विषयक

121-श्री संजय गर्ग-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के विकास नगर, कुर्सी रोड, आवास विकास कालोनी, लखनऊ के मकान नं0-5/511 के अध्यासी सहित विकास नगर, कुर्सी रोड, आवास विकास कालोनी के कितने लोगों ने रजिस्ट्री की सम्पूर्ण औपचारिकतायें पूर्ण कर रजिस्ट्री हेतु आवेदन किया है ? क्या सरकार ने उक्त सभी की रजिस्ट्री आदि की प्रक्रिया पूर्ण करा दी है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त मकानों की रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् की विकास नगर, कुर्सी रोड योजना लखनऊ के भवन संख्या-5/511 सहित कुल 8417 सम्पत्तियों की रजिस्ट्री हेतु सम्पूर्ण औपचारिकतायें पूर्ण कर आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे।

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रुधौली के बस्ती-पीलीभीत-बहराइच मार्ग पर मनौरी चौराहे से बेवा चौराहे तक मार्ग की मरम्मत के सम्बन्ध में

122-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रुधौली से गुजरने वाली बस्ती-पीलीभीत-बहराइच मार्ग पर जनपद बस्ती के मनौरी चौराहे से लेकर बेवा चौराहे तक का मार्ग क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार बस्ती-पीलिभीत-बहराइच मुख्य मार्ग के उक्त भाग की मरम्मत करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी हाँ।

1-पीलीभीत-बहराइच-बस्ती मार्ग के जनपद बस्ती के अन्तर्गत किमी0 391.00 से 395.00 तथा किमी0 416.00 से 424.00 तक क्षतिग्रस्त भाग की विशेष मरम्मत योजनान्तर्गत स्वीकृति निर्गत की गयी है, जिसे मार्च, 2021 तक पूर्ण कराया जाना लक्षित है। अवशेष लम्बाई में मार्ग यातायात हेतु उपयुक्त है।

2-जनपद सिद्धार्थनगर के अन्तर्गत किमी0 387.00 से 390.00 तक (बेवा से बस्ती बार्डर) का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य करा दिया गया है। शेष मार्ग यातायात हेतु सुगम है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के मेडिकल, नर्सिंग व पैरामेडिकल कालेजों को अटल बिहारी बाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्रदान किये जाने की नीति विषयक

123-डॉ0 नीरज बोरा-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के सभी मेडिकल, नर्सिंग और पैरामेडिकल कालेजों को अटल बिहारी बाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किया जाना है ? यदि हां, तो सम्बद्धता का कार्य कब पूर्ण हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जी हाँ।

विश्वविद्यालय से सम्बद्धता के विषय में कार्यवाही प्रारम्भ हो गयी है। दिनांक 18-12-2020 तक 09 राजकीय मेडिकल कॉलेजों तथा निजी क्षेत्र के 02 मेडिकल कॉलेजों को सम्बद्धता का सहमति पत्र निर्गत किया गया है, जिनका विवरण निम्नवत् है :-

क्रम-संख्या	कालेज का नाम
1	स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, प्रतापगढ़।
2	स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया।
3	स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय सिद्धार्थनगर।
4	स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, एटा।
5	स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, मिर्जापुर।
6	स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, गाजीपुर।
7	स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, हरदोई
8	स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, फतेहपुर।
9	स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय जौनपुर।
10	निजी महाविद्यालय-यूनाइटेड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सांइसेज, प्रयागराज।
11	निजी महाविद्यालय-नारायणा मेडिकल कालेज एवं रिसर्च सेन्टर, कानपुर।

समयबद्ध रूप से सम्बद्धता की कार्यवाही पूर्ण की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के अलीगंज योजना में लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा स्टेडियम को खेलकूद विभाग को हस्तान्तरित कराने विषयक

124-डॉ0 नीरज बोरा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर की अलीगंज योजना में लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित स्टेडियम को खेल विभाग को हस्तान्तरित सरकार करेगी ? यदि हां तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

लखनऊ विकास प्राधिकरण की सम्पत्ति होने के कारण हस्तान्तरण का कोई प्रस्ताव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद कुशीनगर में निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग के वित्तीय वर्ष 2019-2020 में विधान सभा क्षेत्र हाटा के कतिपय मार्गों की मरम्मत हेतु आगणन पर वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति दिये जाने विषयक

125-श्री पवन कुमार उर्फ पवन केडिया-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर में निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग के वित्तीय वर्ष 2019-20 में विधान सभा क्षेत्र हाटा के कतिपय मार्गों की विशेष मरम्मत कार्यों को कराये जाने हेतु मुख्य अभियन्ता, गोरखपुर क्षेत्र लोक निर्माण विभाग, गोरखपुर द्वारा प्रेषित आगणन हेतु वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति सरकार प्रदान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों।

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी हां। 10 कार्यों में से 09 कार्यों की स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है तथा शेष 01 कार्य का सामान्य मरम्मत मद से मरम्मत कार्य पूर्ण कराया जा चुका है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा अन्तर्गत ग्राम सभा करमोहना में 03 किलोमीटर रोड का डामरीकरण निर्माण हेतु

126-श्रीमती सरोज सोनकर-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा के अन्तर्गत ग्राम सभा करमोहना में काली माता के मंदिर से पंचपुरवा गाँव तक लम्बाई लगभग 03 किलोमीटर रोड का डामरीकरण सरकार कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी नहीं।

प्रश्नगत ग्राम करमोहना पूर्व से लेपित मार्ग से संतृप्त है, काली माता मन्दिर इसी ग्राम में स्थित है तथा ग्राम पंचपुरवा राजस्व ग्राम करमोहना का मजरा है, जिसकी आबादी वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 64 है। वर्तमान में लोक निर्माण विभाग की वर्तमान सम्पर्क मार्ग निर्माण नीति से आच्छादित नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा ग्राम सभा घुमनाभारू के मजरा लाल बिहारीपुरवा में 500 मीटर रोड का डामरीकरण कराने हेतु

127-श्रीमती सरोज सोनकर-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा के ग्राम सभा घुमनाभारू के मजरा लाल बिहारीपुरवा में मेन रोड से रामाशंकर के घर तक लम्बाई लगभग 500 मीटर रोड का डामरीकरण सरकार कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी नहीं।

ग्राम सभा घुमनाभारू एवं मजरा लाल बिहारीपुरवा पूर्व से एकल सम्पर्क मार्ग से संतृप्त हैं। ग्राम घुमनाभारू के मजरा लाल बिहारीपुरवा में मेन रोड से रामाशंकर के घर तक (ग्राम सभा लाल बिहारीपुरवा का आन्तरिक मार्ग) रोड का डामरीकरण कार्य वर्तमान में लोक निर्माण विभाग में प्रचलित किसी योजना से आच्छादित नहीं है। अतः लोक निर्माण विभाग द्वारा कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा अन्तर्गत ग्राम सभा चुरवा में 01 मीटर रोड का डामरीकरण निर्माण हेतु

128-श्रीमती सरोज सोनकर-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा के अन्तर्गत ग्राम सभा चुरवा में ककरहा संपर्क मार्ग से लोधनपुरवा तक दूरी लगभग 01 किलोमीटर रोड का डामरीकरण सरकार कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

प्रश्नगत लोधनपुरवा राजस्व ग्राम ककरहा का मजरा है, जिसकी आबादी वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 254 है। 250 से अधिक आबादी के मजरों को लेपित मार्ग से जोड़े जाने की कार्य योजना में लोधनपुरवा को सम्मिलित कर लिया गया है। कार्य की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बहराइच से विधान सभा क्षेत्र बलहा अन्तर्गत ग्राम घुमनाभारू में बंकालाल की मिल से जंगल तक रोड का डामरीकरण कराने हेतु

129-श्रीमती सरोज सोनकर-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा के अन्तर्गत ग्राम सभा घुमनाभारू के मजरा लालबिहारी पुरवा में बंकालाल की मिल से जंगल तक 500 मीटर रोड का डामरीकरण (खड़न्जा) सरकार कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी नहीं।

ग्राम सभा घुमनाभारू एवं मजरा लाल बिहारीपुरवा पूर्व से एकल सम्पर्क मार्ग से संतृप्त हैं। ग्राम घुमनाभारू के मजरा लाल बिहारीपुरवा में बंकालाल की मिल से जंगल तक (ग्राम सभा लाल बिहारीपुरवा का आन्तरिक मार्ग) रोड का डामरीकरण (खड़न्जा) कार्य वर्तमान में लोक निर्माण विभाग में प्रचलित किसी योजना से आच्छादित नहीं है। अतः लोक निर्माण विभाग द्वारा कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बहराइच से विधान सभा क्षेत्र बलहा अन्तर्गत ग्राम गुलरा के भज्जापुरवा में स्कूल से जमालुद्दीन के खेत तक 01 किलोमीटर रोड का डामरीकरण कराने हेतु

130-श्रीमती सरोज सोनकर-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा के ग्राम सभा गुलरा के भज्जापुरवा में स्कूल से जमालुद्दीन के खेत तक लम्बाई लगभग 01 किलोमीटर रोड का डामरीकरण सरकार कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी नहीं।

ग्राम सभा गुलरा व भज्जापुरवा पूर्व से ही एकल लेपित मार्गों से जुड़े हैं तथा स्कूल व जमालुद्दीन का खेत इसी मजरे/ग्राम का आन्तरिक भाग है, जिसका निर्माण लोक निर्माण विभाग की वर्तमान में प्रचलित किसी योजना से आच्छादित नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

नगर निगम, फिरोजाबाद में आसरा योजना अन्तर्गत आवासों को पात्र लाभार्थियों को नियमानुसार आवंटित कराने विषयक

131-श्री मनीष असीजा-

क्या नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूला मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर निगम, फिरोजाबाद में आसरा योजना अन्तर्गत कितने आवास आवंटन हेतु वर्तमान में उपलब्ध हैं ? क्या सरकार उक्त आवासों को पात्र लाभार्थियों को नियमानुसार आवंटित करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन "गोपाल जी"-

आसरा योजनान्तर्गत नगर निगम, फिरोजाबाद में कुल स्वीकृत 36 आवासों के निर्मित होने के उपरान्त उक्त आवासों के आवंटन की कार्यवाही जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, डूडा, फिरोजाबाद द्वारा गठित समिति के माध्यम से की जा चुकी है। वर्तमान में कोई आवास आवंटन हेतु शेष नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

नगर फिरोजाबाद में नगर निगम के माध्यम से राजा के ताल (तहसील सदर) से दबरई (जिला मुख्यालय) तक सिटी बस संचालित कराये जाने पर विचार विषयक

132-श्री मनीष असीजा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के नगर निगमों के अन्तर्गत सिटी बस संचालन का प्रावधान है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार नगर फिरोजाबाद में नगर निगम के माध्यम से राजा के ताल (तहसील सदर) से दबरई (जिला मुख्यालय) तक सिटी बस संचालित कराये जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन "गोपाल जी"-

जी हाँ।

जी नहीं।

नगरीय परिवहन प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए ग्रास कॉस्ट कान्ट्रैक्ट मॉडल पर भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा फेम इण्डिया-II स्कीम के अन्तर्गत चयनित 14 शहरों में फिरोजाबाद सम्मिलित नहीं है। यह भी अवगत कराना है कि राजा के ताल दबरई नगर निगम, फिरोजाबाद सीमान्तर्गत नहीं है।

राज्य स्मार्ट सिटी में चयनित नगर निगम, फिरोजाबाद के प्रमुख चौराहों/स्थानों पर उच्च गुणवत्ता के सी0सी0टी0वी0 कैमरों की स्थापना के साथ एक आधुनिक इन्टीग्रेटेड कन्ट्रोल एण्ड कमाण्ड सेन्टर की स्थापना कराने विषयक

133-श्री मनीष असीजा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में राज्य स्मार्ट सिटी मिशन में चयनित नगरों को राज्य स्मार्ट सिटी मिशन गाइड लाइन्स-2019 के अनुपालन में गृह विभाग के सहयोग से स्मार्ट तथा सेफ सिटी के रूप में विकसित किये जाने की योजना है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार राज्य स्मार्ट सिटी में चयनित नगर निगम, फिरोजाबाद के प्रमुख चौराहों/स्थानों पर उच्च गुणवत्ता के सी0सी0टी0वी0 कैमरों की स्थापना के साथ एक आधुनिक इन्टीग्रेटेड कन्ट्रोल एण्ड कमाण्ड सेन्टर की स्थापना करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन "गोपाल जी"-

जी हाँ।

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद में स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय पर स्थित टी0बी0 वार्ड मैदान पर अमृत योजना के अन्तर्गत स्वर्गीय अटल बिहारी बाजपेयी के नाम पर निर्मित किये जाने वाले पार्क में स्वर्गीय अटल बिहारी बाजपेयी जी की प्रतिमा स्थापित कराने हेतु

134-श्री मनीष असीजा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेगें कि फिरोजाबाद में स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय पर स्थित टी0बी0 वार्ड मैदान पर अमृत योजना के अन्तर्गत स्व0 अटल बिहारी बाजपेयी के नाम पर निर्मित किये जाने वाले पार्क में स्व0 अटल बिहारी बाजपेयी जी की प्रतिमा स्थापित कराने हेतु प्रश्नकर्ता का मुख्य मंत्री, उ0प्र0 सरकार, नगर विकास मंत्री, उ0प्र0 सरकार एवं प्रमुख सचिव, नगर विकास उ0प्र0, को क्रमशः प्रेषित पत्रांक संख्या-क-6 नं0 360546, क-6 नं0 360545, क-6 नं0-360544, दिनांक 06/02/2020 प्राप्त हुये हैं। यदि हाँ, तो उक्त पत्रों पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन "गोपाल जी"-

जी हाँ।

मा0 मुख्य मंत्री जी को प्रेषित पत्र संख्या-क-6 नं0-360546 प्राप्त हुआ है।

फिरोजाबाद में स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय पर स्थित टी0बी0 वार्ड मैदान पर अमृत योजना के अन्तर्गत स्व0 अटल बिहारी बाजपेयी के नाम निर्मित किये जाने वाले पार्क हेतु

स्वीकृत आगणन में स्व0 अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा लगाये जाने का कार्य सम्मिलित नहीं है।

अमृत योजना के अन्तर्गत निर्मित किये जाने वाले उक्त पार्क में स्व0 अटल बिहारी बाजपेयी जी की प्रतिमा स्थापित किये जाने का प्रस्ताव मा0 सदन, नगर निगम की दिनांक 31-12-2020 को सम्पन्न बैठक के प्रस्ताव संख्या-14 द्वारा पारित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद में माननीय कांशीराम आवासों के आवंटन हेतु

135-श्री मनीष असीजा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद में कितने मा0 कांशीराम आवास तैयार होकर आवंटन हेतु वर्तमान में प्रतीक्षारत् रिक्त हैं ? क्या सरकार उक्त आवासों को पात्र लाभार्थियों को आवंटित कराएगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नही, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जनपद फिरोजाबाद में मा0 कांशीराम आवास योजना के अन्तर्गत तहसील फिरोजाबाद में 2044, तहसील शिकोहाबाद में 480 व तहसील टूण्डला में 704 इस प्रकार कुल 3228 आवास निर्मित किये गये।

तहसील फिरोजाबाद एवं तहसील शिकोहाबाद में निर्मित 2524 आवासों का आवंटन किया जा चुका है। वर्तमान में तहसील टूण्डला में निर्मित किये गये 704 आवासों के सापेक्ष 238 आवास आवंटन हेतु अवशेष हैं।

आवासों के आवंटन हेतु नियमानुसार विज्ञप्ति जारी कर आवेदन-पत्र प्राप्त होने के उपरान्त नियमानुसार जांच कराकर पात्रता के आधार पर आवंटन की कार्यवाही की जाती है। वर्तमान में कोई भी प्रार्थना पत्र आवास आवंटन हेतु लम्बित नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मैनपुरी के वि0ख0 किशनी में शमशेरगंज मार्ग पर नगला दिनू से मदनामऊ तक मार्ग पर पुल व सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराने विषयक

136-इंजी0 बृजेश कठेरिया-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मैनपुरी के विकास खण्ड किशनी में मदनामउ (कुम्हौल) में अरिन्द नदी पर पुल न होने से नदी के दूसरी तरफ ग्रामवासियों को अपने खेतों पर जाने के लिए लगभग 10 से 15 किलोमीटर चलकर जाना पड़ता है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त स्थान पर अरिन्द नदी पर पुल का निर्माण करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी नहीं।

मदनामऊ नगला के मध्य अरिन्द नदी पर प्रस्तावित स्थल पर पुल के डाउन स्ट्रीम में 1.00 किमी0 एवं अप स्ट्रीम में 2.00 किमी0 की दूरी पर पूर्व में ही पुल निर्मित है। सेतु के अप स्ट्रीम अथवा डाउन स्ट्रीम में 10 कि0मी0 के अन्दर पूर्व निर्मित सेतु होने की स्थिति में नया सेतु निर्मित किया जाना लोक निर्माण विभाग की प्रचलित व्यवस्था से आच्छादित नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद मैनपुरी के विकास खण्ड किशनी में लालपुर से कसद तक मार्ग का डामरीकरण कराने विषयक

137-इंजी0 बृजेश कठेरिया-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मैनपुरी के विकास खण्ड किशनी में लालपुर से कसद तक का मार्ग कच्चा है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त मार्ग को डामरीकृत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी हां।

जनपद मैनपुरी के विकास खण्ड किशनी में लालपुर व कसद पहले से ही अलग-अलग लेपित मार्गों से जुड़े हैं। वर्तमान में लेपित मार्गों को परस्पर जोड़े जाने की योजना लोक निर्माण विभाग में प्रचलित नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद मैनपुरी के विकास खण्ड किशनी में बखतपुर से त्रिलोकपुर मार्ग का डामरीकरण करवाये जाने विषयक

138-इंजी0 बृजेश कठेरिया-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मैनपुरी के विकास खण्ड किशनी में बखतपुर से त्रिलोकपुर पूरी तरह कच्चा एवं गड्ढायुक्त मार्ग को डामरीकृत सरकार करवायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

ग्राम बखतपुर व त्रिलोकपुर पहले से ही अलग-अलग लेपित मार्गों से जुड़े हैं। वर्तमान में लेपित मार्गों को परस्पर जोड़े जाने की योजना लोक निर्माण विभाग में प्रचलित नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में मिशन वृक्षारोपण-2020 के तहत आगरा मण्डल में जनपदवार लगे पौधों की देखभाल व स्थानों की जियो टैगिंग कराने विषयक

139-श्री श्याम सुन्दर शर्मा-

क्या पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में मिशन वृक्षारोपण-2020 के तहत आगरा मण्डल में जनपदवार कुल कितने क्षेत्रफल में एवं कहां पर कितने पौधे लगाये गये हैं ? क्या सरकार उक्त लगाये गये पौधों की देखभाल एवं पौधरोपण के स्थानों की जियो टैगिंग करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दारा सिंह चौहान-

वर्ष 2020 वर्षाकाल में आगरा मण्डल में जनपदवार लगाये गये पौधों का विवरण निम्नानुसार है :-

जनपद	रोपित क्षेत्र (हे0 में)	रोपित पौध (सं0 में)	ग्राम पंचायतों की सं0	शहरी निकायों की सं0
1	2	3	4	5
आगरा	3403.54	37,57,146	695	13
मथुरा	2193.6	26,40,210	513	0
फिरोजाबाद	2568.06	3,09,675	564	0
मैनपुरी	1381.85	27,63,692	552	0

समस्त रोपित पौधों की देख-भाल वन विभाग/अन्य राजकीय विभागों द्वारा की जा रही है। आगरा जनपद में 577 स्थलों, मथुरा में 262 स्थलों, फिरोजाबाद में 211 स्थलों तथा मैनपुरी में 471 स्थलों की जियो टैगिंग की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2017-2018 व 2018-2019 में जनपद बस्ती में सड़क निर्माण हेतु आवंटित धनराशि का प्रान्तीय खण्ड के तत्कालीन एक्सईएन द्वारा डायवर्जन कर अनियमितता सम्बन्धी प्रकरण में कार्रवाई विषयक

140-श्री श्याम सुन्दर शर्मा-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 2017-18 व 2018-19 में जनपद बस्ती में सड़क निर्माण हेतु आवंटित धनराशि का प्रान्तीय खण्ड के तत्कालीन अधिशासी

अभियन्ता द्वारा डायवर्जन करके अनियमितता करने की जांच शासन द्वारा गठित जांच समिति से करायी गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त प्रकरण में की गई कार्रवाई का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी हां, जनपद बस्ती में सड़क निर्माण हेतु आवंटित धनराशि का प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, बस्ती के तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता द्वारा डायवर्जन करके अनियमितता करने की जांच शासन द्वारा गठित जांच समिति से करायी गयी है। शासन द्वारा 01 अधिशासी अभियन्ता को निलम्बित करते हुए उनके विरुद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित की गयी। अनुशासनिक कार्यवाही में दोषी पाये जाने पर उनके विरुद्ध सेवा से पदच्युति का आदेश निर्गत किया गया है। प्रकरण में अन्तर्ग्रस्त 02 सहायक अभियन्ताओं को निलम्बित करते हुए उनके विरुद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित की गयी है। इसी प्रकरण में ही अन्तर्ग्रस्त 17 अवर अभियन्ताओं के विरुद्ध प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के कार्यालय द्वारा नियम-7 के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही प्रचलित है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सीतापुर की तहसील महमूदाबाद अन्तर्गत गोड़ैचा सदरपुर बिसवां मार्ग, महमूदाबाद पैंतेपुर आदि विभिन्न मार्गों के निर्माण के सम्बन्ध में

141-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर की तहसील महमूदाबाद के अन्तर्गत गोड़ैचा, सदरपुर, बिसवां मार्ग, महमूदाबाद, पैंतेपुर, मीरानगर मार्ग, देबियापुर, पोखरपुर मार्ग, सेमरी, चाँदपुर, बांसुरा मार्ग, महमूदाबाद-सिधौली मार्ग से ग्राम बाबूपुर मार्ग, पैंतेपुर, केदारपुर, चांदपुर मार्ग, सरैंया स्टेशन से सदरपुर मार्ग, सरैंया खेतमनी घैला मार्ग, बाबाकुटी से मिश्रिखा होते हुए लच्छीपुर साहबाजपुर मार्ग, जसमड़ा पुल से सद्दुपुर रमुवापुर मार्ग तथा चांदपुर बहलोल नगर इटिया मार्ग जीर्ण-शीर्ण हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार क्षेत्रवासियों को आवागमन मे हो रही समस्या व बढ़ते ट्रैफिक के दृष्टिगत उक्त मार्गों का निर्माण करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यो ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जनपद सीतापुर के तहसील महमूदाबाद के अन्तर्गत प्रश्नगत मार्गों के सम्बन्ध में अद्यतन स्थिति निम्नवत् है :-

गोड़ैचा सदरपुर बिसवाँ मार्ग के चौड़ीकरण का प्रस्ताव पी0एम0जी0एस0वाई0 फेज-3 के अन्तर्गत विचाराधीन है।

महमूदाबाद-पैंतेपुर-मीरानगर मार्ग पर नवीनीकरण का कार्य प्रगति पर है।

देवियापुर-पोखरपुर मार्ग पर नवीनीकरण के कार्य की स्वीकृति प्रक्रियाधीन है।

सेमरी-चाँदपुर-बांसुरा मार्ग वर्तमान में यातायात के आवागमन हेतु उपयुक्त है।

महमूदाबाद-सिधौली मार्ग से बाबूपुर मार्ग में आबादी भाग को छोड़कर शेष मार्ग की दशा संतोषजनक है। बाबूपुर आबादी भाग में सी0सी0 पेवमेन्ट व नाली निर्माण की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है एवं वर्तमान में निविदा प्रबन्धन किया जा रहा है। कार्य मार्च, 2021 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।

पैंतेपुर-केदारपुर-चाँदपुर मार्ग वर्तमान में यातायात के आवागमन हेतु उपयुक्त है।

सरैया स्टेशन से सदरपुर मार्ग के बजेहरा एवं खुरवल आबादी भाग में सी0सी0 पेवमेंट एवं नाली निर्माण कार्य की स्वीकृति प्रक्रियाधीन है। शेष मार्ग की दशा संतोषजनक है।

सरैया-खेतमनी-घैला मार्ग के अन्तर्गत ठठेरिया सम्पर्क मार्ग पर नवीनीकरण कार्य की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है एवं वर्तमान में निविदा प्रबन्धन किया जा रहा है।

बाबा कुटी से मिश्रिखा होते हुए लच्छीपुर-सहबाजपुर मार्ग के अन्तर्गत बाबा कुटी आबादी भाग में सी0सी0 पेवमेन्ट एवं नाली निर्माण कार्य की स्वीकृति प्रक्रियाधीन है।

जसमड़ा पुल से सद्दूपुर-रमुवापुर मार्ग के अन्तर्गत महरिया सम्पर्क मार्ग पर नवीनीकरण का कार्य प्रगति पर है। उक्त कार्य मार्च, 2021 तक पूर्ण कराया जाना लक्षित है। सद्दूपुर रमुवापुर मार्ग पर नवीनीकरण का कार्य पूर्ण करा दिया गया है। वर्तमान में यह मार्ग यातायात के आवागमन हेतु उपयुक्त है।

चाँदपुर-इटिया मार्ग की दशा संतोषजनक है। बहलोलनगर मार्ग जिला पंचायत सीतापुर के स्वामित्व में है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद अलीगढ़, विधान सभा क्षेत्र कोल, विकास खण्ड लोधा अन्तर्गत ग्राम अहमदपुर मथुरा रोड से मडराक-आगरा रोड तक मार्ग का चौड़ीकरण किये जाने विषयक

142-श्री अनिल पाराशर-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र कोल के विकास खण्ड लोधा अर्न्तगत ग्राम अहमदपुर मथुरा रोड से मडराक-आगरा रोड तक

सड़क को चौड़ीकरण कराकर निर्माण कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-3072, दिनांक 11-02-2020 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी हाँ।

जनपद अलीगढ़ में अलीगढ़-वाया-मथुरा मार्ग के किमी0 9 से अहमदपुर नौहटी होते हुए मडराक-आगरा रोड तक का मार्ग 3.00 मी0 चौड़ा ग्रामीण श्रेणी का मार्ग है। ग्रामीण श्रेणी के मार्गों के चौड़ीकरण की कोई नीति नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र कोल में महेशपुर फाटक से क्वार्सी चौराहा, एटा चुंगी चौराहे होते हुए आगरा तक 4 लेन व आर0 सी0 सी0 कवर्ड नाले का निर्माण कराने विषयक

143-श्री अनिल पाराशर-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र कोल के अन्तर्गत महेशपुर फाटक से क्वार्सी चौराहा, एटा चुंगी चौराहे होते हुए आगरा तक 4 लेन चौड़ीकरण का कार्य एवं क्वार्सी ड्रेन के स्थान पर आर0सी0सी0 कवर्ड नाले का निर्माण कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-3082, दिनांक 16-02-2020 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र कोल, ब्लाक लोधा में मनोहरपुर कायस्थ व अहमदपुर नौहटी मार्ग पर क्षतिग्रस्त पुल व ब्लाक धनीपुर में धीरधरपुर गडियावली से भूडाकिशनगढ़ी मार्ग पर नवीन पुल का निर्माण कराने विषयक

144-श्री अनिल पाराशर-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र कोल के ब्लाक लोधा में मनोहरपुर कायस्थ मार्ग तथा अहमदपुर नौहटी मार्गों पर क्षतिग्रस्त पुलों एवं ब्लाक धनीपुर में धीरधरपुर गडियावली से भूडाकिशनगढ़ी को जाने वाले मार्ग पर नवीन पुल का निर्माण कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-2789, दिनांक 03-12-2019 उन्हें

प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी हाँ।

जनपद अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र कोल के ब्लॉक लोधा में मनोहरपुर कायस्थ एवं बाईपास के बीच स्थित क्षतिग्रस्त पुल का निर्माण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

अहमदपुर नौहटी मार्ग पर क्षतिग्रस्त पुल के स्थान पर नये पुल के निर्माण हेतु शासनादेश सं0-61/2020/344/23-10-20-79 (सेतु)/2019, दिनांक 27-03-2020 द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है। निर्माण कार्य प्रगति में है।

सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश के नियंत्रणाधीन अलीगढ़ खण्ड गंग नहर, अलीगढ़ के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत धनीपुर ब्लॉक के ग्राम-बबगढियावली एवं भूडाकिशनगढ़ी के मध्य पड़ने वाली जाफरी ड्रेन पर पूर्व में एक पैदल पुल का निर्माण किया गया है, जिसकी चौड़ाई लगभग 1.00 मीटर है। पैदल पुल के दोनों ओर कोई पक्का रास्ता निर्मित नहीं है। उक्त पुल के डाउन स्ट्रीम में लगभग 700 मीटर नीचे ग्रामीण पुल निर्मित है।

अतः सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश के मतानुसार इस स्थान पर जनहित में नये पुल का निर्माण कराना उचित नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद सीतापुर की तहसील महमूदाबाद की दि किसान सहकारी चीनी मिल में कार्यरत संघ अधिकारियों व मिल कर्मचारियों के लम्बित देयों के भुगतान से सम्बन्धित

145-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दि किसान सहकारी चीनी मिल महमूदाबाद, जनपद सीतापुर में कार्यरत संघ अधिकारियों व मिल कर्मचारियों की भविष्य निधि की धनराशि जमा नहीं किये जाने की जानकारी सरकार को है ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि भविष्य निधि मद में कुल कितनी धनराशि लम्बित है ? क्या सरकार उक्त चीनी मिल की विषम आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए सहायतार्थ धनराशि उपलब्ध कराने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश राणा-

जी हाँ।

वर्तमान में संघ अधिकारियों के भविष्य निधि मद में अंकन रु0 479.41 लाख व मिल कर्मचारियों के अंकन रु0 650.62 लाख अर्थात् कुल अंकन रु0 1130.03 लाख जमा कराया जाना लम्बित है।

सेवानिवृत्त कार्मिकों के बकाया के भुगतान हेतु रु0 584.70 लाख ऋण के रूप में बजट व्यवस्था किये जाने हेतु आय-व्ययक 2021-22 में प्रस्ताव किया गया है।

उक्त लम्बित धनराशि भविष्य निधि खाते में जमा कराये जाने हेतु मिल स्तर पर विषम स्थिति में अपेक्षित सुधार होने पर जमा कराने हेतु मिल कृत संकल्पित है।

जनपद सीतापुर की तहसील महमूदाबाद अन्तर्गत महमूदाबाद, रेउसा मार्ग पर नूरपूर के पास शारदा सहायक पुल के स्थान पर डबल लेन पुल निर्माण के सम्बन्ध में

146-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर की तहसील महमूदाबाद के अन्तर्गत महमूदाबाद-रेउसा मार्ग पर नूरपुर के समीप स्थित शारदा सहायक पुल पुराना है व ट्रैफिक/लोड अधिक है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त पुराने पुल के स्थान पर डबल लेन पुल बनाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जनपद सीतापुर की तहसील महमूदाबाद के अन्तर्गत तम्बौर-महमूदाबाद मार्ग (प्रमुख जिला मार्ग-79सी) के किमी0 51 में प्रश्नगत सेतु पुराना है और उस पर ट्रैफिक लोड अधिक है। इस सेतु का स्वामित्व वर्तमान में सिंचाई विभाग का है। इस सेतु की वर्तमान रोडवे चौड़ाई 3.50 मी0 है। प्रमुख जिला मार्ग-79 सी की चौड़ाई 7.00 मी0 है। अतः प्रश्नगत स्थल पर 7.00 मी0 चौड़े पुल की आवश्यकता है। कार्य स्थल पर लगभग 150 मी0 लम्बाई में सेतु निर्माण हेतु रु0 11.00 करोड़ की लागत आंकलित है। कार्य की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश व जनपद शामली में कंडेला औद्योगिक क्षेत्रों के भू-गर्भीय जल व वायु प्रदूषण की जांच के विवरण विषयक

147-श्री नाहिद हसन-

क्या पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों में भू-गर्भीय जल व वायु प्रदूषण की निश्चित समय अन्तराल पर जांच करने की क्या व्यवस्था है ? क्या सरकार बतायेगी कि जनपद शामली में कंडेला औद्योगिक क्षेत्र की वर्तमान में वायु व भू-गर्भीय जल की गुणवत्ता सूचकांक क्या है, का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दारा सिंह चौहान-

प्रदेश में भू-गर्भ जल की उपलब्धता एवं गुणवत्ता की जांच केन्द्रीय भू-गर्भ जल बोर्ड द्वारा की जाती है। इसके अतिरिक्त औद्योगिक क्षेत्रों में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से

वित्तपोषित नेशनल वाटर क्वालिटी मानिटरिंग प्रोग्राम के अन्तर्गत निर्धारित प्रोटोकाल के अनुसार प्रत्येक वर्ष के माह अप्रैल एवं अक्टूबर में उ0प्र0 के 13 जनपदों में स्थित कुल 22 औद्योगिक क्षेत्रों में भू-गर्भीय जल गुणता अनुश्रवण कार्य उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किया जाता है। उक्त औद्योगिक क्षेत्र जनपद उन्नाव, लखनऊ, कानपुर नगर, बिजनौर, गाज़ियाबाद, वाराणसी, सोनभद्र, प्रयागराज, गोरखपुर, रायबरेली, मुरादाबाद, सहारनपुर एवं मुजफ्फरनगर में स्थित है।

प्रदेश के 9 जनपदों में स्थित 14 औद्योगिक क्षेत्रों में वायु गुणता अनुश्रवण केन्द्र उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा नेशनल एम्बिएन्ट एअर मानिटरिंग प्रोग्राम परियोजना (एन0ए0एम0पी0) के अन्तर्गत स्थापित किये गये हैं। उक्त अनुश्रवण केन्द्र लखनऊ, गजरौला, गाज़ियाबाद, नोएडा, खुर्जा, रायबरेली, गोरखपुर, हापुड़, ग्रेटर नोएडा एवं बागपत में स्थापित हैं। स्थापित केन्द्रों पर वायु गुणता अनुश्रवण सप्ताह में दो दिन किया जाता है।

जनपद शामली के कंडेला औद्योगिक क्षेत्र की परिवेशीय वायु गुणता एवं भू-गर्भ जल की जाँच दिनांक 18-11-2020 को करायी गयी है, जिसमें वायु गुणता सूचकांक-95 पाया गया, जो कि संतोषजनक श्रेणी के अन्तर्गत है एवं भू-गर्भ जल पीने योग्य पाया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के प्रतापनगर, सेक्टर-एफ, अलीगंज में आवासीय भवन/भू-खण्ड संख्या-1 से 10 तक के निवासियों को मूलभूत सुविधाएं देने विषयक

148-श्री राम नरेश रावत-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ के प्रतापनगर, सेक्टर-एफ अलीगंज, लखनऊ में स्थित आवासीय भवन/भू-खण्ड संख्या-1 से 10 तक के निवासियों को मूलभूत सुविधा जैसे सड़क, नाली, सीवर, पार्क की सफाई व कूड़े के निस्तारण न होने के कारण उत्पन्न समस्याओं के निराकरण के सम्बन्ध में मा0 श्रम एवं सेवायोजन मंत्री, उ0प्र0 का पत्र सं0-3504/मंत्री/श्रम सेवा/2020, दिनांक 22-09-2020, जो जिलाधिकारी लखनऊ को सम्बोधित है तथा श्री दल बहादुर, स0वि0स0, सलोन रायबरेली का पत्र दिनांक 20-09-2020 नगर आयुक्त, लखनऊ को सम्बोधित तथा श्री श्रीराम सोनकर, स0वि0स0, मोहम्मदाबाद, मऊ का नगर आयुक्त, लखनऊ को सम्बोधित पत्र दिनांक 29-9-2020 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन "गोपाल जी"-

जी हाँ।

प्रश्नगत स्थल का निरीक्षण कराया गया है। सड़क एवं पार्क क्षतिग्रस्त है तथा जल निकासी वर्तमान में अवरुद्ध है। इस कार्य के निर्माण हेतु लगभग रु0 20.00 लाख का व्यय अनुमानित है। धन उपलब्धता के आधार पर कार्य कराया जाना सम्भव है। प्रश्नगत स्थल की सफाई का कार्य करवा कर कूड़ा हटवा दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के प्रतापनगर, सेक्टर-एफ, अलीगंज में आवासीय भवन/भू-खण्ड संख्या-1 से 10 तक के निवासियों को मूलभूत सुविधाएं देने विषयक सहकारिता मंत्री, उ0प्र0 के पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

149-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहकारिता मंत्री उ0प्र0 का पत्र संख्या-727/वी0आई0पी0/मंत्री/सह0, दिनांक 28-09-2020 जोकि प्रतापनगर, सेक्टर-एफ से अलीगंज, लखनऊ में स्थित आवासीय भवन/भू-खण्ड संख्या-1 से 10 तक सड़क, नाली, पार्क की सफाई व कूड़े के निस्तारण के सम्बन्ध में है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन "गोपाल जी"-

जी हाँ।

प्रश्नगत स्थल का निरीक्षण कराया गया। सड़क एवं पार्क क्षतिग्रस्त है तथा जल निकासी वर्तमान में अवरुद्ध है। इस कार्य के निर्माण हेतु लगभग रु0 20.00 लाख का व्यय अनुमानित है। धन उपलब्धता के आधार पर कार्य कराया जाना सम्भव है। प्रश्नगत स्थल की सफाई का कार्य करवा कर कूड़ा हटवा दिया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश के आलम नगर वार्ड लखनऊ के अन्तर्गत न्यू पारा कालोनी के रजानगर मुहल्ले में सड़क निर्माण के सम्बन्ध में

150-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आलमनगर वार्ड लखनऊ के अन्तर्गत न्यू पारा कालोनी के रजानगर मुहल्ले में श्री विन्देश्वरी प्रसाद मौर्य के मकान से डा0 कलीम के मकान तक सड़क निर्माण के सम्बन्ध में श्री श्रीराम सोनकर, सदस्य, विधान सभा, 355, मोहम्मदाबाद, जनपद मऊ के पत्र संख्या-1352/भा0ज0पा0/वि0म0द0-2019, दिनांक 04-09-2019 तथा अनुस्माक-पत्र सख्या-616/भा0ज0पा0/वि0म0द0/2020, दिनांक 20-07-2020 नगर आयुक्त, लखनऊ को प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन "गोपाल जी"-

जी हाँ।

प्रश्नगत कालोनी प्राइवेट सोसायटी/कालोनाइजर्स द्वारा अनाधिकृत रूप से बसायी गयी कालोनी है, जिसका कोई भी भू-विन्यास/तलपट मानचित्र लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा

स्वीकृत नहीं है, ऐसी कॉलोनियों में विकास का प्रथम दायित्व संबंधित सोसाइटी/कालोनाइजर का होता है। जनहित में नगर निगम द्वारा धन उपलब्धता के आधार पर समय-समय पर आवश्यक कार्य कराये जाते हैं। वर्तमान समय में नगर निगम की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण कार्य कराया जाना प्रस्तावित नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश के आलमनगर वार्ड, लखनऊ स्थित पारा कालोनी के कुमारपुरम व न्यू राम विहार कालोनी में आवारा पशुओं व कुत्तों को पकड़वाने विषयक

151-अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आलमनगर वार्ड लखनऊ स्थित पारा कालोनी के कुमारपुरम एवं न्यू राम विहार कालोनी में आवारा पशुओं एवं कुत्तों को पकड़े जाने सम्बन्धी श्री श्रीराम सोनकर, सदस्य, विधान सभा, 355, मोहम्मदाबाद गोहना, जनपद मऊ का पत्र दिनांक 04-03-2020 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन "गोपाल जी"-

जी हां।

मा0 उच्च न्यायालय के समय-समय पर पारित आदेशों एवं शासन द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में नगर निगम, लखनऊ द्वारा प्रवर्तन दल के सहयोग से सड़कों/मार्गों पर विचरण करने वाले आवारा पशुओं को पकड़वाने हेतु कैटिल कैचिंग टीमों का गठन कर प्रतिदिन पशुओं को पकड़वाने एवं दूध डेरियों को हटाने की कार्यवाही करायी जा रही है।

उक्त के क्रम में आलमनगर वार्ड लखनऊ स्थित पारा कालोनी के कुमारपुरम् क्षेत्र एवं न्यू राम विहार कालोनी क्षेत्र के अन्तर्गत दिनांक 21-12-2020 एवं दिनांक 29-12-2020 तथा दिनांक 06-01-2021 व दिनांक 14-01-2021 को मौके पर विचरण करते पाये गये पशुओं को पकड़वा कर नगर निगम द्वारा संचालित कान्हा उपवन गौशाला में निरुद्ध कराया गया है।

इसके अतिरिक्त नगर निगम के कैटिल कैचिंग दस्ते द्वारा बेसहारा पशुओं को पकड़वाने की कार्यवाही निरन्तर की जा रही है। लखनऊ नगर निगम सीमान्तर्गत श्वानों की संख्या बृद्धि के नियन्त्रण हेतु डॉग रूल्स 2001 एवं मा0 उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा समय-समय पर पारित आदेशों के क्रम में ए0डब्लू0वी0आई0 व भारत सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का अनुपालन कराने के पश्चात् उन्हें पकड़े गये स्थान पर छोड़ दिया जाता है। उक्त कार्य हेतु नगर निगम की संस्था एच0एस0आई0 द्वारा माह-सितम्बर, 2019 से दिनांक 10-02-2021 तक कुल 15,619 श्वानों का सफल बन्ध्याकरण किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

152-श्री देवमणि द्विवेदी-

[1-सोमवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-59 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

बिना परीक्षा प्रोन्नत कर्मचारियों के सम्बन्ध में कार्यवाही कर ज्येष्ठता सूची जारी करने के सम्बन्ध में

153-श्री संजय गर्ग-

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-एस0ई-130/दस-2020-आ-6/2018, दिनांक 13 फरवरी, 2020 एवं संख्या-एस0 ई-237/दस-2020-03 वि0प0/2017, दिनांक 17 फरवरी, 2020 के अनुपालन में निदेशक, आन्तरिक लेखा एवं लेखा परीक्षा द्वारा नीति विरुद्ध की गयी पदोन्नतियों में से कितने कार्मिकों को पदानवत किया गया है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि शासनादेश दिनांक 13-02-2020 के क्रम में दिनांक 24-09-2001 से दिनांक 10-10-2011 तक बिना विभागीय परीक्षा पास किये लेखा संवर्ग के पदोन्नति किये गये कर्मचारियों के सम्बन्ध में कार्यवाही कर संशोधित ज्येष्ठता सूची सरकार जारी करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

प्रकरण मा0 उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

शासनादेश दिनांक 13-02-2020 के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में उत्पन्न विसंगतियों के निराकरण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। विसंगतियों के निराकरण के उपरान्त अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के मानक नगर में केसरी खेड़ा, सूर्यनगर में 50 मी0 नाली व इंटरलाकिंग कराये जाने विषयक

154-श्री संजय गर्ग-

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2020 के द्वितीय बुधवार हेतु निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या-151 के उत्तर के क्रम में क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के मानक नगर में केसरी खेड़ा वार्ड, सूर्यनगर (हनुमान मंदिर के पीछे) लगभग 50 मीटर नाली एवं इंटरलाकिंग कराये जाने सम्बन्धी मार्ग का निर्माण करा दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन "गोपाल जी"-

जी हाँ।

केसरी खेड़ा वार्ड, सूर्यनगर (हनुमान मंदिर के पीछे) लगभग 50 मीटर नाली एवं इंटरलाकिंग का कार्य दिनांक 19-01-2021 को सम्पादित कराया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फतेहपुर से बांदा मार्ग में किमी0 01 से किमी0 10 तक मार्ग का निर्माण कराने विषयक

155-श्री संजय गर्ग-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फतेहपुर से जनपद बांदा मार्ग में कि0मी0 01 से कि0मी0 10 तक रोड क्षतिग्रस्त एवं गड्ढायुक्त होने के कारण लोगों को आवागमन में कठिनाई हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी हाँ।

प्रश्नगत मार्ग रायबरेली-बांदा सेक्शन (शहरी भाग), फतेहपुर मार्ग की कुल लम्बाई 12.43 किमी0 है। यह मार्ग अन्य जिला श्रेणी का मार्ग है। यातायात की अधिकता के कारण प्रश्नगत मार्ग में कि0मी0 1 से 10 में कुछ स्थानों पर गड्ढे हो गये हैं, जिसे मरम्मत कर यातायात योग्य बनाया जा रहा है। मार्ग के सुदृढ़ीकरण कार्य की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

156-श्री संजय गर्ग-

[दिनांक 23-02-2021 को अतारांकित प्रश्न संख्या-192 के अन्तर्गत उत्तरित]

जनपद बस्ती में लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के द्वारा फर्जीवाड़े के विवरण के सम्बन्ध में

157-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के लोक निर्माण विभाग अन्तर्गत वर्ष 2018-19 तथा वर्ष 2019-20 में निर्माण कार्यों के बान्ड बनने के बाद अतिरिक्त आइटम तथा सप्लाई आर्डर के नाम पर फर्जी बिल पर भुगतान कराये जाने तथा उक्त जनपद के विधान सभा क्षेत्र रुधौली में पिपरा मार्ग, सल्टौआ, देईपार, भैसहवा मार्ग, भानपुर, तेनुआ, असनहरा, अड़वा सम्पर्क मार्ग तथा उकड़ा भैसहिया शंकरपुर मार्ग का कार्य मनरेगा मजदूरों से काम दर्शा कर बिना कोई काम कराये भुगतान कराये जाने की शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की जाँच कर मनरेगा मजदूरों के नाम, संख्या तथा बान्ड

बनने के बाद अतिरिक्त आइटम सप्लाई आर्डर के उक्त वर्षों के भुगतान का ब्यौरा सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी नहीं।

भारत सरकार द्वारा मनरेगा की जारी गाइडलाइन्स के अनुसार आनलाइन कार्यवाही करते हुए मस्टररोल सृजित कर कार्य सम्पादित कराते हुए श्रमिकों के खाते में आनलाइन भुगतान की कार्यवाही वित्तीय वर्ष 2018-19 तथा वर्ष 2019-20 में गठित विभिन्न अनुबन्धों के अन्तर्गत अतिरिक्त मद का कार्य तकनीकी स्वीकृति के प्राविधानों के अनुसार ही वित्तीय नियमों के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत किये गये हैं।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रुधौली में वर्ष 2016-2017 व 2019-2020 में लोक निर्माण विभाग द्वारा स्वीकृत मार्गों के निर्माण हेतु दूसरी किस्त निर्गत कराने के सम्बन्ध में

158-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रुधौली में वर्ष 2016-17 व वर्ष 2019-20 में नव निर्माण हेतु स्वीकृत मार्गों का कार्य दूसरी किस्त के अभाव में रुक गया है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त मार्गों का निर्माण कार्य पूर्ण कराने हेतु दूसरी किस्त की धनराशि निर्गत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी नहीं।

वित्तीय वर्ष 2020-2021 में योजनावार द्वितीय किस्त की धनराशि रु0 2942.32 लाख निर्गत है। कार्य प्रगति पर है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अलीगढ़ में एटा चुंगी चौराहे एवं क्वार्सी चौराहे पर उपरिगामी सेतु निर्माण विषयक पत्र सं0-2672 पर कार्यवाही हेतु

159-श्री अनिल पाराशर-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र कोल जनपद अलीगढ़ में दो व्यस्ततम चौराहों-एटा चुंगी चौराहे एवं क्वार्सी चौराहे पर उपरिगामी सेतु का निर्माण कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-2672, दिनांक 04-11-2019 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी हाँ।

(1) जनपद अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र कोल के अन्तर्गत एटा चुंगी चौराहे पर 4 लेन उपरिगामी सेतु के निर्माण हेतु विस्तृत प्रारम्भिक आगणन गठित किया गया है, जो परीक्षण की प्रक्रिया में है।

(2) जनपद अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र कोल के अन्तर्गत क्वार्सी चौराहे पर 4 लेन उपरिगामी सेतु के निर्माण हेतु सर्वे एवं भूमि परीक्षण इत्यादि किये जाने के पश्चात् प्रारम्भिक आगणन के गठन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

उक्त सेतुओं का निर्माण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

जनपद अलीगढ़ में सड़क निर्माण कराये जाने विषयक पत्र सं0-2685 पर कार्यवाही हेतु

160-श्री अनिल पाराशर-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र कोल, जनपद अलीगढ़ में महेशपुर फाटक से क्वार्सी चौराहा, एटा चुंगी चौराहे होते हुए आगरा रोड तक लगभग 12 किमी0 सड़क का निर्माण कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-2685, दिनाँक 04-11-2019 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी नहीं, अपितु पत्र संख्या-2676, दिनांक 04-11-2019 प्राप्त हुआ है, जो प्रश्न में उल्लिखित मार्ग के चौड़ीकरण के विषय में ही है।

जनपद अलीगढ़ में अलीगढ़ बाईपास मार्ग अन्य जिला श्रेणी का मार्ग है, जिसकी चौड़ाई 7.00 मी0 है। इस मार्ग के महेशपुर फाटक से क्वार्सी चौराहा होते हुए एटा चुंगी चौराहे तक के भाग पर पी0सी0यू0 29837 तथा सी0वी0पी0डी0 2509 है, जिसके आधार पर मार्ग को चार लेन में चौड़ीकरण किया जा सकता है, परन्तु मार्ग के इस भाग में चार लेन के लिए वांछित चौड़ाई में भूमि उपलब्ध न होने के कारण 10.00 मी0 चौड़ाई में चौड़ीकरण कार्य हेतु लम्बाई 12.035 कि0मी0 एवं लागत रु0 3556.12 लाख का आगणन गठित किया गया है, जिसकी स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न में उल्लिखित शेष भाग एटा चुंगी चौराहे से आगरा रोड तक के भाग में सेतु निगम, अलीगढ़ द्वारा दिल्ली-हावड़ा रेलवे लाइन पर आर0ओ0बी0 का निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जिस कारण इस मार्ग पर यातायात बन्द होने के कारण वास्तविक यातायात गणना करना सम्भव नहीं है। इस मार्ग पर आर0ओ0बी0 का निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात् चौड़ीकरण के मानकों से आच्छादित होने पर अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

जनपद महोबा, विधान सभा क्षेत्र चरखारी में विकास खण्ड पनवाड़ी से ग्राम नगारा घाट तक जर्जर सड़क बनवाए जाने विषयक

161–श्री ब्रजभूषण राजपूत उर्फ गुड्डू भइया-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद महोबा के विधान सभा क्षेत्र चरखारी में विकास खण्ड पनवाड़ी में पनवाडी से ग्राम नगारा घाट तक जर्जर सड़क का निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी हां। विकास खण्ड-पनवाड़ी में पनवाड़ी-बुडेरा-मसूदपुरा-नगाराघाट-बरानो मार्ग स्थित है जोकि अन्य जिला मार्ग श्रेणी का मार्ग है एवं इसकी कुल लम्बाई 16.850 किमी0 एवं चौड़ाई 3.75 मी0 है। दिनांक 03-10-2017 से 10-10-2017 तक करायी गयी यातायात गणना के अनुसार उक्त मार्ग की पी0सी0यू0-4933 एवं सी0वी0पी0डी0-392 है। वर्ष 2017 में इस मार्ग पर बालू खदान खुलने के कारण इस मार्ग के किमी0-1 से 11 तक का मार्ग अत्यन्त क्षतिग्रस्त अवस्था में है। शेष लम्बाई में मार्ग की दशा संतोषजनक है। इस मार्ग पर करायी गयी यातायात गणना के अनुसार किमी0-1 से 11(300) तक के भाग को 5.50 मी0 चौड़ाई में चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद महोबा के जैतपुर में जाम के निराकरण हेतु बाईपास सड़क बनाये जाने के विषयक।

162–श्री ब्रजभूषण राजपूत उर्फ गुड्डू भइया-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद महोबा के जैतपुर में जाम की समस्या के निराकरण हेतु बाईपास सड़क का निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

कुलपहाड़ नौगांव मार्ग (प्रमुख जिला मार्ग-17बी) के चैनेज किमी0-7.00 से 10.00 तक कुल 3.00 किमी0 लम्बाई में जैतपुर आबादी स्थित है। मार्ग की चौड़ाई 7.00 मी0 है, जो उक्त मार्ग के वर्तमान यातायात घनत्व (पी0सी0यू0) के अनुसार यातायात के सुचारु आवागमन हेतु पर्याप्त है। इस मार्ग पर स्थानीय/अस्थायी अतिक्रमणों से समय-समय पर उत्पन्न जाम का निराकरण स्थानीय प्रशासन/पुलिस द्वारा करा दिया जाता है।

चरखारी नगर के नजरबाग की सरकारी जमीन को अवैध रूप से बेचने वालों के वारिसों से वसूली किये जाने विषयक

163-श्री ब्रजभूषण राजपूत उर्फ गुड्डू भइया-

क्या स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद महोबा के चरखारी नगर के नजरबाग की सरकारी जमीन जोकि मफियाओं द्वारा अवैध रूप से बैनामा कर

बेच दी है ? यदि हां, तो क्या सरकार को जानकारी है कि उक्त क्रेता की मृत्यु हो गयी है ? क्या सरकार उनके वारिसों से वसूली करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रवीन्द्र जायसवाल-

विधान सभा प्रथम सत्र, 2021 के प्रथम बुधवार हेतु निर्धारित श्री ब्रजभूषण राजपूत उर्फ गुड्डू भइया, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न सं0-163 का उत्तर-

प्रश्न	उत्तर
163-क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद महोबा के चरखारी नगर के नजरबाग की सरकारी जमीन जोकि माफियाओं द्वारा अवैध रूप से बैनामा कर बेच दी है ?	कलेक्टर वार्षिक मूल्यांकन सूची में नजरबाग नाम का कोई मुहल्ला अंकित नहीं है।
यदि हाँ, तो क्या सरकार को जानकारी है कि उक्त क्रेता की मृत्यु हो गई है ?	उपरोक्तानुसार।
क्या सरकार उनके वारिसों से वसूली करेगी ?	प्रश्न ही नहीं उठता।
यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों ?	प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद महोबा के चरखारी नगर पालिका क्षेत्र में सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे के विरुद्ध कार्रवाई विषयक

164-श्री ब्रजभूषण राजपूत उर्फ गुड्डू भइया-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद महोबा के चरखारी नगर पालिका क्षेत्र में सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे किये जाने की जानकारी सरकार को है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त जमीनों से अवैध कब्जा हटाते हुए अवैध कब्जे धारकों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन "गोपाल जी"-

जी हां।

नगर पालिका परिषद्, चरखारी क्षेत्रान्तर्गत मौजा महाराजनगर गाटा सं0-1368/1 रकवा 0.162 हे0 श्रेणी 10अ नॉन जेड0ए0 सदर कांजीहाउस की भूमि पर श्री सीताराम पुत्र श्री हनुमत नि0मु0 ज्येन्द्रनगर चरखारी व जयन्ती देवी पत्नी श्री जीतेन्द्र कुमार नि0 मु0 ज्येन्द्रनगर चरखारी व श्री रमेश कुमार, सतीश कुमार, शंकर सिंह दशरथ व मदन पुत्रगण बालादीन नि0मु0 चिन्तेपुरा चरखारी एवं श्री लक्ष्मी प्रसाद व परशुराम पुत्रगण श्री भगवानदास नि0मु छोटा रमना चरखारी द्वारा गाटा सं0-1374 रकबा 0.251 हे0 मण्डी के सामने श्रेणी-8

नॉन जेड0 ए0 की भूमि पर अवैध कब्जा किये जाने पर दिनांक 28-08-2012 एवं 29-08-2012 को अतिक्रमण/अवैध कब्जे हटाने की कार्यवाही राजस्व पालिका के अधिकारियों द्वारा की गयी थी, जिससे विक्षुब्ध होकर उक्त अवैध कब्जा धारकों द्वारा विभिन्न वाद योजित किये गये हैं-

1-मा0 न्यायालय सिविल जज (सी0डि0) महोबा में वाद संख्या-76/2011 सीताराम राजपूत बनाम अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद्, चरखारी आदि दायर हुआ था, जिसमें मा0 न्यायालय द्वारा वादी के पक्ष में स्थगन आदेश नहीं दिये गये थे और गाटा संख्या-1368/1 पर से अवैध कब्जा हटाने हेतु पालिका द्वारा दिनांक 28-12-2012 को कार्यवाही प्रारम्भ की गयी थी। यह वाद पालिका के पक्ष में दिनांक 20-01-2015 को मा0 न्यायालय द्वारा निर्णीत किया गया था, जिससे क्षुब्ध होकर सीताराम द्वारा मा0 न्यायालय जिला जज महोबा में सिविल अपील संख्या-06/2015 सीताराम बनाम नगर पालिका परिषद्, चरखारी आदि दायर की गयी जिसमें दिनांक 23-01-2015 को मा0 न्यायालय द्वारा सीताराम के पक्ष में अपील स्वीकार की गयी थी। अपील के विरुद्ध पालिका द्वारा मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में द्वितीय अपील संख्या-102/ 2016 नगर पालिका परिषद् चरखारी बनाम सीताराम दायर की गयी है। जिसमें दिनांक 08-09-2016 को मा0 न्यायालय द्वारा जिला जज महोबा के आदेश दिनांक 23-01-2015 को स्थगित कर दिया गया था। प्रकरण मा0 उच्च न्यायालय में सुनवाई हेतु विचाराधीन है।

2-मा0 न्यायालय सिविल जज (जू0डि0) चरखारी में वाद संख्या-123/2012 जयन्ती देवी बनाम नगर पालिका परिषद्, चरखारी आदि दायर किया गया है, जो सुनवाई हेतु दिनांक 20-02-2021 नियत है।

3-मा0 न्यायालय सिविल जज (जू0डि0) चरखारी में वाद संख्या-122/2012 लक्ष्मी प्रसाद आदि बनाम नगर पालिका परिषद्, चरखारी आदि दायर किया गया है, जिसमें सुनवाई हेतु दिनांक 06-03-2021 नियत है।

4-मा0 सिविल जज (जू0डि0) चरखारी में वाद संख्या-121/2012 रमेश कुमार आदि बनाम नगर पालिका परिषद् चरखारी आदि दायर किया है जिसमें दिनांक 18-02-2017 को मा0 न्यायालय द्वारा पालिका के विरुद्ध आदेश पारित किया गया था, जिसके विरुद्ध पालिका द्वारा प्रथम अपील संख्या-15/2018 नगर पालिका परिषद्, चरखारी बनाम रमेश कुमार आदि दायर की गयी है, जिसमें सुनवाई हेतु दिनांक 20-02-2021 नियत है।

उपरोक्त समस्त वादों में पालिका द्वारा प्रतिवाद करने की प्रभावी कार्यवाही की जा रही है।

मौजा महाराजनगर के गाटा सं0-1497 रकबा 0.024 हे0 पर रऊफ खां पुत्र नसीर खां द्वारा किये गये अवैध कब्जे/अतिक्रमण को हटाये जाने हेतु दिनांक 01-07-2020 एवं

23-07-2020 को विपक्षी को नोटिस निर्गत किये गये थे, तत्पश्चात् दिनांक 16-09-2020 को अवैध कब्जा हटवा कर सी0सी0 मार्ग का निर्माण करा दिया गया है।

उपरोक्त प्रकरणों के अतिरिक्त पालिका क्षेत्रान्तर्गत सरकारी भूमि पर हुये अवैध कब्जे/अतिक्रमण को हटाने हेतु अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद्, चरखारी को निर्देशित कर दिया गया है। पालिका-राजस्व विभाग द्वारा संयुक्त रूप से चिन्हीकरण कर अवैध कब्जे/अतिक्रमण हटाये जाने की यथाशीघ्र कार्रवाई की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में पालीथीन प्रयोग करने व उत्पादन करने वाली इकाइयों पर कार्रवाई का ब्यौरा पटल पर रखे जाने विषयक

165-श्री ब्रजभूषण राजपूत उर्फ गुड्डू भइया-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में पालीथीन उत्पादन एवं उपयोग प्रतिबन्धित होने के बावजूद उसका उत्पादन लगातार हो रहा है ? यदि हाँ, तो निर्माण करने वाली इकाइयों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ? क्या सरकार कार्यवाही का विरवण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन "गोपाल जी"-

उत्तर प्रदेश प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा-कचरा (विनियमन) अधिनियम, 2000 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या-29 सन् 2000) की धारा-6क, 7, 12 और 13क के अधीन प्रदत्त शक्तियों के क्रम में जारी सरकारी गजट दिनांक 15-07-2018 के प्रभावी होने के पश्चात् प्रदेश के नगरीय एवं औद्योगिक नगरीय क्षेत्रों में प्रतिबंधित प्लास्टिक के उपयोग विनिर्माण, विक्रय, वितरण, भण्डारण, परिवहन, आयात एवं निर्यात प्रतिषिद्ध है। उक्त प्रतिषिद्ध कार्यों के विरुद्ध अधिसूचना दिनांक 15-07-2018 के क्रम में प्रवर्तन कार्य के अन्तर्गत प्रदेश के नगरीय निकायों द्वारा कुल 936.72 टन प्रतिषिद्ध प्लास्टिक जब्त की गयी है तथा रु0 12.42 करोड़ का जुर्माना अधिरोपित किया गया है।

उपरोक्तानुसार।

जी हाँ।

कार्यवाही का विवरण संलग्न** है।

प्रश्न नहीं उठता।

** देखिये नत्थी (ग) आगे पृष्ठ संख्या 305-306 पर।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा अन्तर्गत ग्राम चंदनपुर में बालकराम के घर से राजू यादव के घर तक रोड का डामरीकरण कराने हेतु

166-श्रीमती सरोज सोनकर-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा के अन्तर्गत ग्राम सभा चंदनपुर के मजरा भिंगापुरवा में बालकराम गुप्ता के घर से राजू यादव के घर तक लम्बाई लगभग 02 किलोमीटर रोड का डामरीकरण (खड़न्जा) सरकार कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

ग्राम सभा चंदनपुर के मजरा भिंगापुरवा में बालकराम गुप्ता के घर से राजू यादव के घर तक का मार्ग ग्राम सभा भिंगापुरवा का आन्तरिक मार्ग है। ग्राम के आन्तरिक मार्ग का निर्माण वर्तमान में लोक निर्माण विभाग में प्रचलित किसी योजना से आच्छादित नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा के अन्तर्गत ग्राम चंदनपुर में बृजलाल गौतम के घर से अमरनाथ गौतम के घर तक रोड का डामरीकरण कराने हेतु

167-श्रीमती सरोज सोनकर-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा के अन्तर्गत ग्राम सभा चंदनपुर में बृजलाल गौतम के घर से अमरनाथ गौतम के घर तक लम्बाई लगभग 1.5 किलोमीटर रोड का डामरीकरण सरकार कराएगी ? यदि हां तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

ग्राम सभा चंदनपुर की आबादी वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 1524 है। 250 से अधिक आबादी को सम्पर्क मार्ग से जोड़ने की योजना के अन्तर्गत आगणन गठित है, जिसकी स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

ग्राम सभा चंदनपुर में बृजलाल गौतम के घर से अमरनाथ गौतम के घर तक (ग्राम सभा चंदनपुर का आन्तरिक मार्ग) लम्बाई 0.600 कि0मी0 का डामरीकरण कार्य वर्तमान में लोक निर्माण विभाग में प्रचलित किसी योजना से आच्छादित नहीं है। अतः लोक निर्माण विभाग द्वारा कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा, ग्राम सभा घुमनाभारू में बसंत लाल के खेत से लगभग 1250 मीटर सड़क का डामरीकरण कराने हेतु

168-श्रीमती सरोज सोनकर-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा के ग्राम सभा घुमनाभारू में बसंत लाल के खेत से देवीदीन के घर तक मार्ग लम्बाई लगभग 1250 मीटर रोड का डामरीकरण सरकार कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी नहीं।

ग्राम सभा घुमनाभारू एवं मजरा लालबिहारी पुरवा पूर्व से एकल सम्पर्क मार्ग से संतृप्त हैं। ग्राम सभा घुमनाभारू के मजरा लालबिहारी पुरवा में बसंत लाल के खेत से देवीदीन के घर तक (ग्राम सभा लालबिहारी पुरवा का आन्तरिक मार्ग) रोड का डामरीकरण कार्य वर्तमान में लोक निर्माण विभाग में प्रचलित किसी योजना से आच्छादित नहीं है। अतः लोक निर्माण विभाग द्वारा कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा, ग्राम सभा बर्दिया में 700 मीटर सड़क का डामरीकरण कराने विषयक

169-श्रीमती सरोज सोनकर-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा के ग्राम सभा बर्दिया में राम लखन के घर से नाला तक मार्ग लम्बाई लगभग 700 मीटर रोड का डामरीकरण सरकार कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी नहीं।

ग्राम सभा बर्दिया पूर्व से एकल सम्पर्क मार्ग से संतृप्त है। ग्राम सभा बर्दिया में राम लखन के घर से नाला तक (ग्राम सभा बर्दिया का आन्तरिक मार्ग) का डामरीकरण कार्य वर्तमान में लोक निर्माण विभाग में प्रचलित किसी योजना से आच्छादित नहीं है। अतः लोक निर्माण विभाग द्वारा कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

नगर निगम, फिरोजाबाद में कार्यरत लेखाधिकारी राजीव कुमार चौधरी के विरुद्ध शिकायतों की जांच आख्या पत्रांक संख्या-1955/स्था0नि0/2020, दिनांक 7/10/2020 मय संलग्नक संस्तुति पर कार्रवाई विषयक

170-श्री मनीष असीजा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर निगम, फिरोजाबाद में कार्यरत लेखाधिकारी की शिकायतों की जांच आख्या पत्रांक संख्या-1955/स्था0नि0/2020, दिनांक 7/10/2020 मय संलग्नक संस्तुति सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु उ0प्र0 शासन, नगर विकास अनुभाग-4, लखनऊ को प्रेषित कर दी गयी है ? यदि हाँ तो उक्त पर क्या कार्रवाई की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन "गोपाल जी"-

जी हाँ।

जिलाधिकारी, फिरोजाबाद के पत्रांक संख्या-1963/स्था0नि0/न0नि0/जॉच/2020 दिनांक 08-10-2020 के साथ संलग्न अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) फिरोजाबाद की जॉच आख्या पत्रांक संख्या 1955/स्था0नि0/2020, दिनांक 07-10-2020 प्राप्त हुई है।

जिलाधिकारी की जाँच आख्या पर सम्यक् विचारोपरान्त शासन के कार्यालय आदेश संख्या-2530/नौ-4-20-01 लेखा/2020, दिनांक 09-12-2020 के द्वारा उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अन्तर्गत विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुए उक्त आरोपों की जाँच कराने के लिए अपर आयुक्त (प्रशासन) आगरा मण्डल आगरा को जॉच अधिकारी नामित किया गया है।

जॉच कार्यवाही के निष्पक्ष निष्पादन हेतु श्री राजीव कुमार चौधरी, लेखाधिकारी, नगर निगम, फिरोजाबाद को शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-254/नौ-4-20-01 लेखा/2020 दिनांक 22-01-2021 द्वारा निदेशक, नगर निकाय निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ से सम्बद्ध किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में स्टेट सेक्टर कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद-फिरोजाबाद पुनर्गठन पेयजल योजना के कार्यों के संचालन एवं रख-रखाव हेतु योजना का प्राक्कलन अनुमानित लागत रु0 2037.92 लाख हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति/धनावंटन हेतु प्रबंध निदेशक, उ0प्र0, जल निगम द्वारा संयुक्त सचिव, नगर विकास अनुभाग-5, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को प्रेषित पत्रांक संख्या-94/नागर 2/033 304/20, दिनांक 22/09/2020 पर कार्रवाई विषयक

171-श्री मनीष असीजा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फिरोजाबाद शहर को आपूर्ति किये जाने वाले पेयजल (गंगाजल) योजना के संचालन एवं रख-रखाव के मद में कोई धनराशि

स्वीकृत न होने के कारण योजना के संचालन में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हाँ तो क्या सरकार बतायेगी कि स्टेट सेक्टर कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद-फिरोजाबाद पुनर्गठन पेयजल योजना के कार्यों के संचालन एवं रख-रखाव हेतु योजना का प्राक्कलन अनुमानित लागत रु0 2037.92 लाख हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति/धनावंटन हेतु प्रबंध निदेशक, उ0प्र0, जल निगम द्वारा संयुक्त सचिव, नगर विकास अनुभाग-5, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को प्रेषित पत्रांक संख्या-94/नागर 2/033 304/20, दिनांक 22/09/2020 प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन "गोपाल जी"-

जी हाँ।

जी हाँ।

उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा फिरोजाबाद पुनर्गठन पेयजल योजना के संचालन एवं रख-रखाव हेतु अनुमानित लागत रु0 2037.92 लाख का प्राक्कलन उपलब्ध कराया गया है, जिसकी स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में नाबार्ड वित्त पोषित RIDF-26 योजनान्तर्गत फिरोजाबाद-जलेसर मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु प्रस्ताव प्रमुख सचिव, लोक निर्माण अनुभाग-9, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को पत्रांक संख्या-142/40 पी0जे0(सा)/आर0एस0डी0/5/20, दिनांक 14/10/2020 पर कार्यवाही विषयक

172-श्री मनीष असीजा-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में नाबार्ड वित्त पोषित आर0आई0डी0एफ0-26 योजनान्तर्गत फिरोजाबाद-जलेसर मार्ग (उ0जि0मार्ग) लम्बाई 19.90 किलोमीटर का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु रुपये 37.9055 करोड़ का प्रस्ताव प्रमुख सचिव, लोक निर्माण अनुभाग-9, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को पत्रांक सख्या-142/40 पी0जे0 (सा)/आर0एस0डी0/5/20, दिनांक 14/10/2020 के द्वारा प्रेषित किया गया है ? यदि हाँ उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी हाँ।

प्रश्नगत परियोजना के वित्त पोषण हेतु आर0आई0डी0एफ0-26 योजनान्तर्गत नाबार्ड द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है। प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सीतापुर की तहसील महमूदाबाद की कुल बसावटों/ग्रामों में डामर मार्ग निर्माण के सम्बन्ध में

173–श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

क्या उप मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर के अन्तर्गत तहसील महमूदाबाद की कुल कितनी बसावटें/गांवों को डामर रोडों से जोड़ा जाना शेष है ? क्या सरकार कोई कार्य योजना बनाकर एक निश्चित समय-सीमा में छूटे हुए उक्त क्षेत्रों में डामर रोडों का निर्माण कार्य पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जनपद सीतापुर के तहसील महमूदाबाद के अन्तर्गत वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 250 से अधिक आबादी के 02 राजस्व ग्राम तथा 24 बसावटों (मजरा) को पक्के सम्पर्क मार्ग से जोड़ा जाना शेष है।

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार वर्तमान में 250 से अधिक आबादी के राजस्व ग्रामों/बसावटों को पक्के मार्गों से जोड़े जाने की योजना प्रचलित है। उक्त क्षेत्रों में डामर रोडों का निर्माण कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद गोण्डा में बनगवां प्राथमिक विद्यालय से बनगवां तक सड़क मार्ग की जांच कराने व क्षतिग्रस्त मार्ग ठीक कराने विषयक

174-श्री प्रभात कुमार वर्मा-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा में वनगवां प्राथमिक विद्यालय से बनगवां जे0पी0 गुप्ता के गांव तक 2 वर्ष पूर्व निर्मित पक्की सड़क उखड़ना शुरू हो गयी है ? क्या सरकार उक्त क्षतिग्रस्त मार्ग को ठीक करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी नहीं।

जनपद गोण्डा में सादुल्लानगर गौरा चौकी मार्ग से प्राथमिक विद्यालय बनगवां समयमाई थान होते हुए बनगवां उत्तरडीह बनगवा दलित बस्ती (बनगवां प्राथमिक विद्यालय से बनगवां जे0पी0 गुप्ता के गांव) तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य पूर्वांचल विकास निधि योजनान्तर्गत शासनादेश दिनांक 30-01-2019 द्वारा स्वीकृत है। उक्त मार्ग की लम्बाई 1.70 कि0मी0 व

लागत रु0 71.57 लाख है। मार्ग का कार्य पूर्ण है तथा मार्ग यातायात के आवागमन हेतु उपयुक्त है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद कानपुर में जोन-2, वार्ड नम्बर-21, अर्रा रोड पर स्थित ओम वेंकट हाल व कामदगिरि इण्टर कालेज के मध्य 50 मीटर रोड बनवाने व अतिक्रमण हटाने के सम्बन्ध में

175-श्री वीरेन्द्र यादव-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कानपुर नगर में जोन-2 वार्ड नं0-21, अर्रा रोड पर स्थित ओम वेंकट हाल एवं कामदगिरि इण्टर कालेज के मध्य की 50 मीटर सड़क/रोड को बनाने एवं उस पर हुए अतिक्रमण को हटाये जाने के सम्बन्ध में सभापति, प्रदेश के स्थानीय निकायों का पत्र सं0-333, वि0स0/स्था0नि0ले0प0जा0स0स0, दिनाँक 20-08-2020 प्रमुख सचिव, नगर विकास, उ0प्र0 शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन "गोपाल जी"-

जी हाँ।

प्रश्नगत स्थल सोसाइटी क्षेत्र से आच्छादित है, जिसका कोई ले-आउट प्लान स्वीकृत नहीं है। अतिक्रमण स्थल के सम्बन्ध में यह जानकारी नहीं हो पा रही है कि स्थल सार्वजनिक है अथवा व्यक्तिगत। आवासीय भवन स्वामियों से भवनों की रजिस्ट्री की प्रति नगर निगम के पत्र दिनांक 21-09-2020 द्वारा मांगी गयी थी, ताकि भवनों की वास्तविक स्थिति का पता करते हुये कार्य कराया जा सके। भवन/भू-स्वामियों द्वारा जो रजिस्ट्री की प्रति उपलब्ध करायी गयी है, उसमें भिन्नता है। प्राप्त अभिलेखों के अनुसार स्थल की वास्तविक स्थिति की पुष्टि नहीं हो पा रही है।

तत्क्रम में उप जिलाधिकारी, सदर, कानपुर नगर को राजस्व अभिलेखों के अनुसार उक्त सड़क की पैमाइश/ स्थलीय जांच कराने हेतु पुनः मुख्य अभियन्ता का पत्र दिनांक 20-10-2020 एवं सम्पत्ति विभाग का पत्र दिनांक 23-11-2020 प्रेषित किया गया है। प्रश्नगत प्रकरण की सूचना उप जिलाधिकारी, सदर, कानपुर नगर के स्तर से भी अभी तक अप्राप्त है। प्रश्नगत क्षेत्र का ले-आउट प्लान एवं भवनों के स्वीकृत मानचित्रों की प्रति उपलब्ध कराये जाने हेतु पत्र दिनांक 15-01-2021 सचिव, कानपुर विकास प्राधिकरण को प्रेषित किया गया है। वांछित अभिलेख प्राप्त होने पर ही स्थल चिन्हित कर अपेक्षित कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जिलाधिकारी, सहारनपुर का अर्द्धशा0 पत्र संख्या-2025/ढमोला, दिनांक 25-07-2019 नदी किनारे पिचिंग कार्य की परियोजना हेतु धनावंटन विषयक पर वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने विषयक

176-श्री संजय गर्ग-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिलाधिकारी, सहारनपुर का अर्द्ध शा0-पत्र संख्या-2025/ढमोला, दिनांक 25-07-2019 जो सहारनपुर शहर में ढमोला नदी के किनारे पर बाढ़ से सुरक्षा हेतु पिचिंग के कार्य की परियोजना धनराशि रुपया 566.47 लाख धनावंटन विषयक है, प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त हेतु वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन "गोपाल जी"-

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-सहारनपुर के महानगर सहारनपुर में ढमोला नदी के किनारों पर बाढ़ से सुरक्षा हेतु ढमोला नदी पर 3949 मी0 लम्बाई में नई पिचिंग का निर्माण, 604 मी0 लम्बाई में क्षतिग्रस्त पिचिंग की इनलेट का निर्माण कार्य कराया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

जनपद कौशाम्बी की नवसृजित नगर पालिका, मंझनपुर में ग्राम पंचायत असकरनपुर मंगरोहनी को शहरी सुविधाएं उपलब्ध कराने विषयक

177-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कौशाम्बी की नवसृजित नगर पालिका, मंझनपुर में ग्राम पंचायत असकरनपुर मंगरोहनी को सम्मिलित कर लिया गया है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त ग्राम को अनुमन्य सुविधायें उपलब्ध करवायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन "गोपाल जी"-

जी हां।

जी हां। वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के ताड़ीखाना-फैजुल्लागंज से रहीम नगर-डुडौली मार्ग का मरम्मत व चौड़ीकरण विषयक

178–डॉ0 नीरज बोरा-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार लखनऊ नगर में ताड़ीखाना-फैजुल्लागंज से रहीमनगर-डुडौली को जोडने वाली सड़क की मरम्मत व चौड़ीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन "गोपाल जी"-

जी हाँ।

ताड़ीखाना-फैजुल्लागंज से रहीमनगर-डुडौली को जोड़ने वाली सड़क की लम्बाई लगभग 2.25 किमी0 है, जो मरम्मत योग्य है, जिसके मरम्मत कार्य पर धनराशि रु0 125.00 लाख का व्यय अनुमानित है। नगर निगम, लखनऊ द्वारा अपने सीमित वित्तीय संसाधनों से जनहित में अति आवश्यक कार्य कराये जाते हैं। उक्त कार्य मा0 सदन, नगर निगम की स्वीकृति एवं वित्तीय संसाधन की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ में डालीगंज रेलवे क्रासिंग से डालीगंज इक्का स्टैण्ड तक जर्जर सड़क की मरम्मत कराने विषयक

179–डॉ0 नीरज बोरा-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर में सतखण्डा चौकी-हुसैनाबाद से दौलतगंज होते हुए गऊघाट को जोड़ने वाली लोक निर्माण विभाग की सड़क क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो सड़क की मरम्मत सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी हाँ। लखनऊ नगर में सतखण्डा चौकी-हुसैनाबाद से दौलतगंज होते हुए गऊघाट को जोड़ने वाली सड़क "हुसैनाबाद दौलतगंज" मार्ग है। जिसकी कुल लम्बाई 1.77 किमी0 है। इस मार्ग के 250 मीटर भाग में नगर निगम द्वारा सीवर लाइन का कार्य कराये जाने के कारण मार्ग क्षतिग्रस्त है। इस मार्ग पर सामान्य मरम्मत के साथ नवीनीकरण की स्वीकृति निर्गत है। नवीनीकरण का कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है तथा फरवरी, 2021 में पूर्ण किया जाना लक्षित है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

180-डॉ0 नीरज बोरा-

[मा0 सदस्य द्वारा वापस लिया गया]

जनपद लखनऊ में वेण्डर जोन निर्धारित कर आवश्यक सुविधाओं को चालू करने विषयक

181-डॉ0 नीरज बोरा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर में वेण्डर जोन निर्धारित कर आवश्यक सुविधाओं को स्थापित कर उसका क्रियान्वयन करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन "गोपाल जी"-

लखनऊ नगर में पथ विक्रेता (आजीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) अधिनियम, 2014 एवं उ0प्र0 पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) नियमावली, 2017 के अन्तर्गत निरन्तर वेंडिंग/नान वेंडिंग जोन निर्धारित करते हुए कार्यवाही की जाती है। उक्त कार्यवाही एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के नगरीय क्षेत्र की विभिन्न कालोनियों में भू-उपयोग व्यावसायिक करने हेतु कार्य योजना बनाने हेतु

182-डॉ0 नीरज बोरा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में नगरीय क्षेत्र की विभिन्न कालोनियों में रह रहे लोगों के आवासीय भू-खण्ड को व्यावसायिक परिवर्तित करने की कोई योजना बनाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी नहीं।

नगरीय क्षेत्र की विभिन्न कालोनियों का तलपट मानचित्र तैयार करते समय आवासीय भू-खण्डों के साथ-साथ मानकों के अनुरूप व्यवसायिक, सामुदायिक सुविधाएं, पार्क एवं खुले स्थल आदि के भू-खण्ड भी नियोजित किये जाते हैं। आवासीय भू-खण्डों का व्यावसायिक में परिवर्तन अनुमन्य करने से योजना का आवासीय स्वरूप विकृत होने की सम्भावना रहेगी।

यह भी उल्लेखनीय है कि आवासीय भू-खण्डों का आवंटन/निस्तारण लाटरी के माध्यम से सेक्टर दर पर आवासीय प्रयोजन के लिए किया जाता है जबकि व्यावसायिक भू-खण्डों का निस्तारण न्यूनतम मूल्य आरक्षित करते हुए नीलामी के माध्यम से किया जाता है। आवासीय भू-खण्डों का मूल्य भी व्यावसायिक भू-खण्डों से अपेक्षाकृत कम रहता है।

यदि आवासीय भू-खण्डों को व्यावसायिक में परिवर्तन अनुमन्य किया जाता है, तो व्यावसायिक भू-खण्डों के स्वामियों (जिन्होंने नीलामी के माध्यम से उच्च दरों पर क्रय किया है) के हित भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित होंगे। ऐसी स्थिति में व्यावसायिक भू-खण्डों को नीलामी के माध्यम से प्राधिकरण द्वारा निस्तारण करते समय बोलीदाताओं द्वारा रुचि नहीं ली जायेगी तथा आवंटन के माध्यम से आवासीय भू-खण्डों को प्राप्त कर व्यावसायिक में परिवर्तित कराने की प्रवृति में वृद्धि होने लगेगी, जो रिहायसी परिवेश के प्रतिकूल होगी।

183-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

[02-मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-191 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रुधौली के विकास क्षेत्र सल्टौआ गोपाल, ग्राम अमरौली सुमाली के गन्ना समितियों के नए सदस्य बनाने हेतु समितियों को आदेशित किये जाने विषयक

184-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रुधौली के विकास क्षेत्र सल्टौआ गोपाल के ग्राम अमरौली सुमाली में गन्ना समितियों द्वारा नए सदस्य नहीं बनाए जा रहे हैं ? यदि हाँ, तो क्या सरकार गन्ना किसानों को अपनी उपज बेचने में आ रही कठिनाइयों के दृष्टिगत गन्ना समितियों को नये सदस्य बनाये जाने हेतु आदेशित करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश राणा-

जी नहीं।

जिला-बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रुधौली के विकास क्षेत्र सल्टौआ गोपाल का अधिकांश क्षेत्र सहकारी गन्ना विकास समिति लि0, गोविन्दनगर के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत आता है तथा पेराई सत्र, 2020-21 में सहकारी गन्ना विकास समिति लि0, गोविन्दनगर के पंजीकृत ग्रामों में से 458 गन्ना कृषकों को गन्ना समिति का सदस्य बनाया गया है, जिनमें से ग्राम अमरौली सुमाली का एक गन्ना कृषक भी सम्मिलित है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद में नवसृजित नगर पंचायत मक्खनपुर को नगरीय आधार पर विकास हेतु राज्य वित्त आयोग के माध्यम से अनुदान राशि प्रदान कराये जाने पर विचार विषयक।

185-श्री मनीष असीजा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद में मक्खनपुर को नगर पंचायत बना दिया गया है ? यदि हाँ, तो नवसृजित नगर पंचायत मक्खनपुर के नगरीय

आधार पर विकास हेतु राज्य वित्त आयोग के माध्यम से अनुदान राशि प्रदान कराये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन "गोपाल जी"-

जी हाँ।

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में फल और सब्जियों के प्रसंस्करण हेतु सार्वजनिक एवं निजी इकाइयों की स्थापना करने विषयक

186-श्री मौहम्मद फईम इरफान-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में अनुदान देने की कोई योजना प्रचलित है ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित करने या इकाई स्थापना हेतु फल और सब्जियों के प्रसंस्करण हेतु विगत तीन वर्षों में सरकार द्वारा सार्वजनिक इकाइयों की स्थापना की गई तथा कितनी निजी इकाइयों को सरकार द्वारा अनुदान दिया गया है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी हाँ।

फल और सब्जियों के प्रसंस्करण हेतु विगत तीन वर्षों में प्रदेश सरकार द्वारा कोई सार्वजनिक इकाइयों की स्थापना नहीं की गयी तथापि प्रदेश सरकार द्वारा संचालित उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2017 के अन्तर्गत अब तक 111 निजी क्षेत्र की खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को अनुदान दिया गया है।

जी हाँ। विवरण संलग्न[††] है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र के किसानों की फसलों की उपज का समर्थन मूल्य दिलाये जाने हेतु

187-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के बुल्देलखण्ड क्षेत्र के किसानों की फसलों की उपज का समर्थन मूल्य दिलाये जाने हेतु जनपद झांसी में मारकुआ, गरौठा, गुरूसराय, एरच, बामौर, मोंठ, समथर, सेमरी आदि में पी0सी0एफ0/सोसाइटियों/नैफेड के क्रय केन्द्र खोले जाने विषयक पत्र सं0-ख-6 नं0 512007, दिनांक 26 अक्टूबर, 2020 मुख्य सचिव को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

[††] देखिये नत्थी (घ) का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या 307-310 पर।

श्री मुकुट बिहारी वर्मा-

जी हाँ।

मुख्य सचिव, कार्यालय के पत्रांक-209/एम0एस0/एमएलए/20, दिनांक 29-10-2020 के माध्यम से पत्र संख्या-क-6 नं0 512007, दिनांक 26-10-2019 प्राप्त हुआ है।

जनपद झांसी में उ0प्र0 को-आपरेटिव फेडरेशन लि0 (पी0सी0एफ0) द्वारा 02 क्रय केन्द्र (पी0सी0एफ0 मऊरानीपुर एवं भस्नेह मण्डी एवं पी0सी0एफ0 चिरगांव एवं रामनगर) संचालित कराते हुए मूंगफली की खरीद की गयी। उ0प्र0 को-आपरेटिव यूनियन (पी0सी0यू0) द्वारा 04 क्रय केन्द्र-भोजला मण्डी, मगरवारा मण्डी एवं एरच मण्डी द्वारा संचालित कराते हुए मूंगफली की खरीद की गयी।

प्रदेश में सरकारी क्रय केंद्रों पर क्रय की उपज के समर्थन मूल्य का किसानों को भुगतान किये जाने विषयक

188–श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सरकारी क्रय केन्द्रों पर क्रय की गयी किसानों की गेहूँ, चना, मसूर, राई इत्यादि की उपज का समर्थन मूल्य किसानों को अभी तक भुगतान नहीं किया गया है ? यदि हाँ, तो किसानों को उनकी उपज का समर्थन मूल्य का भुगतान सरकार करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुकुट बिहारी वर्मा-

जी हाँ।

प्रदेश में सहकारिता विभाग के अन्तर्गत क्रय एजेन्सियों द्वारा कुल 4,35,871 कृषकों से कुल 22,51,602.376 मी0 टन गेहूं क्रय किया गया, जिसके सापेक्ष कुल धनराशि रुपये 30,06,07,54,212.58 का भुगतान कृषकों को किया जा चुका है। इसी प्रकार प्रदेश में कुल 22006 कृषकों से कुल 38,817.58 मी0 टन चना, मसूर एवं राई की खरीद की गयी, जिसके सापेक्ष कुल धनराशि रुपये 18509.14 लाख का भुगतान कृषकों को किया जा चुका है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

उर्वरक की अनियमितता के सम्बन्ध में आई0जी0आर0एस0 सं0-18152190090581 पर दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई विषयक

189–प्रिंस वीर विक्रम सिंह-

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का उर्वरक की अनियमित वितरण सम्बन्धी पत्र दिनांक 22-08-2019 जो आई0जी0आर0एस0 सं0-18152190090581

पर दर्ज मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पर की गई कार्यवाही का विवरण सदन के पटल पर सरकार रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुकुट बिहारी वर्मा-

जी हाँ।

जिलाधिकारी, शाहजहांपुर को प्रश्नगत प्रकरण में जांच कर आख्या उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं तथा सम्बन्धित जिला प्रबन्धक, पी0सी0एफ0, शाहजहांपुर को कारण बताओ नोटिस भी निर्गत किया गया है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद मऊ की घोसी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत टड़ियांव व मझवारा कोल्ड स्टोरेज को चालू कराये जाने विषयक

190-श्री विजय कुमार राजभर-

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का मुख्य मंत्री को सम्बोधित पत्र दिनांक 21-12-2020 जो जनपद मऊ की घोसी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित टडियांव व मझवारा कोल्ड स्टोरेज को चालू कराये जाने विषयक है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुकुट बिहारी वर्मा-

जी हाँ।

वर्ष 1988 से जनपद मऊ के टडियांव, सेमरी जमालपुर (मझवारा) में पी0सी0एफ0 द्वारा संचालित शीतगृह वर्ष 1999-2000 से बन्द होने एवं मशीनरी/प्लान्ट के पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होने के कारण शीतगृह को पुनः संचालित कराया जाना सम्भव नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश के समस्त नगरों में हाई मास्ट और सेमी हाई मास्ट लाइट लगवाये जाने के सम्बन्ध में

191-श्री मोहम्मद असलम "राइनी" (एडवोकेट)-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के मेट्रोपॉलिटन सिटी वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद में हाई मास्ट और सेमी हाई मास्ट लाइट की संख्या कितनी है और किसके द्वारा लगाई गई है ? क्या सरकार बतायेगी की विधायक निधि से उक्त हाई मास्ट लाइट या सेमी हाई मास्ट लाइट लगाई गई हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन "गोपाल जी"-

प्रदेश के मेट्रोपॉलिटन सिटी वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ, नोएडा तथा गाजियाबाद में हाई मास्ट और सेमी हाई मास्ट लाइट की कुल संख्या 4366 है एवं नगर निगम, वाराणसी,

गोरखपुर, लखनऊ, गाजियाबाद तथा नोएडा द्वारा लगवाई गयी है। उक्त हाई मास्ट लाइट/सेमी हाई मास्ट लाइट विधायक निधि से नहीं लगायी गयी हैं।

उक्त हाई मास्ट और सेमी हाई मास्ट लाइट का विवरण संलग्न‡‡ है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर की तहसील खजनी, थाना सिकरीगंज, पोस्ट आफिस व ग्राम बारीगाँव में ऊसरैन से बलवन्त सिंह के घर तक मार्ग की मरम्मत कराने विषयक

192-श्री अमन मणि त्रिपाठी-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के तहसील खजनी, थाना सिकरीगंज, पोस्ट आफिस व ग्राम बारीगाँव में ऊसरैन से बलवन्त सिंह पुत्र श्री अभिमन्यू सिंह के घर बारीगाँव तक की सड़क जर्जर है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त सड़क के मरम्मत का कार्य करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी हां। मार्ग के आंशिक भाग में पैच हो गये है।

प्रश्नगत मार्ग पर पैच मरम्मत का कार्य प्रगति पर है।

प्रश्न नहीं उठता।

यूपीईआईडीए (उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी) व मुजफ्फरनगर-देवबंद-गागालहेडी फोर लेन मार्ग के निजी विकासकर्ता के मध्य हुए अनुबंध की विभिन्न शर्तों विषयक

192-श्री नाहिद हसन-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यूपीईआईडीए (उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी) व मुजफ्फरनगर-देवबंद-गागालहेडी फोर लेन मार्ग परियोजना पर मार्ग के निजी विकासकर्ता के मध्य हुए अनुबंध की विभिन्न शर्तें यथा संचालन, रख रखाव, टोल दर, टोल प्वाइंट्स व टोल वसूलने की अधिकतम अवधि क्या है ? क्या सरकार बतायेगी कि उपरोक्त मार्ग के दोनों साइडों से राज्य सरकार के विभिन्न विभागों यथा पीडब्ल्यूडी, गन्ना विभाग, मंडी समिति के ग्रामीण सम्पर्क मार्गों के प्रवेश अथवा निकासी के स्थान को बूम बैरियर द्वारा मार्ग को अवरुद्ध कर यात्रियों को इस फोर लेन मार्ग से ग्रामीण संपर्क मार्गों की ओर जाने पर टोल लगाकर टोल वसूलने हेतु निजी विकासकर्ता अधिकृत हैं ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्या सरकार दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

---

‡‡ देखिये नत्थी (ङ) का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या 311 पर।

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

अनुबन्ध के अनुसार टोल वसूलने की अधिकतम अवधि 23 वर्ष है तथा मार्ग यूपीडा के बजाय उपशा के अधीन है।

जी हां, परन्तु उन ग्रामीण मार्गों से जो टोल प्लाजा के 10 किलोमीटर के अन्दर स्थित हैं एवं जिनका उपयोग जानबूझ कर पथकर वसूली से बचने के लिये किया जा रहा है।

किमी0 9.170 से निकलने वाले ग्रामीण मार्ग पर बूम बैरियर लगाकर पथकर वसूली की अनुमति दिनांक 25-07-2018 से निजी विकासकर्ता को उपशा द्वारा प्रदान की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद के ट्रामा सेण्टर में एम0आर0आई0 मशीन की स्थापना कराने विषयक

194-श्री मनीष असीजा-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र के क्रम में मा0 मुख्य मंत्री की घोषणा सी0एम0वि0को0आर0 35/सीएम-1/201/2018, दिनांक 31/08/2018 के अन्तर्गत फिरोजाबाद के ट्रामा सेण्टर में एम0आर0आई0 मशीन की स्थापना की कार्यवाही सरकार करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जी हाँ।

उपरोक्तानुसार।

[12:20 बजे] औचित्य के प्रश्न की सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

अब हम, नियम-300 की सूचनाएं लेते हैं, पहली सूचना श्री लाल जी वर्मा की है और उसी के साथ श्री मनोज कुमार पारस की भी है।

वित्तीय वर्ष 2020-2021 के बजट में ग्राम्य विकास विभाग में विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि का उल्लेख होने के बावजूद राज्य सरकार द्वारा विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि की धनराशि क्षेत्र विकास निधि अधिनियम के अन्तर्गत जारी न किये जाने के सम्बन्ध में श्री लाल जी वर्मा का औचित्य का प्रश्न

श्री लाल जी वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, संविधान के अनुच्छेद-202 के अन्तर्गत तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-183 के अनुसार महामहिम राज्यपाल वित्तीय वर्ष का आय-व्यय इस सदन में प्रस्तुत कराते हैं, उसको वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत

किया जाता है। मान्यवर, फिर अनुच्छेद-204 के अनुसार विनियोग विधेयक पास किया जाता है और पिछले 2020-21 का जो विनियोग विधेयक है, आपकी अध्यक्षता में बैठक में इसी सदन में पास किया था और उस बजट में अनुदान संख्या-13 के उप मद में उसके लेखा शीर्षक 45 (15) में विधायक निधि के अन्तर्गत 1008 करोड़ और उसका जीएसटी चुकाने के लिए 201.60 करोड़ रुपया स्वीकृत किया था।

मान्यवर, विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के लिए एक अधिनियम भी बना, जिसके अनुसार मुख्य विकास अधिकारी को विधायक प्रस्ताव देता है और उस प्रस्ताव के माध्यम से उस धन को खर्च किया जाता है। उस प्रस्ताव का परीक्षण सीडीओ करता है, अगर वह नियमानुकूल है, तो किसी भी कार्यदायी संस्था के माध्यम से उस धन का खर्च किया जाता है। मान्यवर, पिछले वर्ष आपकी अध्यक्षता में विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि, जिसका मैंने उल्लेख किया, अनुदान संख्या-13 ग्राम्य विकास विभाग के लेखा शीर्षक 45 (15) में वह पास किया गया, 1008 करोड़ प्रत्येक विधान सभा के क्षेत्र के अनुसार 202 करोड़ के हिसाब से था, साथ ही जीएसटी चुकाने के लिए 201 करोड़ था। मान्यवर, पूरा वर्ष बीत गया, जो अधिनियमित है, विधान सभा क्षेत्र विकास निधि का अधिनियम बना उसके अनुसार वह खर्च होना है, तो मान्यवर, मैं आपके संज्ञान में इस बात को लाते हुए, आपसे यह निवेदन करना चाहता हूँ कि यह आपके संज्ञान में है कि यह इस विधान सभा द्वारा पास किया गया है और जब इस विधान सभा द्वारा पास किया गया है, तो क्या किसी शासनादेश के आधार पर उस धन को आवंटित करने से रोका जा सकता है ? मैं इस औचित्य के प्रश्न पर बल देते हुए आपसे निवेदन करूँगा कि कृपया आप इस पर व्यवस्था देने का काम करें।

दूसरा मान्यवर, मैं एक और निवेदन करना चाहता हूँ कि माननीय वित्त मंत्री जी ने 2021-22 का जो बजट रखा है, उस बजट में उस निधि को उन्होंने परिवर्तित किया और उन्होंने कहा कि उसके समतुल्य विधान सभा के सदस्यों के प्रस्ताव पर विकास के कार्य कराये जायेंगे। मान्यवर, इसमें मेरा एक सब्मिशन है, निवेदन है और क्षेत्र के हित में सब्मिशन है कि उसमें आपने 1512 करोड़ रुपया, हालांकि ग्राम्य विकास के बजट में जो है उसमें 2000 करोड़ रुपया दिखाया गया है, आपने रखने का काम किया। हमारा यह कहना है कि अगला वर्ष आएगा, 31 मार्च के बाद और उस समय प्रदेश में पंचायत के चुनाव की आचार संहिता लग जायेगी और आचार संहिता जब खत्म होगी, तो जून से बरसात आ जायेगी और 31 मार्च के बाद जनवरी में आचार संहिता विधान सभा के चुनाव की लग जायेगी तो जो धन आपने रखा है, उसका सदुपयोग नहीं हो पायेगा इसलिए उसमें मेरा यह सब्मिशन है कि आप चाहें तो अगले वर्ष का जो बजट है, जिसमें आपने 2000 करोड रुपया रखा है, जो ग्राम्य विकास विभाग के मद में है, उसको आप अगले वर्ष में भले कम रख लेते, इस वर्ष का जो 1008 करोड़ था, उसमें से आधा भी अगर आप इस वर्ष रिलीज कर देते तो मैं समझता हूं कि उससे क्षेत्र का विकास ज्यादा होता, जितना इस वर्ष करते, उतना अगले वर्ष में घटा लेते जिससे

अनवरत् विकास का कार्य चलता, आचार संहिता से वह प्रभावित न होता। यह प्रदेश के हित में है, इसलिए मैं आपसे चाहूँगा कि इसमें आप निश्चित तौर पर व्यवस्था देने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष-

इसमें आपके दो प्रश्न हैं

वित्त, संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, इस पर कोई और बोलेगा ?

श्री मनोज कुमार पारस-

माननीय अध्यक्ष जी, इस पर मेरा भी औचित्य का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष-

विषय तो पूरा आ गया है।

उ0प्र0 विधान मण्डल के माननीय सदस्यों की बन्द की गयी क्षेत्रीय विकास निधि को पुनः जारी किये जाने के सम्बन्ध में श्री मनोज कुमार पारस का औचित्य का प्रश्न

***श्री मनोज कुमार पारस-**

मा0 अध्यक्ष जी, विषय तो आ गया है। मैंने प्रश्न लगाया है, अगर एक मिनट का समय दे दें। मान्यवर, इसमें मुझे एक बात आपसे यह भी कहनी थी कि पिछली सरकार में माननीय अखिलेश यादव जी ने क्षेत्र विकास निधि से 25 लाख रुपये बीमारों के लिए भी देने की व्यवस्था की थी। इसमें आपसे यह अनुरोध था कि अगर यह क्षेत्र विकास निधि पूर्व की भाँति हो जायेगी तो कम से कम जो अपने क्षेत्र के बीमार व्यक्ति होते हैं, जो गरीब हैं, जिनको इलाज नहीं मिल पाता है, इस निधि से हम लोग भी कुछ धनराशि देकर उनका इलाज करा पाते। (सदस्यों ने मेजें थपथपाईं) मान्यवर, दूसरा 5 लाख रुपया हम दूसरे क्षेत्रों में भी दे सकते थे, वह भी अगर इसमें हो जायेगा तो कम से कम कभी ऐसी जरूरतें आ जाती हैं तो इसमें यथास्थिति जैसे पहले थी, उसको बहाल करा देंगे तो हम लोग भी जरूरतमंदों की मदद कर सकेंगे।

(सदस्यों ने मेजें थपथपाईं)

श्री अध्यक्ष-

इसकी तो गाइडलाइन बनी है।

श्री मनोज कुमार पारस-

मान्यवर, यह विषय सारे विधायकों के क्षेत्र से जुड़ा है और चुनाव का वर्ष है। इसलिए यथास्थिति जैसे पहले थी, वैसी कर दी जाए, क्योंकि यह एक साल के लिए लम्बित की गयी थी, यह मेरा निवेदन है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

***वित्त, संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-**

माननीय अध्यक्ष जी, आज इस औचित्य के प्रश्न के माध्यम से माननीय वर्मा जी ने एक विशेष विषय के ऊपर ध्यानाकर्षण किया है। मान्यवर, जिस परिस्थिति में यह क्षेत्र विकास निधि रिलीज नहीं हो पायी, उस परिस्थिति का जिक्र इस हाउस में कई बार आ चुका है। जबसे यह हाउस 18 तारीख से प्रारम्भ हुआ, पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से राज्यपाल के अभिभाषण में मान्यवर, मैं ज्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि मा0 मुख्य मंत्री जी को महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर अपना उत्तर भाषण देना है, जिस तरीके की यह महामारी आयी। वह इस सदी के लिए अब तक की सबसे बड़ी महामारी कही जा सकती है। ऐसी विशेष परिस्थिति में हमारी सारी जो गतिविधियां थीं वह फाइनलाइज हो गईं और जो आर्थिक गतिविधि थी उसके ऊपर उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। यह एक वैश्विक महामारी थी, जिससे लगभग पूरी दुनिया प्रभावित हुई, लेकिन मान्यवर मैं बधाई देना चाहता हूं अपने प्रधानमंत्री जी को कि जिन्होंने बहुत ही कम समय में कोरोना की वैक्सीन ढूंढ लाए। एक चाईना मुल्क है, जिसने पूरी दुनिया को यह बीमारी बांटी और एक हमारी पार्टी और हमारी सरकार है जिसने पूरी दुनिया में सबसे कम समय में इस इलाज की व्यवस्था की।

मान्यवर, जो औचित्य का प्रश्न उठाया है आपने 204 दिखाया और हमारा एमाउण्ट भी बताया, हम उसमें ज्यादा समय नहीं लेंगे। मान्यवर, 204 से पहले हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं आर्टिकल 202 पर। हम जो कुछ भी विधान सभा में प्रस्तुत करते हैं, वह एक अनुमानित बजट है, वह अपने आप में कभी फाइनल नहीं होता और पास होने के बाद भी हम इसको किसी भी वक्त बदल सकते हैं। कई मौके ऐसे आए जब मा0 वर्मा जी सरकार में थे तब और मा0 आप जब सरकार में थे तब आप 204 का उदाहरण आज पहली बार इसलिए सदन में दिया जा रहा है कि विधायक निधि अभी तक रिलीज नहीं हुई है। विधान मण्डल क्षेत्र विकास के लिए। मान्यवर, अगर आप इजाजत दें तो हम पढ़ दें।

मान्यवर, वर्ष आर्टिकल 202 यह आपकी ही दी हुई किताब है वार्षिक वित्तीय विवरण। राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष के सम्बन्ध में राज्य के विधान मण्डल के सदन या सदनों के समक्ष उस राज्य के उस वर्ष के लिए प्राक्कलित प्राप्तियों और व्यय का विवरण रखवाएगा इस भाग में वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है।

वार्षिक वित्तीय विवरण में दिए हुए व्यय के प्राक्कलनों में मेरा सबसे ज्यादा इंफेसिस इसी प्राक्कलन शब्द पर हैं, यानि हमने अपने एस्टीमेट्स रखे हैं सदन के सामने और वह बजट एस्टीमेट के अनुसार ही पास किया जाता है और विनियोग विधेयक भी उसी एस्टीमेट के अनुसार ही हमने पास किया था, यह बिल्कुल सही है, लेकिन मान्यवर अभी 2020-21 बाकी है, यह अभी समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन जब वर्मा जी की सरकार थी तो हम आपका ध्यान

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आकर्षित करना चाहते हैं। ग्राण्ट नम्बर-9 ऊर्जा विभाग वर्ष 2010-11 यह सौ करोड़ की व्यवस्था हरदुआगंज विस्तार के लिए की गई थी, यह आज तक रिलीज नहीं हुआ है। यह वर्मा जी की सरकार का है। इसके अलावा एक ग्राण्ट और देख लें। ग्राण्ट नम्बर-7 वर्ष 2010-11 यह एक्सप्रेस-वे के लिए 15 करोड़ रुपए दिए गए थे और विनियोग विधेयक के माध्यम से 2004 में पास किए गए थे, इसमें भी एक रुपया रिलीज नहीं हुआ। मान्यवर, इसके अलावा निजी क्षेत्र के लिए एक्सप्रेस-वे परियोजनाएं यह पुलिस विभाग वर्ष 2010-11 पुलिस विभाग का है ग्राण्ट नम्बर-26 इसमें मान्यवर, 47 करोड़ 50 लाख रुपया विनियोग विधेयक से पास किए गए थे, लेकिन यह आज तक रिलीज नहीं हुए। मान्यवर, ग्राण्ट नम्बर-71 भारी एवं मध्यम उद्योग इसके लिए 180 करोड़ रुपए इसी सदन में मा0 वर्मा जी वित्त और संसदीय कार्य मंत्री थे। उन्होंने बड़े जोर-शोर से मेजें थपथपा थपथपा कर पास करवाया था। मान्यवर, लेकिन ये आज तक रिलीज नहीं हो सका। मान्यवर, आप क्षमा करेंगे लेकिन जब हम कहते हैं कि वर्मा जी जब उधर पहुँच जाते हैं, तब ये सारी हरी किताबें उनके सामने आ जाती हैं। अब समाजवादी पार्टी को देख लीजिए क्योंकि उनके बाद तो सत्ता में ये ही आए। हम यही तो कह रहे हैं कि कम से कम ये ही भूल सुधार कर लेते हैं। इन्होंने जो 204 में क्वाण्टिफाई किया था, उसे कम से कम ये ही पास कर देते लेकिन उस वक्त इन्होंने भी हमदर्दी नहीं दिखाई।

नेता विरोधी दल (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

आप मुख्य मंत्री जी का भाषण नहीं होने देंगे।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

हम अपने नेता जी से इतनी अनुमति ले लेंगे, आप कम से कम हमें जवाब तो देने दीजिए। कम से कम मालूम तो हो।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

आपका जवाब यस और नो में होना चाहिए।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

देखिए अभी वर्ष 2020-21 समाप्त नहीं हुआ है। आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। अभी समाप्त हो गया क्या ?

श्री लाल जी वर्मा-

हम तो यही चाह रहे हैं कि आप उसमें आधा कर दीजिए, आधा आप सबकी सहमति से कोरोना में ले जाइए।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मा0 अध्यक्ष जी, आप जरा विशेष परिस्थिति पर गौर करिए कि मा0 सांसदों का वेतन, भत्ता केन्द्र सरकार के द्वारा जो सांसद निधि थी उसको दो साल के लिए स्थगित किया

गया और सरकारी कर्मचारियों का जो डी0ए0 था उसको भी स्थगित किया गया। मान्यवर, यह ऐसी महामारी थी और विशेष परिस्थिति में ऐसे निर्णय लिए जाते हैं, तो इस प्रकार की विशेष परिस्थिति में ही अभी तक यह रिलीज नहीं हो पाई। आपको यह समझना चाहिए, आपको कम से कम सोचना चाहिए कि हमने कोविड केयर फण्ड बनाया और मा0 मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में कितनी शिद्दत के साथ हम लोगों के लिए जूझते रहे। पूरे प्रदेश ने इस बात को सराहा है, डब्ल्यू0एच0ओ0 ने भी सराहा है और प्रधानमंत्री जी ने भी सराहा। इसको सबने सराहा है क्योंकि चिकित्सा हमारे लिए प्राथमिकता का विषय है। उस समय यह था कि अगर जान है तो जहान है। अगर जान बचेगी तब ही सब लोग इस स्थिति में होंगे। मान्यवर, इसलिए इनको अभी धैर्य रखना चाहिए क्योंकि वर्ष 2020-21 अभी समाप्त नहीं हुआ लेकिन ये अधीर हुए जा रहे हैं। लेकिन हमारे ऊपर उंगली उठाने से पहले कम से कम ये लोग अपने आपको तो देखा करें कि हमने क्या किया था ? अगर आप कहें और समय हो तो हम इनका भी बता दें।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, हम इनकी बात से पूर्णतः सहमत हैं लेकिन मैं सिर्फ इतना निवेदन करना चाहता हूं कि मा0 मंत्री जी आप इसका आधा कोविड केयर फण्ड में ट्रांसफर कर लें। इस पर हम लोगों की, इस सदन की पूरी की पूरी सहमति है। आप आधा इस वर्ष रिलीज कर लें और अगले वित्तीय वर्ष का जो 1512 करोड़ रुपये लिया है। उसमें से भी एक-एक करोड़ रुपये आप कोविड केयर फण्ड में ले लीजिए। हम आपकी वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए स्वतः चाहते हैं लेकिन साथ ही साथ विकास का काम भी अवरुद्ध न हो। क्योंकि आगे आने वाला समय जैसा मैंने उदाहरण देकर बताया कि अभी पंचायत चुनाव की आचार संहिता लग जाएगी और फिर जनवरी में विधान सभा के चुनाव की आचार संहिता लग जाएगी तो ऐसी स्थिति में यह कार्य अनवरत् रहे, उसके हिसाब से यह समय बहुत बढ़िया समय था। अगर आप इसको इस समय रिलीज कर देंगे तो निश्चित रूप से प्रदेश का हित होगा।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं दो लाइनें कहकर अपनी बात समाप्त करूँगा।

सब कुछ मिल जाएगा तो तमन्ना किसकी करोगे वर्मा जी
कुछ अधूरी ख्वाहिशें जीने का मज़ा देती हैं।

श्री लाल जी वर्मा-

इसीलिए आप अधूरी ख्वाहिशों का मजा ले रहे हैं।

उ0प्र0 विधान मण्डल के माननीय सदस्यों को आवास आवंटन की व्यवस्था में संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई' का औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष-

एक सूचना श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई' जी की है। इसे हम अपने नेताओं की बैठक में डिस्कस करेंगे। जब सभी दलों, सभी पार्टियों के नेता बैठते हैं, तब उसमें बात कर लेंगे।

***श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई'-**

मैं अपनी बात कह लूँ।

श्री अध्यक्ष-

बाकी जरूरत ही नहीं, यह अपर हाउस में चला गया। अभी चूँकि श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा चल रही थी तो मा0 मुख्य मंत्री जी बोलेंगे।

(सदन में मेजों की थपथपाहट)

[12:39 बजे] श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव[§§]

मुख्य मंत्री (श्री योगी आदित्यनाथ)-

मा0 अध्यक्ष जी, महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर माननीय सदस्य श्री योगेन्द्र उपाध्याय जी के द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव जिसका समर्थन सदस्य श्री विक्रम सिंह जी ने यहां पर किया था। नेता प्रतिपक्ष, नेता बहुजन समाज पार्टी, नेता कांग्रेस समेत सत्तापक्ष और विपक्ष के 48 सदस्यों ने इस पूरी चर्चा में भाग लिया। मैं सबसे पहले इन सभी सदस्यों को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। राज्यपाल महोदय के इस अभिभाषण प्रस्ताव पर विधान सभा में चली इस महत्वपूर्ण चर्चा में लोगों ने रुचि से भाग लिया और सभी सदस्यों ने अपने दल की भावनाओं के अनुरूप अपने विचारों को व्यक्त करते हुए लोकतंत्र के इस मंदिर को संवाद का एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान किया है। वास्तव में लोकतंत्र की हमारी सबसे बड़ी ताकत संवाद है। आपस में सहमति असहमति हम सबके बीच हो सकती है लेकिन संवाद का यह सिलसिला चलता रहना चाहिए, बना रहना चाहिए और 48 सदस्यों का इसमें भागीदार बनना बल्कि मेरी तो इच्छा थी कि और भी सदस्य इसमें भागीदार बनें क्योंकि श्री राज्यपाल का अभिभाषण विधान मण्डल के लिए सरकार का एक दस्तावेज होता है वैसे ही जैसे संसद के लिए महामहिम राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है। शासन की उपलब्धियाँ और भावी योजनायें इस अवसर पर अभिभाषण के माध्यम से रखी जाती हैं और एक दिशा, एक दृष्टि न केवल सरकार के लिए बल्कि प्रदेश के लिए सदन में हुई चर्चा-परिचर्चा के माध्यम से प्राप्त होती है। मैं इसके लिए श्री राज्यपाल जी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हुए जिन सभी सदस्यों ने इसमें भागीदार बनकर इस चर्चा में भाग लिया या इस चर्चा में उनकी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपस्थिति रही है, कुछ सदस्य वर्चुअली भी जुड़े हुए हैं। उन सभी के प्रति भी मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ लेकिन महोदय, परिपाटी अच्छी चीजों की बनती है और मैं विनम्र आग्रह करूँगा अपने विपक्ष के मित्रों को, खास तौर पर हमारे नेता प्रतिपक्ष को वे काफी सहज हैं और सरल हैं लेकिन गलत पार्टी में होने के कारण अक्सर भटक जाते हैं, अन्यथा वह व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छे आदमी हैं और अच्छा करने का प्रयास भी करते हैं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[§§] दिनांक 22-02-2021 की कार्यवाही से।

राज्यपाल जी अभिभाषण करने के लिए आई थीं, राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रमुख होता है राज्यपाल प्रदेश का संवैधानिक प्रमुख है। यदि अपने संवैधानिक प्रमुखों का सम्मान यह चुना हुआ सदन नहीं करेगा तो लोकतांत्रिक प्रणाली के सामने स्वयं एक गंभीर संकट खड़ा होगा। इसलिए संवैधानिक प्रतीकों, संवैधानिक प्रमुखों का सम्मान चुने गये जनप्रतिनिधियों का दायित्व होना चाहिए और कहीं न कहीं इस मामले में हम लोग चूक करते हैं। परिपाटी अच्छी होनी चाहिए। परिपाटी अच्छी जैसे, इस विधान सभा में वर्ष 2019 में और वर्ष 2020 में हम लोग इस प्रकार की चर्चा को वैश्विक महामारी कोरोना के कारण आगे नहीं बढ़ा पाए लेकिन वर्ष 2019 में इस मामले में काफी अच्छे काम हुए थे जैसे सस्टेनेबल डेवलेपमेण्ट गोल्स पर 36 घण्टे की डिबेट हुई।

देश का पहला कोई लोकतांत्रिक मंच था, खास तौर पर उत्तर प्रदेश विधान मण्डल ने इस पर चर्चा की और माननीय सदस्यों ने इसमें भागीदार बनकर चर्चा की। गरीबी उन्मूलन के लिए, शिक्षा के लिए, बेहतर स्वास्थ्य के लिए यानि आप देखेंगे कि जो चर्चा इस विधान मण्डल में हो रही थी, कोविड के दौरान उस चर्चा ने उस क्षेत्र में कार्य करने के लिए हमें एक बल दिया या फिर अन्य मुद्दों पर भी यहाँ पर चर्चा हुई। जैसे संविधान दिवस के अवसर पर भी 26 नवम्बर, 2019 को इस सदन ने बैठकर एक चर्चा की थी। हम फण्डामेण्टल राइट की बात तो करते हैं लेकिन हमारे संवैधानिक कर्तव्य क्या हैं, क्या इस पर भी सदन चर्चा करेगा ? पहली बार किसी सदन में अपने संवैधानिक कर्तव्यों पर भी चर्चा हुई थी और वह उत्तर प्रदेश विधान सभा है। उत्तर प्रदेश विधान सभा में सभी पक्षों के माननीय सदस्यों ने अपनी बातों को भी रखा था और साथ-साथ अपने उन दायित्वों का बोध भी करते हुए समाज के सामने एक बहुत पॉज़िटिव संदेश भी दिया था। अनुसूचित जाति, जनजाति से सम्बन्धित बिल पर भी एक स्पेशल सेशन बैठा था और तब भी इस सदन में चर्चा हुई थी। हमने टालने की रणनीति नहीं अपनायी। एक चर्चा जिसके लिए विधायिका का यह मंच बना हुआ है, उसका बेहतर उपयोग। मा0 राज्यपाल भी जब आती हैं तो मा0 राज्यपाल का सम्मान करना सत्तापक्ष और विपक्ष, सबका सामूहिक दायित्व है। राज्यपाल पार्टी का नहीं है, प्रदेश का है और प्रदेश के संवैधानिक प्रमुख के प्रति सम्मान का भाव होना, उसी प्रकार से जैसे संवैधानिक प्रतीकों के प्रति हम लोग सम्मान का भाव व्यक्त करते हैं। विधायिका के मंच पर राष्ट्रपति जी के लिए, राज्यपाल जी के लिए, न्यायपालिका के प्रति कोई भी विपरीत और प्रतिकूल टिप्पणी नहीं हो सकती है। परिपाटी तो यह है कि नहीं करनी चाहिए लेकिन उन सबके बावजूद भी जिस प्रकार का आचरण देखने को मिल रहा है, वास्तव में वह पीड़ादायक है और चिन्ताजनक है।

मैं किसी व्यक्ति के लिए नहीं बोल रहा हूं लेकिन महोदय, मुझे इस बात पर वास्तव में कभी-कभी चिन्ता अवश्य होती है। मैं बार-बार इस बात को कहता हूँ कि हमें अपने सदन को इस बारे में तैयार करना होगा। क्यों जनता के मन में एक जनप्रतिनिधि, जो इतनी सेवा करता है, दिन-रात कार्य करता है, हर एक के सुख-दुख में सहभागी बनता है लेकिन उन

सबके बावजूद जो विश्वास का प्रतीक उसे बनना चाहिए, वह नहीं बन पाता है। कारण क्या है ? क्योंकि हम लोग ही एक-दूसरे को छोटा दिखाने के लिए, एक-दूसरे को भ्रष्ट और बेईमान बनाने के लिए हर प्रकार की रणनीति अपनाते हैं और इस प्रकार के वक्तव्यों को देते हैं। मुझे याद है कि आज से लगभग 18 साल पहले की घटना है। उस समय प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी बाजपेयी जी थे। हम लोगों की एक बैठक चल रही थी, उस समय एक मा0 सांसद दौड़े-दौड़े आए और उन्होंने एक बात का जिक्र किया उन्होंने कहा कि 'साहब! हम लोगों को लेट हो गया। हम लोग ट्रेन से आ रहे थे, तब तक एक सज्जन आए और उन्होंने कहा कि मैं फलानी पार्टी का नेता हूं और नेता शब्द सुनते ही पब्लिक उस पर टूट पड़ी, पब्लिक उसको मारने लग गयी, बड़ा विवाद हुआ है, किसी प्रकार से हम बचाकर लेकर आए हैं। यह स्थिति क्यों पैदा हो रही है ? यह क्षरण क्यों हुआ है ? कोई बात तो होगी। महोदय, मैं उस आचरण के लिए, कृपया कोई इसको व्यक्तिगत रूप से नहीं लेगा लेकिन मुझे अज्ञेय की कुछ पंक्तियाँ याद आयी हैं।

आप साहित्यकार हैं, साहित्यिक विधा में पारंगत हैं। अज्ञेय एक यथार्थवादी चिंतक थे, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही, उन्होंने कहा कि "सर्प तुम नगर नहीं गये, नहीं सीखा वहां बसना, फिर कहां से तूने विष पाया और कहां से सीखा डसना।" क्या हम अपने आचरण से इन संवैधानिक व्यवस्थाओं को क्षति नहीं पहुंचा रहे हैं ? राज्यपाल जी के बारे में यहां पर टिप्पणी करना यह इस प्रदेश के संविधानिक प्रमुख का अपमान नहीं था, वास्तव में हम विधायिका को एक अविश्वसनीयता के दायरे में खड़ा कर रहे हैं। पब्लिक हमें संदेह की नजरों से इसीलिए देखती है क्योंकि हममें से हर व्यक्ति कहीं-न-कहीं उसके दायरे में आ जाता है। फोटो तो सबका आ जाता है इसमें। आखिर हम लोग यहां पर एक तरफ यह मांग करते हैं कि जितनी भी व्यवस्था हो उसका लाईव हो, उसके बाद हमारे भाषण क्या होते हैं ? यह राज्य क्या सत्ता पक्ष का ही है, यह राज्य आपका नहीं है क्या ? इस राज्य के प्रति क्या केवल इसी पक्ष (सत्ता पक्ष) का दायित्व है आपका कोई दायित्व नहीं है क्या ? जब आप लोग बोलते हैं कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अपराध हो रहा है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक ऐसी घटनायें घटित हो रही हैं और एन0सी0आर0बी0 की घटनाओं को तोड़-मरोड़ करके जब हम प्रस्तुत करते हैं तो देश और दुनिया के अन्दर हम मैसेज क्या देते हैं, संदेश क्या देते हैं और वही स्थिति थी, वह बड़ी पीड़ादायक स्थिति थी। राज्यपाल महोदया एक संवैधानिक प्रमुख और दूसरा महिला, अगर आप इसको परिपाटी मान लेते कि संवैधानिक प्रमुख का हमें सम्मान करना है, तो यह बहुत अच्छी बात होती, लेकिन अगर वह नहीं होता है तो कम-से-कम महिला के नाते तो सम्मान कर लेते, तब भी नहीं किया। एक नई परिपाटी बन गयी है और महोदय मैं तो आपसे भी इस बात का अनुरोध करूंगा, इस बात की अपील करूंगा कि कभी हमारी इस विधायिका को लोग ऐसा न मान लें कि ये कोई ड्रामा कम्पनी है, जहां कोई लाल टोपी, कोई नीली टोपी, कोई पीली टोपी या कोई हरी टोपी पहन करके आता है। एक नयी परिपाटी शुरू हो गयी है, ऐसा तो कभी नहीं

होता था, ड्रामा पार्टी में हम लोग यह देखते थे लेकिन यहां पर एक नयी परिपाटी शुरू हो जाती है पता नहीं ये लोग घर में पहनते हैं कि नहीं पहनते हैं।

एक बार एक घटना हुई और सही बता रहा हूं, नेता प्रतिपक्ष जी आप भी ये सुनते होंगे, मैं एक कार्यक्रम में गया था, आप जानते होंगे कि मैं फील्ड में कहीं जाता हूं तो कुछ चीजें कार्यक्रम का हिस्सा होती हैं, जैसे बेसिक शिक्षा परिषद् के स्कूल तो नहीं खुले हैं लेकिन मैं अक्सर बेसिक शिक्षा परिषद् के स्कूल में जाता हूं क्योंकि बेसिक शिक्षा परिषद् के स्कूल में गरीब का बच्चा, किसान का बच्चा, मजदूर का बच्चा पढ़ता है, अन्तिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति का बच्चा पढ़ता है और इसीलिए हम लोगों ने आपरेशन कायाकल्प के अन्तर्गत लगभग 93000 से अधिक विद्यालयों में आमूल-चूल परिवर्तन कर बुनियादी सुविधाओं से आच्छादित किया है। इसमें मेरा अकेले योगदान नहीं है, इस पूरे सदन के हरेक सदस्य का उसमें योगदान है, हर प्रशासनिक और शिक्षा विभाग के अधिकारियों का उसमें योगदान है। कुछ लोगों ने विद्यालय एडाप्ट किये, कुछ लोगों ने अन्य तरीके से वहां पर उसमें योगदान किया और उसके बाद ये सब परिवर्तन हुआ, बच्चों की संख्या बढ़ी। मैं अक्सर आंगनबाड़ी में भी जाता हूं, उसी में कुछ लोग अन्नप्राशन का कार्यक्रम रख लेते हैं, तो मैं एक अन्नप्राशन के कार्यक्रम में गया था। छोटा सा 6 महीने का बच्चा था उसको अन्नप्राशन के लिए मैंने उठाया, तब तक जिस महिला का वह बच्चा था उसके साथ लगभग ढाई-तीन साल का एक बच्चा और था।

इधर मैं उसको अन्नप्राशन करा रहा था, तब तक वहां एक पार्टी के कुछ लोग विरोध करने के लिए आ गये उन्होंने टोपी पहनी हुई थी। वह ढाई साल का बच्चा क्या कहता है, मम्मी-मम्मी देखो, वह गुण्डा-गुण्डा। (सत्तापक्ष के सदस्यों द्वारा मेजें थपथपाई गईं) आप देखिये कि दो साल, ढाई साल के एक बच्चे के मन में टोपी पहन करके आने वाले व्यक्ति के बारे में क्या धारणा है ? वह अपनी माँ से चिपक करके कहता है कि मम्मी-मम्मी देखो, गुण्डा-गुण्डा। यानी यह धारणा सामान्य रूप से बन चुकी है। इसलिए मैं अपील करूँगा, नेता प्रतिपक्ष आप पगड़ी पहन करके आते तो अच्छा लगता, गाँव का साफा पहन करके आते तो मैं और उसका अभिनन्दन करता। लेकिन कम से कम आप तो वास्तव में यथार्थवादी परम्परा के बहुत सशक्त हस्ताक्षर रहे हैं, जिसने समाजवादी आन्दोलन को ईमानदारी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया था। स्वर्गीय चन्द्रशेखर जी ने उस अभियान को बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने का प्रयास किया था। (सत्तापक्ष के सदस्यों द्वारा मेजें थपथपाई गईं) बलिया की धरती उसके लिए जानी जाती है। आपको कम से कम इस प्रकार की चीजों से परहेज करना चाहिए। बाकी अन्य लोग क्या कर रहे हैं, उनकी सोच है और इस उम्र में यह सब शोभा नहीं देता है। (सदन में हंसी) अध्यक्ष जी, लेकिन फिर भी यहाँ पर हम लोगों ने राज्यपाल जी के अभिभाषण को, कोविड के प्रबंधन के दौरान, उसके प्रोटोकॉल का पालन करते हुए, 48 सदस्यों ने इसमें भागीदार बन करके इस चर्चा को आगे बढ़ाया है और माननीय राज्यपाल जी के प्रति धन्यवाद के इस प्रस्ताव का समर्थन किया या अपने तरीके से इस चर्चा में भागीदारी की है। मैं इसके लिए सभी सदस्यों को

हृदय से धन्यवाद देता हूँ और सबका आभार भी व्यक्त करता हूँ। कई मुद्दे आये हैं। नेता प्रतिपक्ष जब बोलते हैं तो उनकी अपनी एक वो होती है, वह बलिया यहां से सीधे नहीं जाना चाहते हैं। वह बलिया का रास्ता भी अपनाते हैं कि यहाँ से आगरा, आगरा से फिर जयपुर, जयपुर से घूम करके आयेंगे दिल्ली और दिल्ली से फिर वाराणसी और वाराणसी से पटना (बिहार) हो करके फिर आते हैं। उनका सीधा रास्ता नहीं है। सीधे रास्ते से वह गोरखपुर होते हुए जा सकते थे, यहां से मऊ होते हुए भी जा सकते हैं, लेकिन नहीं जायेंगे पता नहीं बीच में अयोध्या जाने में डर लगता होगा। (सदन में हंसी) लेकिन सीधे नहीं जाते हैं तो स्वाभाविक रूप से जब सीधे चलेंगे नहीं, तो सीधे बोलने में भी थोड़ा संकोच करते हैं।

मैं उस प्रकार की बहुत चीजों को देख करके, कल यहाँ पर जब नेता प्रतिपक्ष बोल रहे थे, बहुत सारी चीजें उन्होंने सही बोलीं, जैसे अस्वस्थ हुए। हमारा दायित्व बनता था, एक तो बुजुर्ग हैं और दूसरा नेता प्रतिपक्ष हैं। वह हमारी विरासत का पार्ट हैं। तो इसलिए उनको हमें सम्मान देना था, तो हम लोगों को चिन्ता हुई। मैंने स्वयं भी फोन किया था। मैंने खन्ना जी से भी कहा, खन्ना जी ने कहा कि मैंने बातचीत कर ली है। मैंने कहा कि हाल-चाल लेते रहिए और जो भी माननीय सदस्य या कोई भी व्यक्ति बीमार होता है। बीमारी है, कोई जबर्दस्ती बीमारी को पकड़ कर लेकर आया नहीं। लेकिन हम हालचाल जरूर लेते रहे, पूछे, कहीं ऐसी कोई बात न होने पाये क्योंकि बहुत बार होता है कि वी0वी0आई0पी0 होना भी अपने आप में एक वो हो जाता है। लोग ट्रीटमेण्ट करने में संकोच करते हैं, डरते हैं। तो हमने कहा कि बराबर एक संवाद होना चाहिए, तय करो कि क्या उन्होंने उसके लिए ट्रीटमेण्ट का भी प्रोटोकाल अपनाया है, सब चीजों को देख करके, उन्होंने इस चीज को यहां पर व्यक्त भी किया कि हां, उनका उपचार हुआ। क्योंकि हमारे लिए चिन्ता का विषय था, सामान्यतः कोविड का पेशेंट, 12 दिन, 14 दिन के अंदर वापस आ जा रहा था और उनको उम्र के नाते 42 दिन लगे और इसीलिए जब वह बोलते हैं तो मैंने उनसे पहले ही दिन दलीय नेताओं की बैठक में कहा था कि अगर आप कम बोलेंगे तो अच्छा रहेगा लेकिन उसको वह गलत अर्थों में न लें, लेकिन मैंने फिर भी उनके ऊपर सौंपा था कि जो आपकी मर्जी है, आप जिस तरीके से करना चाहेंगे।

क्योंकि हम बोलते हैं तो उससे ऊर्जा तो निकलती है, व्यक्ति की ऊर्जा एग्जास्ट होती है और फिर नेता प्रतिपक्ष जब बोलते हैं वह अपने बलियाटिक भाषा में बोलते हैं तो वह अपनी एक निराली भाषा होती है। मान्यवर, वह एक अजीब सा वह था लेकिन जो तथ्य उन्होंने रखे हैं महोदय उसी पर हम लोग आने का प्रयास करेंगे और खास तौर पर कोरोना के बारे में। इस सदन का हर सदस्य इसके बारे में चिन्तित रहा है, कोविड प्रबन्धन में सहभागी रहा है, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से उसने इसमें सहयोग किया है। सबसे पहले मैं इस पूरे सदन का इस बात के लिए आभार व्यक्त करूंगा कि जब हमारे पास पैसे की कमी पड़ी तो हर एक सदस्य ने स्वेच्छा से सहभागी बन करके उसमें योगदान दिया है। अपने पास से, अपनी निधि से और जब सरकार ने कहा कि हरएक माननीय सदस्य अपने वेतन से भी कटौती करेगा, मंत्रीगण

अपने वेतन से कटौती करेंगे और अपनी निधि से भी कटौती करेंगे या निधि को सरेंडर करेंगे तो किसी ने विरोध नहीं किया, सबने कहा कि प्रदेश को बचाना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। एक भाव है हमारा, हम अपने लिए नहीं जियेंगे, इस प्रदेश की 24 करोड़ जनता को बचाने के लिए हमें कार्य करना है और कोविड प्रबन्धन का कार्य वहाँ से प्रारम्भ हुआ। आपने देखा होगा, किसी चीज की कमी नहीं होने दी। आप देखेंगे पहला जब पेसेंट आया था उत्तर प्रदेश में मार्च प्रथम सप्ताह में आगरा और गौतमबुद्धनगर में टेस्टिंग की क्षमता हमारे पास उस समय जीरो थी। हमने मरीज को सफदरगंज, दिल्ली भेजा था, फिर हमने टेस्टिंग की क्षमता बढ़ानी प्रारम्भ की, हमारी पहली लैब के0जी0एम0यू0 में प्रारम्भ हुई 60 टेस्ट से और 60 से बढ़ाकर हम उसको 2 लाख प्रतिदिन ले करके गये हैं। तीन करोड़ से ज्यादा टेस्ट अब तक हम लोग कर चुके हैं, कोविड-19 के तीन करोड़ से अधिक टेस्ट अब तक सम्पन्न हो चुके हैं और यह देश के अन्दर सर्वाधिक है, सबसे ज्यादा है। आज भी सबसे अधिक टेस्ट हम कर रहे हैं, सवा लाख से डेढ़ लाख टेस्ट हमारे आज भी चल रहे हैं, फोकस टेस्टिंग लगातार चल रहे हैं।

एक प्रक्रिया कि कैसे कार्य होना है, मुझे याद है जब कोविड प्रारम्भ हुआ था तो सबसे पहले जनता कर्फ्यू के दिन मेरे पास आदरणीय राष्ट्रपति जी का और आदरणीय उप राष्ट्रपति जी का फोन आया। उन्होंने कहा कि योगी जी कोविड आ चुका है, अब तो बहुत कठिन हो गया है, हम चिन्तित हैं यू0पी0 से कि यू0पी0 कैसे बचेगा, इतनी घनी आबादी का प्रदेश है। मैंने कहा कि आप चिन्ता मत कीजिये, हम लोग मिल करके यहाँ पर अच्छा कार्य करेंगे। हम लोगों ने उसी दौरान ही अपने मंत्रि-परिषद् की एक कमेटी बना दी, मंत्रियों का एक समूह बना दिया, अलग-अलग समूह को अलग-अलग काम सौंपे गये, वे वहाँ से अपने सुझाव देते थे फिर टीम-11 का गठन हम लोगों ने किया, वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों की टीम बनायी, प्रतिदिन नियमित रूप से हम इसकी बैठक करते थे और नियमित रूप से बैठक करने का सिलसिला हमारा निरन्तर चल रहा है। आप देख रहे होंगे, उत्तर प्रदेश में ऐक्टिव केस केवल 2000 तक बचे हैं और हॉस्पिटल में संख्या 500 से भी कम है, मेडिकल कॉलेजेज में उससे भी कम संख्या है, रिकवरी रेट देश के अन्दर सबसे अच्छी है। मौत एक भी बुरी होती है लेकिन अगर मौत के आंकडे देखेंगे तो पिछली बार मैंने दिल्ली का उदाहरण आपके सामने दिया था। अमेरिका, हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर दुनिया में सबसे अच्छा अमेरिका के पास है और यूरोप के पास है अगर आप इसकी तुलना करेंगे तो उसकी तुलना में उत्तर प्रदेश का हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर कहीं नहीं ठहरता। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिनके मागदर्शन में कोविड-19 की इस लड़ाई को आगे बढ़ाया। हमने भारत सरकार से जो मांग की भारत सरकार हमें देती रही, एक-एक चीज में सहयोग करती रही। अलग-अलग विभाग, अलग-अलग मंत्रालय, अलग-अलग मंत्री अपने स्तर पर उस कार्यक्रम को आगे बढाते थे। प्रशासनिक अधिकारी अपने तरीके से काम करते थे, सबकी समीक्षा मैं स्वयं करता था लेकिन हरएक पूरी जवाबदेही के साथ काम करता था। कोविड-19 के दौरान भी हमारी बैठकों का सिलसिला नहीं

समाप्त हुआ, विजिट का वह सिलसिला समाप्त नहीं हुआ, हम निरन्तर कार्य करते रहे, निरन्तर चलते रहे और उसका परिणाम था कि विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू0एच0ओ0) दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य संस्था है। इस संस्था को भी उत्तर प्रदेश के कोरोना प्रबंधन की सराहना करनी पड़ी।

(सत्ता पक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपाईं)

कोरोना प्रबंधन के लिए उत्तर प्रदेश की सराहना उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ लोगों के लिए सम्मान है। उनके दिये गये योगदान का सम्मान है। उन सभी दानदाताओं का, जिन्होंने कोविड प्रबंधन में अपना योगदान किया, सदन के मा0 सदस्यों ने किया, तमाम व्यापारिक/ औद्योगिक संगठनों ने किया और सामान्य नागरिकों ने भी किया।

महोदय, कोविड के दौरान लखनऊ की एक वृद्ध महिला हमारे पास कोविड में दान देने के लिए आना चाहती थी। महिला की उम्र ज्यादा थी, हाई रिस्क कैटेगिरी में होने के नाते मैंने उनको 2-3 बार मना किया कि माता जी, आप अभी मत आइये। जब आप स्वस्थ हो जायें, तब आप दान दे जाइयेगा। उन्होंने कहा कि मुझे अभी दान देना है। मैंने उनके लिए एक स्पेशल व्यवस्था की। वह मुझसे मिलने के लिए आयीं। आप आश्चर्य करेंगे कि उन्होंने कहा कि मेरे पास एक मकान है और मेरे जीवन भर की एक पूँजी है। पूरे जीवन भर की पूँजी और मकान को कोरोना पीड़ितों के उपचार के लिए दान देना चाहती हूँ। मैंने कहा कि माता जी, आप पैसा तो दे दीजिये, लेकिन मकान अपने पास रखिये। सरकार मकान लेकर क्या करेगी ? मैंने कहा, उस मकान में आप रहिये, मकान आपके ही नाम रहेगा। उन्होंने अपनी पूरी पूँजी इस प्रबंधन के लिए दान दे दिया। ऐसे अनगिनत लोग थे, जिन्होंने हमको कोरोना पीड़ितों के उपचार के लिए दान दिया। जिसका परिणाम था कि हमने उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 0 से लेकर 2 लाख तक टेस्टिंग क्षमता को बढ़ाया। हमारे पास आई0सी0यू0 बेड नहीं थे, वेंटीलेटर्स नहीं थे, एम्बुलेन्सेस पर्याप्त मात्रा में नहीं थे। 36 जिले ऐसे थे, जहाँ पर कोई वेंटीलेटर्स नहीं था। हमारे पास कोविड के उपचार के लिए आईसोलेशन बेड्स की कमी थी। हम उसको बढ़ाते-बढ़ाते डेढ़ लाख तक लेकर गये।

(सत्ता पक्ष के सदस्यों ने मेजे थपथपाईं)

महोदय, कोविड हास्पिटल में हर जिले में वेंटीलेटर्स, एच0एच0एन0सी0 उपलब्ध कराये गये। यहां पर हम चर्चा कर रहे थे कि पी0पी0ई0 किट्स का घोटाला हुआ। पल्स-ऑक्सीमीटर को लेकर उंगली उठाने का प्रयास कर रहे हैं। महोदय, मुझे लगता है कि एक आरोप आप लगा सकते हैं, लेकिन एक पाप होगा, जब हम एक महामारी से जूझ रहे हैं और तब कोई धक्के दे दे।

महोदय, पी0पी0ई0 किट्स की अधिकतर सप्लाई भारत सरकार की संस्था एच0एल0एल0 ने किया है और यहां पर हम उनकी गुणवत्ता की जाँच कराते थे। जाँचोपरान्त

हम उसको हास्पिटल में उपलब्ध कराते थे और इसमें भी हम लोगों ने तमाम संस्थाओं को जोड़ा था कि कहीं ऐसा न हो कि हमारा जो डॉक्टर है, हमारा हेल्थ वर्कर है, अगर हम घटिया पी0पी0ई0 किट देंगे, तो वह कोरोना कैरियर का काम कर लेगा। इसलिए हम लोगों ने इसको बहुत सख्ती के साथ रोका कि हम हर स्तर पर इसकी जाँच करेंगे। जांच करवाने के बाद ही हम लोगों ने इस कार्य को आगे बढ़ाया।

महोदय, अलग-अलग संस्थाओं से हम लोगों ने इसकी जाँच करायी। खासतौर पर यहां जो हमारी जांच करने वाली संस्थाएं थीं, उसमें हमने एस0जी0पी0जी0आई0, आई0आई0टी0 कानपुर और के0जी0एम0यू0 के विशेषज्ञों को इसके साथ जोड़ा था। इसके साथ ही हम लोगों ने प्रदेश के अंदर अन्य जो कार्य होने थे, उन सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए एक-एक पी0पी0ई0 किट, ऑक्सीमीटर या फिर अन्य जिस भी प्रकार के थर्मामीटर का उपयोग होना था, उन सभी चीजों की हरएक स्तर पर जांच करायी। लेकिन हमें एक चीज और देखनी पड़ेगी, दिल्ली में शासन करने वाले राजनीतिक दल के भी एक व्यक्ति ने आकर यहाँ पर यह आरोप लगाया था कि प्लस-ऑक्सीमीटर में किसी एक जनपद में घोटाला हुआ है। हम लोगों ने जांच करायी। महोदय, प्लस-ऑक्सीमीटर या इससे संबंधित जो थर्मामीटर थे या पी0पी0ई0 किट थे, पी0पी0ई0 किट के पहले जब कोरोना आया था तो उस समय उसकी कीमत क्या थी, 5000 से लेकर 15,000 रुपये तक ? यही पी0पी0ई0 किट का जब हम लोगों ने प्रदेश के अंदर उत्पादन करना प्रारम्भ किया और लगभग 200 से अधिक यूनिट हम लोगों ने इसके लिए तैयार की तो यही पी0पी0ई0 किट हमें 250 रु0 से लेकर 500 रु0 में पड़ने लगा। (सत्ता पक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपाईं।) यह मार्केट का डिमाण्ड और सप्लाई का नियम भी है, अगर डिमाण्ड ज्यादा है और सप्लाई कम है तो दाम ज्यादा होगा। लेकिन सप्लाई ज्यादा हो जाए और डिमाण्ड कम हो तो दाम अपने-आप कम होगा। यही चीज इन सभी चीजों के साथ भी जुड़ी रही। हम लोगों ने दिल्ली के रेट मंगाये, उन्होंने यहां के रेट को कोट किया था कि 1800 से लेकर 4900 रु0 में प्लस-ऑक्सीमीटर थर्मामीटर खरीदे गये। हम लोगों ने दिल्ली के रेट मंगाये थे, दिल्ली के रेट 10,000 से लेकर 50,000 रु0 तक थे और इस रेट पर दिल्ली सरकार ने पल्स-ऑक्सीमीटर थर्मामीटर खरीदे थे। उनसे जब मीडिया के एक प्रतिनिधि ने उनसे पूछा कि आप यू0पी0 के बारे में कह रहे थे कि घोटाला हो रहा है लेकिन यह दिल्ली में आप क्या कर रहे हैं ? आपने देखा होगा कि उसके बाद से कभी दूसरी बार उनकी जुबान नहीं खुली। क्योंकि "जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि"। जैसे जीवन भर किया है तो उसी तरह से वह व्यक्ति बोलेगा और वही उनके द्वारा यहाँ पर व्यक्त किया गया। पूरी ईमानदारी पूरी प्रतिबद्धता के साथ एक टीम ने काम किया है और टीम वर्क हुआ है (सत्ता पक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपाईं) और कोरोना प्रबन्धन के अंदर वह सभी कार्य हर एक स्तर पर देखने को मिला है। यह जितना कार्य कर पाये हैं, केवल सरकारी पैसा इसमें नहीं लगा। हमारी लैब्स वगैरह बनाने में सरकार के पास से पैसा बहुत कम लगा, यह पैसा हमें सी0एस0आर0 (Corporate Social Responsibility) से जो पैसा मिला,

जनप्रतिनिधियों ने जो पैसा दिया, विभिन्न संगठनों व संस्थाओं ने जो पैसा दिया उस पैसे से हमने लैब्स बनाये हैं, हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर हमने डेवलप किया, भारत सरकार ने हमें सहयोग किया, उसका परिणाम था कोरोना प्रबन्धन ठीक से हुआ।

उस दौरान जो चीजें आयीं, मंत्रि-परिषद् की कमी थी, वित्त मंत्री की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी थी, उस कमेटी ने जो रिकमेण्ड किया श्रमिकों के लिए, पहले अनुमान नहीं था कि लॉकडाउन इतने दिन चलेगा। हम मानते थे कि दो दिन, चार दिन या एक सप्ताह चलेगा। इतनी बड़ी संख्या में पलायन होगा इसके लिए कोई तैयार नहीं था। हमारे प्रदेश के बच्चे अन्य जगहों पर हैं उनके सामने संकट आयेगा, यह कोई भय नहीं था। लेकिन उत्तर प्रदेश पहला राज्य है, जिस राज्य ने श्रमिकों के लिए, स्ट्रीट वेण्डर के लिए, कुली, पल्लेदार, रिक्शा चालक के लिए, रिक्शा चलाने वाले जितने भी रिक्शा चालक हैं इन लोगों के लिए भरण-पोषण भत्ता की घोषणा ही नहीं की बल्कि उनको ऑन-लाइन देना भी प्रारम्भ किया।

(सत्तापक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपाई।)

नेता प्रतिपक्ष जी महत्वपूर्ण यह नहीं होता है कि आप उसको कितना भरण-पोषण भत्ता दे रहे हैं, महत्वपूर्ण राशि नहीं होती है, "डूबते को तिनके का सहारा"। आप बेसिक शिक्षा के मंत्री रहे हैं और आपने यह कहावत सुनी होगी। उसके लिए राशि नया जीवन देने वाली राषि थी और यह पैसा उत्तर प्रदेष सरकार ने देना प्रारम्भ किया। उत्तर प्रदेश ने पहला राहत पैकेज घोषित किया, संगठित क्षेत्र के जो रजिस्टर्ड श्रमिक थे उन्हें दो-दो बार यह पैसा दिया गया और असंगठित क्षेत्र के जो लेबर थे, जो उत्तर प्रदेश में आये थे उन्हें एक बार दिया गया लेकिन साथ-साथ राशन किट भी उपलब्ध कराई गई। राशन कार्ड की बाध्यता समाप्त कर दी गई कि राशन कार्ड आज बनेगा तो दो महीने तक इसकी जाँच होगी कि दो महीने तक वह व्यक्ति वहाँ रह रहा है कि नहीं रह रहा है। जब रहेगा तब उसके बाद राशन मिलेगा। हमने यह किया कि आज आया है, अगर आज उसको राशन किट मिल गया है तो राशन किट के साथ ही उसे राशन कार्ड भी मिलेगा और राशन कार्ड के साथ उसे राशन मिलना प्रारम्भ हो जायेगा। (मेजों की थपथपाहट) महीने में दो-दो बार राशन। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अर्न्तगत भी और उत्तर प्रदेश पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के माध्यम से भी मुफ्त में राशन देने की व्यवस्था प्रदेश ने की हरएक स्तर पर की। मेरे पास डाटा है। एक-एक को बताऊँगा कि कितने लोगों को कहाँ पर क्या दिया गया। यह कोई हम लोगों ने अपने पास से नहीं दिया। यह जनता का पैसा, जनता के हित के लिये, उनके कल्याण के लिये, उनके संकट के समय में उन्हें उपलब्ध कराने के लिये इस राशि का उपयोग किया गया हरएक स्तर पर। कोटा में फंसे हुए छात्र प्रदेश के ही थे, 12 हजार छात्र थे। बहुत जगह विरोध हो रहा था। नहीं लाना है, नहीं लाना है। हमने राजस्थान सरकार से भी अनुरोध किया था कि हमें अपना वाहन उपलब्ध करवा दीजिये। आप लोग उन बच्चों को आगरा तक और झांसी तक पहुंचा दीजिये वहाँ से हम अपने वाहन से ले

लेंगे। उन्होंने कहा कि हमारे पास साधन नहीं है, हम नहीं दे पायेंगे। हमने कहा कि फिर हमें परमीशन दे दीजिये और उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम की बसेज से, उनको लाया गया। मैं अभिनन्दन करूँगा उन चालकों, परिचालकों, होमगार्ड के जवानों का, जब हर व्यक्ति कोरोना से डर रहा था, भाग रहा था उन स्थितियों में वे साहस के साथ उन लोगों को लेकर आने के लिये कोटा जाते थे, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसेज। (मेजों की थपथपाहट) कोटा से उन्हें सुरक्षित ले करके उनके घरों तक पहुँचाती हैं और केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं उत्तराखंड के बच्चों को, मध्य प्रदेश के बच्चों को, और उत्तर प्रदेश में रह रहे हरियाणा के बच्चों को भी उनके माध्यम से पहुंचाने का कार्य उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों ने किया था।

प्रयागराज में 14 हजार बच्चे थे। उनको भी हम लोगों ने सुरक्षित घर तक पहुँचाने का काम किया था। हर एक बच्चे को घर तक पहुंचाने का काम किया। जहाँ भी जिसने राहत की मांग की पूरी मशीनरी लगी हुई थी हर एक स्तर पर कम्युनिटी किचेन की व्यवस्था, कोई कल्पना करता है, कभी जा करके देखो राहत आयुक्त कार्यालय में। स्क्रीन लगी है, एक-एक जिले की। जैसी स्कीन यहाँ सामने लगी है इससे भी बड़ी डबल स्क्रीन लगी है। हर एक जिले के अंदर कहाँ पर किचन के अंदर क्या हो रहा है, लखनऊ में बैठे-बैठे हम लोग देख सकते हैं। टैक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग करते हुए कम्युनिटी किचेन के माध्यम से करोड़ों फूड पैकेट पूरे कोरोना काल खंड के अन्दर वितरित करने का कार्य किया गया। वितरण निरन्तर होता रहा। डोर स्टेप डिलीवरी लॉकडाउन के दौरान करवाने का कार्य हुआ। यानि हर एक स्तर पर इस अभियान को आगे बढ़ाने का काम हुआ। स्वच्छता कर्मी अपना कार्य करते थे, सफाई कर्मी अपना कार्य करते थे, स्वास्थ्य कर्मी अपना कार्य करते थे। परिवहन निगम की बसेज के माध्यम से सुरक्षित उन्हें पहुँचाने का कार्य होता था। पुलिस कर्मी अपना कार्य करते थे। पुलिस का मानवीय चेहरा भी सामने आया। जब लॉकडाउन प्रारम्भ हुआ कौन करेगा डोर स्टेप डिलीवरी। पी0आर0वी0-112 ने किया। घर-घर तक खाद्यान्न पहुँचाना, दवा पहुँचाना, आवश्यक वस्तुओं को पहुँचाना, यह पुलिस कर्मियों ने किया, पुलिस की पी0आर0वी0-112 ने किया। यह सभी कार्य हुए और पूरी प्रतिबद्धता के साथ हुए। निरन्तर मैं स्वयं इसकी समीक्षा करता था। यह कार्यक्रम निरन्तर किये गये। हर व्यक्ति अपने स्तर पर लगा हुआ था। हर एक स्तर पर यह भाव था कि प्रदेश को बचाना है, हर हाल में बचाना है और यह जो भाव था उसका परिणाम था कि कोरोना प्रबंधन में उत्तर प्रदेश देश के अन्दर अग्रणी रहा, बेहतर परिणाम देने में सफल रहा। (मेजों की थपथपाहट) 40 लाख माइग्रेट लेबर के बारे में कोई सोच सकता है। 40 लाख तो उत्तर प्रदेश के थे और उत्तर प्रदेश से गये थे लगभग एक करोड़ 40 लाख यू0पी0 के थे और 60 लाख अन्य राज्यों के थे। बिहार का हर व्यक्ति उत्तर प्रदेश से उतर कर गया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, झारखण्ड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, असम, उड़ीसा, नार्थ ईस्ट से जुड़े हुए जितने भी लोग थे, सभी उत्तर प्रदेश से होते हुए गये थे। कहीं और जगह उनको भोजन मिला हो या न मिला हो, यह मैं नहीं कह सकता, यह तो वह लोग स्वयं व्यक्त करते

हैं, उन राज्यों में जब कभी उनसे पूछो तो वह स्वयं इस बात को कहते हैं कि अगर हमें भोजन कहीं मिला है तो उत्तर प्रदेश में मिला है। ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश में भोजन केवल हमने सरकारी मद से दिया है, आपमें से ज्यादातर जनप्रतिनिधियों ने अलग-अलग लंगर लगाये थे, कहीं पर शासन का कम्युनिटी किचेन लगाया था, कहीं पर स्वयं सेवी संगठनों ने लगाया था, कहीं पर अलग-अलग राजनीतिक दलों ने अपने तरीके से कार्यक्रम बनाये थे और जो भी आता था, भोजन, पेयजल उसको उपलब्ध कराया जाता था। अगर उसके पैर में चप्पल नहीं है तो चप्पल और जो भी उसको आवश्यक सुविधायें उपलब्ध करानी थीं, वह उसको उत्तर प्रदेश में उपलब्ध होती थीं। अन्य जगह क्या हुआ, यह हर व्यक्ति जानता है। लॉकडाउन प्रारम्भ होते ही दिल्ली के अन्दर क्या हो गया था यह हर कोई जानता है। यू0पी0, बिहार के बिजली, पानी के कनेक्शन काट दिये गये थे। जबरदस्ती उन्हें बाहर करने का प्रयास हो रहा था, लेकिन हम लोगों ने कभी नहीं कहा कि हम नहीं आने देंगे। मैंने कहा कि यह तो हमारी ऊर्जा है, यह हमारे लोग हैं, हमें जो भी करना होगा हम करेंगे। हम इन्हें सुरक्षा देंगे। 40 लाख प्रवासी कामगारों/श्रमिकों मुझे प्रसन्नता है इस बार बजट में, उसका प्राविधान भी हुआ है। असंगठित क्षेत्र के लोगों को भी भरण-पोषण भत्ता दिया गया है। 15 दिन की राशन किट दी गयी है और 15 दिन की राशन किट के साथ ही हम मा0 प्रधानमंत्री मोदी जी के आभारी हैं, जिन्होंने "वन नेशन वन राशन कार्ड" यानी नेशनल पोर्टिबिलिटी के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश का मजदूर अगर देश के अन्दर कहीं भी है और उसके पास उत्तर प्रदेश का राशन कार्ड है तो उस राशन कार्ड से देश के अन्दर वह कहीं भी राशन की सुविधा प्राप्त कर सकता है। उसके तहत भी हम लोगों ने यह सुविधा प्रदेश के सभी लोगों को देनी प्रारम्भ की है। बजट में तो उन्हें सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा की गारण्टी मिल ही चुकी मुझे लगता है कि अब उत्तर प्रदेश के अन्दर कोई भी मजदूर संगठित क्षेत्र का हो या असंगठित क्षेत्र का हो सभी को भरण-पोषण भत्ता देने का कार्य किया गया है। दुर्भाग्य से हम लोग कभी भी नहीं चाहेंगे कि इस प्रकार की कोई भी आपदा कभी आये, लेकिन फिर भी आपदा किसी के नियंत्रण में नहीं होती है। हम लोग इसके लिए मानसिक रूप से तैयार हैं। उत्तर प्रदेश का कोई भी मजदूर, जिसको हम रजिस्टर्ड करेंगे, वह देश या दुनिया में कहीं होगा, सामाजिक सुरक्षा भी हम उसको देंगे और स्वास्थ्य बीमा का कवच भी हम उसको उपलब्ध कराने जा रहे हैं। यह चीजें पहले भी हो सकती थीं, कोविड प्रबन्धन हमारे सामने एक नया अनुभव था। कोविड प्रबन्धन के इस कार्य को बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ाया गया। कोविड प्रबन्धन का कार्य जो इस प्रदेश के अन्दर हुआ है, इसके बारे में भी जो चीजें की गयी हैं, मैं इस बारे में कह सकता हूं। ठीक है समाचार-पत्रों में छपने के लिए, मीडिया में छपने के लिए, मीडिया की सुर्खियों को बनाये रखने के लिए आप किसी पर भी कोई टिप्पणी कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि यह अन्याय और अनर्थ होगा। अगर हम लोग इस मामले में कोई गलत टिप्पणी करके इस बारे में चर्चा करें कि पल्स ऑक्सीमीटर, किसी पी0पी0 किट को लेकर या किसी अन्य लॉजिस्टिक को लेकर किसी भी प्रकार की कोई अन्य

बातें आती हैं तो मुझे लगता है, क्योंकि वह चाहे पी0पी0 किट हो, ग्लब्स हो, मास्क हो, सेनेटाइजर हो, शुरुआत में जो सेनेटाइजर 100 मिली0 का था, वह 500-600 रुपये तक पहुंच गया था।

बाद में गन्ना विभाग ने सभी डिस्टलरीज में सभी चीनी मिलों को इस बारे में कहा कि वहां पर सेनेटाइजर पर्याप्त मात्रा में बनाया जाय और सेनेटाइजर इतने बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में बना कि 27 राज्यों को हमने सेनेटाइजर उपलब्ध कराया। जहाँ तक पी0पी0ई0 किट की बात है इसमें हम लोगों ने भारत सरकार द्वारा जो अधिकृत प्रयोगशालाएं हैं स्माल आर्म फैक्ट्री कानपुर आर्डीनेन्स फैक्ट्री कानपुर, मुरादनगर, मेट्रा गाजियाबाद, सिट्रा कोयम्बटूर से इसकी निरन्तर जांच कराई गई और जांच कराने के बाद ही पी0पी0ई0 किट को या ग्लब्स को, मास्क को हम लोगों ने उपयोग के लिए स्वास्थ्य कर्मियों को उपलब्ध करवाया। इसमें ज्यादातर जो पी0पी0ई0 किट थी पहले चरण में तो यह भारत सरकार के द्वारा ही उपलब्ध कराई जाती रही बाद में मेडिकल कारपोरेशन के द्वारा भी ई-टेन्डरिंग के माध्यम से यह सारी चीजें खरीदी गईं। इसमें किसी भी प्रकार की कोई गुंजाइश भ्रष्टाचार की थी न किसी प्रकार की गुंजाइश है। हम लोगों ने ग्रामीण क्षेत्रों में भी हर एक गांव पंचायत को बड़े पैमाने पर जब प्रवासी और कामगार श्रमिक आने लग गए तो उन प्रवासी कामगारों को श्रमिकों के लिए भी हम लोगों ने जांच की व्यवस्था की हर ग्राम पंचायत से कहा गया कि आप पल्स ऑक्सीमीटर थर्मामीटर या अन्य जो भी आवश्यक चीजें हैं इनको आप अपने स्तर पर गांव में खरीदें। क्योंकि इतने लार्ज स्केल में यह मिल नहीं सकता है, हमें तत्काल इसकी आवश्यकता पड़ेगी। वहाँ पर स्थानीय स्तर पर एक तो ग्राम पंचायत निधि से यह चीजें खरीदीं जहाँ पर सामूहिक रूप से ला सकते थे उन्होंने सामूहिक रूप से उसको मंगाया जिला प्रशासन ने मंगाया होगा लेकिन रेट जो भी थे वह अगर आप देखेंगे तो जैसा कि मैंने बताया कि पल्स ऑक्सीमीटर 1100 रुपए का भी मिल सकता है और 50 हजार रुपए का भी मिलेगा। वह तो जैसा आप चाहेंगे। स्मार्ट मोबाइल फोन जैसे दो हजार का भी आता है और दो लाख का भी आता है। आप जिसको पसन्द करेंगे जो आपकी क्षमता है उसके अनुरूप आप उसको क्रय कर सकते हैं, उसको ले सकते हैं। यह चीज हम लोगों को देखने को मिली। बहुत सारी संस्थाओं ने बैंकों ने अन्य संस्थाओं ने हमें एम्बुलेंस भी उपलब्ध कराई, लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस उपलब्ध कराई जिसका हम लोगों ने प्रदेश के अन्दर बेहतर उपयोग किया। कांट्रेक्ट ट्रेसिंग का कार्य बेहतर तरीके से हुआ। प्रदेश में एन्टीग्रेटेड कमाण्ड एण्ड कंट्रोल सेन्टर हर जनपद में बनाए गए। सी0एम0 हेल्प लाइन का बेहतरीन उपयोग किया गया जो भी पेसेंट हास्पिटल में भर्ती होता था या होम आइसोलेशन में था सी0एम0 हेल्प लाइन से उसके पास फोन जरूर गए होंगे। क्योंकि उसकी मैं स्वयं भी समीक्षा करता था कि सी0एम0 हेल्प लाइन से कितने लोगों को फोन किया गया मेडिकल कालेज में जितने लोग थे चिकित्सा शिक्षा मंत्री खन्ना जी स्वयं उसकी निगरानी रखते थे, समीक्षा करते थे स्वास्थ्य केन्द्रों में कितने लोग हैं स्वास्थ्य मंत्री, स्वास्थ्य राज्य मंत्री स्वयं उसकी समीक्षा करते थे।

अगले दिन मैं स्वयं इसकी समीक्षा करता था, मैं हर दिन समीक्षा करता था। इसलिए महोदय एक महामारी के खिलाफ प्रदेश के द्वारा चलाए गए एक वृहद् अभियान को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम लोगों ने सफलतापूर्वक उसका मुकाबला किया, मैं आभारी हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का प्रबन्धन में मार्ग-दर्शन करने के लिए। दो स्वदेशी वैक्सीन को भारत में उपलब्ध करवाने के लिए दुनियाँ के तमाम बड़े-बड़े देश हैं एक वैक्सीन बमुश्किल बना पाए, भारत ने दो स्वदेशी वैक्सीन दिया है। दो स्वदेशी वैक्सीन ही नहीं दिया दो नए और आने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में अब तक लगभग 15 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। फेजवाइज सबको वैक्सीन देने की प्रक्रिया चल रही है। अनुशासित ढंग से कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई समस्या नहीं, किसी प्रकार की किसी के सामने कोई समस्या नहीं है। यह वैक्सीन भारत सरकार निःशुल्क उपलब्ध करा रही है। यह भारत के लिए ही नहीं दुनियाँ के अपने मित्र देशों को वैक्सीन देने का काम भारत कर रहा है यह नया भारत। कुछ लोगों को भारत की प्रगति बहुत अच्छी नहीं लगती, मैं राष्ट्रीय पार्टी के एक नेता का वक्तव्य सुन रहा था। उत्तर प्रदेश ने उनको कई बार सांसद बनाया और आज वह केरल में जा करके उत्तर प्रदेश के लोगों की खिल्ली उड़ा रहे हैं। (सत्ता पक्ष की ओर से "शेम-शेम" कहा गया) बांटने का कार्य कर रहे हैं और किससे, अमेरिकन छात्रों से बातचीत करते हुये। वह इससे पहले भी कर चुके हैं। या तो आदत ही ऐसी है या फिर...

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

मा0 अध्यक्ष जी, यह गलत आरोप है। यह किसी का अपमान नहीं कर सकते हैं। इनको किसी का अपमान करने का अधिकार नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य, आप बैठ जाइये। यह डिस्टर्बेन्स ठीक नहीं है।

(इसी मध्य सदस्य श्री अजय कुमार 'लल्लू' अपने स्थान पर खड़े होकर बोलने का प्रयास करते रहे, लेकिन उनका माइक बंद था।)

(इसी मध्य सत्ता पक्ष के बहुत से सदस्यों के अपने-अपने स्थानों से एक साथ बोलने के कारण सदन में शोर बना रहा)

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मा0 अध्यक्ष जी, जब सभी पार्टियों के नेता बोले तो सभी ने आराम से सुना। जिसने जितना चाहा उतना बोला और सभी ने आराम से सुना। यह डिस्टर्बेन्स ठीक नहीं है। यह तरीका ठीक नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

मा0 मुख्य मंत्री जी।

श्री योगी आदित्यनाथ-

मा0 अध्यक्ष जी, मैंने किसी का नाम तो नहीं लिया। मैंने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन फिर यह कहावत चरितार्थ हो गयी कि "चोर की दाढ़ी में तिनका"। साबित हो गया न ? उत्तर प्रदेश के लोगों को और अमेठी के लोगों को कौन लोग अपमानित कर रहे हैं ? कैसी तस्वीर प्रस्तुत की जा रही है, क्या कहा जाता है। आप आश्चर्य करेंगे कि उत्तर प्रदेश के बारे में हमने तो कभी नहीं कहा किसी के बारे में। हम तो केरल को सनातन आस्था की केंद्रभूमि मानते हैं। अभी मैं तीन दिन पहले ही केरल गया था। मैंने उस धरती को नमन किया था। भारत की सनातन परम्परा में आदि शंकराचार्य केरल में ही जन्मे थे। (सत्ता पक्ष द्वारा मेजों की थपथपाहट) देश के चार कोनों में उन्होंने चार पीठों की स्थापना की थी। भारत की सांस्कृतिक एकता का संदेश आज से सैकड़ों वर्ष पहले आदि शंकराचार्य ने इन चार पीठों के माध्यम से दे दिया था। कांग्रेस पार्टी क्या करना चाहती है ? यह विभाजनकारी राजनीति है। आप कभी अमेरिकी राजदूत के सामने भारत की निंदा करते हैं। भारत के अन्दर भारत के संगठनों से कहते हैं कि हमें लश्कर-ए-तैय्यबा और अन्य संगठनों से खतरा नहीं है हमें तो भारत के संगठनों से खतरा हो गया है और फिर आप इस प्रकार की टिप्पणी कर रहे हैं।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

मा0 अध्यक्ष जी, यह इस प्रकार दुष्प्रचार नहीं कर सकते।

श्री योगी आदित्यनाथ-

मान्यवर, हमें आश्चर्य होता है, यह क्या है, कैसी राजनीति है, यह कैसी विभाजनकारी राजनीति है ? यह कैसा राजनीतिक संस्कार है कि आप उत्तर प्रदेश में जब आयेंगे तब मन्दिर भी याद आने लगता है, तब कहेंगे कि वृंदावन को बचाओ। वृंदावन को आप क्या बचायेंगे, अरे वह तो भगवान कृष्ण की लीला भूमि है। वह सनातन भूमि है। उसका कंस बालबांका नहीं कर पाया तो आज कोई क्या कर पायेगा, लेकिन भारत की इस प्रकार की छवि को खराब तो मत करिये। यह देश हमारा है, लेकिन भारत की छवि को इस रूप में प्रस्तुत करना, विदेशी राजदूतों के सामने भारत के संगठनों को कठघरे में खड़ा करना, भारत को अपमानित करना, जब सेना सीमा पर लड़ रही हो और दुश्मन देशों को मुँहतोड़ जवाब दे रही हो तब सेना के जवानों को हतोत्साहित करना, यह कौन सी मानसिकता है ? हम इसी पर तो आपत्ति करना चाहते हैं।

महोदय, यही मैं कहना चाहता हूँ कि यही मानसिकता है जिसने हमेशा राष्ट्रीय सुरक्षा के सामने गंभीर संकट खड़ा किया है। आखिर हम बोलना क्या चाहते हैं ? अमेठी की जनता ने तो आपको बहुत बार मौका दिया है। आपके पास इटली जाने का समय है लेकिन अमेठी जाने का समय नहीं है तो फिर आपको जनता क्यों चुनेगी ? लोकतंत्र में हम किसी को बाध्य नहीं कर सकते कि आप किसको वोट दें यही भारत के लोकतंत्र की ताकत है। एक गरीब, झोपड़ी में रहने वाला इन्सान भी देश के अन्दर बड़े से बड़े व्यक्ति के या बड़े से बड़ा

उद्योगपति क्यों न हो, बड़े से बड़ा राजनेता क्यों न हो उसके समकक्ष ही वोट देने का अधिकार उसे भी है और उसकी ताकत उसके बारे में आपके ये भाव, विभाजनकारी मानसिकता आप कहां जाकर इस बात को कह रहे हैं। ये जो मानसिकता है यही हम सबको चिन्ता में डालती है और ये मजाक उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ में कोविड के दौरान भी हुआ था। कोविड के दौरान हमसे कहा गया कि हम एक हजार बसें देंगे। मैं बहुत खुश हुआ, अरे कोई तो बोल रहा है। मेरे पास लखनऊ की एक माता जी आई थीं और जहां तक मुझे जानकारी है कि वह उत्तर प्रदेश पुलिस में ही थीं, अब रिटायर होकर अकेले लखनऊ में रहती हैं। उन्होंने कोविड-19 के लिए अपनी जीवन भर की कमाई दान कर दी। मैं उनका अभिनन्दन और वन्दन करता हूँ। मेरे पास कांग्रेस महासचिव का पत्र आया कि जो मजदूर बाहर से आ रहे हैं, उन मजदूरों को लाने के लिए हम गाड़ी देना चाहते हैं। मैं खुश हुआ मैने कहा कि यह तो अच्छी बात है। लेकिन मैंने इन वाहनों की जांच करने के लिए कहा, अब कोई हमसे कहेगा कि हम दिल्ली से या राजस्थान से बस देंगे तो मैंने कहा कि अगर आप इतनी दूर से बसें दे रहे हैं तो वहीं कहीं नजदीकी ही उन बसों को लगाया जाये, उन गाड़ियों को मैं बिहार बॉर्डर पर लगाकर क्या करूँगा ? मैंने इसमें जांच करवाने के लिए कहा कि ये वाहन कहाँ के हैं और इन वाहनों की नजदीक सेन्टर से जांच करा ली जाय। जब जांच करायी गयी तो पता चला कि जिस नम्बर पर बस लिखा था वह स्कूटर निकला, जिस नम्बर पर डबल डेकर बस लिखा था जांच कराने पर पता चला कि वह थ्री-व्हीलर है और जब इसकी और जांच करायी गयी तो पता लगा कि इसमें से आधे वाहन ऐसे हैं जो स्क्रैब में जा चुके हैं, कंडम हो चुके हैं। यह उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ मजाक नहीं है तो क्या है ? किसी व्यक्ति को, किसी परिवार को इस रूप में ये छूट कौन दे रहा है ? राजनीति में महामारी के समय जब कोविड प्रबंधन हो रहा हो तब भी हम गंभीरता नहीं बरत सकते हैं ? हर एक चीज में राजनीति करना क्या आवश्यक है ? हर एक चीज के लिए राजनीति नहीं होती है। किसी के घर में कोई दुःखद घटना घटित हो जाय और हम जाकर वहां पर डी0जे0 बजाने लग जायें तो कैसा लगेगा ? वहां पर मार-मीट तो होगी ही, अगर वह परिवार स्वाभिमानी होगा तो पटक कर मारेगा और कहेगा कि यह एक दुःखद घटना है और तुम मेरे घर के सामने फिल्मी गाना बजा रहे हो, डी0जे0 बजा रहे हो, यह कैसा मजाक है। यही स्थिति उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ करने का प्रयास हुआ है। कोरोना के दौरान भी, इससे पहले भी और अब केरल के अन्दर जाकर भी यही हो रहा है। वहां पर भी ये चीजें हो रही हैं। (श्री अजय कुमार 'लल्लू' द्वारा खड़े होकर बोलने का प्रयास किया गया, जिस पर व्यवधान उत्पन्न हुआ)

श्री अध्यक्ष-

लल्लू जी, आप बैठ जायें। आप जो बोल रहे हैं वह कार्यवाही का भाग नहीं होगा।

श्री योगी आदित्यनाथ-

महोदय, अगर सचमुच कांग्रेस व राजस्थान सरकार हमें बस देना चाहती थी तो कोटा में फंसे हुए बारह हजार बच्चों के लिए इन्होंने बस क्यों नहीं उपलब्ध करायी ? उस समय असमर्थता क्यों व्यक्त कर दी गयी और यह तो प्रमाणित तथ्य हैं कि जो बस के नम्बर दिये गये थे, स्कूटर के नम्बर थे, थ्री व्हीलर के नम्बर थे और महोदय इस प्रकार का भद्दा मजाक कभी भी नहीं होना चाहिए और यह महामारी के खिलाफ में रोड़े अटकाने जैसा था और इसीलिए मैं सदन के संज्ञान में इस बात को लाना चाहता हूं कि इन लोगों की जो प्रवृत्ति थी उसे देश ने भी देखा है, दुनिया ने भी देखा है।

(इसी मध्य श्री अजय कुमार 'लल्लू' द्वारा अपने स्थान से खड़े होकर लगातार बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

यह तरीका गलत है, कोई एक व्यक्ति सदन को बन्धक नहीं रख सकता, इस तरह से, यह तरीका ठीक नहीं है। आप बैठिये जब आपका नम्बर हो तब बोलियेगा।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, सभी दलों के जब नेता बोले तो सभी ने बहुत खामोशी से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सुना और यह बीच-बीच में टोका-टोकी, एक बार नहीं आपने कई बार इनको रोका पर अब यह ठीक नहीं है, मान्यवर, यह बर्दाश्त नहीं है।

श्री योगी आदित्यनाथ-

माननीय अध्यक्ष जी, कोविड के दौरान कोरोना के खिलाफ लड़ाई तो लड़ी गयी और सबने मिलकर लड़ी, सामयिकता का परिणाम भी अच्छा आता है, टीम वर्क का परिणाम अच्छा आता है और मुझे लगता है बहुत सुखद अनुभूति सभी लोगों को हुई थी। दुनिया से देश से लाखों-करोड़ों लोगों ने जब हम लोगों को बधाई संदेश दिये थे, अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भव्य मन्दिर निर्माण का शिलान्यास का कार्यक्रम जब 5 अगस्त को सम्पन्न हुआ था। हम लोगों ने कोरोना के दौरान यह सब कार्य किये थे, कोरोना का प्रबन्धन भी था, लेकिन साथ-साथ हम भगवान राम की उस उक्ति को भी चरितार्थ कर रहे थे, जो सन्त तुलसी दास जी ने राम चरित मानस के माध्यम से कहा और जिसको हम बार-बार कहते थे उस समय लोग विश्वास नहीं करते थे कि-

"अवधपुरी सम प्रिय नहिं सोऊ। यह प्रसंग जानइ कोउ कोऊ।।"

अवधपुरी के उस महत्व के बारे में देश ने और दुनिया ने उस महत्व को समझ लिया। हम आभारी हैं उच्च न्यायालय के और अगर राज्यपाल जी के अभिभाषण में इसका जिक्र हुआ है तो इसमें कौन सी बुरी बात है। यह तो राष्ट्रीय गौरव का विषय है हमारे लिए अयोध्या के

बारे में कहा जाता है कि यह दुनिया की पहली नगरी है, सूर्यवंश की राजधानी है महाराज मनु दुनिया के पहले शासक थे वह अयोध्या के ही शासक थे और एक समृद्ध परम्परा दुनिया के अन्दर जहां कहीं जायेंगे, दुनिया ने राम को अपनाया लेकिन मुझे आश्चर्य होता है। अभी भी कुछ लोग राम नाम से इतना विद्वेष करते हैं पता नहीं रामायण के उस काल खण्ड में राक्षस लोग क्या करते थे ? आज भी कुछ लोगों को उससे परहेज है। मैं धन्यवाद दूंगा कांग्रेस के माननीय विधायक को, श्रीमती अदिति सिंह को इन्होंने अच्छी राशि राम जन्म भूमि मन्दिर निर्माण के लिए दान दिया है और भी माननीय सदस्य सत्ता पक्ष के बहुत थे।

***श्री इकबाल महमूद-**

माननीय अध्यक्ष जी, मैं कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मा0 मुख्य मंत्री जी ने कोरोना महामारी के समय अपने कुशल प्रबन्धन की बात कही और कहा कि हमने जनता को अच्छा इलाज दिया।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य कृपया आप बैठिये। आप बीच में इस तरह से बोल नहीं सकते हैं। आपका बोला हुआ लिखा नहीं जायेगा और कार्यवाही का अंग नहीं बनेगा।

श्री इकबाल महमूद-

मा0 मुख्य मंत्री जी आपने अपनी तारीफ भी की और आपने माननीय प्रधानमंत्री जी की भी तारीफ की परन्तु आप भूल गये कि हिन्दुस्तान के अंदर जिन्होंने कोरोना की वैक्सीन ईजाद की है, जिन्होंने इसका टीका बनाया है, उनके लिए भी दो शब्द कहने चाहिये थे, आपकी तरफ से उनके लिए भी दो शब्द आये होते तो अच्छा रहता।

श्री योगी आदित्यनाथ-

माननीय सदस्य, कृपया आप धैर्य से बोलिये। बहुत ज्यादा उतावलेपन में बोलने की जरूरत नहीं है। आप आराम से बोलिये। आखिर अयोध्या में मन्दिर बनने में आपको क्या परेशानी है।

श्री इकबाल महमूद-

मैं आप पर कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, बल्कि मशविरा दे रहा हूं।

(सत्ता पक्ष के अनेक सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

आप सदन की कार्यवाही में बाधा ना डालें, आप कृपया बैठिये। आप बीच में खड़े होकर कैसे बोल रहे हैं। जब यहां पर सभी दलों के नेताओं ने अपना पक्ष रखा था और

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने बोला था, माननीय वर्मा जी ने बोला था तब भारतीय जनता पार्टी या अन्य किसी दल के विधायक ने बीच में टोका-टोकी नहीं की थी। अब जब नेता सदन बोल रहे हैं तो बार-बार बीच में खड़े होकर व्यवधान डालने का क्या मतलब है। अपनी बारी आने पर आपको अपनी बात कहनी चाहिये।

नेता विरोधी दल (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। नेता सदन के भाषण में किसी को बीच में किसी सदस्य को टीका-टिप्पणी नहीं करनी चाहिये लेकिन जो आपने बात कही कि नेता प्रतिपक्ष जब बोल रहे थे तो किसी ने टोका-टोकी नहीं की तो मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे बोलने के दौरान बीच में बराबर टोका-टोकी की गई, जिसके कारण हमको दस मिनट चुप रह कर यहां पर खड़ा रहना पड़ा।

श्री अध्यक्ष-

शायद आपके भाषण के बीच में तो किसी ने नहीं बोला था।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

हमारे बोलने के बीच में भी टोका-टोकी हुई थी और वर्मा जी, आराधना मिश्रा जी और राजभर जी के बोलने पर भी टोका-टोकी हुई थी। तो यह परम्परा सबके लिए होनी चाहिये। माननीय नेता सदन ने प्रारम्भ में अच्छी बात कही थी कि हमें संसदीय परम्परा का पालन करना चाहिये और हम भी सहमत हैं कि बीच में किसी को नहीं बोलना चाहिये, लेकिन आपने जो कहा तो टोका-टोकी बराबर होती है, जो नहीं होनी चाहिये।

(श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना' द्वारा बीच में बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

अब आप बैठिये। इसमें कोई डिबेट या चर्चा नहीं हो रही है।

***श्रीमती आराधना मिश्रा "मोना"-**

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नेता सदन बोल रहे हैं, तो हम सबको उनकी बात सुननी चाहिये लेकिन अभी जो माननीय नेता सदन ने हमारी पार्टी के विषय में कहा तो मैं यह स्पष्ट करना चाहती हूँ कि हमारी राष्ट्रीय महासचिव जी ने कोरोना काल में लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचाने के लिए जो बस भेजी थी वह उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा करने के लिए भेजी थी और उसमें कोई खराब नीयत नहीं थी। हो सकता है कि बसों की संख्या अधिक होने के कारण उनमें से कुछ नम्बर गलत रहे हों।

श्री अध्यक्ष-

कृपया आप बैठिये। आपका बोला हुआ लिखा नहीं जायेगा।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री योगी आदित्यनाथ-

माननीय अध्यक्ष जी, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मन्दिर निर्माण का शुभारम्भ भारत की न्यायपालिका और लोकतांत्रिक प्रणाली की बहुत बड़ी विजय भी है। आस्था के साथ-साथ भारत की न्यायपालिका की ताकत और भारत की लोकतांत्रिक पद्धति की भी विजय है और लोग सहर्ष उसमें सहयोग कर रहे हैं। अपनी-अपनी आस्था के साथ लोग इस अभियान के साथ जुड़े हुये हैं। इसके साथ ही हम लोगों ने अयोध्या में दीपोत्सव कार्यक्रम को लगातार इस बार भी बहुत अच्छे ढंग से सम्पन्न किया। उसकी सर्वत्र सराहना हुई। अयोध्या में देव-दीपावली का कार्यक्रम और काशी में कितनी भव्यता के साथ हमने सारे नियमों का पालन करते हुए सारे कार्यक्रम सम्पन्न किये, अभी प्रयागराज में माघ मेला चल रहा है, लाखों की संख्या में कल्पवासी आये हैं।

कहीं कोई समस्या नहीं है। सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। हर प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। हरिद्वार कुम्भ के पहले वृंदावन में कुम्भ पूर्व वैष्णव बैठक होती है। वहां पर भी मैं गया था। बहुत भव्यता के साथ सारे कार्यक्रम अच्छे से चल रहे हैं। मथुरा, वृंदावन, वरसाना जितने भी पवित्र तीर्थ हैं एक नये स्वरूप में अपनी प्राचीन आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हम सबको इस पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। यह उत्तर प्रदेश की विरासत है। देश की विरासत है। यहां तो सत्ता पक्ष और विपक्ष का भेद होना ही नहीं चाहिए। इसमें सबको एक साथ जुड़ना चाहिए। इसमें भेद का कोई प्रश्न ही नहीं होना चाहिए। यह हम लोगों की समृद्ध परम्परा है। हमारे पूर्वजों की समृद्ध परम्परा है। पता नहीं मैं तो आश्चर्य करता हूं कि क्यों समाजवादी पार्टी के नेता इतने नाराज हो रहे हैं। याद रखना हम लोग जब बाहर जाते हैं। पता नहीं आप नाराज हो जाएं कोई समस्या नहीं है।

श्री इकबाल महमूद-

हम लोग नाराज नहीं हैं।

श्री योगी आदित्यनाथ-

मान्यवर, हमने ऐसी चीज को कहा। उत्तर प्रदेश या देश का कोई भी नागरिक, एक तो याद रखना। विभाजनकारी राजनीति जो लोग आज कर रहे हैं वह पहले भी करते थे। याद रखना देश का विभाजन ही इस देश के विभाजन की त्रासदी का कारण रहा है। यह विभाजनकारी राजनीति रही है और आज भी पाकिस्तान का कोई व्यक्ति, बांग्लादेश का कोई व्यक्ति जब दुनिया के अंदर कहीं जाता है। आप अमेरिका में जाइये, यूरोप में जाइये इन लोगों को अपनी पहचान छुपाकर, यह अपने को इण्डियन क्यों कहते हैं, भारतीय क्यों कहते हैं ? क्योंकि इन लोगों को मालूम है कि भारत के नागरिक के प्रति सामान्य सम्मान का भाव होगा और प्रधानमंत्री मोदी जी के बाद से यह सम्मान और बढ़ा है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर रहने वाले व्यक्ति के प्रति इस तरह का भाव क्यों नहीं है ? क्योंकि कोई पाकिस्तानी कहेगा, पता चल

जायेगा तो लात-घूसे चलने लग जायेंगे अगर वह दुनिया के अंदर कहीं भी जायेगा। हर व्यक्ति छिपाता है। उस मानसिकता को हमें पहचानना होगा। दूसरा हज करने के लिए जब भारत का कोई भी नागरिक जाता है या इस अखण्ड भारत का जो नागरिक है उसकी पहचान भारत, पाकिस्तान या बांग्लादेश के रूप में नहीं होती है। एक हिंदू के रूप में ही उसकी पहचान होती है। यह एक पहचान है। यह कोई धर्म नहीं है। धर्म सनातन धर्म है। उपासना विधियां अलग-अलग हो सकती हैं, लेकिन हिंदू शब्द से इतनी चिढ़, पता नहीं समझ की है, यह तो, जो भी है। इसमें हिंदुओं को जो साम्प्रदायिक कहते हैं। उन सबसे मैं यह कहना चाहता हूं कि यह वही लोग हैं जो हमारी विरासत की प्रतीकों का अपमान करते हैं। जो अयोध्या, मथुरा और काशी को अपनी पहचान के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं। प्रयागराज पर गौरव की अनुभूति नहीं करते हैं। शक्ति पीठों का सम्मान नहीं करते हैं। वही लोग हैं। इसको अपनी विरासत के साथ जोड़ करके हर प्रदेशवासी और हर भारतवासी जोड़कर देखे, मुझे डा0 राम मनोहर लोहिया की बात बहुत पसन्द आती है और मुझे लगता है कि लोहिया के वर्तमान के शिष्य और उनकी विरासत को आगे बढाने वाले लोग इस चीज का ध्यान जरूर रखेंगे उन्होंने जो रामकृष्ण और शंकर के बारे में कहा है। उस परम्परा का अनुपालन भी करेंगे। कर सकेंगे तो अच्छा होगा और नहीं तो जनता तो जवाब दे ही रही। जनता तो उसके लिए तैयार है ही। महोदय इस दौरान काफी अन्य कार्य हुए हैं। यहां पर नेता प्रतिपक्ष ने हमारे दलीय नेताओं ने किसानों के मुद्दों पर चर्चा की है। महोदय, आज यह सर्टिफिकेट आया हुआ उत्तर प्रदेश को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अन्तर्गत देश के अंदर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में आज भारत सरकार ने दिया है।

इस योजना को लागू किये हुये आज ठीक दो वर्ष हो रहे हैं। आज ही के दिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने गोरखपुर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लान्च किया था और आज दो वर्ष में उत्तर प्रदेश ने देश के अंदर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन इसका किया है। उत्तर प्रदेश के अंदर दो करोड़ 37 लाख से अधिक किसान इस योजना का लाभार्थी है। स्वाभाविक रूप से यह भारत का वही अन्नदाता किसान है जिस किसान को लेकर कुछ लोग राजनीति करने का प्रयास करते हैं। गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं। कैसी-कैसी बातें कही जा रही हैं। तथ्यों पर आधारित बातों पर चर्चा हो सकती है। विधायिका का मंच तर्कसंगत बातों पर चर्चा आगे बढ़ाने के लिए होना चाहिए। यह है प्रमाण, यह तो आंकड़े हैं। हर व्यक्ति के लिए उपलब्ध है, पब्लिक डोमेन में है। आप इसको ले सकते हैं। कहाँ पर क्या कार्य हुआ है। हमने किसान के बीच में भेद नहीं किया। हमने फिरकों में नहीं बांटा। हमने क्षेत्र और भाषा के आधार पर भी नहीं बांटा। किसान किसान है वह कहीं का भी हो। पूरे देश के अंदर लागू कर दिया। अब आप जबरदस्ती कहेंगे कि हम यह कानून लागू नहीं होने देंगे। हम यह चीज नहीं होने देंगे। सफर कौन कर रहा है, पब्लिक कर रही है, किसान कर रहा है या वह लोग करेंगे जो इससे होने वाले फायदे से वंचित हो रहे हैं। मैं आभारी हूँ प्रधानमंत्री मोदी जी का जिन्होंने

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री फसल बीमा की योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना यह तमाम प्रकार की योजनायें घोषित की हैं और उन योजनाओं के माध्यम से अब किसानों के जीवन में भारी परिवर्तन भी होता हुआ दिखायी दिया है। व्यापक परिवर्तन हुआ है। यहाँ पर एम0एस0पी0 की चर्चा हो रही थी। एम0एस0पी0 घोषणा करने से ही एम0एस0पी0 नहीं मिल जाती है। उसके लिए क्रय केंद्र स्थापित करने पड़ते हैं। मेरे पास कुछ डाटा है और यह आप भी उपलब्ध करा देंगे। मैं जानता हूँ कि नेता प्रतिपक्ष ने डाटा लिये भी होंगे। महोदय, वर्ष 2014-15 में गेहूं का समर्थन मूल्य था 1400 रुपये प्रति कुन्तल, और क्रय किया गया था 6.28 लाख मी0। टन यह नोट करते रहिये। वर्ष 2016-17 में समर्थन मूल्य हुआ 1525, क्रय किया गया 7.97 लाख मी0 टन और पिछले 2017-18 से 19 मार्च, 2017 को हमारी सरकार आयी। सरकार गठन के तत्काल बाद मैंने उस समय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और आज के मा0 गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से सम्पर्क किया था और मैंने कहा था कि उत्तर प्रदेश में प्रक्योरमेंट किसानों से सीधे नहीं होता है। हम चाहते हैं कि वहाँ इसके बारे में कुछ कार्य किया जाये। उन्होंने कहा कि प्रक्योरमेंट की पालिसी के लिए आप कुछ राज्यों का दौरा करने के लिए कुछ मंत्रियों को भेजें, तो मैंने चौधरी लक्ष्मी नारायण जी और आपके साथ कुछ लोगों को भेजा था। तीन सदस्यीय कमेटी मैंने अलग-अलग राज्यों में भेजी थी। यह लोग गये थे, अध्ययन करके आये। यानी यह 20-22 के आस-पास ही हो गया था और पहली अप्रैल से प्रदेश के अंदर हमारे प्रोक्योरमेंट के केंद्र स्थापित हो गये थे और महोदय 2016-17 में तो समाजवादी पार्टी की सरकार थी, 7.97 लाख मी0 टन गेहूं का क्रय किसानों से होता है और इससे 1 लाख 66 हजार किसान लाभान्वित होता है और 2017-18 में ठीक एक साल के बाद नई सरकार एक महीना का भी कार्यकाल पूरा नहीं हुआ हम लोगों के समय में समर्थन मूल्य था, 100 रुपये समर्थन मूल्य बढ़ गया था। 1625 रुपये में क्रय किया गया, 36.99 लाख मी0 टन, यानी 37 लाख मी0 टन।

मा0 अध्यक्ष जी, और 07 लाख 67 हजार 380 किसान लाभान्वित हुए हैं। वर्ष 2018-19 में समर्थन मूल्य 110 रुपये बढ़ा और किसानों को 1737 रुपये प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य मिला है, 52.92 लाख मीट्रिक टन क्रय किया गया है और 11 लाख 27 हजार 195 किसान लाभान्वित हुए हैं। वर्ष 2019-20 में समर्थन मूल्य 1840 रुपये प्रति क्विंटल हुआ है, 37.00 लाख मीट्रिक टन क्रय किया गया और 07 लाख 53 हजार 411 किसान लाभान्वित हुए हैं। वर्ष 2020-21 में जब लोग कोविड से जूझ रहे थे तब हमारे अधिकारीगण/कर्मचारीगण किसानों की मदद करने के लिए आगे बढ़े जिससे गन्ना किसान को अपने खेत में एक भी डंठल गन्ना नहीं छोड़ना पड़ा। 119 चीनी मिलें चलाई गयीं और गेंहू की जैसी फसल तैयार हुई, 25 मार्च से लॉकडाउन प्रारम्भ हुआ और हम लोगों ने 01 अप्रैल से क्रय केन्द्र स्थापित कर दिए 15 मिनट लेट हुआ, लेकिन चलता रहा। किसानों को 1925 रुपये प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य दिया गया, 35.67 लाख मीट्रिक टन का क्रय किया गया और इससे 06 लाख 63

हजार 810 किसान लाभान्वित हुए हैं। वर्ष 2014 की तुलना में वर्ष 2019 में समर्थन मूल्य में 525 रुपये की वृद्धि हुई है, यह मा0 प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण हुआ है। मैं केवल गेंहू की बात कर रहा हूं और मैं धान का भी डाटा दे रहा हूं। वर्ष 2014-15 में कुल धान 18.8 लाख मीट्रिक टन यानी 18 लाख मीट्रिक टन धान का क्रय किया गया और 1360 रुपये समर्थन मूल्य था। वर्ष 2016-17 में 35.14 लाख मीट्रिक टन धान का क्रय किया गया और 1470 रुपये समर्थन मूल्य था और यदि मैं इस वर्ष की बात करूँ, पिछले तीन वर्ष से लगातार बढ़ोत्तरी में है। वर्ष 2020-21 में 1868 रुपये प्रति क्विंटल धान का समर्थन मूल्य दिया गया है, अब तक 66 लाख मीट्रिक टन धान का क्रय हुआ है और इससे 12 लाख 78 हजार 900 किसान लाभान्वित हुए हैं। यह है कि किसान के बारे में कौन ज्यादा हितैषी है और यह डाटा वहीं का नहीं है। हमने मकई का भी दाम दिया है। हमने वर्ष 2018-19 में सीधे किसान से 5116 लाख क्विंटल मकई खरीदी है, हमने वर्ष 2020-21 में सीधे किसान से 01 लाख, 06 हजार 412 क्विंटल मकई खरीदी है। दलहन और तिलहन में भी लगातार वृद्धि हुई है। वर्ष 2020-21 में 38,162.96 मीट्रिक टन दलहन का क्रय किया गया है और 6788.78 मीट्रिक टन तिलहन का क्रय किया गया है। मैं गन्ना किसानों की ही बात करूँ तो यहां पर गन्ना किसानों के बारे में बार-बार चर्चा उठती है और इसके बारे में तमाम प्रकार के बयान दिए जाते हैं। मैं दोनों के बारे में बता देना चाहता हूँ। वर्ष 2014-15 में कुल 1389.02 लाख मीट्रिक टन गन्ने का उत्पादन हुआ था, वर्ष 2017-18 में 1820.75 लाख मीट्रिक टन गन्ने का उत्पादन हुआ था और इस वर्ष अब तक हमारा जो अनुमानित है वह है 2203.00 लाख मीट्रिक टन गन्ने का उत्पादन हुआ है। गन्ने की पेराई और वर्ष 2012 से 2014 के बीच में कुल गन्ना मूल्य का 44,193 करोड़ रुपये का भुगतान होता है। (विपक्ष के किसी मा0 सदस्य के टोका-टाकी करने पर) नोट भी करते जाओ और सुनते भी जाओ। 2017-21 के बीच 45 लाख गन्ना किसानों का 1 लाख 23 हजार 995 करोड़ रुपये का गन्ना मूल्य का रिकॉर्ड भुगतान हुआ है। महोदय, अगर बहुजन समाज पार्टी इस बात को भी सुनना चाहती है तो 2007 से 2012 के बीच कुल 52 हजार 131 करोड़ रुपये का भुगतान हुआ था और अकेले पिछले तीन-साढ़े तीन वर्षों के दौरान 1 लाख 23 हजार करोड़ रुपये से अधिक गन्ना मूल्य का भुगतान हुआ है। (सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा मेजे थपथपाई गयीं) जब हम बोलते हैं तो बोलने से पहले इन सभी के बारे में भी अगर हम चर्चा कर लें तो मुझे लगता है कि बहुत सारे तथ्य अपने आप ही अच्छे ढंग से सामने आ सकते हैं। महोदय, अन्नदाता किसानों के बारे में सरकार की नीति बहुत स्पष्ट है और मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने किसान को फोकस करते हुए शासन की नीतियों को उस रूप में आगे बढ़ाया है। पहली बार इस तरीके से देखने को मिला है। एम0एस0पी0 1968 से जारी हुई होगी लेकिन किसानों को मिला कहां था, आप केवल घोषणा करते रहिए, क्रय केंद्र मत स्थापित करिए, बड़ी-बड़ी घोषणाएं कर लीजिए, आप लोग ये भी बोल सकते हैं कि हम लोग मंगल तक यात्रा कर देंगे, वास्तविकता क्या है ? केवल घोषणा कर देने से कोई व्यवहारिक

चीज सामने नहीं आ जाएगी, व्यवहारिकता क्या है, ये हमें देखना पड़ेगा और उस व्यवहारिकता की दृष्टि से ही हम लोगों को इस बारे में देखना होगा। जिन तीन कृषि कानूनों की यहां पर चर्चा हो रही थी, कितना गुमराह करने वाला वक्तव्य था, मा0 नेता प्रतिपक्ष जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, कल उन्होंने यहां पर कहा कि किसानों की खेती पर कब्जा कर लिया जाएगा। यानी जो कृषक सशक्तीकरण और संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अधिनियम, कॉन्ट्रैक्ट खेती, जिस बिल के माध्यम से आगे बढ़ाने का है। रामगोविंद जी आपके क्षेत्र में सहतवार कस्बा है न ? वहां पर एक राम रतन गाजर का हलवा बनाता है, काला गाजर का हलवा बनाता है, बहुत विख्यात है।

महोदय, वह आज से नहीं, वर्षों से काला गाजर का हलवा बनाते हैं और कॉन्ट्रैक्ट खेती के माध्यम से वह फसल का अनुबन्ध करते हैं, खेती का नहीं और आज तक किसी किसान की खेती को बंधक नहीं बनाया गया है। (सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा मेजे थपथपाई गयीं) उनके पास भी है, लेकिन वह किसानों से भी खरीदते हैं, किसानों से उनका एग्रीमेण्ट होता है। पहले से एग्रीमेण्ट होता है कि हम आपसे खरीदेंगे और उस एग्रीमेण्ट के तहत लोग गाजर की खेती करते हैं। अभी हम लोगों ने वन्य गांवों में यानी वनटांगिया गांव, जिन्हें हमारी सरकार आने के बाद राजस्व गांव के रूप में मान्यता दी है, गोरखपुर, महराजगंज, बलरामपुर, गोण्डा, बहराइच, लखीमपुर खीरी इन सभी जनपदों में ये गांव स्थित हैं। महराजगंज में इन कॉन्ट्रैक्ट खेती को वन्य गांवों में प्रारंभ करने के लिए कहा गया और उनसे कहा गया कि आप शलजम उगवाने की तैयारी करिए। एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वहां पर हो रही है, कई गुना मुनाफा किसानों को देना है और ये तो आपके ही कस्बे में होता है, आपके यहां ही होता है लेकिन आप जो कल यहां पर ऐसा गुमराह करने वाला वक्तव्य दे रहे थे कि किसानों की खेती को बंधक बना दिया जायेगा। ये जो एग्रीमेण्ट है वह खेती का नहीं होना है, फसल का एग्रीमेण्ट होना है। दूसरा, आप एम0एस0पी0 की बात कर रहे थे, प्रदेश के अंदर मकई का कभी भी एम0एस0पी0 नहीं घोषित हुआ है। मकई का किसान मकई 1100-1200 रुपये में देने को मजबूर होता था। यहां पर बहुत सारे माननीय सदस्य होंगे, जो उस क्षेत्र से आते होंगे जो मकई के साथ प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं, हम लोगों ने खरीदना शुरू किया, बाजार में एक प्रतिस्पर्धा खड़ी करवायी।

हमारा जो एम0एस0पी0 था, वह 1800 रुपये था और मार्केट में उसी किसान को 2200 रुपया मिलना प्रारम्भ हुआ, उसी मकई का। (मा0 सदस्यों ने मेजें थपथपाईं) ऐसे ही गाजर का बुन्देलखण्ड में बहुत सारी जगह इस प्रकार के एग्रीमेंट हुए. बैजनाथ ग्रुप के द्वारा कई जगह इस प्रकार की खेती होती है। एग्रीमेण्ट फसल का होता है और प्रधानमंत्री जी ने इस बारे में पहले ही कहा कि हम तो किसान को एक विकल्प दे रहे हैं, बाध्यता नहीं है, विकल्प है। आपकी मर्जी, आप करना चाहते हैं, ठीक है, नहीं मर्जी, मत करिए। सिंचाई की योजनाएँ चलीं, बहुत सारी जगह माननीय सदस्य प्रो-एक्टिव होकर अपने यहां काम कराये। एक सदस्य ऐसे भी

थे, जिन्होंने कहा साहब, मेरे यहाँ काम नहीं होना चाहिए और बाद में डंडा, झण्डा लेकर बोलते थे कि साहब, हमारे यहाँ बाढ़ के काम क्यों नहीं हुए ? जब मंत्री वहाँ मौके पर जाकर कहे कि आपके यहाँ तो आपका विधायक ही काम नहीं होने देता है, तो पब्लिक जब दौड़ायी, तब जाकर वहाँ इस साल काम हो पाया है।

(हँसी)

(विपक्ष के किसी सदस्य के बोलने पर)

श्री योगी आदित्यनाथ-

मैंने वही कहा कि 'चोर की दाढ़ी में तिनका', निकल ही जाता है देखिए, मैंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन कौन है, वह स्वयं ही बोल पड़े। (हंसी) अगर असत्य भी है तो जो असत्य बोल रहा था, वह स्वयं ही बोल पड़ रहा है।

महोदय, दूसरा है, मण्डी से सम्बन्धित। मण्डी का कोई टैक्स किसान की उपज पर नहीं लगेगा। पहले कमाण्ड एरिया होता था, हर एक जिले की मण्डी का कि उस मण्डी के बाहर आप कहीं भी जायेंगे, वहाँ मण्डी के लोग जाते थे और जबर्दस्ती शुल्क लेते थे, चालान करते थे, तमाम प्रकार की कार्यवाही करते थे। आज वन नेशन, वन मण्डी के तहत उत्तर प्रदेश का किसान या लखनऊ का किसान देश के अन्दर कहीं भी जा करके, जहाँ उसको अच्छा दाम मिलेगा, वहाँ पर अपनी उपज को जाकर बेच सकता है। खुली प्रतिस्पर्धा खड़ी करने के लिए किसानों के हित में यह लाया गया कानून है। मण्डी शुल्क हमें कम करना पड़ा, जो 2 प्रतिशत था, उसे हम 01 प्रतिशत किए मण्डी एक भी समाप्त नहीं हुई। जून, 2020 से कानून लागू हुआ, एक भी मण्डी आज तक बन्द नहीं हुई, हमारी मण्डियां चल रही हैं, हम अपनी सुविधाएँ उसी प्रकार से दे रहे हैं। किसान को इतनी स्वतंत्रता मिल गयी कि यदि वह अपनी उपज को खेत में बेचना चाहेगा तो बेच सकता है, खलिहान में बेचना चाहेगा तो बेच सकता है, नजदीक के मार्केट में बेचना चाहता है, वहाँ बेच सकता है, उसको लगता है कि नहीं, उसकी उपज का दिल्ली में ज्यादा दाम मिलेगा या मुम्बई में ज्यादा दाम मिलेगा या कोलकता में ज्यादा दाम मिलेगा या सूरत में ज्यादा दाम मिलेगा, वहाँ जाकर अपनी उपज को बेचने के लिए वह स्वतंत्र होगा, जहाँ उसको अच्छा मुनाफा मिलेगा। एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा जब खड़ी होगी तो दाम मिलेगा और यही बात कही थी, आपने एम0एस0पी0 और एम0आर0पी0 की। एक उद्योग में जब कोई सामान बनता है तो उसका एम0आर0पी0 तय हो जाता है कि मैक्सिमम रिटेल प्राइज उसका क्या होगा, इससे ज्यादा नहीं बढ़ा सकता और किसान को यही सहूलियत दी गयी है, एम0एस0पी0, मिनिमम सपोर्ट प्राइज, कम से कम आपको यह देना है, इससे कम पर नहीं और उससे ज्यादा जितना भी मुनाफा कमा सकता है किसान, यह उस पर निर्भर करता है और उस मुनाफे को कमाने के लिए एक प्रतिस्पर्धा मार्केट में होनी आवश्यक है, सरकारी क्षेत्र में, सहकारी क्षेत्र में और निजी क्षेत्र में। सरकार अच्छा दाम देगी, सरकार खरीदेगी क्योंकि यह तो तय है

कि खाद्य सुरक्षा कानून के तहत पी0डी0एस0 की दुकानों के माध्यम से खाद्यान्न उपलब्ध कराना यह सरकार का दायित्व है। हम लोग प्रदेश के अन्दर 14 करोड़ लोगों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध करा रहे हैं। पी0डी0एस0 के माध्यम से कम दाम पर करा रहे हैं, अन्त्योदय वालों को फ्री में करा रहे हैं। हम लोगों ने इस प्रकार की व्यवस्था की है। देश के अन्दर खाद्य सुरक्षा कानून के बाद तो यह आवश्यक है। अन्त्योदय कार्डधारकों को आप राशन देंगे, पर यूनिट आपको 35 किलो खाद्यान्न उनको देना ही देना है। पात्र गृहस्थी में हर यूनिट में 5 किलो खाद्यान्न उपलब्ध कराना ही कराना है, तो सरकार को इसके लिए खरीदना पड़ेगा। यह सरकार का हो गया।

को-आपरेटिव भी अपने तरीके से इस कार्यक्रम को करती है और जब निजी क्षेत्र में एक खुली प्रतिस्पर्धा होगी तो यह किसानों के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन करेगी, उसके जीवन को नए मुनाफे की ओर आगे बढ़ाएगी। जहां जिसको जिस फसल में मुनाफा मिलेगा किसान वह फसल बोएगा। जो मैंने यहां कहा पिछले दिनों, सुना भी नहीं मेरे वक्तव्य को। हमारे स्वास्थ्य मंत्री एक दिन मेरे पास सुल्तानपुर के एक किसान को ले करके आए थे। झांसी में एक बालिका ने डेढ़ एकड़ खेती में स्ट्रॉबेरी का उत्पादन किया और डेढ़ एकड़ खेती में उसने मुनाफा कमाया 36 लाख रूपए का, यानि कि एक सीजन में 36 लाख रुपए का मुनाफा हुआ। हम कितनी भी मेहनत करेंगे एक साल में धान और गेहूं से डेढ़ एकड़ खेती में आप 25 से 50 हजार रुपए से ज्यादा नहीं कमा सकते। आप तो किसान हैं आप तो समझ सकते हैं, लेकिन झांसी की एक बालिका ने स्ट्रॉबेरी में 42 लाख का उत्पादन किया। 6 लाख रुपए की उसकी लागत आती है और 36 लाख रुपए का उसका नेट प्रॉफिट होता है, इस पर कोई टैक्स भी नहीं है। ऐसे ही ड्रैगन फ्रूट का उत्पादन सुल्तानपुर में एक किसान ने किया। मुनाफा जो कमाने वाले लोग हैं और जो मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे वह लोग उस फील्ड में अच्छा कार्य भी करते हैं तो उसके लिए मार्केट उपलब्ध कराना और मार्केट में फिर उसको पहुंचाने की व्यवस्था कराना, हमारी सरकार उस पर काम कर रही है और सरकार उसके लिए सहयोग करेगी। एक चेन उसके लिए तैयार होनी चाहिए और यह व्यवस्था इसके तहत की गई, लेकिन इसके बारे में भी किस-किस प्रकार के वक्तव्य यहां पर दिए गए और मुझे आश्चर्य होता है कि आज भी कहा जा रहा है कि इतने किसान यह हो गए। आज मैं सुबह यह देख रहा था कि एक मा0 सदस्य बोल रहे थे कि बुन्देलखण्ड में तमाम लोगों ने आत्महत्याएं कर ली हैं हमारे समय में कोई आत्महत्या नहीं हो रही है, बुन्देलखण्ड अब तो धरती का स्वर्ग बन रहा है। एक्सप्रेस-वे वहां बन रही है, डिफेंस कॉरीडोर बुन्देलखण्ड की तोप जब पाकिस्तान बॉर्डर पर जब गरजेगी तो दुश्मन के छक्के छूटते हुए दिखाई देंगे। यह चाईना के बॉर्डर पर भी गरजेगी, चाईना की इतनी चिंता मत करो, गरज रहे हैं उसमें भी, इतने हितैषी न बनो भाई। मैं इसलिए कह रहा था नेता प्रतिपक्ष को कि अपने लोगों को समझा पाते कम से कम लोहिया जी के विचारों को कुछ तो आत्मसात करो। चाईना के बारे में लोहिया जी बहुत पहले आगाह कर चुके हैं। बुन्देलखण्ड में

हर घर नल योजना सातों जिलों में प्रारंभ हो चुकी है। इसी सरकार ने और इसी सदन ने पहले चरण में दस हजार करोड़ रुपए का कहा कि नहीं जैसे होगा बुन्देलखण्ड की प्यास को बुझाएंगे। मां विन्ध्यवासिनी के धाम विन्ध्य क्षेत्र के लिए भी हमने उसको लागू कर दिया है। मैं आभारी हूं प्रधानमंत्री मोदी जी का कि जिनके कारण आज दोनों क्षेत्रों में पेयजल की स्कीम बहुत शीघ्र शुरू हुई। मैं तो आप सभी को कहूंगा कि पेयजल की स्कीम हर एक क्षेत्र में हम लोग अब ला रहे हैं। हर एक गांव में जहां पेयजल की कोई स्कीम नहीं है, विशुद्ध पेयजल की स्कीम वहां पर जा रही है। 30 हजार गांवों का हम एक साथ पूरे प्रदेश के अंदर बना रहे हैं और हमारा प्रयास होगा कि अगले दो महीनों के दौरान एक बड़े कार्यक्रम के माध्यम से हम इसको लागू कराएंगे। हमारे नेता प्रतिपक्ष का जो जनपद है आर्सेनिक से प्रभावित है, लेकिन उन्होंने कभी नहीं कहा, उनको चिंता ही नहीं है और आर्सेनिक की उन्होंने कभी चिंता ही नहीं की।

श्री राम गोविंद चौधरी-

मैंने पिछले सदन में भी कहा था।

श्री योगी आदित्यनाथ-

मैं आपकी बात को पूरा सुनता हूं, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन मैं आपसे फिर कहूंगा अगर आप गांव का साफा लगा करके आएंगे तब आप जमेंगे यहां पर और आर्सेनिक, फ्लोराइड, खारे पानी की जो समस्या आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा-वृन्दावन, अलीगढ़, एटा, कासगंज, हाथरस आदि के हमारे क्षेत्रों में है या इनके आस-पास का क्षेत्र जहाँ खारा पानी है या जहाँ कम पानी है तो हम इसके लिए एक साथ योजना बना रहे हैं। सरकार ने इस बारे में तय किया है। प्रधानमंत्री जी ने जल जीवन मिशन दिया, हर एक क्षेत्र के अन्दर देश को पहली बार एक नया विजन दिया है। वर्ष 2022 तक हर गरीब को छत देनी है। 40 लाख आवास हम इस समय उत्तर प्रदेश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में बना रहे हैं। 40 लाख आवास उत्तर प्रदेश के अन्दर पिछले मात्र तीन, साढ़े तीन साल के दौरान बन रहे हैं। 01 करोड़ 38 लाख लोगों को विद्युत के कनेक्शन निःशुल्क उपलब्ध कराए गए। 01 लाख 20-21 हजार गांवों में विद्युतीकरण का कार्य सम्पन्न हुआ है। ये राजस्व गांव थे जहाँ कभी बिजली नहीं आई थी। वहां पर बिजली दी गई है, बिजली पहुंचाने का काम चल रहा है, युद्ध स्तर पर चल रहा है और अब मैं कहूँगा इस बारे में कि जहाँ जो गाँव छूटे हैं, आपके लिए एक अवसर है, आप उन गांवों के प्रस्ताव दीजिए। हम हर गाँव में विद्युत पहुंचाने का काम करेंगे। हर गाँव को हम शुद्ध पेयजल की आपूर्ति के लिए जोड़ेंगे। हमने तय किया है, बजट में भी प्रावधान किया गया है। बजट में चर्चा होगी, हम इसको करेंगे। जल जीवन मिशन है और इस जल जीवन मिशन के कारण, स्वच्छ भारत मिशन के कारण बहुत सुधार है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में इन्सेफेलाटिस था, पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक जनपद जो सर्वाधिक प्रभावित था लेकिन कभी यहां पर उसकी चर्चा

उस पार्टी से जुड़े हुए मा0 सदस्य ने की ही नहीं, कभी कोई चर्चा ही नहीं की। आप देखें मैं फिर बोल रहा हूं न, इन्होंने फिर साबित कर दिया कि उन्होंने नहीं किया।

महोदय, कुशीनगर जनपद सर्वाधिक प्रभावित था जापानी इन्सेफेलाटिस से और एक्यूट इन्सेफेलाइटिस से। कुशीनगर, महाराजगंज, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, देवरिया, बस्ती और सन्त कबीर नगर ये सात जिले सर्वाधिक प्रभावित थे और फिर इन्सेफेलाइटिस से आंशिक रूप से प्रभावित 38 जिले थे। स्वच्छ भारत मिशन, हर घर में शौचालय बनाने का कार्य, हर गाँव में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा दस्तक अभियान प्रारम्भ हुआ है, वैक्सीनेशन के कार्यक्रम व्यापक रूप से चले हैं। एक अन्तर्विभागीय कमेटी बनाई गई, स्वास्थ्य विभाग उसका नोडल विभाग बनाया गया। उसमें ग्राम्य विकास, नगर विकास, पंचायती राज, बेसिक शिक्षा, महिला कल्याण एवं बाल विकास इन सभी विभागों को जोड़ा गया और फिर एक साथ अभियान चलाया गया। आज परिणाम क्या है, बीमारी पर 75 फीसदी नियंत्रण, मौत पर 95 फीसदी नियंत्रण हुआ है। यह हमारा मॉडल है। यह स्वच्छ भारत मिशन और शुद्ध पेयजल की आपूर्ति प्रतिबद्धता के साथ वहाँ पर करने का परिणाम है। कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर पर चर्चा करते समय इस कार्य के लिए उत्तर प्रदेश की सराहना भी की। यह हमारे लिए एक उपलब्धि है, मार्गदर्शन मा0 प्रधानमंत्री जी का है, इम्प्लीमेण्ट हम लोग कर रहे हैं और परिणाम उत्तर प्रदेश के लोगों को प्राप्त हो रहे हैं तो यह है कार्य, जैसे मुसहर जाति के लोगों को आवास उपलब्ध कराना। क्या कर रहे थे लोग पहले ? मुसहर वोट बनेंगे इनके, कांग्रेस के नेता के क्षेत्र में सर्वाधिक मुसहर जाति के लोग रहते हैं। इन्होंने कभी उनका मुद्दा नहीं उठाया, कभी नहीं उठाया।

(तत्पश्चात् सदस्य अजय कुमार 'लल्लू' द्वारा अपने स्थान से खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

(साथ ही सत्ता पक्ष के कतिपय मा0 सदस्यों द्वारा भी बोलने का प्रयास करने पर शोर की स्थिति)

(शोर के मध्य)

श्री योगी आदित्यनाथ-

इस सदन में पता नहीं आप लोगों ने सुना ही नहीं कभी। इन्होंने कभी मुसहर जाति के लोगों का मुद्दा नहीं उठाया। महोदय, मैं एक सांसद था और एक सांसद के रूप में, जब भुखमरी से इनके क्षेत्र में मौत होती थी तो लड़ाई लड़ने के लिए कुशीनगर में वहाँ पर मैं जाता था।

***श्री अजय कुमार 'लल्लू'-**

मान्यवर, यह झूठ है, मुख्य मंत्री झूठ पर झूठ बोल रहे हैं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री योगी आदित्यनाथ-

इनके वहाँ के गरीबों को राशन कार्ड देने के लिए वहाँ का सांसद रहते हुए भी और मुख्य मंत्री बनने के बाद भी मैंने उपलब्ध करवाएँ हैं, हमारी सरकार ने उपलब्ध कराएँ हैं और आवास भी उपलब्ध करवाएँ हैं। आवास उपलब्ध करवाएँ हैं, आवास के साथ-साथ पेंशन की सुविधा भी दी है।

वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन, दिव्यांग जन पेंशन, जॉब कार्ड ये सारी चीजें उपलब्ध कराने के बाद, आच्छादन के बाद, मुसहर, थारू और वनटांगिया इनको हमने पहले चरण में लिया और दूसरे चरण में हम कोल और कुछ जातियाँ झांसी के आस-पास की हैं इन लोगों को हमने लिया है और कुष्ठ रोगियों को लिया है इनको अब हम दूसरे चरण में ले रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में आच्छादित होंगे तो उसमें लेंगे नहीं तो मुख्य मंत्री आवास योजना इसके लिए चलाएंगे यह भी हमने व्यवस्था और विकल्प भी दिया है। हरेक फील्ड में काम हो एक व्यापक परिवर्तन का भाव कि ये योजनाएँ बनें इसीलिए क्योंकि शासन की प्राथमिकता है। हम आदमी-आदमी में भेद नहीं कर सकते। हमने तो योजना का नाम प्रधानमंत्री और मुख्य मंत्री के नाम पर ही दिया है ये किसी व्यक्ति की नहीं हो सकती है। हमने यह नहीं कहा कि यह समाजवादी मकान होगा। योजना प्रदेश के नाम से जुड़नी चाहिए, वह कोई व्यक्ति नहीं होता है वह संस्था होती है और संस्था के नाम पर उसको आगे बढ़ाना चाहिए और इसलिए उन योजनाओं को उन लोगों तक पहुँचाना यह सरकार की प्राथमिकता रही है और सरकार उसी आधार पर उन लोगों तक इस कार्य को कर रही है। हरेक व्यक्ति तक इन योजनाओं का लाभ पहुँच रहा है आज व्यक्ति उन चीजों को महसूस भी करता है और जो योजनाएँ दी जा रहीं हैं उन्हीं योजनाओं के क्रम में किसानों की चर्चा हो रही है। इसमें किसान भी है, बटाईदार को कभी हक नहीं मिला, वह काम तो करता था लेकिन उसे कभी हक नहीं मिला। मुख्य मंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना के अन्तर्गत 5 लाख रुपये की दुर्घटना योजना का लाभ किसान के परिवार को और किसान के साथ बटाईदार को देने का कार्य सरकार कर रही है। बटाईदार को भी अब सरकार देने जा रही है। यह किसान के हित के लिए योजनायें हैं और किसान सर्वाधिक परेशान होते थे नेता प्रतिपक्ष जी, जो लोग दूध तो पीते थे लेकिन गायों को छोड़ देते थे और किसान की खेती सर्वाधिक नुकसान होती थी और गाली हम खाते थे। हम लोगों ने इसमें तीन स्कीम चलाई हैं। ये भी किसान के लिए ही हैं और किसान के हित में ही हैं। अन्नदाता किसान के लिए ही सब काम किये जा रहे हैं। तीन प्रकार की स्कीम हैं एक निराश्रित गौ-आश्रय स्थल सरकार ने बनाये हैं और इसको हम लोग पूरे प्रदेश के अंदर इनको चला रहे हैं जिसमें हमारे पास अब तक प्रदेश के अंदर हम लोगों ने लगभग साढ़े 5 लाख गौ-वंश निराश्रित गौ-आश्रय स्थलों में सरकार के द्वारा संचालित गौ-आश्रय में है। दूसरी है सहभागिता योजना इसमें कोई भी किसान अपने घर में केयरटेक किये हुए हैं, जो गौ-वंश निराश्रित श्रेणी का है, यदि उसे अपने पास रखता है तो एक गौ-वंश पर 900 रुपये हर माह

सरकार उसको उपलब्ध कराएगी और एक किसान को हमने 4 गौ-वंश को रखने की अनुमति दी है। यानि एक किसान यदि 4 गौ-वंश रख रहा है तो उसे हर महीने 3600 रुपये सरकार के द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। यह योजना भी प्रदेश के अंदर चल रही है और तीसरा है कुपोषित बच्चों के लिए जो हमारे निराश्रित गौ-आश्रय स्थल सरकार के हैं उसमें से कोई गाय जो दूध देने वाली है। कुपोषित माता को या कुपोषित बच्चे के लिए यदि उसके पास जगह है तो उसको हम एक गाय उपलब्ध करा रहे हैं और साथ ही साथ 900 रुपये हर महीने भी उपलब्ध करा रहे हैं जिससे कुपोषण की समस्या का समाधान भी हो सके और गौ-वंश को भी बचाया जा सके (मेजों की थपथपाहट)। इन तीनों को पहले से सरकार चला रही है और बजट में भी हमने इस बार प्रावधान किया है। बहुत बड़ी घोषणा कर दी है। स्थायी समाधान करेंगे। वाराणसी में गोकुल ग्राम बन रहा है, गौ-वंश के संरक्षण के साथ ही, कैसे उसकी नस्ल सुधार के साथ ही गाय के गोबर से जो गोबर गैस प्लांट बनेगा तो उसमें मीथेन और सी0एन0जी0 को अलग-अलग करते हुए रिफिलिंग करके फिर से लोग अपने घरों में एल0पी0जी0 सिलेण्डर के माध्यम से उसका उपयोग कर पाएंगे इस प्रकार की व्यवस्था का कार्य वहाँ पर चल रहा है और सफलतापूर्वक एक मॉडल लागू होने के बाद फिर हम लोग जो योजना इस बार के बजट में की है, उसके साथ जोड़ेंगे बजट में चर्चा होगी तो उस समय हम इसके बारे में व्यापक रूप से कहेंगे।

यह सभी किसानों के हित के लिए की गयी योजनाएँ हैं, जिसके माध्यम से किसानों के जीवन में खुशहाली आ सके और किसानों के जीवन की यह खुशहाली प्रदेश की खुशहाली का आधार बन सके, सरकार ने पूरी प्रतिबद्धता के साथ इसको आगे बढ़ाने का कार्य किया है और मैं इस बात को कह सकता हूँ। इसमें किसी को भी कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि किसान के मुद्दे को लेकर हम लोग किसी भी प्रकार का अनावश्यक कोई विवाद खड़ा करें। तमाम प्रकार की बातें कही गयीं कि इतने किसान मर गये, इतने किसानों का यह हो गया। महोदय, उत्तर प्रदेश के अंदर लोकतांत्रिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से कोई भी व्यक्ति अपनी बात को रखना चाहता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं लेकिन कानून को हाथ में नहीं लेन देंगे, तोड़-फोड़ नहीं करेंगे, भारत के प्रतीकों का अपमान नहीं करेंगे। हम संवाद से समाधान का रास्ता निकालेंगे और अन्नदाता किसानों को तो जब कहेंगे तब चूंकि बातचीत से ही समस्या के समाधान का रास्ता है। हर प्रकार की सुविधा सरकार देने को तैयार है। आज बीज की किल्लत नहीं है, आज सेण्टर ऑफ एक्सीलेंस प्रत्येक विश्वविद्यालय में बनाये जा रहे हैं। हमारे पास जो क्लाइमेटिक जोन है, इन एग्रीक्लाइमेटिक जोन में भी सेण्टर ऑफ एक्सीलेंस विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे किसान खेती के विविधीकरण की तरफ जा सके और अधिक से अधिक मुनाफा किसान कमा सके लेकिन इस प्रयास के साथ हम सबको भी सहभागी बनना पड़ेगा। इसको राजनीतिक एजेण्डे का हिस्सा उसकी समृद्धि के लिए तो करना पड़ेगा लेकिन अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए हम किसान को गुमराह करने का कार्य करें, मुझे लगता है कि

यह पाप है, यह अपराध है। हम अन्नदाता किसान को अनावश्यक रूप से गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं। यह तो किसानों के हित में है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के साथ ही आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अन्तर्गत जो प्राविधान हुआ है, उसमें 1 लाख करोड़ रुपये का केवल कृषि इन्फ्रास्ट्रक्चर फण्ड प्रधानमंत्री मोदी जी ने घोषित किया है। यह जगह-जगह हर विकास खण्ड में गोदाम बनाए जा सकें, कोल्ड स्टोरेज बनाये जा सकें। इसके लिए फण्ड है, इसका उपयोग होना चाहिए और इसके लिए प्रस्ताव जाना चाहिए लेकिन कोविड के दौरान जो कार्य हुआ उसके बाद आत्मनिर्भर भारत की दिशा में, भारत के लोकल उत्पाद को और किसानों के उत्पाद को जो मान्यता मिली, उन सबको देखते हुए भी किसान को गुमराह करके कैसे किसान के हित से जुडे हुए मुद्दे पर ऐसे वक्तव्य दिये जा रहे हैं, जो आपस में विभाजनकारी रेखा को खींचती है।

यह अच्छी बात नहीं है। हमें किसानों की आमदनी को दोगुने से अधिक करने की दिशा में सामरिक प्रयास करने हैं। हम और आप सभी किसानों के बीच से आए हैं। किसानों के हितों के बारे में हमें इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए और यह कार्य सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढाने के लिए तत्पर है। मैं इसी बारे में कहना चाहूँगा कि नेता प्रतिपक्ष जी, इसके बारे में पूरी ईमानदारी के साथ सरकार कार्य कर रही है और जिस भी प्रकार के कार्यक्रम कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से चलाने पड़ेंगे, उसमें वर्षों से पड़ी हुई जो पेण्डिंग योजनाएं हैं, पिछली सरकारों को फुर्सत नहीं थी या उनके पास पैसा नहीं था या क्या था ? सरकार तो वही है, कुछ अलग तो है नहीं। रिसोर्सेज भी वही हैं, ऐसा तो है नहीं कि हम लोगों ने दूसरे लोक से कुछ अतिरिक्त स्रोत तय कर दिये हों तब पैसा आ रहा हो क्योंकि राज्य तो वही है, प्रशासनिक तंत्र वही है, मशीनरी भी वही है, सब कुछ वही है लेकिन पहले कार्य नहीं हो पाते थे। वर्षों से लम्बित योजनाएं हैं। हम लोग इस वर्ष के अन्त तक पिछले चार वर्षों के दौरान जो कार्य हैं, उसमें 20 लाख हेक्टेयर से अधिक लैण्डकूप्स में अतिरिक्त सिंचन की क्षमता उपलब्ध कराने जा रहे हैं। यह किसानों की आमदनी को ही बढ़ोत्तरी का एक माध्यम है। यही नहीं, इससे तो उनकी आमदनी में बढोत्तरी होनी है। खेती के विविधीकरण की तरफ जायेगा तो और अच्छी स्थिति में जायेगा। आमदनी को कई गुना बढ़ाने में इससे मदद मिलेगी। यह किसानों के हित में किये गये कार्यक्रम और इस दौरान इस फील्ड में तो कार्य हुए ही हैं, अन्य क्षेत्रों में भी काम तेजी के साथ हुए हैं। उत्तर प्रदेश में कानून-व्यवस्था के बारे में नेता प्रतिपक्ष कुछ बात कर रहे थे। मैं देख रहा था कैसी-कैसी बातें कर रहे थे और उनके द्वारा कुछ बातें कही जा रही थीं।

कानून-व्यवस्था में पता नहीं वह कहां से डाटा दे रहे थे, एन0सी0आर0बी0 की चर्चा की थी, मैं एन0सी0आर0बी0 के ही डाटा को यहां पर उनके सामने प्रस्तुत करूंगा और बताऊँगा कि पहले की तुलना में आज स्थिति क्या है। हम लोगों ने प्रदेश के अन्दर पिछले साढ़े तीन वर्षों के दौरान 59 नये थाने बनाये हैं, 29 नयी चौकियां बनायी हैं, 4 नये महिला थाने

बनाये हैं, आर्थिक अपराध शाखा के 4 थाने बनाये हैं, बिजलेन्स के 10 थाने बनाये हैं, साइबर क्राइम के 16 थाने बनाये हैं और अग्निशमन के 59 नये केन्द्र बनाये गये हैं। यह सब प्रदेश के अन्दर पिछले साढ़े तीन वर्ष के दौरान हुआ है। भर्ती पारदर्शी तरीके से की गयी है, 1,37,640 पुलिस की भर्तियां प्रदेश के अन्दर कुशलतापूर्वक सम्पन्न हुईं कोई इसके बारे में शिकायत नहीं कर सकता है। इसमें न जात-पात, न क्षेत्र, न भाषा है, यू0पी0 का जवान है उसकी ऊर्जा का उपयोग उत्तर प्रदेश के अन्दर हमें करना है और लग रहा है, यह सभी चल रहे हैं और बहुत अच्छे ढंग से चल रहे हैं। 218 पास्को न्यायालयों का गठन किया है। प्रदेश में बहुत सारे नये कार्य भी हुए हैं गैंगेस्टर अधिनियम के अन्तर्गत 12032 अभियोग पंजीकृत किये गये हैं और 37511 अभियुक्त भी गिरफ्तार हुए हैं। लगभग एक हजार करोड़ रुपये की सम्पत्ति जब्त की गयी है और ध्वस्तीकरण का कार्य भी सम्पन्न हुआ है। जिन माफियाओं और अपराधियों को पहले सत्ता अपने बगल में बैठा करके गौरव की अनुभूति करती थी और प्रदेश के माहौल को डरावना बनाती थी मुझे लगता है कि वही चित्र उस ढाई साल के बच्चे के मन में होगा जो टोपी पहने व्यक्ति को देखकर कहता है कि "मम्मी गुण्डा" इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करता है, वह भयावह दृश्य रहा होगा।

आज का दृश्य भी सबके सामने है और व्यक्ति देख रहा है कि आज क्या स्थिति है, आज तो कोई संगठित अपराधी या माफिया इस तरीके से नहीं कर सकता है की कहीं जा करके किसी सार्वजनिक सम्पत्ति पर जबर्दस्ती कब्जा कर लेगा। जबर्दस्ती कब्जा नहीं कर पायेगा और इसकी छूट भी नहीं दी जा सकती है, ये कार्यक्रम इसी रूप में हो रहे हैं लेकिन मैं इन दलों से यह जानना चाहूंगा कि उन माफियाओं के साथ इन लोगों के रिश्ते क्या हैं, क्यों बचाने का प्रयास कर रहे हैं ? थोड़ा अपने नेतृत्व से पूछ लिया कीजिये कि क्या रिश्तेदारी निभानी है ? उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता इन लोगों से पूछना चाहती है कि इन अपराधियों के प्रति इन माफियाओं के प्रति किस प्रकार की दरियादिली, अरे दरियादिली दिखानी है तो उत्तर प्रदेश की जनता के साथ दिखाइये, ये 24 करोड़ की जनता है, जो जनता आपको सम्मान दी है। बार- बार एक परिवार को उत्तर प्रदेश के अन्दर आगे बढ़ाने में योगदान देती रही है लेकिन उनके प्रति क्या भाव है, हर व्यक्ति देख सकता है। अभी सुप्रीम कोर्ट में एक मामला लगा हुआ था क्या स्थिति है यह, सरेआम एक माफिया और अपराधी को संरक्षण देने का काम हो रहा है, यह क्या तरीका है ? लेकिन उत्तर प्रदेश के अन्दर अपराधियों और माफियाओं के लिए कोई जगह नहीं होगी। कानून अपने तरीके से इनसे निपटने का काम भी करेगा। अगर किसी ने किसी गरीब, किसी मजबूर, किसी नागरिक, किसी किसान और किसी व्यापारी का अपहरण या उससे जबरन चौथ वसूलने का काम किया है फिर तय कर ले कि उनको कहां रहना है ? हम लोग उत्तर प्रदेश में इसकी कोई छूट नहीं दे सकते हैं, किसी भी स्थिति में नहीं देंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर यह चीजें नहीं हो पायेंगी और मैं इसीलिए पूछना चाहता हूं कि आप अपने नेताओं से पूछें, राष्ट्रीय नेतृत्व से पूछिये कि उत्तर प्रदेश का गुनहगार पंजाब में क्यों शरण पाया

हुआ है, एक बार पूछ तो लीजिए। (सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा मेजें थपथपाई गईं) क्यों उसको शरण देने का प्रयास हो रहा है, यह सब क्या हो रहा है, कोई क्या कर रहा है ?

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

मान्यवर, हाथरस के बारे में भी बता दीजिए।

श्री योगी आदित्यनाथ-

हां, हम लोग हाथरस में भी आ रहे हैं। चिन्ता मत करो। कहाँ-कहाँ से साजिशें हुई थीं। अभी आपने देखा होगा कि किस तरीके से देश की छवि और भारत की आस्था पर प्रहार करने का प्रयास एक वेब सिरीज के माध्यम से हो रहा था। एफ0आई0आर0 लॉज हो करके कार्यवाही अब प्रारम्भ हो चुकी है, सबको अब अपनी नानी याद आ रही है। (सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा मेजें थपथपाई गईं) अब आस्था के साथ खिलवाड़ करेंगे ? उत्तर प्रदेश इसको स्वीकार नहीं करेगा, आस्था के साथ हम खिलवाड़ स्वीकार नहीं करेंगे। किसी अपराधी और किसी माफिया को संरक्षण देना, उसके हर कृत्यों में शामिल होने जैसा है और उत्तर प्रदेश की जनता यही जवाब कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहती है। हमारे एक विधायक की हत्या हुई थी, सात-सात लोग एक साथ मारे गये। इस सबके बावजूद भी यह लोग नैतिकता का लबादा ओढ़ करके देश के सामने आते हैं, इस प्रकार की स्थितियाँ पैदा करने का प्रयास करते हैं। न्यायालय के कार्य में हर प्रकार से हस्तक्षेप करने का प्रयास किया जा रहा है। महोदय, यह चीजें व्यवस्था को कहाँ ले जायेंगी, राजनीतिक दलों को कहाँ खड़ा कर रही हैं। इन सबको ले करके इसीलिए जो कार्यवाही हो रही है, वह इसी आधार पर हो रही है।

महोदय, अगर 2017 और 2020 के बीच में मैं तुलनात्मक रूप से बताऊँ तो शस्त्र अधिनियम में 27.55 प्रतिशत अधिक कार्यवाही हुई है। एन0डी0पी0एस0 अधिनियम के अन्तर्गत 52.94 प्रतिशत, गैंगेस्टर अधिनियम के अन्तर्गत 31.09 प्रतिशत, रासुका के तहत 19.57 प्रतिशत यह कार्यवाही हुई है और अगर आप जानना ही चाहते हैं तो वर्ष 2016-17 की तुलना में वर्ष 2019-20 के अंदर डकैती, लूट, हत्या, बलवा, बलात्कार के मामलों को अगर आपको देखना है तो नोट करें। डकैती में 65.72 प्रतिशत की कमी आई है, लूट में 66.15 प्रतिशत की कमी आयी है, हत्या में 19.80 प्रतिशत की कमी आयी है, बलवा में 40.20 प्रतिशत की कमी आई है और बलात्कार की घटनाओं में 45.43 प्रतिशत की कमी आई है। यह उत्तर प्रदेश के डाटा हैं, इनको ले करके हम लोग कर रहे हैं। इसके अलावा हम लोगों ने जो कार्य किये हैं, उसमें महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए एक स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स का गठन भी उत्तर प्रदेश ने किया है। हमें वी0वी0आई0पी0 की सुरक्षा के लिए, जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा के लिए, मेट्रो और एयरपोर्ट की सुरक्षा के लिए, एयरपोर्ट और मेट्रो में हम लोग बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। इनकी सुरक्षा के लिए अन्य एजेंसियों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। हम एस0एस0एफ0 के माध्यम से इसकी सुरक्षा करेंगे। (सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा मेजें थपथपाई

गईं) उत्तर प्रदेश उस प्रकार का प्रशिक्षण, उस प्रकार के कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा है, बढ़ा चुका है। गणतंत्र दिवस की परेड में भी आपने देखा होगा कि गणतन्त्र दिवस की परेड में हमारे उन जवानों ने अपना प्रदर्शन किया था। उनका यहाँ पर मार्च पास्ट हुआ था। महोदय, इसके साथ ही प्रदेश में हम लोगों ने एस0डी0आर0एफ0 का गठन, तीन कम्पनियों का गठन हमारी सरकार ने आने के बाद किया। अपराध की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, प्रदेश के अंदर यू0पी0 स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस की स्थापना की कार्यवाही लखनऊ में चल रही है और हम यहां पर एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की कार्यवाही को भी आगे बढ़ा रहे हैं। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भारत सरकार के सहयोग से हम लोगों ने प्रस्तावित किया है। लेकिन यू0पी0 स्टेट इंस्टीटयूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस की स्थापना उत्तर प्रदेश अपने रिसोर्सेज से करेगा।

इस कार्यक्रम को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, इसके साथ ही प्रदेश में "मिशन सत्य" का एक अभियान भी प्रदेश सरकार ने प्रारम्भ किया है। बालिकाओं की सुरक्षा, महिलाओं का सशक्तीकरण हमारी शीर्ष प्राथमिकता है। मैं अनुरोध करना चाहूंगा पूरे सदन से भी माननीय सदस्यों से भी कि इस संवेदनशील प्रकरण में हम सभी लोगों को जागरूक होना पड़ेगा और जो अनावश्यक एक निगेटिव वातावरण को प्रस्तुत करने का प्रयास होता है, हम उसको देखें। अभी हाल ही में उन्नाव के अन्दर जो घटना घटी थी, पूरे मामले का पर्दाफाश हो चुका है, लेकिन कुछ शरारती तत्वों ने उसको क्या रूप देने का प्रयास किया था, क्या यह शोभा देता है, क्या हम ऐसे गलत मोड़ देकर किसी पीड़ित को न्याय दे पायेंगे ? जब हम किसी घटना को गलत मोड़ देते हैं और हर मामले में राजनीति करनी प्रारम्भ कर देते हैं तो वह सबसे सुरक्षित माहौल होता है किसी अपराधी के बचने के लिए और यह अपराधियों को बचने और बचाने का एक शरारतपूर्ण प्रयास है। हाथरस के मामले में हो या उन्नाव के मामले में, अगर आप ट्वीट देखेंगे, मैंने सोशल मीडिया के पूरे ट्वीट को देखा है, महोदय 85 फीसदी ट्वीट उत्तर प्रदेश के बाहर के थे और दुनिया के उन तमाम देशों से भी थे जो भारत के हितैषी नहीं हैं। आखिर कौन लोग हैं ये, पाकिस्तान उत्तर प्रदेश की घटना को लेकर ट्वीट करे, बांग्लादेश के अन्दर से ट्वीट आये, वे लोग वहाँ से बैठ करके तय करेंगे और वहाँ से व्यवस्था संचालित होगी और उसके अनुरूप यहां पर नेता और राजनीतिक दलों के लोग अपना मानस तय करेंगे। सच्चाई को सही रूप में हम क्यों नहीं प्रस्तुत कर पाते, क्यों हम बहन-बेटियों के चित्र को बहुत निगेटिव तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। क्या हर मामले में राजनीति होती है, राजनीति के बहुत सारे मुद्दे हैं लेकिन क्या बहन-बेटियों को दांव पर लगाकर राजनीति होगी, यह बहुत शर्मनाक है और इस तरह के मामलों को राजनीति से हट करके देखना पड़ेगा, यह बहुत शर्मनाक है। एक राजनीतिक दल है दिल्ली में बैठ करके उसकी नेत्री ट्वीट करती हैं हर एक मुद्दे को लेकर। उनको पता ही नहीं है, एक बार उन्होंने लखीमपुर के एक किसान के बारे में ट्वीट कर दिया, किसान ने कहा कि साहब मैं तो संतुष्ट हूं योगी सरकार से और मोदी सरकार से, मेरे गन्ना मूल्य का भुगतान हो चुका है, अब मेरा नाम क्यों जबर्दस्ती इसमें डाल रहे हैं। अगर उनसे पूछ

लिया जाय कि बहन जी जाकर देखो कि गन्ना कहां होता है तो आम का पेड़ बताने लग जायेंगी कि इसी आम के पेड़ पर गन्ना पैदा होता है। ये लोग गन्ना किसानों की बात करते हैं, बाद में ट्वीट भी करते हैं, फिर माफी भी मांगते हैं, तो ये जो प्रवृत्ति है इससे बचना चाहिए। कार्य हुआ है और कार्य करने के साथ ही पुलिस कर्मियों के लिए आवासीय सुविधा व्यापक पैमाने पर करने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार इन सभी कार्यों को पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। महोदय बहुत सारी चीजें थीं जिन पर अभी आगे चर्चा होगी, बजट पर भी हम लोग बोलेंगे, अन्य चीजों पर भी चर्चा होगी। इस दौरान आपने देखा होगा पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर, बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे पर, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे पर, गंगा एक्सप्रेस-वे पर लगातार कार्य चल रहे हैं। लगातार एयर कनेक्टिविटी को बढ़ाया जा रहा है, बरेली के हमारे माननीय सदस्य आये थे पूछ रहे थे कि दिल्ली के लिए वायु सेवा कब शुरू होगी तो मैं बता दूं कि 8 मार्च से दिल्ली और बरेली के बीच में वायु सेवा प्रारम्भ करने जा रहे हैं। बहुत सारी जगहों को जोड़ा जा रहा है, बहुत कार्य इसमें युद्ध स्तर पर चल रहा है। कुशीनगर के बारे में आपने कल ही देखा होगा कि वहाँ पर इंटरनेशनल और डोमेस्टिक दोनों प्रकार की फ्लाइट के लिए भारत सरकार ने अपनी सहमति दे दी है, बहुत शीघ्र हम इस कार्य को प्रारम्भ करने जा रहे हैं। इसमें आजमगढ़ भी है, श्रावस्ती भी है, अलीगढ़ भी है, मुरादाबाद भी है, चित्रकूट भी है, सोनभद्र भी है, सहारनपुर भी है। आप गिनते जाइये, जितना गिन लेंगे उतना आप मानकर चलिये कि सब जगह होगा। हम लोग तो पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे और बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे में भी एयर स्ट्रिप दे रहे हैं। अगर कभी इमरजेंसी में लैण्ड करने की आवश्यकता पड़ेगी तो यह एक्सप्रेस-वे तैयार रहेगा हर प्रकार की परिस्थिति के लिए, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी और इन क्षेत्रों की समृद्धि के लिए भी, इन क्षेत्रों की समृद्धि के साथ-साथ प्रदेश की इकोनॉमी को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए भी। सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ायेंगे और ये सभी चीजें बहुत सफलतापूर्वक आगे बढ़ रही हैं। इस दौरान निवेश, लोग कोविड से परेशान थे।

प्रदेश कोविड से परेशान था। हर व्यक्ति लगा हुआ था। हम अपने कोरोना योद्धाओं, स्वास्थ्य कर्मियों को नमन करते हैं, उन लोगों ने बहुत बड़ा कार्य किया है। बहुत सारे लोग ऐसे थे, जो असमय काल के गाल में समा गये। हमारे दो-दो मंत्रियों की मौत हो गयी, विधान परिषद् के एक मा0 सदस्य की भी दुःखद मौत हुई। हम लोगों ने उन्हें खोया है। मैं उन सबको विनम्र श्रद्धांजली अर्पित करता हूँ। मौत दुःखद होती है, लेकिन उस दौरान भी हमारी टीम काम कर रही थी। औद्योगिक विकास के लिए, एम0एस0एम0ई0 सेक्टर में काम करने के लिए कोई सोच ही नहीं सकता। पहले चीन हर प्रकार का निवेश हड़पता था और आज उत्तर प्रदेश चीन से तीन-तीन निवेश लेकर वापस आया है।

(सत्ता पक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपाईं)

महोदय, भारत में लेकर आया और भारत में उत्तर प्रदेश में लेकर आया। देश का पहला डिस्पले यूनिट उत्तर प्रदेश के अंदर लग रहा है और उस पर युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। इसी तरह से उत्तर प्रदेश में डाटा सेंटर के ऊपर भी काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। उसमें छः हजार करोड़ रुपये का निवेश होने जा रहा है। डिस्पले यूनिट में भी लगभग पाँच हजार करोड रूपये का निवेश होने जा रहा है।

महोदय, आई0आई0टी0टी0एम0 ने नोएडा में अभी एक नया निवेश प्रारम्भ किया है। उन्होंने नोएडा में साढ़े आठ सौ करोड़ रुपये की लैण्ड ली, जिसका लगभग रु0 56 करोड़ स्टाम्प शुल्क दिया है। प्रदेश में साढ़े पाँच हजार करोड़ रुपये का निवेश करने जा रहे हैं। चाहे आगरा हो या हरदोई, हर स्तर पर कई निवेश चल रहे हैं और सभी काम युद्ध स्तर पर चल रहे हैं। डिफेन्स कॉरीडोर में ये सभी कार्य चल रहे थे।

महोदय, कोविड के दौरान ही कानपुर में मेट्रो का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। हमारे मा0 प्रधानमंत्री जी ने आगरा मेट्रो का शुभारम्भ कर दिया है और ये सभी कार्य युद्ध स्तर पर चल रहे हैं। इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य चल रहा है।

महोदय, विश्वविद्यालयों के शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन हुए हैं। मा0 नेता प्रतिपक्ष ने शिक्षा के विषय को टच नहीं किया, क्योंकि शिक्षा से समाजवादी पार्टी की वैसे भी दूरी रही है। ये शिक्षा मंत्री थे, तो मैं सोचता था कि शिक्षा के बारे में जरूर बोलेंगे, लेकिन उन्होंने इससे दूरी बना रखी है। उन्होंने पक्के समाजवादी पार्टी के नेता होने का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि शिक्षा से हमारा कोई सम्बन्ध नहीं है, इसलिए हम उस पर नहीं बोलेंगे।

महोदय, कोविड के दौरान शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल, कॉलेजे ज्यादातर बन्द रहे। बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल 1-5 तक अभी भी खुल नहीं पाये हैं, लेकिन फिर भी प्रयास किया गया कि उनको बैग, बुक्स और स्वेटर आदि मिले, कुछ इंट्रेक्शन उनके साथ होता रहे। उनको कोविड से बचाना हमारे सरकार की पहली प्राथमिकता थी। कक्षा 6 से लेकर ऊपर के सभी क्लासेज प्रारम्भ हो चुके हैं।

महोदय, ''आपरेशन कायाकल्प'' के अन्तर्गत काफी अच्छा काम हुआ है, माध्यमिक शिक्षा परिषद् ने अपने कार्यक्रमों को तेजी के साथ आगे बढ़ाया है। पंचायत चुनाव के बाद बोर्ड की परीक्षाओं को भी कराने की पूरी तैयारी माध्यमिक शिक्षा परिषद् कर रही है और माध्यमिक शिक्षा परिषद् कोविड/लाकडाउन से पहले अपनी सारी परीक्षाओं को सम्पन्न भी करा चुका था। उच्च शिक्षा ने भी काफी हद तक इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। इन सभी क्षेत्रों में बहुत परिवर्तन हुए हैं। टेक्निकल, वोकेशनल मेडिकल एजुकेशन में व्यापक परिवर्तन हुए हैं। आज ये चीजें प्रदेश के अंदर दिखती हैं तो हर व्यक्ति प्रदेश के अंदर आने के लिए आकर्षित होता है। जब वह प्रदेश में आता है तो उसको लगता है कि उत्तर प्रदेश सबसे अच्छा गंतव्य है। अगर प्रदेश में अपराध, अपहरण और गोली-बारी का माहौल होता, तो यहां कौन आता ?

महोदय, आज सुरक्षा का एक वातावरण है, कानून-व्यवस्था बेहतर स्थिति में है। प्रदेश के अंदर हर व्यक्ति पर्व और त्योहार बहुत शांतिपूर्वक ढंग से मना रहा है। अगर दंगा होता तो एक ही पक्ष का थोड़े मरता। अगर उस पक्ष का मरेगा, तो इस पक्ष का भी मरेगा। उधर की संपत्ति नष्ट होगी, तो इधर की संपत्ति भी नष्ट होगी। सरकार अगले माह अपना चार वर्ष का कार्यकाल पूरा करने जा रही है।

एक महीने का समय नहीं बचा है, लेकिन 4 वर्ष में कोई दंगा उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ। (सत्ता पक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपायीं।) वही प्रदेश था कि-महीने दो महीने में दंगा जरूर होता था, महीनों-महीनों तक कर्फ्यू रहता था, अव्यवस्था होती थी, लूटपाट होती थी, लोगों को टेण्टों में रहने के लिए मजबूर होना पड़ता था। आज यह स्थिति नहीं है, आज उपद्रवियों की सम्पत्ति जब्त जरूर की जाती है, वसूली जरूर होती है। (सत्ता पक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपायी।) कानून का भय तो होना ही चाहिए। हम कानून पर विश्वास करने वाले हैं तो कानून का भय होना चाहिए। हर एक व्यक्ति में कानून का सम्मान करने का भय भी होना चाहिए।

न्यायपालिका अच्छा कार्य कर रही है। फास्ट ट्रैक के अन्तर्गत कितनी मजबूती के साथ काम प्रारम्भ हुये हैं। उन दुराचारियों को सजा देने के काम हो रहे हैं। अनेक स्तर पर, व्यापक स्तर पर काम प्रारम्भ हुये हैं। पर्यटन के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश ने एक लंबी छलाँग लगायी है और व्यापक सम्भावनायें हैं। अयोध्या, काशी, प्रयागराज, वृन्दावन, मां विन्ध्यवासिनी धाम, शाकुम्भरी धाम, नैमिष तीर्थ, शुक्रताल तीर्थ इस सभी के अलावा उत्तर प्रदेश में पर्यटन का व्यापक क्षेत्र है। थोड़ा भी इसमें प्रयास किया होता। कतर्निया और चूका के पास जा करके देखिये ! दुनिया का अपार प्राकृतिक सौन्दर्य देखने को मिलेगा। आप कभी सोनभद्र जाकर देखिये दुनिया को आकर्षित करने की क्षमता सोनभद्र रखता है। (सत्ता पक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपायीं।) इसको पर्यटन के रूप में विकसित करके वहाँ के रोजगार को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा सकता है। बुन्देलखण्ड में जाइये तो जैसे लगता है कि प्रकृति की सारी सौन्दर्य यहीं पर उतार करके ईश्वर ने प्रस्तुत कर दी है, परन्तु कभी उसको आगे बढ़ाने का प्रयास नहीं हुआ। इनके समय डकैतों को प्रश्रय दिया जाता था, चुनाव लड़वाया जाता था, उन्हें विधायिका तक पहुँचाया जाता था। जब मैं चित्रकूट गया तो वहाँ मैंने लोगों से कहा कि चित्रकूट के लिए कुछ करो, तो उन्होंने कहा कि साहब करेंगे कहाँ पहले डकैतों से मुक्ति तो हो। आज पूरा बुन्देलखण्ड और चित्रकूट डकैत मुक्त हो चुका है, पूरे बुन्देलखण्ड में कहीं कोई समस्या नहीं है। बुन्देलखण्ड का हर व्यक्ति बहुत भोला-भाला है और जहाँ लगा दो मजबूती से देश के लिए काम करने वाला व्यक्ति है। प्रकृति के साथ जूझने वाला व्यक्ति है। 42 और 45 डिग्री की टेम्परेचर में भी वहाँ की धरती से सोना उगलवाने का सामर्थ्य रखता है। यह काम आज वहाँ पर निवेश के नये तरीके से सम्पन्न होने जा रहा है। आज आप देख सकते हैं और चित्रकूट जाइये तो अन्तर महसूस हो सकता है। 2017 तक आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश एक नई आभा के साथ दिखता था

और उत्तर प्रदेश की स्थिति आभाहीन लगती थी। आज आप देखिये हर व्यक्ति उत्तर प्रदेश की तरफ आकर्षित जरूर होता है। (सत्ता पक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपायीं।) यह परिवर्तन हुआ है। इण्टरस्टेट कनेक्टिविटी में देखें तो हमारे उत्तर प्रदेश की कनेक्टिविटी जिससे भी जुड़ी है, नेपाल है, नेपाल हमारा मित्र राष्ट्र है, नेपाल के साथ जितने मार्ग होंगे वे फोर-लेन के साथ जुड़ेंगे। बिहार के साथ जितने मार्ग होंगे वे फोर लेन के साथ जुड़ेंगे, झारखण्ड के साथ जितने मार्ग होंगे फोर लेन के साथ जुड़ेंगे। छत्तीसगढ़ व मध्य प्रदेश के साथ जितने मार्ग होंगे वे फोर लेन के साथ जुडेंगे। राजस्थान के साथ जो मार्ग होंगे वे फोर-लेन के साथ जुड़ेंगे। हरियाणा, उत्तराखण्ड और दिल्ली के साथ हमारी फोर लेन की कनेक्टविटी है। (सत्ता पक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपायीं।) जिला मुख्यालयों को फोर लेन की कनेक्टविटी, तहसील और विकास खण्ड मुख्यालयों को टू-लेन की कनेक्टिविटी दी गयी है। ये परिवर्तन हुआ है। कोरोना कालखण्ड के दौरान वन विभाग 25 करोड़ से अधिक वृक्ष लगाता है एक दिन में, सभी जनप्रतिनिधि-माननीय सांसद, माननीय विधायक उसमें सहभागी बने थे। सभी विभाग उसके साथ सहभागी बने थे और उत्तर प्रदेश ने एक अभूतपूर्व प्रदर्शन करके दिखाया है। ये सभी कार्य इसलिए हुए जिससे हम प्रदेश के बारे में एक नया संदेश दे सकें। हमने अपने पर्यावरण के संरक्षण के लिए काम किया है। मनरेगा और कन्वर्जन स्कीम के माध्यम से पिछले 04 वर्ष के दौरान 25 नदियों को पुनर्जीवन दिया गया। वे अपने उद्गम स्थल पर सूख सी गयी थीं, उस पर काम हुआ है और एक नया परिवर्तन उसमें देखने को मिला है। यह एक चेंज है और इस चेंज को लाने के लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।

भावी योजनाओं के बारे में भी महामहिम राज्यपाल जी ने इस अभिभाषण में जिक्र किया है चाहे वो योजनाएं हेल्थ के सेक्टर में हों, युवाओं के लिये हों, महिलाओं के लिये हों, अन्य तमाम सेक्टर में अपने युवाओं के लिये हमने अभी हाल ही में एक अभ्युदय योजना प्रारम्भ की है (मेजों की थपथपाहट) क्यों उत्तर प्रदेश के यूथ को बाहर जाना पड़ेगा। राज्यपाल जी ने इसका जिक्र अपने अभिभाषण में किया, हम उनके आभारी हैं। उत्तर प्रदेश के कार्यों को उन्होंने सराहा कि बहुत अच्छा काम हुआ है काम अच्छा होगा, धन्यवाद दूँगा। मैं आभारी हूँ राज्यपाल जी का, मैं आभारी हूँ माननीय नेता प्रतिपक्ष का। इन्होंने भी इस बात को अन्ततः स्वीकार कर ही लिया कि हां सरकार ने अच्छा कार्य किया इस दौरान। हर स्तर पर सराहा गया इसलिये उन्होंने भी स्वीकार किया। मैंने कहा कि अगर वह अपने विवेक से बोलेंगे तो हर चीज को स्वीकार कर लेंगे। महापुरुषों के प्रति भी सम्मान का भाव। चौरी-चौरा 1922 में देश की स्वाधीनता के लिये गोरखपुर के किसानों ने, मजदूरों ने एक आन्दोलन लड़ा, आगे बढ़ाया था। चौरी-चौरा की घटना के नाम से इतिहास में विख्यात है। शताब्दी वर्ष चौरी-चौरा का पड़ा। प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। बहुत अच्छे ढंग से कार्यक्रम हुआ प्रदेश में, हर एक स्थल पर, हर एक शहीद स्थल के पुनरुद्धार और उसके सुन्दरीकरण की कार्य योजना को हम लोगों ने आगे बढ़ाया। यह चीजें आगे बढ़ेंगी, इसी स्तर पर, इसी आधार पर इसको आगे

बढ़ाने का कार्य सरकार का चल रहा है। एक हजार वर्ष पहले 987 वर्ष पहले महान पराक्रम और शौर्य का प्रदर्शन हुआ था बहराइच की धरती पर। महाराज सुहेलदेव के द्वारा किया गया था (मेजों की थपथपाहट) महोदय, मैं देख करके ताज्जुब करता हूँ। मुझे कभी-कभी आश्चर्य होता है कि महापुरुषों को भी कैसे लोग किस रूप में जोड़ने का प्रयास करते हैं। महाराज सुहेलदेव देश के लिये लड़े थे, मातृभूमि के लिये लड़े थे। उनके शौर्य और पराक्रम को नमन है। उनकी स्मृतियों को नमन है। महाराज सुहेलदेव के शौर्य और पराक्रम के सामने आक्रान्ता पूरी तरह परास्त ही नहीं हो गये थे 150 वर्षों तक भारतवर्ष पर कोई विदेशी हमला करने का दुःसाहस नहीं कर पाया। मुझे महाकवि दिनकर की यह पंक्तियाँ भी याद आने लगती हैं जिन्होंने बहुत पवित्रता के साथ कहा था-

मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का, वीरों का,
धनुष छोड़कर और गोत्र क्या होता रणधीरों का,
पाते हैं सम्मान तपोबल से भू-तल पर शूर,
जाति-जाति का शोर मचाते केवल.....

(मेजों की थपथपाहट) महाकवि दिनकर ने बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया है।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

केवल क्या। आगे पूरा करिये

श्री योगी आदित्यनाथ-

मैंने कहा ना कि हर व्यक्ति पढ़ा-लिखा है। हर व्यक्ति जानता है। कविता के भाव उस रूप में प्रस्तुत कर दिया हमने। बाकी तो आप तो शिक्षा मंत्री रहे तो तब आप जोड़ते। आप तो महाकवि दिनकर के समय रहे हैं। उस आन्दोलन के साक्षी रहे हैं जिस आन्दोलन में उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से गर्जना की थी उसके एक मजबूत सिपाही के रूप में आप खड़े रहे हैं इसलिये महाकवि दिनकर को सम्मान देना चाहिए और मुझे लगता है कि यह जो बात कही उन्होंने बहुत बड़ी बात कही। हम बहुत आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, जिनकी प्रेरणा और मार्गदर्शन में हम लोग 987 वर्ष के बाद भारत माता के इस महान सपूत को सम्मान देने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ और उनका भव्य स्मारक हम लोग बहराइच में बना रहे हैं चित्तौड़ा के उसी स्थान पर।

माननीय अध्यक्ष जी, वहां पर उनका भव्य स्मारक भी बनेगा। जो चित्तौड़ा झील है, उसका सौन्दर्यीकरण का कार्य भी होगा। पूरी भव्यता के साथ उस कार्यक्रम को आगे बढ़ायेंगे। हर उस क्षेत्र को हम टच करने का प्रयास कर रहे हैं, जो अब तक किन्हीं कारणों से अछूते रह गये थे, जो प्रदेश के गौरव को प्रदेश की विरासत को आगे बढ़ाने में, प्रदेश के सर्वांगीण विकास में प्रदेश के युवाओं के लिए, प्रदेश के किसानों के लिए, प्रदेश के मजदूरों के लिए और

प्रदेश के हर क्षेत्र की प्रतिभा के लिए एक नयी दिशा और नयी दृष्टि हो सकती है, उसको आगे बढ़ाने के लिए सरकार कार्य कर रही है। श्री राज्यपाल जी ने अपने अभिभाषण में इन सबका जिक्र किया और प्रदेश सरकार के कार्यों की सराहना करते हुए एक नयी दृष्टि अपने अभिभाषण के माध्यम से दी है, जिसके बारे में कुछ चीजों का मैंने जिक्र भी किया है। बहुत सारी चीजें बजट का पार्ट बनी हैं, बजट में भी उन सबकी चर्चा करेंगे। मैं आज के इस अवसर पर एक बार फिर से महामहिम राज्यपाल जी का समवेत् सदन में अभिभाषण देने के लिए हृदय से आभारी हूं। मैं धन्यवाद दूंगा नेता प्रतिपक्ष श्री राम गोविन्द चौधरी जी को, नेता बहुजन समाज पार्टी श्री लालजी वर्मा जी को, कांग्रेस की नेता श्रीमती आराधना मिश्रा जी को, अपने अन्य दलीय नेताओं के साथ ही इस प्रस्ताव के प्रस्तावक श्री योगेन्द्र उपाध्याय जी, जिन्होंने इस प्रस्ताव का समर्थन किया सदस्य श्री विक्रम सिंह जी और उन सभी सदस्यों का जिन सदस्यों ने इस पूरी चर्चा में भागीदार बन करके लोकतंत्र की समृद्ध परम्परा को आगे बढ़ाया है। हम चर्चा-परिचर्चा के माध्यम से, संवाद के माध्यम से इसे पुष्ट करेंगे, विधायिका के मंच को जिसने गांव को, गरीब को, किसान को, नौजवान को, महिलाओं को समाज के प्रत्येक तबके को जीवन की एक नयी आस दिखायी है, इसको हम विधायिका के मंच से करेंगे। यह भाव यहां पर व्यक्त करने का प्रयास किया है। मैं एक बार फिर से आपका हृदय से आभारी हूं।

आपने महामहिम राज्यपाल जी के इस अभिभाषण पर मुझे इसका जवाब देने के लिए यहां पर समय उपलब्ध कराया है। यहां पर सामान्य चर्चाओं में एक-दूसरे के प्रति शब्द दण्ड बाण बोले जाते हैं, लेकिन यह सभी मर्यादा के अन्दर ही रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर किसी को बुरा लगा हो तो मैं उससे इस बारे में कहूंगा कि मेरी कोई इच्छा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने की नहीं है। यह सभा केवल एक सामान्य गम्भीर चर्चा का विषय न बने बल्कि कभी-कभी हास-परिहास का विषय भी बने, क्योंकि मुझे मा0 खन्ना जी की तरह शेर-ओ-शायरी नहीं आती है। मैं चाहूंगा कि आप कभी खन्ना जी के साथ जाइये आपके पुराने मित्र हैं। इनके यहां होली पर एक नवाब साहब की यात्रा निकलती है। मैं चाहूंगा कि आप उस यात्रा को एक बार देखने जरूर जायें। उनको शेर-ओ-शायरी का बड़ा शौक है। मैं यह सब नहीं जानता हूं, लेकिन यहां पर यह सब जो कुछ हुआ है मेरी उसमें कोई उस प्रकार की इच्छा नहीं है। मैं एक बार फिर से हृदय से अभिनन्दन करता हूं। आप सभी कोरोना कालखण्ड में मजबूती से लड़े हैं और मैं आपके माध्यम से सबसे अपील करूंगा कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। मैं देखता हूं कि बहुत सारे मा0 सदस्य मास्क धारण नहीं कर पाते हैं, करना पड़ेगा, क्योंकि आप नेता हैं, आपको देखकर एक बड़ी आबादी सीखती है। हमें कोई अधिकार नहीं है। जैसे मा0 नेता प्रतिपक्ष हमेशा मास्क धारण करके रहते हैं, मा0 वर्मा जी भी, अन्य सभी मा0 सदस्य इसको धारण करते हैं, मैं भी स्वयं हमेशा मास्क रखता हूं, उतारना न पड़े क्योंकि उतारना भी अपने आप में खतरनाक है। जब हम मास्क पहन कर कहीं पर रखते हैं अगर

कहीं कोई वायरस हमारे ऊपर आ गया है तो जहां हमारा मास्क पड़ेगा, वह क्षेत्र उससे संक्रमित होगा। हमें इसको भी ध्यान में रखना होगा, इसलिए इसको बांधकर ही अपने पास रखते हैं। अगर मुझे कभी दूसरा मास्क लगाने की आवश्यकता पड़ती है तो इसको जेब में ही रखता हूं, नीचे रखने की आवश्यकता न पड़े, यह प्रयास करता हूं, लेकिन मास्क हमें लगाना पड़ेगा। आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे राज्यों में एक बार फिर से केसेज बढ़ने प्रारम्भ हो गये हैं।

एक बार फिर से केसेज बढ़ने प्रारम्भ हो गए हैं वह राज्य असमंजस की स्थिति में हैं कि क्या करना चाहिए। चूँकि आवागमन अब फ्रीक्वेंट हो चुका है इसलिए बहुत कुछ कहा नहीं जा सकता है। हमें मास्क का ध्यान रखना पड़ेगा सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन करने का प्रयास करना पडेगा। नियमित जाँच करानी पड़ेगी। जाँच फ्री है उपचार फ्री है लेकिन ईश्वर से प्रार्थना करें कि किसी को उपचार की नौबत ही न आने पाए। बचाव सर्वोत्तम उपाय हो सकता है सर्वोत्तम उपाय में मास्क को धारण करना सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन अगर हम लोग कर सकेंगे क्योंकि आपकी देखा-देखी हजारों लोग उसको फालो करते हैं। आप क्या कर रहे हैं इसको हजारों लोग फालो करेंगे। यह चीजें हम आदत में रखें। कोरोना समाप्त होगा यू0पी0 में आप देख रहे होंगे आज से चार माह पूर्व नवम्बर में 68 हजार एक्टिव केस थे आज वह लगभग दो हजार की संख्या रह गई है। टेस्टिंग लगातार चल रही है। फोकस्ड टेस्टिंग चल रही है लेकिन सावधानी और सतर्कता आवश्यक है, मैं सदन से अपील करूँगा कहीं पर भी हमें गलतफहमी का शिकार नहीं होना है, वैक्सीन अपनी समय पर लगेगा। वैक्सीन लगने के बाद भी हमें सतर्कता बरतनी पड़ेगी। उसके बाद भी अगर हम सावधानी रखेंगे तो वह स्वयं के बचाव के लिए महत्वपूर्ण होगा। मैं आज सदन में सभी माननीय सदस्यों से और प्रदेश की जनता से भी अपील करूँगा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें मास्क को हर हाल में लगाए रखना घर के अन्दर आप अकेले हैं तब मास्क उतार दीजिए लेकिन अगर आप सार्वजनिक स्थान पर जा रहे हैं एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं मास्क का प्रयोग उस समय अनिवार्य रूप से करें। अगर कोई बाहर से आ रहा है तो कांटेक्ट ट्रेसिंग का कार्य जरूर हो। क्योंकि प्रदेश में सुरक्षित हैं लेकिन फ्रीक्वेंट आवागमन है। बहुत सारे राज्यों में केसेज बढ़े हैं उत्तर प्रदेश के अन्दर उनका आवागमन है। तो हर जिले में कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल सेन्टर बना हुआ है यह लगातार सक्रिय है उसकी मानीटरिंग की जा रही है मैं स्वयं भी उसकी समीक्षा कर रहा हूं स्वास्थ्य मंत्री भी कर रहे हैं चिकित्सा शिक्षा मंत्री भी कर रहे हैं लेकिन फिर भी अगर कोई बाहर से आता है तो उसकी सूचना समय पर प्रशासन को उपलब्ध कराना उनके सम्पर्क में कौन-कौन लोग आए हैं सबकी जांच समय पर करा देना, समय पर उपचार करा देना जब भी कोई व्यक्ति गलतफहमी का शिकार होगा वह कोरोना की चपेट में खतरनाक रूप में आएगा। हम तो ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि इस महामारी की चपेट में किसी को न आना पड़े, कोरोना ही नहीं इस प्रकार की महामारी न आए अगर हम उस दौर से गुजर रहे हैं तो सतर्कता और सावधानी आवश्यक है। मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की मैं जरूर

अपील करूँगा। कांटेक्ट ट्रेसिंग और अगर कहीं कोई संक्रमित होता है तो हास्पिटलाइज जरूर हो जाएं घर में कतई न रहें। असिटस्मेटिक हैं तो विशेषज्ञों की राय लेकर कार्य करें और प्रोटोकाल का पालन करें। तभी कोरोना पर प्रदेश और देश विजय प्राप्त करने की ओर अग्रसर होगा। हम इस पर अवश्य विजय प्राप्त करेंगे। आप सबने सुना मैं आप सभी के प्रति हृदय से आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। जय हिन्द।

नेता विरोधी दल (श्री राम गोबिन्द चौधरी)-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरे संशोधन प्रस्ताव के बाद लगभग 46 माननीय सदस्यों ने महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर अपने विचार व्यक्त किए, धन्यवाद प्रस्ताव पर जिन्होंने समर्थन किया था उनको मैंने कल ही धन्यवाद दे दिया था। जो 46 माननीय सदस्यों ने इस प्रस्ताव पर अपना विचार रखा उसमें मा0 मुख्य मंत्री जी भी सम्मिलित हैं मैं सभी लोगों को अपनी तरफ से हृदय से धन्यवाद देता हूँ और मुख्य मंत्री जी को इसलिए धन्यवाद देता हूँ कि तथ्यहीन, उबाऊ, सत्य से परे जो इन्होंने यहाँ पर प्रवचन दिया इसके लिये भी उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। लाल-नीली-हरी टोपियों से जो उनकी रूह कांपने लगती है उसके लिये उनको निडर रहने का भी आश्वासन देता हूँ। मा0 अध्यक्ष जी, नेता सदन ने कहा कि मैं नेता विरोधी दल को बहुत मानता हूँ, लेकिन मैं तो जब यह नेता सदन नहीं थे तबसे इनको बहुत मानता हूं। मैं सदन में कई बार कह चुका हूं कि मैं इनके गुरू को बहुत मानता हूँ, अब हमारे गुरू को यह कितना मानते होंगे हम तो नहीं जानते, लेकिन यह मानना अलग की बात है, व्यक्तिगत सम्बन्ध अलग की बात है, राजनीति अलग की बात है। वह नेता सदन हैं हम नेता विरोधी दल हैं। वह अपनी बात रखेंगे हम अपनी बात रखेंगे, लेकिन इनकी बात से आज ऐसा लगा कि जब हम इस गेट से सचिवालय से बाहर जायेंगे तो हम लोगों को लगेगा कि हम लोग कहाँ आ गये हैं, इतना इन्होंने बदलाव कर दिया है। इन्होंने कागज पर इतना बदलाव कर दिया कि लगेगा कि क्या हम लोग न्यूयॉर्क में आ गये। लगभग ढाई-तीन घंटे का उबाऊ भाषण, कोई तथ्य नहीं, फोर लेन से जोड़ेंगे, अरे जब रहेंगे तब न जोड़ेंगे। सिक्स लेन से जोड़ेंगे, इतना यह कर देंगे, वैसा कर देंगे मा0 अध्यक्ष जी, फोर लेन से जिला हेडक्वार्टर को जोड़ने का अगर किसी ने काम किया तो अखिलेश यादव ने किया। (विपक्ष की तरफ से मेजों की थपथपाहट) अब यह करेंगे, बात भी सही है, उनके बाद यह सरकार में आये हैं। हमारे कहने से तो आप जायेंगे या आयेंगे नहीं।

(इसी मध्य सदस्य श्री रमाशंकर सिंह द्वारा अपने स्थान से टोका-टाकी करने पर)

श्री राम गोविन्द चौधरी-

आपको पहले से बोलने की आदत हो गयी है। मैं विन्ध्यवासिनी माँ का भक्त हूं और किसी के कहने से नहीं हूँ। जबसे पढ़ता हूँ तबसे नौ दिन क्वार का और नौ दिन चैत्र का व्रत रहता हूँ। मैं किसी के कहने से नहीं हूँ और कोई ऐसी शक्तिपीठ नहीं है जहाँ मैं दर्शन करने

नहीं जाता हूँ। मा0 नेता सदन ने क्या कह दिया। बताइये, नेता सदन हैं और पता नहीं कि हमारे बड़े भाई हैं कि छोटे भाई हैं, यह तो मैं नहीं जानता। मैं गाँव से माँ के साथ अयोध्या पैदल आया हूं और माँ के साथ परिक्रमा भी की है, आपसे पहले राम जन्मभूमि के दर्शन भी किये हैं। राम जी के आन्दोलन से तो अवैद्यनाथ जी बाद में जुड़े। राम किसके नहीं हैं। आप क्यों राम को बांट रहे हैं। सनातन धर्म में विश्वास रखने वाला हर व्यक्ति राम का है और राम उसके हैं। हम राम के और राम हमारे हैं, उसको भी आप बांट रहे हैं। यही सबसे बड़ा दोष है। आपने कहा कि शिक्षा मंत्री थे शिक्षा पर नहीं बोले, अध्यक्ष जी भी देखने लगे, इधर से भी लोग कहने लगे, इधर से भी लोग कहने लगे कि अब चुप हो जाइये। मैंने कई विषयों पर नहीं बोला है। आपने तो किसी को छोड़ा ही नहीं और फिर आज आप जो बोले हैं वही जब वित्त मंत्री के रूप में भाषण उत्तर देने के लिये सब यही बात फिर बोलेंगे। चार साल से यही बोल रहे तब भी मैं आपका बहुत आदर करता हूँ और आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ। मा0 अध्यक्ष जी, कम से कम संसदीय परम्परा, संसदीय परिपाटी, संसदीय शब्द का जो ज्ञान इन्होंने हमको दिया उसके लिये आपको बहुत-बहुत बधाई और क्या कहा टोपी वाले गुण्डे।

ये बच्चे ने कहा, बच्चे ने नहीं कहा, बच्चे के रूप में इनकी आत्मा ने कहा है। दूसरी बात इन्होंने कहा कि पटक-पटक कर मारेंगे, तीसरी बात कहीं कि नानी याद आने लगेगी। मा0 अध्यक्ष जी क्या ये संसदीय शब्द हैं और क्या ये संसद की गरिमा रखने वाले वचन हैं ? माननीय अध्यक्ष जी एक बार एक पण्डित जी ने कथा में कहा कि कद्दू की सब्जी नहीं खानी चाहिए लेकिन जब घर गए तो पण्डिताइन ने कद्दू की ही सब्जी बनायी थी जोकि पण्डिताइन द्वारा फेंकी जा चुकी थी, जब पण्डित जी खाना खाने बैठे तो सब्जी के लिए पूछे तब पण्डिताइन ने बताया कि कद्दू की सब्जी बनायी थी लेकिन आपने कहा कि कद्दू की सब्जी नहीं खानी चाहिए इसलिए हमने फेंक दी है इस पर पण्डित जी कहने लगे कि तुम चौकी की बात चौका में क्यों ला रही हो। श्रीमन् कथनी और करनी में अन्तर भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है लेकिन करनी और कथनी में अन्तर समाजवादी पार्टी में नहीं है। (विपक्ष के सदस्यों द्वारा सीटें थपथपायी गयीं) मा0 अध्यक्ष जी इनका है संकल्प और हमारा है घोषणा-पत्र। संकल्प लिया जाता है लेकिन किया नहीं जाता है और घोषणा जो की जाती है उसको किया जाता है। मा0 मुलायम सिंह यादव के जमाने का घोषणा-पत्र मा0 मुख्य मंत्री जी हाउस में मंगा लें।

वित्त, संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मा0 अध्यक्ष जी किसी बात पर स्पष्टीकरण करने की परम्परा रही है लेकिन भाषण की परम्परा नहीं है।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

यह बजट भाषण में है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मा0 अध्यक्ष जी यह परम्परा नहीं है हमने बहुत सदन देखा है।

नेता विरोधी दल (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

मा0 अध्यक्ष जी यह परम्परा है कि मेरे संशोधन पर जिन माननीय सदस्यों ने विचार रखें हैं उस पर मैं बात करूँ और मा0 मुख्य मंत्री जी ने मेरे संशोधन पर अपनी बात रखी है, उसका उत्तर नहीं दिया है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

आप चाहें तो इस पर स्पष्टीकरण पूछ सकते हैं, यह परम्परा है।

श्री अध्यक्ष-

मा0 नेता विरोधी दल अगर आपको कोई स्पष्टीकरण करना हो तो कर लें।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं अपनी बात खत्म करना चाहूँगा क्योंकि यह अब पिनपिनाने लगे हैं, यही इनकी हालत है इनको तुरन्त मिर्ची लग जाती है। कथनी और करनी एवं घोषणा-पत्र और संकल्प में अन्तर होना चाहिए और जो अन्तर है वह पूरा भी होना चाहिए। मा0 नेता सदन कहते हैं कि मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी आपके मित्र हैं ये हमारे मित्र हैं या दुश्मन हमें यही समझ में नहीं आता है। आप हमारे शुभचिन्तक जरूर हैं और मैं भी आपका शुभचिन्तक जरूर हूँ लेकिन न आपने कभी हमारा हाल-चाल पूछा और न हमने कभी आपका हाल-चाल पूछा है। मा0 अध्यक्ष जी यह अन्तिम सत्र है इसके बाद हो सकता है कि एक-दो दिन का छोटा सत्र करा लिया जाय इसलिए मैं चाहता था कि सभी मा0 सदस्य अपने क्षेत्र की, अपने जनपद की समस्याओं पर विचार इस सदन में कर लेते लेकिन सरकार बहुत दिन तक सदन चलाना नहीं चाहती है ऐसा हमको अन्देशा लग रहा है। आपसे भी मैंने अनुरोध किया, मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी से भी कहा और सारे विपक्ष के लोगों ने आपके सामने कहा कि मा0 मुख्य मंत्री जी का भाषण 25 तारीख को हो कि कल सारे सदस्य बोलें कोई बाकी न रह जाये। बोलेंगे तो साढ़े बारह बजे संसदीय कार्य मंत्री जी बोल रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष जी, इसका औचित्य तो नहीं है, लेकिन फिर कार्य-मंत्रणा समिति का औचित्य क्या है ? क्यों हम जाये आपके बुलावे पर कार्य-मंत्रणा समिति में विपक्ष के लोग, आपसे भी आग्रह किया गया था कि आप स्वयं मुख्य मंत्री जी से बात करें कि 25 को भाषण दें। इससे सारे माननीय सदस्य पक्ष के हों या विपक्ष के हों अपनी बात कह सकें। आपसे बात हो गई और पूछा भी कि अध्यक्ष जी, बात हुई माननीय मुख्य मंत्री जी से तो अभी बिजी हैं। इन्होंने कहा कि शाम को मुलाकात होगी, मुख्य मंत्री जी से तब आपको बताऊंगा अभी तक नहीं बताया। बताना इनको था। फिर कार्य-मंत्रणा समिति का कौन सा औचित्य है और फिर यही संसदीय कार्य मंत्री जब नेता भारतीय जनता पार्टी के होकर यहां बैठते थे, तुरन्त नियमावली लेकर यहां खड़े हो जाते थे, माननीय अध्यक्ष जी 3 सत्र होना चाहिए, कम से कम 90 दिन का होना चाहिए यह समाजवादी पार्टी की सरकार, यह बहुजन समाज पार्टी की

सरकार, सदन नहीं चलाना चाहते। आप चलाना चाहते हैं क्या ? यही चलाना है कि मुख्य मंत्री का 25 को भाषण था, हमेशा चार दिन महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर चार दिन जनरल चर्चा हुई है, इस बार 3 दिन भी नहीं हुई, 2 दिन भी बढ़िया नहीं हुई। अभी कल ही मैंने संशोधन प्रस्ताव रखा आज मुख्य मंत्री जी का उत्तर भाषण हो गया। यह विधान सभा चलाना हुआ, इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, यह सरकार हर स्तर पर फेल हो चुकी है। विकास के नाम पर फेल, कानून व्यवस्था के नाम पर फेल, कोरोना महामारी को कुछ तो हमने कल भी कहा था आज भी कह रहा हूं मुख्य मंत्री को इनको तो मैं बधाई दे रहा हूं इनकी तो इच्छा थी लेकिन मुख्य मंत्री जी जो जिले-जिले में यह नम्बर एलाट हुए थे, मजदूरों का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जो अपने ग्यारह पर विश्वास किया था। इलेवेन टीम आपके विश्वास पर धोखा किया गया। मैं बलिया का उदाहरण देता हूं, तीन दिन के बाद वह नम्बर बन्द हो गये, फोन ही नहीं उठे। एक दिन हमारे पास फोन आया कि हमारा लड़का तीन दिन से फोन कर रहा है, महाराष्ट्र में मैंने कहा कि बलिया का नम्बर है, इससे करा दो, उसने कहा कि तीन दिन से दौड़ रहे हैं, मिला रहे हैं, उठ ही नहीं रहा है। मैं बिल्कुल सही घटना बता रहा हूं, मेरे पास कुछ पत्रकार साथी बैठे थे, उन्होंने कहा कि जिला को छोड़िये जरा इलेवेन टीम का नम्बर मिला लीजिए। तीन नम्बर मैंने मिलाया, फारवर्डेड एक नया चला है मोबाइल में कि फारवर्डेड, नॉट रीचेबिल, घण्टी जा रही है, उठ ही नहीं रहा है। इसकी जांच तो करवा लीजिए, जांच तो आप कुछ नहीं करवाते हैं और जैसा कि आपने कहा, हम लोगों को जो डाटा मिलेगा वही तो हम लोग कहेंगे और मैंने भी जो डाटा दिया था, नेशनल क्राइम ब्यूरो का दिया था गृह मंत्रालय से वह जारी होता है, मैं किसी दूसरे से नहीं ले आया था और जो ऑक्सीमीटर और पी0पी0ई0 किट में जो घपला हुआ, वह आपके लोग भी आपको पत्र लिखे तो उनको पार्टी से क्यों नहीं निकाल दे रहे हैं और वह बात सही थी, कैसे निकालेंगे। टोकना मना है अध्यक्ष जी, नेता सदन को नेता प्रतिपक्ष को टोकना मना है। इसलिए मैं पुनः आपके माध्यम से मेरे संशोधन प्रस्ताव पर जितने माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे उसमें माननीय मुख्य मंत्री जी भी हैं, सबको मैं धन्यवाद देता हूं।

इसलिये मेरे संशोधन प्रस्ताव पर जितने माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं उसमें माननीय मुख्य मंत्री जी भी हैं मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। चूंकि माननीय मुख्य मंत्री जी ने सत्य से परे बात कही है इसलिये मैं अपने संशोधन प्रस्ताव पर अडिग हूं और मेरा अनुरोध है कि विपक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए सभी संशोधनों को जोड़ कर अभिभाषण को संशोधित करके नये रूप में सदन में लाया जाये।

श्री अध्यक्ष-

अब मैं श्री राज्यपाल द्वारा दिए गए अभिभाषण के लिए प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर माननीय नेता विरोधी दल की ओर से प्रस्तुत संशोधन प्रस्ताव को मतदान के लिए प्रस्तुत कर रहा हूं।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, मेरा भी संशोधन प्रस्ताव है।

श्री अध्यक्ष-

आपका भी संशोधन प्रस्ताव इसमें सम्मिलित है। जिन भी माननीय सदस्यों ने संशोधन के प्रस्ताव दिये हैं, सभी के इसमें सम्मिलित हैं। मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूँ।†

प्रश्न यह है कि माननीया राज्यपाल के अभिभाषण के सम्बन्ध में जो संशोधन प्रस्ताव माननीय नेता विरोधी दल ने प्रस्तुत किया है, जिसमें अन्य सदस्यों द्वारा प्रस्तुत संशोधन प्रस्ताव भी सम्मिलित हैं, उससे यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि यह सदन माननीया राज्यपाल के अभिभाषण के लिए, जो उन्होंने राज्य विधान मण्डल के एक साथ समवेत् दोनों सदनों के समक्ष दिनांक 18 फरवरी, 2021 को दिया है, कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद प्रकट करता है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

[03:32] राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-979/ग्यारह-2-20-9(47)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश (141)-2020, दिनांक 01 सितम्बर, 2020††

***संसदीय कार्य, ग्राम्य विकास, समग्र ग्राम विकास राज्य मंत्री (श्री आनन्द स्वरूप शुक्ल)-**

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-979/ग्यारह-2-20-9(47)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश (141)-2020, दिनांक 1 सितम्बर, 2020 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (बयालिसवां संशोधन) नियमावली, 2020†

संसदीय कार्य, ग्राम्य विकास, समग्र ग्राम विकास राज्य मंत्री (श्री आनन्द स्वरूप शुक्ल)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-791/ग्यारह-2-20-9(42)-17-उ0प्र0जी0एस0टी0 नियम-2017-आदेश(142)-2020, दिनांक 4 सितम्बर, 2020 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (बयालिसवां संशोधन) नियमावली, 2020 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूँ।

---

† देखिये नत्थी (च) आगे पृष्ठ सं0 312-360 पर।

†† छापी नहीं गयी।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (तैंतालीसवां संशोधन) नियमावली 2020†

संसदीय कार्य, ग्राम्य विकास, समग्र ग्राम विकास राज्य मंत्री (श्री आनन्द स्वरूप शुक्ल)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-823/ग्यारह-2-20—9(42)-17-उ0प्र0 जी0एस0टी0 नियम-2017-आदेश (143)-2020, दिनांक 23 सितम्बर, 2020 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (तैंतालीसवां संशोधन) नियमावली, 2020 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

(इसी मध्य अपराह 03 बजकर 34 मिनट पर अधिष्ठाता श्री मयंकेश्वर शरण सिंह पीठासीन हुए।)

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1038/ग्यारह-2-20-9(47)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश (144)-2020, दिनांक 23 सितम्बर, 2020†

संसदीय कार्य, ग्राम्य विकास, समग्र ग्राम विकास राज्य मंत्री (श्री आनन्द स्वरूप शुक्ल)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1038/ ग्यारह-2-20-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश(144)-2020, दिनांक 23 सितम्बर, 2020 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1039/ग्यारह-2-20-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (145)-2020, दिनांक 23 सितम्बर, 2020†

संसदीय कार्य, ग्राम्य विकास, समग्र ग्राम विकास राज्य मंत्री (श्री आनन्द स्वरूप शुक्ल)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1039/ग्यारह-2-20-9 (47)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश (145)-2020, दिनांक 23 सितम्बर, 2020 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1040/ग्यारह-2-20-9 (47)-17-उ0प्र0अधि0 -1-2017-आदेश (146)-2020, दिनांक 23 सितम्बर, 2020†

संसदीय कार्य, ग्राम्य विकास, समग्र ग्राम विकास राज्य मंत्री (श्री आनन्द स्वरूप शुक्ल)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1040/ ग्यारह-2-20-9 (47)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश (146)-2020, दिनांक 23 सितम्बर, 2020 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

---

† छापी नहीं गयी।

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (चौवालीसवाँ संशोधन) नियमावली, 2020†

संसदीय कार्य, ग्राम्य विकास, समग्र ग्राम विकास राज्य मंत्री (श्री आनन्द स्वरूप शुक्ल)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-820/ग्यारह-2-20-9 (42)-17-उ0प्र0 जी0एस0टी0 नियम-2017-आदेश (147)-2020, दिनांक 29 सितम्बर, 2020 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (चौवालीसवाँ संशोधन) नियमावली, 2020 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1155/ग्यारह-2-20-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (148)-2020, दिनांक 05 अक्टूबर, 2020†

संसदीय कार्य, ग्राम्य विकास, समग्र ग्राम विकास राज्य मंत्री (श्री आनन्द स्वरूप शुक्ल)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1155/ग्यारह-2-20-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (148)-2020, दिनांक 05 अक्टूबर, 2020 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1160/ग्यारह-2-20-9 (42)-17-उ0प्र0 जी0एस0टी0 नियम-2017-आदेश (149)-2020, दिनांक 05 अक्टूबर, 2020†

संसदीय कार्य, ग्राम्य विकास, समग्र ग्राम विकास राज्य मंत्री (श्री आनन्द स्वरूप शुक्ल)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1160/ग्यारह-2-20-9(42)-17-उ0प्र0 जी0एस0टी0 नियम-2017-आदेश (149)-2020, दिनांक 05 अक्टूबर, 2020 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (पैंतालीसवाँ संशोधन) नियमावली, 2020†

संसदीय कार्य, ग्राम्य विकास, समग्र ग्राम विकास राज्य मंत्री (श्री आनन्द स्वरूप शुक्ल)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1154/ग्यारह-2-20–9 (42)-17-उ0प्र0 जी0एस0टी0 नियम-2017-आदेश (150)-2020, दिनांक 13 अक्टूबर, 2020 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (पैंतालीसवाँ संशोधन) नियमावली 2020 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूँ।

---

† छापी नहीं गयी।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1183/ग्यारह-2-20-9 (47)-17-उ0प्र0 अधि0 -1-2017-आदेश (151)-2020 दिनांक 15 अक्टूबर, 2020†

संसदीय कार्य, ग्राम्य विकास, समग्र ग्राम विकास राज्य मंत्री (श्री आनन्द स्वरूप शुक्ल)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1183/ ग्यारह-2-20–9 (47)–17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश (151)-2020, दिनांक 15 अक्टूबर, 2020 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूँ।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1247/ग्यारह-2-20–9 (47)–17-उ0प्र0 अधि0 -1-2017-आदेश (152)-2020, दिनांक 26 अक्टूबर, 2020†

संसदीय कार्य, ग्राम्य विकास, समग्र ग्राम विकास राज्य मंत्री (श्री आनन्द स्वरूप शुक्ल)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1247/ग्यारह-2-20-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (152)-2020, दिनांक 26 अक्टूबर, 2020 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1248/ग्यारह-2-20-9 (47)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश (153)-2020, दिनांक 26 अक्टूबर, 2020†

संसदीय कार्य, ग्राम्य विकास, समग्र ग्राम विकास राज्य मंत्री (श्री आनन्द स्वरूप शुक्ल)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1248/ग्यारह-2-20-9(47)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश (153)-2020, दिनांक 26 अक्टूबर, 2020 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

राज्य कर अनुभाग-2 के शुद्धि-पत्र संख्या-1307/ग्यारह-2-20-9(42)-17-उ0प्र0 जी0एस0टी0 नियम-2017-आदेश (154)-2020, दिनांक 29 अक्टूबर, 2020†

संसदीय कार्य, ग्राम्य विकास, समग्र ग्राम विकास राज्य मंत्री (श्री आनन्द स्वरूप शुक्ल)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से राज्य कर अनुभाग-2 के शुद्धि-पत्र संख्या-1307/ग्यारह-2-20-9(42)-17-उ0प्र0 जी0एस0टी0 नियम-2017-आदेश (154)-2020, दिनांक 29 अक्टूबर, 2020 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूँ।

---

† छापी नहीं गयी।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1245/ग्यारह-2-20-9 (47)-17-उ0प्र0अधि0 -1-2017-आदेश (155)-2020, दिनांक 2 नवम्बर, 2020†

संसदीय कार्य, ग्राम्य विकास, समग्र ग्राम विकास राज्य मंत्री (श्री आनन्द स्वरूप शुक्ल)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1245/ ग्यारह-2-20-9(47)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश (155)-2020 दिनांक 2 नवम्बर, 2020 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूँ।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1246/ग्यारह-2-20-9(47)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश (156)-2020, दिनांक 2 नवम्बर, 2020†

संसदीय कार्य, ग्राम्य विकास, समग्र ग्राम विकास राज्य मंत्री (श्री आनन्द स्वरूप शुक्ल)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1246/ ग्यारह-2-20-9 (47)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश(156)-2020, दिनांक 2 नवम्बर, 2020 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूँ।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1282/ग्यारह-2-20-9 (47)-17-उ0प्र0अधि0 -1-2017-आदेश (157)-2020, दिनांक 2 नवम्बर, 2020†

संसदीय कार्य, ग्राम्य विकास, समग्र ग्राम विकास राज्य मंत्री (श्री आनन्द स्वरूप शुक्ल)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1282/ ग्यारह-2-20-9(47)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश (157)-2020, दिनांक 2 नवम्बर, 2020 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूँ।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1283/ग्यारह-2-20-9(47)-17 उ0प्र0 अधि0 -1-2017-आदेश (158)-2020, दिनांक 2 नवम्बर, 2020†

संसदीय कार्य, ग्राम्य विकास, समग्र ग्राम विकास राज्य मंत्री (श्री आनन्द स्वरूप शुक्ल)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1283/ ग्यारह-2-20-9(47)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश(158)-2020, दिनांक 2 नवम्बर, 2020 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

---

† छापी नहीं गयी।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1284/ग्यारह-2-20-9 (47)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश (159)-2020, दिनांक 2 नवम्बर, 2020†

संसदीय कार्य, ग्राम्य विकास, समग्र ग्राम विकास राज्य मंत्री (श्री आनन्द स्वरूप शुक्ल)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1284/ग्यारह-2-20-9 (47)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश (159)-2020, दिनांक 2 नवम्बर, 2020 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूँ।

राज्य कर अनुभाग-2 के शुद्धि-पत्र संख्या-1381/ग्यारह-2-20-9 (42)-17-उ0प्र0 जी0एस0टी0 नियम-2017-आदेश (161)-2020, दिनांक 27 नवम्बर, 2020†

संसदीय कार्य, ग्राम्य विकास, समग्र ग्राम विकास राज्य मंत्री (श्री आनन्द स्वरूप शुक्ल)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से राज्य कर अनुभाग-2 के शुद्धि-पत्र संख्या-1381/ग्यारह-2-20-9(42)-17-उ0प्र0 जी0एस0टी0 नियम-2017-आदेश (161)-2020, दिनांक 27 नवम्बर, 2020 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूँ।

राज्य कर अनुभाग-2 के शुद्धि-पत्र संख्या-1382/ग्यारह-2-20-9(47)-17-उ0प्र0अधि0 -1-2017-आदेश (162)-2020, दिनांक 27 नवम्बर, 2020†

संसदीय कार्य, ग्राम्य विकास, समग्र ग्राम विकास राज्य मंत्री (श्री आनन्द स्वरूप शुक्ल)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से राज्य कर अनुभाग-2 के शुद्धि-पत्र संख्या-1382/ ग्यारह-2-20-9 (47)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश (162)-2020, दिनांक 27 नवम्बर, 2020 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1371/ग्यारह-2-20-9 (47)-17-उ0प्र0अधि0 -1-2017-आदेश (163)-2020, दिनांक 9 दिसम्बर, 2020†

संसदीय कार्य, ग्राम्य विकास, समग्र ग्राम विकास राज्य मंत्री (श्री आनन्द स्वरूप शुक्ल)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना आदेश संख्या-1371/ग्यारह-2-20-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (163)-2020, दिनांक 9 दिसम्बर, 2020 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

---

† छापी नहीं गयी।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1372/ग्यारह-2-20-9 (47)-17-उ0प्र0 अधि0-1 -2017-आदेश (164)-2020, दिनांक 9 दिसम्बर, 2020†

संसदीय कार्य, ग्राम्य विकास, समग्र ग्राम विकास राज्य मंत्री (श्री आनन्द स्वरूप शुक्ल)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1372/ ग्यारह-2-20-9 (47)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश (164)-2020, दिनांक 9 दिसम्बर, 2020 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1373/ग्यारह-2-20-9(47)-17-उ0प्र0अधि0 -1-2017-आदेश (165)-2020, दिनांक 9 दिसम्बर, 2020†

संसदीय कार्य, ग्राम्य विकास, समग्र ग्राम विकास राज्य मंत्री (श्री आनन्द स्वरूप शुक्ल)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1373/ग्यारह-2-20-9 (47)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश (165)-2020, दिनांक 9 दिसम्बर, 2020 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूँ।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1374/ग्यारह-2-20-9 (47)-17-उ0प्र0अधि0 -1-2017-आदेश (166)-2020, दिनांक 9 दिसम्बर, 2020†

संसदीय कार्य, ग्राम्य विकास, समग्र ग्राम विकास राज्य मंत्री (श्री आनन्द स्वरूप शुक्ल)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1374/ ग्यारह-2-20-9 (47)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश (166)-2020, दिनांक 9 दिसम्बर, 2020 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूँ।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1376/ग्यारह-2-20-9 (47)-17-उ0प्र0 अधि0 -1-2017-आदेश (167)-2020, दिनांक 9 दिसम्बर, 2020†

संसदीय कार्य, ग्राम्य विकास, समग्र ग्राम विकास राज्य मंत्री (श्री आनन्द स्वरूप शुक्ल)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1376/ग्यारह-2-20–9 (47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (167)-2020, दिनांक दिसम्बर, 2020 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

---

† छापी नहीं गयी।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1404/ग्यारह-2-20-9 (47)-17-उ0प्र0अधि0 -1-2017-आदेश (169)-2020, दिनांक 22 दिसम्बर, 2020†

संसदीय कार्य, ग्राम्य विकास, समग्र ग्राम विकास राज्य मंत्री (श्री आनन्द स्वरूप शुक्ल)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1404/ ग्यारह-2-20-9(47)–17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश (169)-2020, दिनांक 22 दिसम्बर, 2020 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-04/ग्यारह-2-20-9 (47)-17-उ0प्र0 अधि0 -1-2017-आदेश (170)-2021, दिनांक 15 जनवरी, 2021†

संसदीय कार्य, ग्राम्य विकास, समग्र ग्राम विकास राज्य मंत्री (श्री आनन्द स्वरूप शुक्ल)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-04/ ग्यारह-2-20-9(47)–17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश (170)-2021, दिनांक 15 जनवरी, 2021 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-03/ग्यारह-2-20-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (171)-2021, दिनांक 20 जनवरी, 2021†

संसदीय कार्य, ग्राम्य विकास, समग्र ग्राम विकास राज्य मंत्री (श्री आनन्द स्वरूप शुक्ल)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-03/ग्यारह-2-20-9 (47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (171)-2021, दिनांक 20 जनवरी, 2021 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् का आर्थिक चिटठा एवं आय-व्यय खाता वित्तीय वर्ष 2017-2018†

संसदीय कार्य, ग्राम्य विकास, समग्र ग्राम विकास राज्य मंत्री (श्री आनन्द स्वरूप शुक्ल)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् का आर्थिक चिट्ठा एवं आय-व्यय खाता वित्तीय वर्ष 2017-2018 को उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, 1965 की धारा-63 की उपधारा (5) के खण्ड (क) की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

---

† छापी नहीं गयी।

उत्तर प्रदेश की सत्रहवीं विधान सभा के प्रथम सत्र, 2020 (दिनांक 13 फरवरी, 2020 से दिनांक 28 फरवरी, 2020 तक) एवं द्वितीय सत्र, 2020 (दिनांक 20 अगस्त, 2020 से दिनांक 22 अगस्त, 2020 तक) में उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-301 के अधीन प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण†

संसदीय कार्य, ग्राम्य विकास, समग्र ग्राम विकास राज्य मंत्री (श्री आनन्द स्वरूप शुक्ल)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश की सत्रहवीं विधान सभा के प्रथम सत्र, 2020 (दिनांक 13 फरवरी, 2020 से दिनांक 28 फरवरी, 2020 तक) एवं द्वितीय सत्र, 2020 (दिनांक 20 अगस्त, 2020 से दिनांक 22 अगस्त, 2020 तक) में उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-301 के अधीन प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया सम्बन्धी निदेश संख्या-14 (3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अपर मुख्य अधिकारी के केन्द्रीय संक्राम्य संवर्ग) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2020†

***पंचायती राज मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी)-**

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से पंचायती राज अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1622/33-2-2020-122 जी-2013 टी0सी0-III, दिनांक 13 अगस्त, 2020 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अपर मुख्य अधिकारी के केन्द्रीय संक्राम्य संवर्ग) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2020 को उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा -237 (3) की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (केन्द्रीय संक्राम्य संवर्ग) (दसवाँ संशोधन) नियमावली 2020†

पंचायती राज मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से पंचायती राज अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1621 /33-2-2020-122जी-2013 टी0सी0-III, दिनांक 13 अगस्त, 2020 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (केन्द्रीय संक्राम्य संवर्ग) (दसवाँ संशोधन) नियमावली 2020 को उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा-237 (3) की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

---

† छापी नहीं गयी।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, आगरा का तेरहवाँ वार्षिक प्रतिवेदन 2015-2016†

संसदीय कार्य, ग्राम्य विकास, समग्र ग्राम विकास राज्य मंत्री (श्री आनन्द स्वरूप शुक्ल)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, आगरा का तेरहवाँ वार्षिक प्रतिवेदन 2015-2016 को कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-394 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, आगरा का चौदहवाँ वार्षिक प्रतिवेदन 2016-2017†

संसदीय कार्य, ग्राम्य विकास, समग्र ग्राम विकास राज्य मंत्री (श्री आनन्द स्वरूप शुक्ल)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, आगरा का चौदहवाँ वार्षिक प्रतिवेदन 2016-2017 को कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-394 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार टिप्पणी सहित सदन के पटल पर रखता हूँ।

उप लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या-01-2017 (उप लो0आ0) (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित)†

संसदीय कार्य, ग्राम्य विकास, समग्र ग्राम विकास राज्य मंत्री (श्री आनन्द स्वरूप शुक्ल)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उप लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या-01-2017 (उप लो0आ0) (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) को उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त एवं उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा-12 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूँ।

श्री अधिष्ठाता-

मद संख्या-40 में कुछ नहीं है।

उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति 2019-2020 का पंचम् प्रतिवेदन†

श्री महबूब अली-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति 2019-2020 का पंचम् प्रतिवेदन, जो भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन (जनरल एवं सोशल सेक्टर) में उल्लिखित व्यावसायिक शिक्षा विभाग से सम्बन्धित ऑडिट आपत्तियों पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूँ।

उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति 2019-2020 का षष्ठम् प्रतिवेदन†

श्री महबूब अली-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति 2019-2020 का षष्ठम् प्रतिवेदन, जो भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 2015

---

† छापा नहीं गया।

को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन (जनरल एवं सोशल सेक्टर) में उल्लिखित ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग से सम्बन्धित ऑडिट आपत्तियों पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूँ।

उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति 2019-2020 का ग्यारहवां प्रतिवेदन†

श्री राम चन्द्र यादव-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति, उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की सावर्जनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति 2019-2020 का ग्यारहवां प्रतिवेदन, जो भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 2000-2001, 2001-2002, 2010-2011 एवं 2012-2013 (वाणि0) में उल्लिखित उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड से सम्बन्धित प्रस्तरों पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूँ।

उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की सावर्जनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति 2019-2020 का बारहवां प्रतिवेदन†

श्री राम चन्द्र यादव-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति, उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की सावर्जनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति 2019-2020 का बारहवां प्रतिवेदन, जो भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 2014-2015 (वाणि0) में उल्लिखित उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड से सम्बन्धित प्रस्तरों पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूँ।

उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की सावर्जनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति 2019-2020 का तेरहवां प्रतिवेदन†

श्री राम चन्द्र यादव-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति, उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की सावर्जनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति 2019-2020 का तेरहवां प्रतिवेदन, जो भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 1998-1999, 2002-2003, 2004-2005 एवं 2008-2009 (वाणि0) में उल्लिखित उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड से सम्बन्धित प्रस्तरों पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूँ।

उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति 2019-2020 का चौदहवां प्रतिवेदन†

श्री राम चन्द्र यादव-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति, उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त

---

† छापा नहीं गया।

समिति 2019-2020 का चौदहवां प्रतिवेदन, जो भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 2012-2013 एवं 2014-2015 (वाणि0) में उल्लिखित उत्तर प्रदेश जल निगम लिमिटेड से सम्बन्धित प्रस्तरों पर आधारित है, को प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति 2019-2020 का पन्द्रहवां प्रतिवेदन†

श्री राम चन्द्र यादव-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति, 2019-2020 का पन्द्रहवां प्रतिवेदन, जो भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 1998-1999 (वाणि0) में उल्लिखित उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड से सम्बन्धित प्रस्तरों पर आधारित है, को प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति 2019-2020 का सोलहवां प्रतिवेदन†

श्री राम चन्द्र यादव-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति, 2019-2020 का सोलहवां प्रतिवेदन, जो भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 2001-2002, 2005-2006 तथा 2006-2007 (वाणि0) में उल्लिखित उत्तर प्रदेश राज्य यार्न कम्पनी लिमिटेड से सम्बन्धित प्रस्तरों पर आधारित है, को प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति 2019-2020 का सत्रहवां प्रतिवेदन†

श्री राम चन्द्र यादव-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति, उ0 प्र0 सत्रहवी विधान सभा की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति 2019-2020 का सत्रहवां प्रतिवेदन, जो भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 1997-1998 (वाणि0) उल्लिखित उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम लिमिटेड से सम्बन्धित प्रस्तरों पर आधारित है, को प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति 2019-2020 का अट्ठारहवां प्रतिवेदन†

श्री राम चन्द्र यादव-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त

---

† छापा नहीं गया।

समिति (2019-2020) का अट्ठारहवां प्रतिवेदन, जो भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष (1999-2000) (वाणि0) में उल्लिखित दि प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कॉरपोरेशन ऑफ उ0प्र0 लिमिटेड से सम्बन्धित प्रस्तरों पर आधारित है, को प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति 2019-2020 का उन्नीसवां प्रतिवेदन†

श्री राम चन्द्र यादव-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति, उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति 2019-2020 का उन्नीसवां प्रतिवेदन, जो भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 2001-2002 (वाणि0) में उल्लिखित उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड से सम्बन्धित प्रस्तरों पर आधारित है, को प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति 2019-2020 का बीसवां प्रतिवेदन†

श्री राम चन्द्र यादव-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति, उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति 2019-2020 का बीसवां प्रतिवेदन, जो भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 2013-2014 (वाणि0) में उल्लिखित उत्तर प्रदेश वन निगम लिमिटेड से सम्बन्धित प्रस्तरों पर आधारित है, को प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की पंचायती राज समिति 2019-20 का प्रथम प्रतिवेदन†

श्री सुनील कुमार शर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से पंचायती राज समिति, उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की पंचायती राज समिति 2019-20 का प्रथम प्रतिवेदन जो मुरादाबाद मण्डल के जनपद-मुरादाबाद की ग्राम पंचायतों से संबंधित ऑडिट आपत्तियों पर आधारित है, को प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की पंचायती राज समिति 2019-20 का द्वितीय प्रतिवेदन†

श्री सुनील कुमार शर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से पंचायती राज समिति उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की पंचायती राज समिति 2019-20 का द्वितीय प्रतिवेदन जो मुरादाबाद मण्डल के जनपद सम्भल की ग्राम पंचायतों से संबंधित ऑडिट आपत्तियों पर आधारित है, को प्रस्तुत करता हूं।

---

† छापा नहीं गया।

उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की पंचायती राज समिति 2019-20 का तृतीय प्रतिवेदन†

श्री सुनील कुमार शर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से पंचायती राज समिति, उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की पंचायती राज समिति 2019-20 का तृतीय प्रतिवेदन जो लखनऊ मण्डल के जनपद-रायबरेली की ग्राम पंचायतों से संबंधित ऑडिट आपत्तियों पर आधारित है, को प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की पंचायती राज समिति 2019-20 का चतुर्थ प्रतिवेदन†

श्री सुनील कुमार शर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से पंचायती राज समिति, उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की पंचायती राज समिति (2019-20) का चतुर्थ प्रतिवेदन जो लखनऊ मण्डल के जनपद-रायबरेली की ग्राम पंचायतों से संबंधित ऑडिट आपत्तियों पर आधारित है, को प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की पंचायती राज समिति 2019-20 का पंचम प्रतिवेदन†

श्री सुनील कुमार शर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से पंचायती राज समिति, उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की पंचायती राज समिति 2019-20 का पंचम प्रतिवेदन जो जनपद-मिर्जापुर, हापुड, रायबरेली, शाहजहांपुर, मेरठ, बुलन्दशहर, आजमगढ़ तथा फिरोजाबाद की जिला पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों तथा ग्राम पंचायतों से संबंधित शिकायती-पत्रों पर आधारित है, को प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की पंचायती राज समिति 2019-20 का षष्ठम् प्रतिवेदन†

श्री सुनील कुमार शर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से पंचायती राज समिति, उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की पंचायती राज समिति (2019-20) का षष्ठम् प्रतिवेदन जो विन्ध्याचल मण्डल के जनपद-मिर्जापुर की ग्राम पंचायतों से सम्बन्धित ऑडिट आपत्तियों पर आधारित है, को प्रस्तुत करता हूँ।

उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की पंचायती राज समिति 2019-20 का सप्तम् प्रतिवेदन†

श्री सुनील कुमार शर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से पंचायती राज समिति, उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की पंचायती राज समिति 2019-20 का सप्तम् प्रतिवेदन जो आगरा व मुरादाबाद मण्डलों के जनपदों की जिला पंचायतों से सम्बन्धित ऑडिट आपत्तियों पर आधारित है, को प्रस्तुत करता हूं।

---

† छापा नहीं गया।

उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की पंचायती राज समिति 2019-20 का अष्टम् प्रतिवेदन†

श्री सुनील कुमार शर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से पंचायती राज समिति, उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की पंचायती राज समिति 2019-20 का अष्टम् प्रतिवेदन जो विन्ध्याचल मण्डल के जनपद-सोनभद्र की ग्राम पंचायतों से सम्बन्धित ऑडिट आपत्तियों पर आधारित है, को प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की पंचायती राज समिति 2019-20 का नवम् प्रतिवेदन†

श्री सुनील कुमार शर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से पंचायती राज समिति, उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की पंचायती राज समिति 2019-20 का नवम् प्रतिवेदन जो आगरा मण्डल के जनपदों की ग्राम पंचायतों से सम्बन्धित ऑडिट आपत्तियों पर आधारित है, को प्रस्तुत करता हूँ।

उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की पंचायती राज समिति 2019-20 का दशम् प्रतिवेदन†

श्री सुनील कुमार शर्मा -

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से पंचायती राज समिति, उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की पंचायती राज समिति 2019-20 का दशम् प्रतिवेदन जो वाराणसी मण्डल के जनपदों की ग्राम पंचायतों से सम्बन्धित ऑडिट आपत्तियों पर आधारित है, को प्रस्तुत करता हूँ।

उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की पंचायती राज समिति 2019-20 का ग्यारहवाँ प्रतिवेदन†

श्री सुनील कुमार शर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से पंचायती राज समिति, उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की पंचायती राज समिति 2019-20 का ग्यारहवाँ प्रतिवेदन जो प्रयागराज एवं वाराणसी मण्डल के जनपदों की क्षेत्र पंचायतों से सम्बन्धित ऑडिट आपत्तियों पर आधारित है, को प्रस्तुत करता हूँ।

उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की पंचायती राज समिति 2019-20 का बारहवाँ प्रतिवेदन†

श्री सुनील कुमार शर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से पंचायती राज समिति, उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की पंचायती राज समिति 2019-20 का बारहवाँ प्रतिवेदन जो अलीगढ़ मण्डल के जनपद-अलीगढ़ की ग्राम पंचायतों से सम्बन्धित ऑडिट आपत्तियों पर आधारित है, को प्रस्तुत करता हूं।

---

† छापा नहीं गया।

उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की पंचायती राज समिति 2019-20 का तेरहवाँ प्रतिवेदन†

श्री सुनील कुमार शर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से पंचायती राज समिति, उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की पंचायती राज समिति 2019-20 का तेरहवाँ प्रतिवेदन जो प्रयागराज व सहारनपुर मण्डल के जनपदों की जिला पंचायतों से सम्बन्धित ऑडिट आपत्तियों पर आधारित है, को प्रस्तुत करता हूँ।

[04:05] श्री बृजेश कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद उन्नाव से सम्बन्धित 03 याचिकाएं†

श्री बृजेश कुमार-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से-

(1) जनपद उन्नाव के विकास खण्ड असोहा के ग्राम कन्दरपुर में होम्योपैथिक अस्पताल स्थापित किए जाने के सम्बन्ध में श्री संजय शुक्ल व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका उपस्थित करता हूँ,

(2) जनपद उन्नाव ग्राम पंचायत असोहा में आश्रम पद्धति स्कूल खोले जाने के सम्बन्ध श्री संजय शुक्ल व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका उपस्थित करता हूं तथा

(3) जनपद उन्नाव के कुटीवीर बाबा, अजयपुर, असोहा में सौन्दर्यीकरण कराए जाने के सम्बन्ध में श्री संजय शुक्ल व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका उपस्थित करता हूं।

श्री बहोरन लाल मौर्य, सदस्य, विधान सभा की जनपद बरेली से सम्बन्धित 06 याचिकाएं†

श्री बहोरन लाल मौर्य-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से-

(1) जनपद बरेली की तहसील बहेड़ी के अन्तर्गत नगर पंचायत देवरनिया में देवरनिया से मुड़िया जागीर तक पक्की सड़क का निर्माण कराए जाने के सम्बन्ध में श्री गुड़पाल व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका,

(2) जनपद बरेली की तहसील बहेड़ी के अन्तर्गत ग्राम भीखमपुर में अन्त्येष्टि स्थल का निर्माण कराए जाने के सम्बन्ध में श्री नत्थू लाल मौर्य व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका,

(3) जनपद बरेली की तहसील बहेड़ी के अन्तर्गत ग्राम गुनाहट्टू में बारात घर (सामुदायिक केन्द्र) का निर्माण कराए जाने के सम्बन्ध में श्री नरपत सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका,

---

† छापा नहीं गया।

(4) जनपद बरेली की तहसील बहेड़ी के अन्तर्गत ग्राम मुहीद्दीनपुर में अन्त्येष्टि स्थल का निर्माण कराए जाने के सम्बन्ध में श्री वीरपाल सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका,

(5) जनपद बरेली की तहसील बहेड़ी के अन्तर्गत ग्राम सलार नगला में अन्त्येष्टि स्थल का निर्माण कराए जाने के सम्बन्ध में श्री मोहन स्वरूप गंगवार व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका, तथा

(6) तथा जनपद बरेली की तहसील बरेली के अन्तर्गत ग्राम प्रह्लादपुर में पंचायत घर का निर्माण कराए जाने के सम्बन्ध श्री श्याम लाल व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका उपस्थित करता हूँ।

श्री कैलाश नाथ सोनकर, सदस्य, विधान सभा की जनपद वाराणसी से सम्बन्धित 15 याचिकाएं†

श्री कैलाश नाथ सोनकर-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से-

1-जनपद वाराणसी के ग्राम गोसाईपुर (महोबा), तहसील सदर में राजभर बस्ती से शंकर जी मंदिर वाया वाराणसी-आजमगढ़ सम्पर्क मार्ग तक पिच रोड निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मनोज कुमार व अन्य निवासीगण जनपद वाराणसी की याचिका,

2-जनपद वाराणसी के ग्राम तेवर, तहसील सदर में तेवर-पलहीपट्टी सम्पर्क मार्ग से पटेल चौराहा होते हुए डीह बाबा मंदिर तक पिच रोड निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेश कुमार व अन्य निवासीगण जनपद वाराणसी की याचिका,

3-जनपद वाराणसी के ग्राम उधोरपुर तहसील सदर में मोती के घर के पास पिच रोड से अम्बेडकर पार्क से होते हुए रामजीत के घर तक पिच रोड निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध श्री मोती राम व अन्य निवासीगण जनपद वाराणसी की याचिका, तथा

4-जनपद वाराणसी के ग्राम चिउरापुर, तहसील पिण्डरा में बाबतपुर-हथिवार सम्पर्क मार्ग से चिउरापुर ठकुरान बस्ती तक पिच रोड का मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राकेश कुमार व अन्य निवासीगण जनपद वाराणसी की याचिका।

श्री अधिष्ठाता-

कैलाशनाथ जी आपकी बाकी सभी याचिकायें उपस्थित मान ली गयी हैं।

श्री कैलाश नाथ सोनकर-

धन्यवाद, मा0 अधिष्ठाता महोदय।

---

† छापी नहीं गयीं।

5-जनपद वाराणसी के ग्राम चिउरापुर, तहसील पिण्डरा में बाबतपुर-हथिवार सम्पर्क मार्ग से चिउरापुर प्रा0वि0 होते हुए अनुसूचित बस्ती तक पिच रोड का मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मेवा राम व अन्य निवासीगण जनपद वाराणसी की याचिका,

6-जनपद वाराणसी के ग्राम कटारी तहसील सदर में आजमगढ़-वाराणसी सम्पर्क मार्ग ग्राम कटारी से ट्यूबवेल होते हुए जगदीशपुर सरहद तक पिच रोड निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्यारे लाल व अन्य निवासीगण जनपद वाराणसी की याचिका,

7-जनपद वाराणसी के ग्राम कटारी, तहसील सदर में आजमगढ़-कटारी (सिहुलिया) सम्पर्क मार्ग से मेला बारी पिच रोड निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्यारे लाल व अन्य निवासीगण जनपद वाराणसी की याचिका,

8-जनपद वाराणसी के ग्राम कटारी, तहसील सदर में आजमगढ़-कटारी (सिहुलिया) सम्पर्क मार्ग से प्यारे लाल प्रधान के घर होते हुए पाल बस्ती तक पिच रोड निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्यारे लाल व अन्य निवासीगण जनपद वाराणसी की याचिका,

9-जनपद वाराणसी के ग्राम निहालापुर, तहसील पिण्डरा में सातोंमहुआ-मंगारी सम्पर्क रोड से निहालापुर पासी बस्ती तक पिच रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेन्द्र सरोज व अन्य निवासीगण जनपद वाराणसी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

10-जनपद वाराणसी के ग्राम गोला, तहसील सदर में वाराणसी-आजमगढ़ सम्पर्क मार्ग ग्राम गोला मेन रोड से हनुमान मंदिर से होते हुए ओमप्रकाश चौबे के घर तक पिच रोड निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विरेन्द्र कुमार व अन्य निवासीगण जनपद वाराणसी की याचिका,

11-जनपद वाराणसी के ग्राम भोपापुर, तहसील पिण्डरा में राजेन्दर पटेल के पान के दुकान से मटरू पहलवान के घर तक पिच रोड निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेन्द्र पटेल व अन्य निवासीगण जनपद वाराणसी की याचिका,

12-जनपद वाराणसी के ग्राम माधोपुर, तहसील पिंडरा में माधौपुर गेट से चौरा माता मन्दिर तक पिच रोड निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री नेता राजभर, निवासी जनपद वाराणसी की याचिका,

13-जनपद वाराणसी के ग्राम शहडीह, तहसील सदर में दुर्गा नगर से खनुहट बाबा मन्दिर होते हुए प्यारेलाल चौहान के घर तक पिच रोड का मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री चन्द्रमा गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद वाराणसी की याचिका,

14-जनपद वाराणसी के ग्राम बाबतपुर (नेवादा घाट), तहसील सदर में श्याम जी सिंह के घर के सामने से पं0 राम प्रवेश इन्टर कालेज से होते हुए नेवादा घाट तक पिच रोड का

मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री श्याम जी व अन्य निवासीगण जनपद वाराणसी की याचिका, तथा

15-जनपद वाराणसी के ग्राम हरदासीपुर, तहसील सदर में शारदा सहायक नहर हरडीह से नियार पुरेधुसा, हरदासीपुर पिच रोड तक पिच रोड निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री पारस नाथ व अन्य निवासीगण जनपद वाराणसी की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयीं जायेगी।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 सदस्य आप लोग एक-एक पढ़ दें, बाकी सब उपस्थित मान ली जायेंगी।

श्री मो0 फईम इरफान, सदस्य, विधान सभा की जनपद सम्भल से सम्बन्धित 01 तथा जनपद मुरादाबाद से सम्बन्धित 04 याचिकाएं†

मो0 फईम इरफान-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से-

1-जनपद सम्भल में बिलारी विधान सभा क्षेत्र की 28 ग्राम पंचायतों में स्थायी शमशान घाट बनाने के सम्बन्ध में श्री जसवीर सिंह, निवासी जनपद सम्भल की याचिका,

2-जनपद मुरादाबाद में नई ग्राम पंचायत बनाने के सम्बन्ध में श्री मौहम्मद उसमान, निवासी जनपद मुरादाबाद की याचिका,

3-जनपद मुरादाबाद के विकास खण्ड के अन्तर्गत ग्राम पंचायत मौहम्मद इब्राहीमपुर के समस्त अवशेष पात्र आवेदकों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के सम्बन्ध में श्रीमती अफरोज, निवासी जनपद मुरादाबाद की याचिका,

4-जनपद मुरादाबाद के विकास खण्ड में समस्त पात्रों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिये जाने के सम्बन्ध में श्री सईद अहमद, निवासी जनपद मुरादाबाद की याचिका, तथा

5-जनपद मुरादाबाद के विकास खण्ड बिलारी में ग्राम पंचायत मौहम्मद इब्राहीमपुर को न्याय पंचायत नरायनपुर देवा से हटाकर सीमावर्ती अन्य किसी न्याय पंचायत में सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में श्री मुजस्सिम कमाल, निवासी जनपद मुरादाबाद की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयीं।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की जनपद रायबरेली से सम्बन्धित 06 तथा जनपद लखनऊ से सम्बन्धित 02 याचिकाएं†

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से-

---

† छापी नहीं गयीं।

1-जनपद रायबरेली के विकास खण्ड रोहनियां की ग्राम पंचायत रसूलपुर समसपुर से लक्ष्मणगंज तक 500 मी0 मार्ग का निर्माण कराये जाने विषयक श्री नवीन जायसवाल की याचिका,

2-जनपद रायबरेली के विकास खण्ड ऊंचाहार के अन्तर्गत गोकना गंगाघाट पर शवदाह गृह केन्द्र स्थापित कराये जाने विषयक श्री बृजेश यादव की याचिका,

3-जनपद रायबरेली के अन्तर्गत ऊंचाहार में स्थित एन0टी0पी0सी0 परियोजना में चिमनी का निर्माण तालाब की भूमि पर कराये जाने विषयक श्री मनीष शुक्ला, निवासी जनपद रायबरेली की याचिका,

4-जनपद रायबरेली के अन्तर्गत ऊंचाहार में बस स्टेशन की स्थापना कराये जाने विषयक श्री आशीष तिवारी, निवासी जनपद रायबरेली की याचिका,

5-जनपद रायबरेली में स्थित एन0टी0पी0सी0 परियोजना से उत्पन्न प्रदूषण से फैल रहे रोगों की रोकथाम का उपाय किए जाने विषयक श्री पप्पू सिंह, निवासी जनपद रायबरेली की याचिका,

6-जनपद रायबरेली के विकास खण्ड डलमऊ स्थित गोकल ऋषि के नाम पर स्थित गोकना घाट को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किए जाने विषयक श्री बृजेश यादव की याचिका,

7-लखनऊ स्थित लोकमान्यगंज चौबे जी का हाता सब्जी मण्डी चारबाग में टूटी नालियों व चोक सीवर को ठीक कराये जाने विषयक सुश्री निशा शर्मा, निवासी जनपद लखनऊ की याचिका, तथा

8-लखनऊ स्थित विकास खण्ड गोमतीनगर में मकान संख्या-3/66 मकान संख्या-3/70 तक क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत कराये जाने विषयक श्रीमती बृजभान सिंह की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयीं।

श्री मूलचन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद जालौन से सम्बन्धित 03 याचिकाएं†

श्री मूलचन्द्र सिंह-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से-

1-जनपद जालौन, तहसील माधोगढ़ के अन्तर्गत नहर को पक्का कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जगरूप सिंह व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका,

2-जनपद जालौन, तहसील कोंच के अन्तर्गत कोंच नगर में परिवहन निगम का रोडवेज बस स्टैण्ड बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री शिवकुमार निरंजन व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका, तथा

---

† छापी नहीं गयीं।

3-जनपद जालौन, तहसील माधोगढ़ के अन्तर्गत टीहर माइनर को पक्का कराये जाने के सम्बन्ध में श्री महेश दीक्षित व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयीं।

श्री किशन लाल राजपूत, सदस्य, विधान सभा की जनपद पीलीभीत से सम्बन्धित याचिका†

1-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद पीलीभीत में कृषि महाविद्यालय स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में श्री रनवीर सिंह व अन्य निवासीगण जनपद पीलीभीत की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री विनोद कटियार, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर देहात से सम्बन्धित 08 याचिकाएं†

1-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद कानपुर देहात के ग्राम देवराहट में यमुना नदी पर पुल बनवाने के सम्बन्ध में सुश्री अनीता सचान व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर देहात की याचिका,

2-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद कानपुर देहात के भोगनीपुर के कतिपय ग्रामों में पानी की टंकियां लगाये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेश कठेरिया व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर देहात की याचिका,

3-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद कानपुर देहात के भोगनीपुर के ग्राम नेरा कृपालपुर, मलासा, बीबापुर, अंगदपुर एवं दौलतपुर में राजकीय नलकूप लगाये जाने के सम्बन्ध में श्री राजीव तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद कानुपर देहात की याचिका,

4-मान्यवर, मै आपकी अनुज्ञा से जनपद कानपुर देहात के विकास खण्ड मलासा, राजपुर, अमरौधा, में कतिपय ग्रामों के मार्गों का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री संदीप सचान व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर देहात की याचिका,

5-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद कानपुर देहात के भोगनीपुर में रेलवे लाइन के ऊपर ओवरब्रिज बनाये जाने के सम्बन्ध श्री राजेश कठेरिया व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर देहात की याचिका,

6-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद कानपुर देहात के ग्राम उरसान से निम्दापुर जाने वाले बम्बा पर पुल बनाने के सम्बन्ध में श्रीमती अनीता सचान व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर देहात की याचिका,

7-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद कानपुर देहात के अन्तर्गत विकास खण्ड अमरौधा के ग्राम पनियामऊ से नोनापुर के बीच का मार्ग बहुत ही जर्जर है, मरम्मत कराने के सम्बन्ध में श्रीमती अनीता सचान व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर देहात की याचिका, तथा

---

† छापी नहीं गयीं।

8-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद कानपुर देहात के विकास खण्ड सरवनखेडा के ग्राम गजनेर में माध्यमिक राजकीय विद्यालय स्थापित कराने के सम्बन्ध में श्रीमती अनीता सचान व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर देहात की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयीं।

श्री हाकिम लाल बिन्द, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ से सम्बन्धित 01 तथा जनपद प्रयागराज से सम्बन्धित 02 याचिकाएं†

श्री हाकिम लाल बिन्द-

1-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद लखनऊ के गोविन्द नगर, नरपतखेड़ा पारा स्थित मुख्य मार्ग (नाला पुलिया से पहले) से श्री नरेश सिंह (बेकरी वाले) के आवास तक दूरी लगभग 50 मी0 तक क्षतिग्रस्त कच्चे मार्ग में इण्टरलॉकिंग एवं नाली निर्माण कराये जाने सम्बन्ध में श्री मुकेश कुमार पाण्डेय व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका,

2-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद प्रयागराज के विकास खण्ड हण्डिया के अन्तर्गत नेशनल हाई-वे एन0एच0-2 से रहीम पट्टी प्रधानमंत्री सड़क तक का मार्ग के नव निर्माण/ चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अनिल कुमार व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका, तथा

3-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद प्रयागराज के विकास खण्ड धनुपुर के ग्राम बन्दीपटी-जगदीशपुर सम्पर्क मार्ग चवरवा चौहान बस्ती से बन्दीपटी बिन्द बस्ती तक मार्ग का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शेषधर बिन्द व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयीं।

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, इसमें एक-एक याचिका पढ़वा दें और बाकी उससे सम्बद्ध करा दें।

श्री अधिष्ठाता-

जी, वही कह रहे हैं लेकिन माननीय सदस्यगण पढ़ रहे हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

अधिष्ठाता महोदय, इससे थोड़ा समय कम लगेगा चूंकि 4 बिल भी हैं।

श्री अधिष्ठाता-

एक-एक याचिका सब लोग पढ़ दें और बाकी प्रस्तुत हुई मान ली जायेंगी।

(नाम पुकारे जाने एवं उनके अनुपस्थित होने पर)

---

† छापी नहीं गयीं।

श्री रमेश चन्द्र मिश्र, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर से सम्बन्धित 05 याचिकाएं†

1-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद जौनपुर तहसील के अन्तर्गत एन0एच0-56 सिंगरामऊ मिश्रौली से इमिलियाघाट पट्टी नरेन्द्रपुर होते हुए सरपतहा मोड़ एन0एच0-05 तक जौनपुर-सुल्तानपुर-प्रतापगढ़-रायबरेली को जोड़ने वाली प्रमुख सड़कों का चौडीकरण व उच्चीकृत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री संजय सिंह व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर की याचिका,

2-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद जौनपुर के तहसील बदलापुर अन्तर्गत एन0एच0-56 कलिंजरा मोड़ से एन0एच0-231 मछलीशहर तक जौनपुर-सुल्तानपुर-प्रतापगढ़-रायबरेली को जोड़ने वाली प्रमुख सड़क का चौड़ीकरण व उच्चीकृत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राहुल सिंह व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर की याचिका,

3-जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र बदलापुर के अन्तर्गत विकास खण्ड बदलापुर में राजकीय होम्योपैथिक अस्पताल का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में श्री विनोद शर्मा व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर की याचिका,

4-जनपद जौनपुर के विकास खण्ड बदलापुर में ग्राम हरिहरपुर में निर्मित पानी की टंकी के जले हुए मोटर को बदलने के सम्बन्ध में श्री राहुल मिश्रा व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर की याचिका, तथा

5-जनपद जौनपुर के विकास खण्ड बदलापुर में ग्राम घनश्यामपुर में निर्मित पानी की टंकी के जले हुए मोटर को बदलने के सम्बन्ध में श्री मुन्ना तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयीं।

श्री अधिष्ठाता-

आपकी बाकी सभी याचिकाएँ प्रस्तुत हुई मान ली गयीं।

श्री अधिष्ठाता-

श्री रोशन लाल वर्मा अपनी याचिका प्रस्तुत करें।

(सदस्य अनुपस्थित होने पर)

श्री अधिष्ठाता-

श्री रजनीकान्त मणि त्रिपाठी अपनी याचिका प्रस्तुत करें।

(सदस्य अनुपस्थित होने पर)

श्री शशांक त्रिवेदी, सदस्य, विधान सभा की जनपद सीतापुर से सम्बन्धित 04 याचिकाएं†

श्री शशांक त्रिवेदी-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से-

---

† छापी नहीं गयीं।

1-जनपद सीतापुर के विकास खण्ड महोली के अन्तर्गत ग्राम सढ़ियामऊ में सढ़ियामऊ से ग्राम उरदौली तक सड़क का डामरीकरण एवं पक्की सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अनूप वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद सीतापुर की याचिका,

2-जनपद सीतापुर के विकास खण्ड महोली के अन्तगर्त ग्राम गुजिया में कठिना नदी पर रपटा पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री अजय मिश्रा व अन्य निवासीगण जनपद सीतापुर की याचिका,

3-जनपद सीतापुर के विकास खण्ड महोली के अन्तर्गत ग्राम तकिया में तकिया से ग्राम महुआकोला तक पक्की सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दिवाकर व अन्य निवासीगण जनपद सीतापुर की याचिका, तथा

4-जनपद सीतापुर के विकास खण्ड महोली के अन्तर्गत ग्राम कटिघरा में बारात घर का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सियाराम व अन्य निवासीगण जनपद सीतापुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयीं।

श्री अधिष्ठाता-

श्री संजय प्रताप जायसवाल अपनी याचिका प्रस्तुत करें।

(सदस्य के अनुपस्थित होने पर)

श्री सुभाष राय, सदस्य, विधान सभा की जनपद अम्बेडकरनगर से सम्बन्धित 05 याचिकाएं†

श्री सुभाष राय-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से-

1-जनपद अम्बेडकरनगर के बाजार मालीपुर से उमरन-सैरपुर मार्ग लगभग 02.00 कि0मी0 को पक्का मार्ग बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री जयराज वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर की याचिका,

2-जनपद अम्बेडकरनगर के तहसील जलालपुर के अन्तर्गत कर्बला कासिमपुर से रफीगंज तक नहर पटरी लम्बाई 06.00 किमी0 का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री महेन्द्र यादव व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर की याचिका,

3-जनपद अम्बेडकरनगर के तहसील जलालपुर के अन्तर्गत विकास खण्ड भियांव में विजयनगर से बोगीकोल सम्पर्क मार्ग लम्बाई लगभग 03.50 किमी0 तक का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री पवन शर्मा व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकर नगर की याचिका,

4-जनपद अम्बेडकरनगर के तहसील जलालपुर के अन्तर्गत विकास खण्ड भियांव में ग्राम गोपरी चांदपुर में 132/33 विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में श्री जनार्दन मिश्र व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर की याचिका, तथा

---

† छापी नहीं गयीं।

5-जनपद अम्बेडकरनगर के तहसील जलालपुर के अन्तर्गत रामगढ़ से भियांव मार्ग लगभग 01.50 किमी0 का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राकेश यादव व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयीं।

श्री सुरेन्द्र मैथानी, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर से सम्बन्धित 05 याचिकाएं†

श्री सुरेन्द्र मैथानी-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से-

1-जनपद कानपुर में गोविन्द नगर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत जोन-5 में नई सीवर लाइन बिछाये जाने के सम्बन्ध में श्री चन्द्रमणि चौबे व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर की याचिका,

2-जनपद कानपुर में गोविन्द नगर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत जोन-6 में नई सीवर लाइन बिछाये जाने के सम्बन्ध में श्री अरविन्द सिंह व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर की याचिका,

3-जनपद कानपुर के अन्तर्गत स्थित गुजैनी से दबौली को जोड़ने वाली पुलिया का निर्माण करने के सम्बन्ध में श्री नीरज गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर की याचिका,

4-जनपद कानपुर में गोविन्द नगर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित पनकी नौरैयाखेड़ा से सी0टी0आई0 चौराहे (शनि मंदिर) तक नहर के दोनों तरफ नहर पटरी पक्की करवाने के सम्बन्ध में श्री विपिन दुबे व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर की याचिका तथा

5-जनपद कानपुर नगर विधान सभा क्षेत्र में पेयजल की वैकल्पिक आपूर्ति व खराब पड़े हैण्डपम्पों को रि-बोर कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दीपक सिंह व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयीं।

श्री सत्यवीर त्यागी, सदस्य, विधान सभा की जनपद मेरठ से सम्बन्धित 05 याचिकाएं†

श्री सत्यवीर त्यागी-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से-

1-जनपद मेरठ के अन्तगर्त ग्राम सेतकुआं ब्लाक खरखौदा ग्राम सेतकुआ से ग्राम पांची तक सड़क बनाने के सम्बन्ध में श्री पप्पू व अन्य निवासीगण जनपद मेरठ की याचिका,

2-जनपद मेरठ के अन्तगर्त ग्राम साधारणपुर गुरूकुल से नवीपुर शहजादपुर मार्ग तक ब्लाक रजपुरा जाने वाले रास्ते का डामरीकरण कराने के सम्बन्ध में श्री रामे प्रधान व अन्य निवासीगण जनपद मेरठ की याचिका,

---

† छापी नहीं गयीं।

3-जनपद मेरठ के अन्तर्गत ब्लाक रजपुरा ग्राम नंगली आजमाबाद में भुल्लन के खेत से की याचिका, छौईया तक नाला बनाने के सम्बन्ध में श्री अनिल चपराणा व अन्य निवासीगण जनपद मेरठ की याचिका,

4-जनपद मेरठ के अन्तर्गत ग्राम रजपुरा ब्लाक खरखौदा ग्राम मुस्सदी के घर से तालाब तक नाला बनवाने के सम्बन्ध में श्री प्रमोद कुमार व अन्य निवासीगण जनपद मेरठ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, तथा

5-जनपद मेरठ के अन्तर्गत ग्राम रहदरा से ग्राम गांवडी तक ब्लाक माछरा जाने वाले रास्ते का डामरीकरण कराने के सम्बन्ध में श्री सतेन्द्र त्यागी व अन्य निवासीगण जनपद मेरठ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयीं।

श्री जवाहर लाल राजपूत, सदस्य, विधान सभा की जनपद झांसी से सम्बन्धित 03 तथा जनपद उन्नाव से सम्बन्धित 02 याचिकाएं†

श्री जवाहर लाल राजपूत-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से-

1-जनपद झांसी में लखेरी नदी पर स्किल पठ्ठा पर बना चेकडैम की सफाई व मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मयंक गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद झांसी की याचिका,

2-जनपद उन्नाव के भगवन्तनगर क्षेत्र की तहसील बीघापुर की ग्राम पंचायत त्रिपुरारपुर के ग्राम रम्मा खेड़ा में बरातघर बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रशान्त लोधी व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

3-जनपद झांसी के ब्लाक मोंठ में बेलमा गांव के जूनियर हाई स्कूल को उच्चीकुत किये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरजीत सिंह व अन्य निवासीगण जनपद झांसी की याचिका,

4-जनपद झांसी के ब्लाक गुरसराय में निजी ट्यूबवेलों की ढीली व लटकती विद्युत लाइनों को ऊँचा करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री जाहर सिंह राजपूत व अन्य निवासीगण जनपद झांसी की याचिका, तथा

5-जनपद उन्नाव की ब्लाक पुरवा के ग्राम पंचायत रामाअमरापुर के अन्तगर्त चमियानी माइनर की पटरी पर ग्राम हुलिया खेड़ा से पुरवा अचलगंज मार्ग तक डामर रोड बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री बेनी प्रसाद वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयीं।

श्री अधिष्ठाता-

श्री जटा शंकर त्रिपाठी अपनी याचिका प्रस्तुत करें।

---

† छापी नहीं गयीं।

(सदस्य के अनुपस्थित होने पर)

श्री नवाब जान, सदस्य, विधान सभा की जनपद मुरादाबाद से सम्बन्धित 04 याचिकाएं†

श्री नवाब जान-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से-

1-जनपद मुरादाबाद के विकास खण्ड डिलारी, तहसील ठाकुरद्वारा के ग्राम वसावनपुर नई ग्राम पंचायत बनाने के सम्बन्ध में श्री शमीम अहमद व अन्य निवासीगण जनपद मुरादाबाद की याचिका,

2-जनपद मुरादाबाद के विकास खण्ड ठाकुरद्वारा के ग्राम पण्डितपुर को नई ग्राम पंचायत बनाने के सम्बन्ध में श्री भूपेन्द्र सिंह, निवासी जनपद मुरादाबाद की याचिका,

3-जनपद मुरादाबाद के विकास खण्ड डिलारी, तहसील ठाकुरद्वारा के ग्राम ततारपुर को ग्राम पंचायत बनाने के सम्बन्ध में श्री जुल्फिकार अली व अन्य निवासीगण जनपद मुरादाबाद की याचिका, तथा

4-जनपद मुरादाबाद के विकास खण्ड ठाकुरद्वारा के ग्राम निर्मलपुर को नई ग्राम पंचायत बनाने के सम्बन्ध में श्री सुभाष सिंह निवासी जनपद मुरादाबाद की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयीं।

श्री अधिष्ठाता-

श्री अभिजीत सिंह सांगा अपनी याचिका प्रस्तुत करें।

(सदस्य के अनुपस्थित होने पर)

श्री अनिल सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद उन्नाव से सम्बन्धित 05 याचिकाएं†

श्री अनिल सिंह-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से-

1-जनपद उन्नाव के विकास खण्ड असोहा के अन्तर्गत कतिपय मार्गों का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुनील रावत व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

2–जनपद उन्नाव के विकास खण्ड बिछिया के अन्तर्गत ग्राम विशुनपुर मजरा गोडवा विशुनपुर में प्राचीन एवं ग्रामीणों की आस्था का प्रतीक नोखेदास बाबा मंदिर का जीर्णोद्धार/सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री भानुप्रताप सिंह व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

3–जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र पुरवा की नगर पंचायत मौरावां के अन्तर्गत 100 बेड का नवनिर्मित अस्पताल संचालित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बृजेश शुक्ला व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

---

† छापी नहीं गयीं।

4-जनपद उन्नाव के विकास खण्ड हिलौली के अन्तर्गत ग्राम असरी खेडा में किसानों की फसल सिंचाई हेतु राजकीय नलकूल लगवाए जाने के सम्बन्ध में श्री मुकेश त्रिपाठी व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका, तथा

5-जनपद उन्नाव के विकास खण्ड हिलौली के अन्तर्गत ग्राम घनी खेड़ा हिलौली में किसानों की फसल सिंचाई हेतु राजकीय नलकूप लगवाए जाने के सम्बन्ध में श्री राजन दीक्षित व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका की हुई मानी गयीं।

श्री आनन्द शुक्ला, सदस्य, विधान सभा की जनपद चित्रकूट से सम्बन्धित 16 याचिकाएं†

श्री आनन्द शुक्ला-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से-

1-जनपद चित्रकूट के ग्राम पंचायत तेन्दुवामाफी, विकास खण्ड मऊ में एन0एच0-35 से गुन्ता माइनर होते हुए ग्राम पंचायत तेन्दुवामाफी के मजरा मवईखुर्द के शिवालय तक लगभग 2.5 किमी0 रोड व चौड़ीकरण कराने के सम्बन्ध में श्री रामबाबू द्विवेदी व अन्य निवासीगण जनपद चित्रकूट की याचिका,

2-जनपद चित्रकूट में नई तहसील सृजन किये जाने के सम्बन्ध में श्री मनोज कुमार तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद चित्रकूट की याचिका,

3-जनपद चित्रकूट के ग्राम पंचायत बरगढ पाठा क्षेत्र में सामुदायिक केन्द्र प्रतिस्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सत्यनारायण कोल व अन्य निवासीगण जनपद चित्रकूट की याचिका,

4-जनपद चित्रकूट के विकास खण्ड रामनगर में बल्हौरा से उफरौली सम्पर्क मार्ग होते हुए सिरावल सम्पर्क मार्ग तक लगभग 5 कि0मी0 रोड बनवाने के सम्बन्ध में श्री संजय सिंह व अन्य निवासीगण जनपद चित्रकूट की याचिका,

5-जनपद चित्रकूट के ग्राम पंचायत बरगढ़ के अशोक चौराहे से डभौरा रींवा मध्य प्रदेश को जोड़ने वाली सीमान्त सड़क बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री शुभम द्विवेदी व अन्य निवासीगण जनपद चित्रकूट की याचिका,

6-जनपद चित्रकूट के विकास खण्ड रामनगर में रूपौली ग्राम से शिव बाबा के स्थान तक लगभग 02 कि0मी0 रोड बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेश दत्त त्रिपाठी व अन्य निवासीगण जनपद चित्रकूट की याचिका,

7-जनपद चित्रकूट के ग्राम पंचायत खोह में रेलवे लाइन पर निर्माणाधीन ओवर ब्रिज को अति शीघ्र निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मुन्ना लाल प्रजापति व अन्य निवासीगण जनपद चित्रकूट की याचिका,

---

† छापी नहीं गयीं।

8-जनपद चित्रकूट के विकास खण्ड मानिकपुर के ग्राम पंचायत सरैंया के सरैंया कोलान बस्ती से गर्गनपुरवा तक लगभग 02 कि0मी0 रोड बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री शिवऔतार शुक्ला व अन्य निवासीगण जनपद चित्रकूट की याचिका,

9-जनपद चित्रकूट के विकास खण्ड मानिकपुर के ग्राम पंचायत बगरेही में बगरेही मेन रोड से जारिहा नाला होते हुए सुन्दर पुरवा तक 03 कि0मी0 रोड बनवाने के सम्बन्ध में श्री शिवसहाय व अन्य निवासीगण जनपद चित्रकूट की याचिका,

10-जनपद चित्रकूट के विकास खण्ड मानिकपुर के ग्राम पंचायत इटवा के मछरिहा बांध की ऊँचाई बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में श्री देव नारायण पाण्डेय व अन्य निवासीगण जनपद चित्रकूट की याचिका,

11-जनपद चित्रकूट के विकास खण्ड मानिकपुर व रामनगर के अन्तर्गत विभिन्न ग्राम पंचायतों के निराश्रित आदिवासी कोल समाज के लोगों को आवास दिलाये जाने के सम्बन्ध में श्री सौखी लाल कोल व अन्य निवासीगण जनपद चित्रकूट की याचिका,

12-जनपद चित्रकूट के विकास खण्ड मानिकपुर के ग्राम पंचायत किहुनियां में ब्लास्ट कूप के अधूरे निर्माण को पूरा कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सीता राम व अन्य निवासीगण जनपद चित्रकूट की याचिका,

13-जनपद चित्रकूट के विकास खण्ड मानिकपुर में रानीपुर मेन रोड से गिदुरहा तक सम्पर्क मार्ग लगभग 04 कि0मी0 रोड बनवाने के सम्बन्ध में श्री मनोज तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद चित्रकूट की याचिका,

14-जनपद चित्रकूट के विकास खण्ड मानिकपुर में बगरहा बांध को संकीर्ण से बड़ा रूप दिये जाने के सम्बन्ध में श्री दिनकर पाण्डेय व अन्य निवासीगण जनपद चित्रकूट की याचिका,

15-जनपद चित्रकूट के विकास खण्ड मानिकपुर के ग्राम पंचायत इटवा मजरा-छोटी पाटिन में बसहड़ी नाला में पुल निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री उमेश कोल व अन्य निवासीगण जनपद चित्रकूट की याचिका, तथा

16-जनपद चित्रकूट के विकास खण्ड मानिकपुर के ग्राम पंचायत चर में भौंरी सम्पर्क मार्ग से सोमनाथ मंदिर होते हुए चर ग्राम पंचायत तक लगभग 2.50 कि0मी0 रोड बनवाने के सम्बन्ध में श्री श्रीकान्त पाण्डेय व अन्य निवासीगण जनपद चित्रकूट की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयीं।

श्री अधिष्ठाता-

श्री गंगा अपनी याचिका प्रस्तुत करें।

(सदस्य के अनुपस्थित होने पर)

श्री लोकेन्द्र प्रताप सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखीमपुर खीरी से सम्बन्धित 04 याचिकाएं†

श्री लोकेन्द्र प्रताप सिंह-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से-

1-जनपद लखीमपुर खीरी के अन्तर्गत तहसील मोहम्मदी के अन्तर्गत नगर पंचायत बरबर से ग्राम डिलावरनगर तक पक्की डामर सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती पूनम तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद लखीमपुर खीरी की याचिका,

2-जनपद लखीमपुर खीरी के अन्तर्गत ब्लाक पसगवां के ग्राम भानौली से ग्राम सिमरा जानीपुर से कांकरघाट तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अनुज कुमार सिंह व अन्य निवासीगण जनपद लखीमपुर खीरी की याचिका,

3-जनपद लखीमपुर खीरी के अन्तर्गत तहसील मोहम्मदी के अन्तर्गत ग्राम सिमराजानीपुर कांकरघाट गोमती नदी पर पौराणिक टेढ़ेनाथ मन्दिर जाने हेतु पुल/रपटा का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रदीप मिश्रा व अन्य निवासीगण जनपद लखीमपुर की याचिका, तथा

4-जनपद लखीमपुर खीरी के तहसील मोहम्मदी के अन्तर्गत ग्राम उचौलिया में सुचारू विद्युत आपूर्ति हेतु 33/11 के0बी0ए0 विद्युत सब-स्टेशन का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अमरीश तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद लखीमपुर खीरी की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयीं।

श्री अधिष्ठाता-

श्रीमती शुचिस्मिता मौर्या अपनी याचिका प्रस्तुत करें।

(सदस्या के अनुपस्थित होने पर)

श्री मुकेश चन्द्र वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद फिरोजाबाद से सम्बन्धित 06 याचिकाएं तथा जनपद आगरा से सम्बन्धित 04 याचिकाएं†

श्री मुकेश चन्द्र वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से-

1-जनपद फिरोजाबाद की तहसील फिरोजाबाद में ए0के0 टॉकीज छारबाग से गंगा पाठशाला सोफीपुर आश्रम से खप्पर वाले बाबा के आश्रम तक सी0सी0 निर्माण कार्य कराने के सम्बन्ध में श्री सुनील शर्मा व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

2-जनपद आगरा की तहसील बाह में ब्लाक बाह के अन्तर्गत ग्राम पुरा शिवलाल में खिल्ली से पुरा शिवलाल तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामगोपाल व अन्य निवासीगण जनपद आगरा की याचिका,

---

† छापी नहीं गयीं।

3-जनपद आगरा की तहसील बाह में ब्लाक पिनाहट के अन्तर्गत ग्राम बीच के पुरा में क्योरी हनुमान मंदिर से बीच के पुरा तक सम्पर्क मार्ग बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री पुष्पेन्द्र व अन्य निवासीगण जनपद आगरा की याचिका,

4-जनपद आगरा की तहसील बाह में ब्लाक पिनाहट के अन्तर्गत ग्राम ऊपरीपुरा में क्योरी हनुमान मंदिर से ऊपरीपुरा तक सम्पर्क मार्ग बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री राधेश्याम व अन्य निवासीगण जनपद आगरा की याचिका,

5-जनपद फिरोजाबाद की विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के अन्तर्गत ग्राम बरगदपुर में महेश के घर से होकर सैय्यद वाली रास्ता से होकर भगवान सिंह की ठार तक सम्पर्क मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में श्री मातादीन व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

6-जनपद फिरोजाबाद की विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के अन्तर्गत ग्राम सौरारा में प्राथमिक पाठशाला सौरारा से सुनील कुमार के घर तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण के सम्बन्ध में श्री त्रिलोकीनाथ व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

7-जनपद आगरा के अन्तर्गत तहसील बाह के ब्लाक पिनाहट के ग्राम तासौड में पिनाहट राजा खेडा रोड से ग्राम तासौड तक सम्पर्क मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में श्री केशव शर्मा व अन्य निवासीगण जनपद आगरा की याचिका,

8-जनपद फिरोजाबाद की तहसील फिरोजाबाद में ग्राम पिलुआ चकरा में मोतीराम मझवार के घर से थान सिंह के घर तक सी0सी0 निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मोतीराम मझवार व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

9-जनपद फिरोजाबाद की तहसील फिरोजाबाद में ग्राम पिलुआ चकरा में मोतीराम मझवार के घर से इन्द्रपाल के घर के सामने से होते हुए वीरेन्द्र के घर तक सी0सी0 निर्माण कार्य कराने के सम्बन्ध में श्री मोतीराम मझवार व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका, तथा

10-जनपद फिरोजाबाद की तहसील फिरोजाबाद के ग्राम नगला उदी में आर0डी0वी0 कॉलेज से बलराम के घर तक सी0सी0 निर्माण कार्य कराने के सम्बन्ध में श्री नौरंगी लाल व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयीं।

डा0 सत्य प्रकाश मणि त्रिपाठी उर्फ गुड्डू बाबू, सदस्य, विधान सभा की जनपद देवरिया से सम्बन्धित 05 याचिकाएं†

डॉ0 सत्य प्रकाश मणि त्रिपाठी उर्फ गुड्डू बाबू-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से-

† छापी नहीं गयीं।

1-जनपद देवरिया के विधान सभा क्षेत्र देवरिया में रूद्रपुर मेन रोड से ग्राम सभा जंगल ठकुरही तक जर्जर सम्पर्क मार्ग की मरम्मत के सम्बन्ध में श्री विनोद मिश्रा व अन्य निवासीगण जनपद देवरिया की याचिका,

2-जनपद देवरिया में विधान सभा क्षेत्र देवरिया के नाथ नगर में विद्युत हाईटेंशन तार हटाने के सम्बन्ध में श्री शास्वत पाण्डेय व अन्य निवासीगण जनपद देवरिया की याचिका,

3-जनपद देवरिया में विधान सभा क्षेत्र देवरिया के ग्राम सभा हाटा मठिया प्राथमिक विद्यालय से कुरथिया पिच रोड निर्माण के सम्बन्ध में श्री धर्मेन्द्र सिंह व अन्य निवासीगण जनपद देवरिया की याचिका,

4-जनपद देवरिया में विधान सभा क्षेत्र देवरिया की ग्राम सभा सिरजम में पिच रोड की मरम्मत के सम्बन्ध में श्री योगेश्वर उपाध्याय व अन्य निवासीगण जनपद देवरिया की याचिका, तथा

5-जनपद देवरिया के ग्राम सभा इजरही से कोल्हुआ जर्जर सड़क मार्ग के मरम्मत के सम्बन्ध में श्री मनीष चन्द्र त्रिपाठी व अन्य निवासीगण जनपद देवरिया की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयीं।

डॉ0 डी0सी0 वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद हाथरस से सम्बन्धित 02 तथा जनपद बरेली से सम्बन्धित 03 याचिकाएं†

डॉ0 डी0सी0 वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से-

1-जनपद हाथरस की तहसील सादाबाद के ग्राम नगला गूलर से सिन्दुरा तक मार्ग निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कैलाश व अन्य निवासीगण जनपद हाथरस की याचिका,

2-जनपद बरेली की तहसील मीरगंज के मीरगंज हल्दी सिहौर मार्ग पर नगरिया सादात रेलवे क्रासिंग पर ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री वीर पाल पाण्डे व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका,

3-जनपद बरेली की तहसील मीरगंज के ग्राम बल्लिया शीशगढ़ मार्ग के धनेटा रेलवे क्रासिंग पर ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध श्री हरिराम लोधी व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका,

4-जनपद बरेली की तहसील मीरगंज के ग्राम औरंगाबाद में पश्चिम की ओर नाले पर पुलिया का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री संजय शर्मा व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका, तथा

---

† छापी नहीं गयीं।

5-जनपद हाथरस की तहसील सादाबाद के ग्राम मई से बाया गढ़, नयाबाग तक मार्ग निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में सुश्री चित्रा चौधरी व अन्य निवासीगण जनपद हाथरस की याचिका प्रस्तुत की हुई मानी गयीं।

डॉ0 नीरज बोरा, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ से सम्बन्धित 05 याचिकाएं†

डॉ0 नीरज बोरा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से-

1-जनपद लखनऊ ठाकुरगंज स्थित राजकीय संयुक्त चिकित्सालय में कुशल चिकित्सकों एवं उपकरणों की सुविधा उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अनुराग पाण्डेय व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका,

2-जनपद लखनऊ के अलीगंज डंडइया बाजार से रैदास मंदिर को जाने वाले मुख्य मार्ग का डीप ड्रेन सहित निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री पृथ्वी गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका,

3-जनपद लखनऊ अलीगंज केन्द्रीय विद्यालय के निकट से कुर्सी रोड को जाने वाले मुख्य मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में श्री राघव राम तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका,

4-जनपद लखनऊ निरालानगर में बाबा रामशरण दास मंदिर से कुर्सी रोड को जोड़ने वाली सड़क के निर्माण के सम्बन्ध में श्री सुदर्शन कटियार व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका, तथा

5-जनपद लखनऊ के प्रसिद्ध मनकामेश्वर मंदिर एवं पुराना हनुमान मंदिर अलीगंज के परिसर के सौन्दर्यीकरण के सम्बन्ध में श्री रंजीत सिंह व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयीं।

(इसी मध्य 04 बजकर 25 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

श्री अध्यक्ष-

डॉ0 अरूण कुमार जी याचिका प्रस्तुत करें।

डॉ0 अरूण कुमार जी नहीं हैं।

डॉ0 अनीता लोधी राजपूत, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर से सम्बन्धित 04 याचिकाएं†

डॉ0 अनीता लोधी राजपूत-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से-

---

† छापी नहीं गयीं।

1-जनपद बुलन्दशहर की तहसील डिबाई के अन्तर्गत ग्राम-मुमरेजपुर के प्राइमरी स्कूल के पीछे तालाब की सफाई किये जाने के सम्बन्ध में श्री देवेन्द्र सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका,

2-जनपद बुलन्दशहर की तहसील डिबाई के अन्तर्गत खैरपुर पुल से तलवार गांव तक 500 मी0 डामरीकरण किये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रेम सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका,

3-जनपद बुलन्दशहर की तहसील डिबाई के अन्तर्गत नील कोठी मखेना से घोसीपुरा गेट तक डामरीकरण किये जाने के सम्बन्ध में श्री रामगोपाल व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका, तथा

4-जनपद बुलन्दशहर की तहसील डिबाई के अन्तर्गत चमेड़ी सम्पर्क मार्ग से महादेव मन्दिर तक लगभग 500 मी0 सड़क निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में श्री राम वीर फौजी व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयीं।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-99 एवं मद संख्या-101 में कुछ नहीं है। अब मद संख्या-102 लेते हैं।

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

अध्यक्ष जी, एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय अध्यक्ष जी, इस सदन की परम्परा रही है कि जो सदस्यगण इस सदन में 25 वर्ष पूरे कर लेते हैं। उनको आपकी तरफ से सम्मानित किया जाता है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

अध्यक्ष जी ने मद संख्या-102 पुकार दिया है। इसके बाद ले लें।

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

मान्यवर, हमको एक मिनट सुन लीजिए।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

वह हमें मालूम है। हम आपके प्रस्ताव का समर्थन करेंगे।

श्री अध्यक्ष-

इस पर चर्चा की जरूरत नहीं है।

[04:27] उ0 प्र0 लोक एवं निजी सम्पत्ति विरूपण निवारण विधेयक, 2021†

***संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-**

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश लोक एवं निजी सम्पत्ति विरूपण निवारण विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा माँगता हूँ।

---

† छापा नहीं गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश लोक एवं निजी सम्पत्ति विरूपण निवारण विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाये?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश लोक एवं निजी सम्पत्ति विरूपण निवारण विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करता हूँ।

[04:28] उत्तर प्रदेश गुण्डा नियन्त्रण (संशोधन) विधेयक, 2021†

***संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-**

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश गुण्डा नियन्त्रण (संशोधन) विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश गुण्डा नियन्त्रण (संशोधन) विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करने की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश गुण्डा नियन्त्रण (संशोधन) विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करता हूँ।

श्रीमती शुचिस्मिता मौर्य-

मान्यवर, मेरी याचिका छूट गई है, उसको ले लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

जितनी याचिकाएं प्रस्तुत करने से रह गई हैं उन सभी याचिकाओं को प्रस्तुत किया हुआ माना जायेगा।

[04:29] श्री पल्टूराम, सदस्य, विधान सभा की जनपद बलरामपुर से सम्बन्धित 03 याचिकाएं†

1. जनपद बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र-294, बलरामपुर सदर के शासन द्वारा नामित नगर पालिकाओं के सभासदगणों को यात्रा भत्ता दिलाये जाने के सम्बन्ध में श्री बृजेन्द्र तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद बलरामपुर की याचिका,

---

† छापी नहीं गयीं।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

2. जनपद बलरामपुर के प्रशिक्षण संस्थान (डायट) में प्रशिक्षण प्रारम्भ कराये जाने के सम्बन्ध में श्री महेश मिश्रा व अन्य निवासीगण जनपद बलरामपुर की याचिका तथा

3. जनपद बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र-294, बलरामपुर सदर के अन्तर्गत विकास खण्ड बलरामपुर सदर के ग्राम सभा घूघुलपुर में रोडवेज बस अड्डा निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री ऋषिराज मिश्रा व अन्य निवासीगण जनपद बलरामपुर की याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गयीं।

श्री रोशन लाल वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद बलरामपुर से सम्बन्धित 02 याचिकाएं†

1. जनपद शाहजहांपुर के ब्लाक निगोही के अन्तर्गत हटा दलेलपुर डामर रोड से ग्राम कपेंड़ कटका तक (छूटी कड़ी) कच्चे गड्ढायुक्त मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री संजीव वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहांपुर की याचिका तथा

2. जनपद शाहजहांपुर के ब्लाक निगोही के अन्तर्गत बुढानपुर डामर रोड से ग्राम उदयपुर कटैया तक (छूटी कड़ी) कच्चे गड्ढायुक्त मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मो0 राशिद व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहांपुर की याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गयीं।

श्री रजनीकान्त मणि त्रिपाठी, सदस्य, विधान सभा की जनपद वाराणसी से सम्बन्धित 01 याचिका†

1. जनपद वाराणसी के ग्राम रमैला, पो0 अमौली एवं ग्राम मिश्रपुरा, पो0 छितौनी में आवास उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में श्री शिवम पाठक व अन्य निवासीगण जनपद वाराणसी से सम्बन्धित याचिका उपस्थित की हुई मानी गयीं।

श्री संजय प्रताप जायसवाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद बस्ती से सम्बन्धित 04 याचिकाएं†

1. जनपद बस्ती के विकास खण्ड रामनगर के मुख्य मार्ग शेखपुर से चन्दोखा मिश्रौलिया तक नवनिर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री गिरजेश कुमार व अन्य निवासीगण जनपद बस्ती की याचिका,

2. जनपद बस्ती के विकास खण्ड रामनगर के अन्तर्गत मुख्य मार्ग भानपुर मैलानी मार्ग से कटया मार्ग का नवनिर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अरविन्द कुमार पाण्डेय व अन्य निवासीगण जनपद बस्ती की याचिका,

3. जनपद बस्ती के विकास खण्ड रामनगर के प्राइमरी पाठशाला से ईटहिया जाने वाले मार्ग का नवनिर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री गंगा सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बस्ती की याचिका तथा

---

† छापी नहीं गयीं।

4. जनपद बस्ती के विकास खण्ड रामनगर के भानपुर से पकरी आने जाने वाले मार्ग का नवनिर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री महेन्द्र गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद बस्ती की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयीं।

श्री जटाशंकर त्रिपाठी, सदस्य, विधान सभा की जनपद कुशीनगर से सम्बन्धित 05 याचिकाएं†

1. जनपद कुशीनगर में खड्डा विधान सभा क्षेत्र 329 कुशीनगर में स्वीकृत होम्योपैथिक मेडिकल कालेज का निर्माण कार्य के लिये धनराशि जारी कराने के सम्बन्ध में श्री राजेन्द्र व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर की याचिका,

2. जनपद कुशीनगर में खड्डा विधान सभा क्षेत्र 329 कुशीनगर में नारायणी नदी पर हाइड्रो पॉवर प्लान्ट की स्थापना कराने के सम्बन्ध में श्री विरेन्द्र व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर की याचिका,

3. जनपद कुशीनगर में जनसहभागिता आधारित बाढ़ प्रबन्धन स्थापना हेतु बाढ़ आधारित शोध केन्द्र पनियहवां में स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में श्री जनार्दन व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर की याचिका,

4. जनपद कुशीनगर में खड्डा विधान सभा क्षेत्र में मनरेगा कार्यवृत्ति से नारायणी नदी के बेसिन में बसने वाले गाँवों के लिए पीपा पुल के दोनों तरफ (पीपा पुल की कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग कुशीनगर) ब्रिक्स सोलिंग इण्टरलॉकिंग निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री लक्ष्मी व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर की याचिका तथा

5. जनपद कुशीनगर में खड्डा विधान सभा क्षेत्र 329 में चीनी मिल की स्थापना के सम्बन्ध में श्री राजाराम व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री अभिजीत सिंह सांगा, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर नगर से सम्बन्धित 01 याचिका†

जनपद कानपुर के अन्तर्गत भौती से भौतीखेड़ा एवं भौतीखेड़ा से रामगंगा नहर वाया सुरार दूल भूल पुल तक सड़क का नव निर्माण के सम्बन्ध में श्री धर्मेन्द्र पाल व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर नगर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयीं।

श्री गंगा, सदस्य, विधान सभा की जनपद कुशीनगर से सम्बन्धित 01 याचिका†

जनपद कुशीनगर के विकास खण्ड तमकुहीराज के ग्राम पंचायत बरवा राजा पकड़ में हनुमान मन्दिर स्थित पोखरा (कुशीनगर) में सौन्दर्यीकरण एवं भवन निर्माण कराये जाने के

† छापी नहीं गयीं।

सम्बन्ध में श्री कन्हैया शर्मा व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयीं।

श्रीमती शुचिस्मिता मौर्या, सदस्य, विधान सभा की जनपद मिर्जापुर से सम्बन्धित 04 याचिकाएं†

1. जनपद मिर्जापुर के विकास खण्ड पहाड़ी में ग्राम सभा बेलवन के चण्डिका ग्राम में ट्यूबवेल अधिष्ठापन किये जाने के सम्बन्ध में श्री अजय ओझा व अन्य निवासीगण जनपद मिर्जापुर की याचिका,

2. जनपद मिर्जापुर के विकास खण्ड पहाड़ी में ग्राम सभा चण्डिका ग्राम में मां चण्डिका के प्राचीन मंदिर जाने वाली सड़क एवं नाली का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विजय नारायण तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद मिर्जापुर की याचिका,

3. जनपद मिर्जापुर के ग्राम सभा माधोपुर, पो0 पैड़ापुर में नदी पर पुलिया (रपटा) का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अरूण मालवीय व अन्य निवासीगण जनपद मिर्जापुर की याचिका तथा

4. जनपद मिर्जापुर के ग्राम सभा खरहरा पो0 सण्डवा मिर्जापुर के बिन्द बस्ती की सड़क लम्बाई 1.5 कि0मी0 का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री तहसीलदार पाण्डेय व अन्य निवासीगण जनपद मिर्जापुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयीं।

डॉ0 अरूण कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद बरेली से सम्बन्धित 02 याचिकाएं†

1. जनपद बरेली के विधान सभा सदर बरेली के वार्ड नं0 1 मुंशीनगर में गोकुल डेरी के सामने श्री अशोक गुप्ता, श्री अतेन्द्र कुमार यादव तथा श्री राजन मैसी व शशी गुप्ता के घर के सामने से पीपल पेड़ से मुड़कर दलजीत सिंह के मकान तक सड़क एवं नाली निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मुनीश सक्सेना व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका तथा

2. जनपद बरेली के विधान सभा सदर के वार्ड नं0 16 संजयनगर में एल0वी0एस0 कान्वेंट स्कूल के निकट होली चौराहे से संजयनगर चौराहे तक नाली एवं सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अवनेश व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयीं।

[04:30] कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष-

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 23 फरवरी, 2021 की बैठक में सिफारिश की है कि दिनांक 24 फरवरी, 2021 को निम्नलिखित विधेयकों की विचार एवं पारण सम्बन्धी मदें ले ली जाय :-

1. उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2021

---

† छापी नहीं गयीं।

2. उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक, 2021

3. उत्तर प्रदेश शैक्षिक संस्था (अध्यापक संवर्ग में आरक्षण) विधेयक, 2021

4. उत्तर प्रदेश पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा तथा विधिमान्यकरण विधेयक, 2021

शेष कार्यक्रम यथावत् रखा जाय।

***संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-**

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश, जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन को दी गई है, से सहमत है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव जो माननीय संसदीय कार्यमंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है, से यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

[04:32 बजे] नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 24.02.2021 को कुल 37 सूचनाएं प्राप्त हुई, जिसमें 22 माननीय सदस्यों की सूचनाएं स्वीकार की गई हैं:-

पहली सूचना श्री शैलेन्द्र यादव ''ललई'' की जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मल्हनी अन्तर्गत ग्राम चक मिर्जापुर में कृष्ण कुमार यादव उर्फ पुजारी एवं राजकुमार यादव की हत्या किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

मा0 शैलेन्द्र जी चाहते हैं कि वह अपनी सूचना को पढ़ें, उन्हें पढ़ने की अनुमति दी जाती है।

***श्री शैलेन्द्र यादव "ललई"-**

माननीय अध्यक्ष जी, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद आपको मान्यवर, कानून-व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब है।

श्री अध्यक्ष-

आप अपनी सूचना को पढ़िये, ये तो सूचना के बाहर से बोल रहे हैं।

श्री शैलेन्द्र यादव "ललई"-

मान्यवर, पहले तो सिर्फ अपराधी ही मारते थे अब अपराधी और पुलिस दोनों मार रहे हैं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(सदस्य श्री शैलेन्द्र यादव ''ललई'' के द्वारा सूचना पढ़ी गई, अन्य सदस्यों की स्वीकृत सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गईं, पढ़ी मानी गई सूचनाएं संलग्न हैं।)

1. श्री शैलेन्द्र यादव ललई की जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मल्हनी अन्तर्गत ग्राम चक मिर्जापुर में कृष्ण कुमार यादव उर्फ पुजारी एवं राजकुमार यादव की हत्या किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, 2. श्री राम प्रताप उर्फ शशिकान्त वर्मा की जनपद लखनऊ के अन्तर्गत पारा क्षेत्र स्थित पारा रेलवे क्रासिंग पर ओवर ब्रिज का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, 3. श्री धर्मेन्द्र कुमार सिंह शाक्य "पप्पू भइया" की जनपद बदायूँ के विधान सभा क्षेत्र शेखूपुर अन्तर्गत कतिपय मार्गों/बाईपास का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, 4. श्री सत्यवीर त्यागी की जनपद मेरठ के विधान सभा क्षेत्र किठौर अन्तर्गत ग्राम अमरपुर चन्द्रपाल के मकान से तालाब तक सी0 सी0 टाइल्स का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, 5. डा0 अनिल कुमार मौर्य की लखनऊ नगर निगम अन्तर्गत शिवानी विहार कालोनी कल्याणपुर में मार्ग का नवीनीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, 6. श्री अमिताभ बाजपेई की नगर निगम कानपुर द्वारा गृह कर में वृद्धि किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, 7. श्री उमाशंकर सिंह की जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र रसड़ा के अन्तर्गत खुले विद्युत तारों एवं जर्जर पोलों को हटाते हुए अंडर ग्राउण्ड केबिल लगवाये जाने के सम्बन्ध में है, 8. श्री प्रभु नारायण सिंह यादव की जनपद चन्दौली अन्तर्गत चन्दौली, सकलडीहा, सैदपुर घाट सम्पर्क मार्ग का जीर्णोद्धार एवं सुदृढीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, 9. श्री वीरेन्द्र कुमार यादव की महामायानगर, तकरोही, इन्दिरा नगर लखनऊ के कॉलोनी में सड़क बनवाये जाने एवं स्ट्रीट लाइट लगवाये जाने के सम्बन्ध में है, 10. श्री आजाद अरिमर्दन की प्रदेश के डी0आर0डी0ए0 कर्मियों को पेंशन दिलाये जाने के सम्बन्ध में है, 11. श्री नरेश सैनी की जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र बेहट अन्तर्गत कतिपय स्थानों पर पुलों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, 12. श्री प्रमोद उटवाल की जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र पुरकाजी अन्तर्गत ग्राम सिमर्थी से बरला-बसेड़ा रोड़ तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, 13. कुँ0 नरेन्द्र पाल सिंह की जनपद जालौन के विकास खण्ड अन्तर्गत कुठौंद के ग्राम शेखपुर बुजुर्ग व हीरापुर के मध्य पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, 14. श्री राम चन्द्र यादव की जनपद अयोध्या के विधान सभा क्षेत्र रूदौली अन्तर्गत सिंचाई नहर खण्ड के अतिथि गृह का जीर्णोद्धार एवं बाउन्ड्रीवॉल कराये जाने के सम्बन्ध में है, 15. मसूद अख्तर की जनपद सहारनपुर के ब्लाक पुवांरका अन्तर्गत अम्बाला रोड थरौली रजवाहे के पुल से चिलकाना रोड तक मार्ग का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, 16. डॉ0 सोमेन्द्र तोमर की जनपद मेरठ में खाद्य पदार्थों में थूक, पेशाब व अन्य अपशिष्ट पदार्थ मिलाने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु कानून बनाये जाने के सम्बन्ध में है, 17. श्री उज्जवल रमण सिंह की उत्तर प्रदेश राज्य सम्पत्ति विभाग में मोटर चालक संघ सचिवालय को सुविधायें सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में है, 18. श्री संजय गर्ग की कोरोना के संकट काल के समय लॉक डाऊन के दौरान व्यापारिक

प्रतिष्ठान बन्द होने के कारण अप्रैल, मई व जून 2020 के विद्युत बिल माफ किये जाने के सम्बन्ध में है, 19. डॉ0 मुकेश चन्द्र वर्मा जनपद फिरोजाबाद के तहसील शिकोहाबाद द्वारा विमुक्ति जाति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में है, 20. श्री आलम बदी की जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र निजामाबाद अन्तर्गत आजमगढ़ के खण्ड-2 की सड़कों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, 21. श्री मयंकेश्वर शरण सिंह की जनपद उन्नाव के विकास खण्ड एफ-84 अन्तर्गत ग्राम राजेपुर में ग्राम समाज की भूमि को भूमाफियाओं से मुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में है तथा 22. श्री विजय कुमार राजभर की जनपद मऊ के विधान सभा क्षेत्र घोसी अन्तर्गत गन्ना मिल के पास नाले का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है।

(सदन की सहमति से स्वीकृत सभी सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गयीं।)

निम्न माननीय सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार कर दी गयीः-

क्रम सं.	नाम	क्रम सं.	नाम
1.	श्री ज्ञान तिवारी	9.	श्री फतेह बहादुर
2.	श्री सहेन्द्र सिंह चौहान	10.	श्री सुभाष राय
3.	श्री बृजभूषण राजपूत उर्फ गुड्डू भइया	11.	श्री नफीस अहमद
4.	श्री प्रेम नारायण पाण्डेय	12.	श्री लकी यादव
5.	डॉ0 श्याम बिहारी लाल	13.	श्री विजेन्द्र सिंह
6.	श्री लाल बहादुर	14.	मोम्मद असलम ''राईनी'' (एडवोकेट)
7.	श्री काली प्रसाद	15.	श्री आनन्द शुक्ला
8.	श्रीमती उषा सिरोही		

जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मल्हनी अन्तर्गत ग्राम चक मिर्जापुर में कृष्ण कुमार यादव उर्फ पुजारी एवं राजकुमार यादव की हत्या किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री शैलेन्द्र यादव ललई-

[मान्यवर, आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ। विधान सभा क्षेत्र मल्हनी, जनपद जौनपुर के ग्राम चक मिर्जापुर, थाना बक्शा निवासी कृष्ण कुमार यादव उर्फ पुजारी पुत्र श्री तिलकधारी यादव की हत्या दिनांक 12-02-2021 को पुलिस अभिरक्षा में कर दी गयी। थाना बक्शा पुलिस उनके घर में लूटपाट करके पकड़ कर थाने ले गयी और थाने में बुरी तरह पीट-पीट कर मार डाला। पुलिस की मार

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

से एक होनहार युवक की मौत हो गई। पुलिस अपने बचने के लिए तरह-तरह की कहानी बना रही है। जनता के दबाव पर किसी तरह मुकदमा तो दर्ज हुआ। परन्तु पुलिस कर्मियों को न तो बर्खास्त किया गया और न ही उनकी गिरफ्तारी की गयी। तत्काल दोषी पुलिस कर्मियों को बर्खास्त करते हुए गिरफ्तारी की जाय। इसी प्रकार दिनांक 16-02-2021 को श्री राजकुमार यादव, ग्राम प्रधान मखमेलपुर थाना सराय ख्वाजा जनपद जौनपुर की भी हत्या कर दी गयी। उसमें भी अपराधियों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। अपराधियों की तत्काल गिरफ्तारी करते हुए रासुका की कार्यवाही की जाय। दोनों मृतक के परिवारों को 50-50 लाख रुपया आर्थिक सहायता एवं परिवार के एक-एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाय। इस प्रकार जिला में तो कई हत्यायें की गयीं और प्रदेश स्तर पर आये दिन हत्यायें हो रही हैं। कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी हैं। उक्त घटनाओं से प्रदेश में भय का वातावरण पैदा हो गया है लोगों में भारी रोष एवं असन्तोष व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के गम्भीर विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद लखनऊ के अन्तर्गत पारा क्षेत्र स्थित पारा रेलवे क्रासिंग पर ओवर ब्रिज का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम प्रताप उर्फ शशिकान्त वर्मा-

[मान्यवर, जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र लखनऊ पश्चिम के अन्तर्गत पारा क्षेत्र में रेलवे लाइन गुजरती है, जोकि व्यस्ततम रेलवे मार्ग है, जिससे पारा रेलवे क्रासिंग पर अत्यधिक जाम लगा रहता है। तथा आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। जिससे आम जनमानस को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उक्त स्थान पर ओवर ब्रिज बनाए जाने की नितांत आवश्यकता है।

अतः आपके माध्यम से इस सम्मानित सदन का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर शीघ्रातिशीघ्र पारा रेलवे क्रासिंग पर ओवर ब्रिज बनाए जाने की माँग करता हूँ।]

जनपद बदायूँ के विधान सभा क्षेत्र शेखूपुर अन्तर्गत कतिपय मार्गों/बाईपास का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री धर्मेन्द्र कुमार सिंह शाक्य "पप्पू भइया"-

[मान्यवर, सादर, अवगत कराना है कि जनपद बदायूँ के विधान सभा क्षेत्र शेखूपुर अन्तर्गत निम्नलिखित सड़कों/बाईपास का निर्माण कराया जाना जनहित में अत्यन्त आवश्यक है :-

---

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

1-ककराला बदायूँ मार्ग से गभियाई नगला होते हुए बेहता अम्बेडकरनगर तक मार्ग अत्यन्त जर्जर है का निर्माण कराया जाना आवश्यक है।

2-कादर चौक बदायूँ मार्ग से सिसइया नगला चौराहे से शिवाए हामिदपुर मार्ग का निर्माण कराया जाना आवश्यक है।

3-विकास खण्ड जगत के जगत पतसा मार्ग से सलेमपुर मार्ग अत्यन्त जर्जर हालत में है जिसका निर्माण कराया जाना आवश्यक है।

4-विधान सभा क्षेत्र शेखूपुर के नगर पालिका परिषद ककराला में भीषण जाम लगने से लोगों को असुविधा होती है। तथा दुर्घटनाएं होती हैं। उक्त नगर में बाईपास का निर्माण कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

उपरोक्त सड़कों/बाईपास का निर्माण कार्य कराया जाना जनहित में आवश्यक है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्टि किये जाने की मांग करता हूँ ताकि तत्काल उक्त सड़कों/बाईपास का निर्माण कराया जा सके।]

जनपद मेरठ के विधान सभा क्षेत्र किठौर अन्तर्गत ग्राम अमरपुर में चन्द्रपाल के मकान से तालाब तक सी0सी0 टाइल्स का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सत्यवीर त्यागी-

[मान्यवर, मेरी विधान सभा क्षेत्र 46, किठौर जनपद मेरठ के अन्तर्गत ग्राम अमरपुर में चन्द्रपाल के मकान से तलाब तक लगभग 320 मीटर मार्ग अत्यन्त जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है। ग्रामवासियों को आने-जाने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। जनहित में इस मार्ग का सी0सी0 टाईल्स निर्माण कार्य कराया जाना नितान्त आवश्यक है।

अतः मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए वक्तव्य की मांग करता हूं।]

लखनऊ नगर निगम अन्तर्गत शिवानी विहार कालोनी कल्याणपुर में मार्ग का नवीनीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डॉ0 अनिल कुमार मौर्य-

[मान्यवर, आपके माध्यम से सरकार का ध्यान अविलम्बनीय विषय में कराना चाहूँगा कि लखनऊ नगर निगम अन्तर्गत पिकनिक स्पाट रोड स्थित शिवानी विहार/अबरार नगर गेट से होते हुये, सेक्टर ए शिवानी विहारी वाया 23/1 ए शिवानी विहार कल्याणपुर तक की सम्पूर्ण

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

रोड का निर्माण कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है। उक्त मार्ग के जर्जर अवस्था में होने के कारण आम जनमानस को अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

अतः आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कर लखनऊ नगर निगम अन्तर्गत उक्त मार्ग का निर्माण कराये जाने की मांग करता हूँ।]

नगर निगम कानपुर द्वारा गृह कर में वृद्धि किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अमिताभ वाजपेई-

[मान्यवर, आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। नगर निगम के अधिकारी सन् 2021 में 01-04-2016 से सामान्य कर (गृह कर) की वसूली हेतु 10 गुना तक गृह कर बढ़ा कर नोटिस/बिल जारी किये गये है। नियमानुसार नगरवासियों को सुनवाई का कोई मौका नहीं दिया जा रहा। एक ही वित्तीय वर्ष 20-21 में एक ही व्यक्ति को तीन-तीन बार बिल दिये जा रहे हैं और हर एक में अलग अलग गृह कर की राशि दर्शाई जा रही हैं। उदाहरण स्वरूप जोन-नं0 5 के अन्तर्गत निराला नगर कानपुरवासियों को अनाप शनाप गृह कर बढ़ाकर बिल दिये गए और 01-04-2016 से बकाया भी मांगा जा रहा हैं। यहां की जनता निम्न मध्यम आय वर्ग की है और वह इतना "कर" बोझ नहीं उठा सकती है।

महोदय सामान्य कर की गणना करने के प्रावधान धारा-174 उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम, 1959 में उल्लिखित है। जिनका अनुपालन नहीं किया जा रहा है। अतः इस लोक महत्व के विषय पर सरकार को वक्तव्य दिये जाने और तत्काल गृह कर की अवैध वसूली निरस्त की जाने एवं दोषी अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासत्मक कार्रवाई की माँग करता हूं।]

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र रसड़ा के अन्तर्गत खुले विद्युत तारों एवं जर्जर पोलों को हटाते हुये अण्डरग्राउन्ड केबिल लगवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री उमाशंकर सिंह-

[मान्यवर, मैं एक अत्यन्त ज्वलन्त एवं जनहित के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये सदन को यह अवगत कराना चाहता हूं कि मेरी विधान सभा क्षेत्र रसड़ा के आदर्श नगर पालिका क्षेत्र में घनी आबादी में विगत कई दशक पूर्व विद्युतीकरण का कार्य किया गया था जो कि आज अत्यधिक जर्जर अवस्था में है यहां पर लगे अधिकांश मोहल्लों में विद्युत पोल एवं तारें जीर्ण शीर्ण एवं जर्जर अवस्था में है तथा जर्जर विद्युत पोलों एवं खुले तार की वजह से यहां पर अक्सर विद्युत दुर्घटनायें हो रही है जिससे जन धन का भारी नुकसान हो रहा है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

नगर पालिका रसड़ा अन्तर्गत थाना कोतवाली से उत्तर पट्टी शिव मंदिर तक, थाना कोतवाली से गोरया स्थान होते हुए मल्लाह टोली तक पुरानी मस्जिद से कोठी स्कूल तक, तहसीलदार बंगला से पानी टंकी तक, ठाकुरबाड़ी दुर्गा मंदिर से प्राइवेट बस स्टैण्ड तक, रोशन शाह मजार से पश्चिम मुहल्ला शिवाला तक एवं रामलीला मैदान से नाथ बाबा चौराहे तक के अतिरिक्त नगर पालिका के अन्य मोहल्लों में भी अण्डरग्राउण्ड केबिल लगाये जाने की महती आवश्यकता है।

अतः जनहित एवं लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर रसड़ा विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत नगर पालिका क्षेत्र रसड़ा नगर के उपरोक्त मोहल्ले में लगे जर्जर विद्युत पोलों एवं तारों को हटाते हुए अण्डरग्राउण्ड केबिल लगाये जाने हेतु शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्रवाई/वक्तव्य की मांग करता हूँ।]

जनपद चन्दौली अन्तर्गत चन्दौली सकलडीहा, सैदपुर घाट सम्पर्क मार्ग का जीर्णोद्धार एवं सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रभुनारायन सिंह यादव-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ कि जनपद चन्दौली बहुत ही महत्वपूर्ण सम्पर्क मार्ग चन्दौली-सकलडीहा-सैदपुर घाट सम्पर्क मार्ग जो वर्तमान समय में गंगा नदी पर बने पुल जो सैदपुर घाट पर व बलुआ घाट को जोड़ता है। वर्तमान स्थिति में यह सम्पर्क मार्ग पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। बड़े-बड़े गड्ढे हो चुके है। चूँकि यह सम्पर्क मार्ग से बिहार बार्डर व नेपाल बार्डर तक आना जाना रहता है। इस सड़क से ट्रक, टैंकरों आदि भारी वाहनों का आवागमन इन्हीं सम्पर्क मार्ग से होकर गुजरते हैं। वर्ष 2007 में इस सड़क का चौड़ीकरण लोक निर्माण विभाग द्वारा कराया गया था, तब से आज तक इसका जीर्णोद्धार नहीं किया गया है। जबकि पूर्वांचल के जनपदो में इसी रास्ते से बिहार व नेपाल के बार्डर तक डीजल लेकर टैकर जाते रहते है। वर्तमान समय में जनहित को ध्यान में रखते हुए आम जनता व भारी वाहनों के संचालन में हो रही परेशानियों को देखते हुए उपर्युक्त सम्पर्क मार्ग जीर्णोद्धार एवं निर्माण कार्य कराया जाना जनहित में अतिआवश्यक है।

अतः इस गम्भीर विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुये आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट किये जाने की मांग करता हूं ताकि इसका जीर्णोद्धार व निर्माण कार्य हो सके।]

महामायानगर, तकरोही, इन्दिरानगर, लखनऊ के कालोनी में सड़क बनवाये जाने एवं स्ट्रीट लाइट लगवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री वीरेन्द्र कुमार यादव-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं कि जनपद लखनऊ के अन्तर्गत महामायानगर, तकरोही इन्दिरानगर, लखनऊ के खुशराम वर्मा, योगेन्द्र राय, रवि पाण्डेय आदि के मकानो के सामने सड़कों की हालत बहुत

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

खराब हो गयी है। बरसात के दिनों उक्त कालोनी के बच्चों को स्कूल जाने में काफी परेशानी होती है। क्योंकि बरसात के दिनों सड़क न होने के कारण पानी भर जाता है। और बिजली के पोल भी नहीं लगाये गये है। जिसके कारण रात में अधेरा बना रहता है। ऐसी स्थिति में कालोनी के लोगों को आये दिन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जनहित में उक्त कालोनी में बिजली के पोल और जर्जर सड़क का बनवाया जाना अतिआवश्यक है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए सरकार से वक्तव्य दिये जाने की मांग करता हूँ।]

प्रदेश के डी0आर0डी0ए0 कर्मियों को पेंशन दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री आजाद अरिमर्दन-

[मान्यवर आपके माध्यम से इन सम्मानित सदन का ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर आकृष्ट कराना चाहता हूँ।

उत्तरांचल राज्य में डी0आर0डी0ए0 कर्मियों को पेंशन एवं अन्य सभी सुविधाएं दी जा रही हैं जबकि उत्तरांचल उत्तर प्रदेश से ही अलग होकर बना है। पिछली बैठक में मा0 ग्राम विकास मंत्री ने माननीय सदस्य श्री सुखदेव राजभर एवं श्रीमती आराधना मिश्रा के प्रश्न के जवाब में डी0आर0डी0ए0 कर्मियों को उ0 प्र0 में भी पेंशन दिये जाने का आश्वासन दिया था। किंतु अभी तक कोई सार्थक कार्यवाही नहीं की जा सकी है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कार्रवाई की माँग करता हूँ।]

जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र बेहट अन्तर्गत कतिपय स्थानों पर पुलों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री नरेश सैनी-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र-01, बेहट, जनपद सहारनपुर अन्तर्गत बुढ़ढी यमुना नदी पर रसूलपुर बस स्टैण्ड व ग्राम मँझाड़ी के बीच में पुल निर्माण की अति आवश्यकता है, क्योंकि यह रास्ता लगभग 20 ग्रामों को जोड़ता है तथा ग्राम कम्भोमाजरा में इण्टर कालेज में पढ़ने वाले बच्चे भी इसी रास्ते से आते जाते हैं। पुल के अभाव में पानी में से निकलकर स्कूल तक जाना पड़ता है तथा कभी-कभी बरसात के मौसम में अचानक अधिक पानी बढ़ने से कई बच्चे पानी में बहकर मौत का शिकार भी हुए हैं। आसपास के किसानों व ग्राम मँझाड़ी, मिल्को, शेखपुरा, टटोलो, धोलरा, ननौली, रसौली, बड़था, ननियारी, कांसेपुर आदि ग्रामों को इस पुल के अभाव में मूलभूत सुविधाओं से वंचित होना पड़ता है। जनहित में उक्त स्थान पर पुल का निर्माण किया जाना अति आवश्यक है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उक्त प्रकरण पर शीघ्र कार्रवाई की माँग करता हूं।]

जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र पुरकाजी अन्तर्गत ग्राम सिमर्थी से बदला-बसेड़ा रोड तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रमोद उटवाल-

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र पुरकाजी, जनपद मुजफ्फरनगर में ग्राम सिमर्थी से बरला-बसेड़ा रोड (केशव पालीटेक्निक) तक सड़क निर्माण कार्य कराना अति आवश्यक है। उक्त मार्ग कच्चा होने के कारण बरसात के समय पानी भर जाता है और किसानों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मार्ग पर लगभग 5-6 ग्रामों का आवागमन रहता है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर कार्रवाई की माँग करता हूँ।]

जनपद जालौन के विकास खण्ड अन्तर्गत कुठौंद के ग्राम शेखपुर बुजुर्ग व हीरापुर के मध्य पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

कुं0 नरेन्द्र पाल सिंह-

[मान्यवर, 220 कालपी विधान सभा क्षेत्र में विकास खण्ड कुठौंद के ग्राम शेखपुर बुजुर्ग व हीरापुर के मध्य पुल न होने के कारण ग्रामीणों को बरसात में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है।

अतः जनपद जालौन विधान सभा क्षेत्र में विकास खण्ड कुठौंद के ग्राम शेखपुर बुजुर्ग व हीरापुर के मध्य पुल बनवाने का कष्ट करें।]

जनपद अयोध्या के विधान सभा क्षेत्र रूदौली अन्तर्गत सिंचाई नहर खण्ड के अतिथि गृह का जीर्णोद्धार एवं बाउण्ड्रीवाल कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम चन्द्र यादव-

[मान्यवर, जनपद अयोध्या विधान सभा क्षेत्र रूदौली अन्तर्गत सिंचाई नहर खण्ड का अतिथि गृह रूदौली नगर क्षेत्र में मरम्मत के अभाव में जीर्ण-शीर्ण हालत में पहुँच गया है। जिसकी छतें बरसात में टपकती हैं। विगत कई वर्षों से मरम्मत न कराये जाने के कारण इस अतिथि गृह में ठहरने वाले महानुभावों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है, इससे विभाग की छवि धूमिल हो रही है। सिंचाई नहर खण्ड के इस अतिथि गृह में बाउण्ड्रीवाल न होने के कारण अवारा पशुओं का जमावड़ा रहता है। जनहित में इस अतिथि गृह का जीर्णोद्धार कराते हुए बाउण्ड्रीवाल का निर्माण समयबद्ध सीमा में कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए सिंचाई नहर खण्ड के इस अतिथि गृह का जीर्णोद्धार एवं बाउण्ड्रीवाल बनाये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद सहारनपुर के ब्लाक पुवारका अन्तर्गत अम्बाला रोड थरौली राजवाहे के पुल से चिलकाना रोड तक मार्ग का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मसूद अख्तर-

[मान्यवर, जनहित में अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र-4, सहारनपुर के ब्लाक पुवारका में अम्बाला रोड थरौली राजबाहे के पुल से ग्राम भाऊपुर होते हुए चिलकाना रोड तक लिंक मार्ग की विशेष मरम्मत एवं चौड़ीकरण किया जाना जनहित में अति आवश्यक है। यह लिंक मार्ग लगभग 50 गाँवों को जोड़ता है। यह मार्ग बनता है परन्तु कुछ माह में ही टूट जाता है जिससे आवागमन में काफी परेशानी होती है। मानक के अनुरूप मार्ग का पुनः निर्माण कराया जाना अति आवश्यक है।

अतः लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उक्त प्रकरण पर शीघ्र कार्रवाई की माँग करता हूं।]

जनपद मेरठ में खाद्य पदार्थों में थूक, पेशाब व अन्य अपशिष्ट पदार्थ मिलाने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु कानून बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डॉ0 सोमेन्द्र तोमर-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि जनपद-मेरठ में शादी समारोह के दौरान खाद्य सामग्री में विशेष समुदाय के लोगों द्वारा थूक, पेशाब व अन्य अपशिष्ट पदार्थ मिलाये जाने की घटनाएं लगातार संज्ञान में आ रही है। इसी प्रकार की एक घटना जनपद मेरठ में एक शादी समारोह में विशेष समुदाय के व्यक्ति द्वारा तंदूर पर थूक लगाकर रोटी बनाये जाने की घटना विभिन्न समाचार पत्रों की सुर्खियों में रही है। इस प्रकार की एक घटना मोदीपुरम पी0ए0सी0 नाले के पास वेज बिरयानी वाले समुदाय विशेष के युवक द्वारा पेशाब में वेज बिरयानी बनाकर बेचे जाने की घटना भी सुर्खियों में रही थी। थूक लगाकर रोटी बनाये जाने की घटना में जनपद मेरठ के थाना-मेडिकल में मुकदमा अपराध संख्या-0079/21, धारा-269, 270, 188, 504 एवं 505 (2) भा0दं0सं0 एवं धारा-3 महामारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत करके विशेष समुदाय के युवक को जेल भेज दिया गया। चूंकि जनपद-मेरठ में ऐसी घटनाओं के ठोस साक्ष्य

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

प्राप्त होने पर उनके विरुद्ध मौजूदा कानून के तहत ही मात्र औपचारिक रूप से कानूनी कार्यवाही की गयी है जबकि ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए कठोर कानून बनाया जाना नितान्त आवश्यक है। जनहित में खाद्य पदार्थों में थूक, पेशाब व अन्य अपशिष्ट पदार्थ मिलाने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही किये जाने हेतु कठोर कानून बनाया जाना नितान्त आवश्यक है।

अतः मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुये कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

उत्तर प्रदेश राज्य सम्पत्ति विभाग में मोटर चालक संघ सचिवालय को सुविधायें सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री उज्जवल रमण सिंह-

[मान्यवर, मैं सदन का ध्यान उ0प्र0 राज्य सम्पत्ति विभाग मोटर चालक संघ सचिवालय के कर्मियों को पूर्व में मिलने वाली अनुमन्य सुविधाओं की ओर दिलाना चाहता हूं जो वर्तमान में लगभग 03 तीन वर्षो से बन्द कर दी गयी हैं। राज्य सम्पत्ति विभाग का मोटर चालक एक अल्प वेतन भोगी कर्मचारी है तथा इसकी अधिकांशतः ड्यूटी मा0 मंत्रियों/उच्च अधिकारियों के साथ लगायी जाती है, ऐसी स्थिति में इन चालकों से अपेक्षा रहती है कि वह अपनी साफ-स्वच्छ यूनीफार्म ही पहनें और जब इनके पास यूनीफार्म ही नहीं होगी तो यह अपेक्षा करना बेमानी होगी। इतने अल्पवेतन के चलते जिसको परितोष स्वरूप पूर्व से ग्रीष्मकालीन, शीतकालीन वर्दी, जूता, मोजा तथा कम्बल प्रदान किया जाता रहा है, जैसा कि विधान सभा एवं विधान परिषद के चालकों को प्रदान किया जाना जारी है। राज्य सम्पत्ति विभाग के इन चालकों को वर्तमान में इन सुविधाओं से वंचित करना इनके साथ सौतेला व्यवहार होगा। विभाग के इस प्रकार की कार्यप्रणाली से मोटर चालक संघ के समस्त चालकों में काफी रोष व्याप्त है।

अतः मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाते हुये सरकार से माँग करता हूं कि मोटर चालक संघ सचिवालय को उक्त सुविधाएं प्रदान की जायं।

कोरोना के संकट काल के समय लॉकडाउन के दौरान व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद होने के कारण अप्रैल, मई व जून, 2020 के विद्युत बिल माफ किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री संजय गर्ग-

[मान्यवर, लोक महत्व के एक अविलम्बनीय विषय की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि कोराना के संकट काल के समय लॉकडाऊन के दौरान अप्रैल, मई और

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जून 2020 में सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान पूर्णतः बन्द होने के कारण विद्युत उपभोक्ताओं का इस कार्यकाल के बिजली का बिल माफ किये जाने के सम्बन्ध है पूरे प्रदेश का व्यापारी इस कार्यकाल (अप्रैल, मई-जून 2020) का विद्युत बिल माफ किया जाने हेतु मांग कर रहा है, व्यापारिक खर्चे निकालना मुश्किल हो रहा है, व्यापारियों ने अपने-अपने प्रतिष्ठानों में छटनी की है।

अतः लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए कोविड-19 के कार्यकाल अप्रैल, मई, जून 2020 के समय का व्यापारिक प्रतिष्ठानों का विद्युत बिल माफ कर वक्तव्य देने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।]

जनपद फिरोजाबाद के तहसील शिकोहाबाद द्वारा विमुक्ति जाति प्रमाण-पत्र निर्गत किए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मुकेश चन्द्र वर्मा-

[मान्यवर, जनपद फिरोजाबाद की सदर, शिकोहाबाद व जसराना तहसील में विमुक्त जाति के प्रमाण-पत्र निर्गत किये जा रहे हैं, जोकि पिछले कई वर्षों से बनते आ रहे हैं। विमुक्त जाति के प्रमाण-पत्र बनवाने हेतु श्री दीपक पुत्र श्री कन्हैया लाल द्वारा प्रथम बार दिनांक 28-12-2020 को आवेदन संख्या-201470030083198 से आवेदन किया गया था। उक्त आवेदन जनपद फिरोजाबाद की सदर तहसील में किया गया था, जिसे लेखपाल एवं तहसीलदार द्वारा बिना किसी कारण के निरस्त कर दिया गया। इसके अतिरिक्त 4 बार और आवेदक श्री दीपक द्वारा आवेदन किया गया, जिसे हर बार तहसीलदार व लेखपाल द्वारा बिना कारण दिये निरस्त कर दिया गया।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए उक्त समस्या के निदान की मांग करता हूँ।]

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र निजामाबाद अन्तर्गत आजमगढ़ के खण्ड-2 की सड़कों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री आलमबदी-

[मान्यवर, उपरोक्त के सम्बन्ध में आपके द्वारा मा0 लो0नि0 मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र निजामाबाद की ग्रामीण स्तर की कुल 33 सड़कें पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के निर्माण कार्य में मिट्टी ढुलाई में लगे ओवर लोडेड ट्रकों से क्षतिग्रस्त होकर जनता की कठिनाइयों का सबब बने हैं।

अतः ये सड़कें लोक निर्माण विभाग, आजमगढ़ के निर्माण खण्ड-2 से सम्बन्धित हैं जनहित में इसे शीघ्र से शीघ्र स्पेशल रिपेयर कार्य में कराने का कष्ट करें।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद उन्नाव के विकास खण्ड एफ-84 अन्तर्गत ग्राम राजेपुर में ग्राम समाज की भूमि को भू-माफियाओं से मुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मयंकेश्वर शरण सिंह-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के इस विषय की ओर दिलाना चाहता है कि जनपद उन्नाव के विकास खण्ड एफ 84 में ग्राम राजेपुर में वर्ष 2016 से वर्ष 2020 (24 दिसम्बर) तक व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। मानक के विपरीत शौचालय में अति भ्रष्टाचार हुआ है, ग्राम राजेपुर की अधिकतर ग्राम समाज की जमीन भू-माफियाओं ने कब्ज़ा कर रखी है, जिसको प्रशासन का संरक्षण प्राप्त है। फर्जी तरीकों से इस ग्राम सभा का पैसा प्रधान ने निकाल लिया है। यह जनहित से जुड़ा हुआ प्रश्न है।

अतः इस गम्भीर विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए ग्राम राजेपुर विकास खण्ड एफ 84 जनपद उन्नाव की भ्रष्टाचार की जांच व भू-माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करता हूं।]

जनपद मऊ के विधान सभा क्षेत्र घोसी अन्तर्गत गन्ना मिल के पास नाले का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विजय कुमार राजभर-

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र-354, घोसी, जनपद मऊ के अन्तर्गत विकास खण्ड घोसी में स्थित चीनी मिल से निकलने वाला गन्दा पानी मिल के आस-पास के गांवों में फैलता रहता है, जिससे अनेकों संक्रमित बीमारियाँ उत्पन्न होती हैं। जनहित में चीनी मिल के पानी को निकलने हेतु नाला निर्माण कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व एवं जनहित के इस प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

[04:35] उ0 प्र0 राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2021

***जल शक्ति मंत्री (डॉ0 महेन्द्र सिंह)-**

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2021 पर विचार किया जाय।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2021 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे। समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जाएंगे।

डॉ0 महेन्द्र सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, बहुत ही लोक कल्याणकारी और सबके हित को दृष्टिगत रखते हुए बहुत छोटे-छोटे तीन संशोधन की बात इसमें कही गयी है। मान्यवर, सर्वप्रथम नम्बर-1 पर 59 (1) पर संशोधन की बात कही गयी है। अब तक जो भी विकास कार्य नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत में जुड़े थे, उसमें ग्राम पंचायत की सरकारी जमीन स्वयं उनके अधीन आ जाती थी, जिसका संरक्षण, देखभाल और नियंत्रण नगर निगम, नगर पालिका तथा नगर पंचायतें करती थीं।

मान्यवर, जो ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेस-वे बनाया गया बाकी जो औद्योगिक क्षेत्र बनाये गये हैं, उसमें अब तक कोई नियम नहीं था, उनमें सम्मिलित गांवों की जो सरकारी जमीन उनके क्षेत्र में चली जाती थी, उस जमीन की देखभाल करने वाला कोई नहीं था। उन जमीनों का बहुत दुरुपयोग हो रहा है, उन पर अवैध कब्जे हो रहे हैं।

मान्यवर, इसमें एक स्पष्टीकरण जोड़ने हेतु संशोधन किया गया है। इसके प्रयोजनार्थ हेतु अन्य स्थानीय प्राधिकरण, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, टाउन एरिया, नोटिफाईड एरिया, कन्टोनमेंट क्षेत्र, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर महापालिका, नगर निगम, नोएडा विकास प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण, यमुना एक्सप्रेस विकास प्राधिकरण अथवा उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत घोषित औद्योगिक विकास क्षेत्र, जिन्हें भारत के संविधान के अनुच्छेद-243 (क) के अन्तर्गत औद्योगिक नगर इण्डस्ट्रियल टाउनशिप घोषित किया जाय, सम्मिलित होंगे।

मान्यवर, इसको इसलिए किया गया है कि हमारे ग्राम पंचायत की जो सरकारी जमीन उसके अधीन आ जाती है, उसका संरक्षण, नियंत्रण और उपयोग, इन सभी दृष्टियों से हमारे इंडस्ट्रियल एरिया के लोग करेंगे। यह पहला संशोधन है।

मान्यवर, दूसरा 80 में केवल इतना संशोधन किया गया है कि अब तक जो कृषक भूमि को गैर कृषक भूमि घोषित किया जाता था, उसमें अनिवार्यता थी कि चहारदीवारी बनाना बहुत जरूरी है। मान्यवर, अगर छोटा और लघु उद्योग कोई लगाना चाहता है और एक जमीन खरीदता है, तो उस जमीन की चहारदीवारी में ही उसका इतना पैसा लग जाता है, जितना उद्योग लगाने में नहीं लगता है। इसमें केवल इतनी व्यवस्था की गयी है कि अब चहारदीवारी की अनिवार्यता को समाप्त किया जा रहा है। अब गैर-सरकारी जमीन घोषित करने के लिए चहारदीवारी की अनिवार्यता को समाप्त किया गया है।

मान्यवर, तीसरा 89 (2) में जो व्यवस्था थी, उसमें एक स्पष्टीकरण जोड़ा गया था, उसको हटाया गया है, क्योंकि उसकी व्यवस्था 79 (3) में पहले से ही है। उसको उसमें केवल सम्मिलित किया है। उसको वहाँ से हटाया गया है।

मान्यवर, इसका सरलीकरण किया गया है। जो लोग अब तक 12.5 एकड़ से ज्यादा जमीन बिना अनुमति के खरीद लेते थे, तो उनके ऊपर 50 प्रतिशत जुर्माना था, उसको घटाकर 10 प्रतिशत जुर्माना कर दिया गया है। इस तरीके से उसको सरलीकरण किया गया है। अगर कोई मेडिकल कॉलेज बनाना चाहता है, औद्योगिक क्षेत्र/इण्डस्ट्रीज लगाना चाहता है, निवेश की दृष्टि से सरकार उसको छूट देना चाहती है, तो वह 10 प्रतिशत में भी छूट दे सकती है। यानी निवेश को बढ़ावा देने की दृष्टि से, औद्योगिक विकास की दृष्टि से एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सराहनीय कदम है। ये तीनों चीजें उत्तर प्रदेश के लोकहित/जनहित में हैं। मान्यवर, ये सामान्य से संशोधन इसमें रखे गये हैं।

श्री लाल जी वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, इस उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2021 पर माननीय मंत्री जी ने जो संशोधन बताया, हमने भी उसको पढ़ा। पहला जो संशोधन 59 में है वह निश्चित रूप से उचित है और मैं इससे सहमत हूँ। 80 में जो संशोधन चहारदीवारी की अनिवार्यता खत्म करने का है, उतने से काम चलने वाला नहीं है। मान्यवर, 80 (2) में जब कोई अकृषक घोषित कराने का आवेदन करता है तो कई-कई जगहों पर वर्षों तक एस0डी0एम0 के न्यायालय में लटका रहता है। उसके कई कारण हैं, एक कारण यह है कि अगर सह-खातेदार की जमीन है और बँटवारा नहीं हुआ है तो जब तक बँटवारा नहीं होगा तब अकृषक घोषित नहीं होगा। इसमें लम्बी प्रक्रिया है। मैं आपके माध्यम से यह चाहूँगा कि इसमें और संशोधन सम्मिलित किया जाना चाहिए कि बंटवारा अगर बैनामा से होता है और किसी सह-खातेदार को उससे एतराज व असहमति नहीं है तो उसको स्वतः बंटवारा मानकर अकृषक घोषित करने में कोई व्यवधान नहीं होना चाहिए। मैं चाहूँगा कि इसको माननीय मंत्री जी इसमें शामिल करने का काम करें। दूसरा, प्रायः जो लम्बे समय तक लटकाने की बात है तो लम्बे समय तक लटकाने की जगह एक समय-सीमा निर्धारित किया जाना चाहिए कि अगर न्यायालय कोई आता है तो उसकी एक सीमा हो 4 महीने या 6 महीने, क्योंकि आप जब सरलीकरण कर रहे हैं तो उसमें एक समय-सीमा भी निर्धारित करने का काम करें कि अगर वह सारी औपचारिकता पूरी करता है तो इतने दिनों में एस0डी0एम0 न्यायालय को इसके पक्ष या विपक्ष में फैसला देना होगा। वह जो भी फैसला दे लेकिन एक निर्धारित समयावधि में वह अपना फैसला दे। इस तरह की एक अनिवार्यता जोड़ी जानी चाहिए। जहाँ तक मान्यवर, छूट

देने की बात आयी तो छूट देने की व्यवस्था स्वागत योग्य है लेकिन साथ ही साथ उसमें दिया है कि अगर फ्री है तब छूट दिया जा सकता है। आपने 50 प्रतिशत से 10 प्रतिशत किया लेकिन इसके साथ-साथ अगर वह संस्था विश्वविद्यालय और मेडिकल कॉलेज बनाता है तब तो उसे संबंधित अधिकारी पूरी तरह से छूट दे सकता है। लेकिन अगर कोई इन्जीनियरिंग कॉलेज, कोई फार्मेसी का कॉलेज बना रहा है या कोई दूसरी संस्था बना रहा है तो उसको आपने उस श्रेणी में शामिल करने का काम नहीं किया। इसलिए मैं यह चाहूँगा कि इसमें आप समस्त शिक्षण संस्थाओं को शामिल कर दें तो यह ज्यादा बेहतर होगा इसके लिए जरूरत है कि इसे प्रवर समिति को जाने दें। तत्काल आप यह कर नहीं सकते इसलिए मैं चाहूँगा कि इसको एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाए जो अपना प्रतिवेदन एक महीने में प्रस्तुत करे। सरकार भी विचार कर ले और जोड़ने लायक है तो इसको जोड़ लेंगे, उसके बाद इस विधेयक को ले आयेंगे तो हम सब लोग मिलकर इसको सर्वसम्मति से पास करेंगे। धन्यवाद।

डॉ0 महेन्द्र सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं धन्यवाद करूँगा माननीय सदस्य का कि आपने कहा कि 59 (1) में जो संशोधन आ रहा है वह बहुत स्वागत योग्य है, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मान्यवर, वर्षों से चहारदीवारी के बिना आप गैर सरकारी घोषित नहीं कर सकते, इतना बड़ा अवरोध था और इतना बड़ा खर्चा है कि आप बताइये कि एस0डी0एम0 कोर्ट में जाने से पहले और वहाँ अपना प्रार्थना-पत्र देने के बाद उनको कहा जाता है चहारदीवारी बनाइये। अब वह जितना निवेश करना चाहते हैं, घर बनाना चाहते हैं या कोई और काम करना चाहते हैं तो पहले चहारदीवारी बनायें उसके बाद वह उसको गैर सरकारी घोषित करायें। मान्यवर, वर्षों के बाद लोकहित में, जनता के हित में इतना बड़ा सरलीकरण किया गया है तो मैं समझता हूं कि कितना उपयोगी होगा। (सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों ने मेजें थपथपायीं।) तीसरी बात जो माननीय सदस्य ने कहा मैं इसका भी शंका-समाधान कर देता हूँ। हमारे वरिष्ठ सदस्य हैं इसको ठीक से देखा नहीं होगा। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि विश्वविद्यालय, सरकारी निवेश के सम्बन्ध में, अन्य जितने तरीके के सरकारी निवेश की नीति में चाहे इन्जीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज हो, सरकार जिसको भी चाहती है उनको इसमें छूट देने की पूरी व्यवस्था की गयी है और वह छूट दे सकते हैं। सरकार जिसको चाहे उसको छूट दे दे, आप कल्पना करिये जो 50 प्रतिशत था उसको घटाकर 10 प्रतिशत किया गया और 10 परसेन्ट में भी अगर सरकार चाहती तो पूरे तरीके से छूट दे सकती है इसका प्राविधान इसमें पहले से सन्निहित है मान्यवर। इसलिये मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि इसको पास कराने की कृपा करें।

श्री लाल जी वर्मा-

मैंने स्वागत किया कि चहारदीवारी आप निकाल रहे हैं। लेकिन साथ-साथ इसमें समयबद्ध भी करिये अन्यथा इसका कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा और साथ ही साथ मान्यवर, उसमें जो एक बंटवारे की एक बड़ी समस्या है। आप सरलीकरण कर रहे हैं तो उसको भी करिये कि अगर किसी के सहखातेदार को एतराज नहीं है तो उसमें क्या दिक्कत आ रही है।

डॉ0 महेन्द्र सिंह-

पूरी नियमावली मैं लेकर भी आया हूँ। मैं मान्यवर, आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि इसमें किसी प्रकार के प्रवर समिति को भेजने का कोई विषय ही नहीं है। पूरी तरीके से स्पष्ट है मान्यवर, और एक लोक हित, जन हित और निवेश हित में है मान्यवर। मैं समझता हूँ कि इससे अच्छा संशोधन दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। इसलिये आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि इसको पास करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2021 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अंदर सदन में प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2021 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्डशः विचार

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2021

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 का संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2021 कहा जाएगा। संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह दिनांक 28 दिसम्बर, 2020 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2012 की धारा 59 की उपधारा (6) का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 59 की उपधारा (6) के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :—

स्पष्टीकरण :

इस धारा के प्रयोजनार्थ शब्द "स्थानीय प्राधिकरण" में क्षेत्र पंचायत, जिला पचायत, टाउन एरिया, नोटिफाइड एरिया, छावनी क्षेत्र, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर महापालिका, नगर निगम, नोएडा विकास प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण एवं यमुना एक्सप्रेसवे विकास प्राधिकरण, अथवा भारत का संविधान के अनुच्छेद 243—थ के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 के रूप में "औद्योगिक विकास क्षेत्रान्तर्गत घोषित कोई औद्योगिक नगरी सम्मिलित होंगे"।

धारा 80 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 80 में, उपधारा (2) का प्रथम परन्तुक निकाल दिया जायेगा।

धारा 89 की उपधारा (2) का संशोधन

4—मूल अधिनियम की धारा 89 में, उपधारा (2) का स्पष्टीकरण निकाल दिया जायेगा।

धारा 89 की उपधारा (3) का संशोधन

5—मूल अधिनियम की धारा 89 की उपधारा (3) में, परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रख दिया जायेगा, अर्थात् :—

परन्तु यह कि जहाँ भूमि, किसी रजिस्ट्रीकृत फर्म, कम्पनी, पार्टनरशिप फर्म, लिमिटेड लाईबिलिटी पार्टनरशिप फर्म, न्यास, समिति अथवा किसी अन्य शैक्षिक या पूर्त संस्था द्वारा इस उपधारा, या निरसन के पूर्व यथा अधिनियमित उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 154 की उपधारा (3) के अधीन पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना अर्जित अथवा क्रय की गयी हो, वहाँ राज्य सरकार अथवा इस अधिनियम के अधीन इस प्रयोजन हेतु प्राधिकृत कोई अधिकारी, जुर्माना स्वरूप ऐसी किसी धनराशि, जो आवेदन करते समय प्रचलित सर्किल दर के अनुसार आगणित उपधारा (2) के अधीन विहित सीमा से अधिक भूमि की लागत की दस प्रतिशत होगी, का भुगतान करने के पश्चात् ऐसे अर्जन अथवा क्रय को विनियमित करने के लिए अपना अनुमोदन प्रदान कर सकती/सकता है :

परन्तु यह और कि जहाँ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि कोई अन्तरण, लोकहित में विभिन्न विनिधान प्रोत्साहन नीतियों के अधीन अथवा राज्य सरकार द्वारा प्रोत्साहित की जा रही परियोजनाओं, निजी विश्वविद्यालयों तथा मेडिकल कालेजों की स्थापना के लिये किया गया है वहाँ वह ऐसे किसी अंतरिती को इस उपधारा के अधीन जुर्माना के संदाय से छूट प्रदान कर सकती है।

निरसन और व्यावृत्ति

6—(1) उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2020 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 22 सन् 2020

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों के अधीन कृत कोई कार्य या की गई कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के सह प्रत्यर्थी उपबंधों के अधीन कृत या की गई समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबंध सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से खण्ड 6 तक, खण्ड-1 प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

डॉ0 महेन्द्र सिंह—

अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2021 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2021 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक, 2021

***संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-**

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुज्ञा से मैं यह प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक, 2021 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

कोई माननीय सदस्य संशोधन का प्रस्ताव रख रहा है।

***श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-**

मान्यवर, आपकी अनुमति से प्रस्ताव करती हूं कि उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक, 2021 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

श्री अध्यक्ष-

संजय गर्ग जी का भी यही है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, भारत के संविधान में हमारी धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा की गई है, धार्मिक स्वतंत्रता की गारन्टी दी गई है और हर प्रकार से हम धार्मिक प्रचार के लिये अपने धर्म के लिये स्वतंत्र हैं पूरी तरीके से। लेकिन हाल की कुछ घटनाओं ने इस बात के लिये विवश किया कि इस प्रकार का बिल लाया जाय जिसमें फ्राड्यूलेंट तरीके से या अन-ड्यू इनफ्लुएन्स करके या किसी एल्योरमेंट के आधार पर किसी भी तरीके से मिस-रिप्रेजेन्ट करके मान्यवर खास तौर से शादी इत्यादि के पर्पज पर जब धर्म परिवर्तन करवाया जाता है तो वह अपने आप में किसी प्रकार से एडमिसिबल नहीं है। इस प्रकार की घटनायें जब सामने आईं तो हमारी सरकार ने उसका संज्ञान लिया और उसके लिये मान्यवर, हमने पहले अध्यादेश जारी किया था। माननीय अध्यक्ष जी, आज हम विधेयक के रूप में इसको लेकर आये हैं और इसका उददेश्य केवल यही है कि अगर फोरसिबली किसी अनडयू इन्फ्लूएंस के आधार पर, किसी एल्योरमेन्ट के आधार पर जहां व्यक्ति की फ्री इच्छा न हो, स्वतंत्र इच्छा न हो वहां किसी तरीके से मिसरिप्रजेन्ट करके, धोखाधड़ी करके, गलत वादा करके अगर धर्म परिवर्तन कराया जाता है तो उसका इसमें निषेध है। इसमें पेनाल्टी की और सजा की व्यवस्था भी की गयी है। इसमें बर्डन

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर है जो धर्म परिवर्तन कराता है। इसमें यह कोशिश की गयी है कि हमारे सामने जितने भी प्रश्न उठ सकते हैं, उन सबका समाधान हमारे इस बिल में दिया गया है।

यह ऑफेन्स नॉनबैलेबुल और कॉगनेजिबुल होगा। उसके उपबन्धों का उल्लंघन करने हेतु कम से कम 1 वर्ष अधिकतम 5 वर्ष की सजा तथा 15 हजार रुपये से कम का जुर्माना नहीं होगा। इसमें दूसरा प्राविधान यह है कि अगर माइनर धर्म या एस0सी0, एस0टी0 जाति की किसी महिला के सम्बन्ध में धारा-3 का उल्लंघन किया जाए तो कम से कम 3 वर्ष अधिकतम 10 वर्ष तक की सजा होगी और जुर्माने की राशि इसमें 25 हजार रुपये से कम नहीं होगी। सामूहिक धर्म परिवर्तन के सम्बन्ध में कारावास 3 वर्ष से कम नहीं होगा अधिकतम 10 वर्ष तक का हो सकेगा और लगभग 50 हजार रुपये तक का इसमें जुर्माना हो सकेगा। इसमें खासतौर पर इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि अगर कोई स्वेच्छा से अपना धर्म परिवर्तन करना चाहे तो 60 दिन पहले वह जिलाधिकारी को प्रार्थना-पत्र देकर इस प्रकार की घोषणा कर सकता है। जिस प्रकार की घटनायें अभी हाल ही में देखने को मिलीं कि किसी से शादी का दावा करके किसी को मिसरिप्रजेन्ट करके और फ्राडुलेन्ट तरीके से धर्म परिवर्तन की घटनायें सामने आयी हैं, उनको रोकने के लिए इस प्रकार की व्यवस्था की जा रही है ताकि कोई किसी को बहला-फुसलाकर नाजायज तरीके से मिसरिप्रजेन्ट करके एल्योरमेन्ट के आधार पर अगर कोई धर्म परिवर्तन कराता है तो उसको रोकने के लिए हम यह बिल लाये हैं। इसमें कोशिश की गयी है कि जितने भी सवाल इस सम्बन्ध में उठ सकते हैं, उन सभी का इसमें उत्तर निहित हो बाकी अगर विपक्ष के मा0 सदस्य कुछ चाहेंगे तो उसका जवाब भी हम दे देंगे। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस पर विचार करके इसे पारित किया जाए।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

माननीय अध्यक्ष जी, संविधान हमें निजता का अधिकार देता है। यह पूरी तरह से निहित है और शादी-विवाह किसी भी व्यक्ति का एक निजी मामला है। यदि कोई एल्योरमेन्ट नहीं है जैसा कि मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने रखा है, हमने पढ़ा भी है, उसमें एल्योरमेन्ट नहीं है, कोई जोर-जबरदस्ती नहीं है। उसमें राज्य सरकार का हस्तक्षेप करना, यह संविधान के विरुद्ध है। राष्ट्रीय एकीकरण विभाग बना हुआ है, देश में भी है और प्रदेश में भी है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि यह पूरा मामला संवैधानिक है, निजी मामले में हस्तक्षेप होना ठीक नहीं है। अगर कई सारी घटनायें हुई भी हैं, लखनऊ में हुई, आस-पास हुई जहां पर परिवार की सहमति से अन्तर्जातीय धर्म विवाह हो रहा था, उसकी शिकायत किसी अन्य व्यक्ति ने कर दी, पुलिस आकर दोनों को ले गयी, बाद में पता चला कि वह दोनों परिवारों की सहमति से हो रहा है। मैं इतना कहना चाहती हूं कि यह एक ऐसा विषय है, जिसमें बड़ी चर्चा और गहन चिन्तन की आवश्यकता है। इसको इस तरह जल्दबाजी में न लेकर प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाए।

***श्री संजय गर्ग-**

माननीय अध्यक्ष जी, यह अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक है और इस पर निश्चित रूप से चर्चा करने की जरूरत है। भारत का संविधान का अनुच्छेद-25, 26, 27, 28 है और एक निजता का अधिकार है, जिसकी बात अभी मा0 मोना जी ने कही है। अनुच्छेद-25 में अन्तःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता का बहुत विस्तृत उल्लेख है। इसी के साथ-साथ अनुच्छेद-26 में धार्मिक कार्यों के प्रबन्ध की स्वतंत्रता का अधिकार प्रत्येक नागरिक को है और अनुच्छेद-28 में कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा, धार्मिक उपासना में उपस्थित होने का इसी तरह से 27 में यह मौलिक अधिकार इस आशय के साथ संविधान निर्माताओं ने दिया कि एक इंसान का चतुर्मुखी विकास हो सके। एक साइंटिफिक टेंपल के जरिए एक मौलिक विचार उसके अन्दर आ सके और मौलिक विचार के जरिए हम अपने इस देश को और राष्ट्र को तरक्की के रास्ते पर ले जाने का काम कर सकें। इस तरह संविधान निर्माताओं ने जिन्होंने संविधान को लिखा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर, 1956 को बौद्ध धर्म की दीक्षा नागपुर में 10 लाख लोगों के साथ की थी। वह क्या व्यवस्थाएं और जरूरतें थीं निश्चित रूप से इस बात का निजता का अधिकार इस बात का मौलिक अधिकार जब तक हम इंसान को नहीं देंगे अगर साइंटिफिकली उस होमो सैपियन्स की दुनियाँ की दौड़ में किस तरह से अपने समाज को आगे ले जाने का काम कर सकें तो मैं समझता हूं कि यह उसमें बहुत ज्यादा संकीर्णता पैदा करने का काम करेगा। संविधान की जो मूल आत्मा है मैं समझता हूं कि यह विधेयक उसके खिलाफ है निजता को चुनौती देता है अधिकारियों को इसका दुरुपयोग करने का पूरा मौका देने का काम करता है।

विधेयक बनने के बाद कोई भी व्यक्ति इसके खिलाफ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट मे जाएगा और इस बात की चुनौती देने का काम करेगा तो इसके बहुत ज्यादा चांस हैं कि कोर्ट इसका संज्ञान लेकर इसे अल्ट्रावायरस डिक्लेयर करने का काम करेगा। आप अपना पोलिटिकल एजेण्डा लागू करने के लिए विधेयक ला रहे हैं उसके लिए बहुत नारे हैं, बहुत कार्यक्रम हैं नफरत की पूरी दीवारें आपने खड़ी कर दी हैं क्या इसी के आधार पर चुनाव हारने या जीतने की बात होगी। मैं इसलिए आपका संरक्षण चाहता हूं कि दो नौजवान वयस्क बच्चों में शादी हुई अभी जबसे अध्यादेश आया तबसे अब तक आप घटनाएं गिन लें कि कितनी घटनाओं में पुलिस ने ओवरएक्टिव एक्शन लिया होगा लोगों को ले जाकर पेश किया बाद में पता चला कि दोनों परिवारों की सहमति से या दोनों वयस्क लोगों की सहमति से शादी हो रही थी। आपको क्या अधिकार है कि आप किसी को अपमानित करने की कोशिश करें। मैं किस धर्म में पैदा हुआ यह मेरे हाथ में नहीं है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि मैं हिन्दू धर्म में पैदा

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हुआ परन्तु मैं हिन्दू धर्म में मरूंगा नहीं। उन्होंने महान समाज के उस अपमान के घूंट को पीकर कहा कि मंदिर में घुसने की इजाजत नहीं होगी और जल पीने नहीं दिया जाएगा तो लोगों ने भी कहा कि प्रकृति के सौन्दर्य में धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश इन पांच तत्वों से बने हुए पंचाभूत पर भी क्या पहरा होगा। क्या इस बात का भी पहरा होगा कि कौन जल पिएगा कौन नहीं पिएगा। आप उसे आधार बना लें इस समाज के दरवाजे को इतना संकीर्ण कर दें और आने वाली पीढ़ी को जो चांद, और मंगल पर जाने के लिए मुकाबला कर रही है एक तरफ डिजिटल इंडिया की बात की जा रही है दूसरी तरफ इंसानों को इस तरह से कानूनों की जंजीरों में बांधने की कोशिश हो रही है निश्चित रूप से यह बात प्रवर समिति को सौंपने के योग्य है। इतना ही नहीं बच्चों की शादी एक निजी मामला है और यह सिविल एक्ट के तहत आता है लेकिन आपने इसे क्रिमिनल एक्ट में ला दिया बड़ी-बड़ी धाराओं में 10 साल तक की सजा जैसे किसी ने कत्ल कर दिया हो। क्या जरूरत थी इतनी बड़ी धाराओं के साथ पनिशमेंट देने की। अध्यक्ष जी हमारा संविधान इस सदन को और इस उच्च सदन को इस बात का हक देता है कि अपने धरती, जल, वायु और आकाश की निजामत किस तरह से करें जिसमें सभी का समान हक है। मैं एक युक्ति जो स्वामी विवेकानन्द ने यू0एन0ओ0 में 1893 में कही थी वह कहकर अपनी बात समाप्त करूँगा उन्होंने 1893 में बहुत संक्षिप्त बात कही थी जिसको दुनियां ने उदाहरण मान लिया कि भारत को धर्म नहीं रोटी चाहिए 1893 की विश्व धर्म संसद में स्वामी विवेकानन्द जी ने छोटा सा भाषण दिया जिसे एक संक्षिप्त टिप्पणी भी कह सकते हैं 20 सितम्बर, 1893 में एक संक्षिप्त टिप्पणी में वह एक ऐसी बात कह गए जिसकी अहमियत आज भी बहुत बड़ी है। पूरब की दुनियाँ की सबसे बड़ी जरूरत धर्म से जुड़ी नहीं है।

उनके पास धर्म की कमी नहीं है लेकिन भारत की लाखों पीड़ित जनता सूखे हुए गले से जिस चीज के बारे में बार-बार गुहार लगा रही है वह है रोटी हम रोटी मांगते हैं लेकिन हम उन्हें पत्थर पकड़ा देते हैं भूख से मरती जनता को धर्म का उपदेश देना उसका अपमान है। भूखे व्यक्ति को तत्व-मीमांसा की शिक्षा देना उसका अपमान है। मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपसे केवल इस बात के लिये आग्रह करना चाहता हूं कि नफरत की बात करना, हर चीज में नफरत के पुट दे देना, इससे इंसान का दिल टूटता है और जब दिल टूटता है तो उसका मौलिक विचार हटता है। दुनिया इस बात की गवाह है कि जब दिल टूटते हैं तो दीवारें खड़ी होती हैं और जब दिल जुड़ते हैं तो दीवारें टूट जाती हैं। इतिहास इस बात का गवाह है कि पूर्वी जर्मनी, पश्चिमी जर्मनी अलग-अलग हो गये, लोगों के दिल टूटे। दक्षिणी यमन, उत्तरी यमन अलग-अलग हो गये। मगरबी पाकिस्तान और मशरिकी पाकिस्तान, एक कानून, एक संविधान, एक भाषा, दिल टूटे, दीवारें खड़ी हो गयीं, परन्तु दिल जुड़े तो दीवारें टूट गयीं। पूर्वी जर्मनी, पश्चिमी जर्मनी एक हो गये और बर्लिन की दीवार टूट गयी।

श्री अध्यक्ष-

अब आप समाप्त करें।

श्री संजय गर्ग-

उत्तरी यमन, दक्षिणी यमन एक हो गये। इसलिये हम मोहब्बत की बात करें, भाईचारे की बात करें, एक-दूसरे के साथ सामंजस्य स्थापित करने की बात करें, इंसान को उसका चतुर्मुखी विकास का स्थान देने की बात करें। धरती, जल, अग्नि, वायु और आकाश को हम किसी एक ही को देने की कोशिश करें, कुछ घरानों को देने की कोशिश करें और उसके साथ दूसरी तरफ लोगों को इस चकाचौंध में आँख बंद कर उनकी जेब में डाका डालने की कोशिश करें।

श्री अध्यक्ष-

अब आप समाप्त करें। अब मा0 वर्मा जी को बोलने दें।

श्री संजय गर्ग-

मान्यवर, इसलिये मेरी आपसे केवल यह गुजारिश है कि इस विधेयक को इससे पहले कि यह एक विधेयक बने, इसे एक प्रवर समिति को सौंप दिया जाये जो तमाम बिन्दुओं पर चर्चा करे और उसके बाद निर्णय ले ले। अभी से इस बात का कानून बनाने की क्या जल्दी है।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। मा0 लालजी वर्मा जी।

श्री लाल जी वर्मा-

मा0 अध्यक्ष जी, आपने इस विधेयक पर मुझे बोलने की अनुमति प्रदान की इसके लिये मैं आपका आभारी हूँ। हमारा संविधान जिसका उल्लेख मा0 मंत्री जी ने स्वयं किया कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। निजता का भी अधिकार हमें मिला हुआ है निश्चित तौर पर यह विधेयक संविधान विरोधी है। हमारे संविधान निर्माताओं ने बहुत सोच-समझ कर इस बात की व्यवस्था की थी और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान सभा में इस बात को कहा था कि अगर भारत को एक राष्ट्र बनाना है, उन्होंने कहा था कि धर्मों और जातियों में बंटा हुआ देश कभी एक राष्ट्र नहीं हो सकता। अगर हमें भारत को मजबूत लोकतंत्र के रूप में देखना है तो इन बाधाओं से हमें पार पाना होगा। मान्यवर, मा0 नेता सदन ने भी बोलते हुये आज इस बात को कहा कि भारत में रहने वाला हर व्यक्ति अमूक है और इसमें पूजा-उपासना की अलग–अलग पद्धति है वह कोई भी कर सकता है तो जब मा0 नेता सदन जी भी इस बात को मान रहे हैं कि भारत में रहने वाले सब एक हैं तो फिर इस तरह का विधेयक लाकर किसी के स्वयं के अधिकार पर डाका डालना और पुलिस को यह ताकत देना कि जिसको चाहे उसको ले जा करके बंद कर दे। मान्यवर, इस तरह की अनेक घटनाएं आती हैं। मेरे क्षेत्र में एक ही जाति के दो बालक और बालिकाएं जो बालिग थे वह आपस में रजामंदी के साथ चले गये और जब चले गये उसके बाद उसके परिवार के किसी व्यक्ति ने शिकायत कर दी। शिकायत करने के बाद वह पकड़ कर थाने में लाये गये कि भगा कर ले गया है। दोनों की

सहमति थी और दोनों बालिग थे, प्रमाण था और एक ही जाति के थे, कोई धर्म नहीं अलग था कोई जाति नहीं अलग थी एक ही जाति के थे, लेकिन जब वह इस बात को कहने लगे तो जाँच करने वाला जो अधिकारी था वह कहने लगा कि हमें अमुक राशि चाहिये तभी हम इनको छोड़ेंगे अन्यथा हम नहीं छोड़ेंगे और फिर इनका कोर्ट में बयान करायेंगे। इस आधार पर धमकाने का जो काम हो रहा है उसकी छूट इस विधेयक के माध्यम से बड़े पैमाने पर होगी। मान्यवर, जैसा अभी मा0 संजय गर्ग जी ने कहा कि 14 अक्टूबर, 1956 को बाबा साहब ने 10 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। हमें इस बात की आजादी शुरू से मिली हुयी है। बहुत से लोग अलग-अलग हैं, उनकी विचारधारा बदलती है, वह अपने को बदलते हैं, जो परेशानियाँ आ रही हैं उसको देखते हैं और उसके आधार पर बदलते हैं तो निश्चित रूप से इसमें हमें स्वतंत्रता होनी चाहिये और इस विधेयक के माध्यम से हम डी0एम0 के पास जायें, दो महीना-तीन महीना पुलिस हमें अलग से परेशान करे कि तुम अपना बयान बदलो अन्यथा आपके खिलाफ कार्यवाही होगी। इस तरह से जो एक हमारे ऊपर तलवार लटकाने का प्रयास इस विधेयक के माध्यम से किया जा रहा है, मैं समझता हूं कि यह उचित नहीं है। सरकार को भी इसे वापस लेना चाहिये। नफरत की दीवार खड़ी करने की आवश्यकता नहीं है। हमें कानून में भी इस तरह के तमाम अधिकार प्राप्त हैं।

आई0पी0सी0 की तमाम धारायें हैं और उसके अन्तर्गत अगर कोई जबरन धर्म परिवर्तन करता है, कोई लालच देकर करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है यह पहले से ही हमारे जो आई0पी0सी0 के एक्ट हैं उसमें आता है और ये अन्य धाराओं में भी है। इसके लिए इस तरह के विधेयक लाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए मैं चाहूँगा कि सरकार स्वयं इसको वापस ले ले अन्यथा इसको प्रवर समिति के सुपुर्द कर दे जहां पर विचार-विमर्श होगा और उस विचार-विमर्श के बाद इस विधेयक को लाने का प्रयास करें। अन्यथा मेरा तो यही निवेदन है कि सरकार इसको वापस ले ले क्योंकि यह संविधान के विरुद्ध है। हमारे महापुरुषों ने जिन्होंने संविधान लिखा है बड़ी सोच विचार करने के बाद एक-एक आर्टिकल पर कई-कई दिनों तक बहस की है और उस बहस के बाद संविधान तैयार हुआ है और उसमें बड़ी सोच सझकर यह अधिकार दिया गया है। हम तो चाहते हैं कि जब सारी दुनिया एक है, सब लोग एक हैं और सारे धर्म के लोग इस बात को कहते हैं कि सबका मालिक एक है तो फिर यह विधेयक लाकर हम लोगों को बांटने का काम क्यों कर रहे हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मा0 अध्यक्ष जी इस पर बहुत लम्बा बोला जा सकता है लेकिन मैं आपका समय बर्बाद नहीं करूँगा। मान्यवर, इसको मिसइण्टरप्रेट किया जा रहा है जो कुछ नहीं कहा गया उसके बारे में जवाब दिया जा रहा है। मा0 संजय गर्ग जी और मा0 वर्मा जी दोनों बहुत विद्वान सदस्य हैं लेकिन जो बात हम कह ही नहीं रहे हैं उस पर ये बोल रहे हैं। हम तो यह कह रहे हैं कि धारा-3 (1) देख लें, जिसमें हमने कहा है कि मिसरिप्रिजेन्स करके, फोर्स या

फ्रॉड करके, पोरसन के आधार पर या ऐलोरमेन्ट के आधार पर इन्डिबिजुअल्स के आधार पर अगर कोई धर्म परिवर्तन होता है, यानी फ्राडुलेंट तरीके से (श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना' द्वारा बीच में बोलने का प्रयास किया गया) मान्यवर, इसमें भी इस बात की छूट दी गयी है कि अगर आप चाहो तो आराम से और अपनी स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन कर सकते हैं। किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं लगायी गयी है। ये विधेयक संविधान के खिलाफ हरगिज नहीं है ये बिल्कुल मिसरिप्रिजेन्स किया जा रहा है। उन्होंने जिन लोगों का नाम लिया है हम भी उन लोगों को जानते हैं और हमने भी पढ़ा है। लेकिन उसका यहां पर कोई मतलब नहीं है। बात यहां पर दाढ़ के दर्द की हो रही है और आप घुटने का इलाज बता रहे हैं। हमने किसी को धर्म परिवर्तन करने के लिए रोका नहीं है। अगर आप स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करेंगे तो हम आपका स्वागत करेंगे लेकिन फ्रॉडुलेन्ट तरीके से, मिसरिप्रिजेन्स तरीके से धोखा देकर और फरेब करके अगर धर्म परिवर्तन करेंगे तो यह सरकार इस बात की इजाजत नहीं देगी। यह सरकार ऐसा करने से रोकेगी और हर प्रकार से उसकी व्यवस्था करेगी और यही हमने इस बिल में किया है। इसलिए मान्यवर, मेरी आपसे गुजारिश है कि इसे पास किया जाय।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, इसके लिए तो पहले से कानून है उसमें आप सजा दे सकते हैं, उसके लिए तमाम एक्ट हैं। ये कहां उसको रोक रहा है कि आप अगर जबरन किसी को धर्म परिवर्तन करा रहे हैं तो उसके लिए पहले से नियम बने हैं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक, 2021 को एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के भीतर प्रस्तुत करे ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया तथा अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक, 2021 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया तथा स्वीकृत हुआ)

खण्डशः विचार

खण्ड-2 से 15 तक, खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक

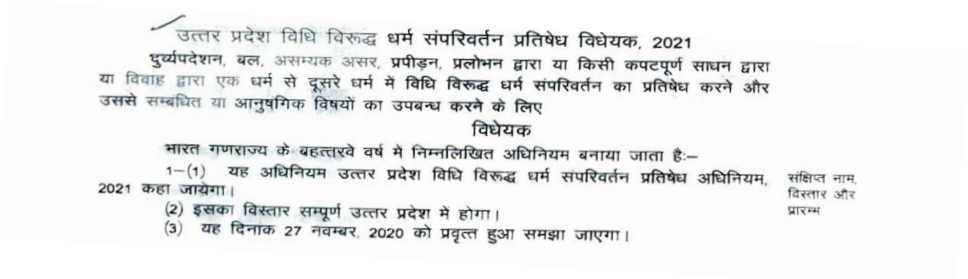

उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक, 2021

दुर्व्यपदेशन, बल, असम्यक असर, प्रपीड़न, प्रलोभन द्वारा या किसी कपटपूर्ण साधन द्वारा या विवाह द्वारा एक धर्म से दूसरे धर्म में विधि विरूद्ध धर्म संपरिवर्तन का प्रतिषेध करने और उससे सम्बधित या आनुषगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के बहत्तरवे वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:-

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विधि विरूद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021 कहा जायेगा। संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह दिनाक 27 नवम्बर, 2020 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

परिभाषायें

2–जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम मे–

(क) **"प्रलोभन"** का तात्पर्य

(एक) नकद या वस्तु के रूप में किसी उपहार, परितोषण, सुलभ धन या भौतिक लाभ,

(दो) रोजगार, किसी धार्मिक निकाय द्वारा संचालित प्रतिष्ठित विद्यालय में निःशुल्क शिक्षा, या

(तीन) बेहतर जीवन शैली, दैवी अप्रसाद या अन्यथा के रूप मे प्रलोभित करने के प्रस्ताव से है और उसमे वे सम्मिलित है;

(ख) **"प्रपीड़न"** का तात्पर्य मनोवैज्ञानिक दबाव या भौतिक बल प्रयोग द्वारा किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरूद्ध कार्य करने के लिए बाध्य करने से है, जिसमें शारीरिक क्षति या धमकी सम्मिलित है;

(ग) **"धर्म संपरिवर्तन"** का तात्पर्य किसी व्यक्ति द्वारा स्वधर्म का त्याग करने और अन्य धर्म को ग्रहण करने से है,

(घ) **"बल"** में धर्म संपरिवर्तित या धर्म संपरिवर्तित होने हेतु इप्सित व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति या सम्पत्ति के लिये बल प्रदर्शित करना या किसी प्रकार की क्षति की धमकी देना सम्मिलित है,

(ङ) **"कपटपूर्ण साधन"** में किसी प्रकार का प्रतिरूपण, मिथ्या नाम, उपनाम, धार्मिक प्रतीक या अन्यथा द्वारा प्रतिरूपण किया जाना सम्मिलित है;

(च) **"सामूहिक धर्म संपरिवर्तन"** का तात्पर्य जहाँ दो या दो से अधिक व्यक्ति धर्म संपरिवर्तित किये जायं, से है,

(छ) **"अवयस्क"** का तात्पर्य अट्ठारह वर्ष से कम आयु के किसी व्यक्ति से है,

(ज) **"धर्म"** का तात्पर्य भारत में या उसके किसी भाग में प्रचलित और तत्समय प्रवृत्त किसी विधि या परम्परा के अधीन यथा परिभाषित पूजा पद्धति, आस्था, विश्वास, पूजा या जीवन शैली की किसी संगठित प्रणाली से है;

(झ) **"धर्म परिवर्तक"** का तात्पर्य किसी ऐसे धार्मिक व्यक्ति से है, जो एक धर्म से दूसरे धर्म में संपरिवर्तन का कोई कार्य सम्पादित करता है और जिसे किसी भी नाम से पुकारा जाय, यथा पादरी, कर्मकाण्डी, मौलवी या मुल्ला इत्यादि;

(ञ) **"असम्यक असर"** का तात्पर्य ऐसे असर का प्रयोग करने वाले व्यक्ति की इच्छा के अनुसार कार्य करने हेतु अन्य व्यक्ति को प्रेरित करने के उद्देश्य से किसी व्यक्ति द्वारा अपनी शक्ति का अंतःकरण के विरूद्ध प्रयोग करने या अन्य व्यक्ति पर असर डालने से है;

(ट) **"विधि विरूद्ध धर्म संपरिवर्तन"** का तात्पर्य ऐसे किसी धर्म संपरिवर्तन से है, जो देश की विधि के अनुसार न हो।

दुर्व्यपदेशन, बल, कपट, असम्यक असर, प्रपीड़न, प्रलोभन द्वारा एक धर्म से दूसरे धर्म में संपरिवर्तन का प्रतिषेध

3–(1) कोई व्यक्ति दुर्व्यपदेशन, बल, असम्यक असर, प्रपीड़न, प्रलोभन के प्रयोग या पद्धति द्वारा या किसी कपटपूर्ण साधन द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अन्यथा रूप में एक धर्म से दूसरे धर्म में संपरिवर्तित नहीं करेगा/करेगी या संपरिवर्तित करने का प्रयास नहीं करेगा/करेगी। कोई व्यक्ति ऐसे धर्म संपरिवर्तन के लिए उत्प्रेरित नहीं करेगा/करेगी, विश्वास नहीं दिलायेगा/दिलायेगी या षड़यन्त्र नहीं करेगा/करेगा।

स्पष्टीकरण:– इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए इस उपधारा में संख्यांकित कारकों के आधार पर विवाह या विवाह की प्रकृति के सम्बन्ध का अनुष्ठानीकरण करके किया गया धर्म संपरिवर्तन सम्मिलित किया गया समझा जाएगा।

(2) यदि कोई व्यक्ति अपने ठीक पूर्व धर्म में संपरिवर्तन करता है तो उसे इस अधिनियम के अधीन धर्म संपरिवर्तन नहीं समझा जाएगा ।

स्पष्टीकरण:– इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए ठीक पूर्व धर्म का तात्पर्य ऐसे धर्म से है जिसमें उस व्यक्ति की आस्था, विश्वास था अथवा जिसके लिए उक्त व्यक्ति स्वेच्छा से और स्वतंत्र रूप से अभ्यस्थ था।

प्रथम सूचना रिपोर्ट दाखिल करने के लिए सक्षम व्यक्ति

4–कोई व्यथित व्यक्ति, उसके माता–पिता, भाई, बहिन या ऐसा कोई व्यक्ति, जो उससे रक्त विवाह या दत्तक ग्रहण से सम्बन्धित हो, ऐसे धर्म संपरिवर्तन, जिससे धारा 3 के उपबंध का उल्लघन होता हो, के सम्बध मे प्रथम सूचना रिपोर्ट दाखिल कर सकता है/सकती है।

धारा 3 के उपबंधों का उल्लंघन करने पर दण्ड

5–(1) जो कोई धारा 3 के उपबंधों का उल्लंघन करेगा/करेगी, वह किसी सिविल दायित्व पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसी अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जायेगा/की जाएगी, जो एक वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु जो पांच वर्ष तक हो सकेगी और वह ऐसे जुर्माने के लिए भी दायी होगा/होगी जो पन्द्रह हजार रूपये से कम नहीं होगा

परन्तु यह कि जो कोई किसी अवयस्क, महिला या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के सम्बन्ध मे धारा 3 के उपबंधों का उल्लंघन करेगा/करेगी वह ऐसी अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जायेगा/की जायेगी जो दो वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु जो दस वर्ष तक हो सकेगी और वह ऐसे जुर्माने के लिए भी दायी होगा/होगी जो पच्चीस हजार रूपये से कम नही होगा :

परन्तु यह और कि जो कोई सामूहिक धर्म संपरिवर्तन के सम्बन्ध में धारा 3 के उपबन्धों का उल्लंघन करेगा/करेगी वह ऐसी अवधि के लिए कारावास से दण्डित किया जायेगा/की जाएगी जो तीन वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु जो दस वर्ष तक हो सकेगी और वह ऐसे जुर्माने के लिए भी दायी होगा/होगी जो पच्चास हजार रूपये से कम नहीं होगा।

(2) न्यायालय उक्त धर्म संपरिवर्तन के पीडित को अभियुक्त द्वारा संदेय समुचित प्रतिकर भी स्वीकृत करेगा, जो अधिकतम पाच लाख रूपये तक हो सकता है जो जुर्माना के अतिरिक्त होगा।

(3) जो कोई इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का पूर्व मे सिद्ध दोष ठहराये जाने पर इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का पुनः सिद्धदोष ठहराया जायेगा/जायेगी वह ऐसे प्रत्येक पश्चातवर्ती अपराध के लिए दण्ड का दायी होगा/होगी जो इस अधिनियम के अधीन तदनिमित्त प्रदान किये गये दण्ड के दो गुना से अधिक नहीं होगा ।

विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन के एकमात्र प्रयोजन से किया गया विवाह या विपर्ययेन शून्य घोषित होगा

6–विधि विरूद्ध धर्म संपरिवर्तन के एकमात्र प्रयोजन से या विपर्ययेन एक धर्म के पुरूष द्वारा अन्य धर्म की महिला के साथ विवाह के पूर्व या पश्चात् या तो स्वयं का धर्म संपरिवर्तन करके या विवाह के पूर्व या पश्चात् महिला का धर्म संपरिवर्तन करके किया गया कोई विवाह, विवाह के किसी पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी याचिका पर कुटुम्ब न्यायालय द्वारा या जहाँ कुटुम्ब न्यायालय स्थापित न हो, वहां ऐसे मामले का विचारण करने की अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा शून्य घोषित कर दिया जायेगा :

परन्तु यह कि धारा 8 एव 9 के समस्त उपबन्ध ऐसे किये जाने वाले विवाहों पर लागू होंगे।

अपराध गैर जमानतीय और संज्ञेय होंगे

7–दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के अधीन समस्त अपराध, संज्ञेय और गैर जमानतीय होंगे तथा सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय होंगे।

धर्म संपरिवर्तन के पूर्व घोषणा और धर्म संपरिवर्तन के सम्बंध में पूर्व रिपार्ट

8–अपना धर्म सपरिवर्तन करना चाहने वाले/वाली व्यक्ति को कम से कम साठ दिवस पूर्व जिला मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा विशेष रूप से प्राधिकृत अपर जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष अनुसूची–एक में विहित प्रपत्र में यह घोषणा करनी होगी कि वह स्व आधार पर और अपनी स्वतंत्र सहमति से तथा बिना किसी बल, प्रपीड़न, असम्यक असर या प्रलोभन के अपना धर्म संपरिवर्तन करना चाहता है/चाहती है।

(2) धर्म परिवर्तक, जो किसी व्यक्ति का एक धर्म से अन्य धर्म में संपरिवर्तित करने के लिए अनुष्ठान सम्पादित करेगा, ऐसे संपरिवर्तन के सम्बंध में अनुसूची–दो में विहित प्रपत्र में नोटिस, जिला मजिस्ट्रेट या उस जिला, जहाँ ऐसा अनुष्ठान सम्पादित किया जाना प्रस्तावित हो, के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा उक्त प्रयोजनार्थ नियुक्त अपर जिला मजिस्ट्रेट की श्रेणी से अनिम्न किसी अन्य अधिकारी को एक माह पूर्व देगा।

(3) जिला मजिस्ट्रेट उपधारा (1) और (2) के अधीन सूचना प्राप्त करने के पश्चात् प्रस्तावित धर्म संपरिवर्तन के वास्तविक आशय, प्रयोजन और कारण के सम्बंध में पुलिस के माध्यम से जांच सम्पादित करायेगा।

(4) उपधारा (1) और/या उपधारा (2) का उल्लघन किये जाने पर प्रस्तावित धर्म संपरिवर्तन किये जाने का प्रभाव अवैध तथा शून्य हो जायेगा।

(5) जो कोई उपधारा (1) के उपबंधो का उल्लंघन करेगा/करेगी वह ऐसी अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जायेगा/की जायेगी जो छः माह से कम नहीं होगी किन्तु जो तीन वर्ष तक हो सकेगी और वह जुर्माने के लिए भी दायी होगा/होगी जो दस हजार रूपये से कम नहीं होगा।

(6) जो कोई उपधारा (2) के उपबधो का उल्लंघन करेगा/करेगी वह ऐसी अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जायेगा/की जायेगी जो एक वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु जो पांच वर्ष तक हो सकेगी और वह जुर्माने के लिए भी दायी होगा/होगी जो पच्चीस हजार रूपये से कम नहीं होगा।

पश्च धर्म संपरिवर्तन की घोषणा

9–(1) धर्म संपरिवर्तित व्यक्ति को अनुसूची–तीन में विहित प्रपत्र में धर्म संपरिवर्तन के दिनांक से साठ दिवस के भीतर उस जिला, जिसमें धर्म संपरिवर्तित व्यक्ति सामान्यतः निवास करता/करती हो, के जिला मजिस्ट्रेट को एक घोषणा प्रेषित करनी होगी।

(2) जिला मजिस्ट्रेट को घोषणा की एक प्रति, पुष्टि किये जाने के दिनांक तक कार्यालय के सूचना–पट्ट पर प्रदर्शित करनी होगी।

(3) उक्त घोषणा में अपेक्षित विवरण अर्थात् धर्म संपरिवर्तन की विशिष्टियां अन्तर्विष्ट होंगी यथा धर्म संपरिवर्तित व्यक्ति की जन्मतिथि, स्थायी पता और वर्तमान निवास स्थान, पिता/पति का नाम, धर्म, जिससे धर्म संपरिवर्तित व्यक्ति मूलतः सम्बन्धित है और धर्म, जिसमें उसने धर्म संपरिवर्तन किया हो/की हो, धर्म संपरिवर्तन का दिनांक तथा स्थान और धर्म संपरिवर्तन हेतु अपनायी गयी प्रकिया की प्रकृति।

(4) धर्म सपरिवर्तित व्यक्ति को घोषणा प्रेषित करने/दाखिल करने के दिनांक से 21 दिन के भीतर जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत होकर अपनी पहचान स्थापित करनी होगी और घोषणा की विषयवस्तु की पुष्टि करनी होगी।

(5) जिला मजिस्ट्रेट को घोषणा के तथ्य को, इस प्रयोजनार्थ अनुरक्षित रजिस्टर में अभिलिखित करके पुष्टि करनी होगी। यदि कोई आपत्तिया संज्ञान में लायी जाती हैं तो वह उन्हें सामान्यतः अभिलिखित कर सकता है यथा नाम, आपत्तियों की विशिष्टियां और आपत्ति की प्रकृति।

(6) घोषणा की सत्यापित प्रति, पुष्टिकरण और रजिस्टर के उद्धरण ऐसे पक्षकार जिसने घोषणा दी हो, को या उसके अनुरोध पर उसके प्राधिकृत विधिक प्रतिनिधि को उपलब्ध कराये जायेंगे।

(7) उपधारा (1) से (4) का उल्लघन किये जाने पर उक्त धर्म संपरिवर्तन का प्रभाव अवैध और शून्य हो जायेगा।

किसी संस्था या संगठन द्वारा अधिनियम के उपबन्धों का अतिक्रमण किये जाने पर दण्ड

10–(1) यदि कोई संस्था या संगठन इस अधिनियम के उपबंधों का अतिक्रमण करता है तो यथास्थिति, उस संस्था या संगठन के मामलों का प्रभारी व्यक्ति या व्यक्तिगण धारा 5 के अधीन यथा उपबंधित दण्ड के अध्यधीन होगा/होंगे और तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन संगठन या संस्था का रजिस्ट्रीकरण, इस सम्बंध में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा कृत निर्देश के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा रद्द किया जा सकता है।

(2) राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबन्धों का अतिक्रमण करने वाली संस्था या संगठन को कोई वित्तीय सहायता या अनुदान उपबंधित नहीं करेगी।

अपराध के पक्षकार

11–जब अधिनियम के अधीन कोई अपराध कारित किया जाय, तब अपराध के कारित करने में निम्नलिखित प्रत्येक व्यक्ति सहभागी हुआ समझा जायेगा/सहभागी हुई समझी जायेगी और वह अपराध का दोषी होगा/होगी और उसे इस प्रकार आरोपित किया जायेगा, मानों वह वास्तव में उक्त अपराध कारित किया हो/की हो, अर्थात्:–

(एक) प्रत्येक व्यक्ति, जो वास्तव में ऐसा कृत्य करता/करती है, जिससे अपराध संरचित होता है,

(दो) प्रत्येक व्यक्ति, जो अन्य व्यक्ति को अपराध कारित करने में सक्षम बनाने या सहायता करने के प्रयोजन से कोई कृत्य करता/करती है या करने का लोप करता/करती है,

(तीन) प्रत्येक व्यक्ति, जो अपराध कारित करने में अन्य व्यक्ति की सहायता करता/करती है या उसे दुष्प्रेरित करता/करती है,

(चार) कोई व्यक्ति, जो अपराध कारित करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को परामर्श देता/देती है, विश्वास दिलाता/दिलाती है या उपाप्त करता/करती है।

सबूत का भार

12–इस तथ्य के सबूत का भार कि कोई धर्म संपरिवर्तन, दुर्व्यपदेशन, बल, असम्यक असर, प्रपीड़न प्रलोभन के माध्यम से या किसी कपटपूर्ण साधन द्वारा या विवाह द्वारा प्रभावित नही है उस व्यक्ति पर, जिसने धर्म संपरिवर्तन कराया है और जहाँ ऐसा धर्म संपरिवर्तन किसी व्यक्ति द्वारा सुकर बनाया गया हो वहाँ ऐसे अन्य व्यक्ति पर होगा।

कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति

13–(1) यदि इस अधिनियम के उपबधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार, सरकारी गजट मे प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध जो इस अधिनियम के उपबन्धो से असगत न हो कर सकती है, जैसा कि उसे कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो :

परन्तु यह कि इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनाक से दो वर्ष के पश्चात ऐसा कोई आदेश नहीं किया जायेगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, यथाशक्य शीघ्र, इसे किये जाने के पश्चात् राज्य विधान मण्डल के दोनो सदनो के समक्ष रखा जायेगा।

नियम बनाने की शक्ति

14–राज्य सरकार सरकारी गजट मे अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।

निरसन और व्यावृत्ति

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 21 सन 2020

15–(1) उत्तर प्रदेश विधि विरूद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश, 2020 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उत्तर प्रदेश विधि विरूद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश, 2020 के अधीन कृत कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन कृत या की गयी गई कार्यवाही समझी जायेगी।

अनुसूची–एक

घोषणा पत्र [धारा 8 की उपधारा (1) देखें]

एक धर्म से दूसरे धर्म में आशयित संपरिवर्तन के सम्बन्ध में सूचना

सेवा मे,

जिला मजिस्ट्रेट,
जिला .....
उत्तर प्रदेश

महोदय,

मैं.....पुत्र/पुत्री.....निवासी.....
.....धर्म.....से धर्म.....में संपरिवर्तन हेतु आवश्यक अनुष्ठान निष्पादित करने का/की इच्छुक हूँ, एतद्द्वारा, धारा 8 की उपधारा (1) द्वारा यथाअपेक्षित आशयित धर्म संपरिवर्तन की सूचना देता/देती हूँ :–

1. व्यक्ति का नाम जिसका धर्म संपरिवर्तन होना है.....
2. नाम:
(क) जिस व्यक्ति का धर्म संपरिवर्तन होना है उसके पिता .....
(ख) जिस व्यक्ति का धर्म संपरिवर्तन होना है उसकी माता .....
3. धर्म संपरिवर्तित किए जाने वाले व्यक्ति का पता .....
भवन संख्या .....वार्ड संख्या .....
मोहल्ला ..... गांव ..... तहसील.....जिला.....
4. आयु ..... (जन्मतिथि)
5. लिंग.....
6. व्यवसाय और मासिक आय .....
7. विवाहित या अविवाहित .....
8. धर्म संपरिवर्तित किये जाने वाले व्यक्ति पर आश्रित व्यक्तियों, यदि कोई हो, के नाम.....
.....
9. यदि कोई अवयस्क हो, तो संरक्षक, यदि कोई हो, का नाम व पूरा पता.....
.....
10. क्या वह अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का/की है, और यदि ऐसा है तो ऐसी जाति के विवरण .....
.....

11. सम्पूर्ण विवरण के साथ उस स्थान का नाम जहा धर्मान्तरण अनुष्ठान किया जाना आशयित है भवन संख्या .....
वार्ड सख्या.....मोहल्ला.....ग्राम.....जिला.....

12. धर्म सपरिवर्तन का दिनाक .....
13. धार्मिक पुजारी .....
(एक) नाम, अर्हता और अनुभव .....
(दो) पता .....

सत्यापन

मैं, ... एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि ऊपर उल्लिखित सूचना मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही है और कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

हस्ताक्षर
दिनाक .....
स्थान .....

अनुसूची–दो

नोटिस पत्र [धारा 8 की उपधारा (2) देखें]
एक धर्म से दूसरे धर्म में आशयित संपरिवर्तन के संबंध में धार्मिक पुजारी द्वारा नोटिस

सेवा में,
जिला मजिस्ट्रेट,
जिला.....
उत्तर प्रदेश

महोदय,
मैं.....पुत्र.....निवासी.....
.....एतद्द्वारा धारा 8 की उपधारा (2) द्वारा यथा अपेक्षित धर्म.....से धर्म.....
.....में आशयित संपरिवर्तन के लिए नोटिस प्रस्तुत करता/करती हूँ, जो निम्नवत् हैं:–
1. व्यक्ति का नाम जिसका धर्म सपरिवर्तन होना है.....
2. नाम:
(क) धर्म सपरिवर्तित किये जाने वाले/वाली व्यक्ति का पिता .....
(ख) धर्म सपरिवर्तित किये जाने वाले/वाली व्यक्ति की माता .....
3. धर्म सपरिवर्तित किए जाने वाले/वाली व्यक्ति का पता.....
भवन सख्या .....वार्ड संख्या .....
मोहल्ला.....गांव.....तहसील.....जिला.....
.....
4. आयु ..... (जन्मतिथि)
5. लिंग.....
6. व्यवसाय और मासिक आय .....
7. विवाहित या अविवाहित .....
8. धर्म सपरिवर्तित किये जाने वाले/वाली व्यक्ति पर आश्रित व्यक्तियों, यदि कोई हो, के नाम .....
.....
9. यदि अवयस्क हो, तो संरक्षक, यदि कोई हों, का नाम व पूरा पता .....
.....
10. क्या वह अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का/की है, और ऐसा है, तो ऐसी जाति के विवरण .....
.....
11. सम्पूर्ण विवरण के साथ उस स्थान का नाम, जहाँ धर्म सपरिवर्तन अनुष्ठान किया जाना आशयित हो भवन सख्या .....वार्ड सख्या.....मोहल्ला.....ग्राम.....जिला..
.....
12. धर्म सपरिवर्तन की तिथि .....
13. धार्मिक पुजारी .....
(एक) नाम, अर्हता और अनुभव .....
(दो) पता .....

सत्यापन

मैं ..... एतदद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि ऊपर उल्लिखित सूचना मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही है और कुछ भी छिपाया नही गया है।

हस्ताक्षर

दिनांक .....

स्थान .....

अनुसूची–तीन

घोषणा पत्र (धारा 9 देखें)

एक धर्म से दूसरे धर्म में संपरिवर्तन के संबंध में सूचना

सेवा मे,

जिला मजिस्ट्रेट,

जिला.....

उत्तर प्रदेश।

महोदय,

मैं.....पुत्र.....निवासी.....

.....एतदद्वारा धारा 9 द्वारा धर्म.....से धर्म.....में सपरिवर्तन हेतु आवश्यक अनुष्ठान सम्पादित कर लिए जाने सम्बन्धी सूचना प्रस्तुत करता/करती हूँ, जो निम्नवत् है:–

1. धर्म सपरिवर्तित व्यक्ति का पूरा नाम:

(1) धर्म सपरिवर्तन के पूर्व.....

(2) धर्म सपरिवर्तन के पश्चात् (यदि नाम परिवर्तित किया गया हो).....

2. नाम:

(क) धर्म संपरिवर्तित व्यक्ति का पिता .....

(ख) धर्म संपरिवर्तित व्यक्ति की माता .....

3. धर्म सपरिवर्तित व्यक्ति का पता .....

भवन संख्या .....वार्ड संख्या .....मोहल्ला ..... गांव .....

..... तहसील.....जिला.....

4. आयु ..... (जन्मतिथि)

5. लिंग.....

6. व्यवसाय और मासिक आय .....

7. विवाहित या अविवाहित .....

8. धर्म संपरिवर्तित व्यक्ति पर आश्रित व्यक्तियो, यदि कोई हो, के नाम .....

.....

9. यदि अवयस्क हो, संरक्षक, यदि कोई हो, का नाम व पूरा पता .....

.....

10. क्या वह अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का है, यदि ऐसा है, तो जाति के विवरण .....

.....

11. सम्पूर्ण विवरण के साथ उस स्थान का नाम, जहाँ धर्म सपरिवर्तन अनुष्ठान सम्पन्न हुआ हो.

भवन संख्या ..... वार्ड संख्या.....मोहल्ला.....ग्राम.....

.....जिला.....

12. धर्म सपरिवर्तन का दिनांक .....

13. धार्मिक पुजारी:.....

(एक) नाम, अर्हता और अनुभव.....

(दो) पता .....

14. धार्मिक पुजारी से भिन्न कम से कम दो ऐसे व्यक्तियों के नाम, पते एवं अन्य विवरण (धर्म सपरिवर्तित व्यक्ति से सम्बन्ध, यदि कोई हो), जिनके द्वारा धर्म संपरिवर्तन अनुष्ठान में भाग लिया गया हो:

(1).....

(2).....

सत्यापन

मैं, ... एतदद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि ऊपर उल्लिखित सूचना मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही है और कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

हस्ताक्षर

साक्षी:(1).....

साक्षी:(2).....

दिनांक .....

स्थान.....

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-15 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायँ ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया तथा स्वीकृत हुआ)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक, 2021 पारित किया जाये।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक, 2021 पारित किया जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश शैक्षिक संस्था (अध्यापक संवर्ग में आरक्षण) विधेयक, 2021

***उच्च शिक्षा एवं विज्ञान एवं प्रोद्यौगिकी राज्य मंत्री (श्रीमती नीलिमा कटियार)–**

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करती हूं कि उत्तर प्रदेश शैक्षिक संस्था (अध्यापक संवर्ग में आरक्षण) विधेयक, 2021 पर विचार किया जाये।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, इसमें संशोधन की आवश्यकता तो नहीं है लेकिन मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं, हम मूलतः इसके पक्ष में हैं लेकिन हमारी बात आ जाये। मान्यवर, यह जो विधेयक आया है हम इसके पक्ष में हैं लेकिन इस विधेयक के आने के पहले बहुत सी नियुक्तियां 13 प्वाइंट रोस्टर के तहत कर ली गयीं, जिससे इन वर्गों का अनुसूचित जाति और पिछडे वर्गों का जो अधिकार था वह उसमें निहित नहीं हो पाया। उनको रिजर्वेशन का जो हमारे संविधान के माध्यम से हमें मिला हुआ है, उसका लाभ नहीं मिल पाया। मैं केवल इतना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी हैं कि इस विधेयक के आने के 100 प्वाइंट वाला रोस्टर लागू करने के पहले जितने 13 प्वाइंट रोस्टर के तहत नियुक्तियां की गयी हैं जिसमें आरक्षण का कोटा पूरा नहीं हुआ है इस नियमावली के अनुसार उसमें क्या विशेष अभियान चलाकर बैकलाग के आधार पर विशेष अभियान चलाकर बैकलाग का जो रिजर्वेशन बनता है, उसके अनुसार उसकी पूर्ति करने का काम करेंगे। अगर इस बात से माननीय मंत्री जी सहमत हो जायें तो निश्चित रूप से हम लोग सर्वसम्मत से इसके पक्ष में हम हैं, हम

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लगातार इसकी मांग करते रहे कि 100 प्वाइंट का जो रिजर्वेशन की पहले नियमावली थी उसको लाई जाये और प्रदेश, पूरे देश के इन वर्गों के दबाव में सरकार को लाने के लिए मजबूर होना पड़ा निश्चित रूप से हम इसका समर्थन करते हुए यह निवेदन जरूर करेंगे कि जो 13 प्वाइंट के आरक्षण की नियमावली के आधार पर जिन संस्थाओं में चाहे वो कोई भी संस्था हो नियुक्तियां कर ली गयी हैं।

श्री अध्यक्ष-

प्रवर समिति में आपका नाम है।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, प्रवर समिति को हम प्रस्ताव नहीं कर रहे हैं, मैं यह चाह रहा हूं कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी स्वयं खड़े होकर इस बात को कह दें कि इस नियमवली के अनुसार जहां रिजर्वेशन का कोटा पूरा नहीं है, उसको हम बैकलाग के आधार पर पूरा करने की कार्यवाही करेंगे।

श्री अध्यक्ष-

यह तो एक अलग काम हुआ, इससे सम्बन्धित तो हो सकता है लेकिन विधेयक के रूप और ग्रहण करने में उससे कोई मतलब तो है नहीं।

***डा0 संग्राम यादव-**

माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि माननीय नेता बसपा ने जो इस प्रस्ताव का समर्थन किया है, मैं भी इससे सहमत हूं जो विधेयक लाया जा रहा है लेकिन आपने इससे पहले के सत्र में जो हम सबकी शंका थी कि सरकार ने 13 प्वाइंट रोस्टर बनाकर जिन-जिन विश्वविद्यालयों में नियुक्तियां कर ली हम सबने उस समय मिलकर उसका विरोध भी आपके माध्यम से दर्ज कराने का काम किया था। आज हम पुनः संसदीय कार्य मंत्री जी से मांग करते हैं कि 13 प्वाइंट रोस्टर के आधार पर उत्तर प्रदेश के जिन-जिन विश्वविद्यालयों में नियुक्तियां हुई हैं चाहे वह गोरखपुर विश्वविद्यालय हो, काशी विद्या पीठ हो, आगरा विश्वविद्यालय हो या जहां-जहां हुई हैं। क्या सरकार उन नियुक्तियों को रद्द करके पुनः नियुक्यिां करायेगी ? मान्यवर, जितनी बेइमानी करनी थी वह तो कर चुके बहुत बड़ा इसमें धोखा हुआ है हम सबने यह बात पिछले सदन में भी कहा था पिछले सत्र में संसदीय कार्य मंत्री जी जोर-जोर से कह रहे थे कि पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के अधिकारों का हम पूरी तौर पर संरक्षण करेंगे लेकिन ऐसा नहीं किया गया। माननीय अध्यक्ष जी, हम इस आशा के साथ विधेयक का समर्थन करते हैं कि 13 प्वाइंट रोस्टर के आधार पर उत्तर प्रदेश के अंदर जितनी

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

भी नियुक्तियां की गई हैं उनको रद्द किया जाये। अगर इन नियुक्तियों को रद्द नहीं किया जायेगा तो फिर हम कैसे मानेंगे कि संसदीय कार्य मंत्री जी की मंशा पिछड़े वर्ग के नौजवानों और बेरोजगारों के साथ है। आपको इसमें जितनी भी नियुक्तियां करनी थीं वह आपने कर दी हैं। आप कानून बनाकर बेईमानी कर लेते हैं और जब आपकी बेईमानी पकड़ी जाती है तो आप इस पर लीपापोती करके विधेयक लेकर आ जाते हैं।

मान्यवर, मेरा आपके माध्यम से सरकार से और विशेषकर संसदीय कार्य मंत्री जी से अनुरोध है कि यदि आप पिछड़े वर्ग और अनुसूचित वर्ग के हितैषी हैं तो आप जो विधेयक लेकर आये हैं उससे पहले आपने जो 13 प्वाइंट रोस्टर बना करके विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में नियुक्तियां पूरी करके पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जाति वर्ग के अधिकारों पर डाका डालने का काम किया है और अन्याय किया है तो उन नियुक्तियों को निरस्त करने का काम करें क्योंकि यदि 13 प्वाइंट रोस्टर गलत ना होता तो आप यह विधेयक लेकर क्यों आते इसलिये आप इन गलत नियुक्तियों को रद्द करें।

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय अध्यक्ष जी, एक बार हाउस में मैं पहले बता चुका हूँ जिसे मैं दोहराना नहीं चाहता हूँ। मैं माननीय वर्मा जी से पूछना चाहता हूं कि वर्ष 2011 में किसकी सरकार थी। मैं वर्ष 2011 में उच्च शिक्षा के सम्बन्ध में इसी सदन में रख चुका हूँ। यदि आप मुझे समय देंगे तो मैं कार्यवाही निकलवा कर कल दिखा दूंगा। मेरा कहना है कि माननीय वर्मा जी की ही यह देन थी। भारत के संविधान के आर्टिकल-162 में कहा गया है कि यदि किसी चीज की तात्कालिकता हो और हम नियमावली और एक्ट ना बना सकें तो शासनादेश से काम चलाते हैं। माननीय वर्मा जी उस समय यहां संसदीय कार्य मंत्री के रूप में बैठे थे और उस समय यह संसदीय कार्य और वित्त मंत्री थे। वह प्रस्ताव यही लेकर आये थे और इन्होंने ही इसे एक संस्था की बजाय विभाग तक सीमित कर दिया था। हम सुधार कर रहे हैं और इनको हमारा स्वागत करना चाहिये। माननीय वर्मा जी बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं इसलिये हम बार-बार उस बात को कहना नहीं चाहते हैं। हमारी नीयत अच्छी है, हमारी मंशा अच्छी है यह जो कुछ भी हुआ और जिस वजह से हुआ हम उसको छोड़कर बिल लाये हैं जो आपको पास कर देना चाहिये। मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि इस विधेयक को पास कर दिया जाये।

श्री लालजी वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, संसदीय कार्य मंत्री जी ने आरोप लगा दिया इसलिये मेरा उत्तर आना जरूरी है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी असत्य बात कर रहे हैं। बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में जब-जब हमारी सरकार बनी है तो विशेष अभियान चलाकर पिछड़े

वर्ग और अनुसूचित जाति वर्ग के बैकलाग के पदों को भरा गया है। जहां पद नहीं थे वहां अतिरिक्त पद सृजित करके अभियान चलाकर उन्हें भरा गया था।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, माननीय वर्मा जी केवल इतना बता दें कि इसको किसने शुरू किया था और कौन यह व्यवस्था लेकर आया था।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, हम इस व्यवस्था को नहीं लाये थे।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, कार्यवाही को निकलवा कर देख लीजिये। इसी हाउस में यह विधेयक प्रस्तुत हुआ है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, शैक्षणिक संस्थाओं में 100 प्वाइंट रोस्टर को हमने खत्म करने का काम नहीं किया था और ना ही हम कोई विधेयक लाये थे।

श्री अध्यक्ष-

माननीय वर्मा जी, विषयान्तर हो रहा है।

श्री लालजी वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, विषयान्तर नहीं हो रहा है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो आरोप लगाया है वह सही नहीं है। किसी संस्था विशेष का मामला रहा हो तो हम नहीं बता सकते। मान्यवर, निश्चित तौर पर 13 प्वाइंट रोस्टर के आधार पर कोई भी भर्ती हमारी सरकार में नहीं हुई है। इस बात को मैं दावे के साथ कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष-

अब आप बैठ जाइये।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, 13 प्वाइंट रोस्टर के आधार पर बहुजन समाज पार्टी की सरकार में बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में कोई भी भर्ती नहीं होने पाई है। मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मैं विधेयक का समर्थन कर रहा हूं, लेकिन साथ-साथ यह भी कहना चाहता हूं कि जिन विश्वविद्यालयों में या संस्थाओं में 13 प्वाइंट रोस्टर के आधार पर भर्ती किया गया है। आज उस 100 प्वाइंट रोस्टर के आधार पर कैलक्युलेशन करके बैकलॉग के आधार पर सरकार भर्ती करने का काम करे, हम इसका स्वागत करते हैं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश शैक्षिक संस्था (अध्यापक संवर्ग में आरक्षण) विधेयक 2021 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, जब संशोधन का प्रस्ताव ही नहीं हुआ है तो संशोधन का मतदान कराने की कोई आवश्यकता ही नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

सूची में नाम तो है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

इन्होंने संशोधन पर बल नहीं दिया है।

श्री लालजी वर्मा-

सर्वसम्मति से माना जाये।

डा0 संग्राम यादव-

मा0 अध्यक्ष जी, इसको सर्वसम्मति से स्वीकृत माना जाये।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

यह तो सर्वसम्मत है।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश शैक्षिक संस्था (अध्यापक संवर्ग में आरक्षण) विधेयक, 2021 पर विचार किया जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

खण्ड-2 से खण्ड-7 तक, खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश शैक्षिक संस्था (अध्यापक संवर्ग में आरक्षण) विधेयक, 2021

राज्य सरकार द्वारा स्थापित, अनुरक्षित या सहायता प्राप्त राज्य के कतिपय शैक्षिक संस्थाओं में अध्यापक संवर्ग हेतु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के व्यक्तियों की सीधी भर्ती द्वारा नियुक्तियों में पदों के आरक्षण और उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक मामलों का उपबन्ध करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश शैक्षिक संस्था (अध्यापक संवर्ग में आरक्षण) अधिनियम, 2021 कहा जायेगा। संक्षिप्त नाम

परिभाषाएं

2–जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में,–

(क) "समुचित प्राधिकारी" का तात्पर्य किसी राज्य शैक्षिक संस्था में उच्च शिक्षा के मानकों के अवधारण, समन्वय या अनुरक्षण के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (अधिनियम संख्या 3 सन् 1956) के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा किसी केन्द्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम द्वारा या तद्धीन स्थापित किसी अन्य प्राधिकरण या निकाय से है,

(ख) "अध्ययन शाखा" का तात्पर्य स्नातक (पूर्व स्नातक), मास्टर (स्नातकोत्तर) और डॉक्ट्रेट स्तरों पर तीन मूल अर्हता स्तरों हेतु किसी प्रमुख अध्ययन शाखा से है ;

(ग) "सीधी भर्ती" का तात्पर्य किसी राज्य शैक्षिक संस्था में अध्यापन हेतु पात्र व्यक्तियों से सार्वजनिक विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन आमंत्रित करते हुए संकाय की नियुक्ति की प्रकिया से है ;

(घ) "आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 2020 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10 सन् 2020) के अधीन यथा परिभाषित नागरिकों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से है ;

(ङ) "संकाय" का तात्पर्य किसी राज्य शैक्षिक संस्था के संकाय से है ;

(च) "अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्था" का तात्पर्य भारत का संविधान के अनुच्छेद 30 के खण्ड (1) के अधीन अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित और प्रशासित तथा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्था आयोग अधिनियम, 2004 (अधिनियम संख्या 2 सन् 2005) के अधीन अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्था के रूप में घोषित किसी संस्था से है ;

(छ) "अन्य पिछड़े वर्गों" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन् 1994) के अधीन अधिसूचित अन्य पिछड़े वर्गों से है;

(ज) "स्वीकृत संख्या" का तात्पर्य समुचित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित अध्यापक संवर्ग में पदों की संख्या से है,

(झ) "अनुसूचित जातियों" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन् 1994) के अधीन परिभाषित अनुसूचित जातियों से है;

(ञ) "अनुसूचित जनजातियों" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन् 1994) के अधीन परिभाषित अनुसूचित जनजातियों से है ;

(ट) "राज्य शैक्षिक संस्था" का तात्पर्य–

(एक) किसी राज्य अधिनियम द्वारा या तद्धीन स्थापित या निगमित किसी राज्य विश्वविद्यालय से है;

(दो) राज्य सरकार से अनुदान प्राप्त और किसी राज्य अधिनियम द्वारा या तद्धीन स्थापित या निगमित किसी राज्य विश्वविद्यालय से सम्बद्ध, सहयुक्त किसी संस्था या उसके घटक संस्था से है;

(तीन) सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (अधिनियम संख्या 21 सन् 1860) के अधीन स्थापित और राज्य सरकार से अनुदान प्राप्त किसी चिकित्सा शिक्षा संस्था से है ;

(चार) ऐसी सरकारी शैक्षिक संस्थाओं, जहां सरकार द्वारा सामान्य राज्य स्तरीय संवर्ग सृजित किया गया हो, के एक संयुक्त समूह से है ;

(ठ) "राज्य सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है;

(ङ) "अध्यापक संवर्ग" का तात्पर्य अध्ययन शाखा या संकाय पर ध्यान दिये बिना किसी राज्य शैक्षिक संस्था के ऐसे समस्त अध्यापकों के वर्ग से है, जो किसी भत्ता या बोनस को छोड़कर एक ही ग्रेड वेतन मे पुनर्संख्यांकित किये जाते हैं।

राज्य शैक्षिक संस्थाओं द्वारा भर्तियों में पदों का आरक्षण

3–(1) तत्समय प्रवृत्त उत्तर प्रदेश राज्य के किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुये भी राज्य सरकार द्वारा विहित सीमा तक तथा रीति से किसी राज्य शैक्षिक संस्था में अध्यापक संवर्ग की स्वीकृत संख्या में सीधी भर्ती के पदों का आरक्षण होगा।

(2) पदो के आरक्षण के प्रयोजनार्थ किसी राज्य शैक्षिक संस्था को एक इकाई माना जायेगा।

कतिपय प्रकरणों में अधिनियम का लागू न होना

4–धारा 3 के उपबन्ध, निम्नलिखित पर लागू नहीं होंगे:–

(क) कोई अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्था ;

(ख) उत्कृष्ट संस्थाएं, अनुसंधान संस्थाएं, राष्ट्रीय और सामरिक महत्व की संस्थाएं।

नियम बनाने की शक्ति

5–राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को क्रियान्वित करने के लिये नियम बना सकती है।

अधिसूचनाओं का राज्य विधान मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया जाना

6–इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा कृत प्रत्येक अधिसूचना, इसे किये जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा।

कठिनाइयां दूर करने की शक्ति

7–(1) राज्य सरकार किन्हीं कठिनाइयों को दूर करने के प्रयोजनार्थ यह निदेश दे सकती है कि इस अधिनियम के उपबन्ध, आदेश में विनिर्दिष्ट की जाने वाली अवधि के दौरान ऐसे अनुकूलनों के अध्यधीन उपान्तरण, परिवर्द्धन या लोप, जैसा कि वह आवश्यक या समीचीन समझे, के माध्यम से प्रभावी होंगे :

परन्तु यह कि इस अधिनियम के प्रारंभ होने के दिनांक से दो वर्ष के पश्चात् ऐसा कोई आदेश नहीं किया जायेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसे किये जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-7 तक, खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्रीमती नीलिमा कटियार-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करती हूं कि उत्तर प्रदेश शैक्षिक संस्था (अध्यापक संवर्ग में आरक्षण) विधेयक, 2021 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश शैक्षिक संस्था (अध्यापक संवर्ग में आरक्षण) विधेयक, 2021 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मिति से स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश पेंशन हेतु अर्हकार सेवा तथा विधिमान्यकरण विधेयक, 2021

***संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-**

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा तथा विधिमान्यकरण विधेयक, 2021 पर विचार किया जाय। मान्यवर, यह एक औपचारिक संशोधन लाये हैं। इसमें अर्हकारी सेवा को परिभाषित किया गया है। इसमें स्थायी या अस्थायी सेवा भी मान्य होगी। मैं समझता हूं कि इसमें कोई विशेष बात नहीं है। अगर हमारे साथी लोग अगर कोई बात उठायेंगे, हमारे विपक्ष के लोग तो हम उसका जवाब दे देंगे। मान्यवर, 1961 का एक ऐक्ट है उसमें हम लोग आपके समक्ष एक संशोधन लाये हैं और यह अधिनियम है, उत्तर प्रदेश रिटायरमेंट्स बेनिफिट रूल्स 1961 के नियम-3 (8) के सम्बन्ध में यह है कि कोई कार्यवाही इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन किये जाने हेतु सदैव स्वीकृत कार्यवाही समझी जायेगी। मान्यवर, इसमें सिर्फ अर्हकारी सेवा को परिभाषित किया गया है, अस्थायी या स्थाई। जो स्थाई या अस्थाई सेवा है उसको ही अर्हकारी सेवा के रूप में लाया गया है और यह विद रेट्रोस्पेक्टिव अफेक्ट है। मैं समझता हूं कि इसमें ऐसी कोई बात नहीं है इसलिए उधर के कोई लोग औपचारिक रूप से नहीं बोल रहे हैं। इसमें केवल एक बात यह कहनी थी कि सीधी भर्ती पर प्रथम नियुक्ति अस्थाई रूप से की जाती है। सम्बंधित पद की सेवा नियमावली में विहित प्रक्रिया के अनुसार परीवीक्षा अवधि संतोषजनक रूप से पूर्ण कर लिये जाने अथवा विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर लेने पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा कर्मचारी का स्थायीकरण किया जा सकता है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है।

***श्री उज्जवल रमण सिंह-**

मा0 अध्यक्ष जी, संशोधन का प्रस्ताव रख दूं। मा0 अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा तथा विधिमान्यकरण विधेयक, 2021 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अंदर सदन में प्रस्तुत करे। मा0 अध्यक्ष जी, देखने में तो बहुत ही छोटा सा यह संशोधन लाये हैं लेकिन इसका जो दूरगामी प्रभाव किसी के भी सर्विस पर पड़ता है। अभी तक जो व्यवस्था थी मा0 मंत्री जी ने वह नहीं बताया कि वह व्यवस्था क्या थी और उसमें कठिनाइयाँ क्या थीं। आपने कहा कि उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए यह किया है। उसमें आप सिर्फ यह लाये कि उसकी जो टेम्परेरी सर्विस थी जो शुरूआती सर्विस थी उसको भी पेंशन में जोड़ दिया। लेकिन इसका प्रभाव केंद्र सरकार के भी

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जो रूल्स हैं और उत्तर प्रदेश सरकार के जो सिविल सर्विस रेगूलेशन है दोनों को अगर आप देख लेते अगर इस पर चर्चा कर लेते तो हमारी समझ से आगे की विसंगति को हम रोक सकते हैं। हो यह रहा है कि जल्दबाजी में हम इसको ले आये और एक दिन पहले यह विधेयक आता है दूसरे दिन पेश कर दिया जाता है और हम लोगों को इतना ज्ञानी समझ लिया जाता है। मुझे तो लगता है कि सारा ज्ञान उधर ज्यादा है हमारे मा0 सदस्यों को और मा0 मंत्रीगणों को, थोड़ा समय अगर आप विधेयकों को दे देते। एक दिन पेश करते, 3-4 दिन बाद ले लेते तो हम लोग भी उसको पढ़ लेते। मैं अभी भी मानता हूं कि जल्दबाजी में इसको न लाइये क्योंकि इसके दूरगामी प्रभाव पड़ेंगे और बाद में फिर आप साल-छः महीने बाद संशोधन ले आयेंगे। कल भी कई विधेयक पास हुये। साल-साल भर में दो-दो, तीन-तीन संशोधन आ रहे हैं और उसका कारण है कि जल्दबाजी में हमारा इसको पास कर देना। टेम्परेरी सर्विस और परमानेंट सर्विस को कैसे आप डिफाइन कर रहे हैं आपने दोनों को एक कर दिया है। इसके प्रभाव को आप देख लीजिए और इसमें सब लोगों से जो इसमें स्टेट होल्डर हैं उनसे वार्ता कर लीजिए। कोर्ट कचेहरी में, हाई कोर्ट में कहाँ कठिनाई हो रही थी जिसके लिए आप यह संशोधन लाये हैं। मुझे जो लगता है कि यह कहीं न कहीं कोर्ट कचेहरी से बचने के लिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों से अपने को बचाव करने के लिए लाया गया है। अगर इसके दूरगामी प्रभाव को देखते हुये और बेहतर तैयारी करते हुये इसको लायें तो बेहतर रहेगा और सरकार इसको प्रवर समिति में दे दे। प्रवर समिति में चर्चा कर लें उसके बाद इस विधेयक को पास करें तो बेहतर होगा।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, उत्तर प्रदेश पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा तथा विधिमान्यकरण विधेयक, 2021 मान्यवर, यह 1961 का एक बिल है। 1961 का जो अधिनियम है उसमें संशोधन के लिए लाये हैं अर्हकारी सेवा को हमने इसमें परिभाषित किया है। अर्हकारी सेवा मान्यवर, स्थाई या अस्थाई सर्विस को ही कहेंगे जो संशोधन लाये हैं उसके अनुसार और मान्यवर, आवश्यकता इसलिए है कि अभी तक यह क्लेरिफाई नहीं था कि पेंशन कहाँ से बनेगी स्पष्ट रूप से इसका तात्पर्य अब यह होगा कि किसी व्यक्ति को किसी विभाग में नौकरी मिली वह नौकरी अस्थाई समझी जायेगी जब तक वह स्थाई न हो जाये। कहीं पर प्रोवीजन का पीरियड एक साल है कहीं दो साल है कहीं किसी टेस्ट के बाद उसको हम स्थाईकरण करते हैं तो इसके लिये अलग-अलग व्यवस्थायें हैं तो इसलिए अस्थाई रूप से किसी व्यक्ति की सरकारी तौर से अगर नियमावली के तहत उसको नौकरी मिलती है तो वह सर्विस में जाता है अगर नियमावली के तहत अगर अपाइंट

किया जाता है तो उस दिन से वह उसकी अस्थाई सर्विस मानी जायेगी जिस दिन से वह स्थाई हो जायेगा तो स्थाई मानी जायेगी। इसका उद्देश्य अर्हकारी सेवा को परिभाषित करना मात्र है।

श्री लाल जी वर्मा-

आगे पेंशन में दोनों सर्विस को जोड़ा जायेगा ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

हॉ जोड़ा जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा तथा विधिमान्यकरण विधेयक, 2021 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा तथा विधिमान्यकरण विधेयक, 2021 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-5 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा तथा विधिमान्यकरण विधेयक, 2021

पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा और इस निमित्त कृत कतिपय कार्यवाहियों का विधिमान्यकरण और उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक मामलों का उपबन्ध करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा तथा विधिमान्यकरण अधिनियम, 2021 कहा जायेगा। संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

(2) यह सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य में लागू होगा।

(3) यह दिनांक 1 अप्रैल, 1961 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा

2–किसी अधिकारी को पेंशन के हक के प्रयोजनार्थ किसी नियम, विनियम या शासनादेश में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी "अर्हकारी सेवा" का तात्पर्य सरकार द्वारा विहित सेवा नियमावली के उपबन्धों के अनुसार किसी अस्थायी या स्थायी पद पर नियुक्त किसी अधिकारी द्वारा उक्त पद के लिए की गई सेवाओं से है।

विधिमान्यकरण

3–किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के होते हुये भी इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनीफिट रूल्स, 1961 के नियम 3 के उपनियम (8) के सम्बन्ध में या तद्धीन कृत या की गई तात्पर्यित कोई कार्यवाही, इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन किये जाने हेतु और सदैव से कृत या की गई समझी जायेगी और वे उतनी ही विधिमान्य होंगी तथा सदैव से विधिमान्यकृत समझी जायेंगी, मानो इस अधिनियम के उपबन्ध दिनांक 1 अप्रैल, 1961 से समस्त सारवान समयों पर प्रवृत्त थे।

अध्यारोही प्रभाव

4–अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के आधार पर प्रभावी किसी लिखत में अन्तर्विष्ट इस अधिनियम से असंगत किसी बात के होते हुये भी इस अधिनियम के उपबन्ध प्रभावी होंगे।

निरसन और व्यावृत्ति

5–(1) उत्तर प्रदेश पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा तथा विधिमान्यकरण अध्यादेश, 2020 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 19 सन् 2020

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों के अधीन कृत कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के सह प्रत्यर्थी उपबंधों के अधीन कृत या की गई समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबंध सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-5 तक, खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाएँ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश पेंशन हेतु अर्हकार सेवा तथा विधिमान्यकरण विधेयक, 2021 पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा तथा विधिमान्यकरण विधेयक, 2021 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

[05:30 बजे] नियम–51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

अब हम नियम-51 की सूचनाएं लेते हैं।

श्री लाल जी वर्मा-

मा0 अध्यक्ष जी, जो मा0 सदस्य अनुपस्थित हैं उनके स्थान पर मेरी नियम–51 की सूचना ले ली जाए क्योंकि मैं उपस्थित हूँ और मेरी सूचना बहुत महत्वपूर्ण है।

***श्रम, सेवायोजन, समन्वय मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-**

मा0 अध्यक्ष जी, इसमे जो मा0 सदस्य उपस्थित रहते हैं उनको इसलिए प्राथमिकता मिलनी चाहिए क्योंकि यह शाम तक बैठे रहते हैं और कुछ मा0 सदस्य सूचना लगाकर चले जाते हैं इसलिए आप बोलते जाएं और जो मा0 सदस्य उपस्थित हों उनकी सूचना स्वीकृत की जाए और जो मा0 सदस्य अनुपस्थित हों उनके स्थान पर प्रतीक्षा सूची से किसी अन्य मा0 सदस्य की सूचना को स्वीकृत कर लिया जाए। यह ज्यादा अच्छा रहेगा और पहले भी यही होता था।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, मैं उपस्थिति की जांच कर लेता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 24-02-2021 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 86 सूचनाएं प्राप्त हुईं, जिनमें से 41 सूचनाएं स्वीकृत हैं और शेष सभी अस्वीकृत है।

(नियम-51 की स्वीकृत सूचनाएं संलग्न है।)

आज दिनांक 24-02-2021 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 86 सूचनायें प्राप्त हुईं

निम्नलिखित सूचनाएं वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई :-

1-श्री अमिताभ बाजपेई की जनपद कानपुर नगर के के0पी0एम0 अस्पताल में डाक्टरों की नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में है, 2-श्री उमाशंकर सिंह की जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र रसड़ा के अन्तर्गत टोंस नदी में बाढ़ से उत्पन्न परिस्थिति के सम्बन्ध में है, 3-श्री शैलेन्द्र यादव ललई की ग्राम्य विकास विभाग डी0आर0डी0ए0 कर्मियों की पेंशन नगदीकरण तथा चिकित्साप्रतिपूर्ति दिलाए जाने के सम्बन्ध में है, 4-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा की प्रदेश में कार्यरत

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चौकीदारों को मानदेय व अन्य सुविधा दिलाए जाने के सम्बन्ध में है, 5-श्री मनोज कुमार पाण्डेय की जनपद रायबरेली में नगर पंचायत द्वारा सड़क निर्माण का कार्य कराए जाने के सम्बन्ध में तथा 6-श्री रामचन्द्र यादव की लोक निर्माण विभाग द्वारा जनपद अयोध्या में निर्माण कराए जाने के सम्बन्ध में है।

निम्नलिखित सूचनाएं केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई :-

1-असलम ''राइनी'' (एडवोकेट) की जनपद श्रावस्ती में तटबन्ध बनाने में की गई अनियमितता की जाँच कराने के सम्बन्ध में है, 2-श्री मनीष असीजा की फिरोजाबाद में राजकीय मेडिकल कालेज में सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के संबंध में है, 3-श्री श्याम सुन्दर शर्मा की दिनांक 8 जुलाई 2019 को आगरा के यमुना एक्सप्रेस-वे पर हुए हादसे में मृतकों के परिवारीजन को मुआवजा दिलाये जाने के सम्बन्ध में है, 4-श्री सुनील कुमार शर्मा की जनपद गाजियाबाद के आवास विकास की कॉलोनियों में अवैध निर्माण रोके जाने के सम्बन्ध में है, 5-श्री आनन्द शुक्ला की जनपद चित्रकूट में अधूरे पड़े ब्लास्टिंग कूप के सम्बन्ध में है, 6-श्री मयंकेश्वर शरण सिंह की जनपद उन्नाव के बांगरमऊ मार्ग पर कतिपय पुनर्निर्माण का कार्य कराए जाने के सम्बन्ध में है तथा 7-श्री संजय गर्ग की प्रदेश में आयुष चिकित्सक व अन्य पैरामेडिकल स्टाफ तैनात कराये जाने के सम्बन्ध में है।

निम्नलिखित सूचनाएं ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई :-

1-श्रीमती बन्दना सिंह की डी0आर0डी0ए0 कर्मियों को उत्तरांचल राज्य की तरह व अन्य सभी सुविधाओं को देने के सम्बन्ध में है, 2-श्री रामप्रताप वर्मा की जनपद लखनऊ के अन्तर्गत पारा क्षेत्र में स्थित पारा रेलवे क्रासिंग पर ओवर ब्रिज का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, 3-श्री देवेन्द्र निम की जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र रामपुर मनिहारन में पशु चिकित्सालय निर्माण की जाँच कराए जाने के सम्बन्ध में है, 4-श्री अगयश रामसरन वर्मा की जनपद पीलीभीत के विधान सभा क्षेत्र बीसलपुर में जीवित व्यक्तियों को मृत दिखाकर भू-माफियाओं के नाम जमीन कराए जाने के सम्बन्ध में है, 5-श्री कैलाश नाथ सोनकर की जनपद वाराणसी के विधान सभा क्षेत्र अजगरा में आवास विकास के अधिकारियों द्वारा की जा रही अनियमितता की जाँच कराए जाने के सम्बन्ध में है, 6-प्रिन्स वीर विक्रम सिंह की जनपद शाहजहाँपुर के विधान सभा क्षेत्र कटरा विकास खण्ड जैतीपुर में धान क्रय केन्द्र पर की जा रही अनियमितता की जाँच कराए जाने के सम्बन्ध में है, 7-श्री सुभाष राय की जनपद अम्बेडकरनगर में बने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को चालू कराए जाने के सम्बन्ध में है, 8-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव की जनपद लखनऊ के राजाजीपुरम् में पं0 दीन दयाल उपाध्याय राजकीय महिला विद्यालय में हाई टेंशन की लाइट हटाने व क्षतिग्रस्त भवन के पुनर्निर्माण के

सम्बन्ध में है, 9-श्री विजय कुमार राजभर की की जनपद मऊ के छोटी सरयू की खुदाई कराए जाने के सम्बन्ध में है, 10-श्री मुकेश चन्द्र वर्मा की जनपद फिरोजाबाद के विधानसभा क्षेत्र शिकोहाबाद में राजकीय महिला डिग्री कॉलेज की स्थापना कराए जाने के सम्बन्ध में है, 11-श्री प्रेम सागर पटेल की जनपद महाराजगंज के विधान सभा क्षेत्र सिसवा बाजार के सिसवा बाजार नगर पालिका में शासक नियुक्त किये जाने के सम्बन्ध में है, 12-श्री रामअचल राजभर की जनपद अम्बेडरनगर के ब्लाक अकबरपुर में जर्जर सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, 13-श्री आजाद अरिमर्दन की लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा फीस वापस न किये जाने के सम्बन्ध में है, 14-श्री नरेश सैनी की जनपद सहारनपुर व आस-पास के क्षेत्रों में प्लाई फैक्ट्री कर स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में है, 15-श्री मसूद अख्तर की जनपद सहारनपुर में राजकीय कन्या इण्टर कालेज की चहारदीवारी बनाये जाने के संबध में है, 16-श्री उज्जवल रमण सिंह की व्यावसायिक शिक्षा परिषद् के कर्मचारियों का वेतन बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में है, 17-श्री राजीव तरारा की जनपद अमरोहा के विधान सभा क्षेत्र धनौरा के तिगरी धाम में गंगा नदी पर पक्के घाट का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, 18-श्री पूरन प्रकाश की जनपद मथुरा विधान सभा क्षेत्र बल्देव में निजी शिक्षण संस्थाओं की जाँच कराए जाने के सम्बन्ध में है, 19-श्री रमेश चन्द्र मिश्र की जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र बदलापुर के श्रीकृष्ण नगर जूनियर हाई स्कूल का जीर्णोद्धार कराए जाने के सम्बन्ध में है, 20-श्री वीरेन्द्र यादव की जनपद गाजीपुर के अन्तर्गत चकताजुद्दीन में पुल का निर्माण कराए जाने के सम्बन्ध में है, 21-श्री इं0 बृजेश कठेरिया की जनपद मैनपुरी के विकास खण्ड करहल में ग्राम सड़ पर अनइयां नदी पर पुल निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, 22-श्रीमती सुषमा पटेल की जनपद जौनपुर के विकास खण्ड मुंगराबादशाहपुर तथा सुजानगंज में खण्ड विकास अधिकारी द्वारा किए गए भ्रष्टाचार की जाँच कराए जाने के सम्बन्ध में है, 23-डा0 सोमेन्द्र तोमर की जनपद मेरठ में विशेष समुदाय के लोगों द्वारा थूक, पेशाब व अन्य अपशिष्ट पदार्थ खाद्य सामग्री में मिलाए जाने की जाँच कराए जाने के सम्बन्ध में है, 24-श्री नफीस अहमद की जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र गोपालपुर में ट्रांसफर का लोड बढ़ाए जाने के सम्बन्ध में है, 25-श्री पल्टूराम की राप्ती नदी की कटान को रोके जाने के सम्बन्ध में है, 26-श्री धर्मराज सिंह 'सुरेश यादव' की जनपद बाराबंकी के बडेल रजवाहा के टेल तक अतिक्रमण किये जाने के सम्बन्ध में है, 27-श्री लाल जी वर्मा की जनपद अम्बेडकरनगर के नगर पालिका परिषद टाण्डा में अध्यक्ष महोदया की मृत्यु के उपरान्त चार्ज दिये जाने के सम्बन्ध में तथा 28-श्री जवाहर लाल राजपूत की जनपद झांसी की गरौठा तहसील में गिरते भू-गर्भ जल स्तर के सम्बन्ध में है।

शेष मा0 सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार की गयी :-

क्रम	नाम	क्रम	नाम
1	श्री विजेन्द्र सिंह	26	इंजी0 बृजेश कठेरिया
2	श्री धर्मेन्द्र कुमार सिंह शाक्य “पप्पू भइया”	27	श्री अबरार अहमद
3	डा0 हरगोविन्द भार्गव	28	श्री प्रभु नारायण सिंह यादव
4	श्री उपेन्द्र नाथ पासवान	29	श्रीमती सुषमा पटेल
5	डा0 संगीता बलवन्त	30	डॉ0 सोमेन्द्र तोमर
6	श्री फतेह बहादुर	31	श्री नफीस अहमद
7	श्री कैलाश नाथ शुक्ल	32	श्री अनिल कुमार दोहरे
8	श्री अनिल पाराशर	33	श्री पल्टूराम
9	श्री सुरेन्द्र मैथानी	34	श्री संजय प्रताप जायसवाल
10	श्री राजीव तरारा,	35	श्री पवन कुमार उर्फ पवन केडिया
11	श्री प्रेम नारायण पाण्डेय	36	श्री दयाराम चौधरी
12	श्री सहेन्द्र सिंह चौहान	37	श्री सोबरन सिंह यादव
13	श्री सत्यवीर त्यागी	38	श्री लकी यादव
14	श्री सुभाष त्रिपाठी	39	श्री असलम अली
15	श्री राम पाल वर्मा	40	श्री धर्मराज सिंह यादव “सुरेश यादव”
16	श्री ज्ञान तिवारी	41	श्री जटाशंकर त्रिपाठी
17	श्री मूलचन्द्र सिंह	42	श्री लाल जी वर्मा
18	श्री पूरन प्रकाश	43	श्री जवाहर लाल राजपूत
19	श्री अवस्थी बाला प्रसाद	44	पं0 राधाकृष्ण शर्मा तथा
20	श्री काली प्रसाद	45	श्री ममतेश शाक्य।
21	श्री रमेश चन्द्र मिश्र		
22	श्री लाल बहादुर		
23	श्रीमती ऊषा सिरोही		
24	श्री हाकिम लाल बिन्द		
25	श्री विरेन्द्र कुमार यादव		

[05:30] जनपद कानपुर के घाटमपुर विधान सभा क्षेत्र में भू-माफियाओं की दबंगई से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री अमिताभ बाजपेई द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

जल शक्ति मंत्री (डॉ0 महेन्द्र सिंह)-

मान्यवर, जिलाधिकारी कानपुर नगर से प्राप्त आख्या के अनुसार आवेदिका श्रीमती साधना सिंह ने जवाहर नगर, उत्तरी कस्बा, घाटमपुर में 207 वर्ग मीटर प्लाट की रजिस्ट्री राजस्व ग्राम घाटमपुर में करायी थी।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

(मुख्य मंत्री का वक्तव्य जल शक्ति तथा बाढ़ नियंत्रण मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

डॉ0 महेन्द्र सिंह-

[श्रीमती साधना सिंह द्वारा पूर्व में कभी भी कोई प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। श्रीमती साधना सिंह, श्री दिनेश सिंह की पुत्री हैं। श्री दिनेश सिंह से शिकायत के संदर्भ में वार्ता की गई जिस पर श्री दिनेश सिंह द्वारा अवगत कराया गया कि उन्होंने अपनी आराजी लगभग 2 बिस्वा को अपनी पुत्री श्रीमती साधना सिंह को विक्रय कर दिया है। आवेदिका द्वारा निर्माण कार्य न करने देने के सम्बन्ध में दिनांक 23-02-2021 को उप जिलाधिकारी घाटमपुर के समक्ष प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसके क्रम में थानाध्यक्ष घाटमपुर द्वारा श्री राघवेन्द्र सिंह, श्री सहदेव सिंह, श्री इन्द्रजीत सिंह व श्री उदयवीर सिंह पुत्रगण स्व0 बदन सिंह, निवासी-जवाहर नगर उत्तरी के विरुद्ध मु0अ0सं0-384/21 अन्तर्गत धारा-384, 504, 352 (भा0द0सं0) में अभियोग पंजीकृत किया गया है। ज्वाइट मजिस्ट्रेट/उप जिलाधिकारी, घाटमपुर, कानपुर नगर के पत्र दिनांक 22-02-2021 द्वारा थाना निरीक्षक घाटमपुर को निर्देशित किया गया है कि सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना विधि अनुसार जारी मकान निर्माण पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप न किया जाय।]

***श्री अमिताभ बाजपेई-**

मान्यवर, मैं वक्तव्य से संतुष्ट हूं और केवल दो बातें कहना चाहता हूं कि 22 तारीख को सूचना दी है, जो भी कार्रवाई हुई है वह 22 और 23 को हुई है। फौजी का मामला है, इसको संरक्षण दिया जाये और जिन अधिकारियों ने इससे पहले कार्रवाई नहीं की उनकी

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ऐप्लीकेशन को इग्नोर किया है उन पर कार्रवाई की जाये, इतना ही निवेदन है। आपके वक्तव्य से मैं संतुष्ट हूं।

***डॉ0 महेन्द्र सिंह-**

मा0 अध्यक्ष जी प्रार्थना-पत्र मिलते ही त्वरित कार्रवाई की गयी, इसके पहले कभी प्रार्थना-पत्र मिले नहीं तो कार्रवाई किस पर की जायेगी। जैसे ही प्रार्थना-पत्र मिला तुरंत कार्रवाई की गयी, जहां तक फौजी का विषय है, मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश के और प्रदेशों के फौजियों का इतना सम्मान करती है कि हर जगह उनके लिए हम लोग खड़े रहते हैं।

श्री अमिताभ बाजपेई-

हमने ये कहा है कि अधिकारियों ने 22 तारीख के पहले के सारे प्रार्थना-पत्र इग्नोर कर दिये हैं, अगर उन्होंने लिखा होता कि हमने कार्रवाई नहीं की तो वह खुद ही कठघरे के घेरे में आ जाते, वह कभी नहीं लिखेंगे। आप जांच करा लीजिए, अगर कोई अधिकारी दोषी है तो उस पर कार्रवाई करिये, ये मेरा निवेदन है। मैं कोई आरोप-प्रत्यारोप नहीं कर रहा हूं।

डॉ0 महेन्द्र सिंह-

मान्यवर, ऐसा कुछ नहीं है, जैसे ही पत्र प्राप्त हुआ, जिलाधिकारी ने लिखा है कि 22 को पत्र प्राप्त हुआ वैसे ही उस पर कार्यवाही हुई और उस कार्यवाही से मा0 सदस्य संतुष्ट भी है।

जनपद उन्नाव के नगर पंचायत बीघापुर में कृषि कल्याण केन्द्र की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री फतेह बहादुर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर कृषि मंत्री का वक्तव्य

***कृषि, कृषि शिक्षा, कृषि अनुसंधान राज्य मंत्री (श्री लाखन सिंह)-**

कृषि निदेशक द्वारा जनपद उन्नाव के राजकीय कृषि बीज भण्डार बीघापुर में स्थित जीर्ण-शीर्ण भवनों का ध्वस्तीकरण/मलवा निस्तारण...

***श्री मनोज कुमार पाण्डेय-**

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, वक्तव्य को पढ़ा हुआ मान लेते हैं।

(कृषि मंत्री का वक्तव्य कृषि राज्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

***श्री फतेह बहादुर-**

मान्यवर, मंत्री जी का जो उत्तर आया है, उसमें लिखा है कि "मा0 मंत्रि-परिषद की अनुमति प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही गतिमान है"। कार्य कब प्रारम्भ होगा, वहाँ पर काम तो शुरू हुआ नहीं, जब काम शुरू हो, तब तो हम जानें। बजट स्वीकृत हो गया, पैसा स्वीकृत हो गया। किस दिन कार्य प्रारम्भ होगा, इसका उत्तर दे दें।

श्री लाखन सिंह-

मान्यवर, 22 फरवरी को फाइनेंस डिपार्टमेंट में यह पत्रावली गयी हुई है, ध्वस्तीकरण का एमाउण्ट भी फिक्स हुआ है, वहाँ से सलाह भी माँगी गयी है, जैसे वापस आ जायेगी, तुरन्त कार्यवाही होगी।

श्री फतेह बहादुर सिंह-

अध्यक्ष जी, आपकी तरफ से समय की कुछ बाध्यता हो जाए। गतिमान तो बहुत दिनों से है। अध्यक्ष जी, आपकी तरफ से कुछ निर्देश हो जायें। यह आवश्यक कार्य है।

श्री अध्यक्ष-

कुछ समय बता दीजिए कि कितने दिनों में कर लेंगे।

श्री लाखन सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, वह प्रक्रियाधीन है और जैसे ही प्रक्रिया उसकी कम्प्लीट हो जायेगी, यह हो जायेगा।

***वित्त मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-**

मान्यवर, यथाशीघ्र करवा लेंगे।

श्री लाखन सिंह-

[के साथ सम्बन्धित धनराशि रु0 2,10656.32 (रु0 दो लाख दस हजार छ सौ छप्पन रु0 बत्तीस पैसे) को बट्टे खाते में डाले जाने योग्य धनराशि की स्वीकृति प्रदान करने के अनुरोध के क्रम में लोक निर्माण विभाग का परामर्श प्राप्त किया गया। लोक निर्माण विभाग द्वारा कुल धनराशि रु0 3,90569.00 को बट्टे खाते में डाले जाने वाली धनराशि का विवरण उपलब्ध कराते हुये प्रकरण को मा0 मंत्रि-परिषद के समक्ष प्रस्तुत करने का परामर्श दिया गया। लोक निर्माण विभाग के परामर्श के क्रम में मा0 मंत्री जी से अनुमोदन प्राप्त कर सम्बन्धित परामर्शी विभागों यथा-न्याय विभाग, वित्त विभाग एवं राजस्व विभाग का अभिमत प्राप्त करने हेतु पत्रावली प्रेषित की गयी। न्याय विभाग एवं राजस्व विभाग का अभिमत प्राप्त हो चुका है। वित्त

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

विभाग द्वारा 02 बिन्दुओं पर की गयी पृच्छा का उत्तर लोक निर्माण विभाग एवं कृषि निदेशालय से प्राप्त कर पत्रावली वित्त विभाग का अभिमत प्राप्त करने हेतु पुनः वित्त विभाग को संदर्भित की गयी है। वित्त विभाग का परामर्श/अभिमत प्राप्त होने के उपरान्त प्रकरण को मा0 मंत्रि-परिषद के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।

अतः उक्त से स्पष्ट है कि जनपद उन्नाव के राजकीय कृषि बीज भण्डार बीघापुर में स्थित जीर्ण-शीर्ण भवनों का धवस्तीकरण/मलवा निस्तारण के साथ सम्बन्धित धनराशि को बट्टे खाते में डाले जाने हेतु मा0 मंत्रि-परिषद की अनुमति प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही गतिमान है।]

जनपद रायबरेली के विकास खण्ड डलमऊ में ऊँचाहार-कानपुर मार्ग से कोल्ड स्टोरेज के बगल से पथरौली होकर बांसी परान जाने वाले मार्ग के नवीनीकरण के सम्बन्ध में श्री मनोज कुमार पांडेय द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य

***संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-**

जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र ऊँचाहार के विकास खण्ड डलमऊ में बिलग्राम-उन्नाव- प्रयागराज...

***श्री मनोज कुमार पाण्डेय-**

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, वक्तव्य को पढ़ा मान लेते हैं।

(लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[(राज्य मार्ग सं0-38) के कि0मी0-172 से निकलने वाले मार्ग कोडऊ (गुरू का पुरवा) से सलरहा सम्पर्क मार्ग की कुल लम्बाई 9.400 कि0मी0 है। मार्ग के प्रारम्भ का 3.200 कि0मी0 भाग खराब है जो वर्तमान में पी0एम0जी0एस0वाई0 (ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग) के स्वामित्व में है। शेष आगे का 6.200 कि0मी0 भाग लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व में है, जो कि यातायात के आवागमन हेतु उपयुक्त है।

इलाहाबाद रोड से चांदपुर लूक जाने वाले मार्ग की कुल लम्बाई 5.500 कि0मी0 है, जिसके कि0मी0-1.2 एवं कि0मी0-4 में कहीं-कहीं पर पैच है तथा सतह क्षतिग्रस्त हो रही है। मार्ग की मरम्मत हेतु रु0 33.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत कर दी गयी है। मरम्मत का कार्य शीघ्र पूर्ण करा दिया जायेगा। मार्ग का शेष भाग ठीक है।]

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

आपकी तो सभी मांग आज कल पूरी हो रही हैं। जो आपने चाहा था, वह पूरा हो गया।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

नहीं हुआ।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

तो बताइये।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

माननीय अध्यक्ष जी, जो उत्तर आया है, वह हमारी विधान सभा क्षेत्र ऊँचाहार के विकास खण्ड डलमऊ में पखरौली जाने वाले मार्ग का है। उत्तर आया है कि "9.400 कि0मी0 मार्ग के प्रारम्भ का 3.200 कि0मी0 भाग खराब है, जो वर्तमान में पीएमजीएसवाई ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग के स्वामित्व में है, शेष आगे का 6.200 कि0मी0 भाग लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व में है जो यातायात के आवागमन हेतु उपयुक्त है, शेष मार्ग खराब है, उसके लिए 33 लाख की वित्तीय स्वीकृति की जायेगी।" माननीय अध्यक्ष जी, यह जो उत्तर है, मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूँगा कि इतनी असंवेदनशीलता और लापरवाही से अधिकारी उत्तर दे रहे हैं। उन्होंने दो चीजें कहीं, जो दोनों ही सच नहीं हो सकतीं। एक तो उन्होंने यह कहा कि यह रोड पीएमजीएसवाई की है और इस समय इसका स्वामित्व आरईएस के पास है। 13 जनवरी, 2014 को यह सड़क बन गयी और इसका पेमेण्ट हो गया। अगर नियमानुसार हम देखें तो आज इसको 7 साल हो गया, 5 वर्ष के बाद स्वामित्व नहीं रख सकता, यह अपने आप स्वतः शासनादेश के अनुसार लोक निर्माण विभाग में आ जानी चाहिए। दूसरी चीज हमने कहीं लोक निर्माण विभाग के लिए नियम-51 नहीं लगाया था। हमने तो सरकार से आग्रह किया था कि यह सड़क खराब है और यह सड़क बन जानी चाहिए। अगर 5 साल से ऊपर बीत गया तो इसमें जवाब आ जाना चाहिए कि हम इसका निर्माण करा देंगे और यदि आरईएस के पास है तो 5 साल के रख-रखाव का पैसा पीएमजीएसवाई, आरईएस को देती है तो इन्होंने क्यों यह नहीं लिखा कि इस खराब मार्ग को ठीक करा देंगे, इसको चलने लायक बना देंगे तो मैं आपसे केवल आग्रह कर रहा हूं कि यह जो अधिकारी उत्तर भेज देते हैं। इसी तरह कल हमारे यहाँ नगर पंचायत में भेज दिया कि सबसे कम आबादी की है, इसी को लिया जाना चाहिए लेकिन हमने रिकमेण्ड दूसरे को किया है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी इन चीजों को समझते हैं, वरिष्ठ हैं। मैं आपसे आग्रह करूँगा कि इनका जो उत्तर है. यह भ्रामक है और यह गलत है और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जिन अधिकारियों ने इस तरह का उत्तर भेजा है, मैं निवेदन करूँगा कि उन के ऊपर कार्रवाई हो और इस पूरे मार्ग का निर्माण कराये जाने का

माननीय अध्यक्ष जी, संसदीय कार्य मंत्री जी से निवेदन है कि इसकी हम लोगों को सूचना दे दें और इसके बनवाये जाने की बात कह दें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, आप इस क्विशचन का दूसरा पार्ट देखें, नियत मना करने की नहीं है, 33 लाख रूपया आपकी ही बात पर स्वीकृत किया गया। मान्यवर, आप क्वेश्चन का दूसरा पार्ट देखें, नियत मना करने की नहीं है। 33 लाख रुपया आपकी ही बात पर स्वीकृत किया गया। जहां तक पहली बात उसका सवाल है आपने जो नौ किलोमीटर और चार सौ मीटर की जो बात कही है उसमें दो पार्ट बताए गए हैं और दोनों पार्ट के जवाब से आप संतुष्ट नहीं हैं तो इसको फिर से दिखवा लेंगे। मा0 डिप्टी सीएम साहब से कह भी देंगे। वैसे भी यह सार्वजनिक हित का है और इसको जरूर दिखवा लेंगे।

जनपद श्रावस्ती में आबकारी विभाग द्वारा किये गये भ्रष्टाचार की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मोहम्मद असलम ''राइनी'' (एडवोकेट) द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर आबकारी मंत्री का वक्तव्य

***आबकारी, मद्य-निषेध मंत्री (श्री राम नरेश अग्निहोत्री)-**

जनपद श्रावस्ती में आबकारी विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा किसी भी शराब विक्रेता से अवैध वसूली नहीं की जाती है और न ही दुकानों से हरियाणा राज्य की मैकडावल मदिरा का विक्रय जनपद की शराब दुकानों से होता है।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

(आबकारी मंत्री का वक्तव्य उन्होंने ही दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री राम नरेश अग्निहोत्री-

[जनपद में संचालित मदिरा की दुकानों से शासन द्वारा निर्धारित दरों पर मदिरा का विक्रय किया जाता है। निर्धारित दरों पर मदिरा का विक्रय किये जाने की जॉच भी समय-समय पर करायी जाती है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में अब तक जनपद में तीन दुकानों (देशी शराब दुकान-कंजड़वा, लंगड़ीगूलर व कमलाजोत) पर निर्धारित विक्रय मूल्य से अधिक मूल्य पर बिक्री किये जाने के प्रकरण पाये गये, जिसमें प्रत्येक दुकान रु0 75,000/- की दर से कुल रु0 2,25,000/-जुर्माना अधिरोपित करते हुए वसूली की कार्यवाही की गयी है।]

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

***श्री मोहम्मद असलम "राइनी" (एडवोकेट)-**

मेरा वाइन और दारू से ज्यादा ताल्लुक तो है नहीं और न कभी उसको टेस्ट करके देखा है, लेकिन मैं आपकी और सरकार की भलाई चाहता हूं। मेरा मा0 मंत्री जी से अनुरोध है कि पूर्वांचल के जितने भी जिले हैं, वहां का मैकडॉनल्ड मंगवा लिया जाए और लखनऊ का भी मैकडॉनल्ड मंगवा लिया जाए और आप इसको किसी लैब में टेस्ट करवा लीजिए कि वह असली है कि नहीं। उत्तर प्रदेश सरकार को जो चूना आपके अधिकारी लगा रहे हैं, चालीस रुपए की मदिरा हरियाणा से मंगाकर के उत्तर प्रदेश का लेबिल लगाया जाता है। एक बोतल पर बीस रुपए लेकर के आपके अधिकारी पुलिस बॉर्डर क्रॉस करते हैं और उसके बाद में उसको 140 में बेचा जाता है और लखनऊ में भी 140 में बिकता है, लेकिन लखनऊ का जो मैकडॉनल्ड है, वह जनपद श्रावस्ती, बहराईच, गोण्डा, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती और उन्नाव मा0 अध्यक्ष जी का भी जनपद ले लीजिए। उसको एक तरीके से लैब में टेस्ट करा लें या अगर कोई पीता हो तो उसका टेस्ट बता दें।

श्री अध्यक्ष-

आपकी समस्या क्या है ?

श्री मोहम्मद असलम "राइनी" (एडवोकेट)-

मान्यवर, दोनों में फर्क है और राजस्व का नुकसान हो रहा है। राजस्व की बहुत बड़ी हानि हो रही है और करोड़ों रुपए का डेली सेल है। इसमें अधिकारी तो मालामाल हो रहे हैं। मा0 मंत्री जी बताएं कि ऐसा तो नहीं कि उसका हिस्सा थोड़ा आपको भी मिलता हो। मा0 अध्यक्ष जी मैं अपनी बात वापस लेता हूं, लेकिन मा0 अध्यक्ष जी कहीं न कहीं दाल में काला जरूर है। मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी इसकी जांच करा लें। आपके अधिकारी इसमें बहुत कुछ गोलमाल कर रहे हैं, आपके अधिकारी इसमें संलिप्त हैं। 40 रुपए का मैकडॉनल्ड 140 रुपए में बेच रहे हैं। मान्यवर, इसकी जांच एस0आई0टी0 से करा दें या एस0टी0एफ0 से करा दें। मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी से करा दें।

श्री राम नरेश अग्निहोत्री-

मान्यवर, जनपद श्रावस्ती में आबकारी विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा किसी भी शराब विक्रेता से अवैध वसूली नहीं की जाती और नई दुकानों से हरियाणा राज्य की मैकडॉनल्ड मदिरा का विक्रय जनपद की शराब दुकानों से होता है। दूसरी बात जो इन्होंने कही है कि राजस्व का नुकसान हो रहा है। मैं इनकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं और पूरे मा0 सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि जब यह सरकार आई थी, यानि उधर जो हमारे मित्र बैठे हैं सपा वाले वह सरकार जब गई थी तब 14 हजार 273 करोड़ रुपए का राजस्व था और आज हम 30 हजार करोड़ पर पहुंचने जा रहे हैं। यह सरकार की ईमानदारी और सफलता का काम है। इसलिए राजस्व का नुकसान कहीं नहीं हो रहा है। न कोई बेईमानी हो रही है और न कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है।

जनपद देवरिया के भाटपार रानी ब्लॉक को अन्यत्र विस्थापित न कराये जाने के सम्बन्ध में श्री आशुतोष उपाध्याय द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

***संसदीय कार्य, ग्राम्य विकास, समग्र ग्राम विकास राज्य मंत्री (श्री आनन्द स्वरूप शुक्ल)-**

मान्यवर, जनपद देवरिया के भाटपार रानी ब्लॉक को अन्यत्र....

***पंचायती राज मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी)-**

मान्यवर, इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसको पढ़ा हुआ माना जाता है।

(मुख्य मंत्री का वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री आनन्द स्वरूप शुक्ल-

[विस्थापित बनाये जाने के सम्बन्ध में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है न ही शासन को कोई प्रस्ताव कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया है। यह भी अवगत कराया गया है कि श्री रविन्द्र कुशवाहा, मा0 सांसद के पत्र दिनांक 30-12-2020 में किये गये अनुरोध के क्रम में कार्यालय आयुक्त, ग्राम्य विकास उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-46/पी0ए0सी0आर0डी0/2020, दिनांक 30-12-2020 द्वारा जिलाधिकारी, देवरिया से आख्या मांगी गयी है, जो अभी अप्राप्त है। उल्लेखनीय है कि उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम-1961 के अध्याय-2 के नियम-3 ग्राम्य क्षेत्रों का खण्डों में विभाजन में यह व्यवस्था है कि ''राज्य सरकार, गजट में विज्ञप्ति द्वारा प्रत्येक खण्ड का नाम और उसके क्षेत्र की सीमायें या उसके संघटक अंश निर्दिष्ट करते हुये प्रत्येक जिले के ग्राम क्षेत्र को खण्डों में विभाजित करेगी और इसी प्रकार वह नामों में परिवर्तन कर सकती है या खण्डों में क्षेत्र सम्मिलित करके या उनमें से क्षेत्र निकाल कर उनके क्षेत्रों तथा सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है या नये खण्ड बना सकती है''। उक्त व्यवस्था के अन्तर्गत ही राज्य सरकार द्वारा कार्यवाही की जाती है।

जनपद देवरिया के भाटपार रानी ब्लाक को अन्यत्र विस्थापित किये जाने के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है, अतः इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही शासन स्तर पर विचाराधीन नहीं है।]

***श्री आशुतोष उपाध्याय-**

मान्यवर, मैंने इसमें ब्लॉक विस्थापित करने के नियम को पूछा था लेकिन आपने बनाने का नियम बताया है और जनपद के जो अधिकारी हैं वे सदन को गुमराह करने का काम कर

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

रहे हैं। उन्होंने सही तरीके से उत्तर नहीं दिया है। अगर विस्थापित नहीं करना है तो उन्होंने एक प्राथमिक विद्यालय के बगल में जो जमीन है उसको ब्लॉक के नाम से कैसे हस्तांतरित कराया, प्रस्तावित किया। जबकि प्राथमिक विद्यालय जो है वह मात्र एक बिल्डिंग है, उसके आगे फील्ड बना हुआ है और गांव में खेल का मैदान एक मात्र वही है। मैं आपसे सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि इसकी जांच करा लें कि उन्होंने जमीन एक्वायर क्यों की? जो 50 साल से ब्लॉक स्थापित है उसमें आवास है, कार्यालय है, 100 मीटर पर पशु अस्पताल है, 100 मीटर पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है। तहसील नजदीक है तो इसमें आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है?

श्री आनन्द स्वरूप शुक्ल-

मान्यवर, मैं अवगत कराना चाहूँगा कि मा0 सदस्य का जो विषय है जनपद देवरिया के ब्लॉक भाटपार रानी को अन्यत्र विस्थापित किए जाने का कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है और न ही कोई प्रस्ताव शासन में भेजा गया है।

जनपद फिरोजाबाद की तहसील सदर में उप जिलाधिकारी द्वारा की गई अनियमितताओं की जांच कराये जाने कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मनीष असीजा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

***संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-**

मान्यवर, जनपद-फिरोजाबाद की तहसील-सदर, जनपद- फिरोजाबाद में तत्समय उपजिलाधिकारी...

***पंचायती राज मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी)-**

मान्यवर, इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसको पढ़ा हुआ माना जाता है।

(मुख्य मंत्री का वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[श्री कुमार चन्द जावालिया के द्वारा कई अनियमिततायें एवं शासन की मंशा के विपरीत कार्य करने की शिकायतें प्राप्त हुई है, जिनमें की प्रमुख रूप से निम्नलिखित हैं:-

1-ग्राम पंचायत शंकरपुर, तहसील-सदर, जनपद-फिरोजाबाद में अपात्रों को भ्रष्ट आचरण करते हुए भूमि आवंटन/पट्टे किये गये हैं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

2-तहसील-सदर, जनपद-फिरोजाबाद में उपजिलाधिकारी श्री कुमार चन्द जावालिया के द्वारा दिनांक 23-12-2020 को स्व0 अमृत लाल व दफेदार के वारिसान के प्रार्थना-पत्र का बिना किसी कानून व अधिकार के मनमाने ढंग से भ्रष्टाचार करते हुए दिनांक 29-01-1985 के आदेश को खण्डित कर दिया गया।

3-मतदाता पुनरीक्षण अभियान में विधान सभा संख्या-97, फिरोजाबाद में ऑनलाइन आवेदनों का बड़ी संख्या में मत-पत्र बनाये जाने के स्थान पर जानबूझ कर मतदाता पहचान-पत्र से वंचित मतदाताओं के आवेदन निरस्त करना। उक्त शिकायतों के सम्बन्ध में सघन जांच कराये जाने एवं नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराये जाने की महती आवश्यकता है। अतः मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए उक्त अधिकारी को हटाये जाने हेतु वक्तव्य की मांग करता हूँ।"

4-उपर्युक्त सूचना के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शासन के पत्र संख्या-108/दो-3-2021, दिनांक 22-02-2021 द्वारा जिलाधिकारी, फिरोजाबाद को शिकायतों की जांच कर जांच आख्या उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया। जिलाधिकारी, फिरोजाबाद द्वारा पत्र दिनांक 22-02-2021 एवं 23-02-2021 के माध्यम से प्राप्त हुई है। उपलब्ध करायी गयी आख्या के अनुसार श्री कुमार चन्द बाबू द्वारा ग्राम पंचायत-शंकरपुर, तहसील-सदर, जनपद-फिरोजाबाद में अपात्रों को भूमि आवंटन/पट्टे किये जाने की जाँच नगर मजिस्ट्रेट, फिरोजाबाद से करायी गयी, जिसके अनुसार प्रथम दृष्टया अनियमितता तथा नियमों के उल्लंघन किये जाने के तथ्य प्रकाश में आये हैं। उक्त के अतिरिक्त श्री कुमार चन्द बाबू द्वारा दिनांक 23-11-2020 को स्व0 अमृत लाल व दफेदार के वारिसान के सम्बन्ध में पारित आदेश की जांच हेतु आदेश दिनांक 28-01-2021 द्वारा दो सदस्यीय जांच कमेटी गठित की गयी। प्रारम्भिक जाँच एवं सम्बन्धित पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण में प्रथम दृष्टया पीठासीन अधिकारी द्वारा विधि/नियमों का उल्लंघन कर आदेश दिनांक 23-12-2020 पारित किया गया है। उक्त के सम्बन्ध में श्री कुमार चन्द बाबू से स्पष्टीकरण प्राप्त कर कार्यवाही की जा रही है।

मतदाता पुनरीक्षण अभियान के सम्बन्ध में मा0 सदस्य द्वारा पूर्व में पत्र दिनांक 01-01-2021 एवं 16-01-2021 द्वारा मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश से की गयी शिकायतों की जांच आख्या जिला निर्वाचन अधिकारी, फिरोजाबाद द्वारा अपने पत्र दिनांक 13-02-2021 के माध्यम से मुख्य निर्वाचन अधिकारी, अनुभाग-4, उ0प्र0, लखनऊ को प्रेषित की जा चुकी है। इस सम्बन्ध में कार्यवाही भारत निर्वाचन आयोग के स्तर से अपेक्षित है।

5-उक्तानुसार अवगत होना चाहें।]

***श्री मनीष असीजा-**

मान्यवर, मैं इस वक्तव्य से सन्तुष्ट हूं और आपके माध्यम से मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी का ध्यान इस बात पर आकर्षित करना चाहता हूं कि इसमें मैंने एक भ्रष्ट अधिकारी के ऊपर तीन बिन्दुओं पर आरोप लगाकर जांच की मांग की है और वक्तव्य में स्पष्टतः तीनों बिन्दुओं पर अधिकारी के दोषी होने की बात लिखी गई है। प्रथम तो यह है कि जिसके अनुसार प्रथम दृष्टया अनियमितता तथा नियमों का उल्लंघन किए जाने के तथ्य प्रकाश में आए। दूसरा प्रारम्भिक जाँच एवं सम्बन्धित पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण में प्रथम दृष्टया पीठासीन अधिकारी द्वारा विधि नियमों का उल्लंघन कर आदेश पारित किए हैं और तीसरे में इस सम्बन्ध में कार्यवाही भारत निर्वाचन आयोग के स्तर पर अपेक्षित है। मा0 अध्यक्ष जी, किसी अधिकारी के साथ कभी भूल हो जाए तो इसको एक दृष्टि से देखा जाता है। लेकिन इन्होंने अपने छोटे से कार्यकाल में लगातार अवैध पट्टों को निष्पादित किया। 30-30, 35-35 साल पुराने अपने ही कोर्ट के आदेशों को खण्डित किया है और राजनैतिक पूर्वाग्रह के कारण से भारत निर्वाचन आयोग के जो भी उद्देश्य हैं और जो भावना है उनके विपरीत कार्य किया तो मैं आपके माध्यम से मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी से यह अपेक्षा करता हूं कि आप इन अधिकारी के विरुद्ध तत्काल उच्च स्तरीय जांच कराके नियमानुसार कठोर दण्ड की कार्यवाही सुनिश्चित कराएँ। धन्यवाद।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मा0 अध्यक्ष जी, इसमें जो सेकेण्ड लास्ट पैराग्राफ है कि यह प्रारम्भिक जाँच एवं सम्बन्धित पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण में प्रथम दृष्टया पीठासीन अधिकारी द्वारा विधि नियमों का उल्लंघन किया गया है। मान्यवर, इस कार्यवाही को तो हम तेज करा देंगे लेकिन जो नीचे का पैराग्राफ है तो भारत निर्वाचन आयोग न तो उत्तर प्रदेश के कार्यक्षेत्र में आता है, न ही हमारे कार्यक्षेत्र में है और न ही मैं समझता हूं कि यह विधान सभा के कार्यक्षेत्र में है। इसलिए हम आपसे विशेष रूप से कहना चाहेंगे कि चूँकि यह हमारा कार्यक्षेत्र नहीं है, कार्यक्षेत्र के बाहर है। इसलिए इस पर हम कुछ भी नहीं कहेंगे। लेकिन जो सेकेण्ड लास्ट पैराग्राफ है, उसमें हम कार्यवाही तेज करा देंगे।

श्री मनीष असीजा-

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 संसदीय मंत्री जी से यह निवेदन है कि इसमें दो बिन्दुओं पर आप ही के स्तर पर कार्यवाही सुनिश्चित करनी है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जनपद अमरोहा के एम0डी0ए0 कालोनी की जर्जर सड़कों एवं जलभराव की समस्या का निराकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजीव तरारा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, उक्त के सम्बन्ध में जिलाधिकारी जनपद अमरोहा द्वारा अवगत कराया गया है कि.....

पंचायती राज मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी)-

मान्यवर, इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसको पढ़ा हुआ माना जाता है।

(नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[एम0डी0ए0 कालोनी की कुछ सड़कों का पुनर्निर्माण/मरम्मत कराये जाने हेतु 14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि से निविदायें आमंत्रित की जा चुकी हैं। नेशनल हाई-वे का नाला संकुचित होने के कारण बरसाती मौसम में वर्षा होने पर कुछ समय के लिए एम0डी0ए0 कालोनी में जलभराव की समस्या उत्पन्न होती है, परन्तु कुछ समय उपरान्त एम0डी0ए0 कालोनी की सड़कों का पानी नेशनल हाई-वे के नाले के माध्यम से निकल जाता है। नेशनल हाई-वे के चौड़ीकरण का कार्य भी राष्ट्रीय राजमार्ग अथारिटी द्वारा किया जा रहा है। एम0डी0ए0 कालोनी के नालों के पुनर्निर्माण/मरम्मत के कार्य की निविदायें आमंत्रित कर कार्यादेश जारी कर दिया गया है। इस प्रकार उपर्युक्त समस्या का समाधान सुनिश्चित कर लिया गया है।]

***श्री राजीव तरारा-**

मान्यवर, केवल इतना ही कहना है कि यह कब तक हो जाएगा ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, हो जाएगा।

जनपद सहारनपुर के ग्राम मानकमऊ में कतिपय कब्जा हटाये जाने के सम्बन्ध में श्री संजय गर्ग द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी, सहारनपुर से प्राप्त आख्या के अनुसार...

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पंचायती राज मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी)-

मान्यवर, इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसको पढ़ा हुआ माना जाता है।

(मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[अवगत कराना है कि ग्राम मानकमऊ, तहसील एवं जनपद सहारनपुर वर्तमान समय में नगर निगम क्षेत्र में स्थित है। उक्त ग्राम में स्थित खसरा संख्या-118 रकबा 1.916 हे0 भूमि राजस्व अभिलेखों में श्रेणी-5-3-ङ/अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि के रूप में दर्ज है। उक्त खसरा संख्या के सम्बन्ध में न्यायालय अपर उप जिलाधिकारी, सहारनपुर द्वारा वाद संख्या-टी 2016096104474 धारा-33/39 भू0रा0अधि0 सरकार बनाम अमीनुद्दीन आदि ग्राम मानकमऊ परगना, तहसील व जिला सहानपुर में पारित आदेश दिनांक 09-03-2017 में पारित किया गया है कि "आपत्तिकर्तागण की आपत्ति आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा खतौनी साल 1420-1425 फसली के खाता संख्या-398 के खसरा नम्बर 118 क्षेत्रफल 1.916 हे0 में से 0.615 हे0 जोहड़ दर्ज किया जाता है तथा खसरा संख्या-118 के क्षेत्रफल 0.107 हे0 पर यामीन पुत्र रहीम बख्श तथा उनके वारसान का नाम निरस्त कर राज्य सरकार/ग्राम सभा का नाम अंकित किया जाये तथा खसरा नम्बर 118 के क्षेत्रफल 1.194 पर आपत्तिकर्तागण फुरकान, अहसान पुत्रगण अमीनुद्दीन, रहमानुद्दीन, सुल्तानुद्दीन, अब्दुल मन्नान, सलीम, अजीमुद्दीन पुत्रगण हसीनुद्दीन, जियाउद्दीन, जहीरूद्दीन, बुरहाद्दीन पुत्रगण रुकमुद्दीन निवासीगण ग्राम मानकमऊ परगना, तहसील व जिला सहारनपुर का नाम श्रेणी-3 आसामी के रूप में अंकित किया जाये।

उक्त आदेश में खसरा संख्या-118 रकबा 1.194 हे0 पर आपत्तिकर्तागणों का श्रेणी-3 में नाम दर्ज करने के खिलाफ राज्य सरकार द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त, सहारनपुर मण्डल सहारनपुर के यहां निगरानी अन्तर्गत धारा-219 भू-राजस्व अधि0 दायर किया, जो वर्तमान समय में विचाराधीन है।

मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में याचिकाकर्ता जहीरूद्दीन द्वारा रिट संख्या-17235/2020 दायर किया। ज्ञातव्य है कि न्यायालय अपर उप जिलाधिकारी, सहारनपुर में दायर वाद संख्या-टी 2016096104474 धारा-33/39 भू0रा0अधि0 सरकार बनाम अमीनुद्दीन आदि ग्राम मानकमऊ परगना, तहसील व जिला सहारनपुर में आपत्तिकर्ता तथा लाभान्वित था। जिसमें मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 22-10-2020 को आदेश पारित किया कि "वी आर आफ दि

ओपिनियन दैट मेयर पेंडेन्सी आफ दि रिवीज़न बिल नॉट गिव एंनी राइट टू द गांव सभा टू सीक इविक्शन आफ दि पेटिशनर ओवर दि प्लाट इन डिस्प्यूट एंनी इन केस दि रिस्पॉन्डेन्ट-गांव सभा इज ऐग्रीण्ड विद दि पोसेशन ऐण्ड ऑकूपेशन आफ दि पेटीशनर ओवर दि प्लाट इन डिस्प्यूट ही मे सीक इवेक्शन इन एकॉर्डेन्स विद लॉ. विद दि एफोरसेड ऑब्जरवेशन दिस रिट पेटिशन इज फाइनली डिस्पोजड, आफ".

मा0 उच्च न्यायालय एवं न्यायालय अपर उप जिलाधिकारी, सहारनपुर द्वारा पारित उक्त आदेशों के क्रम में ग्राम मानकमऊ में स्थित खसरा संख्या-118 क्षेत्रफल 1.916 हे0 में से 0.615 हे0 भूमि को मौके पर नगर निगम ने कब्जे में ले लिया है तथा जोहड़ के रूप में खुदाई की जा रही है तथा रकबा 0.107 हे0 पर नगर निगम का कब्जा है एवं रकबा 1.194 हे0 भूमि के सम्बन्ध में न्यायालय अपर आयुक्त सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर के यहां लम्बित निगरानी अन्तर्गत धारा-219 भू-राजस्व अधि0 के अंतिम रूप से निर्णीत किये जाने के पश्चात् नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।]

जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद में पेयजल की समस्या के निराकरण के सम्बन्ध में श्री मुकेश चन्द्र वर्मा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर पंचायती राज मंत्री का केवल वक्तव्य

पंचायती राज मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी)-

मान्यवर, इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जनपद-फिरोजाबाद का विकास खण्ड-शिकोहाबाद....

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसको पढ़ा हुआ माना जाता है।

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

[शिकोहाबाद अतिदोहित जोन के अन्तर्गत आता है, जिसमें औसतन जल स्तर 47 मी0 है। अधिष्ठापित हैण्डपम्प एक से दो वर्ष तक सही रूप से क्रियाशील रहते हैं, तत्पश्चात् गिरते जल स्तर के कारण बार-बार मरम्मत कराये जाने की आवश्यकता होती है। विकास खण्ड फिरोजाबाद की 05 ग्राम पंचायतें यथा-फरौल नगरिया, मडुआ, उस्मानपुर, शंकरपुर एवं चन्द्रवार में खारे पानी की समस्या है। प्रश्नगत ग्राम पंचायत/बस्तियां पेयजल की दृष्टि से संतृप्त हैं। जल

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत 'हर घर जल योजना प्रचलित है'। जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत चन्द्रवार पाइप पेयजल योजना के रेट्रो फिटिंग का कार्य प्रगति पर है।]

***श्री मुकेश चन्द्र वर्मा-**

मा0 अध्यक्ष जी, हमारा क्षेत्र डार्क जोन के अन्तर्गत आता है, केवल इतना हो जाए कि पानी की कुछ टंकियां माननीय मंत्री जी से मिल जायें ज्यादा नहीं मा0 मंत्री जी दो पानी की टंकियाँ अगर आप दे दें तो पानी ही पानी हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

अब हम अगले महीने की पहली तारीख तक के लिए उठते हैं।

(कई सदस्यों के कल भी सदन होने की बात कहने पर)

श्री अध्यक्ष-

क्षमा करें। अब हम उठते हैं कल 11:00 बजे पुनः बैठेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन सायं 05 बजकर 54 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊः

दिनांक 24 फरवरी, 2022

प्रदीप कुमार दुबे,

प्रमुख सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नत्थी-क

(देखिये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या-01 का उत्तर पीछे पृष्ठ सं0-9 पर)

उत्तर प्रदेश
पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेन्ट

मेन्टीनेंस मैनुअल ऑफ रोड्स
(1984)

पब्लिश्ड अन्डर द ऑर्डर ऑफ
दि इन्जीनियर-इन-चीफ पी0डब्लू0डी0
उत्तर प्रदेश

परिशिष्ट-2

विशेष मरम्मत

मैनुअल ऑफ ऑर्डर से सार (खण्ड-1)

पैरा-403

मार्गों की मरम्मत को दो भागों में विभाजित किया गया है-

(अ) वार्षिक नरम्मत

(ब) विशेष मरम्मत

(1) वार्षिक मरम्मत के अन्तर्गत समस्त प्रकार के प्रत्याशित मरम्मत कार्य शमिल होते हैं जो मार्ग की सही स्थिति में रखने हेतु आवश्यक होते हैं एवं यातायात के आवागमन हेतु उपयुक्त होते हैं।

(2) विशेष मरम्मत के अन्तर्गत ऐसे कार्य किए जाते हैं जो मार्ग के क्षतिग्रस्त हो जाने अथवा भविष्य में मार्ग को और अधिक क्षतिग्रस्त होने से बचाने के दृष्टिगत किए जाने आवश्यक होते हैं।

पैरा-412-(परिपत्र सं0 पीडब्लू/307 डब्ल्यू-1926, दिनांक 15 जुलाई, 1926)

पैराग्राफ 503 में पारिभाषित मार्गों के विशेष मरम्मत के आगणन बरसात के तुरन्त बाद गठित किए जायेंगे एवं निम्नलिखित तीन प्रमुख भदों में विभाजित किये जायेंगे।

(क) तात्कालिक आवश्यकता

(ख) अति-आवश्यक

(ग) अनिवार्य कार्य

(क) "तात्कालिक आवश्यकता" में ऐसे कार्य विशेष मरम्मत मद के आवंटन के सापेक्ष भारित किए जायेंगे एवं मुख्य अभियन्ता की सहमति के उपरान्त आगणन की स्वीकृति की प्रत्याशा में कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(ख) "अति आवश्यक" कार्य ऐसे हैं जिन्हें अगले मान्सून से पहले किया जाना चाहिए, ताकि मार्ग और अधिक क्षतिग्रस्त न होने पाये। आगणन की स्वीकृति और धन के आवंटन प्राप्त होने के उपरान्त कार्य कराया जायेगा।

(ग) "अनिवार्य कार्य" ऐसे हैं जो वांछनीय हैं लेकिन यदि धन उपलब्ध नहीं है तो एक वर्ष के लिए स्थगित किये जा सकते हैं। ये कार्य केवल तभी प्रारम्भ किए जायेंगे जब (क) और (ख) के लिए धनावंटन प्राप्त हो चुका है।

परिशिष्ट-3

मुख्य अभियन्ता कार्यालय परिपत्र संख्या-पी0 डब्लू0 दिनांक मार्च 13, 1958 की प्रति

विषय :- मानसून क्षति

एक सर्किल में ऐसा मामला सामने आया है जिसमें एक मानसून क्षति का आगणन रु0 27 लाख स्वीकृत किए गए थे हालांकि इस वर्ष के दौरान आवंटित धनराशि रु0 9 लाख थी, इन आगणनों की मंजूरी के कारण अधिशासी अभियन्ता को ऐसे कार्य करने का अधिकार दिया गया जोकि स्वीकृत आवंटन के तीन गुना थी और इस प्रकार उनके द्वार अगले वित्तीय वर्ष में लगभग 19 लाख रुपये का दायित्य सृजन किया गया जोकि बिना किसी आवंटन और इस कार्यालय के किसी भी आश्वासन के बिना किया गया। हालांकि यह सच है कि वित्तीय वर्ष के करीब कुछ कार्य अधूरे रहेंगे यदपि वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् इस प्रकार सृजित दायित्व असीमित प्रकृति के नहीं होने चाहिए।

कुछ आगणनों की जांच करने पर यह भी देखा गया कि सड़कों के पुनर्निर्माण के कार्य के प्राविधान किए गए थे।

इस सम्बन्ध में पैरा-412 (क) मैनुअल ऑफ आर्डर, खण्ड-1 के आदेशों, नियमावली पर ध्यान आकृष्ट किया जाता है, जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि तत्काल कार्य ऐसे हैं जैसे स्पष्ट होना चाहिए कि केवल ऐसे कार्य को तुरन्त प्रारम्भ किया जाना चाहिए जोकि यातायात को चालू रखने के लिए जरूरी होगा। उदाहरण के तौर पर यदि कोई पुल बह गया है तो तुरन्त फिर से नया पुल बनाना शुरू करना निश्चित रूप से आवश्यक नहीं है, बल्कि अस्थाई पुल का निर्माण किए जाने की जरूरत है। साथ ही अगर सड़क की विशेष भाग की सतह डूब जाती है या बहोगी एक्शन के कारण असमतल हो जाती है तो यह आवश्यक नहीं है कि सड़क का पुनर्निर्माण किया जाये बल्कि प्रभावित भाग की इस प्रकार मरम्मत की जाये कि इस भाग पर यातायात गुजर सके और यातायात के खतरे को समाप्त किया जा सके। ऐसे मामलों में सड़क या पुल के पुनर्निर्माण के लिए अलग से आगणन प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

अति आवश्यक या अनिवार्य कार्यों को केवल तब शुरू किया जाना चाहिए, जब आगणनों को स्वीकृति दे दी गई हो और कार्यों के लिए धनराशि पैरा-412 (बी) और 412 (सी) मैनुअल ऑफ ऑर्डर खण्ड-1 के अनुसार आवंटित कर दी गई है।

मानसून क्षति के आगणन अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत किए जाते हैं और इसलिए उन्हें देखना चाहिए कि आगणन में कोई सुधार कार्य नहीं किए गए हैं और इन्हें मंजूर करते समय उन्हें अगले वित्तीय वर्ष के दौरान होने वाली देनदारियों के बारे में भी विचार करना चाहिए और इस सीमा तक धनराशि प्राप्त करने की सम्भावना को भी ध्यान में रखना चाहिए और इस सीमा तक धनराशि स्वीकृत होने के लिए इस कार्यालय का आश्वासन प्राप्त करना चाहिए।

मार्ग पर सुधार कार्य से सम्बन्धित आगणनों की स्वीकृति और एस0आर0एम0डी0 मद से व्यय करना अधीक्षण अभियन्ता के अधिकार क्षेत्र से बाहर है।

एम0एस0 विष्ट,

मुख्य अभियन्ता,

उ0प्र0लो0नि0वि0।

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या-73 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या पर)

नत्थी (ख)

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या-73 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या 75-76 पर)

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2021 के 1-बुधवार के लिए निर्धारित श्री मौहम्मद फहीम इरफान, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-73 का संलग्नक।

स्मार्ट सिटी का नाम-आगरा

क्र.सं.	कार्य पूर्ण/अपूर्ण परियोजना का नाम	स्वीकृत वर्ष	कार्य प्रारम्भ की तिथि	कार्य पूर्ण करने की तिथि
1	डेवलपमेंट आफ स्ट्रीट वेंडिग जोन	2017-18	22.06.2018	20-05-2021
2	डेवलपमेंट आफ हेरिटेजवाक	2017-18	04.06.2018	कार्य पूर्ण हो चुका है
3क	जक्शन इम्प्रूवमेंट फेज 1 (सिविल वर्क)	2018-19	20.06.2018	28.02.2021
3ख	जंक्शन इम्प्रूवमेंट फेज 2 (साईनेज वर्क)	2018-19	27.06.2018	28.02.2021
4क	ब्यूटिफिकेशन आफ स्ट्रीट स्केपिंग आफ फतेहाबाद रोड	2018-19	23.08.2018	05.07.2021
4ख	ब्यूटिफिकेशन आफ स्ट्रीट स्केपिंग आफ फतेहाबाद रोड- (अण्डरग्राउण्डिंग आफ केबल)	2018-19	23.08.2018	05.07.2021
5	इन्टैशिव व ब्युटिफिकेशन आफ 2 किमी रैडियस अराउण्ड ताजमहल (सिविल वर्क)	2018-19	23.08.2018	28-02-2021
6	माईक्रो स्किल डेवलपमेंट सैंटर (सिविल वर्क)	2018-19	05.10.2018	कार्य पूर्ण हो चुका है
7	अपग्रेडेशन आफ म्युनिसिपल स्कूल इन तजगंज आगरा (सिविल वर्क)	2018-19	06.10.2018	कार्य पूर्ण हो चुका है
8	मास्टर सिस्टम इन्टीग्रेटर (एम.एस.आई.)	2017-18	26.03.2018	दिनांक 31.12.2020 को गो.लाइव हो चुका है।
9	डिजीटल एजूकेशन इन स्कूल	2018-19	27.07.2018	कार्य पूर्ण हो चुका है
10	ई-शौचालय	2018-19	04.08.2018	कार्य पूर्ण हो चुका है
11	फसाड इम्प्रूवमेन्ट आफ ट्रेडीशनल हाउसेज	2018-19	22.07.2018	कार्य पूर्ण हो चुका है
12	जंक्शन इम्प्रूवमेन्ट पैनसिटी	2018-19	28.09.2018	कार्य पूर्ण हो चुका है
13	ताज ईस्ट ड्रेन	2018-19	21.08.2018	31.03.2021
14	म्युनिसिपल हैल्थ सेन्टर	2018-19	31.08.2018	30.06.2021
15	रिहैबिलिटेशन आफ मेजर रोड	2018-19	06.10.2018	01.06.2021
16	रिहैबिलिटेशन आफ माईनर रोड	2019-20	15.10.2018	10.08.2021
17	म्युनिसिपल सालिड वेस्ड मैनेजमेंट	2019-20	28.09.2018	कार्य पूर्ण हो चुका है
18	पाईलट 24×7 वाटर सप्लाई	2019-20	24.10.2018	10.05.2021
19	सीवरेज सिस्टम इन ए0बी0डी0 एरिया	2019-20	16.12.2018	10.05.2021

स्मार्ट सिटी का नाम- लखनऊ

क्र.स.	कार्य पूर्ण/अपूर्ण परियोजना का नाम	स्वीकृत वर्ष	कार्य प्रारम्भ की तिथि	कार्य पूर्ण करने की तिथि
1	व्यापारिक क्षेत्र में जन-सुविधा के दृष्टिगत कैसरबाग मछली मण्डी में शौचालय के निर्माण का कार्य।	2018-19	10.07.2018	21.08.2020
2	ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के अन्तर्गत 06 नग रिफ्यूज कॉम्पैक्टर की स्थापना का कार्य।	2018-19	06.11.2019	02.01.2020
3	ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के अन्तर्गत कूडा निस्तारण हेतु 20 नग पोर्टेबल कॉम्पैक्टर की स्थापना का कार्य।	2018-19	10.01.2019	10.05.2019
4	02 नग रोड स्वीपिंग मशीन के क्रय करते हुये लखनऊ नगर क्षेत्र में मार्गों की साफ-सफाई को सुदृढ किये जाने का कार्य।	2018-19	06.11.2019	05.12.2019
5	जन-सुविधा के दृष्टिगत ए0बी0डी0 क्षेत्र में दयानिधान, व झण्डी पार्क में ओपेन जिम के स्थापना का कार्य।	2018-19	26.12.2018	30.03.2019
6	लखनऊ नगर क्षेत्र में आम-जनसुविधा हेतु लखनऊ वन ऐप-311-सिटीजन फीडबैक कार्य।	2018-19	31.01.2019	30.03.2019
7	लखनऊ नगर क्षेत्र में सौन्दर्यीकरण के दृष्टिगत चारबाग रेलवे स्टेशन, लखनऊ विश्वविद्यालय एवं शहीद स्मृति धरोहर स्थलों पर फसाड लाइटिंग का कार्य।	2018-19	12.02.2019	15.03.2020
8	स्वच्छ लखनऊ व क्लीन लखनऊ के अन्तर्गत लखनऊ नगर क्षेत्र में 100 लीटर के 500 स्मार्ट बिन्स स्थापना का कार्य।	2020-21	17.07.2020	13.08.2020
9	स्वच्छ लखनऊ व क्लीन लखनऊ के अन्तर्गत लखनऊ नगर क्षेत्र में 1100 लीटर के 100 स्मार्ट बिन्स स्थापना का कार्य।	2019-20	06.11.2019	06.12.2019
10	लखनऊ नगर क्षेत्र के 06 पार्कों में फ्री वाई-फाई हाटस्पॉट की स्थापना का कार्य।	2018-19	24.07.2018	23.08.2018
11	लखनऊ नगर क्षेत्र में 40 बस-शेल्टर के निर्माण का कार्य।	2018-19	29.10.2018	15.11.2019
12	आई0सी0सी0 कमाण्ड कन्ट्रोल सेन्टर (एम0एस0आई0)	2018-19	30.10.2018	29.04.2019
13	लखनऊ स्मार्ट सिटी लिमिटेड भवन का निर्माण कार्य। प्रथमतल	2018-19	28.06.2018	26.10.2018
14	द्वितीय तल	2019-20	06.02.2019	08.08.2019
15	इन्टीरियर वर्क।	2019-20	15.01.2020	18.07.2020
16	अमीरूदौला लाईब्रेरी में पुरानी पुस्तकों तथा भोजपत्रों के संरक्षण का कार्य। इन्टैक के द्वारा कार्य।	2019-20	27.02.2020	20.01.2021
17	दिव्यांगजन हेतु स्मार्ट क्लास का कार्य।	2019-20	28.02.2020	27.06.2020
18	अवन्तीबाई अस्पताल में 179 के0वी0ए0 सोलार रूफटॉप रेस्को मॉडल की स्थापना का कार्य।		16.07.2020	15.11.2020

प्रगतिधीनकार्य				
1	अवन्तीबाई महिला चिकित्सालय में दूषित जल के संशोधन उपरान्त पुर्न प्रयोग का कार्य।		23.12.2018	30.04.2020
2	03 पार्को का सौन्दर्यीकरण का कार्य।		12-03-2020	31-01-2021
3	04 पार्को का सौन्दर्यीकरण का कार्य।		06-01-2020	30-03-2021
4	आई0टी0एम0एस0 परियोजना का कार्य।		15-11-2018	30-09-2020
5	लखनऊ नगर क्षेत्र में फेजवायरिंग का कार्य।		29-01-2020	28-10-2020
6	हाथी पार्क 1.5 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0 के निर्माण कार्य।		23-03-2020	01-04-2021
7	अमीरूद्दौला लाईब्रेरी में डिजिटाईजेशन का कार्य।		13-07-2020	12-10-2021
8	स्मार्ट सिटी के अन्तर्गत ठोस अपशिष्ट संग्रहण व्यवस्था की मॉनीटरिंग व समस्त सम्पतियों पर क्यूआर कोड से कार्य की स्थापना का कार्य।		21-01-2020	05-07-2020
9	विभिन्न प्राइमरी पाठशालाओं में मरम्मत व सौन्दर्यीकरण का कार्य।		03-07-2020	02-04-2021
10	स्मार्ट सिटी के अन्तर्गत अर्बन मोबिलिटी नोड के तहत हुसैनगंज से हजरतगंज का कार्य।		27-07-2020	26-04-2021
11	स्मार्ट सिटी के अन्तर्गत अर्बन मोबिलिटी नोड के तहत हुसैनगंज से चारबाग का कार्य।		13-07-2020	12-04-2021
12	स्मार्ट सिटी के अन्तर्गत के0डी0 सिंह बाबू स्टेडियम के सुदृढीकरण का कार्य।		03-07-2020	01-04-2021
13	स्मार्ट सिटी के अन्तर्गत लखनऊ कलेक्ट्रेट में मल्टीलेवल भूमिगत पार्किंग का कार्य।		27-07-2020	26-12-2021
14	माई पुलिस किओस्क का निर्माण कार्य।		30-09-2020	29-06-2021
15	स्मार्ट सिटी के अन्तर्गत कैसरबाग ए0बी0डी0 क्षेत्र की जल निकासी के सुदृढीकरण का कार्य।		01-07-2020	31-12-2021
16	स्मार्ट सिटी के अन्तर्गत ई0पी0सी0 मोड पर 9 लोकेशन पर पूर्व से निर्मित जनसुविधाओं के सौन्दर्यीकरण का कार्य।		28-08-2020	27-02-2021
17	कैसरबाग, लखनऊ के ए0बी0डी0 क्षेत्र में सीवरेज का कार्य।		11-12-2018	10-12-2020
18	सिटी ब्रान्डिंग आई0ई0सी0		27-12-2019	26-12-2020
19	हेल्थ ए0टी0एम0		04-08-2020	03-10-2021

स्मार्ट सिटी का नाम- कानपुर

क्र.सं.	कार्य पूर्ण/अपूर्ण परियोजना का नाम	स्वीकृत वर्ष	कार्य प्रारम्भ की तिथि	कार्य पूर्ण करने की तिथि
1	आई0सी0टी0 बैस्ड सोलिड वेस्ट कलेक्शन एवं सोलिड वेस्ट ट्रान्सफर स्टेशन	2018	04-06-2018	31-07-2019
2	ओपेन जिम	2018	27-06-2018	15-02-2019
3	इन्टीग्रेटेड कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल सेण्टर	2018	06-07-2018	31-03-2021
4	ई- पाठशाला/डिजिटल लर्निंग	2018	08-03-2019	31-03-2021
5	स्मार्ट रोड फेज-1	2018	08-03-2019	20-03-2021
6	नाना राव पार्क का अपग्रेडेशन	2018	22-02-2019	31-03-2021
7	वेस्ट वॉटर रिसाइकिलिंग एवं रेन वॉटर हारवेस्टिंग	2018	13-07-2020	28-02-2021
8	वॉटर सप्लाई स्काडा	2018	27-01-2020	31-05-2021
9	पौधा रोपण और पौधा संरक्षण इम्पैक्ट प्रोजेक्ट	2018	25-06-2019	02-10-2019

स्मार्ट सिटी का नाम- प्रयागराज

क्र.सं.	कार्य पूर्ण/अपूर्ण परियोजना का नाम	स्वीकृति वर्ष	कार्य प्रारम्भ की तिथि	कार्य पूर्ण होने की तिथि
1	पॅट माय सिटी।	2018-19	07.12.2018	12.11.2019
2	आई.सी.सी.सी. (इंटीग्रेटेड कमाण्ड एण्ड कण्ट्रोल सेन्टर।	2018-19	17.08.2018	28.09.2020
3	ए.बी.डी. क्षेत्र में स्मार्ट सडको का सौंदर्यीकरण / सुदृढ़ीकरण-	2018-19		
	• अमरनाथ झा चौराहे से मज़ार चौराहे तक मार्ग का सुदृढ़ीकरण।		01.07.2018	31.12.2020
	• महाराणा प्रताप चौराहे से मनमोहन पार्क तक मार्ग का सुदृढ़ीकरण का कार्य।		06.07.2018	31.12.2020
	• महाराणा प्रताप चौराहे से आनंद अस्पताल मोड़ चौराहे तक मार्ग का सुदृढीकरण का कार्य।		09.06.2018	31.05.2019
	• स्टैनली रोड ट्रैफिक चौराहे से आनंद अस्पताल मोड़ तक मार्ग का सुदृढ़ीकरण का कार्य।		06.07.2018	05.12.2019
	• मनमोहन पार्क चौराहे से आनंद अस्पताल मोड़ मार्ग के सुदृढीकरण का कार्य।		27.06.2018	02.07.2019
	• सरदार पटेल मार्ग (नवाब युसूफ रोड से थॉर्नहिल रोड तक) मार्ग का सुदृढ़ीकरण का कार्य।		05.07.2018	04.11.2018
	• जी पी ओ चौराहे से अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पार्क तक एल्गिन रोड का सुदृढीकरण का कार्य।		08.08.2018	31.12.2019
	• महाराणा प्रताप चौराहे से धोबीघाट चौराहा तक डे पार्किंग एंड नाईट मार्किट विकसित करने का कार्य।		22.07.2018	30.06.2019
4	ओपन एयर जिम	2018-19	01.09.2018	15.12.2019

स्मार्ट सिटी का नाम- वाराणसी

क्र.सं.	कार्य पूर्ण/अपूर्ण परियोजना का नाम	स्वीकृति वर्ष	कार्य प्रारम्भ की तिथि	कार्य पूर्ण होने की तिथि
1	डेवलपमेंट एण्ड कंसट्रक्शन आफ कान्हा उपवन (गौशाला)।	2017	17-04-2018	16-04-2019
2	चैकाघाट-अन्धरापुल फ्लाईओवर के लैण्डस्केपिंग एवं आर्टवर्क का कार्य।	2018	20-12-2018	19-03-2019
3	महमूरगंज फ्लाईओवर के नीचे स्थल का पुनर्विकास एवं निर्माण का कार्य।	2018	06-12-2018	05-03-2019
4	पाण्डेयपुर फ्लाईओवर का सौन्दर्यीकरण, पुनर्निर्माण/ विकास कार्य।	2018	28-01-2019	27-04-2019
5	बादशाहबाग, ओवर हेड वाटर टैंक का सौन्दर्यीकरण।	2018	18-07-2018	22-10-2018
6	नगर निगम ओवर हेड वाटर टैंक का सुन्दरीकरण	2018	18-07-2018	16-10-2018
7	पन्नालाल पार्क ओवर हेड वाटर टैंक का सुन्दरीकरण	2018	18-07-2018	16-10-2018
8	राजघाट ओवर हेड वाटर टैंक का सुन्दरीकरण	2018	18-07-2018	19-11-2018
9	चैकाघाट ओवर हेड वाटर टैंक का सुन्दरीकरण	2018	18-07-2018	08-10-2018
10	रिडेवलपमेंट एण्ड लैंडस्केपिंग आफ 04 पार्क।	2017	17-04-2018	16-01-2019
11	मन्दाकिनी कुण्ड का जीर्णोद्धार।	2018	14-05-2019	13-11-2019
12	वाराणसी स्मार्ट सिटी का ब्राडिंग/सुन्दरीकरण।	2018	12-11-2018	11-02-2019
13	इम्प्रूवमेंट एण्ड अप-ग्रेडेशन आफ 8 रोड इंटरसेक्शन (आई.यू.टी.) इन वाराणसी (फेज-1)।	2017	28-05-2018	27-05-2019
14	बेनियाबाग गार्डन का लैण्डस्केप एवं विकास कार्य।	2018	29-01-2019	28-01-2020
15	वाराणसी इन्टीग्रेटेड स्मार्ट साल्यूशन्स (काशी इन्टीग्रेटेड कन्ट्रोल कमाण्ड सेन्टर (के.आई.सी. सी.सी.) (निर्माण कार्य)।	2018	03-02-2018	15-08-2020
16	फसाड लाइटिंग ऐट घाट्स (कन्वर्जेन्स)	2018	19-02-2019	14-01-2020
गतिमान परियोजनाए				
1	अर्बन रिवाईटलाइजेशन आफ रोड एण्ड जंक्शन इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट इन ए.बी.डी. एरिया (फेज-1)।	2017	04-07-2018	31-10-2021
2	घाट रिवाईटलाइजेशन एवं फसाड इम्प्रूवमेंट। (दशाश्वमेधघाट, दरभंगाघाट, शीतलाघाट, अहिल्याबाई घाट एवं मुंशीघाट)	2018	04-02-2019	31-07-2021
3	गदौलिया चैक पर मल्टीलेवल टू-व्हीलर पार्किंग का निर्माण कार्य।	2018	15-04-2019	31-03-2021
4	मच्छोदरी स्मार्ट सीनियर सेकेन्डरी स्कूल व स्किल डेवलपमेंट सेन्टर का विकास।	2018	03-01-2019	31-03-2021
5	नदेसर तालाब विकास एवं सौन्दर्यीकरण	2019	18-12-2019	30-06-2021
6	सोनिया तालाब विकास एवं सौन्दर्यीकरण	2019	----------	31-12-2021
7	चकरा तालाब और सोनभद्र तालाब का विकास एवं सौन्दर्यीकरण	2019	26-12-2019	30-06-2021

स्मार्ट सिटी का नाम- अलीगढ़

क्र.सं.	कार्य पूर्ण/अपूर्ण परियोजना का नाम	स्वीकृति वर्ष	कार्य प्रारम्भ की तिथि	कार्य पूर्ण होने की तिथि
1	हैल्थ ए0टी0एम0	2019	10.07.2019	23.07.2019
2	अवेयरनेस, आई0सी0टी0, कैपेसिटी बिल्डिंग एण्ड एम्प, कम्यूनिटी पार्टिसिपेशन	2019	30.07.2019	20.09.2019
3	कमाण्ड एण्ड कण्ट्रोल सेण्टर	2018	22.03.2019	30.12.2019
4	सी0सी0टी0वी0 सर्विलांस	2018	22.03.2019	31.01.2020
5	एप बेस्ड क्राइम रिपोर्टिंग एण्ड सर्विलांस	2018	22.03.2019	31.01.2020
6	आई0टी0एम0एस0	2018	22.03.2019	31.01.2020
7	जी0आई0एस0 बेस मैप	2018	22.03.2019	31.01.2020
8	डिजिटाइज़ेशन आफ रिकार्ड	2018	22.03.2019	31.01.2020
9	आप्टिकल फाइबर	2018	22.03.2019	31.01.2020
10	इंटीग्रेटेड ई0आर0पी0 फार नगर निगम	2018	22.03-2019	31.01.2020
11	अलीगढ हैबिटेट सेण्टर (इनआई0सी0सी0सी0 कैम्पस)	2019	10.07.2019	29.04.2021
12	आई.सी.सी.सी. कैम्पस (ग्रीन)	2019	10.07.2019	29.04.2021
13	डेवेलपमेन्ट आफ वाटर बाडीज़ – अचल ताल	2019	10.07.2019	29.04.2021
14	डेवेलपमेन्ट आफ वाटर बाडीज़ – लाल डिग्गी	2019	10.07.2019	29.04.2021
15	इन्क्यूबेशन सेण्टर	2019	10.07.2019	29.04.2021
16	रीचार्ज आफ ग्राउण्ड वाटर	2018	10.07.2019	29.04.2021
17	स्टार्म वाटर ड्रेनेज	2019	05.03.2020	13.04.2022
18	स्मार्ट रोड	2019	05.03.2020	13.04.2022
19	जंक्शन इम्प्रूवमेन्ट आफ मेजर जंक्शन फेज	2019	05.03.2020	13.04.2022
20	रेन वाटर हार्वस्टिंग एण्ड ग्राउण्ड वाटर रीचार्ज	2018	01.03.2019	29.06.2019
21	रिजूवनेशन आफ अलीगढ ड्रेन	2019	10.07.2019	09.12.2019
22	रिडेवेलपमेन्ट आफ कैरिजवे फेज़ (शिफ्टिंग आफ इलेक्ट्रिक पोल्स)	2019	13.02.2019	12.02.2020
23	सीवरेजः कलेक्शन ट्रांस्पोर्टेशन एण्ड ट्रीटमेन्ट थ्रो लेयिंग आफ सीवर नेटवर्क इन ए0बी0डी0। 2 इण्टरमीडियेट पम्पिंग स्टेशन्स एण्ड ट्रीटमेन्ट प्लान्ट एट इगलास।	2018	01.06.2019	31.05.2021
24	जंक्शन इम्प्रूवमेन्ट आफ मेजर जंक्शन (सेण्टर पाइन्ट एण्ड मैरिस रोड जंक्शन)	2018	01.02.2019	31.10.2020
25	सोर्टिंग मशीन (इंक्ल्यूडिंग कन्स्ट्रक्शन आफ ट्रांस्फर स्टेशन अण्डरग्राउण्ड)	2018	28.12.2018	30.01.2021

स्मार्ट सिटी का नाम- मुरादाबाद

क्र.सं.	कार्य पूर्ण/अपूर्ण परियोजना का नाम	स्वीकृत वर्ष	कार्य प्रारम्भ की तिथि	कार्य पूर्ण करने की तिथि
1	परियोजना स्ट्रीट लाइट की जगह एल0ई0डी0 आधारित स्मार्ट स्ट्रीट लाइट लगाये जाने सम्बन्धी कार्य।	2018-19	14-02-2018	31-12-2018
2	डिजिटल पाठशाला के अन्तर्गत स्मार्ट क्लास रूम बनाये जाने सम्बन्धी कार्य	2018-2019	24-07-2021	23-07-2021
3	पार्कों का पुनर्विकास एवं सौन्दर्यीकरण कार्य	2018-2019	24-11-2020	23-08-2021
4	रेन वाटर हार्वेस्टिंग का कार्य	2018-2019	12-10-2020	11-04-2021
5	कैरियर मित्रा वेब पोर्टल, ब्रास इन्डस्ट्री व अन्य उद्योगों हेतु।	2018-2019	12-10-2020	11-02-2021

स्मार्ट सिटी का नाम- बरेली

क्र.सं.	कार्य पूर्ण/अपूर्ण परियोजना का नाम	स्वीकृत वर्ष	कार्य प्रारम्भ की तिथि	कार्य पूर्ण करने की तिथि
1	ओपन जिम इन बेरियस पार्क इन ए0बी0डी0 (10 पार्कस)	2019	14-10-2019	28.02.2021
2	म्यूजिक फौंटेन एट गांधी उद्यान	2019	18-01-2020	17-05-2020
3	इल्यूमिनेशन ऑफ डार्क स्पेस इन ए0बी0डी0 (फेस-1 एण्ड 24 लोकेशन)	2019	21-01-2020	15-03-2021
4	सोलर रूफ टॉप पैनल	2019	02.06.2020	15-03-2021
5	रिट्रोफिटिंग ऑफ गर्वनमेण्ट स्कूल विथ स्मार्ट क्लास एण्ड एसोसिऐटिट फॉर ई-शिक्षा (30 क्लास इन 10 स्कूल)	2019	19-05-2020	19-11-2020
6	म्यूजिक सिस्टम एट गांधी उद्यान	2019	07-07-2020	07-11-2020
7	स्मार्ट क्लास फेस-1 (आई0टी0 पार्ट)	2019	06-07-2020	05-01-2021
8	इंटीग्रेटेड कमाण्ड कन्ट्रोल सेन्टर	2019	23.09.2020	22.09.2021
9	सोलरट्री	2019	25-11-2020	01-05-2021
10	स्मार्ट क्लास फेस-2 (सिविल)	2019	27-11-2020	26-05-2021
11	ट्रान्सफर स्टेशन (सिविल पार्ट)	2019	27-11-2020	26-11-2021
12	ट्रान्सफर स्टेशन (सप्लाई पार्ट)	2019	14-10-2020	-
13	संजय कमेटी हॉल	2019	19.02.2021	-
14	स्मार्ट क्लास- आई0टी0 पार्ट (फेस-2)	2019	26-10-2020	25-03-2021
15	डिजाइन कान्ट एण्ड इंस्टॉलेशन आफ स्मार्ट टॉयलेट इंक्लूडिंग ओ0एण्डएम0	2020	24.12.2020	23.06.2021
16	ई-किओस्क/स्मार्ट किओस्क	2019	14.02.2021	13.08.2021
17	सी लॉज	2019	14.02.2021	13.08.2021
18	हैंड वॉशिंग यूनिट	2020	14.02.2021	13.08.2021
19	रेन्यूवेशन आफें मौलाना आजाद इण्टर कालेज	2020	14.02.2021	13.08.2021
20	सप्लाई आफ हैवी ट्रीपर मशीन	2020	14.02.2021	13.08.2021
21	इंस्टॉलेशन आफें 0.5 एम0एल0डी0 डी-एस0टी0पी0 पौंड फॉर रेजूवेनेशन आफें एस0सी0एच0 पौंड	2019	14.01.2021	13.07.2021
22	इन्टरनल रोड	2020	14.02.2021	-

स्मार्ट सिटी का नाम- सहारनपुर

क्र.सं.	कार्य पूर्ण/अपूर्ण परियोजना का नाम	स्वीकृत वर्ष	कार्य प्रारम्भ की तिथि	कार्य पूर्ण करने की तिथि
1	सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट उपकरण के क्रय का कार्य (फेज-1)	2019	23-10-2019	22-11-2019
2	मोबाइल क्लिनिक और टैलीमेडिसिन सुविधा (स्वास्थ्य ए.टी.एम.)	2019	23-12-2019	22-01-2019
3	पार्क में बायोकम्पोस्टिंग का कार्य	2020	24-08-2020	11-12-2020
4	स्मार्ट रोड/आंतरिक सडक (सडक, पेयजल आपूर्ति, सीवरेज, विद्युतीकरण) का विकास कार्य	2020	31-10-2020	30-04-2022
5	इंटीग्रेटड कन्ट्रोल एण्ड कमाण्ड सेन्टर और स्मार्ट कंपोनेंटस (आई.टी.एम.एस., सिटी सर्विलांस म.ह्वअ)	2020	03-10-2020	03-10-2021
6	ए.बी.डी. क्षेत्र के अन्तर्गत सीवरेज का विकास कार्य	2020	01-12-2020	30-11-2021
7	कम्पनी गार्डन का पुनरूद्धार कार्य	2020	31-10-2020	31-10-2021
8	ए.बी.डी. एरिया में पार्को का सौन्दर्यकरण का कार्य	2020	19-08-2020	31-05-2021
9	स्मार्ट स्कूल और क्लासरूम कार्य	2020	22-10-2020	30-04-2021
10	पांवधोई नदी पर फोर लेन सब्जी मण्डी पुल का निर्माण कार्य (चैकी सराय-बोमंजी रोड)	2020	25-09-2020	30-04-2021
11	पांवधोई नदी पर फोर लेन सब्जी मण्डी पुल का निर्माण कार्य (जामा मस्जिद-इमामबाडा मार्ग)	2020	25-09-2020	30-04-2021
12	स्मार्ट ई-लाइब्रेरी औरकैरियर परामर्श केन्द्र	2020	19-09-2020	31-12-2020
13	पांवधोई नदी पर टु लेन छतरा पुल का निर्माण कार्य (नवाब चैक-दालमण्डी मार्ग)	2020	03-10-2020	30-04-2021
14	शहरी गरीबों को भोजनकी सुविधा	2020	08-08-2020	31-10-2020
15	सहारनपुर स्मार्ट सिटी में मेला गुघाल क्षेत्र में फव्वारा चैक से मण्डी रोड तक सी.सी. रोड का विकास कार्यों का निर्माण	2020	30-12-2020	30-06-2021
16	सहारनपुर में अंम्बेडकर स्पोर्टस स्टेडियम के मुख्यद्वार का नवीनीकरण का कार्य	2020	30-12-2020	30-06-2021
17	सहारनपुर में अंम्बेडकर स्पोर्टस स्टेडियम में जिम हॉल का निर्माण/विस्तारीकरण का कार्य	2020	30-12-2020	30-06-2021
18	सहारनपुर में अंम्बेडकर स्पोर्टस स्टेडियम में बैडमिन्टन हॉल का पुनः नवीनीकरण का कार्य	2020	30-12-2020	30-06-2021
19	सहारनपुर में अंम्बेडक स्पोर्टस स्टेडियम में मल्टीपर्पज हॉल के निर्माण का कार्य	2020	30-12-2020	30-06-2021
20	कंम्पनी गार्डन में साइकिल ट्रैक के निर्माण का कार्य	2020	30-12-2020	30-06-2021
21	स्मार्ट स्क्रीन/डिजिटल विज्ञापन	2021	11-02-2021	10-06-2021

नत्थी (ग)

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या-165 का उत्तर पीछे पृष्ठ सं0- पर)

Plastic Ban UP District Wise : January 2021

S.no	District	Total Qty (Kg)	Total Amt (Rs.)
1	Agra	35846.775	6037080
2	Aligarh	5925.86	2838950
3	Ambedkar Nagar	284.26	188950
4	Amethi	412.3	274054
5	Amroha	2151.573	1320100
6	Auraiya	230.27	191450
7	Ayodhya	40938.6	1703750
8	Azamgarh	6829.76	946105
9	Badaun	1442.282	2926840
10	Bagpat	658.57	723880
11	Bahraich	754.79	323725
12	Ballia	1730.255	629050
13	Balrampur	6511.75	49000
14	Banda	694.645	209700
15	Barabanki	92.546	513000
16	Bareilly	25603.613	2086617
17	Basti	3579.162	930006
18	Bhadohi	325.66	85300
19	Bijnor	15782.72	1500621
20	Bulandsahar	60360.205	9985575
21	Chandauli	785	721850
22	Chitrakoot	514.4	130311
23	Deoria	1935.8	793350
24	Etah	2592	636200
25	Etawah	272.881	309820
26	Farrukhabad	1365.913	458190
27	Fatehpur	1420.574	692621
28	Firozabad	6597.4	2064940
29	Gautam Buddh Nagar	1491.5	432400
30	Ghaziabad	221564.795	21062859.7
31	Ghazipur	5232.58	376000
32	Gonda	1739.602	254200
33	Gorakhpur	9580.79	3004600
34	Hamirpur	702.213	521820
35	Hapur	1291.97	759000
36	Hardoi	2070.2	772180
37	Hathras	2889.78	642150
38	Jalaun	23839.131	648500
39	Jaunpur	6061.354	3387000
40	Jhansi	12784.11	1165450
41	Kannauj	92.735	361900
42	Kanpur Dehat	240.708	290700
43	Kanpur Nagar	112110.139	1312384
44	Kasganj	1742.805	612684
45	Kaushambi	924.35	309850
46	Kheri	597.619	222290
47	Kushinagar	607.15	640504
48	Lalitpur	1494.909	540700

49	Lucknow	36546.715	9343300
50	Maharajganj	588	1457000
51	Mahoba	647.758	465050
52	Mainpuri	2561.725	1537194
53	Mathura	13931.655	2758030
54	Mau	1076.3	509250
55	Meerut	8991.275	2064264
56	Mirzapur	1716.8	511170
57	Moradabad	60500.12	2057260
58	Muzaffarnagar	2913.65	877400
59	Pilibhit	4294.23	374850
60	Pratapgarh	1180.727	767201
61	Prayagraj	15378.69	5020899
62	Raebareilly	680.24	269450
63	Rampur	8703.406	1495600
64	Saharanpur	18578.03	3655235
65	Sambhal	1448.28	452010
66	Sant Kabeer Nagar	80.047	282265
67	Shahjahanpur	6775.6505	1609380
68	Shamli	29332.557	937345
69	Siddharth Nagar	270.24	373700
70	Sitapur	211.044	588750
71	Sonbhadra	3127.32	473675
72	Sravasti	143.6	123800
73	Sultanpur	360.4	280800
74	Unnao	2078.9598	704169
75	Varanasi	81910.77	6644186
Grand Total		**936726.25**	**124221439.00**
		936.72 Tons	**12.42 Crore**

नत्थी (घ)

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या-186 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या-138 पर)

उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2017 के अन्तर्गत अनुदान सहायता प्राप्त संस्थाओं का विवरण-

(धनराशि लाख रू. में)

क्र.सं.	पंजीकरण क्रमांक	संस्था/प्रमोटर	योजना	भुगतान की गयी धनराशि
1	4-15022018	मै0 लॉ फ्रेस इण्टरप्राइजेज, गौतमबुद्ध नगर	पूंजीगत अनुदान	16.06
2	9-20032018	मै0 एडेप्ट इम्पेक्स प्रा0लि0, आगरा	पूंजीगत अनुदान	3.05
3	26-30032018	मै0 अभिषेक रिटेल्स इण्डिया प्रा0लि0, बरेली	पूंजीगत अनुदान	25.00
4	33-12042018	श्री अशोक बाबू, 249ए नगला चिचना, आगरा	ब्याज उपादान	1.700
5	34-12042018	श्रीमती राजनदेवी, 249ए नगला चिचना, आगरा	ब्याज उपादान	1.81
6	44-05052018	मै0 जूस बकेट एल.एल.पी. सहारनपुर	पूंजीगत उपादान	47.17
7	46-11052018	मै0 नैमिष रोलर फ्लोर मिल, हरदोई	पूंजीगत अनुदान	50.00
8	47-17052018	मै0 मॉ वैष्णों नन्दनी फूड्स प्रोडक्टस प्रा0लि0 वाराणसी	पूंजीगत अनुदान	24.05
9	48-31052018	मै0 मैक इण्डस्ट्रीज रामपुर	पूंजीगत उपादान	50.00
10	50-04062018	मै0 रिश्ता फूड्स प्रा0 लि0	पूंजीगत उपादान	50.00
11	52-29062018	मै0 पूर्वांचल एग्रीको प्रा0लि0 गाजीपुर	पूंजीगत उपादान	27.35
12	61-18072018	श्री धनलक्ष्मी फूडस प्रा0लि0, इलाहाबाद	पूंजीगत उपादान	50.00
13	62-25072018	मै0 जिन्दल सोया इण्डस्ट्रीज, हरदोई	पूंजीगत उपादान	50.00
14	64-04082018	मै0 तिरूपति राईस मिल, इटावा	पूंजीगत उपादान	50.00
15	65-06082018	मै0 भंसाली फूडस हाथरस	पूंजीगत उपादान	40.22
16	67-10082018	मै0 डे फूड प्रोडक्टस हरदोई	पूंजीगत उपादान	22.65
17	69-22082018	मै0 गोपाल फूड प्रोडक्ट्स कोसीकला मथुरा	ब्याज उपादान	37.00
18	70-01092018	मै0 आर0के0 स्नैक्स प्रा0लि0, कानपुर	पूंजीगत उपादान	11.42
19	71-24092018	मै0 बाबा नरसाराम फूड्स, कानपुर	पूंजीगत उपादान	14.86
20	72-27092018	मै0 ओरियोनेक्स फार्मूलेशन प्रा0लि0, गोरखपुर	पूंजीगत उपादान	19.10
21	73-02102018	मै0 पारस एग्रो इण्डस्ट्रीज, कानपुर नगर	पूंजीगत उपादान	50.00
22	74-02102018	मै0 रूद्ध शक्ति एग्रो इण्डस्ट्रीज, कानपुर नगर	पूंजीगत उपादान	50.00
23	75-03102018	मै0 गोरखपुर रीसोर्सेज लि0, गोरखपुर	ब्याज उपादान	107.47
24	78-12102018	मै0 दुर्गा इण्टरप्राइजेज, औरैया	पूंजीगत उपादान	42.26
25	82-24102018	मै0 दीपक एग्री एण्डस्ट्रीज, एल0एल0पी0, इटावा	पूंजीगत उपादान	50.00
26	83-26102018	मै0 आसाम व्हीट प्रोडक्ट, शाहजहांपुर	पूंजीगत उपादान	50.00
27	84-26102018	मै0 महेश फूडस इण्डस्ट्रीज, लखनऊ	पूंजीगत उपादान	50.00
28	85-31102018	मै0 सचिन कुमार एण्ड सन्स, मथुरा	पूंजीगत उपादान	33.09
29	86-02112018	मै0 जे0एण्ड जी0 फूडस, हरदोई	पूंजीगत उपादान	50.00
30	90-06112018	मै0 सूर्यान्श एग्रो, इलाहाबाद	पूंजीगत उपादान	50.00
31	94-20112018	मै0 श्री जी फूडस, हाथरस	पूंजीगत उपादान	50.00
32	96-20112018	मै0 श्रीनाथ जी बेकर्स, वाराणसी	पूंजीगत उपादान	50.00

(धनराशि लाख रु. में)

क्र.सं.	पंजीकरण क्रमांक	संस्था/प्रमोटर	योजना	भुगतान की गयी धनराशि
33	98-20112018	मै0 जे0एम0पी0 इण्डस्ट्री प्रा0लि0, लखनऊ	पूंजीगत उपादान	62.345
34	101-22112018	मै0 शान्ती रोलर फ्लोर मिल्स, अयोध्या	पूंजीगत उपादान	50.00
35	104-08122018	मै0 खट्टर इडिबिल्स प्रा0लि0, कुशीनगर	पूंजीगत उपादान	50.00
36	106-13122018	मै0 ए0डी0एच0 फूड प्रोसेसिंग इण्डस्ट्रीज, चन्दौली	पूंजीगत उपादान	20.79
37	108-16122018	मैसर्स रामा प्लसेज प्रा0लि0	पूंजीगत उपादान	44.06
38	114-08012019	मै0 उमा फूड प्रोडक्टस प्रा0लि0, कानपुर देहात	पूंजीगत उपादान	12.29
39	115-11012019	मैसर्स गोल्डेन फार्म फूड्स, पीलीभीत	पूंजीगत उपादान	40.89
40	116-12012019	मैसर्स नव शक्ति राइस मिल	पूंजीगत उपादान	38.26
41	117-16012019	मै0 अलख राइस इण्डस्ट्रीज, पीलीभीत	पूंजीगत उपादान	19.06
42	118-18012019	मै0 प्रेम सिंह, आगरा	ब्याज उपादान	0.33
43	121-22012019	मै0 हरी ऑयल एण्ड जनरल मिल्स, मथुरा	पूंजीगत उपादान	50.00
44	129-29012019	मै0 श्री तिरूपति एग्रो फूड इण्डस्ट्रीज	पूंजीगत उपादान	50.00
45	130-01022019	मै0 ड्रासेन्ट फीड एण्ड फूड, गोरखपुर	पूंजीगत उपादान	13.40
46	138-10022019	मै0 बजरंगबली स्नैक्स प्रा0लि0	पूंजीगत उपादान	41.21
47	139-12022019	मै0 मार्डन स्नैक्स प्रा0लि0, कानपुर नगर	पूंजीगत उपादान	50.00
48	140-12022019	मै0 श्री कृष्णा फूड प्रोसेसर्स प्रा0लि0, गौतमबद्ध नगर	पूंजीगत उपादान	50.00
49	142-02032019	मैसर्स जे0ए0पी0 फूडस	ब्याज उपादान	12.345
50	144-10032019	मै0 बादशाह इण्टरनेशनल प्रा0लि0, कानपुर देहात	पूंजीगत उपादान	50.00
51	145-12032019	मै0 मारूफ इण्डस्ट्रीज, फतेहपुर	पूंजीगत उपादान	50.00
52	146-12032019	मै0 भलोथिया फूड्स प्रा0लि0, सुल्तानपुर	पूंजीगत उपादान	50.00
53	148-15032019	मै0 रूद्र बेकरी इण्डस्ट्रीज, बलिया	पूंजीगत उपादान	50.00
54	150-17032019	मै0 क्रिशपैन्स एग्रोटेक प्रा0लि0, गाजियाबाद	पूंजीगत उपादान	16.14
55	151-17032019	मै0 गर्ग रोलर फ्लोर मिल	पूंजीगत उपादान	25.67
56	153-26032019	मै0 सी.एल. एण्ड सन्स, मैनपुरी	ब्याज उपादान	2.15
57	154-27032019	मै0 यश फ्लोर मिल्स प्रा0लि0, हरदोई	पूंजीगत उपादान	38.01
58	155-30032019	मै0 मार्को फूडस, कानपुर नगर	पूंजीगत उपादान	14.71
59	156-30032019	मै0 अली अफजल फ्लोर मिल लि0, बाराबंकी	पूंजीगत उपादान	50.00
60	159-01042019	मै0 आर.के. इण्डस्ट्रीज, कानपुर नगर	पूंजीगत उपादान	35.43
61	161-01042019	मै0 सावित्री इण्डस्ट्रीज, गोरखपुर	पूंजीगत उपादान	36.82
62	163-02042019	मै0 जे0एम0डी0 इण्डस्ट्रीज, वाराणसी	पूंजीगत उपादान	50.00
63	165-03042019	मै0 गुरू कृपा एग्रो इण्डस्ट्रीज, महराजगंज	पूंजीगत उपादान	50.00
64	166-04062019	मै0 अग्रवाल एग्रो फूड्स, पीलीभीत	पूंजीगत उपादान	14.36
65	167-05042019	मै0 के. नन्दी रिफाइनरी प्रा0लि0, बरेली	पूंजीगत उपादान	50.00
66	176-26042019	मै0 असम क्रीट प्रोडक्ट्स प्रा0लि0, शाहजहांपुर	ब्याज उपादान	41.33
67	179-02052019	मै0 श्याम सखा फूड एण्ड विवरेज प्रा0लि0, बहराईच	पूंजीगत उपादान	50.00

(धनराशि लाख रु. में)

क्र.सं.	पंजीकरण क्रमांक	संस्था/प्रमोटर	योजना	भुगतान की गयी धनराशि
68	183-07052019	मै0 बी.डी. फूड्स प्रा0लि0, वाराणसी	पूंजीगत उपादान	50.00
69	190-12052019	मै0 ए.सी.ए. कैश्यू फ्रेश प्रा0लि0, लखनऊ	पूंजीगत उपादान	9.27
70	192-17052019	मै0 नजीर इण्डस्ट्रीज, बरेली	पूंजीगत उपादान	34.73
71	193-19052019	मै0 जैन इण्डस्ट्रीज, चन्दौली	पूंजीगत उपादान	14.3
72	197-01062019	मैसर्स इण्डियन ट्रेडर्स, मुरादाबाद	पूंजीगत उपादान	39.69
73	201-07062019	मैसर्स एम.एम.एक्स. फूड प्रा0लि0, गाजियाबाद	पूंजीगत उपादान	50.00
74	205-15062019	मैसर्स कुमार सचिन इण्डस्ट्री, लखनऊ	पूंजीगत उपादान	50.00
75	207-15062019	मैसर्स लक्ष्मी ट्रेडर्स, लखनऊ	पूंजीगत उपादान	50.00
76	211-22062019	मैसर्स मुकुल ओवरसीज प्रा0लि0, मैनपुरी	पूंजीगत उपादान	50.00
77	213-24062019	मैसर्स सतीश एग्रो इण्डस्ट्रीज, श्रावस्ती	पूंजीगत उपादान	50.00
78	220-29062019	मैसर्स पी.जी.एस.डी. एग्रो इण्डस्ट्री प्रा0लि0, गोरखपुर	पूंजीगत उपादान	48.38
79	221-02072019	मैसर्स ए.बी.एम. फूड एण्ड विवरेज, लखनऊ	पूंजीगत उपादान	50.00
80	228-10072019	मैसर्स जी.एल. फूड्स (यूनिट-2), लखनऊ	पूंजीगत उपादान	50.00
81	230-12072019	मैसर्स नटराज फूड्स, इलाहाबाद	पूंजीगत उपादान	50.00
82	231-12072019	मैसर्स देवी चरन मिश्रा, एण्ड सन्स, कानपुर नगर	पूंजीगत उपादान	5.63
83	236-17072019	मैसर्स सन एग्रो इण्डस्ट्रीज, सहारनपुर	पूंजीगत उपादान	50.00
84	241-25072019	मैसर्स राम एग्रो इण्डस्ट्रीज, उन्नाव	पूंजीगत उपादान	50.00
85	242-26072019	मैसर्स भारत इण्डस्ट्रीज, चन्दौली	पूंजीगत उपादान	48.44
86	246-02082019	मैसर्स हाथरस फूड्स प्रा0लि0, हाथरस	पूंजीगत उपादान	45.69
87	250-06082019	मैसर्स टेरियोट फूड्स एण्ड ग्रेन्स, बिजनौर	पूंजीगत उपादान	50.00
88	252-08082019	मैसर्स राधे फूड्स, इलाहाबाद	पूंजीगत उपादान	9.73
89	254-08082019	मैसर्स ओम सांई यू.एस.एस. ट्रेडर्स, फिरोजाबाद	पूंजीगत उपादान	50.00
90	259-20082019	मैसर्स राव एण्ड राव एशोसिएट्स, कुशीनगर	पूंजीगत उपादान	32.33
91	261-20082019	मैसर्स ओरियोनेक्स एग्रोटेक, कुशीनगर	पूंजीगत उपादान	27.38
92	274-31082019	मैसर्स मॉ दुर्गा फूड प्रोडक्ट, वाराणसी	पूंजीगत उपादान	33.98
93	283-14092019	मैसर्स हरियाणा राइस मिल्स, सहारनपुर	पूंजीगत उपादान	50.00
94	290-19092019	मैसर्स जुल्फीकार एण्ड कम्पनी, अलीगढ़	पूंजीगत उपादान	34.43
95	293-22092019	मैसर्स एम.एस. इण्डस्ट्रीज, बरेली	पूंजीगत उपादान	40.98
96	295-25092019	मैसर्स जे.एल. फूड प्रोडक्ट्स प्रा0लि0, बरेली	पूंजीगत उपादान	45.56
97	296-27092019	मैसर्स गोमती हेल्थी नेचुरेन्ट्स, प्रा0लि0, लखनऊ	पूंजीगत उपादान	50.00
98	299-28092019	मैसर्स पूजा मीनी मॉडर्न राइस मिल, कानपुर	पूंजीगत उपादान	47.11
99	314-08102019	मैसर्स रसोई फूड प्रोडक्ट, बाराबंकी	पूंजीगत उपादान	10.40
100	316-09102019	मैसर्स नवीन एग्रो इण्डस्ट्रीज, सुल्तानपुर	पूंजीगत उपादान	50.00
101	328-25102019	मैसर्स अल-फलाह एग्रो इण्डस्ट्रीज, बरेली	पूंजीगत उपादान	50.00
102	329-30102019	मैसर्स अमन राईस मिल, बरेली	पूंजीगत उपादान	50.00

(धनराशि लाख रू. में)

क्र.सं.	पंजीकरण क्रमांक	संस्था/प्रमोटर	योजना	भुगतान की गयी धनराशि
103	330-04112019	मैसर्स एस0 आर0 एग्री फूडस, पीलीभीत	पूंजीगत उपादान	50.00
104	331-06112019	मैसर्स श्री दुर्ग विनायक इण्डस्ट्रीज, वाराणसी	पूंजीगत उपादान	50.00
105	332-07112019	मैसर्स ललित ओम फूड प्रोडक्टस प्रा0लि0, बहराइच	पूंजीगत उपादान	50.00
106	335-14112019	मैसर्स रेनी इन्टरप्राईजेज, सहारनपुर	पूंजीगत उपादान	10.98
107	340-22112019	मैसर्स गुरू मेहर राईस मिल, पीलीभीत	पूंजीगत उपादान	41.44
108	342-22112019	मैसर्स कुमार राईस मिल प्रा0लि0, कानपुर नगर	पूंजीगत उपादान	39.81
109	374-27122019	मैसर्स के0आर0एस0 हैण्डीक्राफ्टस, हापुड़	पूंजीगत उपादान	50.00
110	376-01012020	मैसर्स प्रज्ञा राईस मिल, रायबरेली	पूंजीगत उपादान	50.00
111	383-17012020	मैसर्स श्री श्याम उद्योग, बहराइच	पूंजीगत उपादान	50.00
			योग-	4323.92

नत्थी (ङ)

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या-191 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या-140-141 पर)

प्रदेश के मेट्रोपॉलिटन सिटी वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ, गाजियाबाद तथा नोएडा में लगायी गयी हाई मास्ट और सेमी हाई मास्ट लाईटों का विवरण।

क्र0सं0	नगर निगम/प्राधिकरण का नाम	हाईमास्ट की संख्या	सेमी हाईमास्ट की संख्या
1.	वाराणसी	38	270
2.	गोरखपुर	07	326
3.	लखनऊ	39	48
4.	गाजियाबाद	1005	1565
5.	नोएडा प्राधिकरण	226	842
कुल संख्या		1315	3051

हाई मास्ट और सेमी हाई मास्ट लाईटों की कुल संख्या का योग–4366

नत्थी (च)

(देखिये मा0 सदस्यों के अभिभाषण पृष्ठ सं0-192 पर)

श्री राज्यपाल के अभिभाषण में प्राप्त संशोधन

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
1	श्री राम गोविन्द चौधरी, श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री नफीस अहमद, श्री उज्जवल रमण सिंह, श्री मनोज कुमार पारस, डा0 संग्राम यादव, श्री शैलेन्द्र यादव, श्री इरफान सोलंकी, श्री मौ0 फहीम इरफान, श्री राकेश प्रताप सिंह, श्री दुर्गा प्रसाद यादव, श्री रफीक अन्सारी, श्री नाहिद हसन तथा श्री संजय गर्ग।	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाय :- ''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है :- 1-कानून व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त करने के सम्बन्ध में, 2-प्रदेश में निरन्तर बढ़ रहे बलात्कार/डकैती/चोरी/लूट/हत्या/जातीय हिंसा आदि को रोकने हेतु किसी ठोस नीति के सम्बन्ध में, 3-निरन्तर बढ़ रहे साइबर क्राइम की रोकथाम के सम्बन्ध में, 4-महिलाओं के यौन शोषण, उत्पीड़न व अत्याचार रोकने की ठोस कार्य योजना के सम्बन्ध में, 5-महिलाओं की सुरक्षा हेतु किसी ठोस नीति के सम्बन्ध में, 6-महिलाओं और युवतियों के लिए बेहतर जीवन और स्वास्थ्य सम्बन्धी योजना के सम्बन्ध में, 7-किसानों के विरुद्ध की जा रही दमनात्मक कार्यवाही को रोकने के सम्बन्ध में, 8-किसान आन्दोलनों में मृतक किसानों के संवेदना व्यक्त करने व उनके परिवार को आर्थिक सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में, 9-किसानों को खाद और बीज क्रय में छूट दिये जाने के सम्बन्ध में, 10-किसानों के लिये सिंचाई मुफ्त करने के सम्बन्ध में, 11-किसानों की कृषक उपज का बेहतर मूल्य उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		12-किसानों के धान एवं गेहूं खरीद में हुई अनियमितता व भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में,
		13-ऊसर तथा बंजर भूमि के सुधार के सम्बन्ध में योजना लागू करने के सम्बन्ध में,
		14-किसानों को खाद, बीज व पानी उपलब्धता समयबद्ध सुनिश्चित कराने के सम्बन्ध में,
		15-नकली दवाइयों की रोकथाम के सम्बन्ध में,
		16-प्रदेश में नहर की सफाई तथा सिंचाई व्यवस्था दुरुस्त करने के सम्बन्ध में,
		17-गन्ना किसानों के गन्ना की खरीद शत-प्रतिशत सुनिश्चित कराने तथा घटतौली, बिचौलिये व दलाल पर अंकुश लगाने के सम्बन्ध में,
		18-पशुधन विकास हेतु छोटे किसानों को उन्नत किस्म के दुधारू पशु क्रय करने हेतु ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में,
		19-कुक्कुट नीति के सम्बन्ध में,
		20-छुट्टा पशुओं से फसल की सुरक्षा व्यवस्था करने के सम्बन्ध में,
		21-आलू किसानों हेतु किसी ठोस नीति के सम्बन्ध में,
		22-सिंचाई हेतु किसानों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में,
		23-बेरोजगार नवयुवकों को रोजगार उपलब्ध कराने की किसी ठोस नीति के सम्बन्ध में,
		24-प्रतिभावान, साहित्यकारों, कवियों, खिलाड़ियों, उद्यमियों, किसानों, कलाकारों को प्रोत्साहित करने के सम्बन्ध में,
		25-उच्च प्राथमिक विद्यालयों, माध्यमिक विद्यालयों, विश्वविद्यालयों में सुदृढ़ अध्यापन कार्य हेतु शिक्षकों की पर्याप्त तैनाती सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		26-निरन्तर बढ़ रहे पर्यावरण प्रदूषण को रोकने हेतु ठोस नीति के सम्बन्ध में,
		27-ग्रामीण क्षेत्रों में शत-प्रतिशत राशनकार्ड बनाये जाने के सम्बन्ध में,
		28-अस्पतालों में बढ़ते मरीजों के दबाव को दृष्टिगत रखते हुए दवाएं एवं बेड की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में,
		29-भाजपा पार्टी के विधायकों, कार्यकर्ताओं द्वारा खुलेआम अराजकता फैलाने एवं आतंक का माहौल पैदा करने एवं धन की वसूली पर प्रभावी नियंत्रण के सम्बन्ध में,
		30-बुनकरों को सस्ती एवं फिक्स दर पर विद्युत दिए जाने, सस्ती दर पर धागा उपलब्ध कराए जाने, पावरलूमों को बीस घण्टे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराए जाने के सम्बन्ध में,
		31-प्रदेश में विद्युत उत्पादन में बढ़ोत्तरी के सम्बन्ध में कोई योजना प्रस्तावित करने के सम्बन्ध में,
		32-समुचित विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराने के सम्बन्ध में,
		33-प्रदेश में उत्पन्न हो रही पेयजल समस्या के सम्बन्ध में,
		34-सरकार द्वारा की जा रही विभिन्न मदों में फिजूलखर्ची रोकने के सम्बन्ध में,
		35-राज्य कर्मचारियों को अवकाश नकदीकरण की सुविधा बहाल किये जाने के सम्बन्ध में तथा दैनिक वेतन कर्मियों को नियमित करने तथा पुरानी पेंशन बहाली के सम्बन्ध में,
		36- किसी मानक या नीति के बगैर लगातार किये जा रहे स्थानान्तरण से प्रभावित हो रहे काम-काज के सम्बन्ध में,
		37-चिकित्सालयों में आवश्यक सुविधाओं का अभाव तथा ग्रामीण अंचलों के अधिकांश चिकित्सालयों में रिक्त पदों पर नियुक्तियों के सम्बन्ध में,
		38-पिछले वर्ष विधान सभा द्वारा पारित बजट को अब तक न खर्च कर पाने के सम्बन्ध में,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		39-सौहार्द व भाईचारा बनाये रखने के सम्बन्ध में तथा 40-सरकार की निरंकुशता पर अंकुश लगाने के सम्बन्ध में।''
2	श्री लाल जी वर्मा, श्री आजाद अरिमर्दन, श्री राम अचल राजभर, श्री उमाशंकर सिंह तथा श्री विनय शंकर तिवारी।	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाय :- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय का कोई उल्लेख नहीं किया है :- 1-किसान कानून जैसे काले कानून के विरोध में लोकतांत्रिक ढंग से प्रदर्शन एवं अनशन कर रहे प्रदर्शनकारियों पर किये जा रहे बर्बर अत्याचार किये जाने के सम्बन्ध में, 2-एम0एस0पी0 के अनुसार किसानों के उत्पाद क्रय सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में, 3-उत्तर प्रदेश में गिरती हुई कानून व्यवस्था के नियंत्रण के सम्बन्ध में, 4-दंगा पर प्रभावी नियन्त्रण के सम्बन्ध में, 5-प्रदेश में बिजली की दरों में बेतहाशा की जा रही वृद्धि को कम किये जाने के सम्बन्ध में, 6-प्रदेश में शराब को पूरी तरह से प्रतिबन्धित किये जाने के सम्बन्ध में, 7-प्रदेश के किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य प्रदान करने हेतु राज्य परामर्शी समिति स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में, 8-प्रदेश के किसानों की उपज को बढ़ावा देने हेतु उन्हें प्रसंस्कृत व हाईब्रिड किस्म के बीजों की सब्सिडी समय पर उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में, 9-सरकारी अस्पतालों में दवाओं का अभाव है, उसका समाधान किये जाने के सम्बन्ध में, 10- प्रदेश के किसानों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में, 11-प्रदेश के किसानों को मुफ्त सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		12-लोकतांत्रिक ढंग से प्रदर्शन एवं अनशन कर रहे प्रदर्शनकारियों पर संगीन अपराधों में मुकदमें दर्ज करके जेल भेजे जाने के सम्बन्ध में,
		13-प्रदेश में एन्टी भू-माफिया के नाम पर गरीबों को बेघर करने से रोके जाने के सम्बन्ध में,
		14-प्रदेश में हो रहे फर्जी इन्काउन्टर को रोके जाने के सम्बन्ध में,
		15-बढ़ते बालात्कार की घटनाओं एवं महिलाओं के उत्पीड़न को रोके जाने के सम्बन्ध में,
		16-गो-रक्षा के नाम पर हो रही गुण्डागर्दी को प्रभावी ढंग से रोके जाने के सम्बन्ध में,
		17- किसानों का सम्पूर्ण कर्जा माफ करने के सम्बन्ध में,
		18-दलितों, पिछड़ों एवं अल्संख्यकों के ऊपर हो रहे अत्याचार को रोके जाने के सम्बन्ध में,
		19-डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना को प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में,
		20-मा0 श्री कांशीराम शहरी आवास योजना के सम्बन्ध में,
		21-गन्ना की कीमतों में बढ़ोत्तरी किये जाने के सम्बन्ध में,
		22-गन्ना मूल्य के बकाये के सम्पूर्ण भुगतान के सम्बन्ध में,
		23-किसानों के धान खरीद में हुई अनियमितता एवं भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में.
		24-बेरोजगार नौजवानों को रोजगार दिलाये जाने के सम्बन्ध में,
		25-माध्यमिक शिक्षा के उन्नयन के सम्बन्ध में,
		26-प्रदेश में भयंकर पेयजल की समस्या के निदान के सम्बन्ध में,
		27-प्रदेश में नौजवानों के खेलकूद की सुविधा को बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		28-महामाया राजकीय मेडिकल कालेज अम्बेडकरनगर में पी0जी0 की कक्षायें चलाये जाने के सम्बन्ध में,
		29-गरीबों को आवास देने के सम्बन्ध में,
		30-कटेहरी जनपद-अम्बेडकरनगर को नगर पंचायत बनाये जाने के सम्बन्ध में,
		31-अम्बेडकरनगर में उच्च शिक्षा हेतु विश्वविद्यालय का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में,
		32-बुनकर बाहुल्य क्षेत्र मुबारकपुर, अकबरपुर, टाण्डा एवं जलालपुर को औद्योगिक क्षेत्र घोषित करने एवं 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में,
		33-जिला आजमगढ़ के लालगंज विधान सभा क्षेत्र में ग्राम फेटी बेलऊ होते हुये सड़क मरम्मत के सम्बन्ध में,
		34-अग्नि से पीड़ित व्यक्तियों को मकान उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में,
		35-जाति के आधार पर किये जा रहे भेद-भाव को रोके जाने के सम्बन्ध में,
		36-अकबरपुर-आजमगढ़ मार्ग से सिबलीपुर मार्ग को हाटमिक्स से बनवाने के सम्बन्ध में,
		37-प्रदेश में राशन कार्डों की जांच कराकर पात्र व्यक्तियों को राशन कार्ड उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में,
		38-खाद्य वितरण प्रणाली में हो रही अनियमितता को रोके जाने के सम्बन्ध में,
		39-महामाया बालिका आशीर्वाद योजना को पुनः प्रारम्भ कराये जाने के सम्बन्ध में,
		40-विधान सभा क्षेत्र दीदारगंज के मार्टिनगंज, जनपद-आजमगढ़ में नगर पंचायत घोषित किये जाने के सम्बन्ध में,
		41-नवसृजित तहसील मार्टिनगंज के निर्माण कार्य में उदासीनता बरते जाने के सम्बन्ध में,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		42-जिला आजमगढ़ के दीदारगंज विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत मार्टिनगंज में पालीटेक्निक कालेज खोले जाने के सम्बन्ध में,
		43-प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में 5 करोड़ की लागत से चयन किये जाने वाली सड़कों में विपक्ष के सम्मानित सदस्यों का प्रस्ताव नहीं लिये जाने के सम्बन्ध में,
		44-जिला-आजमगढ की विधान सभा क्षेत्र मुबारकपुर के विकास खण्ड जहानागंज के कस्बा जहानागंज को नगर पालिका घोषित किये जाने के सम्बन्ध में,
		45-जिला आजमगढ़ की विधान सभा क्षेत्र-मुबारकपुर के ब्लाक सठियांव के अन्तर्गत अमिलो को नगर पालिका घोषित किये जाने के सम्बन्ध में,
		46-जिला आजमगढ़ की विधान सभा क्षेत्र मुबारकपुर के ब्लाक सठियांव के अन्तर्गत नगर पालिका मुबारकपुर में कन्या विद्यालय एवं इण्टरमीडिएट कालेज खोले जाने के सम्बन्ध में,
		47-जिला आजमगढ़ की विधान सभा क्षेत्र मुबारकपुर में पालीटेक्निक एवं इंजीनियरिंग कालेज खोले जाने के सम्बन्ध में,
		48-किसानों को खाद, बीज व पानी उपलब्धता समयबद्ध सुनिश्चित कराने के सम्बन्ध में,
		49-विधान सभा क्षेत्र दीदारगंज, आजमगढ़ के ग्राम महुजा नेवादा में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के अधूरा कार्य को पूर्ण कराने के सम्बन्ध में.
		50-विधान सभा क्षेत्र दीदारगंज, आजमगढ़ में ग्राम खासडीह में अधूरा विद्युत उपकेन्द्र पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में,
		51-विधान सभा क्षेत्र रसड़ा, बलिया के अन्तर्गत शारदा सहायक खण्ड-32 इन्दारा रजवाहा नहर के सिंगही से डूमरी तक नहर में लाइनिंग (पक्कीकरण) का कार्य के सम्बन्ध में,
		52-विधान सभा क्षेत्र रसड़ा, बलिया में साधन सहकारी चीनी मिल रसड़ा को प्रारम्भ कराये जाने के सम्बन्ध में,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		53-सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र रसड़ा, बलिया में चिकित्सकों की तैनाती के सम्बन्ध में, 54-आजमगढ़ में उच्च शिक्षा हेतु विश्वविद्यालय का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में, 55-प्रदेश की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ी जाति के छात्रवृत्ति एवं शुल्क की प्रतिपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में, 56-आयेदिन पेट्रोल, डीजल के बढ़ाये जा रहे दामों पर से राज्य सरकार द्वारा लिये जा रहे टैक्स को समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में, 57-बढ़ी हुई गैस के दाम पर राज्य सरकार द्वारा ली जा रही टैक्स को हटाये जाने के सम्बन्ध में, तथा 58-जनपद-अम्बेडकरनगर में अकबरपुर-इल्तिफातगंज मार्ग को चौड़ीकरण एवं उच्चीकृत करने के सम्बन्ध में।"
3-	श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाय :- ''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है :- 1-कि किसान की फसल घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य [MSP] पर खरीदी जाय, न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पर खरीदना कानूनन अपराध घोषित किये जाने के सम्बन्ध में, 2-कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भटनी जनपद प्रतापगढ़ को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में, 3-कि राष्ट्रीय एकता महोत्सव घुइसरनाथ, प्रतापगढ़ की धनराशि रु0 15.00 लाख (पन्द्रह लाख रुपये) से बढ़ा कर रु0 50 लाख (पचास लाख रुपये) किये जाने के सम्बन्ध में, 4-कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में ग्राम मुस्तफाबाद (तुलसीराम का पुरवा) में सई नदी पर एक पक्के पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		5-कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग द्वारा धधुआगाजन से वर्मा नगर तक तथा कामापट्टी से बीजमऊ तक के छूटे हुये बीच के हिस्से का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में,
		6-कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग द्वारा रीठी, छोटेगंज, कटेहटी, लेबुड़ा मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में,
		7-कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग द्वारा रायबरेली, वाराणसी राष्ट्रीय राजमार्ग-231 से धारूपुर-लालगंज मार्ग तक वाया सराय जानमती, रामपुर पावर हाउस, पूरे शिवा वैश्य, करनराय, पूरे जोधा, मन्ना का पुरवा, कोटिला, असरही (सराय नरायन सिंह) का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में,
		8-कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र के विकास खण्ड रामपुर संग्रामगढ़, प्रतापगढ़ के अन्तर्गत ''राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान योजनान्तर्ग'' वर्ष 2012 से निर्माणाधीन मॉडल स्कूल सराय निर्भय का निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण कराकर अध्यापन कार्य प्रारम्भ कराये जाने के सम्बन्ध में,
		9-कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत NH 231 पर स्थित ट्रामा सेण्टर, लालगंज जनपद प्रतापगढ़ को निर्मित भवन में तत्काल चालू किये जाने के सम्बन्ध में,
		10-कि प्रत्येक परिवार को जीवन-यापन के लिये ''सम्मान राशि'' दिये जाने के सम्बन्ध में,
		11-कि किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य दिये जाने के सम्बन्ध में,
		12-कि राज्य सरकार की नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण दिये जाने के सम्बन्ध में,
		13-कि राज्य सरकार की नौकरियों में सामान्य वर्ग को 15% आरक्षण दिये जाने के सम्बन्ध में,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		14-कि अफसरशाही बेलगाम हो गयी है। सामान्य शिष्टाचार एवं परम्पराओं का अनुपालन कराये जाने के सम्बन्ध में,
		15-कि जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा हो रही है,
		16-कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र रामपुर खास में विकास कार्य पूरी तरह बन्द पड़े हैं। विकास कार्यों में तेजी लाये जाने के सम्बन्ध में,
		17-कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र रामपुर खास के अधूरे कार्यों को प्राथमिकता पर पूरा किये जाने के सम्बन्ध में,
		18-कि पूर्वान्चल के पिछड़ेपन को देखते हुए बन्द पढ़े उद्योगों को चलाने के लिये ''स्पेशल पैकेज" दिये जाने के सम्बन्ध में,
		19-कि बुन्देलखण्ड, पूर्वांचल एवं पश्चिमांचल के चतुर्मुखी विकास हेतु स्पेशल पैकेज दिये जाने के सम्बन्ध में,
		20-कि गन्ना किसानों के बकाये का शीघ्र भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में,
		21-कि बन्द पड़ी गन्ना मिलों को चालू किया जाय तथा गन्ने की आखिरी पेराई की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में,
		22-कि प्रदेश में अराजकता का वातावरण है, कानून-व्यवस्था की स्थिति 'जंगलराज'' जैसी हो गयी है। अतः कानून-व्यवस्था में सुधार किये जाने के सम्बन्ध में,
		23-कि प्रदेश में महिलाओं, नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार एवं सामूहिक बलात्कार की घटनायें घटित हो रही हैं, तत्काल इस पर रोक लगाने के लिये ठोस कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में,
		24-कि प्रदेश में बिजली का उत्पादन न होने से उत्पादन एवं उपलब्धता के बीच काफी अन्तर आ गया है, जिसके कारण प्रदेश अभूतपूर्व बिजली संकट से गुजर रहा है। अतः विद्युत परियोजनाओं को पूरी क्षमता के साथ चलाये जाने के सम्बन्ध में,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		25-कि जनपद रायबरेली, प्रतापगढ़, कुशीनगर, कानपुर नगर एवं सहारनपुर आदि जनपदों में 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में,
		26-कि प्रदेश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली पूरी तरह से दलालों एवं बिचौलियों के नियंत्रण में आ गयी है। कण्ट्रोल रेट पर चीनी एवं केरोसिन का तेल उपलब्ध नहीं है और ब्लैक/कालाबाजारी में धड़ल्ले से ये सामान बेचे जाने के सम्बन्ध में,
		27-कि किसानों को उत्पादन की उचित कीमत नहीं मिल रही है। किसानों को बिजली, सिंचाई, उर्वरक तथा श्रम की कीमत के मद्देनजर इसके लाभ को निर्धारित करते हुए समर्थन मूल्य दिये जाने के सम्बन्ध में,
		28-कि प्रदेश में सरकारी विभागों में व्याप्त भ्रष्टाचार पर रोक लगाये जाने के सम्बन्ध में,
		29-कि सरकारी नियुक्तियों एवं नौकरियों में धांधली और भ्रष्टाचार को देखते हुए पारदर्शिता लाये जाने के सम्बन्ध में,
		30-कि बुनकरों को सस्ते दर पर सूत उपलब्ध कराया जाना चाहिए। बकाया कर्ज माफ किये जाने के सम्बन्ध में,
		31-कि 25 वर्ष के ऊपर के प्रत्येक बेरोजगार नौजवान को बेरोजगारी भत्ता दिया जाय, चाहे वह किसी भी वर्ग, धर्म या आर्थिक स्थिति का हो,
		32-कि प्रदेश के सभी किसानों के कर्जे माफ किये जाने के सम्बन्ध में,
		33-कि राजनैतिक द्वेष से दर्ज कराये गये झूठे राजनैतिक मुकदमें वापस लिये जाने के सम्बन्ध में,
		34-कि उत्तर प्रदेश में गुण्डागर्दी करने वाले, गुण्डा टैक्स वसूलने वाले, मकान, दुकान एवं जमीन पर कब्जा करने वाले अराजक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		35-कि जनपद रायबरेली में केन्द्र सरकार की प्रस्तावित योजनाओं के लिये एम्स सहित केन्द्रीय प्रस्तावों के लिये आवश्यकतानुसार भूमि उपलब्ध करायी जाय और इसे शीघ्र सेवारत किये जाने के सम्बन्ध में,
		36-कि विधान सभा क्षेत्र विकास निधि की राशि बढ़ा कर रु0 5.00 करोड़ (पांच करोड़ रुपये) किये जाने के सम्बन्ध में,
		37-कि पेयजल की समस्या के समाधान हेतु विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में लगाये जाने हेतु प्रत्येक मा0 विधायक को पांच-पांच सौ इण्डिया मार्क-2 हैण्ड पाइप प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में,
		38-कि प्रत्येक मा0 विधायक के निर्वाचन क्षेत्र में 10-10 ग्रामों का विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में,
		39-कि नहरों एवं माइनरों की सफाई करायी जाय और उन्हें सिंचाई के लिये समयबद्ध ढंग से पूरी क्षमता के साथ चलाये जाने के सम्बन्ध में,
		40-कि केन्द्र एवं प्रदेश सरकार से पर्यटन स्थल का दर्जा प्राप्त प्रसिद्ध पर्यटन एवं धार्मिक स्थल घुइसरनाथ धाम की अस्थाई पुलिस चौकी को स्थाई पुलिस चौकी बनाये जाने के सम्बन्ध में,
		41-कि लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़, जौनपुर राष्ट्रीय राजमार्ग-231 पर स्थित थाना कोतवाली लालगंज जनपद प्रतापगढ़ में पुलिस कर्मियों के आवास के लिये नये भवन का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में,
		42-कि प्रदेश में मंहगाई बेलगाम बढ़ रही है इस पर अंकुश लगाने के लिये ठोस कदम उठाये जाने के सम्बन्ध में,
		43-कि अवारा पशु किसानों की फसल को बर्बाद/नष्ट कर रहे हैं, इस पर रोक लगाने के लिये ठोस कार्यवाही की जाय तथा आवश्यकतानुसार गौशालाओं का निर्माण कराया जाय और पशुओं के लिये आहार की उचित व्यवस्था की जाय तब तक प्रत्येक किसान को दूध न देने वाले पशुओं के

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		पालन-पोषण हेतु प्रति पशु की दर से रु0 1000 (एक हजार रुपये) प्रतिमाह दिये जाने के सम्बन्ध में, 44-कि अवारा पशुओं के भय से जिन किसानों की भूमि परती है और किसान पशुओं के डर से उस भूमि में खेती नहीं कर रहे हैं, ऐसे किसानों को उचित मुआवजा दिये जाने के सम्बन्ध में, 45-कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र की प्रमुख बाजार उदयपुर में ग्राम पेयजल समूह योजना स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में, तथा 46-कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में स्थापित खराब पड़ी ग्रामीण पेयजल समूह योजनाओं को ठीक कराकर पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करायी जाय तथा आवश्यकतानुसार पाइप लाइन बिछाई जाने के सम्बन्ध में।"
4-	श्री लकी यादव	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाय :- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :- 1-जनपद जौनपुर में पूर्व में स्वीकृत मेडिकल कालेज जो अधूरा पड़ा है, को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में, 2-पूर्व सरकार द्वारा स्वीकृत सड़कों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में, 3-ओवरलोड ट्रांसफार्मरों की क्षमता वृद्धि के सम्बन्ध में, 4-पेयजल की समस्या का समाधान किये जाने के सम्बन्ध में, 5-बैजारामपुर पुल का निर्माण शीघ्र कराये जाने के सम्बन्ध में, 6-सीदीपुर रेलवे क्रासिंग पर हमेशा लगने वाले जाम का निदान कराये जाने के सम्बन्ध में, 7-सिकरारा-बरईपुर मार्ग का चौड़ीकरण एवं नवीनीकरण का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		8-विधान सभा क्षेत्र मल्हनी, जनपद जौनपुर में विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में, 9-पूर्ववर्ती सरकार द्वारा स्वीकृत विद्युत प्लांटों का अधूरा कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में, तथा 10-विधान सभा क्षेत्र मल्हनी जनपद जौनपुर की जर्जर सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में।"
5-	श्री आजाद अरिमर्दन	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाय :- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :- 1-जनपद-आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र लालगंज के लालगंज तहसील को जिला घोषित कराये जाने के सम्बन्ध में, 2-जनपद-आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र लालगंज के बन्द पड़े महिला सामुदायिक केन्द्र को पुनः चालू कराये जाने के सम्बन्ध में, 3-जनपद-आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र लालगंज में शीतगृह भण्डारण के निर्माण के सम्बन्ध में, 4-जनपद-आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र लालगंज में राजकीय महिला महाविद्यालय खोले जाने के सम्बन्ध में, 5-जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र लालगंज में राजकीय इंजीनियरिंग कालेज का नाम बदल कर मा0 कांशीराम इंजीनियरिंग कालेज रखे जाने के सम्बन्ध में, 6-जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र लालगंज के वि0ख0 लालगंज के कस्बा देवगांव, वि0ख0-टेकमा बाजार के ब्लाक-पल्हना में पल्हना बाजार को टाउन एरिया बनाये जाने के सम्बन्ध में, 7-जनपद-आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र लालगंज के वि0ख0-पल्हना में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने के सम्बन्ध में,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		8-जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र लालगंज के वि0ख0-लालगंज में ग्राम चेवार पूरब में मांगी नदी के पुल से ग्रा0-गोवर्धनपुर की ओर सड़क निर्माण के सम्बन्ध में,
		9-जनपद-आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र लालगंज के बुढ़उबाबा केराकत सम्पर्क मार्ग से विधान सभा क्षेत्र केराकत की सीमा तक सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,
		10-जनपद-आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र लालगंज के वि0ख0-ठेकमा में महुआरी के पंचायत भवन से ग्राम-फेटी का सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,
		11-जनपद-आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र लालगंज में फल, सब्जी एवं अनाज मण्डी के निर्माण के सम्बन्ध में,
		12-जनपद-आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र लालगंज के वि0ख0-पल्हना में पल्हना चौकी को थाना बनाये जाने एवं उप फायर स्टेशन (अग्निशमन केन्द्र) बनाये जाने के सम्बन्ध में,
		13-जनपद-आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र लालगंज के सामुदायिक केन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में दवा एवं नियमित डाक्टर एवं स्टाफ उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में,
		14-जनपद-आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र लालगंज को 24 घण्टे बिजली आपूर्ति कराये जाने के सम्बन्ध में,
		15-जनपद-आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र लालगंज में आ रहे फर्जी विद्युत बिलों के निस्तारण कराये जाने के सम्बन्ध में,
		16-जनपद-आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र लालगंज के विद्युत ट्रांसफार्मरों की क्षमता वृद्धि कराये जाने के सम्बन्ध में,
		17-जनपद-आजमगढ़ के वि0ख0-लालगंज के ग्राम कटौली में मोहम्मद मुअज्जम के घर से मो0 तनवीन के घर तक जर्जर मार्ग का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		18-जनपद-आजमगढ़ के वि0ख0-लालगंज के ग्राम दौना से ग्राम बरहती तक नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में, 19-जनपद-आजमगढ़ के वि0ख0-पल्हना में ग्राम खुरसू एवं ग्राम रामपुर बरोना के बेसो नदी पर पुल का निर्माण वि0ख0-ठेकमा के ग्राम सिरसेड़ी प्राथमिक विद्यालय के सामने बेसो नदी पर पुल का निर्माण, वि0ख0-तरवा के ग्राम खुशनपुर एवं नई बस्ती के बीच गांगी नदी पर लघु सेतु का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में, 20-जनपद-आजमगढ़ के वि0ख0-ठेकमा के ग्राम महंगूपुर में नहर की पुलिया का चौड़ीकरण एवं वि0ख0-ठेकमा ग्राम-बहादुरपुर चक नोनारि डीह बाबा के पास जर्जर पुलिया का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में, 21-जनपद-आजमगढ़ के वि0ख0-लालगंज के ग्राम मिर्जापुर (देवगांव) रामलगन के घर के पास नहर पर बनी पुलिया का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में, 22-जनपद-आजमगढ़ के वि0ख0-लालगंज के ग्राम कलीचपुर, किशुनपुर में राजेश सिंह के घर के पास नहर पर पुलिया का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में, तथा 23-जनपद-आजमगढ़ के वि0ख0-लालगंज के ग्राम रोहुआ के हाई-वे से ग्राम बेला हाई-वे तक सड़क का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में।"
6-	श्री उमाशंकर सिंह	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाय :- ''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित विषय का कोई उल्लेख नहीं किया है :- 1-विधान सभा क्षेत्र रसड़ा, बलिया में साधन सहकारी चीनी मिल रसड़ा को प्रारम्भ कराये जाने के सम्बन्ध में, 2-सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रसड़ा, बलिया में विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती के सम्बन्ध में, 3-आदर्श नगर पालिका रसड़ा में महिला चिकित्सालय की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		4-जनपद बलिया के कताई मिल की खाली पड़ी जमीन पर मेडिकल कालेज बनाये जाने के सम्बन्ध में, 5-ग्राम सभा-कोडरा, आमघाट, बेसवान इत्यादि गांवों की टोंस नदी की कटान एवं बाढ़ से सुरक्षा हेतु बोल्डर स्पर एवं बन्धे का निर्माण कराकर उस पर बोल्डर पिचिंग का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में, 6-नगरा-बलिया राज्य मार्ग के सलेमपुर से नगरा-सिकन्दरपुर मार्ग के डिहवां तक के मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में, 7-चिलकहर-टीकादेवरी मार्ग से गोविन्द शाह मन्दिर पाण्डेयपुर, संवरा, गोपालपुर, चिन्तामनपुर, नराक्ष होते हुये सिंगही-सलेमपुर मार्ग के बर्रेबोझ तक सड़क के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में, 8-आर0एन0टी0 के नगरा से तियरा-मलप होते हुये रतनपुरा तक मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में, 9-आदर्श नगर पालिका क्षेत्र रसड़ा में राजकीय महिला महाविद्यालय का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में, 10-प्रत्येक साल दर्जनों गांवों को बाढ़ से बचाने के लिये रसड़ा विधान सभा क्षेत्र स्थित बसनही ड्रेन, लकड़ा ड्रेन एवं अवरा ड्रेन की खुदाई व सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में, 11-ग्राम सभा-अन्तरसुवा एवं सिलहटा के बीच जनपद-गाजीपुर साइट में बने बंधे के अवशेष भाग को पूर्ण कराये जाने का कार्य, 12-किसानों की उपज/पैदावार को एम0एस0पी0 पर खरीदे जाने के सम्बन्ध में, 13-रसड़ा विधान सभा क्षेत्र में किसानों की पैदावार की व्यवस्थित खरीददारी हो इसके लिये क्रय केन्द्रों की संख्या बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में, तथा

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		14-विधान सभा क्षेत्र रसड़ा, बलिया के अन्तर्गत शारदा सहायक खण्ड-32 इन्दारा रजवाहा नहर के सिंगही से डुमरी तक नहर में लाइनिंग (पक्कीकरण) कार्य के सम्बन्ध में।"
7-	श्री सोबरन सिंह यादव	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाय :- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय का कोई उल्लेख नहीं किया है :- 1-घिरौर से ओय पुनू पचावर मार्ग जो ओछा जसराना मार्ग को जोड़ता है उसके चौड़ीकरण किये जाने के सम्बन्ध में, 2-कुचैला बरनाहल मार्ग से कैरावली नं0 केहरी सम्पर्क मार्ग जो पूरी तरह से ध्वस्त है, उसके पुनः निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में, 3-नं0 वरी नं0 उदी विकास खण्ड-मैनपुरी की सड़क पुनः निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में, 4-बरौली नं0 स्वामी नं0 बहादुर होते हुये सकरी विकास खण्ड-मैनपुरी के सम्पर्क मार्ग विहीन होने के परिणामस्वरूप नव निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में, 5-नं0 बख्ती, विकास खण्ड-घिरौर, विधान सभा क्षेत्र करहल में अरिन्द नदी पर पुल बनवाये जाने के सम्बन्ध में, 6-विधान सभा क्षेत्र करहल के विकास खण्ड मैनपुरी के ग्राम रटेरा में झबरा घाट पर अरिन्द नदी के पुल निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में, 7-विकास खण्ड घिरौर में मधन राजस्व ग्राम के सम्पर्क मार्ग विहीन खुशालपुर के सम्पर्क मार्ग के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में, 8-विकास खण्ड बरनाहल मैनपुरी के ग्राम-कुम्हेरी में पेयजल समस्या के निराकरण हेतु पानी की नई टंकी बनवाये जाने के सम्बन्ध में, तथा 9-बरनाहल विकास खण्ड के ग्राम उरथान के मजरे टकहियान, कोयाला आदि में खतौनी में किसानों के खेती जो

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		पूरी तरह अशुद्ध दर्ज है, को ठीक कराये जाने के सम्बन्ध में।"
8-	श्री श्यामसुन्दर शर्मा	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाये :- ''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है :- 1-उत्तर प्रदेश में गिरती हुई कानून व्यवस्था के नियंत्रण किये जाने के सम्बन्ध में, 2-प्रदेश मे हो रहे फर्जी एनकाउन्टर को रोके जाने के सम्बन्ध में, 3-दंगा पर प्रभावी नियंत्रण के सम्बन्ध में, 4-बढ़ते बलात्कार की घटनाओं एवं महिलाओं के उत्पीड़न को रोके जाने के सम्बन्ध में, 5-मा0 श्री कांशीराम शहरी आवास योजना में सम्बन्ध में, 6-गन्ना की कीमतों में बढ़ोत्तरी किये जाने के सम्बन्ध में, 7-गन्ना मूल्य के बकाये के सम्पूर्ण भुगतान के सम्बन्ध में, 8-बेरोजगार नौजवानों को रोजगार दिलाये जाने के सम्बन्ध में, 9-डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना को प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में, 10-जाति के आधार पर किये जा रहे भेदभाव को रोकने के सम्बन्ध में, 11-आलू किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य दिलाने, सरकारी राहत एवं सब्सिडी दिये जाने के सम्बन्ध में, 12-प्रदेश में बन्द चीनी मिलों को चालू किये जाने तथा प्रदेश में चीनी उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु आवश्यकतानुसार नई एवं आधुनिक चीनी मिलें स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में, 13-प्रदेश की नदियों को प्रदूषण मुक्त किये जाने हेतु एक प्रभावी नीति बनाये जाने के सम्बन्ध में,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		14-प्रदेश में अप्रैल, 2005 के बाद नियुक्त कर्मचारियों व शिक्षकों को पुरानी पेंशन दिये जाने के सम्बन्ध में,
		15-निरन्तर बढ़ रहे साइबर क्राइम की रोकथाम के सम्बन्ध में,
		16-प्रदेश में सभी राजमार्गों, मार्गों व ग्रामीण मुख्य मार्गों को गड्ढामुक्त किये जाने के सम्बन्ध में,
		17-प्रदेश के सभी नगरों व महानगरों में सफाई की समुचित व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में,
		18-प्रदेश के सभी सामुदायिक चिकित्सालयों में सभी प्रकार की जांच एवं दवाइयां उपलब्ध कराये जाने एवं दवाई वितरण हेतु अस्पतालों में पर्याप्त काउन्टर बनवाने के सम्बन्ध में,
		19-प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी को देखते हुये नवीन रोजगार सृजित कर नव युवकों का पलायन रोकने के सम्बन्ध में,
		20-प्रदेश में खेलकूद को बढ़ावा देने हेतु प्रत्येक न्याय पंचायत स्तर पर एक मिनी क्रिकेट स्टेडियम बनाये जाने के सम्बन्ध में,
		21-प्रदेश को बिजली कटौती से मुक्त करते हुये 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में,
		22-प्रदेश में समुचित शिक्षा हेतु प्रत्येक ब्लाक स्तर पर एक राजकीय डिग्री कालेज स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में,
		23-बेसिक शिक्षकों की तत्काल भर्ती कराये जाने के सम्बन्ध में,
		24-प्रदेश में प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा की दशा सुधारने, उनके भवन मरम्मत कराने, बच्चों को पढ़ाई हेतु कुर्सी, मेज उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में,
		25-प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों, उच्च प्राथमिक विद्यालयों, माध्यमिक विद्यालयों, डिग्री कालेजों, विश्वविद्यालयों में खाली पड़े पदों पर प्रतिभावान व योग्य शिक्षकों की तैनाती किये जाने के सम्बन्ध में,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		26-प्रदेश में किसानों को मुफ्त सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में,
		27-प्रदेश के किसानों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में,
		28-समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रदेश में अध्ययनरत् छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति का लाभ समय पर उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में,
		29-प्रदेश में तैनात संविदा कर्मियों को नियमित करने के सम्बन्ध में,
		30-विधायकों की संस्तुति पर कराये जा रहे कार्यों में हो रहे भेदभाव को दूर करने के सम्बन्ध में,
		31-भरतपुर-मथुरा-पीलीभीत-बरेली मार्ग स्थित कस्बा राया में लगने वाले जाम के निजात हेतु ओवर ब्रिज/बाईपास के निर्माण के सम्बन्ध में,
		32-यमुना एक्सप्रेस-वे के दोनों तरफ एम0ओ0यू0 की शर्तों के अनुसार ग्रेटर नोएडा से आगरा तक सर्विस रोड बनाये जाने के सम्बन्ध में,
		33-यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के क्षेत्र में औद्योगिक विकास कराने के सम्बन्ध में,
		34-जनपद मथुरा की तहसील मांट में यमुना नदी पर सुरीर पुल का निर्माण कराने के सम्बन्ध में,
		35-मथुरा बरेली पीलीभीत मार्ग की ओवरलोडिंग के दृष्टिगत 6-लेन कराये जाने के सम्बन्ध में,
		36-मथुरा अलीगढ़ मार्ग को 4-लेन कराये जाने के सम्बन्ध में,
		37-मथुरा की शेरगढ़ से कोसी मार्ग, छाता से गौमत मार्ग एवं राया से नीमगांव मार्ग का चौड़ीकरण कराने के सम्बन्ध में,
		38-जनपद मथुरा की पंचातयी राज विभाग के अधीन समस्त सड़कों को गड्ढामुक्त कराने के सम्बन्ध में,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		39-जनपद मथुरा की तहसील मांट के अन्तर्गत स्थित बाजना कस्बा से होकर खानपुर, भरतिया, मिट्ठौली बाईपास का निर्माण कराने के सम्बन्ध में,
		40-जनपद मथुरा की लोक निर्माण विभाग के अधीन समस्त सड़कों को गड्ढामुक्त कराने के सम्बन्ध में,
		41-यमुना एक्सप्रेस-वे में मथुरा की ग्राम सभाओं की जमीन अधिग्रहण की मुआवजा धनराशि लगभग 10 करोड़ जो कि राजस्व खाते में जमा है, का उपयोग मथुरा के विकास कार्यों में कराये जाने के सम्बन्ध में,
		42-यमुना एक्सप्रेस-वे विकास प्राधिकरण का एक क्षेत्रीय कार्यालय मथुरा स्थित राया इण्टरचेंज पर स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में,
		43-जनपद मथुरा की तहसील मांट में मुंसिफ मजिस्ट्रेट कोर्ट की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में,
		44-जनपद मथुरा के वृन्दावन से पानीगांव डांगोली होते हुए मांट मार्ग को 4-लेन कराए जाने के सम्बन्ध में,
		45-जनपद मथुरा में छुट्टा घूम रहे गौवंश के लिए गौशाला बनाकर संचालित करवाने के सम्बन्ध में,
		46-जनपद मथुरा में स्थित स्टेडियम नौहझील, मांट शेरगढ़ को उच्चीकृत किए जाने के सम्बन्ध में,
		47-मथुरा की तहसील मांट के नौहझील में एक राजकीय महाविद्यालय की स्थापना कराए जाने के सम्बन्ध में,
		48-जनपद मथुरा के मांट में एक राजकीय पालीटेक्निक खोलने के सम्बन्ध में.
		49-मांट, मथुरा में स्थापित युवा छात्रावास का जीर्णोद्धार कराए जाने के सम्बन्ध में,
		50-मथुरा में एक कौशल विकास विश्वविद्यालय की स्थापना कराए जाने के सम्बन्ध में,
		51-मथुरा की बन्द पड़ी छाता चीनी मिल को चालू कराए जाने के सम्बन्ध में, तथा

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		52-सरकार द्वारा किसानों पर जबरदस्ती थोपे जा रहे तीनों काले कृषि, सुधार कानूनों को वापस कराए जाने के सम्बन्ध में।
9-	श्री प्रभु नारायण सिंह यादव	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाये :- किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है :- 1-चन्दौली सकलडीहा सैदपुर घाट सम्पर्क मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में, 2-सकलडीहा आलीनगर सम्पर्क मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में, 3-मुगलसराय भुपौली चहनियां सम्पर्क मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में, 4-सकलडीहा कमालपुर अमड़ा मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में, 5-चन्दौली सकलडीहा सैदपुर मार्ग पर रेलवे लाइन के ऊपर चन्दौली में ओवरब्रिज के निर्माण के सम्बन्ध में, 6-आलीनगर सकलडीहा मार्ग पर मटकुट्टा के पास रेलवे लाइन पर ओवरब्रिज के निर्माण कार्य के सम्बन्ध में, 7-जनपद चन्दौली के अन्तर्गत मेडिकल कालेज बनाये जाने के सम्बन्ध में, 8-किसानों के धान खरीद के बकाये का भुगतान के सम्बन्ध में, 9-चन्दौली कैली मार्ग के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में, 10-टाण्डा बलुआ मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में, 11-जनपद चन्दौली के किसानों के धान खरीद में बिचौलियों के माध्यम से धान खरीदने को रोकने के सम्बन्ध में, 12-भूपौली पम्प कैनाल में मुख्य नहर में लाइनिंग कराये जाने के सम्बन्ध में, 13-भूपौली मुख्य नहर की पटरी पर निर्मित सड़क की मरम्मत व निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		14-जनपद चन्दौली में बिगड़ती कानून व्यवस्था को ठीक कराये जाने के सम्बन्ध में, तथा 15-जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र सकलडीहा में नई बाजार ग्राम में नये विद्युत सब स्टेशन बनवाने के सम्बन्ध में''।
10-	श्री विरेन्द्र यादव	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाये :- ''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है :- 1-कालूपुर से युवराजपुर तक रि-सड़क का उच्चीकरण एवं चौड़ीकरण (लम्बाई 3 कि0मी0) कराये जाने के सम्बन्ध में, 2-भडषड से जयरामपुर होते हुये इनोवा मोड़ तक मरम्मत कार्य (लगभग 4 कि0मी0) कराये जाने के सम्बन्ध में, 3-मदारपुर पुल से मानपुर तक मरम्मत कार्य (लगभग 3 कि0मी0) कराये जाने के सम्बन्ध में, 4-कहोतरी चक्की से मानपुर तक मरम्मत कार्य (लगभग 3 कि0मी0) कराये जाने के सम्बन्ध में, 5-जंगीपुर लावा मोड़ से लावा होते हुये रायपुर तक लगभग 8 कि0मी0, 6-बौरी मुख्य मार्ग से सरवन डीह तक 4 कि0मी0, 7-ग्राम उचौर में नहर की पटरी सराय मुबारक तक लेपन कार्य 3 कि0मी0, 8-ग्राम पलहीपुर चौहान बस्ती से भुभई तक शून्य से लेपन कार्य 1 कि0मी0, 9-ग्राम पृथ्वीपुर पारवर हाउस से नसीरुद्दीनपुर काली जी के स्थान तक 2 किमी0, 10-जंगीपुर पावरहाउस से सोहबतिया ग्राम तक शून्य से लेपन तक 2 किमी0, 11-ग्राम महमूदपुर सरकारी ट्यूबवेल से शंकर जी के मन्दिर तक शून्य से लेपन तक 2 कि0मी0,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		12-सुगौलिया से मूरतपुरा मार्ग शून्य से लेपन तक 2 कि0मी0 ब्लाक रेवतीपुर, 13-बरही बोगना पिच रोड से नसीपुर राजभर बस्ती वाया डिल्ला गांव होते हुये धनेसपुर रोड 5 कि0मी0 ब्लाक-मरदह, 14-मरेडी प्राइमरी विद्यालय से मौर्या बस्ती होते हुये 3 कि0मी0 ब्लाक बिरनो, 15-बैदोली माफी पिच रोड से नहर की पटरी कुन्दनपुर तक 4 कि0मी0 ब्लाक बिरनो, 16-गोविन्दपुर मडिया हरिजन बस्ती से हालपुर तक शून्य से 2 कि0मी0 ब्लाक मरदह, 17-ढढनी नगसर मार्ग से ब्रहम बाबा के स्थान से बेमुई गांव तक सम्पर्क मार्ग शून्य से लेपन 2 कि0मी0 ब्लाक रेवतीपुर तथा 18-सोहवल नगसर पिच रोड पोखरा से बेमुबा गांव तक शून्य से लेपन 2 कि0मी0 ब्लाक रेवतीपुर''।
11	श्री मौ0 फहीम इरफान	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाय :- ''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है :- 1-बिलारी विधान सभा में मेडिकल कालेज की स्थापना के सम्बन्ध में, 2-महिला अस्पताल बिलारी में आपरेशन की व्यवस्था के सम्बन्ध में, 3-सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बिलारी में सीटी स्कैन मशीन सेन्टर लगवाने के सम्बन्ध में, 4-नवीन नगर पंचायत महमूदपुर माफी में पी0एच0सी0 का भवन निर्माण और डाक्टरों की नियुक्ति के सम्बन्ध में, 5-बिलारी विधान सभा क्षेत्र में होमगार्ड ट्रेनिंग सेन्टर की स्थापना के सम्बन्ध में,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		6-ग्राम रुस्तमनगर सहसपुर को नगर पंचायत का दर्जा दिलाने के सम्बन्ध में, 7-बिलारी थाने में महिला शिकायत प्रकोष्ठ की स्थापना के सम्बन्ध में, 8-थाना बिलारी का जीर्णोद्धार करवाने के सम्बन्ध में, 9-बिलारी विधान सभा क्षेत्र में ऑडिटोरियम, खेल स्टेडियम और आधुनिक हर्बल पार्क बनवाने के सम्बन्ध में, 10-बिलारी विधान सभा क्षेत्र के तेवरखास, सहसपुर में नये राजकीय इण्टर कालेज बनवाना व विधान सभा क्षेत्र के पुराने स्कूल कालिज की मान्यताओं को अपग्रेड करवाने के सम्बन्ध में, 11-बिलारी विधान सभा क्षेत्र के क्षेत्र में लुप्त हो रहे तालाबों का जीर्णोद्धार के सम्बन्ध में, 12-बिलारी विधान सभा क्षेत्र में 1000 नलों की लगवाने के सम्बन्ध में, 13-विधान सभा में राजकीय नलकूपों की मरम्मत व नये नलकूपों की स्थापना कराना, 14-एग्रीकल्चर मार्केटिंग हब का पैसा रिलीज कराने के सम्बन्ध में, 15-बिलारी में आधुनिक शवदाह गृह और श्मशान घाटों में कर्मशाला बनवाने और कब्रिस्तानों का जीर्णोद्धार कराने के सम्बन्ध में, 16-डाक बंगले बिलारी का आधुनिक जीर्णोद्धार कराने के सम्बन्ध में, 17-बस स्टैण्ड बिलारी की बिल्डिंग को स्थायीकरण किये जाने के सम्बन्ध में, 18-बिलारी नगर की सड़कों को सीसी टाइलों से जोड़ने के सम्बन्ध में, 19-धार्मिक स्थलों के रास्तों को ठीक किये जाने व धार्मिक स्थलों पर सोलर लाइटें, प्याऊ और नल लगवाने के सम्बन्ध में,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		20-बिलारी बिजलीघर को अपग्रेड कराकर सहसपुर बिजलीघर को बिलारी बिजलीघर से जोड़ने के सम्बन्ध में, 21-सम्भल जिले की व मेरी विधान सभा क्षेत्र की 28 ग्राम पंचायतों को किसी भी योजना में शामिल कराकर समग्र विकास कराने के सम्बन्ध में, 22-सम्भल जिले की व मेरी विधान सभा क्षेत्र की 28 ग्राम पंचायतों में गौशाला बनाने के सम्बन्ध में, 23-सम्भल जिले की व मेरी विधान सभा क्षेत्र की 28 ग्राम पंचायतों व मुरादाबाद जिले की नगर पंचायत महमूदपुर माफी, ग्राम रुस्तमनगर सहसपुर और ग्राम थांवला में शादी घर के निर्माण के सम्बन्ध में, 24-बिलारी में पत्रकारों के लिये पत्राकार हाउस बनाने के सम्बन्ध में, 25-तहसील बिलारी के प्रशासन अधिकारियों के लिये आवासीय काम्पलैक्स बनवाने के सम्बन्ध में, 26-अनाज के भण्डारण के लिये बड़ा वियर हाउस बनाने के सम्बन्ध में, 27-मेरी विधान सभा क्षेत्र के 250 गांवों को सोलर प्लांट से जोड़ने के सम्बन्ध में, 28-सिंचाई हेतु किसानों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में, 29-बेरोजगार नवयुवकों को रोजगार उपलब्ध कराने की किसी ठोस नीति के सम्बन्ध में, 30-ग्रामीण क्षेत्रों में शत-प्रतिशत राशनकार्ड बनाये जाने के सम्बन्ध में, तथा 31-बुनकरों को सस्ती एवं फिक्स दर पर विद्युत दिये जाने, सस्ती दर पर धागा उपलब्ध कराये जाने, पावरलूमों को बीस घण्टे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में।”
12	श्री मनोज कुमार पारस	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाय :- “किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है :-

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		1-मेरे विधान सभा क्षेत्र नगीना, जनपद बिजनौर के कस्बा नगीना में सहकारी कताई मिल चालू करने के सम्बन्ध में,
		2-मेरे विधान सभा क्षेत्र नगीना, जनपद बिजनौर के कस्बा नगीना में रेलवे फाटक पर रोज जाम से निजात के लिये ओवर ब्रिज का निर्माण के सम्बन्ध में,
		3-मेरे विधान सभा क्षेत्र नगीना, जनपद बिजनौर के किरतपुर-नहटौर रोड से शाहबपुरा रतन होते हुए छितावर तक लिंक रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,
		4-मेरे विधान सभा क्षेत्र नगीना, जनपद बिजनौर के ग्राम मुबारकपुर खोसा उर्फ खुशियाकी व ग्राम भनेडा में जू0 हाई स्कूल, हाई स्कूल तक उच्चीकरण किये जाने के सम्बन्ध में,
		5-मेरे विधान सभा क्षेत्र नगीना, जनपद बिजनौर के गन्ना किसानों का बकाया वर्ष 2017-18, 2019-20 का भुगतान कराने के सम्बन्ध में,
		6-मेरे विधान सभा क्षेत्र नगीना, जनपद बिजनौर के कस्बा किरतपुर के पास ग्राम इस्लामपुर साहू में पूर्ववर्ती सरकार द्वारा चयनित भूमि पर मेडिकल कालेज बनवाये जाने के सम्बन्ध में,
		7-मेरे विधान सभा क्षेत्र नगीना, जनपद बिजनौर के ब्लाक कोतवाली के ग्राम बेगमपुर चायमल (धीमारहेडी) से ग्राम आनन्दखड़ी के बीच गागन नदी पर एक पुल बनवाये जाने के सम्बन्ध में,
		8-मेरे विधान सभा क्षेत्र नगीना, जनपद बिजनौर के कस्बा नगीना के मोहल्ला पटेरी में पुरानी मुंसफी के भूमि पर राजकीय कन्या इण्टर कालेज को बनवाये जाने के सम्बन्ध में,
		9-मेरे विधान सभा क्षेत्र नगीना के कस्बा नगीना, तह0 नगीना, जनपद बिजनौर में चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय द्वारा संचालित राजकीय कृषि फार्म पर कृषि डिग्री कालेज (एग्रीकल्चर डिग्री कालेज) बनाये जाने के सम्बन्ध में,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		10-मेरे विधान सभा क्षेत्र नगीना, जनपद बिजनौर के कस्बा किरतपुर ईदगाह रोड से बुडगरी मार्ग पर मालन नदी के ऊपर पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में, 11-मेरे विधान सभा क्षेत्र नगीना, जनपद बिजनौर के कस्बा नगीना एवं कस्बा किरतपुर में खेल कूद को प्रोत्साहन देने हेतु कस्बा किरतपुर एवं नगीना में स्टेडियम बनवाने के सम्बन्ध में, 12-मेरे विधान सभा क्षेत्र नगीना, जनपद बिजनौर के कस्बा किरतपुर में मार्निंग वॉक एवं इवनिंग वॉक करने हेतु नागरिकों के लिए एक पार्क बनवाने के सम्बन्ध में, 13-मेरे विधान सभा क्षेत्र नगीना, जनपद बिजनौर के कस्बा नगीना में जर्जर हालत में स्थित रोडवेज बस स्टैण्ड की जगह नया बस स्टैण्ड नगीना एन0 एच0-74 बाईपास पर बनाये जाने के सम्बन्ध में, 14-मेरे विधान सभा क्षेत्र नगीना, जनपद बिजनौर के प्रत्येक ग्राम के चौराहों पर हाई मास्ट लाइटें लगवाये जाने के सम्बन्ध में, 15-मेरे विधान सभा क्षेत्र नगीना, जनपद बिजनौर के नगीना से किरतपुर वाया अकबराबाद मार्ग को चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में, 16-मेरे विधान सभा क्षेत्र नगीना, जनपद बिजनौर के किरतपुर से नहटौर वाया शादीपुर मार्ग को चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में, 17-मेरे विधान सभा क्षेत्र नगीना, जनपद बिजनौर ब्लाक किरतपुर के ग्राम भनेडा से गोविन्दपुर, कसौर होते हुए किरतपुर शादीपुर मार्ग से छितावर तक नहर की पटरी को डामर से बनवाये जाने के सम्बन्ध में, 18-मेरे विधान सभा क्षेत्र नगीना, जनपद बिजनौर के ग्राम दुधली से ग्राम खुशियाकी, कुम्हैडा होते हुए ग्राम बरूकी में

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		आकर नगीना-बिजनौर मार्ग पर मिलने वाली नहर की पटरी (डामर रोड) की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में,
		19-मेरे विधान सभा क्षेत्र नगीना, जनपद बिजनौर में नगीना से ग्राम रौशनपुर-अकबराबाद होते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग पर से ग्राम हिन्दुपुर होते हुए ग्राम दयालवाला तक पी0डब्लू0डी0 निर्मित मार्ग को रिपेयर कराने के सम्बन्ध में,
		20-मेरे विधान सभा क्षेत्र नगीना, जनपद बिजनौर के ब्लाक कोतवाली के ग्राम मसूरी से ग्राम अलीपुरमान उर्फ खेड़ा तक लगभग 500 मी0 पक्का मार्ग बनाये जाने के सम्बन्ध में,
		21-मेरे विधान सभा क्षेत्र नगीना, जनपद बिजनौर के नगीना-अकबराबाद पी0डब्लू0डी0 द्वारा निर्मित मार्ग पर ग्राम अकबराबाद ब्लाक कोतवाली में साप्ताहिक (मंगलवार) को लगने वाले बाजार के स्थान पर रोड के किनारे टाईल्स लगवाकर चौड़ा कराने के सम्बन्ध में,
		22-मेरे विधान सभा क्षेत्र नगीना, जनपद बिजनौर के नगीना-कोतवाली मार्ग से सिटी डिग्री कालेज के सामने से शाहलीपुर आशा तक मरम्मत कराने के सम्बन्ध में,
		23-मेरे विधान सभा क्षेत्र नगीना, जनपद बिजनौर के ब्लाक-किरतपुर ग्राम शादीपुर में अम्बेडकर मूर्ति के पास से ग्राम ईलाएचिपुर खडदू (सिकेडा) तक लगभग 2.00 किमी पक्का मार्ग बनाये जान के सम्बन्ध में,
		24-मेरे विधान सभा क्षेत्र नगीना, जनपद बिजनौर के ग्राम इस्लामपुर बेग्गा से कुम्हैडा तक नहर की पटरी लगभग 1.00 किमी0 बनवाने के सम्बन्ध में,
		25-मेरे विधान सभा क्षेत्र नगीना, जनपद बिजनौर के ब्लाक कोतवाली के ग्राम बनवारीपुर के पास से ग्राम चन्दुपुरा नहर की पटरी के मार्ग से ग्राम अलीपुर मान उर्फ खेड़ा तक पहुंचने हेतु पक्का मार्ग लगभग 700 मी0 बनवाने के सम्बन्ध में,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		26-मेरे विधान सभा क्षेत्र नगीना, जनपद बिजनौर के ग्राम कोतवाली के ग्राम जलालपुर सुल्तान में रामसिंह कश्यप के मकान से ग्राम गनौरा, नन्दपुर मार्ग तक पक्का मार्ग लगभग 1.00 किमी0 बनवाये जाने के सम्बन्ध में,
		27-मेरे विधान सभा क्षेत्र नगीना, जनपद बिजनौर के ब्लाक किरतपुर के ग्राम गोविन्दपुर में अम्बेडकर मूर्ति से नगीना-अकबराबाद मार्ग तक लगभग 700 मी0 पक्का मार्ग बनवाये जाने के सम्बन्ध में,
		28-मेरे विधान सभा क्षेत्र नगीना, जनपद बिजनौर के नगीना-बढ़ापुर मार्ग से ब्लाक कोतवाली के ग्राम नन्दपुर उर्फ खैरुल्लापुर से नहर तक पी0डब्लू0डी0 द्वारा निर्मित डामर रोड के मरमत कराने के सम्बन्ध में,
		29-मेरे विधान सभा क्षेत्र नगीना, जनपद बिजनौर के ब्लाक किरतपुर ग्राम भनेडा से ग्राम खटाई तक नहर की पटरी लगभग 1.840 किमी0 मरम्मत कराने के सम्बन्ध में,
		30-मेरे विधान सभा क्षेत्र नगीना, जनपद बिजनौर के ब्लाक किरतपुर के ग्राम अमानगर से सुरानंगली तक लगभग 2.00 किमी0 बनवाने के सम्बन्ध में,
		31-मेरे विधान सभा क्षेत्र नगीना, जनपद बिजनौर के ब्लाक किरतपुर के ग्राम भोजपुर से बुडगरा मार्ग लगभग 2.090 किमी0 मरम्मत कराने के सम्बन्ध में,
		32-मेरे विधान सभा क्षेत्र नगीना, जनपद बिजनौर के ब्लाक किरतपुर ग्राम औरंगपुर फत्ता से सरकंडा खेड़ी तक लगभग 0.665 किमी0 बनवाने के सम्बन्ध में,
		33-मेरे विधान सभा क्षेत्र नगीना, जनपद बिजनौर के ब्लाक किरतपुर ग्राम भरैकी से दुधली-मेमन मार्ग शिव मन्दिर होते हुए ग्राम नसीरपुर मिठारी तक लगभग 2.00 किमी0 मरम्मत एवं छुटी कड़ी 500 मी0 बनवाने के सम्बन्ध में,
		34-मेरे विधान सभा क्षेत्र नगीना, जनपद बिजनौर के ब्लाक किरतपुर ग्राम औरंगजेबपुर फाजिल क्रेशर से ग्राम गोपालपुर तक 1.00 किमी0 तक मरम्मत कराने के सम्बन्ध में, तथा

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		35-मेरे विधान सभा क्षेत्र नगीना, जनपद बिजनौर में नगीना के मौ0 मनहारी सराय से तुख्मापुर-भवानीपुर मार्ग तक नवनिर्माण (मार्ग बनवाने) के के सम्बन्ध में।"
13-	श्री शैलेन्द्र यादव "ललई"	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाय :- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है :- 1-शाहगंज जनपद जौनपुर में चीनी मिल की स्थापना के सम्बन्ध में, 2-शाहगंज में लुम्बिनी-दुद्धी मार्ग पर बाईपास का निर्माण कराने के सम्बन्ध में, 3-शाहगंज में स्थित पुरुष चिकित्सालय को उच्चीकृत करते हुए 100 शैय्या का बनाये जाने व एम0आर0आई0, डायलिसिस, वेण्टीलेटर, आई0सी0यू0 आदि की व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में, 4-शाहगंज में स्थित महिला चिकित्सालय को भी उच्चीकृत करते हुए 100 शैय्या का किये जाने के सम्बन्ध में, 5-शाहगंज में फायर स्टेशन का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में, 6-शाहगंज में रोडवेज का वर्कशाप बनाये जाने के सम्बन्ध में, 7-शाहगंज में दुग्ध उत्पादन तथा पराग का संयंत्र स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में, 8-शाहगंज क्षेत्र की समस्त सड़कों का चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में, 9-शाहगंज में स्थित औद्योगिक क्षेत्र के बीच से गुजरने वाली सड़क अर्गुपुर-कटार मार्ग के चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में, 10-शाहगंज में औद्योगिक क्षेत्र में एक विद्युत सब-स्टेशन की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		11-शाहगंज में एक स्टेडियम की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में, तथा 12-शाहगंज-मुंगराबादशाहपुर मार्ग को फोर लेन किये जाने के सम्बन्ध में।"
14-	श्री अजय कुमार 'लल्लू'	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाय :- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है :- 1-प्रदेश में प्रतिदिन हत्या, बलात्कार, लूट, डकैती, साम्प्रदायिक दंगा, चोरी, चेन स्नैचिंग, राहजनी आदि घटनाओं में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है, सुधार के सम्बन्ध में, 2-कानून-व्यवस्था को सुधारने के लिए कोई प्रभावी कार्य योजना बनाये जाने के सम्बन्ध में, 3-पुलिस द्वारा निर्दोष लोगों का फर्जी एनकाउन्टर किये जाने से रोके जाने के सम्बन्ध में, 4-आलू का न्यूनतम समर्थन मूल्य रुपये 1000/- किये जाने के सम्बन्ध में, 5-आलू किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य दिलाये जाने के सम्बन्ध में, 6-आलू उत्पादक किसानों को सरकारी राहत एवं सब्सिडी दिये जाने के सम्बन्ध में, 7-प्रदेश में वर्तमान में तेजी से बढ़ रही साइबर क्राइम की घटनाओं को रोकने के सम्बन्ध में, 8-प्रदेश के गन्ना किसानों के बकाये गन्ना मूल्य का भुगतान कराने, चीनी मिलों द्वारा किसानों का उत्पीड़न रोके जाने तथा उनका भुगतान समय से किये जाने हेतु एक स्पष्ट व पारदर्शी नीति बनाये जाने के सम्बन्ध में, 9-प्रदेश के गन्ना किसानों को उनके लागत व महंगाई को देखते हुए रु0 400/- प्रति कुन्तल की दर से गन्ना मूल्य प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		10-प्रदेश की बन्द चीनी मिलों को चालू किये जाने तथा प्रदेश में चीनी उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु आवश्यकतानुसार नई एवं आधुनिक चीनी मिलें स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में,
		11-प्रदेश को बिजली कटौती से मुक्त करते हुए 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में,
		12-बिजली विभाग द्वारा बढ़ा बिल भेजने तथा करोड़ों रुपये बिल के रूप में ज्यादा लिये जाने को वापस किये जाने के सम्बन्ध में,
		13-बिजली विभाग द्वारा उपभोक्ताओं को समय पर बिल न उपलब्ध कराने तथा बार-बार लेट फीस व सरचार्ज लगाकर बिल देने की शिकायत को दृष्टिगत रखते हुए बिल भुगतान की एक पारदर्शी व्यवस्था सभी जनपदों में लागू किये जाने के सम्बन्ध में,
		14-प्रदेश के किसानों की उपज को बढ़ावा देने हेतु उन्हें प्रसंस्कृत व हाईब्रिड किस्म के बीज सब्सिडी पर उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में,
		15-प्रदेश के किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य प्रदान करने हेतु राज्य परामर्शी समिति स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में,
		16-प्रदेशवासियों को स्वच्छ पेयजल उपलब्धता हेतु जनपदवार मॉनिटरिंग सेल स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में,
		17-प्रदेश में शराब को पूरी तरह से प्रतिबन्धित किये जाने के सम्बन्ध में,
		18-प्रदेश में मिलावटखोरी को रोकने हेतु कठोर दण्ड का प्राविधान किये जाने के सम्बन्ध में,
		19-प्रदेश के पहाड़ी एवं डार्कजोन क्षेत्रों में समुचित पेयजल की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		20-प्रदेश की नदियों को प्रदूषणमुक्त किये जाने हेतु एक प्रभावी नीति बनाये जाने के सम्बन्ध में, 21-प्रदेश के सभी महानगरों एवं नगरों में सफाई की समुचित व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में, 22-प्रदेश के महानगरों, नगरों एवं नगर पालिकाओं में बरसात के दिन में फैलने वाले संक्रामक रोगों को रोकने हेतु पर्याप्त फॉगिंग कराने के सम्बन्ध में, 23-प्रदेश में जानलेवा बीमारी इंसेफेलाइटिस, एक्यूट इंसेफेलाइटिस, स्वाइन फ्लू, डेंगू, काला ज्वर, दीमागी बुखार के बढ़ते प्रकोप को रोके जाने तथा उन्मूलन के सम्बन्ध में, 24-प्रदेश के सभी सामुदायिक चिकित्सालयों में सभी प्रकार की जांच एवं दवाइयां उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में, 25-प्रदेश के सभी राजमार्गों, मार्गों व ग्रामीण मुख्य मार्गों को गड्ढामुक्त किये जाने के सम्बन्ध में, 26-प्रदेश में अप्रैल, 2005 के बाद नियुक्त कर्मचारियों व शिक्षकों को पुरानी पेंशन दिये जाने के सम्बन्ध में, 27-प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी को देखते हुये नवीन रोजगार सृजित कर नवयुवकों का पलायन रोकने के सम्बन्ध में, 28-प्रदेश में खेलकूद को बढ़ावा देने हेतु न्याय पंचायत स्तर पर एक मिनी क्रिकेट स्टेडियम बनाये जाने के सम्बन्ध में, 29-प्रदेश में समुचित शिक्षा हेतु न्याय पंचायत स्तर पर एक राजकीय डिग्री कालेज स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में, 30-प्रदेश के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा की दशा सुधारने, उनके भवन मरम्मत कराने, बच्चों को पढ़ाई हेतु कुर्सी, मेज उपलब्ध कराने, बच्चों को समुचित पेयजल उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में, 31-प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा व तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किये जाने के सम्बन्ध में,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		32-प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों, उच्च प्राथमिक विद्यालयों, माध्यमिक विद्यालयों, डिग्री कालेजों, विश्वविद्यालयों में खाली पड़े पदों पर प्रतिभावान व योग्य शिक्षकों की तैनाती किये जाने के सम्बन्ध में,
		33-12,460 बेसिक शिक्षकों की तत्काल भर्ती किये जाने के सम्बन्ध में,
		34-बी0एम0सी0टी0 मार्ग जो जिला मुख्यालय पडरौना तमकुहीराज तहसील मुख्यालय को जोड़ती है, पिछले कई वर्षों से अधूरी गोडरिया से तमकुहीराज तक पड़ी है, उसे पूरा किये जाने के सम्बन्ध में,
		35-लोहिया ग्राम गौरी जगदीश से गौरी घाट पर पुल निर्माण का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,
		36-लोहिया ग्राम पिपराघाट के गोलाघाट बांसी नदी पर पुल निर्माण का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,
		37-जवही दयाल बूढ़ी गण्डक नदी पर पुल का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,
		38-अमवा दीगर बूढ़ी गण्डक नदी पर पुल का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,
		39-तमकुहीराज जो एन0एच0-28 पर स्थित है, में ट्रामा सेण्टर का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,
		40-तमकुहीराज विधान सभा क्षेत्र में एक पालीटेक्निक कालेज का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,
		41-तमकुहीराज विधान सभा क्षेत्र में एक इंजीनियरिंग कालेज का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,
		42-तमकुहीराज विधान सभा क्षेत्र में एक मेडिकल कालेज का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,
		43-तमकुहीराज विधान सभा क्षेत्र के दोमाठ गांव में एक शुगर फैक्ट्री का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		44-तमकुहीराज विधान सभा क्षेत्र के दोमाठ में एक महाविद्यालय का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में, 45-तमकुहीराज विधान सभा क्षेत्र के दोमाठ में एक आई0टी0आई0 कालेज का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में, 46-तमकुहीराज विधान सभा क्षेत्र के दोमाठ में एक हास्पिटल का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में, 47-समऊर खानगी व सलेमगढ़ के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सी0एच0सी0 का दर्जा देने का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में, 48-गेंदा सिंह गन्ना अनुसंधान केन्द्र को कृषि विश्वविद्यालय का दर्जा देने का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में, 49-तमकुहीराज विधान सभा क्षेत्र में तमकुहीराज तहसील मुख्यालय से अहिरौलीदान तक सड़क का चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में, 50-सेवरही से जीरों होते हुये अहिरौलीदान तक सड़क का चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में, 51-विधान सभा क्षेत्र में तमकुहीराज से दाहुगंज होते हुये बिहार बार्डर नैनपहरू तक सड़क का चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में, 52-दुदही से वरवापट्टी तक सड़क का चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में, 53-तमकुहीराज से समऊर तक सड़क का चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में, 54-समऊर बिहार बार्डर से फाजिल नगर तक सड़क का चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में, 55-तमकुही मार्ग-अगरवां से झड़वां होते हुये राजपुर तक सड़क का चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		56-जीरो बांध से अहिरौलीदान तक बंधे का अस्तित्व वर्तमान में खतरे में है, को बचाने के सम्बन्ध में,
		57-जीरो बांध से पिपराघाट, नरवाजोत बंधे के अस्तित्व को बचाने के सम्बन्ध में,
		58-तमकुहीराज विधान सभा क्षेत्र में पेयजल की समस्या के समाधान के सम्बन्ध में,
		59-शिव सरया में स्थित शिव मन्दिर तथा तमकुहीराज में स्थित शिव मन्दिर व सेवरही में स्थित विष्णु मन्दिर को पर्यटक क्षेत्र में लेते हुये सुन्दरीकरण का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,
		60-दोमाठ को पर्यटक क्षेत्र में लेते हुये सुन्दरीकरण का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,
		61-दोमाठ में एक स्पोर्ट कालेज का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,
		62-सेवरही तथा तमकुहीराज में एक-एक ए0एन0एम0 ट्रेनिंग सेन्टर का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,
		63-दाहुगंज बाजार से मथौली तक सड़क मार्ग का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,
		64-सेवरही में 100 बेड का हास्पिटल का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,
		65-तमकुहीराज में महिला अस्पताल व 100 बेड के हास्पिटल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,
		66-सेवरही के कुशल श्रमिकों को ट्रेनिंग हेतु सेन्टर का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,
		67-तीरथराम पेट्रोल पम्प से अहिरौली मिश्र होते हुये तमकुहीराज तक सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,
		68-विकास खण्ड दुदही में एक फायर ब्रिगेड स्टेशन बनाये जाने के सम्बन्ध में,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		69-तमकुहीराज में श्रम विभाग का कार्यालय स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में, 70-तमकुहीराज विधान सभा क्षेत्र स्थित तमकुहीराज के समऊर बाजार में एक बिजली का सब-स्टेशन स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में, 71-तमकुहीराज विधान सभा क्षेत्र के समऊर में एक राष्ट्रीयकृत बैंक स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में, 72-तमकुहीराज विधान सभा क्षेत्र के ग्राम सभा गंगुआ में ए0एन0एम0 सेन्टर स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में, 73-तमकुहीराज विधान सभा क्षेत्र के समऊर क्षेत्र में इण्टरमीडिएट कालेज स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में, 74-तमकुहीराज विधान सभा क्षेत्र में समऊर से गोरखपुर तक साधारण बस संचालन के सम्बन्ध में, 75-तमकुहीराज विधान सभा क्षेत्र में डिबनी बाजार से गोरखपुर तक साधारण बस संचालन के सम्बन्ध में, 76-तमकुहीराज विधान सभा क्षेत्र के तमकुहीराज को नगर पंचायत का दर्जा दिये जाने के सम्बन्ध में, 77-तमकुहीराज विधान सभा क्षेत्र में स्थित दुदही बाजार को नगर पंचायत का दर्जा दिये जाने के सम्बन्ध में तथा 78-जनपद-कुशीनगर के तमकुहीराज विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत बड़ी गण्डक नदी के किनारे ए0पी0 तटबन्ध पर स्थित जंगली पट्टी, विरवट कोन्हवलिया से जवहीदयाल तक (कि0मी0 00.00 से कि0मी0 17.00 के मध्य) अवैध बालू खनन का ठेका तत्काल निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में।”
15-	श्री नरेश सैनी	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाय :- “किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है :- 1-विधान सभा क्षेत्र 01 बेहट, जनपद सहारनपुर में माँ शाकुम्बरी देवी मन्दिर का ट्रस्ट बनाकर पर्यटक स्थल घोषित

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		किया जाय और विभिन्न राज्यों से आये हुये श्रद्धालुओं को पेयजल व शौचालय की व्यवस्था प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में,
		2-विधान सभा क्षेत्र-01, बेहट, जनपद सहारनपुर वाटर लेवल बहुत गहराई में होने के वजह से पेयजल की भी बहुत ही समस्या है। कई पेयजल इकाई बजट के अभाव में बन्द पड़ी हुई है। किसानों के लिये सिंचाई की कोई योजना लायी जाय जिससे यहां के किसानों को लाभान्वित किये जाने के सम्बन्ध में,
		3-विधान सभा क्षेत्र-01, बेहट, जनपद सहारनपुर में मेरा क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र और नदियों का क्षेत्र है। यहां पर बेरोजगारी की समस्या बहुत है। यहां पर प्लाई फैक्ट्री का उद्योगीकरण किये जाने के सम्बन्ध में,
		4-विधान सभा क्षेत्र-01, बेहट, जनपद सहारनपुर में मेरा क्षेत्र सहारनपुर पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में बालू और कंकरीट की पूर्ति करता है। इसलिये इस क्षेत्र में सरकारी स्टोन क्रेशर लगाये जाने का बजट में कोई व्यवस्था प्रदान की जाय ताकि क्षेत्र में रोजगार के अवसरों के साथ सरकारी आय में वृद्धि किये जाने के सम्बन्ध में,
		5-विधान सभा क्षेत्र-01, बेहट, जनपद सहारनपुर बेहट फल पट्टी घोषित है, इसमें आम, लीची, अमरूद का जूस बनाने की फल प्रसाधन की फैक्ट्रियाँ लगाये जाने के सम्बन्ध में,
		6-बेहट विधान सभा क्षेत्र, जनपद सहारनपुर में स्पोर्ट्स कालेज वर्ष 2007 में बना है, किन्तु अभी तक अधूरा पड़ा है, को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में,
		7-विधान सभा क्षेत्र के शिवालिक वन क्षेत्र अन्तर्गत जिम कार्बेट नेशनल पार्क, रामनगर उत्तराखण्ड की तरह पार्क विकसित कर पर्यटन का निर्माण कराने के सम्बन्ध में,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		8-बेहट विधान सभा क्षेत्र, जनपद सहारनपुर नदियों का क्षेत्र है, इसमें गंगेरू नदी, मस्करा, चाचा राव इत्यादि पर पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में तथा बरसात में इन नदियों से बाढ़ का खतरा बना रहता है। अतः नदियों में गति अवरोधक व बाढ़ के प्रकोप को रोकने हेतु व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में,
		9-जनपद सहारनपुर में शाकुम्बरी सुगर मिल टोडरपुर चलवाई जाने के सम्बन्ध में,
		10-जनपद सहारनपुर के मिर्जापुर व रायपुर में शिक्षा के लिये बालिका राजकीय महाविद्यालय बनवाये जाने के सम्बन्ध में,
		11-जनपद सहारनपुर के बेहट व मुजफ्फरनगर में अनाज व सब्जी मण्डी बनवाये जाने के सम्बन्ध में,
		12-जनपद सहारनपुर के ताल्हापुर में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में,
		13-जनपद सहारनपुर में माँ शाकुम्बरी देवी में संस्कृत भाषा पढ़ाने हेतु शाकुम्बरी संस्कृत माध्यमिक विद्यालय को संस्कृत महाविद्यालय के रूप में उच्चीकृत किये जाने के सम्बन्ध में,
		14-जनपद सहारनपुर मेरे विधान सभा क्षेत्र में मोहण्ड से खारा पावर हाऊस तक जंगल (वन क्षेत्र) के तार बाड़ कराये जाने व वन क्षेत्र में वृक्षारोपण कराये जाने के सम्बन्ध में,
		15-विधान सभा क्षेत्र जनपद सहारनपुर में शिवालिक वन क्षेत्र में बसे वन गुर्जरों को सेना के फायरिंग क्षेत्र से बाहर सरकारी आवास व पशु तथा स्वयं की आजीविका हेतु सरकारी पी की भूमि तथा बच्चों के लिये सरकारी स्कूल बनाकर उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के सम्बन्ध में,
		16-विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत मायापुर, रूपपुर उर्फ बादशाहीबाग व ग्राम फैजाबाद के बीच बादशाहीबाग नदी के पुल निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		17-विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत कोई फायर ब्रिगेड नहीं है पिछले बजट में स्वीकृति होने के उपरान्त बजट के अभाव में अभी तक निर्माण न किये जाने सम्बन्ध में, 18-विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत पेयजल व्यवस्था हेतु पर्वतीय स्रोत से ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल हेतु कुओं की जर्जर पाइप लाइन के बदलवाने के सम्बन्ध में।"
16-	श्री मसूद अख्तर	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाय :- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है :- 1-जनपद सहारनपुर के ब्लाक पुवांरका के ग्राम पाली से ग्राम महमूदपुर तिवाई तक 2.5 कि0मी0 सड़क निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में, 2-जनपद सहारनपुर के ब्लाक पुवांरका के ग्राम मथाना की पुलिया से ग्राम धनकपुर तक सड़क निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में, 3-जनपद सहारनपुर के ब्लाक पुवांरका के ग्राम बालेली से ग्राम महमूदपुर तिवाई के कब्रिस्तान देहरादून रोड तक सड़क निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में, 4-जनपद सहारनपुर के ब्लाक पुवांरका के ग्राम बटनवाला में सड़क के किनारे तालाब के दीवारों का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में, 5-जनपद सहारनपुर में सहारनपुर-देहरादून हाई-वे पर नौगजा पीर वाला पुल अति जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हो गया है, जो कभी भी टूट सकता है, को पुनः निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में, 6-जनपद सहारनपुर के ब्लाक मुजफ्फराबाद के ग्राम धतौली मुगल में नदी नागादेव का पुल निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		7-जनपद सहारनपुर के ब्लाक मुजफ्फराबाद के ग्राम धतौली मुगल में सड़क किनारे तालाब की दीवारों का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में, 8-जनपद सहारनपुर के ब्लाक पुवांरका के ग्राम कलालहटी से उत्तराखण्ड की सरहद तक 02 कि0मी0 सड़क निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में, 9-जनपद सहारनपुर के नगर निगम के ग्राम हबीबगढ़, हाकिमशाह कालोनी, एकता कालोनी, इनाम कालोनी, नसीद कालोनी आदि मलिन बस्तियों में विद्युतीकरण हेतु जर्जर तार तथा पोल शीघ्र बदलवाये जाने के सम्बन्ध में, 10-जनपद सहारनपुर के ब्लाक बलियाखेड़ी के ग्राम खनपुरा से खजूरी अकबरपुर से भाभरी के मध्य तक लेपन कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में, 11-जनपद सहारनपुर के ब्लाक बलियाखेड़ी के ग्राम रसूलपुर पापडे की से ग्राम बेरीजमा तक मिीी व सड़क का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में, 12-जनपद सहारनपुर के ग्राम सलेमपुर भूखडी राजबाहे के पुल से ग्राम पिंकी तक मिीी व सड़क निर्माण लम्बाई लगभग 1200 मीटर व ढमोला नदी पर पुल निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में, 13-जनपद सहारनपुर के ब्लाक पुवांरका के बेहट रोड से शंकरपुर होते हुये सलेमपुर भूखड़ी से तेलीपुरा तक लेपन कार्य, मरम्मत किये जाने के सम्बन्ध में, 14-जनपद सहारनपुर बेहट रोड शाकुम्भरी कालोनी से जनता रोड गांव खुर्द अड्डे तक मिीी व सड़क निर्माण कार्य लम्बाई लगभग 1300 मीटर का निर्माण कराने तथा ढमोला नदी पर पुल निर्माण कराने के सम्बन्ध में, 15-मेरे विधान सभा क्षेत्र-04, सहारनपुर देहात में बड़े गांव या तीन चार गांव को मिलाकर पानी की टंकिया बनाये जाने के सम्बन्ध में,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		16-जनपद सहारनपुर के ब्लाक बलियाखेड़ी के खजूरी अकबरपुर के उग्राहू वाले रास्ते पर हिन्डन नदी पर रपटा पुल निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में, 17-जनपद सहारनपुर में ब्लाक बलियाखेड़ी के ग्राम उग्राहू से ग्राम खनपुरा तक मिीी व सड़क निर्माण कार्य लम्बाई लगभग 2.5 कि0मी0 हिन्डन नदी पर रपटा पुल निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में, 18-जनपद सहारनपुर के ब्लाक पुवारका के ग्राम मुगल माजरा से नेवादा तक लेपन सड़क मरम्मत कार्य लम्बाई लगभग 1.5 कि0मी0 कराये जाने के सम्बन्ध में, 19-जनपद सहारनपुर के ब्लाक बलियाखेड़ी के ग्राम नोजली से ग्राम चुनहैटी खड़खड़ी के रेलवे फाटक तक लेपन कार्य लम्बाई लगभग 1.5 कि0मी0 कराये जाने के सम्बन्ध में, 20-जनपद सहारनपुर के ब्लाक पुवांरका के ग्राम धनकरपुर में देहरादून रोड से ग्राम धनकरपुर तक लेपन सड़क मरम्मत कार्य लम्बाई लगभग 1 कि0मी0 कराये जाने के सम्बन्ध में, तथा 21-जनपद सहारनपुर के ब्लाक बलियाखेड़ी के ग्राम खनपुरा से ग्राम बेरीजमा रोड ईंट भीी तक लेपन कार्य मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में।"
17-	श्री सोहिल अख्तर अंसारी	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाय :- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है :- 1-बी0एन0 भल्ला हास्पिटल ट्रान्सपोर्ट नगर बाबूपुरवा जो बन्द होने के करीब है उसकी व्यवस्था खराब है, वहां पर 10 से 15 लाख की आबादी है। वहां इमरजेन्सी वार्ड बनवाया जाना बहुत ही जरूरी है, यदि कोई हादसा हो जाता है तो 15 कि0मी0 की दूरी में कोई सरकारी हास्पिटल नहीं है। तत्काल बनवाये जाने के सम्बन्ध में,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		2-वार्ड नं0 36, 80, 102, 105 इन वार्डों में सीवर की, पानी की, गलियों में नाली की व्यवस्था इतनी बिगड़ चुकी है कि वहां 24 घण्टे जल भराव बना रहता है, उक्त की सफाई किये जाने के सम्बन्ध में,
		3-पी0ए0सी0 मोड़ से श्यामनगर तक एक ओर ब्रिज बना हुआ है, वह सिंगल लेन का है, इसके वजह से रोजाना कोई न कोई हादसा होता है। किसी न किसी की जान भी जाती है, इसलिये इसमें एक सिंगल लेन ओवरब्रिज और बनवाये जाने के सम्बन्ध में,
		4-कानपुर में एल0ई0डी0 जो बल्ब पुरानी लाइटों को बदलकर नयी लाइटें लगायी जा रही हैं एक लाइट की कीमत कितनी है। जो पुरानी लाइट निकाल रहे हैं, वह कहां जा रही हैं, इसका पूरा का पूरा विवरण चाहिए। यह कम्पनी कहां की है, का विवरण उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में,
		5-वार्ड 24 कृष्णानगर, सदुल्लापुर, नेताजी नगर, कर्मचारी नगर जो शहरों के बीचों-बीच है। आज तक सीवर की कोई व्यवस्था नहीं है। उक्त सीवर का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में,
		6-प्रदेश में कानून व्यवस्था को सुधारने के सम्बन्ध में,
		7-कानपुर कैण्टोनमेंट विधान सभा क्षेत्र, कानपुर नगर में लड़कियों का एक इण्टर कालेज व एक डिग्री कालेज स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में,
		8-कानुपर कैण्टोनमेंट विधान सभा क्षेत्र, कानपुर नगर में पेयजल संकट के निदान हेतु 200 रि-बोर हैण्डपम्प व 300 नये हैण्डपम्प लगवाये जाने के सम्बन्ध में,
		9-कानपुर कैण्टोनमेंट विधान सभा क्षेत्र, कानपुर नगर में कोई भी सरकारी अस्पताल ऐसा नहीं हैं जहां इमरजेन्सी सेवायें उपलब्ध हों। अतः सरकारी स्तर पर कम से कम 300 बेड का सरकारी अस्पताल बनवाये जाने के सम्बन्ध में,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		10-कानपुर कैण्टोनमेंट विधान सभा क्षेत्र, कानपुर नगर में गरीब लोगों के विवाह एवं अन्य पारिवारिक समारोहों हेतु सरकारी बारातशालायें बनवाये जाने के सम्बन्ध में, 11-कानपुर कैण्टोनमेंट विधान सभा क्षेत्र, कानपुर नगर में पेयजल सप्लाई हेतु सरकारी नलकूपों के निर्माण हेतु अतिरिक्त सरकारी धन उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में, 12-कानपुर कैण्टोनमेंट विधान सभा क्षेत्र, कानपुर नगर में सीवर जल भराव के निदान हेतु सम्पूर्ण विधान सभा क्षेत्र में वर्षों पुरानी सीवर लाइनों के स्थान पर नये सीवर लाइन निर्माण हेतु अतिरिक्त धन उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में, 13-कानपुर कैण्टोनमेंट विधान सभा क्षेत्र, कानपुर नगर में टूटी-फूटी गड्ढायुक्त सड़कों के पुनर्निर्माण हेतु अतिरिक्त सरकारी धन उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में, 14-विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि की धनराशि रु0 3.00 करोड़ प्रतिवर्ष किये जाने के सम्बन्ध में, 15-कानपुर कैण्टोनमेंट विधान सभा क्षेत्र, कानपुर नगर की विद्युत आपूर्ति की समस्या के समाधान तथा ओवर लोडिंग के समाधान हेतु नये विद्युत उपकेन्द्र स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में, 16-कानपुर कैण्टोनमेंट विधान सभा क्षेत्र, कानपुर नगर के अन्तर्गत मौजूद सोसाइटी क्षेत्रों में सीवर, सड़क व विद्युत समस्या के निदान हेतु अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराकर इन क्षेत्रों का विकास कराये जाने के सम्बन्ध में, तथा 17-कानपुर कैण्टोनमेंट विधान सभा क्षेत्र, कानपुर नगर में घनी बस्तियों में जो कि अत्यधिक संख्या में हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बनवाये जाने के सम्बन्ध में।"
18-	श्रीमती पिंकी सिंह यादव	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाय :- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :- 1-प्रदेश में प्रतिदिन हत्या, बलात्कार, लूट, डकैती,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		साम्प्रदायिक दंगा, चोरी, चेन स्नैचिंग, साइबर, राहजनी आदि घटनाओं में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है, के सुधार के सम्बन्ध में, 2-जनपद सम्भल के विधान सभा क्षेत्र असमौली में राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में, 3-जनपद सम्भल के विधान सभा क्षेत्र असमौली में राजकीय महिला महाविद्यालय का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में, 4-जनपद सम्भल के विधान सभा क्षेत्र असमौली में अत्याधुनिक महिला चिकित्सालय का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में, 5-जनपद सम्भल के विधान सभा क्षेत्र असमौली में ट्रांसफार्मरों की क्षमता वृद्धि कराये जाने के सम्बन्ध में, 6-जनपद सम्भल के विधान सभा क्षेत्र असमौली में नवीन परिवहन निगम की बसों के संचालन के सम्बन्ध में, 7-जनपद सम्भल के विधान सभा क्षेत्र असमौली में असमौली से जनपद मुख्यालय तक जर्जर सड़कों के निर्माण, मरम्मतीकरण एवं चौड़ीकरण के सम्बन्ध में, 8-जनपद सम्भल के विधान सभा क्षेत्र असमौली में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के महिला खेलों के प्रोत्साहन हेतु इण्डोर स्टेडियम का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में, 9-जनपद सम्भल के विधान सभा क्षेत्र असमौली में राजकीय पालीटेक्निक का निर्माण के सम्बन्ध में, 10-जनपद सम्भल के विधान सभा क्षेत्र असमौली में 100 बेड का अत्याधुनिक चिकित्सालय का निर्माण के सम्बन्ध में, 11-जनपद सम्भल के विधान सभा क्षेत्र असमौली में अत्याधुनिक पशुचिकित्सालय का निर्माण के सम्बन्ध में, 12-जनपद सम्भल के विधान सभा क्षेत्र असमौली में पेड़ पौधों के संरक्षण एवं नर्सरी हेतु पौध वानिकी अथवा राजकीय नर्सरी का निर्माण के सम्बन्ध में,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		13-जनपद सम्भल के विधान सभा क्षेत्र असमौली में दुग्ध विकास हेतु राजकीय डेरी का निर्माण के सम्बन्ध में, 14-जनपद सम्भल के विधान सभा क्षेत्र असमौली में अत्याधुनिक आंख के अस्पताल का निर्माण के सम्बन्ध में, 15-जनपद सम्भल के विधान सभा क्षेत्र असमौली के सभी बस अड्डों पर अत्याधुनिक यात्री विश्राम स्थल गृह का निर्माण के सम्बन्ध में, तथा 16-जनपद सम्भल के विधान सभा क्षेत्र असमौली में पेयजल हेतु पानी की टंकी का निर्माण के सम्बन्ध में।"
19-	श्री शिवपाल सिंह यादव	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाय :- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय का कोई उल्लेख नहीं किया है :- 1-किसानों का कृषक उपज का लाभकारी मूल्य दिलाये जाने एवं धान, गेहूं की खरीद में हो रही धांधली को रोके जाने के सम्बन्ध में, 2-किसानों के लिये सिंचाई मुफ्त करने व सस्ती दर पर बिजली उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में, 3-किसानों द्वारा चल रहे आन्दोलन में मारे गये किसानों के परिवारों को आर्थिक सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में, 4-गन्ना किसानों के बकाये के भुगतान व गन्ना खरीद मूल्य बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में, 5-कानून व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त करने के सम्बन्ध में, 6-महिलाओं के उत्पीड़न व अत्याचार, बलात्कार रोकने के सम्बन्ध में, 7-बेरोजगार नवयुवकों को रोजगार उपलब्ध कराने की प्रभावी नीति बनाये जाने के सम्बन्ध में, 8-बिजली की खराब व्यवस्था को सुधारने व बढ़ी हुई विद्युत दरों को कम किये जाने के सम्बन्ध में, 9-ग्रामीण क्षेत्रों में खेतों की सिंचाई हेतु 24 घण्टे की विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराने के सम्बन्ध में, 10-पिछड़े वर्गों को संविधान प्रदत्त आरक्षण को पूरा किये जाने के सम्बन्ध में,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		11-प्रदेश की जर्जर सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में, 12-कमजोर सहकारी संस्थाओं को सुदृढ़ किये जाने के सम्बन्ध में, 13-सरकारी अस्पतालों में दवाओं व बेड का अभाव है उसका समाधान किये जाने के सम्बन्ध में, तथा 14-बढ़ती हुयी महंगाई एवं खाद्यान्न सामग्रियों के आसमान छू रहे दामों को कम करने के सम्बन्ध में।"